NATIONAL HEALTH MISSION

DISTRICT PROGRAMME IMPLEMENTATION PLAN

Year 2021-22

STATE PROGRAMME MANAGEMENT UNIT

Department of Medical Health & Family Welfare, Uttar Pradesh

UTTAR PRADESH

विषय सूची

क्रम	गतिविधि	पृष्ठ सं0
	आर.एम.एन.सी.एच.+ए. (पार्ट–ए)	8
1.	मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम	9-52
2.	बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	53-63
3.	परिवार नियोजन कार्यक्रम	64-82
4.	पी0सी0पी0एन0डी0टी0	82-89
5.	सुरक्षित गर्भपात सेवाएं कार्यक्रम	90-92
6.	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर0के0एस0के0)	93-103
7.	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर0बी0एस0के0)	104-118
8.	संविदा मानव संसाधन	119-132
9.	नर्सिंग कार्यक्रम	133-142
10.	सहयोगात्मक पर्यवेक्षण	143-146
	मिशन फ्लेक्सीपूल (पार्ट–बी)	147
1.	कम्युनिटी प्रोस्सेस	148-173
2.	प्रचार–प्रसार गतिविधियां	174-180
3.	मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष	181-185
4.	जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम	186-187
5.	डी0एन0बी0 कार्यक्रम	188-192
6.	एम्बुलेन्स सेवा	193-195
7.	क्वालिटी एश्योरेन्स कार्यक्रम	196-215
8.	एच0एम0आई0एस0 / आर0सी0एच0	216-221
9.	बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण, चिकित्सालयों में क्लीनिंग, गार्डेनिंग एवं लाण्ड्री सेवाएं तथा उपकेन्द्रों की साफसफाई	222-228
10.	जिला स्तरीय चिकित्सालयों एवं ग्रामीण क्षेत्रों की CHCs/PHCs delivery points पर पी0ओ0एल0 की व्यवस्था	229
	नियमित टीकाकरण कार्यक्रम	230
1.	नियमित टीकाकरण	231-235

क्रम	गतिविधि	पृष्ठ सं0
	एन0यू0एच0एम0	236
1.	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	237-250
	राष्ट्रीय कार्यक्रम	251
1.	ए0ई0एस0 / जे0ई0 रोग नियंत्रण कार्यक्रम	252-255
2.	कालाजार कार्यक्रम	256-258
3.	फाइलेरिया कार्यक्रम	259-262
4.	मलेरिया कार्यक्रम	263-266
5.	डेंगू एवं चिकनगुनिया कार्यक्रम	267-269
6.	आई0डी0एस0पी0 कार्यक्रम	270-273
7.	राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम	274-289
8.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	290-299
9.	राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियन्त्रण कार्यक्रम	300-304
10.	राष्ट्रीय रैबीज नियंत्रण कार्यक्रम	305-307
	नॉन कम्युनिकेबिल डिजीजेज़ कार्यक्रम	308
1.	राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम	309-311
2.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	312-315
3.	National Oral Health Programme का क्रियान्वयन	316
4.	National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases & Stroke कार्यक्रम	317-318
5.	National Programme for Health Care of the Elderly	319-320
6.	नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर कार्यक्रम	321
7.	राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम	322-324
8.	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम	325-328
9.	राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम	329-334
10.	COPD (Chronic obstructive pulmonary disease)	334
11.	राष्ट्रीय बधिरता बचाव व रोकथाम कार्यक्रम (एन0पी0पी0सी0डी0)	335-336
12.	रक्तकोषों के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन	337-339
13.	वित्तीय लेखा पुस्तकों का रख–रखाव, आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुशासन स्थापित करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश	340-349

प्रेषक,

अपर्णा उपाध्याय,
मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश,
विशाल कॉम्प्लेक्स, 19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याः–एस0पी0एम0यू0 / नियोजन / 17 / 2021–22 / 3045–2 दिनांक : 29.08.2021

विषयः–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 की जनपदीय कार्ययोजना की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय / महोदया,

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के वर्ष 2021–22 में समुचित संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा कुल धनराशि रु0 10747.52 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित की गई प्राथमिकतायें निम्नवत हैंः–

Key Priority Areas for FY 2021-22

1. Implementation of AB-Health and Wellness Ambassadors
2. JSSK
3. PMSMA
4. SUMAN
5. Roll out of Midwifery initiative
6. MH trainings
7. Completion of MCH wings
8. Construction of Obstetric HDU/ICU
9. LaQshya certification
10. Strengthening of Home Based Care of Newborn (HBNC)
11. Strengthening of Special Newborn Care Unit (SNCU)
12. Strengthening of District Early Intervention Centres (DEIC)
13. Newborn Screening at Delivery Points
14. Mobile Health Teams under RBSK Program
15. SAANS Program
16. Aspirational District Program
17. Strengthening of Newborn Stabilization Units including Reporting structure
18. Quality Certification of Facility Based Newborn Care Units
19. Roll out of Home Based Care of Young Child Program (HBYC)
20. Child Death and Still Birth Review System
21. Early Childhood Care and Development (ECD) interventions
22. Strengthening Pediatric Care Service at District level and Sub District level
23. Anemia Mukt Bharat
24. Operationalization of FP-LMIS
25. Comprehensive Abortion Care

Health System Strengthening under NRHM Flexipool
CPHC - AB-HWCs:

1. Operationalization of Health and Wellness Centres (HWCs) for provision of Comprehensive Primary Healthcare at SHC, PHC and UPHCs.
2. Roll out of AB-HWC application
3. Daily and monthly reporting on AB-HWC portal
4. Team Based Incentives for CPHC team members

5. Performance based incentives for CHOs
6. Ensuring availability of tablet/ laptop/ desktop at SHC and PHC
7. Roll out of Teleconsultation services through eSanjeevani OPD and e-Sanjeevani HWC
8. Constitution of Jan Arogya Samitis and their training.
9. Wellness as community movement
10. Eat Right/ Eat Safe
11. Fit India
12. Adoption of AB-HWCs by medical colleges and AYUSH department.
13. Kayakalp assessment of AB-HWCs
14. Social audit of HWCs (guidelines will be issued separately)
    Implementation of SOPs for CoC between AB_HWC & PMJAY

Health System Strengthening (HSS) under NRHM Flexipool

1. Engagement of HR as per IPHS norms.
2. Implementation of HRMIS
3. Roll out of Minimum Performance Benchmarks.
4. DNB\CPS courses in district hospitals
5. Public Health management Cadre
6. ASHA training, incentives and ASHA Benefit Package
7. Free Drugs service initiative with roll out of DVDMS up to PHC level
8. Free Diagnostics Service Initiative
9. NQAS certification and Kayakalp
10. Strengthening quality assurance through Mera Aspataal
11. National Ambulance Service (108)
12. Mobile Medical Units
13. Strengthening of District Hospitals
14. IT interventions – HMIS/e-Hospital/e-Sushrut/ State Data Centers
15. Blood Storage Units in CHC/SDH/DH
16. Prevention and management of hemoglobinopathies
17. Grievance Redressal and Health Helpline
18. Fit Health Worker
19. Untied Funds to Health Facilities/VHSNCs
20. Inclusion of Good practices & Innovations
21. Programme management

NUHM Flexipool

1. As all UPHCs to be converted into HWCs for renting, Construction Activities may be proposed in the PIP accordingly.
2. Ensuring availability of equipment at UPHC/HWCs as per CPHC guidelines
3. Ensuring Outreach activities related to CHPC in Urban areas
4. Team Based Incentives for CPHC teams at UPHC/HWCs.
   Ensuring PHCs as per population norms

उपर्युक्त गतिविधियों के वर्ष 2021–22 में संचालन हेतु भारत सरकार को प्रेषित प्रस्तावों के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिसके अनुसार गतिविधियों को निर्धारित समयावधि में क्रियान्वित किया जाना है। आप अवगत ही हैं कि विगत वर्ष से संचालित योजनाओं को वर्ष 2021–22 में संचालित किये जाने के लिए माह अप्रैल, 2020 से आपको विभिन्न दिशा–निर्देश भेजे गये हैं। साथ ही जो नवीन गतिविधियां वर्ष 2021–22 में संचालित की जानी हैं, उनके क्रियान्वयन हेतु भी राज्य मुख्यालय से समय–समय पर निर्देश भेजे जा रहें हैं।

तत्क्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की विभिन्न गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित किये जाने के उद्देश्य से आपको विस्तृत दिशा–निर्देश तथा मदवार धनराशियों के आवंटन की फांट की संकलित 'रेफरेन्स पुस्तिका' प्रेषित की जा रही है।

गत वर्ष की भांति ही वर्ष 2021–22 में समस्त गतिविधियों हेतु 18 एफ0एम0आर0 कोड में धनराशि स्वीकृत की गई है। भारत सरकार द्वारा अपेक्षा की गई है कि उक्त एफ0एम0आर0 कोड में ही धनराशि का व्यय अंकित किया जाय। इस वर्ष भी जनपदों को धनराशि एकमुश्त अवमुक्त की जा रही है। जनपद हेतु निर्धारित आवंटन के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित करते हुए योजनाओं के कियान्वयन हेतु उपलब्ध कराये गये दिशा–निर्देशानुसार धनराशि व्यय करना सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय, कि जिस प्रकार इस पुस्तिका में संलग्नक–1 पर जनपद विशेष हेतु गतिविधिवार भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय फांट दर्शाई गई है, उसी प्रकार जनपद स्तरीय चिकित्सालयों/ब्लॉक हेतु भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय फांट सहित वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाय।

विगत वर्ष की भांति ही FAMS portal के माध्यम से गतिविधिवार/ब्लॉकवार धनराशि का आवंटन तैयार करने में जनपदों को सुविधा होगी। आपको निर्देशित किया जाता है कि ब्लॉकवार धनराशि का आवंटन तैयार करने हेतु सम्बंधित जनपदीय व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन करें, ताकि इस portal से सभी को भली–भांति अवगत कराया जा सके तथा आवंटन तैयार किये जाने में उनका भी सहयोग प्राप्त किया जा सके। तत्पश्चात जनपद स्तर से संचालित की जाने वाली गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए पूरे जनपद की कार्ययोजना तैयार कराकर ज़िला स्वास्थ्य समिति से एकमुश्त अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

साथ ही जिन चिकित्सा इकाइयों को गतिविधियों के संचालनार्थ धनराशि आवंटित की जा रही है, उन इकाइयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को गतिविधि के कियान्वयन एवं धनराशि के व्यय से सम्बन्धित समुचित दिशा–निर्देश उपलब्ध कराना मुख्य चिकित्सा अधिकारी का उत्तरदायित्व है।

समस्त कार्यक्रमों के संचालन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का कार्य चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय, परिवार कल्याण महानिदेशालय तथा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के स्तर से किया जा रहा है। अतः समय–समय पर इनके स्तर से अथवा राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई स्तर से यदि किसी कार्यक्रम के संशोधित दिशा निर्देश निर्गत किये जाते हैं, तो उनका पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की जाय।

विगत वर्ष स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उपलब्धियों का वर्ष भी रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जो उपलब्धियां रहीं हैं, उनमें निम्न प्रमुख हैंः–

1. **हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर–** आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत गुणवत्तायुक्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घर के निकट प्राप्त कराने के उद्देश्य से मई 2021 तक 8594 (6519 उपकेन्द्र, 1647 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 428 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय) हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर संचालित किये गये हैं। जिनमें से वर्ष 2020–21 में कुल 4940 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों को क्रियाशील किया गया। इन केन्द्रो के माध्यम से जनसमुदाय को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, संक्रामक रोगों एवं गैर संक्रामक रोगों सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। यह योजना 2019–20 में प्रारम्भ की गयी है।
2. **ई–संजीवनी टेलीमेडिसिन**– भारत सरकार द्वारा सी–डैक संस्था के सहयोग से ई–संजीवनी टेलीमेडिसिन एन्ड्रायड बेस एप्लीकेशन प्रारम्भ किया गया है। कोविड–19 महामारी के दौर में रोगियों को घर बैठे चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त करने में लाभप्रद रही। इसके माध्यम से आम जन बिना चिकित्सालय जाये सीधे चिकित्सकों से परामर्श कर सकते हैं। अब तक प्रदेश के 14 मण्डल स्तरीय चिकित्सालयों एवं प्रदेश के 5 उत्कृष्ट चिकित्सकीय संस्थानों के माध्यम से टेली–कन्सल्टेशन सेवाएं प्रदान की जा रही है। ई–संजीवनी प्लेटफार्म के माध्यम से अब तक 9.16 लाख टेली कन्सल्टेशन पूर्ण किया जा चुका है। इनमें से 7,93,771 लाभार्थियों को ई–संजीवनी ओ0पी0डी0 एवं 122073 लाभार्थियों को AB e-Sanjeevani.in (Hub and Spoke Model) के माध्यम से परामर्श प्रदान किया जा चुका है।
3. 58 जनपदीय चिकित्सालयों में सेवाप्रदाता के माध्यम से गम्भीर रोगियों को **निःशुल्क सी0टी0स्कैन** सेवाएं उपलब्ध करायी गयी हैं। अभी तक 6,00,333 लाभार्थियों को सेवा प्रदान की जा चुकी है। वर्ष 2017 से पूर्व यह सेवा उपलब्ध नहीं थी।

4. 48 जनपदीय चिकित्सालयों में **डायलिसिस की निःशुल्क** सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। शेष जनपदीय चिकित्सालयों में डायलिसिस सुविधा हेतु निविदा प्रक्रिया सम्पादित की जा चुकी है। इस सेवा से अभी तक 8,749 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।
5. **टेलीमेडिसिन** सेवायें प्रदेश के 250 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध करायी गयी हैं। वर्ष 2017 से पूर्व यह सेवा उपलब्ध नहीं थी।
6. प्रदेश में संचालित **टेलीरेडियोलॉजी** सेवायें वर्तमान में 361 के सापेक्ष कुल 347 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर संचालित की जा रही हैं। वर्ष 2017 से पूर्व यह सेवा उपलब्ध नहीं थी।
7. वर्ष 2020–21 में 106 जिला स्तरीय चिकित्सालय एवं 215 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कायाकल्प अवार्ड प्राप्त कर चुके है तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रक्रियाधीन है।
8. प्रदेश के समस्त जनपदों में क्षय रोगियों के नमूनों को माइक्रोस्कोपिक सेन्टर से जनपद मुख्यालय तथा कल्चर एवं ड्रग्स सेन्सिटिविटी हेतु प्रयोगशाला तक डाक विभाग द्वारा पहुंचाने की व्यवस्था का अनुबंध राज्य स्तर पर किया गया है जिससे संबंधित प्रयोगशाला में पहुॅचाया जा रहा है। इस व्यवस्था को समस्त जनपदों में लागू होने से अब किसी भी क्षय रोगी को अपने सैम्पल की जांच हेतु अपने घर के निकटतम डी0एम0सी0 पर सैम्पल दिया जा रहा है।

उच्च क्षमता वाली डी0एम0सी0 एवं जिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय में 451 ट्रूनॉट मशीनें स्थापित एवं क्रियाशील मशीनों से क्षय रोगियों की जॉचे की जा रही है। वर्तमान में 283 ट्रूनॉट मशीन कोविड–19 की जांच हेतु अधिकृत किया गया है। वर्ष 2020 में सभी टी0बी0 रोगियों की सफलता उपचार दर 83 प्रतिशत रही।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न स्तर पर संविदा कर्मी तैनात हैं अथवा तैनात किये जाने हैं, उनकी तैनाती/अनुबन्ध नवीनीकरण, अवकाश आदि के सम्बन्ध में निम्न नियमानुसार कार्यवाही की जायः–

संविदा कर्मियों की तैनाती हेतु सामान्य नियम

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा कर्मियों की तैनाती/अनुबन्ध नवीनीकरण के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त निर्देशों को अवक्रमित करते हुए यह निर्देश जारी किये जा रहें हैं।
2. सभी चयन/तैनाती के सम्बन्ध में जो दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं, उन पर सर्वप्रथम जिला स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत गठित शासी निकाय में चर्चा की जायेगी और सहमति प्राप्त की जायेगी। यदि शासी निकाय की बैठक में विलम्ब हो रहा तो अध्यक्ष–शासी निकाय से पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जाये। इस आदेश में जो निर्देश दिये गये हैं, उन प्रतिबन्धों के अधीन ही कार्मिकों की तैनाती/अनुबन्ध नवीनीकरण किया जाये।
3. यह संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधिक कार्मिक रख लिये जाते हैं और उनका वेतन भी आहरण किया जाता है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी भी जनपद द्वारा ऐसा किया गया तो सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
4. यह संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदो में अधिकतम मानदेय हेतु स्वीकृत बजट को प्रतिमाह वेतन के रूप में आहरित किया जाता हैं। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि मानदेय का निर्धारण नियुक्ति के समय निर्धारित मानदेय तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि एवं लॉयल्टी/एक्सीपिरियंस बोनस के आधार पर नियमानुसार देय है। उपरोक्त निर्धारित मानदेय में किसी भी प्रकार का पुनरीक्षण राज्य स्तर की अनुमति के उपरान्त ही अनुमन्य होगा। यदि किसी भी जनपद में इसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. कतिपय जनपदों से यह भी शिकायत प्राप्त हुई है कि राज्य मुख्यालय से स्वीकृत किये गये पदों के सापेक्ष उसी वित्तीय सीमा में अधिक कार्मिक तैनात कर लिये गये। यह गैर कानूनी है, अतः यदि ऐसी स्थिति पाई गई तो वित्तीय अनियमितता मानते हुए प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
6. प्रत्येक संविदा कर्मी का छमाही मूल्यांकन Appropriate Authority द्वारा निर्धारित प्रारूप पर किया जायेगा, जिस पर सूचना भरकर एस0पी0एम0यू0 कार्यालय में प्रेषित की जाये। Appraisal प्रारूप न होने की स्थिति में संविदा कर्मियों के वेतन आहरण पर एस0पी0एम0यू0 कार्यालय द्वारा रोक लगाई

जा सकती है (प्रथम छमाही अप्रेजल किये जाने के पश्चात् किसी संविदाकर्मी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उसे चेतावनी–पत्र इस आशय के साथ निर्गत किया जायेगा कि वह अपने कार्य व व्यवहार का अतिशीघ्र सुधार कर लें)। प्रथम छमाही अप्रेजल उपरान्त किसी भी संविदाकर्मी की सेवा समाप्ति नहीं की जायेगी।

7. यह पुनः दोहराया जाता है कि समस्त संविदा कर्मियों का अनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति के साथ ही किया जायेगा।
8. संविदा कर्मियों/चिकित्सकों इत्यादि की तैनाती स्थान विशेष के लिये होगी। जिन चिकित्सा इकाईयों पर नियमित पद भरे हुए हैं, उन इकाईयों पर संविदा पर कोई तैनाती नहीं की जाएगी। ऐसा होने पर सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
9. ऐसे संविदा कर्मी जो बिना सूचना के अनुपस्थिति/कार्य छोड़कर चले गये हैं ,एवं जिनको सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति ने उस पद से कार्यमुक्त कर दिया हो, तो ऐसे संविदाकर्मी को उस पद पर पुनः जनपद स्तर पर लिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
10. पैरामेडिकल कर्मियों के पदों का एक ''पूल'' दिया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के पैरामेडिकल कार्मिक सम्मिलित हैं (पैरामेडिकल कर्मियों का प्रकार, कार्यक्रम विशेष द्वारा वर्णित गाइडलाइन के अनुसार होगा)। सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 स्तर पर 80–85 प्रतिशत पैरामेडिकल तैनात किये जायें तथा आवश्यकतानुसार मात्र 15–20 प्रतिशत ही जनपदीय महिला/पुरूष एवं संयुक्त चिकित्सालयों में तैनात किये जायें। किसी भी दशा में जनपद हेतु आवंटित संख्या से अधिक पैरामेडिकल कार्मिक न रखे जायें।
11. जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 पर तैनात किये गये संविदा कर्मियों/चिकित्सकों हेतु प्राविधानित मानदेय की छः माह की धनराशि इन इकाइयों पर क्रियाशील पूल खाते में स्थानान्तरित की जाए। जिन इकाइयों पर पूल एकाउंट नहीं खुले हैं वहां पर आवश्यक धनराशि रोगी कल्याण समिति के खाते में स्थानान्तरित की जाए। रोगी कल्याण समिति के खाते में स्थानान्तरित की गयी धनराशि का विवरण पृथक रुप से रखा जाय।
12. समस्त श्रेणी के कर्मियों के लिए उनके कार्यो हेतु विस्तृत मूल्यांकन प्रपत्र आपको उपलब्ध कराये जा चुके हैं। प्रत्येक कर्मी के मानदेय के भुगतान के लिए आवश्यक है कि वह अपने लिए चिन्हित कार्य दायित्वों की प्राप्ति सुनिश्चित करे, तभी उनके मानदेय का भुगतान किया जायेगा। भारत सरकार से श्रेणीवार मानव संसाधन की स्वीकृति के क्रम में प्रत्येक जनपद के लिए अलग–अलग श्रेणी के कर्मियों के पदों का आवंटन किया गया है, जिसकी संख्या से अधिक संख्या में मानव संसाधन की तैनाती किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगी। यदि आपके जनपद में किसी श्रेणी विशेष के स्वास्थ्य कर्मी/चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञ की अत्यन्त आवश्यकता होती है, तो आप मिशन निदेशक को पृथक से पत्र लिखकर अपनी इकाई के कार्यभार, इकाई की गतवर्ष की उपलब्धि एवं आवश्यकता का विवरण प्रस्तुत करेंगे तथा प्रस्ताव औचित्यपूर्ण पाये जाने पर अलग से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
13. संतोषजनक कार्य के आधार पर जो कर्मी/चिकित्साधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय से अनुमोदनोंपरान्त पुर्नअनुबन्धित कर लिये गये हैं, उनके मानदेय का भुगतान जनपदवार दी गई स्वीकृति संख्या एवं निर्धारित मानदेय के अनुसार कर दिया जाय।
14. प्रत्येक माह की 07 तारीख तक विगत माह के मानदेय की धनराशि संविदा कर्मियों को अनिवार्य रूप से उनके खाते में मानव सम्पदा साफ्टवेयर के ''पे–कैलकुलेशन माड्यूल'' के माध्यम से स्थानान्तरित की जाय। 01 माह से ऊपर मानदेय न निर्गत किये जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। ऐसा न होने पर सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही भी की जायेगी।
15. वित्तीय वर्ष 2021–22 में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में संविदा पर तैनात कर्मियों का मानदेय अलग–अलग दर पर स्वीकृत किया गया है जिसके सम्बन्ध में श्रेणीवार विस्तृत विवरण आगामी प्रस्तरों में दिया गया है।
16. भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में संविदा कर्मियों के मानदेय में गत वर्ष के सापेक्ष 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। यह उन्हीं संविदा कर्मियों को देय होगा, जिन्होंने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है।
    (A) वे संविदा कर्मी जिनका 01 वर्ष का कार्यकाल वर्ष 2021–22 के मध्य में पूर्ण हो रहा है, उन्हें 01 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 5% की प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि योगदान के माह की पहली तारीख से प्रदान की जाये।

(B) वे संविदा कर्मी जो 01 अप्रैल 2021 को 01 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके है, उन्हें 01 अप्रैल 2021 से भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 5% की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जायें।

(C) वित्तीय वर्ष 2021–22 में संविदा कर्मियों को संतोषजनक परफॉरमेंस के आधार 5% की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति हेतु मिशन निदेशक–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 तथा जिला स्वास्थ्य समिति हेतु अध्यक्ष–जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकृत किया गया है।

17. भारत सरकार द्वारा संविदा कर्मियों के लॉयल्टी/एक्सीपिरियंस बोनस हेतु अनुमति प्रदान की गई है। लॉयल्टी/एक्सीपिरियंस बोनस हेतु केवल वही संविदा कर्मी पात्र होगें, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष में निरतंर 03 अथवा 05 वर्षों की सेवा एक ही पद पर पूर्ण की गई हो।

1. ऐसे संविदा कर्मी जो वित्तीय वर्ष 2021–22 में 03 वर्ष पूर्ण करते है, उन्हें 10 प्रतिशत एवं 5 वर्ष पूर्ण करने पर 15 प्रतिशत का लॉयल्टी/एक्सीपिरियंस बोनस प्रदान किया जायेगा।
2. जिन संविदा कर्मी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में सेवाकाल का 03 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च 2021 में निर्गत किये गये वेतन में 10 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सीपिरियंस बोनस प्रदान किया जायेगा।
3. जिन संविदा कर्मियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में सेवाकाल का 05 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2021 में निर्गत किये गये वेतन में 05 प्रतिशत (उनको 10 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सीपिरियंस बोनस का लाभ पूर्व में भुगतान किया जा चुका है एवं शेष 5 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सीपिरियंस बोनस देय है) लॉयल्टी/एक्सीपिरियंस बोनस प्रदान किया जायेगा।
4. ऐसी महिला संविदा कर्मी जो मातृत्व अवकाश पर हों एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में निरतंर 03 अथवा 05 वर्षों की सेवा एक ही पद पर पूर्ण की हो, वे महिला संविदा कर्मी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस की पात्र होंगी।
5. ऐसे पुरुष संविदा कर्मी जो पितृत्व अवकाश पर हों एवं वर्ष 2021–22 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण कर ली हो, वे भी लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस के पात्र होंगे।
6. जिन संविदा कर्मियों का 03 वर्षों में कुल 06 माह तथा 05 वर्षों में कुल 08 माह का अवकाश स्वीकृत किया गया है, उन संविदा कर्मियों के अवकाश के समय (03 वर्षों में कुल 06 माह तथा 05 वर्षों में कुल 08 माह) को सेवाकाल में आकंलन न किया जायें।
7. सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस का लाभ नहीं दिया जायेगा।

18. नियत मासिक मानदेय पर तैनात किये गये समस्त संविदा कर्मी एवं चिकित्सक, नियमित सेवाओं के कर्मी एवं चिकित्सक की भांति ही नियत रोस्टर के अनुसार कार्य करेंगे तथा प्रभारी अधिकारी की सहमति से इन्हें आकस्मिक अवकाश (वर्ष में अधिकतम 14), चिकित्सा अवकाश (वर्ष में अधिकतम 16) तथा राजपत्रित अवकाश पूर्व में अनुमति के पश्चात देय होंगे।

19. (A) समस्त महिला संविदा कर्मियों को मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी बेनीफिट एक्ट 1961 के तहत 180 दिन का मातृत्व अवकाश सवेतन अनुमन्य होगा।

(B) समस्त पुरूष संविदा कर्मियों को पैटरनिटी अवकाश, एच0आर0 पॉलिसी में वर्णित नियमो के अनुसार अनुमन्य होगा।

20. (A) भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 10.03.2016 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति, मे कार्यरत पात्र संविदा कर्मियों हेतु कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधान को लागू किया गया है। उक्त के भुगतान हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत हैः–

भारत सरकार द्वारा रू0 15,000.00 प्रतिमाह तक के मानदेय प्राप्त करने वाले पात्र संविदा कर्मियों हेतु ई0पी0एफ0 की स्वीकृति आर0ओ0पी0 वर्ष 2021–22 में प्रदान की गयी हैं। ई0पी0एफ0 का लाभ यदि रू0 15,000.00 प्रतिमाह या कम मानदेय आहरित करने पर किसी संविदा कर्मी को एक पद पर कार्य करते हुये प्राप्त हो चुका हैं तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में समान पद पर रहते हुये यदि मानदेय रू0 15,000.00 प्रतिमाह से ज्यादा होता है, तो ऐसे संविदा कर्मियों को रू0 15,000.00 प्रतिमाह के मानदेय तक ई0पी0एफ0 का लाभ मिलता रहेगा। ई0पी0एफ0 हेतु समय–समय पर

भारत सरकार द्वारा प्राप्त अन्य दिशा–निर्देशों को लागू किया गया हैं, जिसका जनपदों द्वारा ससमय अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है।

(B) भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 02.08.2019 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत पात्र कर्मियों हेतु कर्मचारी बीमा योजना के प्रावधान को लागू किया गया है। भारत सरकार द्वारा रू0 21,000.00 प्रतिमाह (रू0 25,000.00 प्रतिमाह दिव्यांग कर्मी हेतु) तक के मानदेय प्राप्त करने वाले पात्र आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों हेतु ई0एस0आई0 की स्वीकृति आर0ओ0पी0 वर्ष 2021–22 में प्रदान की गयी है। ई0एस0आई0 हेतु समय–समय पर भारत सरकार द्वारा प्राप्त अन्य दिशा–निर्देश लागू किये गये हैं, जिनका जनपदों द्वारा समसय अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

21. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत संविदा कर्मियों की कार्य करने हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी, किन्तु संविदा पर कार्यरत चिकित्सा कार्य हेतु चिकित्सकों (एम0बी0बी0एस0) को शारीरिक एव मानसिक रुप से स्वस्थ्य होने पर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष का प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया है तथा इनकी अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष तक की होगी (आयुष चिकित्साधिकारी एवं आयुष विशेषज्ञ की आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष ही होगी इसके सम्बन्ध में दिशा–निर्देश पत्र संख्या–03/SPMU/NHM/AYUSH/Manav Sansadhan/2018-19/2457 दिनांक 18.06.2019 से प्रेषित किया गया है)।
22. यदि कोई संविदा कर्मी बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
23. संविदा कर्मी/चिकित्सक सेवा–अवधि के लिए किसी पेन्शन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे। इन्हें ऐसी सेवा–अवधि के लिए कोई बोनस आदि देय नहीं होगा।
24. संविदा कर्मी/चिकित्सक अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेंगे और न ही उन्हें निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
25. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार समस्त संविदा कर्मियों की तैनाती में आरक्षण का यथासम्भव पालन किया जायेगा।
26. संविदा पर कार्यरत चिकित्सक/कर्मी की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस अथवा एक माह का समतुल्य मानदेय देकर संविदा समाप्त की जा सकेगी।
27. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत संविदाकर्मी हेतु मानव संसाधन नीति समस्त संविदा कर्मियो पर लागू होगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमों के दिशा–निर्देशों में भी सम्बन्धित संविदा कर्मियों के विषय में निर्देश सम्मिलित किये गये हैं, जिनका संज्ञान अवश्य लिया जाये।

प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के सम्बन्ध में मुख्य/ नवीन बिन्दुओं का समावेश करते हुए संक्षिप्त परन्तु सारगर्भित निर्देश आगामी पृष्ठों में अंकित किये जा रहे हैं। यदि किसी भी गतिविधि के सम्बन्ध में अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी, तो आपको अलग से बिन्दुवार निर्देश पुनः प्रेषित किये जायेंगे।

आर.एम.एन.सी.एच.+ए.

(पार्ट–ए)

1. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम

1.1 ''जननी सुरक्षा योजना'' FMR Code 1.2.1.2.1, 1.2.1.2.2, 1.2.1.1, 3.1.1.1.1 & 16.1.4.1.1

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 हेतु ''जननी सुरक्षा योजना'' के अंतर्गत 27,39,700 लाभार्थियों के संस्थागत प्रसव के लक्ष्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत कुल धनराशि के सापेक्ष 90 प्रतिशत की धनराशि जनपदों को आंवटित की जा रही है :–

क्रम सं0	गतिविधि	एफ0 एम0आर0 संख्या	भौतिक लक्ष्य	जनपदों को आवंटित धनराशि (रू0 लाख में)
जनपद स्तर पर स्वीकृत धनराशि				
1	ग्रामीण प्रसवों का भुगतान रू0 1400/– की दर से	1.2.1.2.1	24,62,500	31027.50
2	शहरी प्रसवों का भुगतान रू0 1000/– की दर से	1.2.1.2.2	2,77,200	2494.80
3	बी0पी0एल0 घरेलू प्रसव रू0 500/– की दर से	1.2.1.1	615	3.07
4	आशाओं को प्रोत्साहन धनराशि रू0 600/–की दर से	3.1.1.1.1	21,91,760	11835.50
5	जनपद स्तरीय प्रशासनिक मद	16.1.4.1.1	4%	1814.44
जनपदों को कुल आवंटित की जाने वाली धनराशि				**47175.31**

कार्यक्रम क्रियान्वयन सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

1.1.1 गर्भवती महिलाओं का आर0सी0एच0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन

भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 01 अप्रैल 2016 से जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भुगतान हेतु लाभार्थियों का एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसको आर0सी0एच0 पोर्टल में परिवर्तित कर दिया गया है। जननी सुरक्षा योजना का भुगतान उन्हीं लाभार्थियों को दिया जायेगा जिनका आर0सी0एच0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ हो, अतः सभी जे0एस0वाई0 के लाभार्थियों का भुगतान किये जाने हेतु वी0एच0एस0एन0डी0/यू0एच0एस0एन0डी0 के समय चिन्हित सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं का भी आर0सी0एच0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है। साथ ही प्रसव पूर्व जाँचों के आधार पर प्रत्येक लाभार्थी को दी गयी सेवाओं का पोर्टल पर अपडेशन भी सुनिश्चित किया जाना है।

1.1.2 जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान

जननी सुरक्षा योजना'' एक निरन्तर संचालित की जाने वाली योजना है एवं इसका लाभ राजकीय मेडिकल कॉलेज, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, अन्य जिला स्तरीय चिकित्सालय तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीनस्थ समस्त स्वास्थ्य इकाइयों पर लागू है। वर्ष 2021–22 हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु वित्तीय सम्बन्धी दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

- ग्रामीण प्रसवों का भुगतान रू0 1400.00 प्रति लाभार्थी की दर से – FMR Code 1.2.1.2.1
- शहरी प्रसवों का भुगतान रू0 1000.00 प्रति लाभार्थी की दर से – FMR Code 1.2.1.2.2
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं के घरेलू प्रसव हेतु रू0 500.00 प्रति लाभार्थी की दर से – FMR Code 1.2.1.1

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सभी आयु वर्ग की गर्भवती महिलाएं, जो घर पर कुशल सेवा प्रदाता (ए.एन.एम/एल.एच.वी./स्टाफ नर्स/सिस्टर अथवा चिकित्सक) के माध्यम से प्रसव कराती हैं, को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत क़रने पर प्रत्येक बच्चे के जन्म पर प्रति प्रसव रू0 500.00 की आर्थिक सहायता अनुमन्य की गई हैं।

- आशाओं की प्रोत्साहन धनराशि रू0 600.00 की दर से ग्रामीण प्रसवों हेतु (राजकीय प्रसव इकाईयों में संस्थागत प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के लिये रू0 300.00 प्रति लाभार्थी एवं लाभार्थी के एम0सी0पी0 कार्ड पर आर0सी0एच0 नम्बर, मानकानुसार पूर्ण ए0एन0सी0 चेकअप हेतु रू0 300.00 प्रति लाभार्थी) स्वीकृत– FMR Code 3.1.1.1.1
- शहरी प्रसवों हेतु (राजकीय प्रसव इकाइयों में संस्थागत प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के लिये) शहरी आशाओं की प्रोत्साहन धनराशि रू0 400.00 प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि की व्यवस्था एफ0एम0आर0 कोड संख्या–U.3.1.1.4 पर की गयी है, विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

1.1.3 जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक मद—FMR Code 16.1.4.1.1

योजना के अन्तर्गत प्राविधानित कुल धनराशि की 4 प्रतिशत धनराशि प्रशासनिक मद के अन्तर्गत आवंटित की गयी है, जनपदों में जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय/जिला स्तरीय चिकित्सालय एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज को प्रसव भार के अनुसार आंवटित 4 प्रतिशत धनराशि का आंवटन भी सुनिश्चित किया जाय। धनराशि का उपयोग निम्नवत् किया जाना है–

- ए0एन0सी0, लेबर रूम एवं मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के सभी रजिस्टरों का मुद्रण एवं अन्य मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम सम्बन्धी प्रचार प्रसार सामग्री का मुद्रण।
- जनपद में मातृ स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों की कम्प्यूटराज्ड रिपोर्टिंग हेतु आवश्कतानुसार वैकल्पिक व्यवस्था।
- जे0एस0वाई0 वार्ड एवं लेबर रूम हेतु रख रखाव एवं साफ सफाई की व्यवस्था ।
- जे0एस0वाई0 वार्ड एवं लेबर रूम हेतु सुरक्षा गार्ड की महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश के स्तर से व्यवस्था होने तक आवश्कतानुसार वैकल्पिक व्यवस्था।

1.1.4 मान्यता प्राप्त प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालय में संस्थागत प्रसव कराने की व्यवस्था

आयुष्मान भारत योजना के अर्न्तगत मान्यता प्राप्त प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालय में Health benefit package में पात्र लाभार्थियों हेतु जटिल प्रसवों एवं सिजेरियन प्रसवों की सुविधा प्रदान की जा रही है, अतः जे0एस0वाई0 के अर्न्तगत गत वर्षों में मान्यता प्राप्त प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालय को सिजेरियन प्रसव हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।

1.1.5 लाभार्थियों का पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान

योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के भुगतान में पारदर्शिता लाने, किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को रोकने तथा एक सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था स्थापित करने के लिये भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में सभी भुगतान पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों/महिलाओं का 'आधार' क्रमांक अथवा बैंक खाते का विवरण पंजीकरण के समय अथवा एन्टीनेटल चेकअप के दौरान आर0सी0एच0 पोर्टल डेटाबेस/एम.सी.पी. कार्ड में अंकित किये जाने का प्राविधान है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार डी0बी0टी0 योजना के तहत जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भुगतान लाभार्थियों के आधार कार्ड संख्या से सम्बद्ध बैंक खाते में ही किया जायेगा। आशा द्वारा लाभार्थियों का आधार कार्ड बनवाने, बैंक खाता खुलवाने तथा उसे आधार से लिंक कराना अपेक्षित है। ए0एन0एम0 द्वारा भी गर्भवती महिलाओं को सूचीबद्ध कर उनके खाते खुलवाने एवं आधार कार्ड से सम्बद्ध कराने की कार्यवाही में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

समस्त जे0एस0वाई0 भुगतान केवल लाभार्थी महिला के खाते में ही किये जायेंगे।

चिकित्सालय से छुट्टी के समय जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थी को पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल के माध्यम से उसके बैंक खाते में स्थानान्तरित की गयी धनराशि की जानकारी ''**जननी सुरक्षा योजना लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र**'' के माध्यम से दे दी जाये, जिसकी एक प्रति लाभार्थी को एवं एक प्रति चिकित्सालय पर संरक्षित की जाये। सभी भुगतान इकाईयों को जननी सुरक्षा योजना लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र एक बुकलेट के रूप में मुद्रित कराकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान इस बुकलेट के उपयोग की समीक्षा की जाये। जे0एस0वाई0 फार्म का प्रारूप समस्त प्रसव इकाईयों पर उपलब्ध करायें। इसे सभी प्रसव इकाईयों पर बी0पी0एल0 लाभार्थियों के घरेलू प्रसव के भुगतान हेतु भी अनिवार्य कर दें।

1.1.6 अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग

मैनुअल रिपोर्टिंग की व्यवस्था को समाप्त कर पेपरलेस रिपोर्टिंग व्यवस्था संचालित करने हेतु व सूचनाओं को एच0एम0आई0एस0 के अतिरिक्त यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर भी अपलोड करने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में समस्त रिपोर्टिंग प्रपत्रो एवं राज्य अधारित पोर्टल को एकीकृत कर तैयार किये गये यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर समस्त आंकड़ो को गुणवत्तायुक्त तरीके से एकत्र करने की व्यवस्था बनायी गयी है। इस हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है कि समस्त आंकड़ों को गुणवत्ता के साथ फीड किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे कि मासिक समीक्षा हेतु एच0एम0आई0एस0 तथा यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पर उपलब्ध आंकड़ो/सूचना के आधार पर जनपदों द्वारा कार्यक्रम की समीक्षा की जा सके।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में त्रैमासिक रिपोर्ट के0पी0आई0 एवं **''प्रपत्र 18''** पर प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के बाद 05 दिवसों में राज्य स्तर पर प्रेषित की जानी है।

1.1.7 जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारण एवं वित्तीय फांट

जननी सुरक्षा योजना की जनपदों से उपलब्ध करायी गयी त्रैमासिक भौतिक प्रगति **''प्रपत्र 18''** के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 में जननी सुरक्षा योजना हेतु कुल 27,39,700 लाभार्थियों के संस्थागत प्रसव का लक्ष्य निर्धारित किया गया है स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 90 प्रतिशत की धनराशि जनपदों को आंवटित की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में जननी सुरक्षा योजना हेतु प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0 47175.31 लाख की धनराशि आंवटित की गयी है, शेश 10 प्रतिशत धनराशि जनपदों को छः माह की प्रगति की समीक्षा के आधार पर आवंटित की जायेगी।

1.2 ''जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम'' FMR 6.1.3.2, 6.2.1.1 & 1.1.1.2

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समस्त गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान चिकित्सकीय देखभाल व प्रसव सम्बन्धी सेवायें पूर्णतया निःशुल्क प्रदान करना है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक गर्भवती महिला को पाँच निःशुल्क सेवाएं– निःशुल्क परिवहन सुविधा, निःशुल्क भोजन व्यवस्था, निःशुल्क उपचार (औशधि एंव कंज्यूमेबिल्स) निःशुल्क जाँचे, एवं निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था प्रदान की जा रही है।

प्रसवोपरान्त प्रथम 48 घंटे माँ व बच्चे दोनों के लिये अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अधिकतर जटिलतायें व मृत्यु इस अवधि में ही होती हैं। प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं की इस अति संवेदनशील अवधि (प्रथम 48 घंटे) में देखभाल चिकित्सकों द्वारा अनिवार्य रूप से की जानी है। इसके लिये सभी प्रसव इकाईयों पर प्रसवोपरान्त महिलाओं को कम से कम 48–72 घंटे तक रोकने की पर्याप्त व्यवस्था किये जाने का प्राविधान है। सभी निःशुल्क सेवाओं के साथ चिकित्सालय का वातावरण भी सहयोगात्मक होना आवश्यक है, जिससे प्रसूताओं को चिकित्सालय परिसर में ससम्मान रहने का अवसर प्राप्त हो।

कार्यक्रम हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

1.2.1 निःशुल्क जाँच की व्यवस्थाः–FMR Code 6.1.3.2

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जाँच की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। प्रदेश में सम्भावित 68.21 लाख गर्भवती महिलाओं के सापेक्ष वर्श 2021–22 की में कुल 50.00 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यू0पी0एम0एस0सी0एल0 द्वारा निःशुल्क जाँचें उपलब्ध कराने हेतु रैपिड टेस्टिंग किट्स एवं कन्ज्यूमेबिल्स आदि की व्यवस्था की जानी है, परन्तु जनपदों में अतिआवश्यक जांचों हेतु उपयोग होने वाले रीएजेन्ट, रैपिड टेस्टिंग किट्स तथा कन्ज्युमेबिल्स एवं अल्ट्रासाउण्ड हेतु धनराशि जनपदों को जनपदवार फांट के अनुसार आंवटित की जा रही है।

  जनपदों द्वारा इस धनराशि का उपयोग रीएजेन्ट, रैपिड टेस्टिंग किट्स, कन्ज्युमेबिल्स एवं अल्ट्रासाउण्ड हेतु इकाई पर सुविधा की उपलब्धता न होने की स्थिति में ही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में इकाई में रीएजेन्ट, रैपिड टेस्टिंग किट्स तथा कन्ज्युमेबिल्स की आवश्यकता का आंकलन करते हुये जनपद स्तर से यू0पी0एम0एस0सी0एल0 से समन्वय स्थापित करते हुये सीमित मात्रा में ही क्रय किया जाये।
- पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस में आने वाली 100,000 गर्भवती महिलाओं हेतु पी0पी0पी0 मोड पर रू0 300.00 की दर से अल्ट्रासाउण्ड जाँच की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

- **निःशुल्क जाँच हेतु सामान्य निर्देश**

प्रत्येक गर्भवती महिला की न्यूनतम 4–5 बार हीमोग्लोबिन, यूरीन एल्ब्यूमिन/शुगर की जाँच, एक बार ब्लड ग्रुपिंग/Rh Typing, जी0डी0एम0(गर्भजनित मधुमेह), एच0आई0वी0 एवं सिफ्लिस की जाँचें भी की जायेगी। वी0एच0एन0डी0 एवं अरबन ए0एन0सी0 क्लीनिक पर होने वाली गर्भवती महिलाओं की जांचों में यदि उपरोक्त सभी जांचें नहीं हो पा रही हैं, तो प्रत्येक माह की 09 तारीख को प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस पर इन सुविधाओं को उपलब्ध कराना मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इसी प्रकार प्रसव के दौरान, पी0एन0सी एवं पोस्ट ऑपरेटिव भर्ती के दौरान सभी आवश्यक जाँचें इसी मद

से उपलब्ध करायी जायेगी। ब्लाक व जनपद स्तरीय चिकित्सालयों पर चिन्हित एच0आर0पी0 गर्भवती महिलाओं की अतिरिक्त जाँचें इसी मद से उपलब्ध करायी जायेंगी। साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक के आयोजन हेतु सभी जाँचों की व्यवस्था एवं पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस में गर्भवती महिलाओं हेतु पी0पी0पी0 मोड से अल्ट्रासाउण्ड की जाँच की व्यवस्था भी इसी मद से की जायेगी।

प्रत्येक स्तर की इकाई (L-1, L-2 & L-3) पर उपलब्ध करायी जाने वाली न्यूनतम आवश्यक निःशुल्क जाँचें निम्नवत हैं–

- पी0एच0सी0, उपकेन्द्र तथा वी0एच0एन0डी0 (आउटरीच) स्तर पर–हीमोग्लोबिन, यूरीन (एल्ब्यूमिन व शुगर), एच0आई0वी एवं सिफिलस की निःशुल्क जाँच।
- L-2 स्तर की ब्लॉक स्तरीय पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 जहाँ लैब टेक्नीशियन/लैब असिस्टेण्ट की नियुक्ति है वहाँ–हीमोग्लोबिन, यूरीन (एल्ब्यूमिन व शुगर), ब्लडग्रुप/Rh Typing, जी0डी0एम0, हेपेटाइटिस–बी टेस्ट, एच0आई0वी एवं सिफिलस की निःशुल्क जाँच की सुविधा।
- जनपद स्तरीय व सभी L-3 स्तर की इकाइयों पर– हीमोग्लोबिन, यूरीन की जाँच, ब्लडग्रुप/Rh Typing, OGTT, HbsAg, VDRL, HIV, T3/T4/TSH एवं सेमीऑटोएनालाइज़र के माध्यम से की जाने वाली अन्य जांचें।
- T3,T4,TSH तथा अन्य आवश्यक जाँचों हेतु सेवाओं की अनुपलब्धता की दशा में जनपदों के जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर नियमानुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध डायग्नोस्टिक सर्विसेज का लाभ भी लिया जा सकता है।
- **गर्भावस्था जनित मधुमेह (जी0डी0एम0) कार्यक्रम** का संचालन प्रदेश के 50 जनपदों में किया जा रहा है। एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र दिनांक 26.04.2019 के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। वर्ष 2021–22 में भारत सरकार द्वारा जी0डी0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिला की जाँच तथा उपचार के लिए 75 gm Glucose packets, Insulin Vial, Metformin Tablets, Insulin Syringe, Lancet & Glucometer strips इत्यादि की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी आपूर्ति यू0पी0एम0एस0सी0एल0 के माध्यम से जनपदों को की जायेगी।
- वी0एच0एन0डी0 सत्र पर गर्भवती महिलाओं हेतु एच0आई0वी0 एवं सिफलिस की जांच हेतु **वी0एच0एन0डी0 सत्र पर किट ले जाने की व्यवस्था (ए0वी0डी0) हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी है। स्वीकृति उपरान्त पृथक से दिशा–निर्देश निर्गत किये जायेगें।**
- प्रदेश में जिला स्तरीय चिकित्सालयों पर अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं कि वर्तमान में जिन स्वास्थ्य इकाइयों पर यह सुविधा उपलब्ध है, उन पर गर्भवती महिलाओं को यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाय। इसमें उपयोग होने वाले कन्ज्यूमेबिल्स (फिल्म, जेल एवं टिशू पेपर आदि) का क्रय राजकीय नियमानुसार इस मद से किया जा सकता है। जिन स्वास्थ्य इकाइयों पर USG की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ गर्भवती महिलाओं को पुरूष चिकित्सालय में USG की सुविधा उपलब्ध करायी जाये तथा आवश्यकतानुसार उन्हें भी इस मद से कन्ज्यूमेबिल्स उपलब्ध कराये जा सकते हैं। अन्य स्वास्थ्य इकाइयों पर उपलब्ध USG मशीनों को प्रयोग में लाने हेतु आवश्यक व्यवस्था मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से सुनिश्चित की जाये। पी0पी0पी0 मोड पर 75 जनपदों की चयनित चिकित्सा इकाईयों पर गर्भवती महिलाओं हेतु अल्ट्रासाउण्ड़ की सुविधा नियमानुसार उपलब्ध करायी जानी है।
- पी0पी0पी0 मोड पर अल्ट्रासाउण्ड की व्यवस्था के लिये सी0जी0एच0एस0, लखनऊ के निर्धारित मानकों के अनुरूप एन0ए0बी0एल0 एक्रेडिटेड अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर के लिये रू0 300.00 प्रति केस तथा नॉन–एन0ए0बी0एल0 एक्रेडेटेड अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर के लिये रू0 255.00 प्रति केस की दर निर्धारित की गयी है। चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के समीप क्रियाशील रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों के प्रबन्धकों से सहमति प्राप्त कर उपर्युक्त निर्धारित दरों पर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) के आधार पर अल्ट्रासाउण्ड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर के चयन के लिये निर्धारित मानक

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ पी0सी0पी0एन0डी0टी0 ऐक्ट–1994 के अन्तर्गत अधिकृत पंजीकृत सेन्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से निकटता (1–2 कि0मी0)।

जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी उनके जनपद की चयनित स्वास्थ्य इकाई के नजदीक स्थित पंजीकृत अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर से इस सम्बन्ध में सहमति प्राप्त कर पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस पर इस सेवा को सुनिश्चित करायें। अल्ट्रासाउण्ड कार्यभार के दृष्टिगत एक से अधिक सेन्टर से अनुबन्ध अपेक्षित है।

मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा चिन्हित केन्द्रों से अनुबन्ध करने के पश्चात जिला स्वास्थ्य समिति को इस गतिविधि के विशय में अवगत कराना अपेक्षित है।

लाभार्थी का चयन एवं रेफरल की प्रकिया

सामान्यतः गर्भावस्था के द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में प्रसव पूर्व जाँचों हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को 01 अल्ट्रासाउण्ड जाँच से आच्छादित किया जाना अपेक्षित है। गर्भावस्था की विशेश परिस्थितियों यथा विगत गर्भावस्था में जन्म दोष, क्रोमोसोमल डिस्आर्डर अथवा स्त्रीरोग विशेशज्ञ द्वारा चिन्हित दशा के लिये आवश्यकतानुसार 01 से अधिक बार भी अल्ट्रासाउण्ड की व्यवस्था की जा सकती है। ध्यान रहें कि अनावश्यक अल्ट्रासाउण्ड की जाँचें न करायी जाये।

प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा 03 प्रतियों वाली रेफरल स्लिप हस्ताक्षर कर एक प्रति अपने पास रखते हुये 02 प्रतियाँ लाभार्थी महिला को दी जायेगी। लाभार्थी द्वारा द्वितीय प्रति अपने पास रखते हुये तृतीय प्रति अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर को उपलब्ध करायी जायेगी। अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर से अपेक्षित है कि वह लाभार्थी की परीक्षण रिपोर्ट उसी दिन लाभार्थी को उसके मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड में स्टैपल करते हुये उपलब्ध करायेंगे।

भुगतान की व्यवस्था

अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर प्राप्त तृतीय प्रति का स्कैन अपने पास सुरक्षित रखते हुये प्रत्येक माह की समाप्ति पर इस तृतीय प्रति एवं एक्सेल शीट पर लाइन लिस्टिंग की सॉफट कॉपी को, भुगतान हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी को प्रस्तुत करेगा, जिसका प्रारूप निम्नवत है–

क्रम सं0	लाभार्थी का नाम	उम्र	पति का नाम	आर0सी0एच0 नं0	जेस्टेशनल ऐज	विशेशज्ञ टिप्पणी

प्रत्येक माह की 21 तारीख से अगले माह की 20 तारीख तक सम्पादित अल्ट्रासाउण्ड की संकलित सूचना एवं एकत्रित वाउचर की प्रति अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर द्वारा 23 तारीख तक प्रभारी चिकित्साधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। विवरण प्राप्त होने पर सम्बन्धित सामु0स्वा0 केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा प्रत्येक दशा में अल्ट्रासाउड सेन्टर का भुगतान माह की समाप्ति पर (विवरण प्राप्त होने के 01 सप्ताह के भीतर) सुनिश्चित कर दिया जाये।

1.2.2 निःशुल्क उपचार व्यवस्थाः– FMR 6.2.1.1

कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। प्रदेश में सम्भावित 68.21 लाख गर्भवती महिलाओं के सापेक्ष वित्तीय वर्श 2021–22 की राज्य कार्ययोजना में कुल 50.00 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कार्यक्रम के वित्तीय वर्ष 2021–22 में संचालन हेतु प्रसव पूर्व एवं प्रसवोंपरान्त दी जाने वाली औषधियों की आपूर्ति उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन के माध्यम से की जा रही है। राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में जनपद स्तरीय एल 1, एल 2 व एल 3 चिकित्सा इकाई में प्रसव के दौरान उपयोग में आने वाली अति आवश्यक औशधि एवं कन्ज्युमेबिल्स हेतु स्वीकृत धनराशि में से 20 प्रतिशत धनराशि आवंटित की गयी है।

अतः जनपदों को आवंटित की गयी धनराशि से जे0एस0एस0के0 के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी औषधि एवं कन्ज्युमेबिल्स की सूची के अनुसार अतिआवश्यक औशधि एवं कन्ज्युमेबिल्स ही क्रय किये जाने हैं, जो उस अवधि में यू0पी0एम0सी0एल0 द्वारा सप्लाई न किये जा रहे हों। इस सम्बन्ध में इकाई में औशधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स की आवश्यकता का आंकलन करते हुये यू0पी0एम0एस0सी0एल0 से समन्वय स्थापित करने के उपरान्त उनके द्वारा उपलब्ध न कराये जाने की दशा में सीमित मात्रा में ही क्रय किया जाये। किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति एवं वित्तीय अनियमितता की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी0एम0एस0डी0) एवं प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

- **राजकीय मेडिकल कॉलेज हेतु औषधि एवं कन्ज्युमेबिल्स की व्यवस्था**

कार्यक्रम के अन्तर्गत **19 राजकीय मेडिकल कॉलेज** को (आगरा, झांसी, प्रयागराज, कानपुर नगर, इटावा, कन्नौज, मेरठ, आजमगढ़, वाराणसी, अलीगढ़, गोरखपुर, सहारनपुर, जालौन, जी०बी०नगर, बदायू,

बांदा, अम्बेडकरनगर, के0जी0एम0यू0 एवं आर0एम0एल0आई0एम0एस0, लखनऊ) को प्रसव हेतु औषधि एवं कन्ज्युमेबिल्स के लिये धनराशि सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।

समस्त मेडिकल कॉलेज प्रदेश के Health Care System में एक Tertiary Care Unit होने के कारण कठिन/उच्च जोखिम वाली गर्भवती/प्रसूताओं को सेवाएं प्रदान कर रहें है। इस हेतु मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधियों के सुझाव तथा महानिदेशक–परिवार कल्याण के प्रस्ताव अनुसार जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत प्रसव एवं अन्य जटिल प्रसवों पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में मेडिकल कॉलेज में उपचार हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं एवं प्रसूताओं में होने वाली जटिलताओं एवं गत वर्षों की उपलब्धि के दृष्टिगत मेडिकल कॉलेज हेतु औशधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स हेतु निम्नवत् व्यवस्था की गयी है–

- 18 मेडिकल कॉलेजों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग एल 3 चिकित्सा इकाई में सामान्य प्रसव हेतु औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स रू0 400.00 की दर से।
- के0जी0एम0यू0–लखनऊ मेडिकल कॉलेज के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग एल 3 चिकित्सा इकाई में सामान्य प्रसव हेतु औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स रू0 2600.00 की दर से।
- 18 मेडिकल कॉलेजों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग एल 3 चिकित्सा इकाई में सामान्य सिजेरियन प्रसव हेतु औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स रू0 1800.00 की दर से।
- के0जी0एम0यू0–लखनऊ मेडिकल कॉलेज के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग एल 3 चिकित्सा इकाई में सामान्य सिजेरियन प्रसव हेतु औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स रू0 10,000.00 की दर से।
- के0जी0एम0यू0–लखनऊ मेडिकल कॉलेज के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग एल 3 चिकित्सा इकाई में कॉम्पलिकेड सिजेरियन प्रसव हेतु औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स रू0 20,000.00 की दर से से।

उपरोक्त धनराशि की गतिविधिवार विवरण निम्नवत है–

क्र. सं.	गतिविधि	एफ0एम0 आर0 संख्या	भौतिक लक्ष्य	जनपदों को आवंटित धनराशि (रू0 लाख में)
1	जनपद स्तरीय एल 1 चिकित्सा इकाई में सामान्य प्रसव हेतु औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स रू0 100/– की दर से	**6.2.1.1.ई**	4,84,500	96.90
2	जनपद स्तरीय एल 2 चिकित्सा इकाई में सामान्य प्रसव हेतु औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स रू0 200/– की दर से	**6.2.1.1.ई**	13,45,900	538.36
3	जनपद स्तरीय एल 3 चिकित्सा इकाई में सामान्य प्रसव हेतु औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स रू0 400/– की दर से	**6.2.1.1.ई**	7,63,700	610.96
4	जनपद स्तरीय एल 3 चिकित्सा इकाई में सिजेरियन प्रसव हेतु औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स रू0 1800/– की दर से	**6.2.1.1.ई**	76,900	276.84
4	18 मेडिकल कॉलेजों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग एल 3 चिकित्सा इकाई में सामान्य प्रसव हेतु औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स रू0 400/– की दर से	**6.2.1.1.ई**	19,500	78.00
5	के0जी0एम0यू0–लखनऊ मेडिकल कॉलेज के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग एल 3 चिकित्सा इकाई में सामान्य प्रसव हेतु औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स रू0 2600/– की दर से	**6.2.1.1.ई**	5,900	153.40
7	18 मेडिकल कॉलेजों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग एल 3 चिकित्सा इकाई में सामान्य सिजेरियन प्रसव हेतु औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स रू0 1800/–की दर से	**6.2.1.1.ई**	13,700	246.60
8	के0जी0एम0यू0–लखनऊ मेडिकल कॉलेज के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग एल 3 चिकित्सा इकाई में सामान्य सिजेरियन प्रसव हेतु औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स रू0 10,000.00 की दर से	**6.2.1.1.ई**	4,200	420.00
9	के0जी0एम0यू0–लखनऊ मेडिकल कॉलेज के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग एल 3 चिकित्सा इकाई में कॉम्पलिकेड सिजेरियन प्रसव हेतु औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स रू0 20,000/– की दर से	**6.2.1.1.ई**	200	40.00
	कुल योग			**2461.06**

नोट– इस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था के उपरान्त मेडिकल कॉलेजों से अपेक्षा की जाती है कि मेडिकल कॉलेज में होने वाले प्रसव(सामान्य अथवा जटिल) के लिये लाभार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा। इसके लिये प्रत्येक मेडिकल कॉलेज द्वारा अपने यहां प्रसव के लिये होने वाले व्यय (ड्रग्स, कन्ज्यूमेबिल्स) को उपरोक्त धनराशि से वहन किया जायेगा। यहाँ यह भी संज्ञान में लाना है कि जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष ए0एन0सी0 ड्रग्स यू0पी0एम0एस0सी0एल0 द्वारा आपूर्ति करायी जा रही है। अतः जनपदों में संचालित मेडिकल कॉलेजों में भी लाभार्थियों को निःशुल्क ए0एन0सी0 ड्रग्स उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

निःशुल्क उपचार हेतु सामान्य दिशा–निर्देश

सभी गर्भवती महिलाओं को द्वितीय व तृत्रीय त्रैमास (छःमाह) में सामान्य परिस्थितियों में प्रतिदिन 01 गोली आयरन की दी जानी हैं तथा प्रसव पश्चात भी 06 माह तक प्रतिदिन 01 गोली आयरन की दी जानी हैं। इस प्रकार गर्भावस्था में 180 गोलियां एवं **प्रसवोत्तर 180 गोलियाँ गर्भवती महिला को दी जानी है, जो छुट्टी के समय एवं बच्चे के टीकाकरण के समय आने पर दी जायेंगी।** एनीमिया होने की स्थिति में प्रतिदिन 02 आयरन की गोली दी जायेंगी एवं प्रसव पश्चात भी 06 माह तक प्रतिदिन 01 गोली आयरन की दी जानी हैं। इसी प्रकार एनीमिक गर्भवती महिला को गर्भावस्था में 360 गोलियां एवं प्रसवोत्तर 180 गोलियाँ दी जानी है। प्रदेश में 50 प्रतिशत एनीमिक गर्भवती महिलाओं के दृष्टिगत समस्त गर्भवती महिलाओं के लिये 450 आई0एफ0ए0 गोली प्रति महिला आवश्यक होंगी। उपर्युक्त के अतिरिक्त गर्भकाल में गम्भीर एनीमिया में **आयरन सुक्रोज** भी दिया जाना है।

सभी गर्भवती महिलाओं को द्वितीय व तृत्रीय त्रैमास (छःमाह) में कैल्शियम की, 02 गोली (1–1 गोली सुबह शाम) दिया जाना है। प्रसव पश्चात भी छः माह तक प्रतिदिन 02 गोली कैल्शियम (1–1 गोली सुबह शाम) खाने के तुरन्त बाद दी जानी हैं, जो छुट्टी के समय एवं बच्चे के टीकाकरण के समय आने पर दी जायेगी। इस प्रकार प्रत्येक गर्भवती को कैल्शियम की 720 गोली दी जानी है।

ए0एन0एम0 / स्टाफ नर्स प्रत्येक गर्भवती को द्वितीय त्रैमास में एलबेन्डाजॉल की 01 गोली वी0एच0एन0डी0 सत्र अथवा पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक में अपने सामने खिलाना सुनिश्चित करेगी।

प्रथम त्रैमास में प्रत्येक गर्भवती महिला को प्रतिदिन 400 माइक्रो ग्रा0 फोलिक एसिड की 1 गोली दी जानी है।

नोट– किसी भी प्रसूता से बाहर से औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स अथवा कोई अन्य सामग्री नहीं मंगवायी जानी है।

निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जनपद की भौतिक प्रगति की रिपोर्ट भेजते समय आउटरीच सेवाओं व ए0एन0सी0 क्लीनिकों से उन गर्भवती महिलाओं की संख्या भी सम्मिलित की जाय, जिनको एलबेन्डॉजॉल, कैल्शियम तथा आई0एफ0ए0 आदि प्रसव पूर्व सेवाओं की सुविधा प्रदान की गयी हो। किसी भी स्थिति में **01 गर्भवती महिला को दोबारा न गिना जाये**। उचित होगा कि प्रविष्टि के समय आर0सी0एच0 पोर्टल से ही भौतिक प्रगति का सत्यापन किया जाये।

1.2.3 निःशुल्क भोजन व्यवस्थाः– FMR 1.1.1.2

- कार्यक्रम के प्रत्येक जनपद की समस्त 24X7 स्वास्थ्य इकाईयों (प्रसव इकाईयों एल 2 एवं एल 3) पर निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी जानी है। इस हेतु जनपदों से प्राप्त के0पी0आई0 की रिपोर्ट के अनुसार कुल 23,63,700 (22,43,500 सामान्य प्रसव व 1,20,200 सिजेरियन प्रसव) लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है। सभी जनपद स्तरीय व ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाईयों एवं शहरी स्वास्थ्य इकाइयों में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष निःशुल्क भोजन हेतु रू0 100.00 प्रति दिन की अधिकतम दर स्वीकृत है। गर्भवती महिला को भर्ती के दौरान निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा सामान्य प्रसव में 03 दिवस व सिजेरियन प्रसव में 07 भर्ती दिवसों हेतु अनुमति प्रदान की गयी है, परन्तु गत वर्षो के व्यय की प्रगति के अनुसार बजट आवंटन के उद्देश्य से सामान्य प्रसव में औसतन 02 दिवस व सिजेरियन प्रसव में औसतन 05 दिवस की अवधि की दर से धनराशि का आंगणन कर जनपदों को धनराशि आवंटित की गयी है।

नोट– यदि गर्भवती महिला प्रसव से पूर्व या प्रसवोपरान्त उपरोक्त दिवसों से ज्यादा दिन प्रसव कारणों से स्वास्थ्य इकाई पर भर्ती है, तो भी उसे जे0एस0एस0के0 डाईट के मद से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना आवश्यक है।

- निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रति लाभार्थी रू0 100.00 प्रति दिन की अधिकतम दर भारत सरकार से स्वीकृत है, अतः उक्त सीमा तक धनराशि व्यय की जा सकती है, जिसमें सुबह का नाश्ता एवं दो समय का भोजन सम्मिलित होगा।

नाश्ता	दोपहर भोजन–लन्च	रात्रि का भोजन–डिनर
प्रातः 07 बजे से 8:30 बजे	दोपहर 01 बजे से 02 बजे	सायं 07 बजे से 8:30 बजे
अनुमानित दर रु0 20–30	अनुमानित दर रु0 35–40	अनुमानित दर रु0 35–40
एक ग्लास दूध (200 ml) के साथ 02 अण्डे / दलिया / पोहा / ब्रेड (4 स्लाइस) व 10 ग्राम मक्खन।	4 रोटी ,दाल ,मौसमी सब्जी, चावल एवं सलाद / दही।	4 रोटी , मौसमी सब्जी, चावल एवं मौसमी फल (सेब, सन्तरा केला आदि) / एक गिलास दूध।

- जनपद स्तर पर गठित टेण्डर समिति द्वारा ही सम्पूर्ण टेण्डर प्रक्रिया का संचालन किया जायेगा। टेण्डर आमंत्रित करने से पूर्व "बाजार सर्वे के आधार पर कुल धनराशि रू0 100.00 प्रतिदिन की सीमा तक निर्धारित मेन्यू के अनुसार टेण्डर आमंत्रित किया जाना है। एस.पी.एम.यू कार्यालय के पत्र दिनांक 16.07.2015 के अनुसार गुणवत्तापरक भोजन हेतु रू0 90.00 या अधिक के ही टेण्डर आमंत्रित किये जाये।

नोट–समस्त जनपदों में कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रत्येक एल–2 व एल–3 प्रसव इकाइयों पर गर्भवती महिलाओं को भर्ती के दौरान निःशुल्क भोजन व्यवस्था हेतु जनपदों में जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से नियमानुसार निविदा प्रक्रिया अपना कर की जाती है। अतः भोजन व्यवस्था हेतु एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र दिनांक 03.08.2011 के बिन्दु संख्या–4 में उल्लिखित जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा ही सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया का संचालन सुनिश्चित किया जाये।

- जिन जनपदों पर टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से सेवा प्रदाताओं का चयन नहीं हो पाया है अथवा वेण्डर छोड़कर चले गये हैं, तो वे टेण्डर प्रक्रिया होने तक जिला स्वास्थ्य समिति से स्वीकृति प्राप्त कर मुख्य विकास अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी के सहयोग से ब्लॉक स्तर पर अच्छे व क्रियाशील महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस प्रक्रिया का अनुमोदन जिला स्वास्थ्य समिति से प्राप्त करना अनिवार्य है।
  अन्तिम विकल्प के रूप में यदि किसी इकाई पर ताजे भोजन की व्यवस्था न की जा सके, तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा गर्भवती महिला/प्रसूता को दोनों समय आधे लीटर दूध की एक–एक थैली, फल अथवा अण्डे, अच्छे ब्राण्ड की डबलरोटी तथा 20 ग्राम पैकेज्ड मक्खन उपलब्ध कराया जा सकता है।

नोट–प्रत्येक स्थिति में महिला के भोजन की व्यवस्था दोनों समय (सुबह–शाम) में अवश्य सुनिश्चित करायी जाये।

- जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत भोजन की सुविधा प्रदान कर रही प्रत्येक स्वास्थ्य इकाई को पूर्व से निर्धारित प्रारूप पर जे0एस0एस0के0 डाइट रजिस्टर व्यवस्थित करना अनिवार्य है। यह डाइट रजिस्टर भर्ती प्रसूताओं की वास्तविक संख्या व उनके द्वारा प्राप्त किये गये भोजन के आधार पर ही प्रभारी नर्स द्वारा भरा जायेगा, जिसे चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिदिन सत्यापित किया जाना है।
  राज्य स्तरीय टीमों द्वारा अनुश्रवण के दौरान पाया गया है कि डाइट रजिस्टर को मानकानुसार नही भरा जा रहा है। रजिस्टर के रख रखाव का उत्तरदायित्व प्रभारी वार्ड नर्स का होगा और इकाई के प्रभारी इसको प्रतिदिन अवलोकित करेंगे। राज्य, मण्डल अथवा जिला स्तरीय अधिकारी जब भी अनुश्रवण हेतु चिकित्सा इकाइयों पर भ्रमण करें तो रजिस्टर का अवलोकन अवश्य किया जाये।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस में गर्भवती महिलाओं को अल्प जल–पान हेतु चिकित्सा इकाईयों में रू0 2,000.00 प्रति चिकित्सा इकाई व्यवस्था की गयी है, परन्तु यदि कोई गर्भवती महिला किसी कारणवश दोपहर के बाद तक चिकित्सालय में रूकती है, तो दोपहर के भोजन की व्यवस्था जे0एस0एस0के0 डाइट के बजट से दिये जाने का प्राविधान है।

1.2.4 निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा

उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या–1019/पांच–1–2011 दिनांक 19.04.2011 द्वारा जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत समस्त लाभार्थी महिलाओं को रक्त/रक्त अवयव हेतु सर्विस चार्ज में छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार शासन के स्तर से जननी सुरक्षा योजना के समस्त लाभार्थियों को ब्लड ट्रान्सफ्यूजन की स्थिति में कन्ज्यूमेबिल्स तथा जांचों की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इस लाभ के लिये सभी गर्भवती महिलायें अर्ह होंगी।

रक्त की कमी से किसी भी गर्भवती/प्रसूता की मृत्यु होना अत्यन्त खेदजनक है। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला पुरूष/संयुक्त चिकित्सालय व प्रभारी चिकित्साधिकारी, ब्लड बैंक को निर्देशित करें कि किसी भी गर्भवती महिला/प्रसूता को आवश्यकता पड़ने पर ब्लड ट्रान्सफ्यूजन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये और परिवार के सदस्यों द्वारा रक्तदान की बाध्यता न रखी जाये।

1.2.5 निःशुल्क परिवहन सुविधा

प्रत्येक जनपद को राजकीय चिकित्सा इकाईयों पर प्रदेश में संचालित ''102''एम्बुलेन्स से निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करानी है। यह 102 एम्बुलेन्स सेवा गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं एवं 01 वर्ष तक के शिशुओं को घर से चिकित्सा इकाई तक आने, चिकित्सा इकाई से घर तक जाने एवं चिकित्सा इकाई से उच्च इकाई के लिये सन्दर्भन की सभी परिवहन आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी।

प्रायः यह देखा गया है कि प्रसूतायें समय से पूर्व ही जल्दी घर चली जाती हैं ऐसी स्थिति में चिकित्सालय पर 48 घण्टे तक माँ व बच्चे को विशेष ध्यान रखना सम्भव नहीं हो पाता है। अतः यह ध्यान रखा जाये कि **चिकित्सा इकाइयों से 102 की ड्रॉप–बैक सुविधा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित की जाये।**

1.2.6 ग्रीवान्स रिड्रेसल व्यवस्था

- ग्रीवान्स रिड्रेसल व्यवस्था के अन्तर्गत जिला व ब्लॉक स्तर पर एक नोडल आफिसर नामित कर उसका सी0यू0जी0 नम्बर चिकित्सा इकाई के बाहर नोटिस बोर्ड, ओ0पी0डी0, आई0पी0डी0 आदि में पेन्ट से प्रदर्शित कर प्रचारित किया जाये। ब्लॉक स्तर पर एक साप्ताहिक दिवस निर्धारित कर शिकायतों का प्रति सप्ताह निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक प्रसव इकाई पर रक्षित शिकायत पेटिका को निर्धारित दिवस पर खोलकर शिकायतों का निस्तारण किया जाये।

1.2.7 योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार

यह योजना एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी तथा जन हितकारी कदम है तथा इसके अन्तर्गत मिलने वाली समस्त निःशुल्क सुविधाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों तक सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए निम्न कार्य सम्पादित किये जाने हैंः–

- योजना के अन्तर्गत एक्रीडिटेड उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा पंचायत घर, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भी वॉल राइटिंग के माध्यम से जन–सामान्य को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाले निःशुल्क प्रावधानों से अवगत कराया जाय।
- समस्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं विशेषकर आशा, आंगनबाड़ी एवं ए0एन0एम0 को जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं के बारे में सत्त रूप से ब्लाक स्तरीय बैठकों में जानकारी प्रदान की जाये। उन्हें अर्न्तवैयक्तिक संवाद द्वारा समुदाय में जे0एस0एस0के0 के प्रचार–प्रसार हेतु प्रेरित भी किया जाये।

1.2.8 पर्यवेक्षण व अनुश्रवण

कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों का नियमित पर्यवेक्षण व अनुश्रवण स्वास्थ्य इकाई के प्रभारी, जनपदीय नोडल अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाये।

पर्यवेक्षकों द्वारा लाभार्थियों का 48 घण्टे रूकना, डाईट रजिस्टर का रख रखाव, प्रसव के दौरान कोई शुल्क न लिया जाना आदि पर विशेष रूप से लाभार्थियों से संवाद स्थापित किया जाये।

मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी व कार्यक्रम पर्यवेक्षक आवश्यक औषधियों व जाँचों की उपलब्धता, नियमित रूप से क्रयादेशों के निर्गत किये जाने, ससमय फर्मों के भुगतान आदि बिन्दुओं पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

1.2.9 रिपोर्टिंग

कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तरीय भौतिक प्रगति हेतु मैनुअल रिपोर्टिंग की व्यवस्था को समाप्त कर पेपरलेस रिपोर्टिंग व्यवस्था संचालित करने हेतु व सूचनाओ को नवीन एच0एम0आई00एस0 एवं यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड करने का निर्णय लिया गया है।

जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा कार्यक्रम की ब्लाकवार समीक्षा के उपरान्त प्रत्येक माह की जिला स्तरीय भौतिक प्रगति रिपोर्ट आगामी माह की 5 तारीख तक प्रत्येक द्शा में नवीन एच0एम0आई00एस0 एवं यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1.3 प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान–एफ0एम0आर0 1.1.1.1

''प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान'' के अर्न्तगत प्रत्येक माह की 09 तारीख को समस्त गर्भवती महिलाओं को गर्भ की द्वितीय/तृतीय त्रैमास में राजकीय चिकित्सालयों में ''प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक'' का आयोजन कर कम से कम एक बार विशेषज्ञ अथवा एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक की देख–रेख में निःशुल्क प्रसव पूर्व गुणवत्तापरक जाँचों एवं उपचार से आच्छदित किया जा रहा है।

प्रदेश के सभी 75 जनपदों में यह अभियान समस्त ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों, जनपदीय महिला चिकित्सालयों व शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा मेडिकल कॉलेजों में सम्पादित किया जा रहा है। इस अभियान में स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं अन्य प्राइवेट चिकित्सक भी राजकीय स्वास्थ्य

इकाइयों में अपना योगदान दे रहें है। वित्तीय वर्ष 2021–2022 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत धनराशि के आवंटन एवं संचालन हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् हैं–

- समस्त गर्भवती महिलाओं को गर्भ के द्वितीय/तृतीय त्रैमास में कम से कम एक बार एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण एवं उपचार सेवाएं प्रदान की जायें।
- निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों/चिकित्सकों को हर महीने की 09 तारीख को उनके जिलों में सरकारी चिकित्सकों के प्रयासों के साथ स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये।
- समस्त ए0एन0एम0 एवं आशाओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस पर चिन्हित स्वास्थ्य इकाइयों पर मोबिलाइजेशन हेतु निर्देशित करे। समस्त ए0एन0एम0 एवं आशा के द्वारा गर्भावस्था के द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में प्रथम बार ए0एन0सी हेतु डियू लिस्ट तैयार करें एवं पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस हेतु भी बुलावा पर्ची भेजें।
- अभियान दिवस पर आयी गर्भवती महिलाओं हेतु बैठने की व्यवस्था पेयजल तथा जल–पान की व्यवस्था स्वास्थ्य केन्द्रों पर की जायेगी।
- अभियान दिवस पर आने वाली गर्भवती महिलाओं को ब्लड प्रेशर, वजन की जांच, समस्त आवश्यक खून, एच0आई0वी0 पेशाब, अल्ट्रासाउण्ड तथा पेट की निःशुल्क जाँचें एवं ग्रुप काउन्सलिंग एवं परामर्श प्रदान किया जाये। यदि सम्बन्धित चिकित्सालय पर कोई जाँच उपलब्ध नही है तो उच्च स्तरीय इकाई पर संदर्भित कर निःशुल्क सेवा से आच्छादित करें।
- गर्भवती महिलाओं को आवश्यकतानुसार निःशुल्क औषधियों का वितरण किया जायेगा। समस्त आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। अस्पताल के बाहर से दवायें न मंगायी जाय।
- पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक में सभी लाभार्थियों को निःशुल्क औषधि एवं डाइग्नोस्टिक सेवायें प्रदान करने के दृष्टिगत चिकित्सालय में ए0एन0सी0 सर्विसेस दे रहे चिकित्सकों को स्वास्थ्य इकाई पर उपलब्ध औषधियों एवं डाइग्नोस्टिक सेवाओं की विस्तृत लिस्ट उपलब्ध करा दी जाये। विशेष परिस्थिति में आवश्यक टेस्ट के लिये जनपद स्तरीय चिकित्सालय में उपलब्ध निःशुल्क डाइग्नोस्टिक सेवाओं की सूची उपलब्ध करा दी जाये ताकि बाहर से औषधि एवं जाँच हेतु न लिखा जाये। केवल आवश्यकतानुसार विशेष निःशुल्क जाँच के लिए जिला स्तरीय इकाई पर संदर्भित किया जाये।
- प्रथम बार प्रसव पूर्व जाँच कराने आयी गर्भवती महिला का आर0सी0एच0 पोर्टल पर पंजीकरण उसी दिन कराना सुनिश्चित करें।
- स्वास्थ्य इकाई स्तर पर सभी पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस में एक गुणवत्ता पूर्ण जाँच हो यह सुनिश्चित करें एवं पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस में आई सभी गर्भवती महिलाओं के एम0सी0पी0 कार्ड पर मोहर लगाऐं।
- गर्भवती महिलाओं के एम0सी0पी0 कार्ड नियमित रूप से भरे जायेगें एवं ए0एन0सी0 रजिस्टर पर अंकन भी किया जायेगा। अति जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उनके मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड पर लाल रंग की बिन्दी/एच0आर0पी0 मोहर लगायी जायें। एच0आर0पी0 महिलाओं का उनके प्रसव की कार्ययोजना सहित रिकॉर्ड स्वास्थ्य इकाई पर सुरक्षित रखा जाये।
- स्वास्थ्य इकाइयों पर उपलब्ध ए0एन0सी0 रजिस्टर में अभियान के दौरान सेवायें लेने आयी गर्भवती महिलाओं का विस्तृत रिकॉर्ड रखते हुये पी0एम0एस0एम0ए0 पोर्टल पर सूचना को अपलोड करने के लिये जनपदीय नोडल अधिकारी को उसी दिन रिपोर्ट का प्रेषण करना सुनिश्चित करें। प्रत्येक दशा में जनपद की संकलित रिपोर्ट माह की 15 तारीख तक पी0एम0एस0एम0ए0 पोर्टल पर अवश्य ही अपलोड कर दी जाये।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस पर उमड़ने वाली भीड़ के दृष्टिगत गर्भवती महिलाओं की जाँच, काउन्सलिंग व उपचार आदि के लिये अधिक काउन्टर्स तथा छायादार बैठने के स्थान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। चिकित्सालय में चिकित्सकों लैब टेक्नीशियन्स तथा पैरामेडिकल स्टॉफ की कमी होने पर समीपस्थ स्वास्थ्य इकाइयों से चिकित्सकों एवं अन्य मानव संसाधन पूल कर पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस पर सेवायें प्रदान की जाये।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रत्येक जनपद में एक मॉडल प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक बनाया जाना प्रस्तावित है। यह मॉडल क्लीनिक प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में परिकल्पित क्लीनिक की तरह होगा, जिसे क्रास लर्निंग सेन्टर के रूप में शोकेस करने हेतु विकसित किया जाये।

वित्तीय व्यवस्था एवं आवश्यक निर्देश

क्रम सं0	**गतिविधि**	**एफ0एम0आर0 संख्या**	**लक्ष्य / इकाइयाँ**	**दर**	**स्वीकृत धनराशि**
1.	त्रैमासिक जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक	1.1.1.1.S05	75 ×4 बैठक	3,000	9,00,000
2.	निजी क्षेत्र के स्वैच्छिक सेवा प्रदाता चिकित्सकों द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य इकाई में स्वैच्छिक सेवा प्रदान करने हेतु मोबिलिटी	1.1.1.1.S06	100 सेवा प्रदाता ×12 माह	1,000	12,00,000
3.	जनपद स्तरीय **I Pledge for 9 Achievers** सम्मान समारोह समारोह	1.1.1.1.S02	75 सम्मान समारोह समारोह	40,000	30,00,000
कुल जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि					**51,00,000**

1.3.1 प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत त्रैमासिक जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक–1.1.1.1.S05

मातृत्व स्वास्थ्य के सभी कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के गुणवत्तामक सुधार की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद स्तर पर त्रैमासिक समीक्षा बैठकों हेतु रू0 3,000.00 प्रति समीक्षा बैठक की दर से व्यवस्था की गयी है।

सभी बैठकों में आई0एम0ए0, रोटरी, फॉग्सी, लॉयन्स तथा अन्य समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधि एवं सेवा प्रदाताओं को सुझाव एवं सहयोग हेतु आमंत्रित किया जाये। जनपद स्तरीय पी0एम0एस0एम0ए0 समिति के सुझावों पर अमल तथा शिकायतों का निवारण किया जाये। बैठकों के कार्यवृत्त रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखे जायें। ए0सी0एम0ओ0 आर0सी0एच/पी0एम0एस0एम0ए0 नोडल इस हेतु उत्तरदायी होगें।

1.3.2 प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में योगदान देने वाले प्राइवेट चिकित्सकों हेतु मोबिलिटी एफ0एम0आर0 कोड 1.1.1.1.S06

पी0एम0एस0एम0ए0 के दौरान पोर्टल पर पंजीकृत, स्वयं सेवी प्राइवेट चिकित्सकों द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयों पर योगदान देने हेतु रू0 1000.00 प्रति पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस मोबिलिटी की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक चिकित्सक को आवागमन हेतु स्वयं के साधन का प्रयोग करना होगा। ग्रामीण चिकित्सा इकाई द्वारा वाहन उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित नही है। प्रत्येक योगदान के लिये एकमुश्त रू0 1000.00 की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 द्वारा हस्तान्तारित की जायेगी। यह धनराशि नगरीय क्षेत्र में योगदान देने वाले चिकित्सकों को देय नही होगी।

1.3.3 प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस पर आयी गर्भवती महिलाओं हेतु जल–पान की व्यवस्था एफ0एम0आर0 कोड 1.1.1.2

पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस पर राजकीय स्वास्थ्य इकाइयों में अपना चेक–अप कराने आने वाली गर्भवती महिलाओं को 6–8 घण्टे अस्पताल में व्यतीत करने पड़ते है। इसको ध्यान में रखकर गर्भवती महिलाओं के लिये पेयजल एवं अल्पाहार उपलब्ध कराने हेतु प्राविधान किया गया है। प्रत्येक जनपद की जनपद व ब्लॉक स्तरीय इकाइयों हेतु एकमुश्त रू0 2,000.00 प्रति इकाई दर से धनराशि की व्यवस्था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क भोजन के मद में अलग से व्यवस्था_की गई है। अल्पाहार में प्रसूताओं को दी जा रही जे0एस0एस0के0 निःशुल्क भोजन के दिशा–निर्देश के अनुसार उसी भांति फल एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ का वितरण सुनिश्चित किया जाये। नये इनोवेशन के तहत मॉडल पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक पर आयी हुई गर्भवती महिलाओं को दोपहर का भोजन जे0एस0एस0के0 के अर्न्तगत निःशुल्क भोजन मद से दिया जायेगा।

1.3.4 गर्भवती महिलाओं हेतु पी0पी0पी0 मोड पर अल्ट्रासाउण्ड जाँच की व्यवस्था–एफ.एम.आर कोड 6.1.3.2

वर्तमान में ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयों पर अल्ट्रासाउण्ड व्यवस्था न होने के कारण गर्भवती महिलाओं को जनपद स्तरीय इकाइयों पर सन्दर्भित करना पड़ता है। इस कारण काफी अधिक संख्या में गर्भवती महिलायें अल्ट्रासाउण्ड सुविधा से वंचित रह जाती है। इसके दृष्टिगत गर्भवती महिलाओं को पी0एम0एस0एम0ए0 दिवसों पर एन्टीनेटल केयर के दौरान चयनित उच्च प्रसव भार वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पी0पी0पी0 मोड से अल्ट्रासाउण्ड की व्यवस्था की गई है। इस हेतु जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क डाइग्नोस्टिक के मद में अलग से व्यवस्था की गई है।

1.3.5 मॉडल प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक की व्यवस्था

प्रचार प्रसार व मानव संसाधन प्रबंधन

- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के मॉडल क्लीनिक की विषय वस्तु को आई0एम0ए0, रोटरी, फॉग्सी, लॉयन्स तथा अन्य समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधि, सेवा प्रदाताओं, स्वास्थ्य इकाई के स्टाफ ए0एन0एम0 व आशा के साथ साझा किया जाये।
- सेवा प्रदाताओं व स्वास्थ्य इकाई के स्टाफ को कार्य दायित्व सौपा जाये।
- आशा के माध्यम से सभी गर्भवती महिलाओं को वी0एच0एस0एन0डी0 के दौरान सूचित व पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।
- स्वास्थ्य इकाई स्तर पर मॉडल पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक की साज सज्जा ऐसी कि जाये की पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस विशेष दिवस के रूप में दिखे।

मॉडल क्लीनिक की व्यवस्था

- ओ0पी0डी0 पंजीकरण कक्ष में गर्भवती महिलाओं को बता दिया जाये कि उन्हें किस विशेष कक्ष/पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक में जाना है।
- मॉडल पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक के स्वागत कक्ष में सर्वप्रथम उनके एम0सी0पी0 कार्ड जॉच लिए जाये एवं यदि एम0सी0पी0 कार्ड न बना हो तो वहीं बना दिया जाये।
- यदि एम.सी.टी.एस. पोर्टल पर पंजीकरण न हुआ हो तो तत्काल पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाये।
- ए0एन0सी0 रजिस्टर पर अंकन किया जाये।
- इसके बाद वहीं उनके वजन एवं ब्लड प्रेशर की जांच की जाये।
- खून एवं पेशाब के नमूने एकत्र किये जायें एवं जांच के लिए लैब भेजा जाये।
- अल्ट्रासाउन्ड जांच की जाये।
- इसके बाद जांच की रिपोर्ट आने तक के अन्तराल के दौरान गर्भवती महिलाओं की परामर्शदाता द्वारा काउन्सलिंग की जाय एवं सूक्ष्म जलपान दिया जाये।
- सारी जांच रिपोर्ट के साथ गर्भवती महिला को स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास विस्तृत जांच के लिए भेजा जाये।
- स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा जांच के उपरान्त पुनः विशेष कक्ष में ही दवाईयों का वितरण किया जाये एवं जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं के मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड पर लाल रंग की बिन्दी/एच0आर0पी0 मोहर लगायी जाय। जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं को परामर्शदाता द्वारा जोखिम की विशेष काउन्सलिंग भी की जाये।

1.3.6 I Pledge for 9 Achievers अवार्ड वितरण समारोह की व्यवस्था—एफ0एम0आर0 कोड 1.1.1.1.S02

वर्ष 2021—22 हेतु प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अन्तर्गत उत्कृष्ट सेवा एवं योगदान हेतु राज्य व जनपद स्तर पर I Pledge for 9 Achievers Awards का सलाना आयोजन 09 मार्च 2022 पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक के तुरन्त बाद दिया जाना है। जनपद में पी0एम0एस0एम0ए0 के दौरान श्रेष्ठ सेवायें देने वाले प्राईवेट तथा राजकीय सेवा के चिकित्सकों को सम्मानित किया जाय। बैठकों हेतु निर्धारित धनराशि से प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह का वितरण किया जाना है। इस हेतु प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अन्तर्गत एकमुश्त रू0 40,000/—प्रति जनपद की दर से धनराशि की व्यवस्था की गई है।

1.3.7 पर्यवेक्षण व अनुश्रवण

- पी0एम0एस0एम0ए0 पोर्टल पर प्रत्येक त्रैमास प्रारम्भ होने के पॉच दिन पूर्व पंजीकृत स्वास्थ्य इकाइयों के स्वमूल्यांकन प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड किये जायें।
- RMNCH+A पार्टनर एवं राज्य स्तरीय मॉनीटर के साथ DQAs जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स समिति द्वारा जनपद स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का प्लान बनाकर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक सभी Key Stake Holders एवं राज्य स्तर पर मातृ स्वास्थ्य अनुभाग के साथ साझा करें ।
- जनपद स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्लान के अनुसार Key Stake Holders के द्वारा प्रत्येक पंजीकृत स्वास्थ्य इकाई (चिकित्सा इकाई) के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक माह की 09 तारीख को भ्रमण किया जाये एवं निर्धारित प्रारूप में भ्रमण आख्या चिन्हित गैप के साथ जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स समिति को 10 तारीख तक सौंपी जाय एवं जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स समिति द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण चेक लिस्ट पोर्टल पर 11 तारीख तक अपलोड की जाय।
- प्रत्येक माह 15 तारीख से पूर्व पी0एम0एस0एम0ए0 पोर्टल की समस्त पंजीकृत स्वास्थ्य इकाई (चिकित्सा इकाई) स्तर पर रिपोर्ट को अपलोड करायें एवं समय समय पर रिपोर्ट का मूल्यांकन अपने स्तर से भी करते हुये सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयो को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।

1.4 Maternal Death Surveillance and Response (MDSR)–एफ0एम0आर0 कोड 16.1.2.1.28, 10.1.1 एवं 12.1.1

मातृ मृत्यु सर्विलान्स समीक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु की समीक्षा कर उनके कारणों एवं कारकों (स्वास्थ्य इकाई, समुदाय, जनपद एवं राज्य स्तर पर) की विस्तृत जानकारी एकत्र कर एक रणनीति तैयार करते हुये महत्वपूर्ण स्तरों में सुधार कर मातृ मृत्यु में कमी लाना है। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) 2016–18 के अनुसार उ0प्र0 का मातृ मृत्यु अनुपात 197 प्रति 1 लाख जीवित जन्म है। वर्ष 2021–22 हेतु जनपदों में MDSR कार्यक्रम के क्रियान्वयन के विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

1.4.1 मातृ मृत्यु की रिपोर्टिंग

- आशा द्वारा अपने क्षेत्र में होने वाली 15–49 वर्ष के आयु की प्रत्येक महिला की मृत्यु की सूचना जल्द से जल्द दूरभाष पर सम्बन्धित प्रभारी/मातृ मृत्यु नोडल चिकित्साधिकारी को दी जायेगी। महिला मृत्यु सम्बन्धी सूचना मृत्यु के 24 घण्टे के अन्दर दूरभाष पर तथा एक सप्ताह के अन्दर प्रारूप–1 पर ए0एन0एम0/ब्लॉक प्रभारी चिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी।
- समस्त 15 से 49 वर्ष की महिलाओं की मृत्यु की सूचना प्रत्येक माह प्रारूप–2 पर प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा सुरक्षित की जायेगी।
- समस्त संसूचित 15 से 49 वर्ष की महिलाओं की मृत्यु की सूचना में से मातृ मृत्यु समीक्षा के उपरान्त चिन्हित वास्तविक मातृ मृत्यु की सूचना प्रारूप–3 पर सुरक्षित की जायेगी।
- मातृ मृत्यु की सूचना देना न्यायोचित है। कोई भी राजकीय अधिकारी/कर्मचारी एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ता तथा समुदाय का कोई भी व्यक्ति मातृ मृत्यु की सूचना दे सकता है। अतः मातृ मृत्यु की सूचना देने पर किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/सेवा प्रदाता को दण्डित न किया जाये।
- किसी भी वास्तविक मातृ मृत्यु की सूचना जानबूझकर छिपाने वाली आशा के निष्कासन हेतु सम्बन्धित ग्राम प्रधान को सूचित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। क्षेत्रीय ए0एन0एम0 तथा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को भी ऐसी परिस्थिति में चेतावनी दी जायेगी तथा पुनरावृत्ति की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। प्रत्येक दशा में प्रभारी चिकित्साधिकारियों द्वारा बी0सी0पी0एम0 के सहयोग से क्लस्टर मीटिंग के दौरान आशाओं को मातृ मृत्यु की सूचना 24 घण्टे के भीतर देने की उपयोगिता तथा सूचना को छिपाने के दुष्परिणाम के सम्बन्ध में भली भांति अवगत कराया जायेगा। इस योजना का जनपद/ब्लॉक स्तरीय बैठकों में वृहद प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा।

1.4.2 प्रवासी (Migrant) मातृ मृत्यु

अन्य जनपद/राज्य की मातृ मृत्यु के सम्बन्ध में फैसिलिटी आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा उसी इकाई में की जायेगी, परन्तु समुदाय आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा के लिये सम्बन्धित जनपदीय एवं राज्य नोडल अधिकारी को सूचित करते हुये समुदाय आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा सुनिश्चित की जायेगी। प्रवासी मातृ मृत्यु के सम्बन्ध में मातृ मृत्यु का जनपद गर्भावस्था में अधिकांश समय व्यतीत करने वाला/मृत्यु का कारण प्रारम्भ होने वाला जनपद माना जायेगा एवं उसी जनपद में यह मातृ मृत्यु संगणित की जायेगी।

1.4.3 सामुदायिक स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा (CBMDR) – एफ0एम0आर0 कोड 10.1.1

- प्रत्येक मातृ मृत्यु (संस्थागत/एम्बुलेन्स/घर इत्यादि) की सामुदयिक स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा अपेक्षित है। इस के लिये 03 सदस्यीय टीम बनायी जाये जिसके सदस्य चिकित्साधिकारी/स्वास्थ्य पर्यवेक्षक/एल0एच0वी0/क्षेत्र की ए0एन0एम0 एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, आदि हो सकते है। यदि चिकित्सा अधिकारी इस दल के सदस्य होगें तो मृत्यु का कारण उनके द्वारा निर्धारित किया जायेगा। अन्यथा की दशा में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर टीम द्वारा की गयी वर्बल आटॉप्सी के आधार पर मृत्यु के कारणों को चिन्हित किया जायेगा। **यह सुनिश्चित किया जाये की टीम में एक महिला सदस्य अवश्य हो।**
- इस गतिविधि के फलस्वरूप मातृ मत्यु समीक्षा प्रपत्र– 5 व 6 पूर्ण रूप से भरकर जमा किया जाये। प्रत्येक माह मृत्यु के कारणों का विश्लेषण व सुधार के लिये की गयी कार्यवाही पर आख्या मातृ मृत्यु समीक्षा हेतु मानक क्रियान्वयन निर्देश पुस्तिका के प्रपत्र– 3 पर अवश्य बनायें।
- प्रत्येक समुदाय आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा के लिये रू0 600.00 की धनराशि **(एफ0एम0आर0 कोड 10.1.1)** प्राविधानित है। इस धनराशि का विभाजन दलों के 03 सदस्यों (चिकित्साधिकारी/

एल0एच0वी0 अथवा क्षेत्र की ए0एन0एम0 एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी) को वास्तविक रूप में मातृ मृत्यु समीक्षा हेतु भ्रमण करने पर रू0 200.00 प्रति सदस्य देय होगा ।

- ब्लॉक नोडल मेडिकल ऑफिसर ब्लॉक में एम0डी0एस0आर0 सम्बन्धी प्रत्येक व्यवस्था के लिये जिम्मेदार होगें एवं मातृ मृत्यु से प्राप्त समस्त सूचनाओं को 24 घण्टे के भीतर जनपद स्तरीय नोडल ऑफिसर को प्रेषित करेंगे। उनके द्वारा ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध समस्त आँकड़ों की समीक्षा करते हुये मासिक बैठकों में फैसेलिटी व फील्ड स्टाफ को सेनसेटाइज किया जायेगा।

1.4.4 फैसिलिटी स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा (FBMDR)

- प्रत्येक संस्थागत–मेडिकल कॉलेज, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर होने वाली मातृ मृत्यु की फैसेलिटी स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा अपेक्षित है।
- **जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सन्दर्भित हुयी गर्भवती महिलायें, जिनकी मृत्यु रास्ते में हुयी हो (In Transit) का FBMDR, सन्दर्भित करने वाली स्वास्थ्य इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।**
- इस हेतु प्राविधानित प्रारूप–4 व 6 को पूर्ण रूप से भरकर जमा किया जाये।
- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी मातृ मृत्यु सम्बन्धी सूचना मृत्यु के 24 घण्टे के अन्दर दूरभाष/प्रारूप–1 पर प्रभारी नोडल अधिकारी को देते हुये 24 घण्टे के भीतर फैसेलिटी स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा सुनिश्चित करेगें एवं सम्बन्धित केस शीट की छाया प्रति भविष्य में समीक्षा के लिये संलग्न करेंगे।
- फैसेलिटी स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा की एक प्रति इकाई पर सुरक्षित रखते हुये दूसरी प्रति जनपद स्तरीय मातृ मृत्यु नोडल अधिकारी को उसी माह प्रेषित करेंगे।
- प्रत्येक माह होने वाली मृत्यु के कारणों का विश्लेषण व सुधार के लिये की गयी कार्यवाही पर आख्या मातृ मृत्यु समीक्षा हेतु मानक क्रियान्वयन निर्देश पुस्तिका के प्रारूप–3 (एम0डी0आर0 हेतु केस सारांश) पर अवश्य बनायें।
- फैसेलिटी नोडल मेडिकल ऑफिसर स्वास्थ्य इकाई पर एम0डी0एस0आर0 सम्बन्धी प्रत्येक व्यवस्था के लिये जिम्मेदार होगें एवं मातृ मृत्यु से प्राप्त समस्त सूचनाओं को 24 घण्टे के भीतर जनपद स्तरीय नोडल ऑफिसर को प्रेषित करेंगे। उनके द्वारा फैसेलिटी पर उपलब्ध समस्त आँकड़ों की समीक्षा करते हुये मासिक बैठक में फैसेलिटी स्टाफ को सेनसेटाइज किया जायेगा।

मातृ मृत्यु के कारणों का वर्गीकरण

M01- Pregnancies with abortive outcome (Maternal death: Direct)
M02- Hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and puerperium (Maternal death: Direct)
M03- Obstetric hemorrhage (Maternal death: Direct)
M04- Pregnancy related infections (Maternal death: Direct)
M05- Other obstetric complications (Maternal death: Direct)
M06- Unanticipated complications of Management (Maternal death: Direct)
M07 - Non obstetric complications (Maternal death: Indirect)
M08- Unknown/ undetermined (Maternal death: unspecified)
M09- Co-incidental causes (Death during pregnancy, child birth and puerperium)

Annexure II provides a detailed enumeration of causes for each of the above categories which must be referred to while filling up the MDSR formats. All medical officers/faculties in the facility must be trained on MCCD, MDSR guidelines and use of FBMDSR form.

1.4.5 जनपद स्तरीय MDSR कार्यक्रम की समीक्षा बैठकं का आयोजन–एफ.एम.आर कोड 16.1.2.1.28

- जनपद स्तर पर प्रत्येक 2 माह में एक बार, मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में MDSR कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन जिला नोडल अधिकारी (MDSR) सुनिश्चित करेंगे। इसमें सभी मातृ मृत्युओं की रिपोर्टिंग एवं मातृ मृत्युओं (समुदाय आधारित एवं स्वास्थ्य इकाई आधारित) की समीक्षाओं का विस्तृत अनुश्रवण किया जाये। इस बैठक में प्रारूप–4, 5 एवं 6 भी प्रस्तुत होंगे जिससे एकत्रित सूचनाओं की गुणवत्ता का आंकलन किया जा सके। इसी बैठक में जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले केसों का चयन किया जाये, जिनमें संवेदनशील कार्यवाही योग्य बिन्दु हों।
- जनपद स्तर पर प्रत्येक 3 माह में एक बार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर MDSR कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जाये। इस बैठक में मातृ मृत्यु के विभिन्न कारकों, देरियों और मृत्यु के स्थान में से कुछ चुने हुये केसों की समीक्षा रिपोर्ट विस्तृत विश्लेषण के साथ प्रस्तुत की जाये। विशेषकर मातृ मृत्यु के सामाजिक कारणों जिन पर अन्य विभागों के सहयोग की आवश्यकता

हो, को इस बैठक में प्रस्तुत किया जाये। क्षेत्रवार मातृ मृत्यु के क्षेत्रीय कारणों का विश्लेषण कर विभिन्न विभागों द्वारा लिये जाने वाले कार्यवाही पर भी चर्चा की जाये एवं गत बैठक में लिये गये निर्णयों पर प्रगति भी प्रस्तुत की जाये। इस बैठक को डी0एच0एस0 के साथ अथवा जनपदीय एम0डी0आर0 रिव्यू बैठक के साथ ही किये जाने की व्यवस्था की जा सकती है।

- इन बैठकों के कार्यवृत्त को मण्डल स्तर पर त्रैमासिक रिव्यू के समय अवश्य प्रस्तुत किया जाये। प्रत्येक माह सभी मातृ मत्यु समीक्षा (MDSR) नवीन प्रारूप 1, 2 व 3 पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मृत्यु के कारणों का विश्लेषण व सुधार के लिये की गयी कार्यवाही पर आख्या बनाई जाये।
- जनपद स्तरीय 06 द्विमासिक बैठकों के लिये वित्तीय वर्ष 2021–22 में **एफ0एम0आर0 कोड 16.1.2.1.28** पर रू0 3,000.00 प्रति बैठक की दर से धनराशि प्राविधानित है।

1.4.6 मण्डल स्तरीय त्रैमासिक MDSR कार्यक्रम की समीक्षा बैठकं– एफ0एम0आर0 कोड 16.1.2.1.28

- मण्डल स्तर पर अपर निदेशक की अध्यक्षता में त्रैमासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन करें। इस बैठक में मण्डल के अन्तर्गत आने वाले सभी जनपदों के कार्यक्रम प्रभारी व सभी जनपदीय समितियों के अध्यक्ष प्रतिभाग करें। सभी जनपदों के प्रभारी इस बैठक के आयोजन से पूर्व जनपद स्तरीय बैठक आयोजित कर कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करें।
- बैठक में प्रत्येक जनपद में किये जा रहे रिव्यू की गुणवत्ता की जाँच करने हेतु भरे हुये प्रारूप 4, 5 एवं 6 के अनुसार मृत्यु के कारणों एवं प्रपत्रों की गुणवत्ता का विश्लेषण करें।
- इन बैठकों का अच्छा मीडिया कवरेज सुनिश्चित किया जाये। मीडिया के समक्ष मातृ मृत्यु कम करने सम्बन्धी जनपदों/मण्डल के प्रयासों को उजागर किया जाये। इस बैठक का कार्यवृत्त अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर भी प्रेषित किया जाये। इन बैठकों के कार्यवृत्त मातृ स्वास्थ्य अनुभाग एस0पी0एम0यू0 एवं एम0सी0एच0 अनुभाग परिवार कल्याण महानिदेशालय को क्रमशः gmmhup2019@gmail.com एवं mchjsy@gmail.com अवश्य प्रेषित किये जायें।
- मण्डल स्तरीय बैठक हेतु प्रति मण्डल प्रति बैठक रू0 10,000.00 की दर से 04 त्रैमासिक बैठकों के लिये धनराशि **एफ0एम0आर0 कोड 16.1.2.1.28** पर प्राविधानित है।

1.4.7 मातृ–मृत्यु से सम्बन्धित फॉर्म्स एवं विभिन्न रिपोर्टिंग प्रपत्र की वार्षिक छपाई–FMR Code 12.1.1

मातृ–मृत्यु से सम्बन्धित फॉर्म्स एवं रिपोर्टिंग प्रपत्र की छपाई हेतु सभी जनपदों को रू0 30.00 प्रति रिपोर्टिंग प्रपत्र के दर से कुल 13500 प्रपत्र हेतु धनराशि अनुमन्य है। इस धनराशि से सभी इकाईयों पर मातृ मत्यु समीक्षा नवीन प्रपत्र–1, 2, 3, 4, 5 व 6 की व्यवस्था की जाये।

1.4.8 'सुमन' कार्यक्रम के अन्तर्गत मातृ मृत्यु की सूचना देने वाला प्रथम व्यक्ति (Primary Informant) हेतु प्रोत्साहन धनराशि–एफ0एम0आर0 कोड 10.1.1

सुमन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम सूचना प्रदाता (Primary Informant) हेतु रू0 1,000.00 प्रति मातृ मृत्यु की दर से प्रोत्साहन धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। Primary Informant की परिभाषा एवं प्रोत्साहन धनराशि की अर्हता सम्बंधित विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से जनपदों को प्रेषित किये जायेंगे।

एम0डी0एस0आर0 कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु वित्तीय सम्बन्धी तालिका निम्नवत हैं–

क्रम सं0	गतिविधि	एफ0एम0 आर0 संख्या	दर (रू0 में)	लक्ष्य	जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में)
1.	कम्युनिटी बेस्ड मैटरनल डेथ रिव्यू–ब्लॉक दल को	10.1.1	600	11948	71.69
2.	प्रिटिंग ऑफ एम0डी0एस0आर0 फॉर्मेट	12.1.1	30	13500	4.05
3.	जनपद स्तर पर 06 द्विमासिक समीक्षा बैठकों हेतु रू0 3,000/ प्रति बैठक की अधिकतम सीमा तक	16.1.2.1.28	3,000	450	13.50
4.	मण्डल स्तर पर 04 त्रैमासिक समीक्षा बैठकों हेतु रू0 10,000/ प्रति बैठक की अधिकतम सीमा तक	16.1.2.1.28	10,000	72	7.20
5.	सुमन कार्यक्रम के अन्तर्गत Primary informant हेतु रू0 1,000/प्रति मातृ मृत्यु हेतु प्रोत्साहन राशि	10.1.1	1,000	3591	35.91
जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि					**132.35**

- ब्लॉक स्तर दल को कम्युनिटी बेस्ड मैटरनल डेथ रिव्यू हेतु दी जाने वाली धनराशि **एफ0एम0आर0 कोड 10.1.1** में रू0 600.00 प्रति रिव्यू की दर से कुल सम्भावित मातृ मृत्युओं (11948) हेतु धनराशि आंवटित की जा रही है।

- प्रिटिंग ऑफ एम0डी0एस0आर0 फॉर्मेट हेतु **एफ0एम0आर0 कोड 12.1.1** में प्रति सम्भावित मातृ मृत्युओं के लिये रू. 30/की दर से धनराशि रू0 आंवटित की जा रही है।
- मण्डल स्तरीय त्रैमासिक मातृ मृत्यु कार्यक्रम समीक्षा बैठकों के आयोजन हेतु एफ0एम0आर0 कोड 16.1.2.1.28 में प्रति मण्डल प्रति बैठक रू0 10,000.00 की दर से कुल 04 त्रैमासिक बैठकों के लिये धनराशि एवं जनपद स्तरीय 06 द्विमासिक बैठकों के लिये एफ0एम0आर0 कोड 16.1.2.1.28 में रू0 3,000.00 प्रति बैठक की दर से धनराशि जनपदों को आंवटित की जा रही है।

1.4.5 अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग

- प्रत्येक माह मातृ मृत्यु की लाइन लिस्टिंग एवं समीक्षा की सूचना ई-मेल आई0डी0 gmmhup2019@gmail. com & mchjsy@gmail.com पर प्रेषित की जाये।
- एम0डी0एस0आर0 कार्यक्रम सम्बन्धी सूचनाओं को एच0एम0आई0एस0/यू0पी0एच0एम0आई0एस0/आर0सी0एच0 पोर्टल पर शत्प्रतिशत अपलोड किया जाये। यह सूचना जनपद/ब्लॉक स्तर वेलिडेशन कमेटी के सत्यापन उपरांत ही पोर्टल पर अपलोड की जाये।
- जिला नोडल अधिकारी एम0डी0एस0आर0 मातृ मत्यु समीक्षा प्रपत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पोर्टल में समस्त त्रुटि रहित सूचनाओं का अंकन तथा उसकी समीक्षा सुनिश्चित करेंगे।
- प्रत्येक जनपद मातृ मत्यु समीक्षा के पश्चात् प्रत्येक त्रैमास 2-3 केस स्टडी का डॉक्यूमेन्टेशन कर मण्डल को प्रेषित करे। मण्डल स्तर पर संकलित इन केस स्टडीज़ की एक प्रति राज्य स्तर पर प्रेषित की जाये।

विभिन्न स्तर पर नोडल अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व

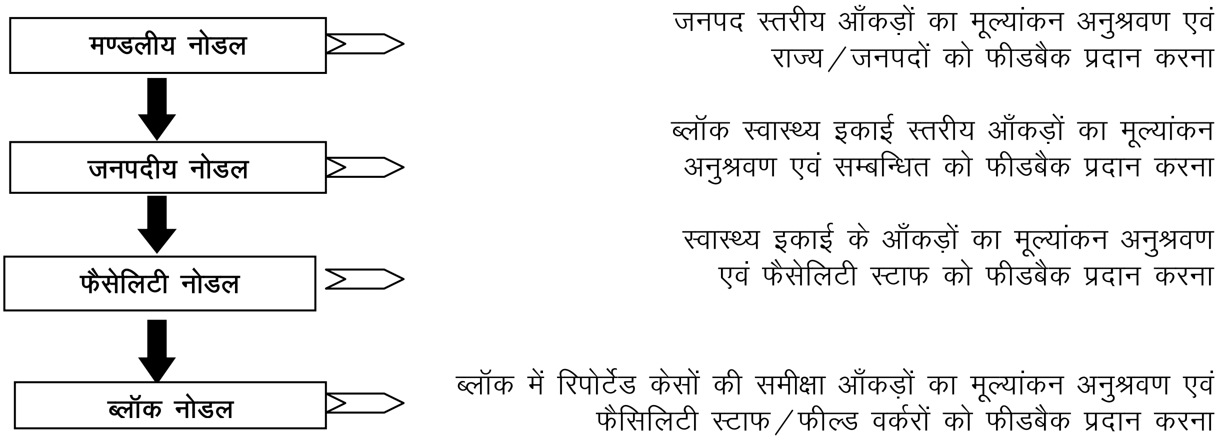

1.5 हाई रिस्क प्रेगनेन्सी (उच्च जोखिम युक्त गर्भावस्था) का चिन्हीकरण, उपचार, फॉलो-अप व प्रोत्साहन धनराशि का आवंटन-एफ0एम0आर0 8.4.12 एवं 3.1.1.1.4.9

अवगत कराना है कि कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से 05 से 10 प्रतिशत महिलाओं में उच्च जोखिम युक्त गर्भावस्था (हाई रिस्क प्रेगनेन्सी) होने की सम्भावना रहती है, जिसका समय पर चिन्हीकरण, उपचार एवं नियमित फॉलो-अप तथा संस्थागत प्रसव होना अत्यन्त ही अनिवार्य है।

<u>हाई रिस्क प्रेगनेन्सी से होने वाली मृत्यु के प्रमुख कारण निम्न है -</u>

- रक्तस्राव (एन्टी पार्टम/पोस्ट पार्टम)
- गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप (Pre-eclampsia/eclampsia)
- गम्भीर एनीमिया
- पूर्व की गर्भावस्था की जटिलताएं
- बाधित प्रसव (Obstructed Labour)
- अन्य चिकित्सकीय बीमारियाँ जो गर्भावस्था में अनियंत्रित हो जायें जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारी, टी0बी0, मलेरिया आदि।

गर्भवती महिला में जटिलता के चिन्हीकरण हेतु मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं –

जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं (HRP) की पहचान
1. Previous Obstetric History • Bad Obstetric History. • Intrauterine Deaths, Still Births, Early Neonatal Deaths, etc. • Congenital birth defects. • Antepatum, Intrapartum and Post partum haemorrhages.
2. Any Medical History • High Blood Pressure • Any Renal or Cardiac Diseases • Tuberculosis, History of Seizures, etc. • History of Hepatic diseases • Hypothyroidism
3. Medical Conditions in Current Pregnancy • Severe Anaemis <7gm Hb% • Blood Pressure > 140/90 • Breech Presentation • Antepartum Haemorrhage • Gestational Diabetes Mellitus • HIV or Syphilis +ve
उपर्युक्त लक्षण पाये जाने पर सामने टिक (√) लगायें।

किसी गर्भवती महिला में उपर्युक्त कोई भी लक्षण पाये जाने पर ए0एन0एम0 मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड पर प्रदर्शित तालिका में टिक (√) लगाते हुये **कार्ड के प्रथम पृष्ठ व काउन्टर फॉइल पर लाल HRP सील लगायेंगी या लाल पेन से HRP लिखेंगी।**

वित्तीय व्यवस्था

भारत सरकार द्वारा गत वर्ष की उपलब्धियों के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 2,20,000 उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल एवं संस्थागत प्रसव का प्रबन्धन सुनिश्चित करने के लिये निम्नानुसार वित्तीय व्यवस्था की गयी है –

वर्ष 2020–21 में मिलने वाली प्रोत्साहन धनराशि का विवरण–

क्र0 सं0	**गतिविधि**	**एफ0एम0आर0**	**लक्ष्य**	**जनपदों में आवंटित की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में)**
1	अत्यधिक जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं के चिन्हीकरण हेतु लाइन लिस्टिंग एवं फॉलो–अप हेतु ए0एन0एम0 के लिए रू0 200.00 प्रति केस की प्रोत्साहन धनराशि	8.4.12	2,20,000	440.00
2	अत्यधिक जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं के चिन्हीकरण, फॉलो–अप, लाइन लिस्टिंग एवं संस्थागत प्रसव तक फॉलो–अप हेतु आशा के लिए रू0 300.00 प्रति केस की प्रोत्साहन धनराशि	3.1.1.1.4	2,20,000	660.00
कुल धनराशि				**1100.00**

- **ए0एन0एम0 हेतु प्रोत्साहन धनराशि**– एफ0एम0आर0 कोड– 8.4.12
  ग्राम/शहरी स्वास्थ्य, स्वछता एवं पोषण दिवस पर ए0एन0एम0 गर्भवती महिला की जॉच एवं पूर्व के प्रसवों/गर्भावस्थाओं के इतिहास के आधार पर हाई रिस्क गर्भवती महिला को पहचान कर उसकी आर0सी0एच0 पोर्टल में कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेन्सी के कॉलम में दर्ज कराने और एम0सी0पी0 कार्ड में अंकन कराने पर ए0एन0एम0 को रू0 200.00 प्रति एच0आर0पी0 की प्रोत्साहन धनराशि देय होगी
- **आशा हेतु प्रोत्साहन धनराशि**– एफ0एम0आर0 कोड– 3.1.1.1.4
  अपने क्षेत्र में ग्राम/शहरी स्वास्थ्य, स्वछता एवं पोषण दिवस पर ए0एन0एम0 द्वारा हाई रिस्क गर्भवती महिला का चिन्हीकरण होने पर आशा –

- उसे अपने वी0एच0आई0आर0 / यू0एच0आई0आर0 रजिस्टर में दर्ज कर लेंगी।
- ए0एन0एम0 से उसका एम0सी0पी0 कार्ड भरवाते हुए आर0सी0एच0 नं0 अंकित करवायेंगी।
- उसका ब्लाक / जिला स्तरीय चिकित्सालय पर नियमित रूप से फॉलो–अप एवं संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करेंगी एवं गर्भवती की सुरक्षित प्रसव तक की सभी सूचनायें आर0सी0एच0 पर अंकित करवायेंगी, इस हेतु आशा को रू0 300.00 प्रति एच0आर0पी0 की प्रोत्साहन धनराशि देय होगी।
- इसके अतिरिक्त निजी संस्था में सुरक्षित प्रसव करवाने के पश्चात आर0सी0एच0 पोर्टल पर इसे अंकित कराने पर भी आशा को यह प्रोत्साहन धनराशि देय होगी।
- यह प्रोत्साहन धनराशि जे0एस0वाई के प्रोत्साहन धनराशि के अतिरिक्त होगी।

आशा का उत्तरदायित्व होगा कि ए0एन0एम0 के सहयोग से जटिलता वाली गर्भवती महिला के परिवार को जटिलता का प्रकार एवं उससे होने वाले खतरे के लक्षणों के विषय में विस्तार से समझाये और उनके साथ सुरक्षित संस्थागत प्रसव की योजना बनाकर उस पर अमल करे। इन प्रयासों से राज्य में एच0आर0पी0 वाली गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित संस्थागत प्रसवों को सुनिश्चित कर प्रतिवर्ष हो रही मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है।

प्रोत्साहन धनराशि के भुगतान हेतु डी0सी0पी0एम0 एवं बी0सी0पी0एम0 उत्तरदायी होंगे। जनपद में डी0सी0पी0एम0 एवं बी0सी0पी0एम0 हाईरिस्क प्रेगनेन्सी के चिन्हीकरण, उपचार एवं फॉलो–अप सुनिश्चित करायेंगे।

कार्यक्रम क्रियान्वयन

- सभी मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर0सी0एच0, इस कार्यक्रम की महत्ता के दृष्टिगत कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।
- सभी स्वास्थ्य इकाई प्रभारियों को हाई रिस्क प्रेगनेन्सी का चिन्हीकरण, उपचार व फॉलो–अप सम्बन्धी कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए एक रणनीति विकसित की जाये। हाई रिस्क प्रेगनेन्सी के चिन्हीकरण के लिये शीघ्र पंजीकरण के महत्व पर विशेष जोर दिया जाये।
- प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर सभी ब्लॉक प्रभारियों एवं चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिकाओं की पुनः बैठक कर ''हाई रिस्क प्रेगनेन्सी'' का चिन्हीकरण, उपचार व फॉलो–अप पर चर्चा की जाये। इसी प्रकार प्रत्येक ब्लॉक पर भी एक बैठक कर इस विषय पर चर्चा की जाय, जिससे कार्यक्रम का अनुश्रवण हो सकें।
- ब्लॉक स्तरीय बैठक में प्रभारी चिकित्साधिकारी के साथ बी0पी0एम0, बी0सी0पी0एम0 व एच0ई0ओ0 सभी ए0एन0एम0 को ''हाई रिस्क प्रेगनेन्सी'' का चिन्हीकरण, उपचार व फॉलो–अप के विषय में विस्तार से बतायें तथा क्वालिटी ए0एन0सी0 के घटक व महत्ता पर प्रकाश डालें। आर0सी0एच0 व न्यू–एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर सूचनाओं के अंकन पर भी ज्ञानवर्धन करें।
- मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद की सभी चिकित्सा इकाइयों पर स्पष्ट निर्देश प्रेषित करें कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला को उपचार हेतु लगी हुई कतार में न खड़ा रहने दें, वरन उस गर्भवती महिला को विशेष महत्व देते हुये उसे जाँच एवं उपचार तुरन्त उपलब्ध करवाया जाये। सम्भव हो तो एक पृथक से हाई रिस्क क्लीनिक भी बनायी जा सकती है।
- उच्च खतरे वाली गर्भवती महिलाओं की सूचना आर0सी0एच0 रजिस्टर में ''कॉम्प्लीकेशन इन प्रेगनेन्सी'' वाले कॉलम में नियमित रूप से अंकित किया जाये एवं इसका नियमित अनुश्रवण भी किया जाये।
- प्रत्येक जनपद की सभी इकाइयों पर यह प्रोटोकॉल भी प्रदर्शित किया जाये कि हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के उपचार की सुविधा किन चिकित्सा इकाइयों पर उपलब्ध है। इससे ए0एन0एम0 अथवा आशाओं को उचित इकाई पर सन्दर्भन में सुविधा होगी।
- प्रत्येक माह चिकित्सा इकाई के प्रभारी, ब्लॉक / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी द्वारा नयी चिन्हीकृत उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं की विस्तृत सूचना एवं सुरक्षित संस्थागत प्रसव के आर0सी0एच0 पोर्टल पर अंकित डाटा का अनुश्रवण करेंगे। अपने जनपद / ब्लॉक में संभावित हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की संख्या (कुल गर्भवती महिलाओं का 5–10 प्रतिशत) का आंकलन कर, उसके सापेक्ष कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे।
- सभी प्रोत्साहन धनराशियों का आवंटन आर0सी0एच0 पोर्टल पर प्रसव तक की सेवाओं के अंकन का साक्ष्य उपलब्ध कराये जाने पर ही देय होगा। ब्लाक स्तर पर आर0सी0एच0 प्रभारी द्वारा यह साक्ष्य सत्यापित किया जायेगा।

1.6 मातृ शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0) कार्ड का मुद्रणः–एफ0एम0आर0 कोड 12.1.2

मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाओं के अन्तर्गत सुचारू रूप से सेवायें प्रदान करने हेतु मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड का मुद्रण कराते हुये गर्भवती महिलाओं को वितरित किया जाना है।

मातृ एवं शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0) कार्ड हेतु स्पेसिफिकेशन– भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र सं0–T-13011/ 38/2011-CC and V(Part-1) dated 08.05.2018 के क्रम में 40 पेज के मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड को मुद्रण कराते हुये उपयोग में लाया जाना है, जिसका स्पेसीफिकेशन निम्नवत है–

कार्ड का साइज	4 इंच चौड़ा X 11.25 इंच लम्बा।
कागज की गुणवत्ता	150 जी0एस0एम0 माइक्रोन सिंथेटिक पेपर, नॉनटियरेबिल, स्मजप्रूफ पेपर, जिसपर किसी भी प्रकार के पेन से लिखा जा सके।
पृष्ठों की संख्या	40(छपाई दोनो तरफ)20 लीफलेट (कवर एवं बैक पेज सहित) केवल हिन्दी में।
रंग/डिजाइन	चार रंग प्रिंटिंग/विभागीय नमूने के अनुसार बहुरंगीय।
बाइडिंग	पृष्ठों की सेन्टर स्टिच/तीन स्थानों पर स्टेपलिंग किया हुआ
परफोरेटेड लाइन से पृथक होने की व्यवस्था	अन्तिम 2 पृष्ठ (काउन्टर फाइल) के लिये।
पैकेजिंग	चिन्हित कार्टून बॉक्स में उपलब्ध करायें।

एम0सी0पी0 कार्ड के उपयोग हेतु निर्देश

- भारत सरकार द्वारा माँ व बच्चे के लिये एक ही कार्ड का उपयोग किया जाना है। एम0सी0पी0 कार्ड में गर्भावस्था के पंजीकरण से प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान, प्रसव पश्चात एवं बच्चे की 05 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाने वाली सभी अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं एवं जानकारियों के अंकन का प्राविधान किया गया है। अतः गर्भवती महिला के प्रथम पंजीकरण के दौरान ही प्रारम्भिक सूचनायें अंकित करते हुये, उन्हें निःशुल्क मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड उपलब्ध करा दिया जाये। परिवार के सदस्यों को इन सूचनाओं के विषय में जानकारी भी दें।
- एम0सी0पी0 कार्ड में गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जाने वाली सेवायें–जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी भी उपलब्ध है। क्षेत्रीय ए.एन.एम./स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस जानकारी को लाभार्थी तक पहुँचाने हेतु उत्तरदायी होंगे। डी0एच0/सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 स्वास्थ्य इकाईयों पर सीधे पहुँचने वाली गर्भवती महिला का पंजीकरण उसी स्वास्थ्य इकाई पर एम0सी0पी0 कार्ड भरते हुये किया जाना है। समस्त चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को आगामी (ए0एन0सी0/प्रसव/प्रसव पश्चात जांच/शिशु के टीकाकरण हेतु) भ्रमण में एम0सी0पी0 कार्ड साथ लाने हेतु प्रेरित किया जाना अपेक्षित है।
- डाइरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (DBT) योजना के अनुसार राजकीय लाभ प्राप्त करने के लिये प्रत्येक गर्भवती महिला के पास आधार कार्ड से लिंक्ड बैंक खाता, आर0सी0एच0 नं0 एवं मोबाइल नं0 की अनिवार्यता है। अतः गर्भवती महिला के द्वितीय ए0एन0सी0 के दौरान उनके एम0सी0पी0 कार्ड पर टीकाकरण, ए0एन0सी0 जांच, औषधि वितरण तथा अन्य आवश्यक पृविष्टियों का अंकन सुनिश्चित किया जाये।
- जिन महिलाओं के पास पंजीकरण के समय आधार कार्ड संख्या या बैंक खाता न हो उन्हें आगामी माह के वी0एच0एस0एन0डी0 तक यह नम्बर प्राप्त कर आर0सी0एच0 नं0 के साथ ही एम0सी0पी0 कार्ड पर अंकित करवाने के लिये आशाओं द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। आशा/ए0एन0एम0 को निर्देश दें कि प्रत्येक स्थिति में प्रसव के पूर्व सभी गर्भवती महिलाओं के पास आधार कार्ड से लिंक्ड बैंक खाता होना चाहिए, जिसके लिये समय–समय पर ग्राम प्रधानों से भी सहयोग प्राप्त करें।
- प्रत्येक एम0सी0पी0 कार्ड पर ससमय मातृ एवं शिशु आर0सी0एच0 नम्बर अंकित किया जाये। सभी प्रसव पूर्व जाँचों का विवरण एम0सी0पी0 कार्ड पर अंकित कराना सुनिश्चित किया जाना है। प्रसव जाँचों में हिमोग्लोबिन, यूरिन एल्बुमिन एण्ड शुगर, ब्लड शुगर ओ.जी.टी.टी. प्रथम एवं द्वितीय विजिट (24 से 28 सप्ताह) के अन्दर कराकर, एच0आई0वी0, सिफलिस एवं अल्ट्रासाउण्ड की जांच तथा वैकल्पिक जांचों में थायराइड उत्तेजक हार्मोन, HbsAg आदि एम0सी0पी0 कार्ड पर अंकित की जानी है। आयरन, कैल्शियम एवं एल्बेंडाजोल की मात्रा एवं दिनांक का अंकन भी किया जाना आवश्यक है। **जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं के कार्ड पर एच0आर0पी0 मुहर/लाल पेन से एच0आर0पी0 लिखकर प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करें।**

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में DIO/ACMO-RCH द्वारा एम0सी0पी0 कार्ड की उपलब्धता समस्त जनपदीय एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज, एम0सी0एच0 विंग, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाई एवं शहरी स्वास्थ्य इकाईयों तथा ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस सत्रों पर भी सुनिश्चित की जाये। इस हेतु प्रिन्टिंग जनपद स्तर पर लाभार्थियों (गर्भवती महिलाओं) के लक्ष्य के अनुसार की जानी है। इस प्रकार स्वास्थ्य इकाइयों पर एम0सी0पी0 कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुये एम0सी0पी0 कार्ड में गर्भवती महिला व गर्भावस्था के प्रारम्भ से लेकर प्रसव पश्चात् बच्चे की ट्रैकिंग सुनिश्चित की जाये।

वित्तीय व्यवस्था

- प्रदेश में कुल सम्भावित 66,97,000 गर्भवती महिलाओं को पंजीकरण के समय एम0सी0पी0 कार्ड वितरित किया जाना प्रस्तावित है। गर्भवती महिलाओं को वितरण करने हेतु रू0 17.00 प्रति कार्ड की दर से मुद्रण के लिये धनराशि एफ.एम.आर कोड 12.1.2 में आवंटित की जा रही है।
- एम0सी0पी0 कार्ड का मुद्रण ई–टेण्डरिंग के माध्यम से नियमानुसार, निर्धारित मानकानुसार एवं वित्तीय नियमों के दृष्टिगत किया जाना है।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में ACMO-RCH/Nodal Officer द्वारा एम0सी0पी0 कार्ड की उपलब्धता समस्त जनपदीय (राजकीय मेडिकल कॉलेज, एम0सी0एच0 विंग, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाई एवं शहरी स्वास्थ्य इकाईयों पर सुनिश्चित कराने हेतु जिम्मेदार होगें तथा ब्लॉक एवं शहरी स्वास्थ्य इकाइयों द्वारा यू0एच0एन0डी0 एव वी0एच0एस0एन0डी0 सत्रों पर एम0सी0पी0 कार्ड ए0एन0एम0 को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- एम0सी0पी0 कार्ड की प्रिटिंग उपरोक्त दिये गये प्रोटोटाइप के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ACMO-RCH/Nodal Officer पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1.7 "केसशीट" का मुद्रण एफ0एम0आर0 कोड 12.1.3

अवगत कराना है कि मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रसूति सेवाओं की सूचना एकत्र करने में एकरूपता के लिये भारत सरकार द्वारा अनुमोदित केसशीट का सभी प्रसव इकाईयों (एल0–3, एल0–2 एवं एल0–1) में प्रयोग किया जाना है। कार्यक्रम की निरंतरता के दृष्टिगत वर्ष 2021–22 में केसशीट का जनपद स्तर पर मुद्रण किया जाना है। आवश्यकतानुसार ससमय मुद्रण कराते हुए सभी प्रसव केन्द्रों (एल0–3, एल0–2 एवं एल0–1) पर उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है।

यह भी संज्ञान में लाना है कि पूर्व पर्यवेक्षण में पाया गया है कि जनपदों पर प्रसव इकाइयों द्वारा केसशीट पूर्ण रूप से नहीं भरी जा रही है। अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि जनपदों की समस्त प्रसव इकाइयों द्वारा इन केसशीटों को पूर्ण रूप से भरा जाये। जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण के समय केस शीट का परीक्षण अवश्य किया जाये।

केसशीट के मुद्रण हेतु स्पेसिफिकेशन

पृष्ठ साइज	ए–4 शीट पर
कागज	80 GSM
कलर	सफेद कागज पर
डिजाइन	प्रसव इकाईवार (एल0–3, एल0–2 एवं एल0–1) रंगीन प्रोटोटाइप के अनुसार मुद्रण

वित्तीय व्यवस्था

- केसशीट के मुद्रण हेतु समस्त प्रसव इकाइयों (एल0–3, एल0–2 एवं एल0–1) पर कुल सम्भावित 30 लाख केसशीट की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु रू0 10.00 प्रति केसशीट की दर से धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है।
- केसशीट का मुद्रण ई–टेण्डरिंग के माध्यम से नियमानुसार, मानकानुसार एवं वित्तीय नियमों के दृष्टिगत किया जाना है।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में ACMO-RCH/Nodal Officer द्वारा केसशीट की उपलब्धता समस्त जनपदीय राजकीय मेडिकल कॉलेज, एम0सी0एच0 विंग, जिला महिला/संयुक्त

चिकित्सालय, ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाई, शहरी स्वास्थ्य इकाईयों एवं समस्त अन्य प्रसव इकाइयों पर सुनिश्चित कराने हेतु जिम्मेदार होगें।

- केसशीट की प्रिटिंग उपरोक्त दिये गये प्रोटोटाइप के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ACMO-RCH/Nodal Officer पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

1.8 300 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इकाइयों (एच0डब्ल्यूसी0) का 24X7 प्रसव इकाइयों के रूप में परिवर्तन : एफ0एम0आर0 कोड– 6.1.1.1

मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 300 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (एच0डब्ल्यू0सी0) को 24X7 प्रसव इकाईयों के रूप में सुदृढ़ीकृत किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत की गयी है। इन सभी 24X7 प्रसव इकाइयों (एच0डब्ल्यू0सी0) पर Maternal and Newborn Health Toolkit पुस्तिका में वर्णित दिशा–निर्देशों के अनुसार साधारण प्रसव हेतु समस्त व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। 300 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इकाइयों को 24X7 प्रसव इकाइयों के रूप में परिवर्तित किये जाने हेतु उपकरणों की उपलब्धता मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा अनिवार्यतः जेम पोर्टल के माध्यम से राज्य क्रय नियमो को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित की जायेगी।

प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (एच0डब्ल्यू0सी0) हेतु रू0 2.00 लाख की दर से एफ0एम0आर0 24X7 प्रसव इकाईयों के उपकरणों के क्रय हेतु धनराशि जनपदों को आवंटित की जा रही है।

उक्त के क्रम में जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रत्येक जनपद के 04 प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों (हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर) को नवीन 24x7 प्रसव इकाइयों के रूप में संचालित किया जाना है।

1.9 सीजेरियन प्रसव को प्रोत्साहित करने हेतु एल0एस0ए0एस0 एवं ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्साधिकारियों के लिये उपलब्धि आधारित प्रोत्साहन धनराशि–एफ0एम0आर0 कोड 8.4.1

प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से मातृ एवं शिशु सम्बन्धी रोगों एवं जटिलताओं के चिन्हांकन, उनके प्रबन्धन तथा Mortality and Morbidity दर में कमी लाने हेतु प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के एल0एस0ए0एस0/ई0एम0ओ0सी0 प्रशिक्षित चिकित्सकों की प्रतिभा एवं कौशल में वृद्धि कर उनकी सेवाओं को योजनाबद्ध तरीके से उपयोग कर असक्रिय एफ0आर0यू0 को क्रियाशील बनाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये है।

- शासनादेश की व्यवस्थानुसार, एल0एस0ए0एस0/ई0एम0ओ0सी0 प्रशिक्षित चिकित्सको को छः माह की अवधि के लिए उनके द्वारा चयनित असक्रिय एफ0आर0यू0 के जनपदीय चिकित्सालय में तैनात, विशेषज्ञ चिकित्सक, निश्चेतक एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ (विशेषज्ञ जोड़ी) के मेन्टरिंग हेतु सम्बद्ध किया जाना है। चिकित्सक, निश्चेतक एवं स्त्री एवं प्रसुति रोग (विशेषज्ञ जोड़ी) द्वारा उक्त छः माह की अवधि में एल.एस.ए.एस./ई.एम.ओ.सी. प्रशिक्षित चिकित्सको की जोड़ी को आपातकालीन प्रसूति देखभाल जैसे सी–सेक्शन एवं असिस्टेड वैजाइनल डिलीवरी आदि सेवाओं के निष्पादन में मेन्टरिंग प्रदान की जायेगी।
- एल0एस0ए0एस0/ई0एम0ओ0सी0 प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा प्रत्येक माह स्वतंत्र रूप से कम से कम पांच–पांच सी–सेक्शन, विशेषज्ञ मेन्टर्स के पर्यवेक्षणाधीन निष्पादित करना अनिवार्य होगा जिसे विशेषज्ञ मेन्टर्स द्वारा तद्नुसार प्रत्येक माह निर्धारित प्रारूप में प्रमाणित किया जायेगा। LSAS-EMOC प्रशिक्षित चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ मेन्टर्स को इस छः माह की मेन्टरिंग अवधि में किए गये प्रत्येक सी–सेक्शन के लिये, वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।
- छः माह की मेन्टरिंग की अवधि पूर्ण होने पर, विशेषज्ञ मेन्टर्स द्वारा LSAS-EMOC प्रशिक्षित चिकित्सकों की कार्य कुशलता को प्रमाणित किया जायेगा कि एल0एस0ए0एस0/ई0एम0ओ0सी0 प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा उनके पर्यवेक्षणाधीन मेन्टरिंग पूर्ण कर ली गयी है।
- मेन्टरिंग अवधि समाप्त होने पर, एल0एस0ए0एस0/ई0एम0ओ0सी0 प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा अपनी चयनित असक्रिय एफ0आर0यू0 में कार्यभार ग्रहण कर, वहाँ सी–सेक्शन सहित सभी आपातकालीन प्रसूति देखभाल संबंधी सेवायें प्रदान की जानी है, जिसकी सूचना डॉक्टर डायरी पर प्रेषित की जानी है।
- प्रशिक्षण अवधि के पश्चात् मेंटर्स द्वारा प्रत्येक माह एफ.आर.यू. पर विजिट कर on site mentoring प्रदान करते हुये पूर्ण रूप से क्रियाशील किया जाना है।
- ऐसे LSAS-EMOC प्रशिक्षित चिकित्सक, जिनके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उन्हें मेंटरिंग की आवश्यकता नहीं है, उन चिकित्सकों को केवल सहायक पर्यवेक्षण मेंटरिंग प्रदान की जायेगी। सहायक पर्यवेक्षण मेंटरिंग हेतु मेंटर्स को वित्तीय प्रोत्साहन धनराशि भी दी जायेगी।

उक्त के सम्बन्ध में निम्नवत गतिविधि हेतु धनराशि का आवंटन किया गया है–

गतिविधि	टिप्पणी	
एल.एस.ए.एस. / ई.एम.ओ.सी. प्रशिक्षित एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की जोड़ी एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा असक्रिय प्रथम संदर्भन इकाईयों (सी0एच0सी0 एफ0आर0यू0) पर निष्पादित सीजेरियन प्रसव हेतु वित्तीय प्रोत्साहन @ रू0 4000/- प्रति सिजेरियन प्रसव प्रति टीम	• **स्त्रीरोग विशेषज्ञ (नियमित / संविदा)** / ई0एम0ओ0सी0– रू0 1200.00 **(बिड / ऑन कॉल को छोड़कर)** • निश्चेतक **(नियमित / संविदा)** / एल0एस0ए0एस– रू0 1200.00 **(बिड / ऑन कॉल को छोड़कर)** • बाल रोग विशेषज्ञ / एफ0–एम0 एन0 सी0 आई0 प्रशिक्षित चिकित्सक / मेडिकल ऑफिसर– रू0 600.00 • ओ0टी0 टैक्निशियन – रू0 400.00 • स्टाफ नर्स एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी – रू0 600.00 (रू0 400 स्टाफ नर्स + रू0 200 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी)	सम्बन्धित जनपदों को रू0 118.32 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया है। शेष धनराशि रू0 210.48 लाख आवश्यकतानुसार आवंटित की जाएगी।

वित्तीय व्यवस्था

इस कार्यक्रम के अंतर्गत 50 जनपदों में 89 सी0एच0सी0 एफ0आर0यू0 हेतु वर्ष 2020–21 में किये गये सी–सेक्शन की उपलब्धि के आधार पर Incentivization and legal indemnity-FMR Code 8.4.1 के अंतर्गत सम्बन्धित जनपदों को धनराशि का आवंटन किया गया है। सभी 89 सी0एच0सी0 एफ0आर0यू0 की नियमित त्रैमासिक समीक्षा करने के उपरान्त राज्य स्तर पर अवशेष धनराशि में से आवश्यकतानुसार धनराशि आवंटित की जाएगी।

सी0,एच0सी0–एफ0आर0यू0 पर LSAS-EMOC प्रशिक्षित चिकित्सक / विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा निष्पादित सीजेरियन प्रसव हेतु वित्तीय प्रोत्साहन राशि सम्बंधित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है, जिसे जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा ब्लॉक स्तर पर आवंटन किया जायेगा।

अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग

- जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इस प्रोत्साहन धनराशि के ससमय आवंटन हेतु जनपद स्तर पर विशेष रणनीति विकसित की जाय।
- सभी मुख्य चिकित्साधिकारी इस प्रोत्साहन धनराशि की विस्तृत जानकारी सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धकों को प्रदान करने के लिये जनपद स्तर पर एक बैठक का आयोजन करें। बैठक में चर्चा के माध्यम से सभी ब्लॉक प्रभारियों को प्रोत्साहन धनराशि के आंगणन हेतु जानकारी दें एवं उन्हें स्पष्ट निर्देश दें कि वे ब्लॉक पर सभी स्टाफ नर्सो को इस प्रोत्साहन धनराशि की जानकारी दें।
- यह प्रोत्साहन धनराशि एल0एस0ए0एस0 / ई0एम0ओ0सी0 प्रशिक्षित चिकित्सकों एवं नियमित / संविदा दोनों प्रकार के विशेषज्ञों / कर्मियों (बिड / ऑन कॉल को छोड़कर) को अनुमन्य होगी। यह प्रोत्साहन धनराशि मासिक आधार पर वितरित की जायेगी।
- इस प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान नियमित रूप से प्रत्येक माह किया जाये। सुनिश्चित करें कि आगामी माह की 05 तारीख तक विगत माह की प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान अवश्य कर दिया जाये।
- इस प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान सूचित प्रदर्शन / उपलब्धियों का सत्यापन ब्लॉक प्रभारी अथवा नामित समकक्ष अधिकारी द्वारा निष्पक्ष रूप से करने के पश्चात किया जायेगा।

वर्ष 2020–21 में सिजेरियन प्रसव को प्रोत्साहित करने हेतु एल0एस0ए0एस0 एवं ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्साधिकारियों के लिये Incentivization हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

1.10 प्रदेश के 06 मेडिकल कॉलेजों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में एच0डी0यू0, हाईब्रिड एच.डी.यू. तथा आई.सी.यू. का संचालन–FMR Code 8.1.10.1, 8.1.10.2, 8.1.10.3 & 16.4.1.3.6

गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान होने वाले Complications समान्यतः दो प्रकार के होते हैं–

1. प्रसूति एवं गर्भावस्था सम्बन्धित (Obstetric related) Complications जैसे Post Partum Haemorrhage, Pre-Eclampsia/Eclampsia आदि जिनको मातृ स्वास्थ्य एवं देखभाल हेतु 24x7 प्रशिक्षित स्टाफ एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। एसे Complications को manage करने के लिए High Dependency Unit (HDU) की आवश्यकता होती है।
2. इसके अतिरिक्त जिन गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था एवं प्रसूति के अतिरिक्त अन्य Complications होते हैं जिनमे अन्य विशेषज्ञों के द्वारा गहन देख रेख (Intensive care) की आवश्यकता होती है। ऐसी महिलाओं की देख रेख हेतु ICU की आवश्यकता होती है, परंतु आई0सी0यू0 में अक्सर Beds

की कमी एवं आई0सी0यू0– स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग से दूरी होने के कारण समस्याओं के दृष्टिगत Obstetric ICU की आवश्यकता होती है।

प्रदेश की समस्त प्रसव इकाइयों से गर्भवती महिलाओं के Complicated केस मेडिकल कॉलेजों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग एवं जिला महिला चिकित्सालय में संदर्भित किये जाते है। मेडिकल कॉलेजों एवं जिला महिला चिकित्सालयों में इन महिलाओं की जटिलताओं से होने वाली मृत्यु दर को कम किये जाने के उद्देश्य से विगत वर्षों में प्रदेश के 07 मेडिकल कॉलेजों में Obstetric एच0डी0यू0–आई0सी0यू0 की स्थापना (Infrastructure renovation, Equipments and Human Resources) हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्व में धनराशि का आवंटन किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में वर्ष 2021–22 में 06 मेडिकल कॉलेजों (**1. के0जी0एम0यू0, लखनऊ,** के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के Obstetric **आई0सी0यू0 एवं एच0डी0यू0** तथा 2. **मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, 3. बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, 4. जे0एल0एन0 मेडिकल कॉलेज ए0एम0यू0 अलीगढ़, 5. जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज कानपुर, एवं 6. रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी** के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के Obstetric **हाईब्रिड आई0सी0यू0)** हेतु तालिका 01 अनुसार केवल मानव संसाधन हेतु धनराशि रू0 766.85 लाख स्वीकृत की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है–

तालिका 01

A. ICU and HDU Medical College					
FMR code	8.1.10.1	8.1.10.2	8.1.10.3	16.4.1.3.6	
Budget Head	Anesthetics @ Rs 120,000 per month for 12 months	Medical Officers @ Rs 60,000 per month for 12 months	Staff Nurses @ Rs 30,000 per month for 12 months	M&E Assistant @ Rs 16,600 per month for 12 months	**Total**
Number	1 for each Unit	4 for each Unit	16 for HDU and 12 for ICU	1 for each Unit	
Rate (Per month Salary)	1,20,000	60000	30000	16600	
KGMU Lucknow 4 Bedded ICU	14,40,000	28,80,000	43,20,000	199,200	**88,39,200**
KGMU Lucknow 8 bedded HDU		28,80,000	57,60,000		**8,640,000**
Total cost -	14,40,000	57,60,000	100,80,000	199,200	**174,79,200**
Total cost (in Lakhs)	14.40	57.60	100.80	1.99	**174.79**

B. Hybrid HDU Medical College					
FMR code	8.1.10.1	8.1.10.2	8.1.10.3	16.4.1.3.6	
Budget Head	Anesthetics @ Rs 120,000 per month 12 months	Medical Officers @ Rs 60,000 per month 12 months	Staff Nurses @ Rs 30,000 per month 12 months	M&E Assistant @ Rs 16,600 per month 12 months	**Total**
Number	1 for each Unit	4 for each Unit	20 for Hybrid ICU	1 for each Unit	
Rate (Per month Salary)	1,20,000	60000	30000	16600	
Motilal Nehru Allahabad 8 bedded Hybrid HDU	14,40,000	28,80,000	72,00,000	199,200	**117,19,200**
BRD Gorakhpur 8 bedded Hybrid HDU	14,40,000	28,80,000	72,00,000	199,200	**117,19,200**
AMU Aligarh 8 bedded Hybrid HDU*	15,12,000	29,54,000	76,43,000	2,19,618	**123,28,618**
GSVM Kanpur 8 bedded Hybrid HDU	14,40,000	28,80,000	72,00,000	199,200	**117,19,200**
Rani Laxmi Bai M.C. Jhansi 8 bedded Hybrid HDU	14,40,000	28,80,000	72,00,000	199,200	117,19,200
Total cost	72,72,000	1,44,74,000	3,64,43,000	10,16,418	5,92,05,418
Total cost (in Lakhs)	**72.72**	**144.74**	**364.43**	**10.16**	**592.05**
Total cost (in Lakhs) A+B	**87.12**	**202.34**	**465.23**	**12.16**	**766.85**

* 12 months salary with 5% increment for all the in position staff.

वित्तीय व्यवस्था

- समस्त धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति जनपद लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, अलीगढ़, कानपुर, एवं झांसी की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में एफ0एम0आर0 कोड 8.1.10.2, 8.1.10.2, 8.1.10.3, एवं 16.8.1.3.6 में आवंटित की गयी है। तदोपरान्त जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा सम्बंधित मेडिकल कॉलेजों को धनराशि हस्तांतरित एवं आवंटित की जायेगी।
- मेडिकल कॉलेजों को प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर सी0ए0 द्वारा दी गयी ऑडिटेड उपयोगिता प्रमाण–पत्र के आधार पर अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।
- धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये सम्बन्धित मेडिकल कॉलेजों के विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

1.11 प्रदेश के चिन्हित एफ0आर0यू0 पर विशेषज्ञ चिकित्सकों को ऑन–कॉल पर बुलाने की व्यवस्था–एफ0एम0आर0 कोड–8.1.3.10

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 में प्रदेश के जनपदों की चिन्हित प्रथम सन्दर्भन इकाइयों पर नियमित/संविदा विशेषज्ञ या EMOC एवं LSAS प्रशिक्षित चिकित्साधिकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में ऑनकॉल विशेषज्ञों की व्यवस्था अनुमन्य की गयी है। यह सम्पूर्ण व्यवस्था जनपदों में अक्रियाशील एफ0आर0यू0 को क्रियाशील करने के साथ–साथ किसी अन्य क्रियाशील एफ0आर0यू0 जहां पर विशेषज्ञ की अनुपस्थिति/अनुपलब्धता होने पर सिजेरियन कराये जाने के लिये स्वीकृत की गयी है। यह व्यवस्था नियमित सेवा एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत निश्चेतक या स्त्री रोग विशेषज्ञ/शल्यक दोनों को ही अनुमन्य है।

नोट– जनपद में नियमित सेवा के निश्चेतक/एल0एस0ए0एस0 एवं शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट/ई–मॉक विशेषज्ञों को केवल एफ0आर0यू0 पर ही तैनात किया जाना है। इस हेतु स्वास्थ्य इकाइयों पर तैनात विशेषज्ञों की सूची बना कर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उन्हें एफ0आर0यू0 पर ही समायोजित कर एफ0आर0यू0 को क्रियाशील कराया जाना है। नियमित क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ जो ऑन–कॉल अटेंण्ड करने में रूचि दिखाये उन्हें पैनल बनाकर जिला स्वास्थ्य समिति में ऑन कॉल विशेषज्ञ के रूप में अधिकृत कर लिया जाये।

➢ **जनपद की एफ0आर0यू0 इकाइयों के लिये ऑन कॉल सुविधा निम्नवत है–**

- जिला चिकित्सालयों पर सिजेरियन प्रसव का भार अत्यधिक होने के कारण मात्र ऑन कॉल व्यवस्था से कार्य कराना सम्भव नहीं होगा। अतः जनपद में प्राथमिकता के आधार पर जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय पर नियमित विशेषज्ञों अथवा संविदा विशेषज्ञों की व्यवस्था पूर्ण की जाये। जिला चिकित्सालयों पर कोई भी निश्चेतक या स्त्री रोग विशेषज्ञ न होने की दशा में ग्रामीण क्षेत्रों से नियमित विशेषज्ञों को जनपद स्तरीय इकाई पर तैनात/संबद्ध किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार ऑन–कॉल व्यवस्था को उपयोगित किया जा सकता है।
- जनपद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एफ0आर0यू0 पर नियमित/संविदा विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध न होने के कारण टीम अधूरी होने की स्थिति में ऑन–कॉल की व्यवस्था की जानी है।
- जिन एफ0आर0यू0 पर मात्र एक विशेषज्ञ तैनात है एवं उनके आकस्मिक अवकाश अथवा लम्बी छुट्टी (उपार्जित/मातृत्व/शिशु देखभाल/चिकित्सकीय अवकाश/बिना सूचना के गैरहाजिर) पर जाने के कारण टीम अधूरी हो गई है, के सम्बन्ध में जनपद स्तर को अवगत कराते हुये ऑन–कॉल सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।
- ऑन–कॉल की सुविधा वाली समस्त इकाइयों द्वारा सिजेरियन का ब्योरा (लाभार्थी का विवरण, सिजेरियन की तिथि एवं समय इत्यादि तथा टीम के सदस्यों का विवरण, नाम, विशेषज्ञता, रजिस्ट्रेशन नं0 एवं मोबाइल नं0) पृथक से रजिस्टर में अंकित किया जाना है। ऑन–कॉल विशेषज्ञ चिकित्सक के स्वास्थ्य इकाई छोड़ने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना है, कि लाभार्थी के Vital Stable हों तथा फॉलोअप हेतु उस समय पर उपस्थित चिकित्सक को लाभार्थी की स्थिति से अवगत करा दें।
- एफ0आर0यू0 पर उपलब्ध चिकित्सकों द्वारा ऑपरेशन के पश्चात डिस्चार्ज तक प्रसूता का फॉलोअप भलीभांति किया जाना है।
- ऑन–कॉल पर आने वाले गायनेकॉलजिस्ट/शल्यक द्वारा सिजेरियन के उपरान्त दो फॉलोअप विजिट कर प्रसूता की आवश्यक जांच किया जाना अनिवार्य है।
- यदि किसी इकाई पर एक विजिट में ऑन कॉल विशेषज्ञ एक से अधिक सिजेरियन प्रसव कराता है, तो **उन्हें प्रति सिजेरियन रु0 1000.00 धनराशि देय होगी परन्तु टी0ए0 एक ही देय होगा।** किसी भी स्थिति में यह सुविधा चिन्हित एफ0आर0यू0 की सूची से बाहर की इकाइयों में अनुमन्य नहीं होगी।

- **नियमित सेवा में कार्यरत विशेषज्ञों को ऑन–कॉल पर बुलाने की व्यवस्था–**नियमित सेवा में कार्यरत विशेषज्ञों को निम्नानुसार ऑन–कॉल पर कार्य करना अनुमन्य है–
  - मण्डल/जनपद स्तर पर प्रशासनिक पदों (अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, डी0एल0ओ0, डी0टी0ओ0, संयुक्त निदेशक आदि) पर तैनात विशेषज्ञों को संबधित विधा के विशेषज्ञ की अनुपलब्धता पर एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0/एस0डी0एच0/जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सिजेरियन प्रसव हेतु ऑन–कॉल पर बुलाया जा सकता है।
  - जिला चिकित्सालय एवं संयुक्त चिकित्सालय में प्रशासनिक पद (एस0आई0सी0/सी0एम0एस0) पर तैनात विशेषज्ञों तथा कार्यरत अन्य विशेषज्ञों को आकस्मिता की दशा में अन्य जिला स्तरीय महिला/संयुक्त चिकित्सालयों में सिजेरियन प्रसव हेतु ऑन–कॉल पर बुलाया जा सकता है।
  - ग्रामीण क्षेत्र में तैनात स्त्री रोग विशेषज्ञ/शल्यक एवं निश्चेतक विशेशज्ञ को किसी अन्य ग्रामीण एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0/एस0डी0एच0/PPC पर कॉल अनुमन्य है। कॉल अनुमन्य करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि वे अपने तैनाती स्थल पर भी सिजेरियेन प्रसव करा रहे हों।

नोट–विशेष परिस्थितियों में जिला स्तरीय चिकित्सालय पर तैनात विशेषज्ञों को ग्रामीण एफ0आर0यू0 इकाइयों तथा ग्रामीण एफ0आर0यू0 पर तैनात विशेषज्ञों को जिला स्तरीय चिकित्सालयों पर सिजेरियन प्रसव हेतु ऑन–कॉल पर बुलाया जा सकता है। इस व्यवस्था को कम से कम अभ्यास में लाया जाये।

- **निजी क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों को ऑन–कॉल पर बुलाने की व्यवस्था–** चिन्हित एफ0आर0यू0 इकाईयों पर नियमित अथवा संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता न होने पर निजी क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ (निश्चेतक या गायनेकॉलजिस्ट/शल्यक) को सिजेरियन प्रसव हेतु कॉल करने की व्यवस्था निम्नानुसार है–
  - इस कार्य के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रचार–प्रसार के माध्यम से जनपद की समस्त राजकीय एफ0आर0यू0 स्वास्थ्य इकाईयों में ऑन–कॉल पर कार्य करने के इच्छुक विशेषज्ञों से सहमति पत्र प्राप्त कर उन्हें डी0एच0एस0 द्वारा इम्पैनल करा लिया जाये। इस पैनल में चयनित विशेषज्ञों को एफ0आर0यू0 में से एक या एक से अधिक इकाई का चयन करने का अवसर दिया जा सकता है। यह सूची जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराने के पश्चात सभी सम्बन्धित इकाईयों पर इन विशेषज्ञों को ऑन कॉल के आधार पर बुलाने हेतु प्रदर्शित भी करा दी जाये।
  - ऑनकॉल चिकित्सकों की सेवायें प्राप्त करने के पश्चात् प्रति सीजेरियन की दर से भुगतान किया जाये।

- **स्त्रीरोग विशेषज्ञों की ऑन–कॉल पर उपलब्धता न होने की स्थिति में शल्य चिकित्सक (एम0एस0, जनरल सर्जरी) को ऑन–कॉल पर बुलाये जाने की व्यवस्था**

  जनपद में नियमित अथवा संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ उपलब्ध न होने की स्थिति में शल्य चिकित्सक (एम0एस0, जनरल सर्जरी), जो जटिल प्रसव एवं सीजेरियन प्रसव में कुशल हो, को सूचीबद्ध कर उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं।

- **वित्तीय व्यवस्था**
  - ऑन–कॉल का उपयोग केवल सिजेरियन प्रसव के लिए ही किया जायेगा। 01 सीजेरियन प्रसव के लिये 01 ही विशेषज्ञ (निश्चेतक या गायनेकॉलजिस्ट/शल्यक) की कॉल अनुमन्य होगी, जिससे EmOC टीम के पूर्णकालिक विशेषज्ञ द्वारा सिजेरियन केस की प्रसवोपरान्त देखभाल की जा सके।
  - एफ0आर0यू0 इकाइयों पर निजी क्षेत्र के शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट को रू0–3500.00 प्रति सिजेरियन एवं निश्चेतक को रू0 2000.00 प्रति सीजेरियन देय है। जनपद की ग्रामीण इकाईयों पर उपर्युक्त के साथ साथ नियत रू0 1000.00 यात्रा भत्ता भी देय होगा।
  - **नियमित सेवा में कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ/शल्यक/निश्चेतक विशेषज्ञों को रू0–2000.00 प्रति सीजेरियन** देय होगा। जनपद की ग्रामीण इकाईयों पर उपर्युक्त के साथ नियत रू0–1000.00 यात्रा भत्ता भी देय होगा, परन्तु जिला स्तरीय चिकित्सालयों में कार्यरत विशेशज्ञ चिकित्सकों को किसी अन्य जिला स्तरीय चिकित्सालयों हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
  - यदि कोई विशेषज्ञ एक ग्रामीण क्षेत्र की क्रियाशील एफ0आर0यू0 पर कार्यरत है और दूसरी ग्रामीण एफ0आर0यू0 पर कॉल के लिये जाता है तो उसे मानदेय के साथ यात्रा भत्ता देय होगा।

नियमित सेवा में कार्यरत शल्यक/स्त्री रोग विशेषज्ञ/निश्चेतक विशेषज्ञों को ऑन कॉल पर बुलाने हेतु वर्ष 2021–22 में **एफ0एम0आर0 कोड–8.1.3.10 पर** जनपदों को सिजेरियन प्रसव भार के अनुसार **रू0 25.02 लाख** की धनराशि आवंटित की जा रही हैं। निजी क्षेत्र में कार्यरत शल्यक/गायनेकॉलॉजिस्ट विशेषज्ञों को बुलाने के लिये **एफ0एम0आर0 कोड–8.1.3.10** में जनपदों को सिजेरियन प्रसव हेतु **रू0 18.76 लाख** की धनराशि आवंटित की जा रही हैं। निजी क्षेत्र में कार्यरत निश्चेतक विशेषज्ञों को बुलाने के लिये **एफ0एम0आर0**

कोड–8.1.3.10 में जनपदों को उनके सीजेरियन प्रसव भार के अनुपात में धनराशि **रू0 12.51 लाख** आवंटित की जा रही हैं।

- जनपदों की भौतिक प्रगति एवं उनकी मांग के अनुसार अतिरिक्त धनराशि का आवंटन किया जायेगा। प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा तक ही किया जाये।
- विशेषज्ञों के अभाव में अक्रियाशील एफ0आर0यू0 को क्रियाशील करने हेतु ऑन कॉल की व्यवस्था करते हुए उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का व्यय कराना सुनिश्चित करें।

➢ **अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग**

- जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति इस योजना के कियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इसके लिये जनपद स्तर पर विशेष रणनीति विकसित की जाये।
- प्रत्येक मुख्य चिकित्साधिकारी का उत्तरदायित्व है कि वे अपने जनपद की सभी प्रस्तावित एफ0आर0यू0 को क्रियाशील किये जाने के लिये स्वीकृत ''**विशेषज्ञों को कॉल पर बुलाने की व्यवस्था**'' की योजना की जानकारी इकाई प्रभारियों तक अवश्य पहुँचा दें।
- ऑन–कॉल हेतु धनराशि मासिक आधार पर वितरित की जाये, इस धनराशि का भुगतान एफ0आर0यू0 के प्रभारी द्वारा कराये गये सिजेरियन प्रसवों का सत्यापन करने के पश्चात ही किया जाये।
- प्रत्येक माह मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अपने जनपदों में इस धनराशि के आवंटन की मासिक सूचना निर्धारित रिपोर्टिंग प्रपत्र पर अध्यक्ष–जिला कार्यकारी समिति को अवलोकित करायी जाय एवं नियमित रूप से राज्य स्तर पर निदेशक–परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय के ई–मेल mchjsy@gmail.com एवं एस.पी.एम.यू. के ई–मेल gmmhup2019@gmail.com पर भी प्रेषित की जायेगी।
- विशेषज्ञों के खाते में भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से स्थानान्तरित किया जायेगा। किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

1.12 एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों की Emergency Obstetrics Care (EmOC) एवं Life Saving Anesthetic Skills (LSAS) प्रशिक्षण एफ0एम0आर0 मद. 9.1.3 एवं 9.1.4

अवगत कराना है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों (स्त्रीरोग विशेशज्ञ/निश्चेतक) की अत्यन्त कमी के दृष्टिगत वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में Emergency Obstetrics Care (EmOC) एवं Life Saving Anesthetic Skills (LSAS) प्रशिक्षित एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों की सेवाओं का उपयोग करके असक्रिय एफ0आर0यू0 को क्रियाशील करने हेतु रणनीति तैयार की गयी थी, जिसके कम में शासनादेश संख्या–628/सेक–2–पॉच–2019 दिनांक 27.02.2019 के माध्यम से कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे।

पूर्व में EmOC एवं LSAS प्रशिक्षण SIHFW, LUCKNOW (CHART SOCIETY) के द्वारा संचालित किया जाता रहा है परन्तु महानिदेशक–परिवार कल्याण की अध्यक्षता में दिनांक 21.09.2020 को सम्पन्न हुयी बैठक में लिये गये निर्णय के कम में **CEmONC एवं LSAS प्रशिक्षण हेतु बजट मेडिकल कॉलेज को जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से आवंटित किया जाना है तथा जिला महिला चिकित्सालयों को बजट मेडिकल कॉलेजों के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाना निश्चित किया गया है।**

इसी कम में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार LSAS & CEmONC प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर 6-6 किये जाने हेतु accreditation प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है, जो निम्नवत हैं–

कम	Comprehensive Emergency Obstetric and Newborn Care (CEmONC)	Life Saving Anesthesia Skill (LSAS)
	पूर्व में LSAS एवं CEmOC प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज	
1	किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ	सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज, आगरा
2	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, अलीगढ।	रानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज, झांसी
3		लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकलकॉलेज,मेरठ
4		किंग जार्ज मेडिकल युनिवर्सिटी, लखनऊ
	नवीन LSAS एवं CEmO प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज	
1	सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज, आगरा	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, अलीगढ।
2	मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज	गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर
3	इंस्यूटीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेंज, बी0एच0यू0, वाराणसी	
4	गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर	

शासनादेश सख्या–45/2020/864/पांच –9–2020 दिनांक 08 दिसम्बर 2020 के माध्यम से ई–मॉक एवं एल0एस0ए0एस0 प्रशिक्षण के लिये एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों के नामांकन हेतु दिशा–निर्देशों के अनुरूप चिकित्साधिकारियों को असक्रिय एफ0आर0यू0 पर स्थानान्तरण उपरान्त ही एल0एस0ए0एस0 एवं ई–मॉक प्रशिक्षण दिया जाना है। तत्क्रम शासनादेश सख्या–यू0–30/पांच–8–2021 दिनांक 01 जुलाई 2021 के माध्यम से ई–मॉक एवं एल0एस0ए0एस0 प्रशिक्षण हेतु 40 चिकित्सकों को एफ0आर0यू0 पर स्थान्तरण किया गया है।

वर्ष 2021–22 में "Training of Medical Officers in Comprehensive Emergency Obstetric and Neonatal care (CEmONC) एवं Life Saving Anesthesia skills (LSAS)" प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि मेडिकल कॉलेज को जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से निम्न तालिकानुसार आवंटित की जा रही है–:

क्रम सं0	गतिविधि	एफ0एम0 आर0 संख्या	भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 2021–22 में स्वीकृत (लाख में)		
			आर0ओ0पी0 2021–22 में स्वीकृत धनराशि	मेडिकल कॉलेज को आवंटित की जाने वाली धनराशि	भारत सरकार द्वारा टिप्पणी
1	Setting up of 4 New CEmOC training Centers at 4 Medical Colleges:	9.1.3	88.00	88.00	For one time strengthening of 4 CEmONC training Centers namely MLN MC Prayagraj, GSVM Kanpur, IMS BHU Varanasi and SNMC Agra @ Rs 22 lakh per Center
2	Training of Medical Officers in 6 CEmOC training Centers at 6 Medical Colleges, duration of 6 months, batch size of 4 candidates/batch	9.1.3	264.00	264.00	Rs 264 lakh for EmONC training of 12 batches @ Rs 22 lakh per batch, duration of 6 months, batch size of 4 candidates/batch. With the conditionality that these CEmONC trained candidates have to be posted at FRU with intimation to MH Division of MOHFW
1	Setting up of 2 New LSAS training Centers at 2 Medical Colleges:	9.1.4	44.00	44.00	For one time strengthening of 2 New LSAS training Centers namely JLMC AMU Aligarh and GSVM Kanpur @ Rs 22 lakh per Center
2-	Training of Medical Officers in Life Saving Anesthesia skills (LSAS)	9.1.4	264.00	264.00	Approved Rs 264 Lakhs for LSAS training of 12 batches @ Rs 22 lakh per batch, duration of 6 months, batch size of 4 candidates/batch. With the conditionality that these LSAS trained candidates have to be posted at FRU with intimation to MH Division of MOHFW
DHS को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि			660.00	660.00	

मेडिकल कॉलेजवार जनपद स्तरीय फांट निम्नवत् है–

S.No.	District	Medical Colleges	Funds for CEmOC training @ Rs 22.00 lakh per batch	Funds for LSAS training @ Rs 22.00 lakh per batch	One time Funds for CEmONC training Center	One time Funds for LSAS training Center	Total funds to be allocated to the District/ Medical Colleges
1	Agra	S.N. Medical College, Agra	44.00	44.00	22.00	0	**110.00**
2	Aligarh	JLN MC, Aligarh (AMU)	44.00	44.00	0	22.00	**110.00**
3	Jhansi	MLB MC Jhansi (MLB)	0	44.00	0	0	44.00
4	Kanpur Nagar	G.S.V.M. Medical College, Kanpur	44.00	44.00	22.00	22.00	**132.00**
5	Lucknow	KGMU Lucknow (KGMU)	44.00	44.00	0	0	**88.00**
6	Meerut	LLRM MC Meerut (LLRM)	0	44.00	0	0	**44.00**
8	Varanasi	I.M.S., Banaras Hindu University, Varanasi	44.00	0	22.00	0	**66.00**
9	Prayagraj	M.L.N. Medical College Prayagraj	44.00	0	22.00	0	**66.00**
	Total Funds to be allocated		**264.00**	**264.00**	**88.00**	**44.00**	**660.00**

भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रति बैच बजट व्यय किये जाने हेतु विस्तृत वित्तीय दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

LSAS Training Budget

S.No	Activity	No of people	Duration of Stay	Total Cost
1	Budget for strengthening & up-gradation of Medical College Training Centre (Cost per centre)			
A	Infrastructure renovation &Up gradation (eg. Replacement of non functional audio visual and other teaching aids, including furniture, computer, 1 laptop, small library including library racks, reference books, renovation of seminar room including furnishing, ensuring functionality of OTs). -As per the gap analysis and specific, requirement of the institute.			10,00,000
B	Procurement/ Replacement of models and mannequins (in case of any shortfall, the fundfrom the above head can be taken. Both heads can be utilized cumulatively)			2,00,000
	ONE TIME COST			**12,00,000**
2.	**Cost of Training at each Medical College training centre**			
	4 Trainees/ batch for 140 days (16+4 weeks) 4 Trainers / batch for 120 working days			
A	Travelling Allowance for 4 Trainees once during training @ (Rs.2500 x 4 persons, from place of posting to MC and back)(As per actuals & state rules)	4	2	20000
B	Accommodation @ Rs 1000/day/ person (4 trainees)x140 Days	4	140	560000
C	Food (Lunch + Tea)@ Rs 500/day/ person (4 trainees)x 140 Days	4	140	280000
D	Honorarium to Trainers @ (Rs. 1000 x 2 persons/day x 20 weeks x 6 days each)	2	120	240000
E	Honorarium to Trainee @ Rs. 500 x 4 persons/day x 20 weeks x 7 days each)	4	140	280000
F	Teaching material, Stationery, Photocopy etc. @Rs 2000/ trainee	4	1	8000
g	Institutional charges (10%)			1,38,800
	SUB TOTAL			15,26,800
3	Centre running cost of Medical College Training centre			
A	Coordinator (Senior Faculty/ HOD) at Medical College Training Center (@ Rs.10000/ month)	1	6	60,000
B	Nodal person at Medical College Training Center (@ Rs.5000/ month)	1	6	30,000
c	1 Administrative Assistant at Medical College Training Center (@ Rs.500/ day)		120	60,000
	SUB TOTAL			1,50,000
4	Monitoring visit to DH(by Faculty MC)			
A	1 Expert visits each training site for 2 days			
	Travel allowance @Rs. 2000/day(As per actuals & state rules)x 4 sites x 2 days	4	2	16,000
B	Accommodation @ Rs 3000/day/ personx 4 sites x 2 days	4	2	24,000
C	Food (Breakfast + Lunch + Tea) @ Rs 500/day/person x 4 sites x 2 days	4	2	4,000
D	Honorarium @ Rs 2000/day/ person x 4 sites x 2 days	4	2	16,000
	Note- If visit is of 1 day, reimbursement to be done accordingly No accommodation, if no night stay i.e. if the visit is of<2 days			
	SUB TOTAL			60,000
5	**Budget for conducting examination(4 examiners- 2 internal, 2 external)**			
A	Travel allowance (Airfare) @ Rs 15,000/ person x 2 external examiners	2		30,000
B	Accommodation @ Rs 5000/day/ person (2 external examiners, 2 nights)	2	2	20,000
c	Food (Lunch+Tea)@Rs 500/day/person(4 examiners +4 examinees+2 support staff) x 2 days	10	2	10,000
D	Honorarium to Examiners @ Rs 2000/person x 4 examiners x 2 days	4	2	16,000
E	Engagement of vehicle@2000/day x 3 days x 1 Vehichle	1	3	6,000
F	10% institutional charges of point 1-5			8200
	SUB TOTAL			90,200
	Total Recurring cost for each batch (4 participants) at Medical College (Point 2-5)			18,27,000

District Hospital

S.No	Activity	No of people	Duration of Stay	Total Cost
1	Budget for strengthening & up-gradation of District Hospital Training Centre (Cost per centre)			
A	1 computer/ laptop for district anaesthesiologist/ HoD / Faculty Anaesthesiology (This is for departmental use, the nodal needs to hand it over if transferred).		4	2,00,000
B	1 time support for making OTs functional, to be utilized only if the OT is non functional		4	8,00,000
	ONE TIME COST			**10,00,000**
2.	**Cost of Training at each DH training centre**			
	4 Trainees/ batch for 28 days and 1 trainer for 24 working days			
A	Travelling Allowance for 4 Trainees @(Rs.1250 x 4 persons x 2)MC to DH & back(As per actuals & state rules)	4	2	10,000
B	Accommodation @ Rs 1000/day/ person (4 trainees)x28 Days	4	28	112,000
C	Food (Lunch + Tea)@ Rs 500/day/ person (4 trainees)x28 Days	4	28	56,000
D	Honorarium to Trainers @ (Rs. 1000 per day x 4 weeks x 6 days each)	4	24	96,000
E	Honorarium to Trainee @ Rs. 500 per day x 4 weeks x 7 days each)	4	28	56,000
F	Institutional charges @ 10% (Rs. 33000 for 4 DH/ batch of 4 trainees)	4		33,000
	SUB TOTAL			3,63,000

CEmONCTraining Budget

S.No	Activity	No of people	Duration of Stay	Total Cost
1	Budget for strengthening & up-gradation of Medical College Training Centre (Cost per centre)			
A	Infrastructure renovation & Upgradation (e.g. Replacement of non functional audio visual and other teaching aids, including furniture, computer, 1 laptop, small library including library racks, reference books, renovation of seminar room including furnishing, ensuring functionality of OTs). -As per the gap analysis and specific requirement of the institute.			10,00,000
B	Procurement/ Replacement of models and mannequins (in case of any shortfall, the fund from the above head can be taken. Both heads can be utilized cumulatively)			2,00,000
	ONE TIME COST			**12,00,000**
2.	**Cost of Training at each Medical College training centre**			
	4 Trainees/ batch for 126 days (16+2 weeks, all 7 days a week) 4 Trainers / day for 108 working days (16+2 weeks, 6 days a week)			
A	Travelling Allowance for 4 Trainees once during training @ (Rs.2500 x 4 persons, from place of posting to MC and back)(As per actuals & state rules)	4	2	20000
B	Accommodation @ Rs 1000/day/ person (4 trainees)x126 Days	4	126	504000
C	Food (Lunch + Tea)@ Rs 500/day/ person (4 trainees)x 126 Days	4	126	252000
D	Honorarium to Trainers @ (Rs. 1000 x 2 persons/ day x 18 weeks x 6 days eachi.e 108 days)	2	108	216000
E	Honorarium to Trainee @ Rs. 500 x 4 persons/day x 18 weeks x 7 days eachi.e 126 days)	4	126	252000
F	Teaching material, Stationery, Photocopy etc. @Rs 2000/ trainee	4	1	8000
g	Institutional charges (10%)			1,25,200
	SUB TOTAL			**13,77,200**
3	Centre running cost of Medical College Training centre			
A	Coordinator (Senior Faculty/ HOD) at Medical College Training Center (@ Rs.10000/ month)	1	6	60,000
B	Nodal person at Medical College Training Center (@ Rs.5000/ month)	1	6	30,000
c	1 Administrative Assistant at Medical College Training Center (@ Rs.500/ day)		108	54,000
	SUB TOTAL			1,44,000
4	Monitoring visit to DH(by Faculty MC)			
A	1 Expert visits each training site for 2 days			
	Travel allowance @Rs. 2000/day(As per actuals & state rules)x 4 sites x 2 days	4	2	16,000
B	Accommodation @ Rs 3000/day/ personx 4 sites x 2 days	4	2	24,000
C	Food (Breakfast + Lunch + Tea) @ Rs 500/day/person x 4 sites x 2	4	2	4,000

S.No	Activity	No of people	Duration of Stay	Total Cost
	days			
D	Honorarium @ Rs 2000/day/ person x 4 sites x 2 days	4	2	16,000
	Note- If visit is of 1 day, reimbursement to be done accordingly No accommodation, if no night stay i.e. if the visit is of<2 days			
	SUB TOTAL			60,000
5	**Budget for conducting examination(4 examiners- 2 internal, 2 external)**			
A	Travel allowance (Airfare) @ Rs 15,000/ person x 2 external examiners	2		30,000
B	Accommodation @ Rs 5000/day/ person (2 external examiners, 2 nights)	2	2	20,000
c	Food (Lunch+Tea)@Rs 500/day/person(4 examiners +4 examinees+2 support staff) x 2 days	10	2	10,000
D	Honorarium to Examiners @ Rs 2000/person x 4 examiners x 2 days	4	2	16,000
E	Engagement of vehicle@2000/day x 3 days x 1 Vehichle	1	3	6,000
F	10% institutional charges of point 1-5			8200
	SUB TOTAL			90,200
	Total Recurring cost for each batch (4 participants) at Medical College (Point 2-5)			16,71,400

District Hospital

S.No	Activity	No of people	Duration of Stay	Total Cost
1	Budget for strengthening & up-gradation of District Hospital Training Centre (Cost per centre)			
A	1 computer/ laptop for district Gynecologist/HoD / Faculty Gynecology (This is for departmental use, the nodal needs to hand it over if transferred) @50000/DH.		4	2,00,000
B	1 time support for making OTs functional, to be utilized only if the OT is non functional @ Rs 200000/DH		4	8,00,000
	ONE TIME COST			**10,00,000**
2.	**Cost of Training at each DH training centre**			
	4 Trainees/ batch for 42 days and 1 trainer for 36 working days			
A	Travelling Allowance for 4 Trainees @(Rs.1250 x 4 persons x 2)MC to DH & back(As per actuals & state rules)	4	2	10000
B	Accommodation @ Rs 1000/day/ person (4 trainees)x 42 Days	4	42	168000
C	Food (Lunch + Tea)@ Rs 500/day/ person (4 trainees)x 42 Days	4	42	84000
D	Honorarium to Trainers @ (Rs. 1000 per day x 4 weeks x 6 days eachi.e 36 days)	4	36	144000
E	Honorarium to Trainee @ Rs. 500 per day x 4 weeks x 7 days eacheachi.e42 days)	4	42	84000
F	Institutional charges @ 7.87% (Rs. 33000 for 4 DH/ batch of 4 trainees)	4		38,600
	SUB TOTAL			**5,28,600**

उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में धनराशि आवंटन के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज को ससमय धनराशि निर्गत की जायेगी, जिससे प्रशिक्षण की प्रक्रिया ससमय पूर्ण की जा सके।

1.13 नवीन 126 एफ0आर0यू सी0एच0सी0 का सुदृढ़ीकरण

महानिदेशक–परिवार कल्याण, के पत्रसंख्या–मा0शि0क0/एफ0आर0यू0/अधिसूचित/सुदृढ़ी/2020–21/1583–45 दिनांक 15.03.2021 एवं 3615–36 दिनांक 04.06.2021 के माध्यम से 126 नवीन एफ0आर0यू0 को चिन्हित कर सूचित किया गया है। एफ0आर0यू0 इकाइयों को क्रियाशील किए जाने हेतु मुख्यतः मानव संसाधन एवं उपकरणों की आवश्यकता होती है। वर्ष 2021–22 में नवीन एफ0आर0यू सी0एच0सी0 के सुदृढ़ीकरण हेतु उपकरणों (Delivery table, Operation Table, OT Light, Para monitor and Boyles apparatus) के क्रय किए जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

1.13.1 उपकरणों के क्रय की व्यवस्था

उपकरणों के क्रय के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य के शासनादेश संख्या–470/पांच–1– 2020–5(36)/2017 यदिनांक 12.03.2020 में निम्न व्यवस्था का प्राविधान किया गया है–

संशोधित व्यवस्था
निगम द्वारा महानिदेशक–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/महानिदेशक–परिवार कल्याण से प्राप्त मांगपत्र एवं बजट के अनुसार रू0 2.00 लाख से ऊपर के उपकरणों का क्रय किया जायेगा। रू0 2.00 लाख से कम के उपकरणों का क्रय स्थानीय स्तर पर परिधिगत अधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अनिवार्यतः जैम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

सी0एच0सी0 एफ0आर0यू0 के कियान्वयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु क्रय किये जाने वाले प्रस्तावित पाँच उपकरणों यथा Operation Table, OT Light, Para Monitor, Boyles apparatus & Delivery table (Birthing table) निर्धारित तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार उपरोक्त शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप क्रय किया जाना है।

उक्त के क्रम में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत जनपदवार सी0एच0सी0 एफ0आर0यू0 के सुदृढ़ीकरण हेतु जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित धनराशि की सीमा तक व्यय किया जाना है। जनपदों को यह सुनिश्चित करना है कि उपकरण उच्च कोटि एवं मानको के अनुरूप होने चाहिये।

उपकरणों के क्रय से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि सी0एच0सी0 एफ0आर0यू0 पर उक्त उपकरणों में से यदि कोई उपकरण पहले से उपलब्ध है, तो उसका क्रय न किया जाये। इन उपकरणों (Delivery table, Operation Table, OT Light Para monitor and Boyles apparatus) हेतु किसी अन्य कार्यक्रम/राज्य बजट अथवा किसी अन्य स्रोत में धनराशि का आवंटन होने की स्थिति में पुनः क्रय न किया जाये। किसी भी स्थिति में उपकरणों का डुप्लीकेशन न किया जाये। अक्रियाशील उपकरणों को क्रियाशील करा लिया जाये। निष्प्रयोज्य उपकरणों के Condemnation की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित कर ली जाये।

1.13.2 मानव संसाधन की व्यवस्था

नवीन 126 एफ0आर0यू0 के क्रियान्वयन हेतु मानव संसाधन की व्यवस्था के लिए नियमित विशेषज्ञों का स्थानान्तरण/चयन शासन द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संविदा पर विशेषज्ञों के चयन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा पृथक से दिशा–निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं।

1.13.3 कार्यक्रम का मूल्याकंन अनुश्रवण

जनपद स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित नवीन 126 एफ0आर0यू सी0एच0सी0 के सुदृढ़ीकरण हेतु उपकरणों (Delivery table, Operation Table, OT Light and Para monitor) का क्रय कर सूचना राज्य स्तर पर निदेशक, मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 के ई–मेल–mchjsy2019@gmail.com एवं महाप्रबन्धक, मातृ स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के ई–मेल–gmmhup2019@gmail.com पर साफ्ट एवं स्कैन कॉपी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1.14 मानव संसाधन

1.14.1 संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सक–एफ0एम0आर0 कोड 8.1.5.1

प्रदेश में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम में वर्ष 2021–22 में एफ0एम0आर0 कोड 8.1.5.1 के अंतर्गत एफ0आर0यू0 पर 250 संविदा महिला चिकित्साधिकारियों के पदों हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। राज्य स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 में एफ0आर0यू0 की केटेगरी ए, बी, सी के अनुसार संविदा चिकित्साधिकारियों का मानदेय का भुगतान निम्नवत किया जाना है–

एफ0आर0यू0 केटेगरी	कुल देय मानदेय प्रतिमाह (रू0)
ए केटेगरी	60,000.00
बी केटेगरी	65,000.00
सी केटेगरी	70,000.00

नोट–जनपदों को आवंटित धनराशि में मानदेय के साथ 05 प्रतिशत मानदेय वृद्वि भी सम्मिलित है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में पूर्व से कार्यरत संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों को उक्त दर से ही नियमानुसार भुगतान किया जाना है।
- संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों की तैनाती जनपद के प्रथम सन्दर्भन इकाइयों पर ही की जायेगी। एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों की तैनाती में वरीयता रिक्त क्रियाशील प्रथम सन्दर्भन इकाइयों को ही दी जायेगी। यदि किसी जनपद में संविदा

एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों की तैनाती नॉन एफ0आर0यू0 इकाइयों पर है तो उन्हें तत्काल जनपद की एफ0आर0यू0 इकाई पर स्थानान्तरित कर दें।

- ऐसे एफ0आर0यू0 चिकित्सालय, जहाँ औसतन 200 प्रसव प्रति माह से अधिक भार हो वहाँ संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी की तैनाती को प्राथमिकता दी जाये। जिला महिला चिकित्सालयों पर 24 घण्टे नियमित सेवा के EMO की भॉति संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी को भी रोस्टर बनाकर EMO की भॉति पोस्ट किया जाये।

कार्य एवं उत्तरदायित्व

1. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत महिला चिकित्सक प्रसव सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करें।
2. चिकित्सालय में आउटडोर/ए0एन0सी0/एच0आर0पी0 क्लीनिक का संचालन।
3. हाई रिस्क एवं गम्भीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की लाइन लिस्टिंग व उपचार।
4. जटिल प्रसवों का उपचार।
5. स्टाफ नर्सों के प्रसव कार्यों की समीक्षा।
6. एस0बी0ए0 मानकों पर प्रसव–कक्ष का पर्यवेक्षण, भर्ती मरीजों की देखभाल।
7. परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करना।
8. ''प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान'' में सहयोग देना इनका दायित्व होगा।
9. ऑन कॉल विशेषज्ञ द्वारा किये गये सीजेरियन ऑपरेशन के पश्चात पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल एवं समय से महिला एवं नवजात शिशु की समस्त स्थिति केसशीट मे भरना।
10. केसशीट एवं अन्य रजिस्टरों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

सामान्य निर्देश

1 वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों के कुल स्वीकृत 250 पदों में पूर्व के वर्षों में स्वीकृत किये गये सभी पद समाहित हैं।

2 वर्तमान में संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति राज्य व जनपद स्तर से वॉक–इन–इन्टरव्यू के द्वारा की जा रही है तथा अनुबन्ध एवं पुनर्अनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाना है। सभी अनुबन्ध 31 मार्च 2022 तक के लिये ही किये जायेंगे। इस अवधि में भी जिला स्वास्थ्य समिति जनपदों में एफ0आर0यू0 पर रिक्तियों की स्थिति परिवर्तित होने की स्थिति में इनका स्थानान्तरण आवश्यकतानुसार अन्य एफ0आर0यू0 पर करने के लिये सक्षम होगी। किसी भी स्थिति में किसी भी संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों को उसके तैनाती स्थल से अन्यंत्र इकाई पर अटैच (सम्बद्व) नहीं किया जायेगा।

3 कार्यरत संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों की वास्तविक संख्या एवं कार्य अवधि के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी। सभी संविदा कर्मियों का मानदेय इनके कार्यावधि एवं **एफ0आर0यू0 केटगरी के अनुसार** ही देय होगा तथा वित्त अनुभाग, एन0एच0एच0, उ0प्र0 द्वारा प्रेशित दिशा–निर्देशों में अंकित व्यवस्था अनुसार भुगतान किया जायेगा।

4 पूर्व से कार्यरत/नवचयनित संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों के सभी दस्तावेजो के रखरखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी की होगी।

5 एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सकों को उपर्युक्त क्षेत्रों में कौशल वृद्धि प्रशिक्षण के लिए नामित भी किया जाना आवश्यक है।

6 कार्यरत संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों के सम्बन्ध में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना मातृ स्वास्थ्य अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ को प्रत्येक त्रैमास अवश्य ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7 सभी संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की सूचना प्रत्येक त्रैमास प्रेषित की जाने वाली के0पी0आई0 डिलीवरी प्वाइंट की रिपोर्ट पर भी अद्यतन करायें।

8 यदि कोई संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी बिना किसी सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह के लिए अनुपस्थित रहती है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जाय।

9 संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी अपने विनियमितिकरण एवं स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेगें।

10 संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी कालावधि के लिए किन्हीं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होगें।

11 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पूर्व में समय–समय पर जो भी मानव संसाधन हेतु अवकाश स्वीकृत किये गये है उसी के अनुरुप अवकाश देय होगें।

12 संविदा पर कार्यरत एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी की सेवायें संतोशजनक न पाये जाने पर 1 माह का नोटिस अथवा 1 माह का समतुल्य मानदेय देकर समाप्त की जा सकेंगी।

13 **कार्यरत सभी संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी के कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुबन्ध नवीनीकरण के लिए पृथक से प्रारूप प्रेषित किये जायेगे।**

उक्त के साथ–साथ संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी हेतु समस्त नियम मानव संसाधन अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा समय–समय पर प्रेशित दिशा–निर्देश भी अनुमन्य होंगे।

1.14.2 संविदा स्टाफ नर्स–एफ0एम0आर0 कोड–8.1.1.2

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 हेतु मातृ स्वास्थ्य से सम्बन्धित संविदा स्टाफ नर्स के लिये दिशा–निर्देश निम्नवत है–

संविदा स्टाफ नर्स के कार्य एवं उत्तरदायित्व

1. संविदा स्टाफ नर्सों के पदों को आवश्यकतानुसार चिन्हित L-2 व L-3 प्रसव इकाईयों पर चौबीस घंटे प्रसव सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये स्वीकृति प्रदान की गयी है।
2. संविदा स्टाफ नर्सों की तैनाती किसी भी स्थिति में L-2 व L-3 प्रसव इकाईयों के बाहर अथवा ऐसी चिकित्सा इकाई जहॉ पर प्रसव सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसी अक्रियाशील प्रसव इकाई पर नहीं की जानी है। सभी इकाइयों के प्रसव भार तथा उपलब्ध नियमित स्टाफ नर्सों की स्थिति के आधार पर ही औचित्यपूर्ण आबंटन का प्रस्ताव जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त ही प्रसव इकाईवार तैनाती दी जानी है।
3. प्रत्येक HWC प्रसव इकाईयों पर 03 संविदा स्टाफनर्स की तैनाती अनिवार्य रूप से की जानी है।
4. संविदा स्टाफ नर्स नियमित स्टाफ नर्स की भांति ही सभी कार्य सम्पादित करेंगी। उनका उत्तरदायित्व जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रसव सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। चिकित्सालय में Maternal and Newborn Health Tool Kit (एम0एन0एच0 टूल किट) में दिये गये मानकों के अनुसार लेबर रूम, ओ0टी0, ए0एन0सी0 व पी0एन0सी0 वार्ड में कार्य किया जायेगा तथा समय–समय पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी/समतुल्य अधिकारी द्वारा आवंटित किये गये अन्य कार्य इनके उत्तर दायित्व होगे।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा इन स्टाफ नर्सों को समय–समय पर अपने स्तर से प्रसव, ओ0टी0 एवं अन्य कार्यो में अभिमुखीकरण कराना एवं राज्य स्तर द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों में प्रतिभाग कराना सुनिश्चित किया जाये।
6. कार्यरत सभी संविदा स्टाफ नर्स के कार्यों के मूल्यांकन (परफारमेन्स) के आधार पर अनुबन्ध नवीनीकरण किया जायेगा।

संविदा स्टाफ नर्स का मानदेय

भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 वित्तीय वर्ष 2021–22 में एफ0एम0आर0 कोड–8.1.1.2 में संविदा स्टाफ नर्स के कुल 6231 पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिनका मानदेय निम्नवत है–

क्र0सं0	**अवधि**	**कुल स्वीकृत पद**	**वर्ष 2021–22 में मानदेय प्रतिमाह**	**वर्ष 2021–22 में नियमानुसार 05% मानदेय बढ़ोत्तरी**	**वित्तीय वर्ष 2021–22 में नियमानुसार 05 एवं 10% लायल्टी बोनस**
1	पॉच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत	1591	27975.00	05%	नियमानुसार 05 एवं 10% लायल्टी बोनस पूर्व में भुगतान किया जा चुका है। **लायल्टी–शून्य**
2	पॉच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत	1225	26758.00	05%	नियमानुसार 05 एवं 10% लायल्टी बोनस पूर्व में भुगतान किया जा चुका है। **लायल्टी–शून्य**
3	तीन वर्ष से अधिक समय एवं पॉच वर्ष से कम समय से कार्यरत	397	24325.00	05%	03 वर्ष पूर्ण करने पर 10% नियमानुसार लायल्टी बोनस पूर्व में भुगतान किया जा चुका है। **लायल्टी–शून्य**

4	एक वर्ष से अधिक समय से कार्यरत एवं तीन वर्ष पूर्ण करने वाली	544	21014.00	05%	शून्य
5	रिक्त पदों हेतु	1574	20013.00	शून्य	शून्य
6	HWC प्रसव इकाईयों पर संविदा स्टाफनर्स के रिक्त पदों हेतु	900	20013.00	शून्य	शून्य

नोट–जनपदों को आवंटित धनराशि में मानदेय के साथ 5% मानदेय वृद्वि भी सम्मिलित है।

सामान्य निर्देश

1 वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु संविदा स्टाफ नर्स के कुल स्वीकृत 6231 (HWC प्रसव इकाईयों पर संविदा स्टाफनर्स सहित) पदों में पूर्व के वर्षों में स्वीकृत किये गये सभी पद समाहित हैं।

2 वर्तमान में संविदा स्टाफनर्स की नियुक्ति राज्य स्तर से की जा रही है तथा अनुबन्ध एवं पुर्नअनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाना है। सभी अनुबन्ध 31 मार्च 2022 तक के लिये ही किये जायेंगे। इस अवधि में भी जिला स्वास्थ्य समिति जनपद में प्रसव इकाइयों एवं रिक्तियों की स्थिति परिवर्तित होने की दशा में इनका स्थानान्तरण आवश्यकतानुसार प्रसव इकाइयों पर करने के लिये सक्षम होगी। किसी भी परिस्थिति में किसी भी संविदा स्टाफ नर्स को उसके तैनाती स्थल से अन्यंत्र इकाई पर अटैच (सम्बद्ध) नहीं किया जायेगा।

3 चयनित किये गये कर्मी का उच्च अधिकारी/निरीक्षण कर्ता द्वारा स्किल परीक्षण किया जाता है, और यदि वह अपने कार्य में निपुण नहीं पाया जाता है, उस स्थिति में उसे दक्ष कराने हेतु प्रशिक्षण में नामित किया जाए, इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रभारी चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी का होगा।

4 जनपदों द्वारा यह धनराशि कार्यरत संविदा स्टाफ नर्स की वास्तविक संख्या एवं कार्य अवधि के आधार पर व्यय की जायेगी। सभी संविदा कर्मियों का मानदेय इनके कार्यावधि के आधार पर ही देय होगा तथा वित्त अनुभाग द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देशों में अंकित व्यवस्था के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

5 वर्ष 2021–22 में संविदा स्टाफ नर्स के लिये 05 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि, एवं नियमानुसार लायल्टी बोनस की धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसका भुगतान मानव संसाधन अनुभाग, एन0एच0एम0, उ0प्र0 के नियमानुसार किया जायेगा।

6 पूर्व से कार्यरत/नवचयनित संविदा स्टाफ नर्स के सभी दस्तावेजो के रखरखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी की होगी।

7 कार्यरत संविदा स्टाफ नर्स के सम्बन्ध में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना मातृ स्वास्थ्य अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ को प्रत्येक त्रैमास अवश्य ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8 कार्यरत सभी संविदा स्टाफ नर्स की सूचना प्रत्येक त्रैमास प्रेषित की जाने वाली के0पी0आई0 डिलीवरी प्वाइंट की रिपोर्ट पर भी अद्यतन किया जाना है।

1.14.3 संविदा विशेषज्ञ चिकित्सक (स्त्री रोग विशेषज्ञ/शल्यक एवं निश्चेतक) FMR Code-8.1.2.1 & 8.1.2.3)

मातृ एवं शिशु सम्बन्धी रोगों एवं जटिलताओं के चिन्हांकन, उनके प्रबन्धन तथा Mortality and Morbidity दर में कमी लाने हेतु प्रथम सन्दर्भ इकाई (एफ0आर0यू0) का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में 87 जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय एवं 330 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इस प्रकार कुल 417 इकाईयॉ एफ0आर0यू0 के रूप में चिन्हित है।

प्रदेश के प्रथम सन्दर्भन इकाइयों को जनपद एवं स्वास्थ्य इकाई की भौगोलिक स्थिति यथा जनपद मुख्यालय/तहसील/ब्लॉक इकाई मुख्यालय से दूरी, इकाई द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल/जनसंख्या, दुर्गमता, क्षेत्र का पिछड़ापन, नक्सली प्रभावित क्षेत्र तथा लम्बे समय से विशेषज्ञों की अनुपलब्धता आदि के अनुसार केटेगरी ए, केटेगरी बी एवं केटेगरी सी में वर्गीकृत किया गया। विभिन्न केटेगरी के लिये मानदेय के स्लैब भी निर्धारित किये गये है। इन एफ0आर0यू0 पर नियमित/संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम (प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ तथा निश्चेतक) की तैनाती की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में एफ0आर0यू0 पर कार्यरत संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों के मानदेय एवं कार्य सम्बन्धित दिशा–निर्देश निम्नवत है–

प्रथम सन्दर्भन इकाइयों पर संविदा प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ/शल्यक एवं निश्चेतक की तैनाती

1. वित्तीय वर्ष 2021–22 में संविदा पर 318 स्त्री रोग विशेषज्ञ/सर्जन एवं 283 एनेस्थेटिस्ट के कुल स्वीकृत पदों में पूर्व के वर्षों में स्वीकृत किये गये सभी पद समाहित हैं।
2. प्रदेश में पूर्व से चिन्हित प्रथम सन्दर्भ इकाई केटेगरी ए, केटेगरी बी एवं केटेगरी सी में वर्गीकृत है। शेष प्रथम सन्दर्भ इकाई का केटेगरी ए, बी एवं सी में वर्गीकृत किया जाना प्रक्रियाधीन है।
3. चिन्हित नवीन प्रथम सन्दर्भ इकाई को केटेगरी ए, बी एवं सी में वर्गीकृत होने तक संविदा पर प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ/शल्यक एवं निश्चेतक की वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से नियत मानदेय रू0 1,00,000.00 पर नियुक्ति की जायेगी। प्रथम सन्दर्भ इकाई (एफ0आर0यू0) का केटेगरी ए, बी एवं सी में वर्गीकृत होने के उपरान्त नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सक को योगदान तिथि से केटेगरी के अनुसार मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

संविदा प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ/शल्यक एवं निश्चेतक हेतु मानदेय व्यवस्था–

- राज्य स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार वर्ष 2021–22 में एफ0आर0यू0 की केटेगरी ए, बी, सी के अनुसार संविदा चिकित्साधिकारियों का मानदेय का भुगतान निम्नवत किया जाना है–

क्र0सं0	एफ0आर0यू0 केटेगरी	नियत मानदेय (रू0)	दूरस्थ क्षेत्र अतिरिक्त मानदेय (रू0)	कुल देय मानदेय प्रतिमाह (रू0)
1	ए केटेगरी	100000.00	शून्य	100000.00
2	बी केटेगरी	100000.00	20000.00	120000.00
3	सी केटेगरी	100000.00	40000.00	140000.00

- यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2021–22 में 01 अप्रैल, 2021 से लागू की जायेगी।
- पूर्व से कार्यरत संविदा प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ/शल्यक एवं निश्चेतक वित्तीय वर्ष 2021–22 में भारत सरकार द्वारा 05 प्रतिशत मानदेय बढ़ोत्तरी स्वीकृत प्रदान की गयी है, जो कि नियत मानदेय रू0 1.00 लाख के गुणांक पर लागू होगी।
- भारत सरकार द्वारा 03 व 05 वर्ष पर दिये जाने वाले लॉयल्टी बोनस के लिये चिकित्सक का कार्यकाल 01 अप्रैल, 2020 से आगामी वर्षो में आंकणन किया जायेगा एवं नियत मानदेय रू0 1.00 लाख पर लागू होगा।
- कतिपय जनपदों में संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों के तैनाती स्थल स्थिर नहीं किये गये हैं, जिससे उनके मानदेय के स्लैब भी लागू नहीं किये जा सके हैं। यह सर्वथा अनुचित है। सभी पूर्व से कार्य कर रहे संविदा विशेषज्ञों के तैनाती स्थल व स्लैब में मानदेय निर्धारण का प्रस्ताव जिला स्वास्थ्य समिति से अतिशीघ्र स्वीकृत करायें। **किसी भी परिस्थिति में नॉन एफ0आर0यू पर तैनात नहीं किया जाना है।**
- जनपदों में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किये गये कार्यों की राज्य स्तर पर समीक्षा करने पर संज्ञान में आया है कि प्रायः जनपद स्तर पर उनके कार्यों का नियमित मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। भारत सरकार सरकार के निर्देशों के अनुसार एफ0आर0यू0 को क्रियाशील कराये जाने हेतु जनपद स्तरीय एफ0आर0यू0 पर न्यूनतम 10 सीजेरियन प्रसव तथा सी0एच0सी0 एफ0आर0यू0 पर न्यूनतम 05 सिजेरियन प्रसव कराया जाना अपेक्षित है।
- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कम उपलब्धि वाले विशेषज्ञों के साथ समय–समय पर बैठक आयोजित कर स्थानीय स्तर पर गतिरोध अथवा सहयोग की कमी का निराकरण करना सुनिश्चित किया जाना है। अतः कम उपलब्धि के लिये एफ0आर0यू0 प्रभारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर0सी0एच0 तथा मुख्य चिकित्साधिकारी समान रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे। आवश्यकतानुसार सीजेरियन हेतु टीम पूर्ण करने के लिये ऑन कॉल विशेषज्ञ चिकित्सक के प्राविधान का उपयोग किया जाये एवं इलेक्टिव सीजेरियन प्रसव आरम्भ करने हेतु समुचित व्यवस्थायें सुनिश्चित किया जाना है।

कार्य एवं उत्तरदायित्व

- किसी भी माह में शून्य अथवा औसतन 05 सीजेरियन सेक्शन प्रति माह (ग्रामीण इकाई पर) अथवा औसतन 10 सीजेरियन सेक्शन प्रति माह (जनपद स्तर पर) से कम उपलब्धि वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को चेतावनी निर्गत कर प्रशासनिक सहयोग से उपलब्धि बढ़ाने का प्रयास करें। प्रायः देखा जा रहा है कि जनपद स्तर पर संविदा विशेषज्ञों द्वारा कम उपलब्धि होने पर उनका मानदेय रोक दिया जाता जो कि उचित नहीं है। वरन् लगातार तीन माह तक अधोप्रगति होने पर अनुबन्ध

समाप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर राज्य स्तर पर इसकी सूचना प्रेषित की जानी है। संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों से मेडिको लीगल/पोस्टमार्टम कार्य नही कराया जाना है।

- प्रत्येक सक्रिय प्रथम सन्दर्भन इकाई (जिला महिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय की महिला विंग अथवा एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0) के लिए संविदा प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा आउटडोर (ओ0पी0डी), ए0एन0सी0 क्लीनिक, हाई रिस्क एवं Severe Anemia से पीड़ित गर्भवती महिलाओं का प्रबन्धन, सामान्य एवं जटिल प्रसवों का उपचार, सिजेरियन प्रसव (Elective/Emergency), प्रसव कक्ष/शल्य कक्ष की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण, भर्ती मरीजों की देखभाल, केसशीट में चिकित्सक सम्बन्धी सभी बिन्दुओं को पूर्णतः से भरना तथा अन्य बिन्दुओं को भी सम्बन्धित स्टाफ से पूर्ण कराना।
- इसी प्रकार संविदा निश्चेतक का उत्तरदायित्व होगा कि वे रूटीन इलेक्टिव सर्जरी में सहयोग करेंगे एवं आवश्यकतानुसार 24 घंटे जटिल सीजेरियन प्रसव प्रबन्धन हेतु भी उपलब्ध रहेंगे।
- जहाँ पर 01 से अधिक स्त्री रोग/निश्चेतक विशेषज्ञ हैं वहाँ शिफ्ट ड्यूटी रोस्टर बनाकर 24 घण्टे सीजेरियन प्रसव सुविधा उपलब्ध कराया जाना है।
- एफ0आर0यू0 पर तैनात सभी चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्सों (नियमित अथवा संविदा) की पोस्ट ऑपरेटिव केयर एक सामूहिक जिम्मेदारी होगी जो रोस्टर ड्यूटी के आधार पर इसे सम्पादित करेंगे। इस हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रभारी प्रथम सन्दर्भन इकाई यथासम्भव सहयोग देते हुए आवश्यक संसाधन की उपलब्धता एवं समन्वय सुनिश्चित कराया जाना है।

सामान्य निर्देश–

- राज्य व जनपद स्तर से वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से नियुक्ति/कार्यरत संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ/सर्जन एवं एनेस्थेटिस्ट का अनुबन्ध एवं पुर्नअनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाना है। सभी अनुबन्ध 31 मार्च 2022 तक के लिये ही किये जायेंगे। इस अवधि में भी जिला स्वास्थ्य समिति जनपदों में एफ0आर0यू0 पर रिक्तियों की स्थिति परिवर्तित होने की स्थिति में इनका स्थानान्तरण आवश्यकतानुसार अन्य एफ0आर0यू0 पर करने के लिये सक्षम होगी। किसी भी स्थिति में किसी भी संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ/सर्जन एवं एनेस्थेटिस्ट को उसके तैनाती स्थल से अन्यंत्र इकाई पर अटैच (सम्बद्व) नहीं किया जायेगा।
- जनपद में कार्यरत/नवचयनित संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ/सर्जन एवं एनेस्थेटिस्ट के सभी दस्तावेजो के रखरखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी की होगी।
- कार्यरत संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ/सर्जन एवं एनेस्थेटिस्ट के सम्बन्ध में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना नियमित रूप से एच0एम0आई0एस0 तथा यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अंकित की जानी है। प्रत्येक त्रैमास में के0पी0आई0 पर सूचना अंकित करते हुये मातृ स्वास्थ्य अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ को अवश्य ही उपलब्ध कराया जाना है।
- जनपदों द्वारा आवंटित धनराशि कार्यरत संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ/सर्जन एवं एनेस्थेटिस्ट की वास्तविक संख्या एवं कार्य अवधि के आधार पर व्यय की जायेगी। सभी संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ/सर्जन एवं एनेस्थेटिस्ट का मानदेय इनके कार्यावधि के आधार पर ही दिया जायेगा तथा वित्त अनुभाग, एन0एच0एच0, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देशों में अंकित व्यवस्था अनुसार भुगतान कराया जाना है।

वित्तीय व्यवस्था

- वाक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से कार्यरत संविदा विशेषज्ञ चिकित्सक (स्त्री रोग/सर्जन) के मानदेय का भुगतान–(FMR Code-8.1.2.1) एवं संविदा निश्चेतकों का (FMR Code- 8.1.2.3) से किया जायेगा।
- वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से कार्यरत संविदा विशेषज्ञ चिकित्सक (स्त्री रोग/सर्जन) एवं निश्चेतक का उपरोक्त मानकानुसार **01 अप्रैल 2021 से स्लैब निर्धारित कर उन्हें मानदेय आवंटित किया जाये।**

1.14.4 मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत संविदा ए0एन0एम0–एफ0एम0आर0 कोड 8.1.1.1

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 में एफ0एम0आर0 कोड 8.1.1.1 में कुल 14115 संविदा ए0एन0एम0 के पदों की स्वीकृत प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत है–

1. जनपदों को स्वीकृत नियमित रिक्त पदों के सापेक्ष उपकेन्द्रों पर 7383 प्रथम संविदा ए0एन0एम0 के पद स्वीकृत है।

2. ऐसे उपकेन्द्र जहॉ पर प्रतिमाह 5 प्रसव से अधिक हो रहें हैं, उन उपकेन्द्रों पर द्वितीय 1410 संविदा ए0एन0एम0 के पद स्वीकृत है।
3. 04 जे0ई0/ए0ई0 प्रभावित जनपद, 25 एच0पी0डी0 जनपद, 08 अतिमहत्वाकांक्षी जनपदों के उपकेन्द्रों जहॉ पर उपकेन्द्रों की जनसंख्या 8000 से अधिक है, उन उपकेन्द्रों पर 5322 अतिरिक्त द्वितीय संविदा ए0एन0एम0 के पद स्वीकृत है।

संविदा ए0एन0एम0 के कार्य एवं उत्तरदायित्व

1. संविदा ए0एन0एम0 नियमित ए0एन0एम0 की भाँति सभी कार्य करेंगी। प्रत्येक संविदा ए0एन0एम0 अपने आंवटित क्षेत्र का सर्वे करेगी तथा आर0सी0एच0 रजिस्टर में सूचनाओं को अपडेट करेगी।
2. संविदा ए0एन0एम0 द्वारा वी0एच0एन0डी0 में कुशल प्रसव पूर्व सेवायें (बी0पी0, खून की जॉच एवं पेशाब की जॉच) प्रदान करने, नियमित टीकाकरण, उच्च जोखिम युक्त एवं गम्भीर एनीमिया से ग्रसित गर्भवती महिलाओं को पहचान कर लाईन लिस्टिंग, उपकेन्द्रों पर प्रसव सेवायें, फालोअप एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्य प्रबन्धन आदि सेवायें प्रदान की जायेंगी।
3. आर0सी0एच0/एच0एम0आई0एस0 पोर्टल में सभी आंकड़ों को एकत्रित कर ब्लाक स्तर पर अंकित करवायेंगी जिसके आधार पर ही उनके कार्यो का मूल्यांकन किया जायेगा।
4. राज्य स्तर से समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी।

स्वीकृत संविदा पदों का मानदेय निम्नवत है–

क्र0सं0	अवधि	कुल स्वीकृत पद	2021–22 में मानदेय प्रतिमाह	वर्ष 2021–22 में नियमानुसार 05% मानदेय बढ़ोत्तरी	वर्ष 2021–22 में नियमानुसार 05 एवं 10% लायल्टी बोनस	ई0पी0एफ0
1	पॉच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत	2414	16953.00	05%	नियमानुसार 05 एवं 10% लायल्टी बोनस पूर्व में भुगतान किया जा चुका है। **लायल्टी–शून्य**	15000.00 प्रतिमाह से कम मानदेय पर 13.36%
2	पॉच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत	1724	16215.00	05%	नियमानुसार 05 एवं 10% लायल्टी बोनस पूर्व में भुगतान किया जा चुका है। **लायल्टी–शून्य**	15000.00 प्रतिमाह से कम मानदेय पर 13.36%
3	तीन वर्ष से अधिक समय एवं पॉच वर्ष से कम समय से कार्यरत	2634	14742.00	05%	03 वर्ष पूर्ण करने पर 10% नियमानुसार लायल्टी बोनस पूर्व में भुगतान किया जा चुका है। **लायल्टी–शून्य**	13.36%
4	एक वर्ष से अधिक एवं तीन वर्ष से कम समय से कार्यरत	5970	12734.00	05%	शून्य	13.36%
5	रिक्त पदों हेतु	1373	12128.00	शून्य	शून्य	13.36%

नोट–जनपदों को आवंटित धनराशि में मानदेय के साथ 5% मानदेय वृद्धि, लायल्टी बोनस एवं ई0पी0एफ0 भी सम्मिलित है।

सामान्य निर्देश

1 वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु संविदा ए0एन0एम0 के कुल स्वीकृत 14115 पदों में पूर्व के वर्षों में स्वीकृत किये गये सभी पद समाहित हैं।

2 वर्तमान में संविदा ए0एन0एम0 की नियुक्ति राज्य स्तर से की जा रही है तथा अनुबन्ध एवं पुनर्अनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाना है। सभी अनुबन्ध 31 मार्च 2022 तक के लिये ही किये जायेंगे। इस अवधि में भी जिला स्वास्थ्य समिति जनपद में एल–1 प्रसव इकाइयों एवं रिक्तियों की स्थिति परिवर्तित होने की स्थिति में इनका स्थानान्तरण आवश्यकतानुसार रिक्त अथवा एल–1 प्रसव केन्द्रों पर करने के लिये सक्षम होगी। रिक्त उपकेन्द्रों को भरा जाना प्राथमिकता होगी। किसी भी स्थिति में किसी भी संविदा ए0एन0एम0 को उसके तैनाती स्थल से अन्यंत्र इकाई पर अटैच (सम्बद्व) नहीं किया जायेगा।

3 चयनित की गईं संविदा ए0एन0एम0 का उच्च अधिकारी/निरीक्षण कर्ता द्वारा स्किल परीक्षण किया जाता है, और यदि वह अपने कार्य में निपुण नहीं पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसे दक्ष कराने हेतु प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए। इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रभारी चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी का होगा।

4 जनपदों द्वारा आवंटित धनराशि कार्यरत संविदा ए0एन0एम0 की वास्तविक संख्या एवं कार्य अवधि के आधार पर व्यय की जायेगी। सभी संविदा ए0एन0एम0 का मानदेय इनके कार्यावधि के आधार पर ही दिया जायेगा। किसी भी ए0एन0एम0 को, किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

5 भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021—22 में संविदा ए0एन0एम0 के लिये 05 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि, नियमानुसार लायल्टी बोनस एवं ई0पी0एफ0 की धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसका भुगतान मानव संसाधन अनुभाग, एन0एच0एम0, उ0प्र0 के नियमानुसार किया जायेगा।

6 जनपद में कार्यरत/नवचयनित संविदा ए0एन0एम0 के सभी दस्तावेजो के रखरखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी की होगी।

7 कार्यरत संविदा ए0एन0एम0 के सम्बन्ध में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना मातृ स्वास्थ्य अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ को प्रत्येक त्रैमास अवश्य ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8 सभी संविदा ए0एन0एम0 की नियुक्ति की सूचना प्रत्येक त्रैमास प्रेषित की जाने वाली के0पी0आई0 की रिपोर्ट पर भी अद्यतन कराना सुनिश्चित दें।

1.14.5 मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाताः— एफ0एम0आर0 कोड 16.4.2.1.2, 16.1.3.3.17 & 16.1.5.3.16

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021—22 में एफ0एम0आर0 कोड 16.4.2.1.2 पर संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के मानदेय हेतु रू0 40,000.00 प्रतिमाह प्रति परामर्शदाता की दर से धनराशि स्वीकृति की गई है, जिसके दिशा—निर्देश निम्नवत है—

जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के मानदेय की व्यवस्था

1. जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के मानदेय का राज्य स्तर से एफ0एम0आर0 कोड 16.4.2.1.2 में डैप में पूर्व से कार्यरत मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता को रू0 42,000.00 के साथ 5 प्रतिशत वार्षिक वेतनवृद्धि के साथ एवं रिक्त पदों हेतु रू0 40,000.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।
2. डैप में जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित धनराशि जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के खाते में अवमुक्त की जायेगी तथा अन्य संविदा कर्मियों की भॉति जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के खाते के माध्यम सेजिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के भ्रमण हेतु वाहन की व्यवस्था— FMR Code-16.1.3.3.17

1. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु क्षेत्र भ्रमण एवं राज्य स्तर पर समीक्षा बैठकों में प्रतिभाग हेतु भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 वित्तीय वर्ष 2021—22 में एफ0एम0आर0 कोड 16.1.3.3.17 में प्रति जनपद हेतु रू0 10,000.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है।
2. जनपद के अन्तर्गत सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करने पर यात्रा—व्यय रू0 750.00 प्रति विजिट की दर से किसी भी माह में अधिकतम 12 विजिट का भुगतान अनुमन्य है, जिसका नियमानुसार एवं मानकानुसार भुगतान किया जायेगा। जनपद में किसी भी माह में 12 विजिट से अधिक का भुगतान अनुमन्य नहीं है।
3. मण्डल, राज्य स्तर एवं राज्य के बाहर कार्य हेतु यात्रा करने पर जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के लिए वर्तमान दिशा—निर्देशों के अनुरूप जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के मानकों के समतुल्य यात्रा भत्ता डी.ए. तथा बोर्डिग लॉजिंग का भुगतान मानकानुसार एवं नियमानुसार जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के ऑपरेशनल मद से किया जायेगा।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, आर0सी0एच0 एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक से समन्वय करते हुये माह में कम से कम 8 सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किये जायेंगे।
5. प्रतिमाह अग्रिम मासिक भ्रमण कार्यक्रम बनायेगें। भ्रमण योजना की एक प्रति राज्य स्तर पर भी साझा करेगे। क्षेत्र भ्रमण/सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिये जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक अथवा मॉनिटरिंग एवं सुपरविजन हेतु जनपदों में उपलब्ध वाहनों का अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये उपयोग किया जाना है।

जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के आफिस एवं अन्य व्यवस्था हेतु– FMR Code-16.1.5.3.16

1. जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के आफिस व्यवस्था के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 में एफ0एम0आर0 कोड 16.1.5.3.16 पर वनटाइम धनराशि रू0 1,10,000.00 प्रति जनपद की दर से स्वीकृत की गयी है, जिसका व्यय निम्नवत किया जायेगा–

क्र0सं0	उपकरण का नाम	प्रति यूनिट संख्या	प्रति यूनिट धनराशि (रूपये में)	कुल धनराशि रू0
1	कम्प्यूटर (डेस्कटॉप)	01	50,000.00	50,000.00
2	प्रिन्टर	01	15,000.00	15,000.00
3	आफिस चेयर	01	5,000.00	5,000.00
4	आफिस मेज	01	15,000.00	15,000.00
5	अन्य चेयर	02	5,000.00	10,000.00
6	अलमीरा	01	15,000.00	15,000.00
कुल योग प्रति जनपद धनराशि रू0				**1,10,000.00**

2. जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के कार्यालय के उपयोग हेतु उक्त उपकरणों का क्रय जैम पोर्टल/ टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से नियमानुसार किया जायेगा।
3. क्रय किये गये उक्त उपकरण जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई की सम्पत्ति होगी, जिसका उपयोग केवल जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के द्वारा किया जायेगा।
4. कार्यालय हेतु क्रय किये जाने उपकरण/ सामग्री जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता का सहयोग लेते हुये नियमानुसार क्रय की जायेगी।

आफिस की अन्य व्यवस्था हेतु–FMR Code-16.1.5.3.16

1. जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के आफिस आपरेशनल मद में वनटाइम (12 माह के लिये स्टेशनरी, कार्टेज, कन्टीजेन्सी, इन्टरनेट आदि) रू0 10,000.00 प्रति जनपद की दर से एफ0एम0आर0 कोड 16.1.5.3.16 में धनराशि स्वीकृत की गयी है।
2. जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के कार्यालय के संचालन हेतु जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के कार्यालय में स्थान सुनिश्चित किया जायेगा।
3. जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता की उपस्थिति जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई मे कार्यरत अन्य संविदा कर्मियों की भॉति जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के रजिस्टर में अंकित/हस्ताक्षरित की जायेगी।
4. रिपोर्ट तैयार करने एवं अन्य कार्यो हेतु जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के कार्यालय के इंटरनेट का उपयोग किया जायेगा।

जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के दायित्व

1. जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर0सी0एच0 के निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे।
2. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम की वार्षिक कार्ययोजना तैयार किया जाना एवं कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु रणनीति एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना/कराना।
3. सभी कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करना।
4. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत रिक्त पदों हेतु जनपद स्तर पर आयोजित होने वाली वॉक–इन–इन्टरव्यू की समस्त प्रक्रिया (दिशा–निर्देशों के अनुसार विज्ञापन, इन्टरव्यू की प्रक्रिया को सम्पन्न कराते हुये नियमानुसार अनुमोदन हेतु समसय सूचना का प्रेशण इत्यादि) को सम्पादित कराना।
5. जनपद की समस्त चिकित्सा इकाईयों का पर्यवेक्षण/निरीक्षण एवं क्रियाशीलता सुनिश्चित करना।
6. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों–जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मातृ मृत्यु समीक्षा, प्रथम सन्दर्भन इकाई, मिडवाइफरी कार्यक्रम, जी0डी0एम0, लक्ष्य कार्यक्रम, नर्स मेण्टर कार्यक्रम, पी0एम0एस0एम0ए0, एम0सी0एच0 विंग, प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रम तथा राज्य एवं जनपद स्तर से समय–समय पर दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना/कराना।
7. प्रसव कक्ष की क्वालिटी इम्प्रूमेन्ट हेतु लक्ष्य इनीशिएटिव/NQAS के अनुपालन की कार्यवाही।
8. लक्ष्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सा इकाई का इन्टर्नल असेसमेन्ट करना एवं कमियों को पूर्ण कराना।
9. चिकित्सा इकाईयों का लक्ष्य सर्टीफिकेशन हेतु External Assessment में पायी गयी कमियों को पूर्ण कराते हुये लक्ष्य सर्टीफिकेशन में सहयोग प्रदान करना।

10. नर्स मेन्टर कार्यक्रम की समीक्षा करना तथा नर्स मेन्टर द्वारा किये जा रहे कार्यो का समय–समय पर मूल्यॉकन कर सहयोग प्रदान करना।
11. एम0डी0एस0आर0 के दिशा–निर्देशों के अनुरूप मातृ मृत्यु हेतु गठित समितियों की समन्वय स्थापित कर नियमानुसार बैठकें आयोजित करना/कराना तथा बैठकों में दिये गये निर्देशों का पालन करना/कराना।
12. कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत समस्त संविदा एवं नियमित मानव संसाधन का डाटाबेस बनाना एवं नियमित अपडेट करना तथा राज्य स्तर से मॉगे जाने पर ससमय प्रेषित करना।
13. कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत समस्त संविदा एवं नियमित मानव संसाधन की सूचना प्रतिमाह निर्धारित प्रपत्र–1 एव प्रपत्र–2 पर प्रेषित किया जाना।
14. कार्यरत संविदा कर्मियों की उपस्थिति का समय–समय पर सत्यापन करना।
15. कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों का ससमय मानदेय का भुगतान सुनिश्चित कराना।
16. राज्य, जिला एवं ब्लाक स्तर पर आयोजित होने वाली समस्त बैठकों में आवश्यक अभिलेखों/सूचनाओं के साथ ससमय प्रतिभाग करना।
17. राज्य स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देशों को समस्त सम्बन्धित को उपलब्ध कराना।
18. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम की समस्त रिपोर्टिंग, एच.एम.आई.एस./आर.सी.एच./एम.सी.टी.एस./यू.पी.एच. एम.आई.एस/पी0एम0एस0एम0ए0/लक्ष्य एवं अन्य सभी पोर्टल पर ससमय डाटा अपलोड कराना एवं मुख्यचिकित्साधिकारी, कार्यक्रम नोडल अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के अवलोकनापरान्त राज्य स्तर पर सूचनाओं का ससमय प्रेषण सुनिश्चित करना/कराना।
19. पोर्टल पर उपलब्ध ऑकड़ों के आधार पर जनपद स्तरीय बैठकों में प्रस्तुतीकरण करना/कराना।
20. गुणवत्तापरक सेवाओं के लिये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण।
21. इकाईवार समीक्षा बैठकों का आयोजन, तैयारी, प्रस्तुतीकरण, दस्तावेजों का रखरखाव।
22. राज्य एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
23. राज्य एवं जिला स्तर से जारी दिशा–निर्देशों का पालन करना एवं कराना।
24. समय–समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा दिये निर्देशों/दायित्वों का निर्वान्हन।
25. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त गतिविधियों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना एवं पर्यवेक्षण के दौरान मातृ स्वास्थ्य एवं अन्य से संबंधित पायी गयी कमियों को ब्लाक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से साझा कर समस्या का निदान कराने में सहयोग करेगें। नियमित रुप से इसकी जानकारी जनपदीय नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी देगें।
26. प्रत्येक माह की भ्रमण आख्या के प्रमुख बिन्दु तथा उन पर की गयी कार्यवाही को संकलित कर जनपद स्तर पर आयोजित होने वाले त्रैमासिक बैठक में चर्चा की जायेगी एवं उसकी एक प्रति राज्य स्तर पर प्रेषित की जायेगी।
27. जनपद स्तर पर होने वाली मासिक बैठको एवं जिला स्वास्थ्य समिति की बैठको में मातृ स्वास्थ्य की प्रगति एजेण्डा बिन्दु के रूप में सम्मिलित करवाना।
28. जनपद स्तर आयोजित होने वाले समस्त प्रकार के प्रशिक्षण में शत् प्रतिशत प्रतिभाग कर सहयोग प्रदान करना। प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षण की रिपोर्ट जनपद स्तर एवं राज्य स्तर पर साझा करना।
29. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर क्रियान्वित समस्त कार्यक्रम की बिन्दुबार प्रतिमाह समीक्षा करना तथा आख्या राज्य स्तर पर प्रेषित करना।

सामान्य निर्देश

1. रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया (वॉक–इन–इन्टरव्यू अथवा अन्य) में भी जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता का सहयोग लिया जाना है।
2. वर्तमान में रिक्त पदों पर संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता की नियुक्ति राज्य स्तर से की जा रही है तथा अनुबन्ध एवं पुर्नअनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाना है। सभी अनुबन्ध 31 मार्च 2022 तक के लिये ही किये जायेंगे।
3. सभी संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के मानदेय का भुगतान इनके कार्यावधि एवं मानदेय निर्धारण के आधार पर किया जायेगा तथा वित्त अनुभाग, एन0एच0एच0, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देशों में अंकित व्यवस्था अनुसार भुगतान किया जायेगा।
4. जनपद में कार्यरत/नवचयनित संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के सभी दस्तावेजो के रखरखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी की होगी।

5. कार्यरत संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के सम्बन्ध में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना मातृ स्वास्थ्य अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ को प्रत्येक त्रैमास अवश्य ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1.14.6 प्रथम सन्दर्भन इकाइयों (एफ0आर0यू0) पर कार्यरत संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन–एफ0एम0आर0 कोड 8.1.1.6 एवं 114.131

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन के कुल 264 संविदा पदों के मानदेय हेतु एफ0एम0आर0 कोड–8.1.1.6 में धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसके उपयोग हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत है–

संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन का मानदेय

क्र0सं0	अवधि	कुल स्वीकृत पद	वर्ष 2021–22 में	वर्ष 2021–22 में नियमानुसार 05% मानदेय बढ़ोत्तरी
1	कार्यरत ओ0टी0 टैक्नीशियन	232	21000.00	05%
2	रिक्त पदों हेतु	32	20000.00	शून्य

जनपदों को मानदेय एवं 05 प्रतिशत मानदेय वृद्वि सहित धनराशि आवंटित की गयी है।

संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन के कार्य एवं दायित्व

1 संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन द्वारा एफ0आर0यू0 के नोडल के अधीन सिजेरियन प्रसव से सम्बन्धित कार्यो का निर्वाहन करना।
2 ओ0टी0 की समुचित व्यवस्था का दायित्व जैसे शल्य चिकित्सा से पहले ओ0टी0 तैयार करना, ओ0टी की साफ–सफाई एवं स्टेरिलाईजेशन सुनिश्चित करना, उपकरणों की ड्रेसिंग आदि को ऑटोक्लेव करना।
3 ओ0टी0 में प्रयोग होने वाले समस्त उपकरणों की प्रतिदिन परीक्षण कर, क्रियाशीलता सुनिश्चित करना।
4 गर्भवती महिला का सिजेरियन प्रसव के दौरान स्त्री एवं प्रसूति रोग/सर्जन एवं निश्चेतक विशेषज्ञ चिकित्सक को पूर्ण सहयोग प्रदान करना।
5 क्रेस कार्ड में रखी समस्त दवाओं की एक्सपायरी चेक करना एवं ओ0टी0 में प्रयोग होने वाले गैस सिलेण्डर की नियमित जॉच तथा स्टाक रजिस्ट्रर अपडेट करना।
6 ड्रग एवं कन्जूमेबिलस की उपलब्धता सुनिश्चित कर स्टाक रजिस्टर अपडेट करना।
7 इलेक्टिव सिजेरियन प्रसव हेतु पूर्व से ओ0टी0 बुक करना।
8 ओ0टी0 रजिस्टर में प्रत्येक सिजेरियन प्रसव का विस्तृत विवरण अंकित करना।
9 डिपार्टमेन्टल आडिट एवं रिसर्च में प्रतिभाग करना।
10 संक्रमण रोकथाम हेतु ओ0टी0 कॉम्पलेक्स में जोन (Protective, Clean, Sterile, Disposal) का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना।

संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन के तैनाती एवं सामान्य निर्देश

1. ओ0टी0 टैक्नीशियन की तैनाती क्रियाशील प्रथम सन्दर्भन इकाई (एफ0आर0यू0) में सिजेरियन प्रसव हेतु ओ0टी में की जायेगी।
2. संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन को उसके तैनाती स्थल से अन्यत्र इकाई पर अटैच (सम्बद्व) नहीं किया जायेगा परन्तु जिला स्वास्थ्य समिति जनपद में सिजेरियन प्रसव हेतु अक्रियाशील एफ0आर0यू0 से सिजेरियन प्रसव हेतु क्रियाशील एफ0आर0यू0 पर स्थानान्तरण करने के लिये सक्षम होगी।
3. रिक्त पदों पर संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन की नियुक्ति राज्य स्तर से की जा रही है तथा अनुबन्ध एवं पुर्नअनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुबन्ध 31 मार्च 2022 तक के लिये ही किये जायेंगे।
4. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 में संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन के लिये 05 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि की धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसका भुगतान मानव संसाधन अनुभाग, एन0एच0एम0, उ0प्र0 के नियमानुसार किया जायेगा।

- चयनित किये गये संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन का उच्च्च अधिकारी/निरीक्षण कर्ता द्वारा स्किल परीक्षण किया जाता है, और यदि वह अपने कार्य में निपुण नहीं पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में

उसे दक्ष कराने हेतु प्रशिक्षण में नामित किया जाए। इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रभारी चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी का होगा।

- जनपदों द्वारा आवंटित धनराशि कार्यरत संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन की वास्तविक संख्या एवं कार्य अवधि के आधार पर व्यय की जायेगी। सभी संविदा कर्मियों का मानदेय इनके कार्यावधि के आधार पर ही देय होगा तथा वित्त अनुभाग, एन0एच0एच0, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देशों में अंकित व्यवस्था अनुसार भुगतान किया जायेगा।
- जनपद में कार्यरत/नवचयनित संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन के सभी दस्तावेजो के रखरखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी की होगी।
- कार्यरत संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन के सम्बन्ध में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना मातृ स्वास्थ्य अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ को प्रत्येक त्रैमास अवश्य ही उपलब्ध करा दें।

1.14.7 35 नग 100 शैययायुक्त एम0सी0एच0 विंग मे कार्यरत संविदा स्टाफ

अवगत कराना हैं कि प्रदेश में नवनिर्मित 35 नग 100 शैययायुक्त एम0सी0एच0 विंग की क्रियाशीलता किये जाने के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 वित्तीय वर्ष 2021–22 में संविदा स्टाफ की निम्नवत स्वीकृति प्रदान की गयी हैः–

100 शैययायुक्त 35 एम0सी0एच0 विंग मे स्वीकृत संविदा स्टाफ का मानदेय निम्नवत है–

S.N	FMR	Name of Post	Per unit sectioned post	Total 35 unit sectioned post	Salary per month in working Contractual staff (in Rs.)	Salary per month Vacant position (in Rs.)	Increment 05% working Contractual staff	Staturory Complaince (EPF) In Working and vacant position 13.36%
1	8.1.2.1	Gynaecologist	3	105	1,26,000.00	1,20,000.00	**05%**	NA
2	8.1.2.2	Pediatrician	3	105	1,26,000.00	1,20,000.00	**05%**	NA
3	8.1.2.3	Anaesthetics	3	105	1,26,000.00	1,20,000.00	**05%**	NA
4	8.1.2.6	M.O. (Pathologist)	1	35	1,26,000.00	1,20,000.00	**05%**	NA
5	8.1.2.5	M.O. (Radiologist)	1	35	1,36,500.00	1,30,000.00	**05%**	NA
6	8.1.1.2	Nursing Sister	4	140	26,847.00	25,569.00	**05%**	NA
7	8.1.1.2	Neonatology trained Staff Nurse	27	945	19,058.00	18,150.00	**05%**	NA
8	8.1.1.5	Lab. Tech.	6	210	15,165.00	14,443.00	**05%**	**13.36%**
9	8.1.1.6	OT Technician	2	70	16,439.00	15,656.00	**05%**	NA

नोट–धनराशि का भुगतान मानदेय के साथ 05 प्रतिशत वार्षिक वेतनवृद्दि एवं ई0पी0एफ0(लैब टैक्नीशियन हेतु) की धनराशि को सम्मिलित किया गया है।

1. **संविदा प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेशज्ञ**–जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय की महिला विंग के लिए संविदा प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा आउटडोर (ओ0पी0डी), ए0एन0सी0 क्लीनिक, हाई रिस्क एवं सीवियर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं का प्रबन्धन, सामान्य एवं जटिल प्रसवों का उपचार, सिजेरियन प्रसव (Elective/Emergency), प्रसव कक्ष/शल्य कक्ष की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण, भर्ती मरीजों की देखभाल, केसशीट में सभी बिन्दुओ को पूर्णरूप से भरकर केसशीट की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
2. **निश्चेतक विशेषज्ञ**–संविदा निश्चेतक का उत्तरदायित्व होगा कि वे प्रीओपरेटिव एनेस्थेटिक चैकअप करते हुये इलेक्टिव एवं इमरजेन्सी सीजेरियन प्रसव में 24x7 के रूप में सहयोग प्रदान करेंगे।
3. **संविदा बालरोग विशेषज्ञ** द्वारा न्यूबोर्न केयर कार्नर की क्रियाशीलता, एस0एन0सी0यू0 में मानकानुसार सेवायें, चिकित्सालय में जन्मे सभी शिशुओं की 01 घंटे के भीतर वजन एवं Inj. Vit K लगवाने का प्रबन्ध, सभी जन्मे शिशुओं को 01 घंटे के भीतर स्तनपान करवाने हेतु स्टाफ को प्रशिक्षण, जटिल प्रसव एवं सिजेरियन प्रसव के समय उपस्थित रहते हुये सेवायें प्रदान करना, समय समय पर समस्त लेबर रूम स्टाफ की क्षमतावृद्धि हेतु Essential Newborn care/NSK के सम्बन्ध में ओरिएंटेशन करना एवं प्रतिदिन ओ0पी0डी0 सेवायें सुनिश्चित किया जाना है।
4. **संविदा चिकित्साधिकारी–पैथोलॉजिस्टः**–नियमित सेवा से तैनात पैथोलॉजिस्ट की भाँति पैथॉलॉजी से सम्बन्धित सभी कार्यो का सम्पादन किया जायेगा तथा पैथॉलॉजी की सेवायें 24x7 के रूप से प्रदान की जायेगी।

5. **संविदा चिकित्साधिकारी–रेडियोलाजिस्ट**–समस्त प्रकार के एक्स–रे की सेवायें प्रदान करना, अल्ट्रासाउण्ड एवं डॉपर, कलर डॉप्लर, एम0आर0आई0, एवं सी0टी स्केन आदि सभी सेवायें प्रदान करना तथा सभी सेवायें 24x7 के रूप से प्रदान की जायेगी।
6. **संविदा नर्सिंग सिस्टर–** प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक द्वारा एम0सी0एच0 विंग मे कार्यरत नियमित नर्सिंग सिस्टर को इकाई के विभिन्न पटलों (प्रसव कक्ष, एस0एन0सी0यू0, ओ0टी0 अथवा आवश्यकता एवं मानकानुसार) में तैनाती एवं समय–समय रूटीन बेस पर पटलों में परिवर्तन किया जायेगा। कार्यरत संविदा नर्सिंग सिस्टर को मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के अधीन कार्य करना होगा, कार्यरत नियोटोलॉजी प्रशिक्षित संविदा स्टाफ नर्स की ऑन जॉब ट्रेनिग, प्रसव कक्ष का सुदृढ़ीकरण, वार्ड के क्वालिटी पूर्ण संचालन में पूर्ण दायित्व होगा तथा वार्ड, प्रसव कक्ष एवं ओ0टी0 में कार्यरत समस्त स्टाफ के बीच कोऑर्डिनेशन एवं कम्युनिकेशन करना एवं सभी सेवायें 24x7 प्रदान की जायेगी।
7. **संविदा नियोनेटोलॉजी प्रशिक्षित स्टाफ नर्स**–प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक द्वारा एम0सी0एच0 विंग मे कार्यरत नियोनेटोलॉजी प्रशिक्षित संविदा स्टाफ नर्स को इकाई के विभिन्न पटलों (प्रसव कक्ष, एस0एन0सी0यू0, ओ0टी0) में तैनाती की जायेगी एवं समय–समय रूटीन बेस पर पटलों में परिवर्तन (Rotational posting) किया जायेगा। कार्यरत नियोनेटोलॉजी प्रशिक्षित संविदा स्टाफ नर्स को नर्सिग सिस्टर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के अधीन कार्य करना होगा तथा सभी सेवायें 24x7 प्रदान की जायेगी।
8. **संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन–**
    - ओ0टी0 की समुचित व्यवस्था का दायित्व जैसे शल्य चिकित्सा से पहले ओ0टी0 तैयार करना, ओ0टी की साफ–सफाई सुनिश्चित करना, स्ट्रेलाईजेशन, उपकरणों एवं ड्रेसिंग आदि को ऑटोक्लेव करना।
    - ओ0टी0 में प्रयोग होने वाले समस्त उपकरणों की प्रतिदिन परीक्षण कर, क्रियाशीलता सुनिश्चित करना।
    - गर्भवती महिला का सिजेरियन प्रसव के दौरान स्त्री एवं प्रसूतिरोग/सर्जन एवं निश्चेतक विशेशज्ञ चिकित्सक को पूर्ण सहयोग प्रदान करना।
    - क्रेस कार्ड में रखी समस्त दवाओं की एक्सपायरी चेक करना एवं ओ0टी0 में प्रयोग होने वाले गैस सिलेण्डर की नियमित जॉच तथा स्टाक रजिस्ट्रर अपडेट करना।
    - ड्रग एवं कन्जूमेबिलस की उपलब्धता सुनिश्चित कर स्टाक रजिस्टर अपडेट करना।
    - इलेक्टिव सिजेरियन प्रसव हेतु पूर्व से ओ0टी0 बुक करना।
    - ओ0टी0 रजिस्ट्रर में प्रत्येक सिजेरियन प्रसव की विस्तृत विवरण अंकित करना।
    - डिपार्टमेन्टल आडिट एवं रिसर्च में प्रतिभाग करना।
    - संक्रमण रोकथाम हेतु ओ0टी0 काम्पलेक्स में जोन (Protective, Clean, Sterile, Disposal) का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना।

9. **लैब टेक्नीशियन**–लैब से सम्बन्धित समस्त (ब्लड सेम्पल लेना, जॉच करना, रिपोर्ट तैयार करना आदि) सेवायें प्रदान की जायेगी एवं लैब के समस्त उपकरणों का रखरखाव सुनिश्चित करेंगे। इनका डयूटी रोस्टर इस प्रकार तैयार किया जाय कि एम0सी0एच0 विंग में 24X7 पैथोलॉजी सेवायें सुनिश्चित की जा सके।

महत्वपूर्ण दिशा निर्देश

1. सभी एम0सी0एच0विग, जिला महिला चिकित्सालय की तरह 24X7 के रूप में कार्य करेंगे।
2. जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय की प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक 100 बेडेड एम0सी0एच0 विंग की नोडल होगी।
3. एम0सी0एच0 विंग में तैनात समस्त विशेषज्ञ एवं अन्य पैरामेडिकल प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय के अधीनस्थ कार्य सम्पादित करेंगे।
4. पोस्ट ऑपरेटिव केयर हेतु एम0सी0एच0 विंग में तैनात सभी चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्सो (नियमित अथवा संविदा) की सामूहिक जिम्मेदारी होगी एवं वे ड्यूटी रोस्टर के आधार पर इसे सम्पादित करेंगे। इस हेतु प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी एवं नोडल, एम0सी0एच0

विंग, यथासम्भव सहयोग देते हुए आवश्यक संसाधन की उपलब्धता एवं समन्वय सुनिश्चित करायेंगे।

5. उपरोक्त सभी मानव संसाधन का चयन मात्र नवनिर्मित 100 बेडेड एम0सी0एच0 विंग को क्रियाशील करने हेतु की गयी है।
6. समस्त विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा नियमित प्रतिदिन एम0सी0एच0 विंग में ओ0पी0डी0 की जायेगी।
7. सभी जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता प्रत्येक माह एम0सी0एच0विंग की प्रगति रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/ अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर0सी0एच0 के सहयोग से तैयार कर मण्डलीय कार्यालय को तथा gmmhup2019@gmail.com पर ससमय प्रेषित करें।
8. समस्त तैनाती मानव संसाधन अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा की जायेगी।
9. सभी संविदा स्टाफ द्वारा अपनी सेवायें 24x7 के रूप प्रदान की जायेगी। सभी संविदा स्टाफ को मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के अधीन/निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा।
10. समस्त चिकित्सकों द्वारा नियमित प्रतिदिन एम0सी0एच0 विंग में ओ0पी0डी0 की जायेगी।
11. क्रियाशील 100 बेडेड एम0सी0एच0 विंग में कार्यरत संविदा स्टाफ को अन्य किसी चिकित्सा इकाई में किसी भी परिस्थिति में स्थानान्तिरित अथवा सम्बद्व नहीं किया जायेगा।
12. सभी संविदा स्टाफ द्वारा अपनी सेवायें 24x7 के रूप प्रदान की जायेगी।
13. समस्त अभिलेखों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर संकलित किया जाये।
14. अपने जनपद में सभी स्वीकृत संविदा पदों पर कर्मियों की औचित्यपूर्ण तैनाती का पूर्ण उत्तरदायित्व जिला स्वास्थ्य समिति एवं मुख्य चिकित्साधिकारी का ही है।
15. जनपदों द्वारा यह धनराशि 100 बेडेड एम0सी0एच0 विंग में कार्यरत मानव संसाधन की वास्तविक संख्या एवं कार्य अवधि के आधार पर व्यय की जायेगी। संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार सभी संविदा कर्मियों का मानदेय इनके कार्यावधि के आधार पर ही दे होगा तथा वित्त अनुभाग, एन0एच0एच0, उ0प्र0 द्वारा प्रेशित दिशा–निर्देशों में अंकित व्यवस्था अनुसार भुगतान किया जायेगा।
16. भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर0ओ0पी0 वर्ष 2021–22 में 100 बेडेड एम0सी0एच0 विंग में पूर्व वर्ष से कार्यरत मानव संसाधन के लिये 05 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि, धनराशि स्वीकृत की गयी है। जिसका भुगतान मानव संसाधन अनुभाग, एन0एच0एम0, उ0प्र0 के नियमानुसार किया जायेगा।

नोट : मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत समस्त संविदा मानव संसाधन हेतु उक्त के अतिरिक्त निम्नवत दिशा–निर्देश लागू होंगे –

1 यदि कोई संविदा स्टाफ बिना किसी सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जाय।

2 संविदा स्टाफ अपने विनियमितिकरण एवं स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेगें।

3 संविदा स्टाफ कालावधि के लिए किन्हीं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होगें।

4 संविदा स्टाफ को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मानव संसाधन अनुभाग, एन0एच0एम0, उ0प्र0 के अनुसार अवकाश देय होगें।

5 संविदा पर कार्यरत कर्मी की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर 1 माह का नोटिस अथवा 1 माह का समतुल्य मानदेय देकर समाप्त की जा सकेंगी।

6 उक्त के साथ–साथ संविदा स्टाफ हेतु समस्त नियम मानव संसाधन अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा समय–समय पर प्रेशित दिशा–निर्देश भी अनुमन्य होंगे।

2. बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

2.1 सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गंभीर नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के चयनित मेडिकल कालेजों के बाल रोग विभाग एवं जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयो में सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयां चरणबद्ध रूप से क्रियाशील की गई हैं अथवा क्रियाशील की जा रही हैं। पूर्व में प्रेषित सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों के संचालन हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट, एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट एवं संविदा/आउट सोर्सिंग मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे। तद्नुसार कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

2.1.1 ऑपरेशनल कॉस्ट– FMR Code-1.3.1.1

जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों/मेडिकल कॉलेजों में क्रियाशील/क्रियाशील किये जा रहे सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों के लिये ऑपरेशनल कॉस्ट की 60 प्रतिशत धनराशि औषधियों, कन्जूमेबिल्स, डायपर, शिशु मिल्क पाउडर (न्यूट्रीशनल सप्लीमेन्ट के रूप में उपयोग किये जाने हेतु Govt. of India FBNC Operational Guidelines के अनुसार) कंगारू मदर केयर (KMC) इकाई हेतु आवश्यक सामग्री आदि तथा 40 प्रतिशत धनराशि से ए0एम0सी0 एवं उपकरणों के अनुरक्षण एवं इकाई को क्रियाशील बनाये रखने हेतु छोटे–मोटे उपकरण के क्रय एवं अन्य आवश्यक सामग्री एस0एन0सी0यू0 इन्चार्ज की आवश्यकतानुसार क्रय किये जायें। जिन उपकरणों के अनुरक्षण एवं रखरखाव का कार्य बायो मेडिकल इक्युपमेन्ट मेन्टीनेन्स के अन्तर्गत सेवा प्रदाता द्वारा किया जा रहा है, उनका रखरखाव उपरोक्त सेवा प्रदाता के माध्यम से ही किया जाये। प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/मेडिकल कालेजों के विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग द्वारा बिना एस0एन0सी0यू0 इन्चार्ज के लिखित परामर्श से धनराशि का उपयोग न किया जाये। ऑपरेशनल कॉस्ट हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

2.1.2 एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट–

- Printing of SNCU Case Record & Monitoring Sheet/treatment and Discharge Card - FMR Code 12.2.10- Mother and newborn Care unit (MNCU) के अन्तर्गत Sick Newborn care Unit /KMC Lounge/Step down वार्ड में भर्ती नवजात शिशुओं हेतु केस रिकार्ड शीट, मानीटरिंग डिस्चार्ज कार्ड आदि के लिए क्रियाशील/क्रियाशील की जा रही इकाईयों हेतु प्रति इकाई के अनुसार रू0 1.00 लाख की धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।
- Stationary, Printer Cartridge, Paper Rim, Internet, Mobile Recharge Monthly Expenses etc.- FMR Code 16.1.4.3.1- क्रियाशील/क्रियाशील की जा रही इकाईयों हेतु रू0 60,000.00 प्रति इकाई के अनुसार धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।(कम्प्यूटर सम्बन्धी स्टेशनरी, प्रिन्टर कार्टेज, पेपर रिम, इन्टरनेट एवं मोबाइल आदि)

2.1.3 एस0एन0सी0यू0 में भर्ती नवजात शिशुओं को निःशुल्क जांच की सुविधा–FMR Code-6.1.3.2

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के अन्तर्गत जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेजों में संचालित एस0एन0सी0यू0 में भर्ती एवं डिस्चार्ज हो चुके नवजात शिशुओं को फॉलोअप के समय 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो जांचें चिकित्सालय में उचित इलाज प्रदान करने हेतु नहीं हो पा रहीं है, वे जांचे अन्य चिकित्सालयों/संस्थानों से कराने हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

2.1.4 एस0एन0सी0यू0 में संविदा एवं बिडिंग बाल रोग विशेषज्ञ– FMR Code-8.1.9.1

जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों में संचालित एस0एन0सी0यू0 इकाईयों के लिये प्रति इकाई 03 बालरोग विशेषज्ञों–एम0डी0–पीडियाट्रिक्स/डी0सी0एच0 के लिए मानदेय हेतु नीचे दी गयी तालिकानुसार धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

क्र0सं0	बालरोग विषेशज्ञ	संख्या	माह	दर (रू0)
1	एस0एन0सी0यू0 में डी0एच0एस0 के माध्यम चयनित पूर्व से कार्यरत बालरोग विषेशज्ञ का मानदेय	34	12	120000
2	एस0एन0सी0यू0 में पूर्व से कार्यरत बालरोग विषेशज्ञ का मानदेय	14	12	120000
3	एस0एन0सी0यू0 कें रिक्त पदों के बालरोग विषेशज्ञ का मानदेय	9	6	120000

4	एस0एन0सी0यू0 में बिडिगं मॉडल के माध्यम से चयनित पूर्व से कार्यरत बालरोग विषेशज्ञ	13	12	150000
5	एस0एन0सी0यू0 कें रिक्त पदों के बालरोग विषेशज्ञ का मानदेय	17	6	150000
6	एस0एन0सी0यू0 में बिडिगं मॉडल के माध्यम से चयनित पूर्व से कार्यरत बालरोग विषेशज्ञ	35	12	200000
7	एस0एन0सी0यू0 कें रिक्त पदों के बालरोग विषेशज्ञ का मानदेय	38	6	200000
8	एस0एन0सी0यू0 में बिडिगं मॉडल के माध्यम से चयनित पूर्व से कार्यरत बालरोग विषेशज्ञ	30	12	250000
9	एस0एन0सी0यू0 कें रिक्त पदों के बालरोग विषेशज्ञ का मानदेय	38	6	250000

2.1.5 एस0एन0सी0यू0 / के0एम0सी0 में संविदा स्टाफ नर्स का मानदेय– FMR Code-8.1.9.3

चयनित मेडिकल कालेजों के बालरोग विभाग एवं जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालय में संचालित एस0एन0सी0यू0 / के0एम0सी0 के संचालन हेतु संविदा स्टाफ नर्स के मानदेय हेतु निम्न विवरण के अनुसार सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही हैः–

क्र0सं0	बालरोग विषेशज्ञ	संख्या	माह	दर (रू0)
1	एस0एन0सी0यू0 में पूर्व से कार्यरत स्टाफ नर्स का मानदेय	122	12	31521
2	एस0एन0सी0यू0 में पूर्व से कार्यरत स्टाफ नर्स का मानदेय	432	12	30020
3	एस0एन0सी0यू0 में पूर्व से कार्यरत स्टाफ नर्स का मानदेय	202	12	21525
4	एस0एन0सी0यू0 में नवीन / रिक्त पदों स्टाफ नर्स का मानदेय	510	9	20500

- **संविदा स्टाफ नर्स (वार्षिक मानदेय वृद्धि)–FMR Code-8.1.9.3-** एस0एन0सी0यू0 / के0एम0सी0 पर पूर्व से कार्यरत 756 संविदा स्टाफ नर्सो को नियमानुसार एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण हो जाने पर 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि (पुनरीक्षित दर के अनुसार) माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक के लिए धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।
- **संविदा स्टाफ नर्स (लॉयल्टी बोनस)– FMR Code-8.1.9.3-** एस0एन0सी0यू0 / के0एम0सी0 पर कार्यरत 202 संविदा स्टाफ नर्सों को 3–5 वर्ष के मध्य की सेवा प्रदान करने पर 10 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस के अनुसार धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

2.1.6– डाटा इन्ट्री आपरेटर का मानदेय– FMR Code-8.1.9.6

- एस0एन0सी0यू0 में प्रति इकाई 01 डेटा एन्ट्री ऑपरेटर के अनुसार, पूर्व से कार्यरत (डी0एच0एस0 के माध्यम से चयनित) 26 डाटा इन्ट्री आपरेटर के लिये, प्रति रू0 16,750.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय तथा भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत 56 डाटा इन्ट्री आपरेटर के लिये, प्रति डाटा इन्ट्री आपरेटर को रू0 13,230.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय एवं 4 डाटा इन्ट्री आपरेटर के लिये, प्रति डाटा इन्ट्री आपरेटर को रू0 12000.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।
- **डाटा इन्ट्री आपरेटर के लिये वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं ई0पी0एफ0– FMR Code-8.1.9.6** पर एस0एन0सी0यू0 में पूर्व से कार्यरत जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से चयनित डाटा इन्ट्री आपरेटर को नियमानुसार एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण हो जाने पर 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि (पुनरीक्षित दर के अनुसार) माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक के लिए धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।
- एस0एन0सी0यू0 में पूर्व से कार्यरत जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से चयनित डाटा इन्ट्री आपरेटर को ई0पी0एफ0 (रू0 15,000 के मानदेय पर ही देय है, इसके ऊपर के मानदेय पर देय नही होगा) माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक के लिए धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।
- एस0एन0सी0यू0 में आउट सोर्सिंग के माध्यम से चयनित डाटा इन्ट्री आपरेटर को नियमानुसार एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण हो जाने पर 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि (पुनरीक्षित दर के अनुसार) एवं ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं जी0एस0टी0 / सर्विस टैक्स तथा डी0एच0एस0 के माध्यम

से कार्यरत 26 डेटा एण्ट्री ऑपरेटर को 5 वर्ष की सेवा प्रदान करने पर 5 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस, माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक के लिए धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

2.1.7 वार्ड आया/सिक्योरटी गार्ड/सफाई कर्मी आउट सोर्सिंग के माध्यम से FMR Code-8.1.9.6

- एस0एन0सी0यू0 इकाईयों के लिये (भारत सरकार द्वारा दिशा–निर्देशों के क्रम में आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखे गये) प्रति इकाई 3 वॉर्ड आया, 3 सिक्योरिटी गार्ड एवं 3 सफाई कर्मी के अनुसार प्रति वार्ड आया/सिक्योरटी गार्ड/सफाई कर्मी के लिये रू0 9,500.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।
- वार्ड आया/सिक्योरटी गार्ड/सफाई कर्मी आउट सोर्सिंग के माध्यम से – वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं जी0एस0टी0/सर्विस टैक्स - एस0एन0सी0यू0 में आउट सोर्सिंग के माध्यम से चयनित वॉर्ड आया, सिक्योरिटी गार्ड एवं सफाई कर्मी को नियमानुसार एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण हो जाने पर 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि (पुनरीक्षित दर के अनुसार) एवं ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं जी0एस0टी0/सर्विस टैक्स के भुगतान हेतु माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक के लिए धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

2.1.8 नवीन 07 एस0एन0सी0यू0 की स्थापना

- **FMR Code-5.1.1.1.7** पर 07 नवीन एस0एन0सी0यू0 की स्थापना किये जाने के लिए छोटी–मोटी मरम्मत हेतु New SNCU Repair & Renovation Cost प्रति इकाई रू0 4.00 लाख की दर से एवं New SNCU One time Establishment Cost हेतु प्रति इकाई रू0 12.00 लाख की दर से धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।
- **FMR Code-(B-5) 6.1.1.2** पर 01 नवीन एस0एन0सी0यू0 के उपकरणों का जनपद स्तर पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्पेशिफिकेशन (Specification) के अनुसार "Gem Portal" के माध्यम से क्रय करने हेतु प्रति इकाई रू0 25.00 लाख की दर से धनराशि निम्न विवरण के अनुसार सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

FMR Code-				5.1.1.1.7		(B-5) 6.1.1.2
S. N.	**District**	**S. N.**	**Name of SNCU**	**New SNCU Repair & Renovation Cost (Rs. In Lakh)**	**New SNCU One time Establishment Cost (Rs. In Lakh)**	**New SNCUs Procurement of Equipment (Rs. In Lakh)**
1	Aligarh	1	DCH Aligarh	4.00	12.00	25.00
2	Bahraich	2	MC Bahraich	4.00	12.00	
3	Ayodhya	3	MC Ayodhya	4.00	12.00	
4	Basti	4	MC basti	4.00	12.00	
5	Banda	5	MC banda	4.00	12.00	
6	Azamgarh	6	MC Azamgarh	4.00	12.00	
7	Budaun	7	MC Budaun	4.00	12.00	

2.1.9 Two Old SNCU Repair & Renovation Cost

- FMR Code-5.1.1.1.7 पर 02 पुरानी एस0एन0सी0यू0 इकाईयों के उपकरणों हेतु छोटी–मोटी मरम्मत के लिए New SNCU Repair & Renovation Cost प्रति इकाई रू0 4.00 लाख की दर से धनराशि निम्न विवरण के अनुसार सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है:–

FMR Code-				5.1.1.1.7
S. N.	District	S. N.	Name of SNCU	New SNCU Repair & Renovation Cost (Rs. In Lakh)
1	Kasganj	1	DCH Kasganj	4.00
2	Bhadohi	2	DWH Bhadohi	**4.00**

2.1.10 पूर्व से क्रियाशील 05 एस0एन0सी0यू0 के उपकरणों FMR Code-(B-5) 6.1.1.2

- जनपदों व जिला महिला चिकित्सालयों में पूर्व से क्रियाशील 05 एस0एन0सी0यू0 के उपकरणों का क्रय जनपद स्तर पर पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन (Specification) के अनुसार

"Gem Portal" से क्रय किये जाने हेतु (सहारनपुर एवं फर्रूखाबाद) धनराशि सम्बन्धित जनपदों को निम्न विवरण के अनुसार आवंटित की जा रही है।

15 Old SNCU Equipments for ROP 2020-21					FMR Code-6.1.1.2.4
S.N.	Name of District	S.N.	Name of SNCU Unit	Number of Equipment	Fund Allocation To DHS(in Lakh)
1	Saharanpur	1	DWH Saharanpur	20	9.29
2	Budaun	2	DWH Budaun	28	19.50
3	Varanasi	3	DWH Varanasi	29	13.66
4	Bahraich	4	DWH Bahraich	24	11.33
5	kasganj	5	DWH Kasganj		17.00

2.2 न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन इकाई (NBSU)

2.2.1 ऑपरेशनल कॉस्ट FMR Code-1.3.1.2

जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 240 एन0बी0एस0यू0 इकाईयों के लिये ऑपरेशनल कॉस्ट मद में प्रति इकाई रू0 5,000.00 प्रति माह की दर से 12 माह के लिये रू0 60,000.00 की धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 113 एन0बी0एस0यू0 इकाईयों के लिये ऑपरेशनल कॉस्ट मद में प्रति इकाई रू0 5,000.00 प्रति माह की दर से 6 माह के लिये रू0 30,000.00 की धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

2.2.2 एन0बी0एस0यू0 संविदा स्टाफ नर्स–FMRCode-8.1.9.3 पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एन0बी0एस0यू0 इकाईयों के लिये निम्न विवरण के अनुसार सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है:–

क्र0सं0	स्टाफ नर्स	संख्या	माह	दर
1	एन0बी0एस0यू0 में पूर्व से कार्यरत स्टाफ नर्स का मानदेय	402	12	24164
2	एन0बी0एस0यू0 में कार्यरत एवं रिक्त स्टाफ नर्स का मानदेय	657	9	20500

- **संविदा स्टाफ नर्स (5 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि) FMR Code-8.1.9.3 पर संविदा स्टाफ नर्स (5 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि)** जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संचालित एन0बी0एस0यू0 इकाईयों में पूर्व से कार्यरत 402 स्टाफ नर्सों को नियमानुसार एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण हो जाने पर 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि (पुनरीक्षित दर के अनुसार) 12 माह के लिये (अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक) धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

2.2.3 नवीन न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन इकाई की स्थापना हेतु उपकरण FMR Code-6.1.1.2

न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन इकाई (NBSU) की प्रदेश के 24 जनपदों में 43 नवीन एन0बी0एस0यू0 की स्थापना कर क्रियाशील किये जाने हेतु प्रति इकाई 04 रेडिएण्ट वार्मर एवं 02 फोटोथैरपी यूनिट के अनुसार उपकरणों का जनपद स्तर पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्पेशिफिकेशन (Specification) के अनुसार "Gem Portal" के माध्यम से क्रय करने हेतु प्रति रेडिएण्ट वार्मर हेतु रू0 60,000.00 की दर से एवं प्रति फोटोथैरपी यूनिट रू0 65,000.00 की दर से जनपद–(आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, बागपत, भदोही, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, जी0बी0 नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, जालौन, जौनपुर, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखनऊ, मथुरा, मऊ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, सहारनपुर, सुल्तानपुर एवं वाराणसी) धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है।

FMR Code	नवीन एन0बी0एस0यू0 इकाईयों की संख्या	उपकरणों का नाम	प्रति एन0बी0एस0यू0 इकाई हेतु उपकरणों की संख्या	कुल उपकरणों की संख्या	यूनिट रेट
6.1.1.2	43	रेडिएण्ट वार्मर	4	172	60000
		फोटोथैरेपी यूनिट	2	86	650000

2.2.4 पूर्व से स्थापित न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन इकाई हेतु उपकरण FMR Code-6.1.1.2

पूर्व से स्थापित न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन इकाई (NBSU) की प्रदेश के 9 जनपदों में 27 एन0बी0एस0यू0 इकाई हेतु रेडिएण्ट वार्मर एवं फोटोथैरपी यूनिट उपकरणों का जनपद स्तर पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्पेशिफिकेशन (Specification) के अनुसार "Gem Portal" के माध्यम से क्रय करने हेतु प्रति रेडिएण्ट वार्मर के लिए रू0 60,000.00 की दर से एवं प्रति फोटोथैरपी यूनिट रू0 65,000.00 की दर से जनपद–(अयोध्या, कन्नौज, महाराजगंज, संतकबीरनगर, चित्रकूट, मिर्जापुर, श्रावस्ती बहराइच लखीमपुर खीरी) धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है।

FMR Code	एन0बी0एस0यू0 इकाईयों की संख्या	उपकरणों का नाम	कुल उपकरणों की संख्या	यूनिट रेट
6.1.1.2	27	रेडिएण्ट वार्मर	77	60,000
		फोटोथैरेपी यूनिट	34	6,50.000

2.3 पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRCs)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गम्भीर रूप से कुपोषित बच्चों के उपचार के उद्देश्य से प्रदेश के चयनित जनपदों के जिला पुरूष/संयुक्त चिकित्सालयों/सी0एच0सी0/मेडिकल कालेजों में पोषण पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना कर क्रियाशील की गयी हैं। पूर्व में प्रेषित पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) में सीवियर अक्यूट मालन्यूट्रीशन (SAM) से प्रभावित कुपोषित बच्चों की पहचान व भर्ती के मानकों के साथ संचालन हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट, आशा प्रतिपूर्ति राशि एवं संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं। तद्नुसार इकाईयों का संचालन किया जाना है।

2.3.1 ऑपरेशनल कॉस्ट– FMR Code-1.3.1.4

जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेजों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रियाशील/क्रियाशील किये जा रहे पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) के संचालन हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट मद में धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

2.3.2 संविदा चिकित्साधिकारी का मानदेय– FMR Code-8.1.8.1

जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0, में संचालित एन0आर0सी0 में कार्यरत प्रति इकाई 01 चिकित्सा अधिकारी के अनुसार मानदेय हेतु धनराशि निम्न विवरण के अनुसार सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है:–

क्र0सं0	मेडिकल आफीसर	संख्या	माह	दर
1	एन0आर0सी0 में पूर्व से मेडिकल आफीसर का मानदेय	2	12	72765
2	एन0आर0सी0 में पूर्व से मेडिकल आफीसर का मानदेय	14	12	69300
3	एन0आर0सी0 में पूर्व से मेडिकल आफीसर का मानदेय	21	12	60000
4	एन0आर0सी0 में नवीन मेडिकल आफीसर का मानदेय	5	12	60000
5	एन0आर0सी0 में रिक्त पद हेतु मेडिकल आफीसर का मानदेय	36	6	60000

- **संविदा चिकित्साधिकारी वार्षिक मानदेय वृद्धि FMR Code-8.1.8.1-** एन0आर0सी0 में कार्यरत प्रति इकाई 01 चिकित्सा के अधिकारी के अनुसार संविदा चिकित्सा अधिकारी को नियमानुसार एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण हो जाने पर 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि (पुनरीक्षित दर के अनुसार) माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक के लिए धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

2.3.3 संविदा स्टाफ नर्स का मानदेय FMR Code-8.1.8.2

- एन0आर0सी0 के संचालन के लिये स्टाफ नर्सो के मानदेय हेतु धनराशि निम्न विवरण के अनुसार सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

क्र0सं0	स्टाफ नर्स	संख्या	माह	दर
1	एन0आर0सी0 में पूर्व से कार्यरत स्टाफ नर्स का मानदेय	53	12	33097
2	एन0आर0सी0 में पूर्व से कार्यरत स्टाफ नर्स का मानदेय	53	12	31521
3	एन0आर0सी0 में पूर्व से कार्यरत स्टाफ नर्स का मानदेय	96	12	30021

क्र0सं0	स्टाफ नर्स	संख्या	माह	दर
4	एन0आर0सी0 में पूर्व से कार्यरत स्टाफ नर्स का मानदेय	37	12	27291
5	एन0आर0सी0 में पूर्व से कार्यरत स्टाफ नर्स का मानदेय	16	12	25991
6	एन0आर0सी0 में पूर्व से कार्यरत स्टाफ नर्स का मानदेय	4	12	22601
7	एन0आर0सी0 में रिक्त स्टाफ नर्स का मानदेय	67	9	20500

- **संविदा स्टाफ नर्स** के **वार्षिक मानदेय वृद्धि FMR Code-8.1.8.2-** एन0आर0सी0 में पूर्व से कार्यरत 259 संविदा स्टाफ नर्सो को नियमानुसार एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण हो जाने पर 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि (पुनरीक्षित दर के अनुसार) माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक के लिये धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।
- **संविदा स्टाफ नर्स** के **लॉयल्टी बोनस FMR Code-8.1.8.2-** एन0आर0सी0 में पूर्व से कार्यरत संविदा स्टाफ नर्सों को 3–5 वर्ष के मध्य सेवा प्रदान करने पर 10 प्रतिशत एवं 5 वर्ष या अधिक की सेवा प्रदान करने पर 05 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस का भुगतान करने हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

2.3.4 संविदा फीडिंग डिमॉन्स्ट्रेटर/न्यूट्रिशनिस्ट का मानदेय FMR Code-8.1.8.5

एन0आर0सी0 के संचालन के लिये पूर्व से कार्यरत एवं नवीन फीडिंग डिमॉन्स्ट्रेटर/न्यूट्रीशनिस्ट के मानदेय हेतु धनराशि निम्न विवरण के अनुसार सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही हैः–

क्र0सं0	फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रीशनिस्ट	संख्या	माह	दर (रु0 में)
1	एन0आर0सी0 में पूर्व से कार्यरत फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रीशनिस्ट का मानदेय	5	12	30838
2	एन0आर0सी0 में पूर्व से कार्यरत फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रीशनिस्ट का मानदेय	1	12	29370
3	एन0आर0सी0 में पूर्व से कार्यरत फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रीशनिस्ट का मानदेय	7	12	27971
4	एन0आर0सी0 में पूर्व से कार्यरत फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रीशनिस्ट का मानदेय	4	12	26640
5	एन0आर0सी0 में पूर्व से कार्यरत फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रीशनिस्ट का मानदेय	16	12	25371
6	एन0आर0सी0 में पूर्व से कार्यरत फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रीशनिस्ट का मानदेय	23	12	24163
7	एन0आर0सी0 में पूर्व से कार्यरत फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रीशनिस्ट का मानदेय	9	12	21966
8	एन0आर0सी0 में पूर्व से कार्यरत फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रीशनिस्ट का मानदेय	1	12	20920
9	एन0आर0सी0 में पूर्व से कार्यरत फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रीशनिस्ट का मानदेय	2	12	17325
10	एन0आर0सी0 में रिक्त एवं कार्यरत फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रीशनिस्ट का मानदेय	11	6	16500

- **संविदा फीडिंग डिमॉन्स्ट्रेटर/न्यूट्रिशनिस्ट (वार्षिक वृद्धि) FMR Code-8.1.8.5-** एन0आर0सी0 में पूर्व से कार्यरत 68 फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रिशनिस्ट को नियमानुसार एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण हो जाने पर 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि (पुनरीक्षित दर के अनुसार) माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक के लिये धनराशि निम्न विवरण के अनुसार सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।
- **संविदा फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रिशनिस्ट (लॉयल्टी बोनस) FMR Code-8.1.8.5-** एन0आर0सी0 में पूर्व से कार्यरत फीडिंग डिमॉन्स्ट्रेटर/न्यूट्रिशनिस्ट को पॉच वर्ष या अधिक की सेवा प्रदान करने पर 5

प्रतिशत लॉयल्टी बोनस के अनुसार धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

2.3.5 कुक कम केयर टेकर का मानदेय–FMR Code- 8.1.8.3

एन0आर0सी0 के लिये कुक कम केयर टेकर के मानदेय हेतु प्रति इकाई 02 कुक कम केयर टेकर के अनुसार धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

क्र0सं0	कुक कम केयर टेकर	संख्या	माह	दर (रू0 में)
1	एन0आर0सी0 में डी0एच0एस0 के माध्यम से चयनित पूर्व से कार्यरत कुक कम केयर टेकर का मानदेय	138	12	10500
4	एन0आर0सी0 में कुक कम केयर टेकर का मानदेय (आउट सोर्सिंग के माध्यम से)	28	12	9500

- **कुक कम केयर टेकर (डी0एच0एस0 के माध्यम से) की वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं ई0पी0एफ0 हेतु FMR Code- 8.1.8.3** पर एन0आर0सी0 में पूर्व से कार्यरत जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से चयनित कुक कम केयर टेकर को नियमानुसार एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण हो जाने पर 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि (पुनरीक्षित दर के अनुसार) माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक के लिए सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।
- एन0आर0सी0 में पूर्व से कार्यरत जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से चयनित कुक कम केयर टेकर को ई0पी0एफ0 हेतु माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक के लिए धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।
- **कुक कम केयर टेकर आउट सोर्सिंग के माध्यम से–(वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं जी0एस0टी0/सर्विस टैक्स FMR Code- 8.1.8.3**- एन0आर0सी0 में आउट सोर्सिंग के माध्यम से चयनित कुक कम केयर टेकर को नियमानुसार एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण हो जाने पर 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि (पुनरीक्षित दर के अनुसार) एवं ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं जी0एस0टी0/सर्विस टैक्स के भुगतान हेतु माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक के लिए धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

2.3.6 सफाई कर्मी का मानदेय (आउट सोर्सिंग के माध्यम से)–FMR Code-8.1.16.7

- एन0आर0सी0 में प्रति इकाई 01 सफाई कर्मी (आउट सोर्सिंग) के अनुसार मानदेय हेतु रू0 8,500.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

क्र0सं0	सफाई कर्मी	संख्या	माह	दर (रू0 में)
1	एन0आर0सी0 में आउट सोर्सिंग के माध्यम से चयनित पूर्व से सफाई कर्मी का मानदेय	79	12	9500
4	एन0आर0सी0 में आउट सोर्सिंग के माध्यम से चयनित सफाई कर्मी का मानदेय	4	12	8758

- **सफाई कर्मी आउट सोर्सिंग के माध्यम से – (वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं जी0एस0टी0/सर्विस टैक्स FMR Code-8.1.16.7** -एन0आर0सी0 में आउट सोर्सिंग के माध्यम से चयनित सफाई कर्मी को नियमानुसार एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण हो जाने पर 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि (पुनरीक्षित दर के अनुसार) एवं ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं जी0एस0टी0/सर्विस टैक्स के भुगतान हेतु माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक के लिए धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

2.3.7 आशा/आगनवाड़ी (सन्दर्भन एवं फालोअप) को प्रतिपूर्ति राशि– FMR Code- 3.1.1.1.2 B4

- एन0आर0सी0 में गम्भीर रूप से कुपोषित (Severe Acute Malnutrition-SAM) बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर संदर्भित करने हेतु आशा/आंगनवाडी को प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करने हेतु रू0 50.00 प्रति

बच्चे तथा 4 फॉलोअप कराने हेतु रू0 100.00, इस प्रकार प्रति बच्चे कुल रू0 150.00 की धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

2.3.8 नवीन 01 एन0आर0सी0 की स्थापना FMR Code-5.2.1.10

- **FMR Code-5.2.1.10** पर शामली में नवीन एन0आर0सी0 की स्थापना हेतु प्रति इकाई रू0 2.00 लाख की दर से धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति, शामली को आवंटित की जा रही है।

2.4 PICU के संविदा मानव संसाधन के मानदेय

2.4.1 संविदा बालरोग विशेषज्ञ का मानदेय–FMR Code 8.1.9.1

- संविदा बालरोग विशेषज्ञों के मानदेय हेतु प्रति बालरोग विशेषज्ञ को रू0 1,20,000.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिये धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति–लखनऊ को आवंटित की जा रही है।

2.4.2 संविदा चिकित्सा अधिकारी का मानदेय–FMR Code 8.1.9.2

- संविदा चिकित्सा अधिकारी के मानदेय हेतु प्रति चिकित्साधिकारी को रू0 63,000.00 प्रति माह की दर से 12 माह के लिये धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति–लखनऊ को आवंटित की जा रही है।
- **संविदा चिकित्साधिकारी (वार्षिक मानदेय वृद्धि) FMR Code 8.1.9.2** पर पीकू में कार्यरत 03 संविदा चिकित्सा अधिकारी को नियमानुसार एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण हो जाने पर 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि (पुनरीक्षित दर के अनुसार) माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक के लिए धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति–लखनऊ को आवंटित की जा रही है।

2.4.3 संविदा स्टाफ नर्स का मानदेय–FMR Code 8.1.9.3

- संविदा स्टाफ नर्स के मानदेय हेतु प्रति स्टाफ नर्स को रू0 26,642.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिये धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति लखनऊ को आवंटित की जा रही है।
- **PICU संविदा स्टाफ नर्स हेतु (वार्षिक वृद्धि)–FMR Code 8.1.9.3** पर संविदा स्टाफ नर्सों को एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर अप्रैल 2021 से मार्च 2022 हेतु 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि हेतु धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति लखनऊ को आवंटित की जा रही है।

2.4.4 वॉर्ड आया का मानदेय (आउट सोर्सिंग के माध्यम)–FMR Code -8.1.9.6

- वॉर्ड आया के मानदेय हेतु प्रति वार्ड आया को रू0 9,500.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिये धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति–लखनऊ को आवंटित की जा रही है।
- **वॉर्ड आया आउट सोर्सिंग के माध्यम से–(की वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं जी0एस0टी0/सर्विस टैक्स FMR Code-8.1.9.6 -** आउट सोर्सिंग के माध्यम से चयनित वॉर्ड आया को नियमानुसार एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण हो जाने पर 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि (पुनरीक्षित दर के अनुसार) एवं ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं जी0एस0टी0/सर्विस टैक्स के भुगतान हेतु माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक के लिए धनराशि सम्बन्धित जनपदों को आवंटित की जा रही है।

2.5 Comprehensive Lactation Management Center (CLMC) एवं Lactation Management Unit (LMU)

2.5.1 आपरेशनल कास्ट

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के बालरोग विभाग में Comprehensive Lactation Management Center (CLMC) की ऑपरेशनल कॉस्ट हेतु FMR Code- 1.3.1.15 में रू0 2.49 लाख तथा क्वीन मेरी चिकित्सालय में Lactation Management Unit (LMU) की ऑपरेशनल कॉस्ट मद में रू0 1.05 लाख की धनराशि, इस प्रकार कुल रू0 3.54 लाख की धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति–लखनऊ को आवंटित की जा रही है।

2.5.2 CLMC तथा LMU के मानव संसाधन का मानदेय - FMR Code-8.1.9.4

- किंग जॉर्ज मेडिकल युनिवर्सिटी, लखनऊ के बालरोग विभाग में स्थापित CLMC के मानव संसाधन के मानदेय हेतु CLMC Manager को रू0 36,750.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति–लखनऊ को आवंटित की जा रही है।

- किंग जॉर्ज मेडिकल युनिवर्सिटी लखनऊ के बालरोग विभाग में स्थापित CLMC Technician को रू0 15,750.00 प्रतिमाह की दर से तथा ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, एजेन्सी सर्विस चार्ज एवं जी0एस0टी0 के भुगतान हेतु धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति–लखनऊ को आवंटित की जा रही है।
- किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी–लखनऊ के बालरोग विभाग में स्थापित CLMC Hygeine Helper को रू0 10,500.00 प्रतिमाह की दर से तथा ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 के भुगतान हेतु धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति– लखनऊ को आवंटित की जा रही है।
- क्वीनमेरी चिकित्सालय में स्थापित LMU में आउट सोर्सिंग के माध्यम से चयनित Lactation Counselor (support staff) को रू0 15,700.00 प्रतिमाह की दर से तथा ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, एजेन्सी सर्विस चार्ज एवं जी0एस0टी0 के भुगतान हेतु धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति–लखनऊ को आवंटित की जा रही है।

2.6 स्टेट रिसोर्स सेन्टर (SRC)

2.6.1 मानव संसाधन का मानदेय– FMR Code-8.1.9.4

- आई0एम0एस0–बी0एच0यू0 वाराणसी के बालरोग विभाग, में स्थापित स्टेट रिसोर्स सेन्टर, (SRC) के संचालन हेतु संविदा Training Coordinator (MD/DCH, Peadiatrician) के मानदेय हेतु रू0 1,00,000.00 प्रतिमाह की दर से 09 माह के मानदेय तथा Nursing Coordinator को रू0 42,000.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय एवं Administrative cum Data assistant को रू0 26,250.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति–वाराणसी को आवंटित की जा रही है।
- संविदा Nursing Coordinator एवं Administrative cum Data assistant को 5 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि प्रदान किये जाने हेतु नियमानुसार एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण हो जाने पर 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि (पुनरीक्षित दर के अनुसार) की 12 माह के लिये धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति वाराणसी को आवंटित की जा रही है।
- किंग जॉर्ज मेडिकल युनिवर्सिटी लखनऊ, में स्थापित स्टेट रिसोर्स सेन्टर, (SRC) के संचालन हेतु संविदा Training Coordinator (MD/DCH,Peadiatrician) के मानदेय हेतु रू0 1,00,000.00 प्रतिमाह की दर से 09 माह के मानदेय तथा Nursing Coordinator को रू0 40,000.00 प्रतिमाह की दर से 09 माह के मानदेय एवं Administrative cum Data assistant को रू0 25,000.00 प्रतिमाह की दर से 09 माह के मानदेय हेतु धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति–वाराणसी को आवंटित की जा रही है।

2.7 सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF)

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा पूर्व की भाँति इस वर्ष भी प्रदेश के समस्त जिलों में मनाया जाना है।

- **IEC for IDCF- FMR Code-12.2.7 A-7** -प्रति जनपद रू0 1.18 लाख की धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है–
- **IDCF ASHA Incentive- FMR Code-3.1.1.1.2 B-6** - प्रति आशा को रू0 100.00 के अनुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।
- **Procurement of ORS@2.39 Paisa/Pkt for IDCF –FMR Code-6.2.2.8.1 C-8-a** से राज्य स्तर से उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन (UPMSC) द्वारा ओ0आर0एस0 का क्रय कर जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा

2.8 बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम

2.8.1 कार्यक्रम का क्रियान्वयन-FMR Code-10.1.2

बाल मृत्यु के कारणों का (Verbal autopsy) निरीक्षण/जांच–पडताल बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रय क्रियान्वयन हेतु आशा द्वारा रिपोर्टिंग करने हेतु प्रति केस रू0 50.00 की दर से और ए0एन0एम0 को प्रति केस रू0 100.00 की दर से तथा वर्बल आटाप्सी करने हेतु दो व्यक्तियों हेतु रू0 250.00 की दर से जनपद के ब्लॉक में वर्बल आटाप्सी के अन्तर्गत प्रति टीम के आवागमन हेतु रू0 250.00 की दर के अनुसार प्रदान किये जाने हेतु बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को धनराशि आवंटित की जा रही है।

2.8.2 प्रपत्रों का मुद्रण FMR Code-12.2.4 पर 75 जनपद स्तरीय चिकित्सा इकाईयों में उपयोग हेतु प्रपत्रों के मुद्रण हेतु प्रति प्रपत्र रू0 0.50 पैसा प्रति पेज के अनुसार धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

2.8.3– मण्डलीय जनपदों में Review Cum Orientation /Training - FMR Code-9.5.2.4 हेतु प्रति Batch रू0 28,000.00 की धनराशि सम्बंधित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

2.9–विश्व स्तनपान सप्ताह एवं नवजात शिशु देखभाल सप्ताह FMR Code-11.5.4

विश्व स्तनपान सप्ताह 01–07 अगस्त 2021 में विभिन्न गतिविधियों हेतु प्रति जनपद रू0 40,000.00 की दर से धनराशि एवं नवजात शिशु देखभाल सप्ताह दिनांक 15–21 नवम्बर 2021 में विभिन्न गतिविधयों हेतु प्रति जनपद रू0 25,000.00 की दर से धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

2.10– होम बेस्ड न्यूबार्न केयर कार्यक्रम (HBNC)

2.10.1 आशाओं को प्रोत्साहन राशि FMR Code-3.1.1.1.2 (B2) पर आशा द्वारा नवजात शिशुओं एवं माताओं की प्रसवोपरान्त घरेलू देखभाल के उपरान्त आशाओं को प्रोत्साहन राशि हेतु 12 माह के लिये (अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक के लिये) धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को धनराशि आवंटित की जा रही है।

2.10.2 फार्मेट एवं रिपोर्टिंग प्रपत्रों का मुद्रण–FMR Code-12.2.11(11) पर आशा द्वारा नवजात शिशुओं एवं धात्री माताओं के गृह भ्रमण हेतु फार्मेट एवं रिपोर्टिंग प्रपत्रों की मुद्रण/छपायी जनपद स्तर पर स्पेशिफिकेशन के अनुसार कराये जाने हेतु रू0 0.50 पैसा प्रति पेज की दर से समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को धनराशि आवंटित की जा रही है।

नोट– प्रपत्रों की मुद्रण/छपायी हेतु स्पेशिफिकेशन एवं विस्तृत दिशा निर्देश पृथक/राज्य स्तर से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2.11 माँ''कार्यक्रम "MAA" (Mother's Absolute Affection)

2.11.1 आशा प्रोत्साहन राशि– FMR Code-3.1.1.1.2 (B1)

आशाओं द्वारा की जाने वाली बैठकों के उपरान्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु माह में 03 मीटिंग तथा त्रैमासिक आधार पर 08 से 10 मीटिंग की जानी है। इन तीन महीनों में आशा को प्रत्येक गर्भवती तथा धात्री महिला तक पहुंचना है। आशा वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में मातृ सम्मेलनों को दोहराती रहेगी। आशा को रु0 100.00 प्रोत्साहन राशि त्रैमासिक आधार पर प्रदान करने हेतु 04 त्रैमास के लिये धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

2.11.2 रिपोर्टिंग प्रपत्रों का मुद्रण – FMR Code-12.1.4 (A-4)

आशाओं द्वारा की जाने वाली बैठकों की रिपोर्टिंग हेतु रिपोर्टिंग प्रपत्रों की मुद्रण/छपायी जनपद स्तर पर स्पेशिफिकेशन के अनुसार कराये जाने हेतु रू0 1.00 प्रति फार्मेट की दर से समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को धनराशि आवंटित की जा रही है।

2.11.3 IYCF training- FMR Code 9.5.2.18

माँ कार्यक्रम के अन्तर्गत 04 दिवसीय स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 को Infant and Young Child Feeding (IYCF) प्रशिक्षण हेतु संशोधित आर0सी0एच0 प्रशिक्षण मानकों के अनुसार प्रति बैच रू0 81,400.00 के अनुसार धनराशि सम्बन्धित 19 जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

2.12 एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम (AMB)

2.12.1 आशा प्रोत्साहन राशि FMR Code-3.1.1.1.2 (A-3)

प्रदेश में एनीमिया मुक्त भारत (AMB) कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व से संचालित NIPI-National Iron Plus Initiative कार्यक्रम के स्थान पर भारत सरकार द्वारा जारी नवीन I-NIPI (Intensified-National Iron Plus Initiative) के दिशा निर्देशानुसार कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाना है। इस कार्यक्रम में पूर्व में उपयोग में लायी जा रही 0–59 माह तक के बच्चों को IFA Syrup, 05 से 09 वर्ष तक Tab. IFA पिंक (आयरन गोली),

10 वर्ष से 19 वर्ष तक के किशोरों (लड़के/लड़कियों) को Tab. IFA ब्लू गोली (नीली आयरन), गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को Tab. IFA Red (लाल आयरन गोली) का उपयोग किया जाना है। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के संचालन हेतु आशा द्वारा 06 माह से 59 माह तक के बच्चों को 50 M.L Bottle, auto dispenser के आयरन सीरप का वितरण सुनिश्चित कर वी0एच0एन0डी0 सत्र पर मोबिलाइज करने हेतु रू0 50.00 प्रति माह की दर से आशा प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु 06 माह के लिये धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

2.12.2 प्रपत्रों का मुद्रण– FMR Code- 12.2.5 (A-5)

एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम (AMB) कार्यक्रम की रिपोर्टिंग के लिये प्रपत्रों की प्रिन्टिंग जनपद स्तर पर कराये जाने हेतु प्रति पेज रू0 1.00 की दर से धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

2.12.3 ब्लॉक स्तरीय ओरिएण्टेशन कम प्रशिक्षण FMR Code- 9.5.2.3

एनीमिया मुक्त भारत (AMB) कार्यक्रम के संचालन हेतु जनपद में अवशेष 50 प्रतिशत ए0एन0एम0 एवं आशा के ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण हेतु धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

2.13 होमबेस्ड न्यूबार्न केयर फॉर यंग चाइल्ड कार्यक्रम (HBYC)

2.13.1 प्रशिक्षण FMR Code 3.1.2.8 (4)

होमबेस्ड न्यूबार्न केयर फॉर यंग चाइल्ड कार्यक्रम (HBYC) के अन्तर्गत 05 दिवसीय जनपद स्तरीय ए0एन0एम0, हेल्थ सुपरवाइजर, आशा संगिनी एवं आशाओं को संशोधित आर0सी0एच0 प्रशिक्षण मानकों के अनुसार प्रति बैच रू0 74,650.00 के अनुसार धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत एक दिवसीय आंगनवाडी के संशोधित आर0सी0एच0 प्रशिक्षण मानकों के अनुसार प्रति बैच रू0 11,250.00 के अनुसार धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

2.13.3 आशा प्रोत्साहन **राशि–FMR Code -3.1.1.1.2(B-7)**

होमबेस्ड न्यूबार्न केयर फॉर यंग चाइल्ड कार्यक्रम के अन्तर्गत त्रैमासिक आधार पर 03, 06, 09, 12 एवं 15 माह पर आशा द्वारा भ्रमण करने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु प्रति आशा को रू0 50.00 प्रति भ्रमण के अनुसार धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है ।

2.13.4 IEC material and printing (Modules and job aids) HBYC Card & Register –FMR Code 12.2.12

होमबेस्ड न्यूबार्न केयर फॉर यंग चाइल्ड (HBYC) कार्यक्रम हेतु IEC material and printing (Modules and job aids) HBYC Card & Register के मुद्रण का कार्य जनपद स्तर पर कराये जाने हेतु धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है ।

2.14 एस0एन0सी0यू0 में कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ, चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्स की क्षमता वर्धन के लिए मेंटरिंग विजिट FMR Code -16.1.3.3.3

एस0एन0सी0यू0 में कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टाफ नर्स की क्षमता वर्धन के लिए स्टेट रिसोर्स सेंटर द्वारा चिन्हित मेंटर्स द्वारा मेंटरिंग विजिट हेतु रू0 1.35 लाख प्रति जनपदे की दर से धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

किसी भी जानकारी के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ उ0प्र0 के मो0न0 9415085790 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 7897829999 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

नोट– कोविड–19 के दृष्टिगत विश्व स्तनपान सप्ताह एवं नवजात शिशु देखभाल सप्ताह हेतु विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगें।

3. परिवार नियोजन कार्यक्रम

प्रदेश की वर्तमान सकल प्रजनन दर (टी.एफ.आर.) 2.7 को आगामी वर्षों में 2.1 तक प्राप्त किए जाने हेतु परिवार नियोजन की स्थाई व अस्थाई दोनों प्रकार की विधियों को जनसमुदाय के मध्य प्रोत्साहित करते हुये लक्ष्य दम्पत्तियों को उनकी इच्छानुसार, गर्भ निरोधक साधन उपलब्ध कराये जाने हैं। इन उद्देश्यों को ससमय प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित की जानी हैः–

- शासनादेश संख्या–30/2017/92/पॉच–9–2017–9(6)/17 दिनॉक 24 अप्रैल 2017 के माध्यम से प्रदेश में 3.0 से अधिक सकल प्रजनन दर वाले चिन्हित 57 जनपदो में मिशन परिवार विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम की मुख्य गतिविधियॉ यथा–प्रत्येक त्रैमास मिशन परिवार विकास अभियान का आयोजन, समुदाय की सहभागिता बढ़ाये जाने के उद्देश्य से सास–बहू सम्मेलन तथा नव दम्पत्तियों को शगुन किट (नई पहल किट का वितरण), एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 का क्रियान्वयन, उपकेन्द्र स्तर तक कण्डोम बॉक्स की स्थापना तथा नवीन गर्भ निरोधक साधनो की उपकेन्द्र स्तर तक उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है। जनपद स्तर पर सहयोगी संस्थाओ के समन्वयन के साथ कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाये।
- मिशन परिवार विकास के 57 जनपदों के अतिरिक्त अन्य गैर मिशन परिवार के 18 जनपदों में भी नव दम्पत्तियों को शगुन किट (नई पहल किट का वितरण), एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 का क्रियान्वयन, उपकेन्द्र स्तर तक कण्डोम बॉक्स की स्थापना तथा नवीन गर्भ निरोधक साधनो की उपकेन्द्र स्तर तक उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है।
- जनपद स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन एवं जनपदीय उपलब्धियों हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी हैं। अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी को परिवार कल्याण, पी0सी0पी0एन0डी0टी0, सुरक्षित गर्भपात सेवाओं एवं आर0टी0आई0/एस0टी0आई0 गतिविधियों हेतु समेकित नोडल अधिकारी–परिवार नियोजन के रूप में नामित किया जाये। तदोपरान्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनको अधिकार प्रदत्त करें तथा उनके माध्यम से जनपद स्तरीय गतिविधियों का क्रियान्वयनतथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- जनपद स्तर पर समस्त गतिविधियों का नियमित मासिक अनुश्रवण, मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला फैमिली प्लानिंग एवं एल0एम0आई0एस0 प्रबन्धक तथा मण्डल स्तर पर मण्डलीय अपर निदेशक, परिवार नियोजन, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक एवं मण्डलीय फैमिली प्लानिंग एवं एल0एम0आई0एस0 प्रबन्धक द्वारा किया जाएगा। इस हेतु UPTSU के DFPS द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। **यह स्पष्ट किया जाता है कि गैर मिशन परिवार के 18 जनपदों में परिवार नियोजन के समस्त कार्यो में UPTSU के DFPS द्वारा जिला फैमिली प्लानिंग एवं एल0एम0आई0एस0 प्रबन्धक की भॉति सहयोग प्रदान करते हुए पूर्ण कराया जाएगा।**
- परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी मासिक, त्रैमासिक तथा समय–समय पर चाही गयी समस्त रिपोर्ट्स नवीन निर्धारित प्रारूप पर सॉफ्ट एवं हार्ड/स्कैन कॉपी ई–मेल jdfamilyplanning@gmail.com व gmfamilyplanning@gmail.com के माध्यम से राज्य को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नोडल अधिकारी–परिवार नियोजन एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के समन्वयन से जिला एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 प्रबन्धक की होगी। नोडल अधिकारी–परिवार नियोजन पी0सी0पी0एन0डी0टी0, सुरक्षित गर्भपात सेवाओं एवं आर0टी0आई0/एस0टी0आई0 सम्बन्धी समस्त गतिविधियों की मासिक प्रगति आख्या को जनपद वैलिडेशन कमेटी में परीक्षण कर जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के माध्यम से राज्य मुख्यालय को निर्धारित समय सीमा में प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
- निजी चिकित्सालय/संस्थाएं, यथा–हौसला साझीदारी के अन्तर्गत अधिकृत निजी चिकित्सालय/संस्था के अतिरिक्त केन्द्रीय उपक्रमों अथवा अन्य सरकारी संस्थाओं–यथा रेलवे व सैन्य चिकित्सालयों एम0जी0एच0एन0 अधिकृत/एफ0पी0पी0पी0ई0ए0 परियोजना के अर्न्तगत, चिन्हित चिकित्सालय के साथ अन्य निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा इकाईयों द्वारा परिवार नियोजन के क्षेत्र में किये गये कार्य को भी जनपद की उपलब्धि में सम्मिलित किया जायेगा।

- भारत सरकार द्वारा केवल एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही रिपोर्ट को ही संज्ञान में लिया जाता है। इसलिए नोडल अधिकारी परिवार नियोजन एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक का उत्तरदायित्व होगा कि वे मासिक रिपोर्ट में उपरोक्तानुसार वर्णित निजी चिकित्सालयो की रिपोर्ट को सम्मिलित करने हेतु एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर यूनिट को पंजीकृत करते हुए प्रगति को अद्यतन करें। साथ ही एच0एम0आई0एस0 पोर्टल की रिपोर्ट का आंकलन कर त्रुटियों को दूर कराते हुए मासिक रिपोर्ट का प्रेषण निर्धारित समय सीमा के अन्दर किया जाना सुनिश्चित करें।
- मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ, भारत सरकार को उपलब्ध करायी जाने वाली विभिन्न रिपोर्ट, जिनसे सम्बन्धित आंकड़ो को एच0एम0आई0एस0 पोर्टल द्वारा संग्रहित एवं संकलित नहीं किये जाने की स्थिति में मैनुअल रिपोर्टिंग नोडल अधिकारी–परिवार कल्याण, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 प्रबन्धक के माध्यम से राज्य मुख्यालय को निर्धारित समय सीमा में प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
- परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में पत्रांक प0क0/10–जे0 डी0 /247/2015, दिनांक 20.03.2015 को प्रमुख सचिव–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के स्तर से जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
- सभी भुगतान डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से मिशन निदेशक महोदय के स्तर से प्रेषित पत्र सं0 एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/एफडब्ल्यू/70–4/2015–16/2096–2, दिनांक 26.06.2015 तथा भारत सरकार के पत्र संख्या Y110131/1/2016–FP, दिनांक 29.01.2016 के अनुसार किए जाएंगे।
- जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय किये जाने हेतु कमिट करायी गयी धनराशि का शत–प्रतिशत व्यय वित्तीय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु आवंटित धनराशि को भौतिक उपलब्धि के सापेक्ष वित्तीय उपयोगिता शत प्रतिशत सुनिश्चित की जाये। प्रत्येक त्रैमास में जनपद स्तर पर समीक्षा कर अतिरिक्त बजट हेतु मॉगपत्र, उसी त्रैमास में प्रेषित किया जाये।
- यदि नसबन्दी, पी0पी0आई0यू0सी0डी0 सेवाओं, महिला व पुरुष नसबन्दी आउटरीच सेवायें एवं स्पेसिंग ऐट बर्थ स्कीम के तहत जनपदीय एक्शन प्लान (डैप) में दिये गये लक्ष्य से अधिक उपलब्धि दर्ज की जाती है तो ऐसी स्थिति में जनपद द्वारा पूल में उपलब्ध धनराशि का उपयोग किया जाये एवं ससमय पृथक से अतिरिक्त बजट हेतु मॉगपत्र प्रेषित किया जाये।
- परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी समस्त स्टैण्डर्ड मैनुअल्स, रजिस्टर, प्रपत्र, बुकलेट (सहमति–पत्र, मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट, पोस्ट ऑपरेटिव कार्डस, प्रमाण पत्र, क्लेम फार्म आदि), बाउचर, प्रचार–प्रसार सामग्री आदि का मुद्रण पूर्ण कर आवश्यकतानुसार सम्बन्धित समस्त स्वास्थ्य ईकाईयो पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
- वर्तमान में परिवार नियोजन सामग्री की आपूर्ति एल0एम0आई0एस0 साफ्टवेयर के माध्यम से ही की जा रही है। राज्य स्तर से आरम्भ होकर उपकेन्द्र स्तर तथा समुदाय स्तरीय कार्यकत्री (आशा) तक गर्भनिरोधक सामग्रियों की मॉग के सापेक्ष आपूर्ति एल0एम0आई0एस0 साफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- जनपद स्तर पर आशा के सहयोग से ग्रामवार, उपकेन्द्रवार एवं ब्लॉकवार लक्ष्य दम्पत्तियों की संख्या का वास्तविक ऑगणन किया जाये। साथ ही आशा के वी0एच0आई0आर0 रजिस्टर को भी अधुनान्त करते हुये लक्ष्य दम्पत्तियों को इच्छुक गर्भनिरोधक साधन उपलब्ध कराया जाये।
- प्रत्येक इच्छुक लक्ष्य दम्पत्ति को उसकी इच्छानुसार गर्भनिरोधक साधन उपलब्ध कराये जाने हेतु आशा के माध्यम से प्री रजिस्ट्रेशन किया जाये।
- परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी शंका समाधान हेतु निम्न फोन नं0 तथा ई–मेल पर संपर्क किया जाना सुनिश्चित करें-

संयुक्त निदेशक–परिवार कल्याण **परिवार कल्याण महानिदेशालय** **फोन 0522–2258540** ई–मेल–jdfamilyplanning@gmail.com	**महाप्रबन्धक–परिवार कल्याण, एस0पी0एम0यू0,** **फोन 0522–4005936** **ई–मेल–gmfamilyplanning@gmail.com**

3.1 महिला एवं पुरूष नसबन्दी नियत दिवस सेवा (FMR- 1.1.3.1.1 /FAMS-1.1.3.1.1)

वर्ष 2021–22 हेतु प्रति नियत दिवस सेवा के लिए रू0 3500.00 की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है। पूर्व में प्रदत दिशा निर्देशों के अनुसार गतिविधि सम्पादित की जानी है। साथ ही निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाना है:–

- वर्ष 2021–22 में नियत दिवस सेवा (महिला) में नसबंदी केसों की संख्या 20 से कम होने की स्थिति में नियत दिवस सेवा नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में वास्तविक केसों की संख्या के आधार पर प्रति केस रू0 140.00 की दर से वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जा सकती है। **परन्तु नियत दिवस सेवा में नसबंदी केसों की अधिकतम संख्या 30 केस तक ही सीमित है।**
- वर्ष 2021–22 में नियत दिवस सेवा (पुरुष) में नसबंदी केसों की संख्या 10 से कम होने की स्थिति में नियत दिवस सेवा नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में वास्तविक केसों की संख्या के आधार पर प्रति केस रू0 140.00 की दर से वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जा सकती है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुरुष नसबन्दी के लाभार्थियों हेतु दरी, कम्बल, रजाई आदि की आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त धनराशि से वृहद प्रचार–प्रसार, माइकिंग आदि में नियमानुसार व्यय किया जा सकता है।
- जिन स्वास्थ्य इकाईयों पर हौसला साझीदारी के अन्तर्गत निजी अभिप्रमाणित क्लीनिकल आउटरीच टीम द्वारा सेवाएं दी जा रही है, वहाॅ उस दिन दी गयी सेवाओं हेतु भी नियत दिवस सेवा मद की धनराशि उपरोक्तानुसार व्यय की जा सकती है।
- नियत दिवस सेवाओं के प्रचार–प्रसार हेतु उपकेन्द्र स्तर तक दीवार लेखन किया जाए। त्रैमासिक नियत दिवस कैलेण्डर चिकित्सा इकाई के अन्तर्गत आने वाली समस्त समुदाय स्तरीय कार्यकर्ताओं आशा, ए0एन0एम0 व आंगनबाड़ी की संख्या के आधार पर पम्पलेट/लीफलेट मुद्रित कराकर समुदाय स्तरीय कार्यकर्ताओं के मध्य वितरण सुनिश्चित किया जाये।
- नियत दिवस सेवाएं प्रदान किए जाने हेतु नियत दिवस कैलेण्डर त्रैमासिक तैयार कर सूचना राज्य मुख्यालय को भेजी जाये, जिससे राज्य स्तर से शिविरों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जा सके।
- प्रतिमाह आयोजित होने वाले नियत दिवस सेवा की सूक्ष्म तैयारी हेतु आशा, ए0एन0एम0 व ऑगनबाड़ी की बैठक में चर्चा की जाए।
- जेनरेटर लागबुक मेण्टेन की जाए।
- वास्तविक लाभार्थी के आधार पर चारपाई आदि की व्यवस्था की जाए।
- महिला एवं पुरुष नसबंदी नियत दिवस सेवा हेतु प्रति **नियत दिवस सेवा बजट** का व्यय निम्न तालिकानुसार किया जा सकता है –

क्रम	गतिविधि	धनराशि (रू0 में)
1	नियत दिवस सेवा आयोजन के लिए जेनरेटर हेतु तेल की व्यवस्था (आवश्यकतानुसार)	500.00
2	नियत दिवस सेवा के आयोजन हेतु आवश्यक लाजिस्टिक (जैसे– लाभार्थियों हेतु दरी, गद्दा, कुर्सी, सर्दी के समय कम्बल/रजाई, आदि) के व्यवस्था हेतु (आवश्यकतानुसार)	1500.00
3	नियत दिवस सेवा हेतु आवश्यक मैडिसिन जैसे– इन्जेक्शन फोर्टवीन, इन्जेक्शन फेनेर्गेन, जाइलोकेन, कैटगेट, बीटाडिन आदि (आवश्यकतानुसार)	500.00
4	अन्य विविध व्यय यथा–प्रचार–प्रसार आदि (आवश्यकतानुसार)	1000.00

<u>नोट</u>–जिन जनपदों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के डैप में आवंटित धनराशि के सापेक्ष अधिक व्यय कर लिया हो, वे जनपद वर्ष 2021–22 के डैप में आवंटित धनराशि से नियमानुसार धनराशि उपयोगित कर सकते हैं।

3.2 महिला नसबंदी तथा पुरूष नसबंदी हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का प्राविधान (FMR- 1.2.2.1.1 & 1.2.2.1.2) –

(1) <u>मिशन परिवार विकास</u> के 57 जनपदों की राजकीय स्वास्थ्य ईकाईयों में महिला एवं पुरूष नसबंदी हेतु क्षतिपूर्ति निम्न तालिकानुसार दी गई दर से प्रदान की जानी है:–

(धनराशि रू0 में)

क्र0	विवरण	महिला नसबन्दी (अन्तराल एवं गर्भपात उपरान्त)	प्रसव पश्चात् नसबन्दी	पुरूष नसबन्दी (एन0एस0वी0)
		दर	दर	दर
1	लभार्थी	2000.00	3000.00	3000.00
2	प्रेरक / आशा	300.00	400.00	400.00
3	ड्रग / ड्रेसिंग / आई0पी0 सप्लाई	100.00	100.00	50.00
4	सर्जन प्रोत्साहन राशि	200.00	325.00	400.00
5	एनेस्थेटिस्ट / सहयोगी चिकित्सक	50.00	75.00	—
6	नर्स / ए.एन.एम	40.00	50.00	40.00
7	ओ0टी0 टैक्नीशियन / सहायक / एल0टी0	20.00	25.00	20.00
8	वार्ड ब्वाय / आया	12.00	15.00	.12.00
9	स्वीपर	08.00	10.00	08.00
10	क्लर्क / दस्तावेजीकरण	30.00	—	30.00
11	रिफ्रेशमेन्ट	20.00	—	20.00
12	अन्य विविध	20.00	—	20.00
कुल योग		**2800.00**	**4000.00**	**4000.00**

(2) प्रदेश के अन्य शेष 18 जनपदों (***गैर मिशन परिवार विकास जनपद***) की राजकीय स्वास्थ्य ईकाईयों तथा हौसला साझीदारी वेब पोर्टल के माध्यम से एक्रेडिटेडैट निजी चिकित्सालयों द्वारा किए निजी / स्वैच्छिक / गैर सरकारी संस्था इकाईयों में महिला नसबंदी हेतु क्षतिपूर्ति शासनादेश सं0 645 / पॉच–9–2015–9(222) / 14, दिनांक 14 मई 2015 के अनुसार देय होगी:–

(धनराशि रू0 में)

क्र0	विवरण	महिला नसबन्दी		पुरुष नसबन्दी
		अन्तराल	पोस्ट पार्टम	
1	लाभार्थी	1400.00	2200.00	2000.00
2	प्रेरक / आशा	200.00	300.00	300.00
3	ड्रग्स और ड्रेसिंग	100.00	100.00	50.00
4	सर्जन प्रोत्साहन राशि	150.00	250.00	250.00
5	एनेस्थेटिस्ट / सहयोगी चिकित्सक	50.00	50.00	—
6	नर्स / ए.एन.एम.	30.00	50.00	30.00
7	ओ.टी.तकनीशियन / सहायक / एल0टी0	15.00	25.00	15.00
8	वार्ड ब्वाय / आया	9.00	15.00	09.00
9	स्वीपर	6.00	10.00	06.0
10	क्लर्क / डाक्यूमेण्टेशन	20.00	—	—
11	रिफ्रेशमेण्ट	10.00	—	10.00
12	अन्य विविध	10.00	—	10.00
कुल योग		**2000.00**	**3000.00**	**2700.00**

(3) मिशन परिवार विकास के 57 जनपदों में ***हौसला साझीदारी*** वेब पोर्टल के माध्यम से मान्यता प्राप्त निजी / स्वैच्छिक / गैरसरकारी संस्था इकाईयों पर महिला एवं पुरूष नसबंदी हेतु क्षतिपूर्ति निम्न तालिकानुसार प्रदान की जानी है :–

(धनराशि रू0 में)

क्र0	विवरण	महिला नसबन्दी (अन्तराल एवं गर्भपात उपरान्त)	प्रसव पश्चात् नसबन्दी	पुरूष नसबन्दी (एन0एस0वी0)
		दर	दर	दर
1	लाभार्थी	1400.00	1400.00	2000.00

(4) प्रदेश के 18 गैर मिशन परिवार विकास जनपदों में ***हौसला साझीदारी*** वेब पोर्टल के माध्यम से ***मान्यता प्राप्त निजी/स्वैच्छिक/गैर सरकारी संस्था इकाईयों*** पर महिला एवं पुरुष नसबंदी हेतु लाभार्थी को क्षतिपूर्ति निम्न तालिकानुसार प्रदान की जानी है :–

क्र0	विवरण	महिला नसबन्दी (अन्तराल एवं गर्भपात उपरान्त)	प्रसव पश्चात् नसबन्दी	पुरूष नसबन्दी (एन0एस0वी0)
		दर	दर	दर
1	लाभार्थी	1400.00	1400.00	2000.00

(5) **COT (Clinlical Out Reach Team)** द्वारा जनपद की सरकारी चिकित्सा इकाई में नसबंदी सेवा प्रदान किये जाने पर लाभार्थी का भुगतान उसी ब्लॉक के चिकित्सा इकाई से किया जायेगा, जहॉ पर कॉट टीम द्वारा सेवाएं प्रदान की गई है। साथ ही नसबंदी फॉर्म की पूर्णतया अंकित मूल बुकलेट इकाई स्तर पर संरक्षित की जायेगी। COT Team द्वारा किये गये समस्त केसों का विवरण इकाई पर उपलब्ध निर्धारित रजिस्टर यथा– नसबंदी पैथॉलॉजी एवं ओ0टी0 रजिस्टर में अवश्य किया जाये। प्रमाण पत्र चिकित्सा इकाई प्रभारी के हस्ताक्षर से ही निर्गत किये जायेंगे। मात्र चिकित्सा इकाई प्रभारी के हस्ताक्षर से ही निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा।

नोट–

- नसबन्दी लाभार्थियों के समस्त रिकार्ड पूर्ण भरे व हस्ताक्षरित संरक्षित करते हुए फॉलोअप कार्ड व प्रमाण–पत्र का समय से वितरण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- लाभार्थियों को परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना सम्बन्धी पूर्ण जानकारी प्रदान की जाये।
- नसबन्दी के उपरान्त लाभार्थी को दी जाने वाली दवाईयों के सन्दर्भ में महानिदेशक–परिवार कल्याण के पत्रसंख्या–प0क0/10–जे0डी0/1060/2008/1075–70, दिनांक 29.05.2008 के अनुसार दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

- **निजी चिकित्सालयों हेतु आई0यू0सी0डी0 सेवाओं के लिए क्षतिपूर्ति धनराशि (FMR-1.2.2.2.1)–*हौसला साझीदारी*** वेब पोर्टल के माध्यम से एक्रेडिटेडैट निजी चिकित्सालयों द्वारा किये गये आई0यू0सी0डी0 इनसर्शन हेतु रू0 75.00 प्रति आई0यू0सी0डी0 इनसर्शन की दर से धनराशि प्राविधानित है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे आई0यू0सी0डी0 किट हौसला साझीदारी के अन्तर्गत एक्रेडिटेडैट निजी चिकित्सालयों को नहीं दिया जाना है। निजी संस्था द्वारा किये गये आई0यू0सी0डी0 इनसर्शन का सम्पूर्ण विवरण एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अवश्य अपलोड किया जाये।
- **प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन में लाभार्थी को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान (FMR- 1.2.2.2.2) –** लाभार्थी को प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन किए जाने के पश्चात गुणवत्ता एवं फॉलोअप सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से इनसर्शन के पश्चात कुल रु0 300.00 प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि प्राविधानित है। पी0पी0आई0यू0सी0डी0 लाभार्थी का भुगतान जननी सुरक्षा योजना के भुगतान के साथ ही किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे लाभार्थी से पुनः खाता संख्या एवं अन्य दस्तावेज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिन स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपरोक्त विधिओं हेतु प्रशिक्षित सेवा प्रदाता उपलब्ध हैं तथा पी0पी0आई0यू0सी0डी0 निवेशन की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, केवल उन्हीं केंन्द्रों पर राज्य स्तर से अवमुक्त धनराशि को हस्तांतरित किया जाए।

नोट–

- जिन जनपदों में वित्तीय वर्ष 2020–21 के डैप में आवंटित धनराशि के सापेक्ष अधिक व्यय कर लिया हो, वे जनपद वर्ष 2021–22 के डैप में आवंटित धनराशि से नियमानुसार धनराशि उपयोगित कर सकते हैं।
- समस्त पी0पी0आई0यू0सी0डी0 एवं पी0ए0आई0यू0सी0डी0 निवेशन अपनाने वाले लाभार्थी से बेड हेड टिकट/केस शीट पर सहमति लिया जाना अनिवार्य है तथा निर्धारित फॉलोअप कार्ड भी लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाये एवं सम्बन्धित विवरण रजिस्टर में अंकित किया जाये।

- **गर्भसमापन पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0ए0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन हेतु लाभार्थी को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान (FMR- 1.2.2.2.3)**–सुरक्षित गर्भ समापन के पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0ए0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन किए जाने पर गुणवत्ता एवं लाभार्थी का फॉलोअप सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से लाभार्थी को इनसर्शन के पश्चात कुल **रु0 300.00 प्रति लाभार्थी** की दर से धनराशि प्राविधानित है।

- **अन्तरा (डी0एम0पी0ए0) इंजेक्शन हेतु लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि (FMR-1.2.2.2.4)**–मिशन परिवार विकास के तहत सभी 57 जनपदो (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो) में डी0एम0पी0ए0 इंजेक्शन (अंतरा कार्यक्रम) योजना लागू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी हेतु रू0 100.00 प्रति डोज, प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि प्राविधानित है।
- **फैमिली प्लानिंग इंडेमनिटी (FPIS) स्कीम (FMR- 1.2.2.3/FAMS-1.2.2.3)**–फैमिली प्लानिंग इंडेमनिटी स्कीम के अन्तर्गत नसबंदी के पश्चात होने वाले असफल/जटिलता/मृत्यु के केसों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु धनराशि प्राविधानित है।
- **सर्जन टीम हेतु परिवहन व्यवस्था के लिए POL (FMR-2.2.1)**–जनपद में नसबंदी हेतु लगाए जाने वाले नियत दिवस सेवाओं में सर्जन टीम के आवागमन की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए **प्रत्येक शिविर हेतु रू0 1000.00** की दर से अतिरिक्त धनराशि पी0ओ0एल0 (परिवहन व्यवस्था) हेतु निम्न परिस्थितियों में दी जानी है:–

- यदि सर्जन एवं टीम दोनों अलग अलग स्थान से आ रहे हो और सर्जन द्वारा स्वयं के वाहन का प्रयोग किया जा रहा है तो इस दशा में शासन द्वारा निर्धारित प्रति किलोमीटर की दर से सर्जन को भुगतान किया जाएगा। ध्यान यह देना है की भुगतान की जाने वाली राशि रु0 1000.00 से अधिक न हो और वित्तीय नियमों का पालन किया गया हो।
- यदि सर्जन द्वारा नियत सेवा दिवस में आने के लिए शासकीय वाहन का प्रयोग किया जाता है तो वाहन हेतु पी0ओ0एल0 की व्यवस्था शासकीय नियमानुसार इसी मद से किया जायेगा।
- यदि कोई सर्जन टीम अपने जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपद में नसबन्दी सेवा देने हेतु जाता है तो जिस जनपद में सेवा प्रदान की गयी है उसी जनपद द्वारा पी0ओ0एल की धनराशि का वहन किया जायेगा।

नोट–जिन जनपदों में वित्तीय वर्ष 2020–21 के डैप में आवंटित धनराशि के सापेक्ष अधिक व्यय कर लिया हो, वे जनपद वर्ष 2021–22 के डैप में आवंटित धनराशि से नियमानुसार उपयोगित कर सकते हैं।

- **सास–बहू सम्मेलन के आयोजन हेतु आशा को प्रोत्साहन राशि (FMR-3.1.1.1.4-1/FAMS-3.1.1.1.4.D1)**-मिशन परिवार विकास जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण आशाओं के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय के मध्य सास बहू सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। सास बहू सम्मेलन के सफल आयोजन के पश्चात सम्बन्धित शहरी एवं ग्रामीण आशा को उसके ब्लॉक मुख्यालय से रु0 100.00 प्रति सम्मेलन की दर से आशा हेतु धनराशि प्राविधानित है।
- **शगुन किट (नई पहल किट) वितरण हेतु आशा को प्रोत्साहन राशि (FMR-3.1.1.1.4-2/FAMS-3.1.1.1.4.D2)**– नव दम्पत्तियों को परिवार नियोजन साधनों के बारे में अवगत कराने हेतु प्रदान की जाने वाली शगुन किट को अपने क्षेत्र के नवविवाहितों को वितरित करने पर आशा को रू0 100.00 की प्रोत्साहन राशि प्रति किट प्रदान की जायेगी। इस वर्ष यह योजना प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में लागू की जा रही है।
- **प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन करवाने हेतु लाभार्थी को प्रेरित किए जाने पर आशा प्रोत्साहन राशि (FMR-3.1.1.1.4-4/FAMS-3.1.1.1.4.D4)**– रू0 150.00 प्रति पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इनसर्शन की दर से प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।

नोट– जिन जनपदों में वर्ष 2020–21 के डैप में आवंटित धनराशि के सापेक्ष अधिक व्यय कर लिया हो, वे जनपद 2021–22 के डैप में आवंटित धनराशि से नियमानुसार धनराशि उपयोगित कर सकते हैं।

- **गर्भसमापन पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0ए0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन हेतु आशाओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान (FMR-3.1.1.1.4-5/FAMS-3.1.1.1.4.D5)** – रू0 150.00 प्रति पी0ए0आई0यू0सी0डी0 इनसर्शन की दर से प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।

- **इन्श्योरिंग स्पेसिंग ऐट बर्थ स्कीम के तहत अस्थायी विधि के अन्तर्गत आशा प्रोत्साहन राशि (FMR-3.1.1.1.4-6/FAMS-3.1.1.2.6.S01)**—ऐसे दम्पत्ति जिनके 01 बच्चा है, को पहले एवं दूसरे बच्चे के जन्म में 03 वर्षों तक अस्थायी विधियों का परामर्श प्रदान कर उपयोग सुनिश्चित कराने पर रू0 500.00 प्रतिकेस की दर से प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।
- **इन्श्योरिंग स्पेसिंग ऐट बर्थ स्कीम के तहत अस्थायी विधि के अन्तर्गत आशा प्रोत्साहन राशि (FMR-3.1.1.1.4-6/FAMS-3.1.1.2.6.S02)**—विवाह के उपरांत 2 वर्षो तक अस्थायी विधियों का परामर्श प्रदान कर उपयोग सुनिश्चित कराने व प्रथम गर्भधारण में कम से कम दो वर्षों का विलम्ब सुनिश्चित कराने पर **रू0 500**.00 प्रति केस की दर से प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है।
- **इन्श्योरिंग स्पेसिंग ऐट बर्थ स्कीम के तहत स्थायी विधि के अन्तर्गत आशा प्रोत्साहन राशि—(FMR-3.1.1.1.4-7/FAMS-3.1.1.2.6.D7) -** 02 बच्चों तक परिवार सीमित रखने वाले पात्र दम्पत्तियों को स्थाई विधियों (महिला/पुरूष नसबन्दी) का परामर्श प्रदान कर नसबन्दी सेवा सुनिश्चित कराने पर **रू0 1000.00 प्रति केस** का भुगतान आशा को किया जाना है।

नोट—इन्**श्**योरिंग स्पेसिंग ऐट बर्थ स्कीम के तहत जनपदों द्वारा यह सुनि**श्**चित कर लिया जाये कि वास्तविक केसों के सापेक्ष समस्त आव**श्**यक दस्तावेजों के सत्यापन उपरान्त ही भुगतान किया जाये एवं भौतिक रिपोर्ट का सत्यापन एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों से मिलान किया जाये। इस हेतु सत्यापन की जिम्मेदारी जनपद स्तर पर जिला कम्युनिटी प्रासेस मैनेजर व ब्लाक स्तर पर ब्लाक कम्युनिटी प्रासेस मैनेजर की होगी।

- **अन्तरा (डी0एम0पी0ए0) इंजेक्शन उपलब्धता हेतु आशाओं को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि (FMR-3.1.1.1.4-8/FAMS-3.1.1.1.4.D8) –** मिशन परिवार विकास जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण आशाओं के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को अन्तरा की सेवा सुनिश्चित कराने के उपरान्त आशा हेतु रू0 100.00 प्रति डोज की दर से प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।

3.3 सास—बहू सम्मेलन का आयोजन (FMR-3.2.1.A.1/ FAMS-3.2.1.S02)

मिशन परिवार विकास के अन्तर्गत वर्णित 57 जनपदों में प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी आशा के कार्यक्षेत्र में सास बहू सम्मेलन का आयोजन किया जाए। सास—बहू सम्मेलन का आयोजन सास एवं बहू की उपस्थिति में किया जायगा। परिवारों के चयन का आधार वे समस्त परिवार होंगे, जिनमें लक्ष्य दम्पत्ति हो। उक्त कार्य हेतु आशाओं एवं ऑगनबाड़ी की मदद ली जाए, क्योंकि उनके पास क्षेत्र के परिवारों की समस्त जानकारी उपलब्ध रहती है। उक्त कार्यक्रम को आयोजित करने हेतु प्रति सम्मेलन रु0 1500.00 की दर से धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है, जिनका व्यय निम्न तालिकानुसार ब्लॉक स्तर से किये जा रहे अन्य भुगतानों की भॉति नियमानुसार किया जाए—

(धनराशि रू0 में)

क्रमसं0	मद	दर
1	सास—बहू सम्मेलन के आयोजन हेतु	500.00
2	प्रतिभागी हेतु गिफ्ट	1000.00
	कुल योग	**1500.00**

आयोजित सास—बहू सम्मेलन का रिपोर्टिंग प्रपत्र

<table>
<tr><td colspan="4">जनपद का नाम</td><td colspan="6">ब्लॉक का नाम</td></tr>
<tr><td rowspan="2">क्रम सं0</td><td rowspan="2">गॉंव का नाम</td><td rowspan="2">उपकेद्र का नाम</td><td rowspan="2">सम्मेलन की तिथि</td><td colspan="4">प्रतिभागी संख्या</td><td rowspan="2">सम्पन्न गतिविधियां</td><td rowspan="2">टिप्पणी</td></tr>
<tr><td>सास</td><td>बहू</td><td>आशा</td><td>ए0एन0एम0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

3.4 परिवार नियोजन सेवाओं के अन्तर्गत उपकरण एवं किट का क्रय

- **मिनीलैप किट (FMR-6.1.1.3/FAMS-6.1.1.3.3) एवं पी0पी0आई0यू0सी0डी0 फोरसेप (FMR-6.1.1.3/ FAMS-6.1.1.3.5)**— उक्त समस्त सामग्रियों का क्रय, क्रय नियमों का पालन करते हुए किया जाय। भारत सरकार द्वारा मिनीलैप किट हेतु अधिकतम रु0 3000.00 प्रति किट एवं पी0पी0आई0यू0सी0डी0 कैलिस फोरसेप हेतु अधिकतम रु0 600.00 प्रति के अनुसार धनराशि अनुमोदित की गई है।

➢ **लेप्रोस्कोप मरम्मत हेतु बजट प्राविधान–(FMR-6.1.6.1/FAMS-6.1.6.1)–** जनपदों एवं यू0पी0टी0एस0यू0 से प्राप्त फीडबैक के आधार पर वर्ष 2021–22 की आर0ओ0पी0 में निम्न तालिकानुसार कुल 133 लेप्रोस्कोप के मरम्मत हेतु अधिकतम प्रति लेप्रोस्कोप रु0 25000.00 की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है। उक्त धनराशि के माध्यम से जनपदों में प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत योग्य लेप्रोस्कोप को वास्तविक व्यय के आधार पर नियमानुसार धनराशि उपयोगित किया जाना है।

Sl.No	Name of Districts	No of Repairable Laparoscope
1	AGRA	3
2	ALIGARH	3
3	AMBEDKAR NAGAR	1
4	AMETHI	3
5	AURAIYA	1
6	AYODHYA	4
7	AZAMGARH	3
8	BAGHPAT	1
9	BAHRAICH	2
10	BALLIA	2
11	BALRAMPUR	1
12	BANDA	2
13	BARABANKI	1
14	BAREILLY	1
15	BASTI	1
16	BIJNOR	2
17	Budaun	5
18	BULANDSHAHAR	4
19	CHANDAULI	1
20	CHITRAKOOT	2
21	DEORIA	1
22	ETAH	1
23	ETAWAH	1
24	FARRUKHABAD	3
25	FATEHPUR	2
26	FIROZABAD	1
27	GAUTAM BUDDH NAGAR	1
28	GHAZIABAD	3
29	GHAZIPUR	3
30	GONDA	1
31	GORAKHPUR	3
32	HAMIRPUR	0
33	HAPUR	1
34	HARDOI	1
35	HATHRAS	1
36	JALAUN	1
37	JAUNPUR	4
38	JHANSI	1
39	JYOTIBA PHULE NAGAR	1
40	KANNAUJ	1
41	KANPUR DEHAT	1
42	KANPUR NAGAR	3
43	KASGANJ	3
44	KAUSHAMBI	1
45	KUSHINAGAR	1
46	LAKHIMPUR KHERI	1
47	LALITPUR	1
48	LUCKNOW	5

Sl.No	Name of Districts	No of Repairable Laparoscope
49	MAHARAJGANJ	3
50	MAHOBA	1
51	MAINPURI	1
52	MATHURA	1
53	MAU	1
54	MEERUT	2
55	MIRZAPUR	4
56	MORADABAD	1
57	MUZAFFARNAGAR	1
58	PILIBHIT	1
59	PRATAPGARH	1
60	PRAYAGRAJ	4
61	RAEBARELI	1
62	RAMPUR	1
63	SAHARANPUR	3
64	SAMBHAL	2
65	SANT RAVIDAS NAGAR	1
66	SANTKABIR NAGAR	1
67	SHAHJAHANPUR	2
68	SHAMLI	1
69	SHRAWASTI	1
70	SIDDHARTH NAGAR	2
71	SITAPUR	1
72	SONBHADRA	1
73	SULTANPUR	1
74	UNNAO	1
75	VARANASI	3
Distrits Total		**133**

नोट :–उपरोक्त तालिकानुसार जनपदों को मरम्मत योग्य लैप्रोस्कोप हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष यदि उपयोग उपरांत धनराशि अवशेष रह जाती है, तो शेष धनराशि का उपयोग जनपद द्वारा अन्य मरम्मत योग्य लैप्रोस्कोप हेतु नियमानुसार किया जा सकता है।

- **नव विवाहित दम्पत्तियों को परिवार नियोजन साधनों के बारे में अवगत कराने हेतु शगुन किट (नई पहल किट) का क्रय (FMR-6.2.1.3/ FAMS-6.2.3.1)**– इस वर्ष प्रदेश के समस्त 75 जनपदों मे नव विवाहित दम्पत्तियों को परिवार नियोजन साधनों के बारे में अवगत कराते हुये शगुन किट वितरित किया जाना है। पत्र संख्या–एन.एच.एम. / एस.पी.एम.यू. / एफ.पी.–एम.पी.वी. / 165 / 2020–21 / 6550, दिनांक 21.01.2021 का संज्ञान लेते हुए प्रदत दिशा निर्देशों के अनुसार अधिकतम रू0 220.00 प्रति शगुन किट क्रय की दर से धनराशि का प्रावधान किया गया है। किट का क्रय वित्तीय एवं क्रय नियमों का पालन करते हुए माह सितम्बर 2021 तक किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- **परिवार नियोजन परामर्शदात्रियों हेतु मानेदय (FMR-8.1.13.1/ FAMS-8.1.13.1.S03)**–वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यरत परिवार नियोजन परामर्शदात्रियों हेतु 12 माह का मानदेय, ई0पी0एफ0 एवं वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव संसाधन अनुभाग द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुसार ही वेतन वृद्वि प्रदान की जाए।
- **विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़ा के आयोजन पर मण्डल स्तरीय परफारमेन्स रिवार्ड (FMR-8.4.5/FAMS-8.4.5)**–वित्तीय वर्ष 2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021) के दौरान परिवार नियोजन की विभिन्न विधाओं में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले सेवाप्रदाता तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के विश्व जनसंख्या दिवस के दौरान परिवार नियोजन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक, स्टॉफ नर्स) तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं (एल0एच0वी0, ए0एन0एम0 एवं आशा) को वर्श 2021–22 में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सम्मानित किये जाने हेतु सम्मान समारोह का आयोजन मण्डल स्तर पर किया जाना है। इस हेतु प्रति जनपद

रू0 40,000.00 की दर से मण्डलीय जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में धनराशि का प्राविधान किया गया है। उपलब्ध कराये गये बजट में से वेन्यू खर्च, बैनर, लंच एवं स्वल्पाहार, सम्मानित किये जाने वाले प्रतिभागियो को प्रदान किये जाने वाले प्रतीक चिन्हों, प्रशस्ति पत्र, फोटोग्राफी तथा अन्य विविध व्यय आदि मे किया जा सकेगा।

- **प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन हेतु सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स/ए0एन0एम0) को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान (FMR-8.4.7/FAMS-8.4.7)**—रू0 150.00 प्रति पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इनसर्शन की दर से **कार्य आधारित** प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। यदि Each one teach one विधि द्वारा किसी मेडिकल ऑफिसर/स्टाफ नर्स/ए.एन.एम. को जिला अस्पताल या एफ.आर.यू. में मास्टर ट्रैनर अथवा परफार्मिंग सेवा प्रदाता द्वारा पी0पी0आई0यू0सी0डी0 निवेशन की ट्रेनिंग कराई जाती है तो उक्त स्टाफ को ट्रेन्ड माना जाएगा एवं पी0पी0आई0यू0सी0डी0 निवेशन हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

<u>नोट</u>—जिन जनपदों में वर्ष 2020—21 के डैप में आवंटित धनराशि के सापेक्ष अधिक व्यय कर लिया हो, वे जनपद वर्ष 2021—22 के डैप में आवंटित धनराशि से नियमानुसार धनराशि उपयोगित कर सकते हैं।

- **सुरक्षित गर्भपात सेवा के पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0ए0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन हेतु सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स) को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान (FMR-8.4.8/FAMS-8.4.8)**—रू0 150.00 प्रति पी0ए0आई0यू0सी0डी0 इनसर्शन की दर से **कार्य आधारित** प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।
- **परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों हेतु कार्य आधारित प्रोत्साहन (FMR–8.4.12 &FAMS-8.4.12.S03)**—यह योजना संख्या आधारित है। इस योजना के तहत कार्यरत परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के मानक निम्नानुसार हैं:—

- **पी.पी.आई.यू.सी.डी—**किसी प्रसव इकाई में किए गए कुल प्रसवों के सापेक्ष परिवार कल्याण परामर्शदात्री द्वारा प्रेरित कर (परामर्शदात्री के परामर्श रजिस्टर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर) 30 प्रतिशत से अधिक प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. निवेशन करवाए जाने की स्थिति में परिवार कल्याण परामर्शदात्री को 30 प्रतिशत से अधिक हुए केसों हेतु प्रति केस रू0 50.00 की दर से प्रोत्साहन राशि दिया जाये। उदाहरणार्थ—यदि किसी इकाई में एक माह में 100 प्रसव किए जाते है जिसके सापेक्ष 50 पी.पी.आई.यू.सी.डी निवेशन होता है जिसमें से परामर्शदात्री द्वारा 35 पी.पी.आई.यू.सी.डी निवेशन कराया जाता है, उस स्थिति में 30 प्रतिशत से अधिक (31 से 35 केस तक अर्थात कुल 05 केस) केस पर रू0 50/—प्रति केस की दर से प्रोत्साहन राशि परिवार कल्याण परामर्शदात्री को देय होगी।
- **प्रसव पश्चात नसबंदी सेवाः—**किसी प्रसव इकाई में किए गए कुल प्रसवों के सापेक्ष परिवार कल्याण परामर्शदात्री द्वारा प्रेरित करने पर (परामर्शदात्री के परामर्श रजिस्टर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर) 15 प्रतिशत से अधिक प्रसव पश्चात नसबंदी करवाए जाने की स्थिति में, परिवार कल्याण परामर्शदात्री को 15 प्रतिशत से अधिक हुए केस पर रू0 50.00 प्रति केस की दर से प्रोत्साहन राशि देय होगी।

नोट—जनपदों की जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाए कि जिन परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों द्वारा उपरोक्तानुसार उत्कृष्ट कार्य किया गया हो, उन्हें ही कार्य आधारित प्रोत्साहन धनराशि प्रदान किया जाए।

3.5 ए.एन.एम. का त्रैमासिक अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठक (FMR–9.5.3.1 & FAMS-9.5.3.1.S01)

(अ) प्रदेश के 75 जनपदों के प्रत्येक ब्लॉक पर ए0एन0एम0 के क्षमता वर्धन हेतु त्रैमासिक अभिमुखीकरण/ समीक्षा बैठकें आयोजित की जानी है, जिसमें नवीन गर्भनिरोधक साधनो के सन्दर्भ में अभिमुखीकरण तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों का समीक्षा भी किया जायेगा।

उक्त बैठकों का उद्देश्य ए.एन.एम. कार्यकत्रियों द्वारा समुदाय को विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध मे जागरूक किये जाने, समुदाय में गर्भनिरोधक साधनो की ग्राह्यता बढाने, समुदाय की जिज्ञासा को उत्तरित किये जाने, कार्यकत्रियों का क्षमतावर्द्धन, किए गये कार्यों का मूल्यांकन एवं उनकी कमियों को दूर करना है। साथ ही कार्यक्षेत्र के लक्ष्य दम्पतियों को परिवार नियोजन सेवायें प्राप्त करने के लिए प्रेरित किए जाने हेतु एवं काउन्सलिंग की आधारभूत जानकारियॉ प्रदान करके क्षमता वर्धन भी किया जाएगा, ताकि समुदाय स्तर पर लक्ष्य दम्पत्तियों को परिवार नियोजन साधनों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्रदान की जा सके। आशाओं को दी जाने वाली विभिन्न प्रोत्साहन राशियों के बारे में जागरूक किया जाना भी इस बैठक का प्रमुख

उद्देश्य है। उपस्थित प्रतिभागियों हेतु बैठक व्यवस्था, स्टेशनरी एवं जलपान आदि हेतु प्रति ब्लॉक प्रति त्रैमास अधिकतम रू0 1000.00 की दर से धनराशि का प्राविधान किया जा रहा है।

(ब) 25 जनपदों में शहरी ए.एन.एम. व आशा का त्रैमासिक अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठक (FMR–9.5.3.1 & FAMS-9.5.3.1.S02)

पी0एस0आई0 संस्था द्वारा वित्त पोषित TCIHC परियोजनान्र्तगत 25 शहरों–आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, प्रयागराज, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहॉपुर, अयोध्या, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, गौतमबुद्वनगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, कानपुर नगर बुलन्दशहर, फरूखाबाद, इटावा, मउ ,रामपुर व वाराणसी के सभी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के शहरी आशा एवं ए0एन0एम0 द्वारा समुदाय को विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध मे जागरूक किये जाने, समुदाय में गर्भनिरोधक साधनो की ग्राह्यता बढाने, समुदाय की जिज्ञासा को उत्तरित किये जाने, कार्यकत्रियों का क्षमतावर्द्धन, किए गये कार्यों का मूल्यांकन एवं उनकी कमियों को दूर करना है। साथ ही कार्यक्षेत्र के लक्ष्य दम्पतियों को परिवार नियोजन सेवायें प्राप्त करने के लिए प्रेरित किए जाने हेतु एवं काउन्सलिंग की आधारभूत जानकारियॉ प्रदान करके क्षमतावर्धन भी किया जाएगा, ताकि समुदाय स्तर पर लक्ष्य दम्पतियों को परिवार नियोजन साधनों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्रदान की जा सके। आशाओं को दी जाने वाली विभिन्न प्रोत्साहन राशियों के बारे में जागरूक किया जाना भी इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य है।

उपस्थित प्रतिभागियों हेतु बैठक व्यवस्था, स्टेशनरी एवं जलपान आदि हेतु प्रति नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र प्रति त्रैमास अधिकतम रू0 2000.00 की दर से धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है। इस गतिविधि के ससमय सम्पादन की जिम्मेदारी अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर एवं पी0एस0आई0 संस्था के सिटी मैनेजर की होगी।

- **गर्भनिरोधक इन्जेक्शन अन्तरा पर चिकित्सकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण–(FMR/FAMS-9.5.3.22)-** प्रदेश के 75 जनपदों के समस्त चिकित्सा इकाईयों पर पदस्थ चिकित्साधिकारियोंको 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भनिरोधक अंतरा एवं छाया के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण हेतु जनपदों को प्रति बैचवार धनराशि निम्नानुसार प्राविधानित की जा रही हैः–

Administration of Injectable Contraceptive Training of MBBS MO -2021-22					
	Coverage	75 districts			
	Training Sites	DWH of Every Districts			
	Training days	2 days			
	Trainees	10 Medical Officers in one batch (Urban and Rural)			
	# of trainers	2			
	Target	1500			
	Batch size	20			
	# of batches	75			
SN	**Budget Head**	**Unit cost (INR)**	**# of persons**	**# of days**	**Total amount (INR)**
1	TA to trainees	100	20	1	2000
2	TA to trainer	100	2	2	400
2	Accommodation to trainees (on sharing basis)	0	0	0	0
3	DA to trainees	500	20	2	20000
4	Honorarium to trainers	600	2	2	2400
5	Refreshment for trainees & trainers & 1 observer/ support	250	22	2	11000
6	Training Material (Dev. and printing)	300	20	1	6000.00
	Total cost for 01 Batch				**41800**
	Total Cost for 75 Batches				**31.35**

- **गर्भनिरोधक इन्जेक्शन अन्तरा पर आयुष चिकित्सकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण FMR–9.5.3.23/ FAMS-9.5.3.23)-** प्रदेश के 75 जनपदों के समस्त चिकित्सा इकाईयों पर पदस्थ आयुष चिकित्साधिकारियों द्वारा भी गर्भनिरोधक अंतरा एवं छाया की सेवाएं दी जानी है, जिस हेतु 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भनिरोधक अंतरा एवं छाया के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जायेगा।

उक्त प्रशिक्षण हेतु जनपदों को प्रति बैचवार धनराशिनिम्नानुसार प्राविधानित किया जा रहा हैः–

Administration of Injectable Contraceptive Training of AYUSH MO -2021-22					
	Coverage	75 districts			
	Training Sites	DWH of Every Districts			
	Training days	2 days			
	Trainees	10 AYUSH Doctor in one batch			
	# of trainers	2			
	Target	750			
	Batch size	10			
	# of batches	75			
SN	**Budget Head**	**Unit cost(INR)**	**# of persons**	**# of days**	**Total amount (INR)**
1	TA to trainees	100	10	1	1000
2	TA to trainer	100	2	2	400
2	Accommodation to trainees (on sharing basis)	0	0	0	0
3	DA to trainees	500	10	2	10000
4	Honorarium to trainers	600	2	2	2400
5	Refreshment for trainees & trainers & 1 observer/ support	250	12	2	6000
6	Training Material (Dev. and printing)	300	10	1	3000.00
	Total cost for 01 Batch				**22800**
	Total Cost for 75 Batches				**17.10**

- **गर्भनिरोधक इन्जेक्शन अन्तरा पर सी0एच0ओ0, स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 का दो दिवसीय प्रशिक्षण (FMR/FAMS-9.5.3.24)-** उक्त 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, गर्भनिरोधक अंतरा एवं छाया के सम्बन्ध में सी0एच0ओ0, स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 को प्रशिक्षित किया जाये। उक्त प्रशिक्षण हेतु जनपदों को प्रति बैचवार धनराशि निम्नानुसार प्राविधानित की जा रही हैः–

Administration of Injectable and Oral Contraceptive Training of CHO, SN, ANM 2021-22					
	Name of training	**Training of ANMs and Staff Nurses and CHOs on New Contraceptives**			
	Coverage	75 districts			
	Training Sites	DWH of Every Districts			
	Training days	2 days			
	Trainees	20 ANMs,Staff nurses and CHOs			
	# of trainers	2			
	Target	2000			
	Batch size	20			
	# of batches	100			
SN	**Budget Head**	**Unit cost (INR)**	**# of persons**	**# of days**	**Total amount (INR)**
1	TA to trainer	100	2	2	400
2	TA to trainees	100	20	2	4000
3	Accommodation to trainees (on sharing basis)	0	0	0	0
4	DA to trainees	300	20	2	12000
5	Honorarium to trainers	600	2	2	2400
6	Refreshment for trainees & trainers & 1 observer/ support	250	22	2	11000
7	Training Material (Dev. and printing)	300	20	1	6000
	Total for 01 Batch				**35800**
	Total Cost for 100 Batches in Lakhs				**35.80**

➢ **एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 के समुचित क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण–(FMR–9.5.3.26/FAMS-9.5.3.24.S01)-**

(अ) एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 के समुचित क्रियान्वयन हेतु अर्बन हेल्थ को–ऑर्डिनेटर, जिला महिला अस्पताल के फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल मैनेजर तथा डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, बी0सी0पी0एम0, ब्लॉक चिकित्सा इकाई के फार्मासिस्ट, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, मण्डलीय एवं जनपदीय वेयर हाउस के स्टोर इन्चार्ज एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को एक दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जाना है।

उक्त प्रशिक्षण हेतु जनपदों को प्रति बैचवार धनराशि निम्नानुसार प्राविधानित किया जा रहा है:–

One Day District Level FPLMIS Refresher Training Of BCPMS, Pharmacist & NUHM Staff					
Coverage		**75 District**			
Training Site		**District Meeting Hall**			
Participant Detail	District- Urban health coordinator, pharmacist-DWH, DEO- DWH, HM-DWH Block - Pharmacist, BCPM & DEO Divisional Store - Divisional store incharge & DEO District Ware House - District warehouse incharge & DEO				
	NUHM = 75*3 Participants = 225 Block = 820*3 Participants = 2460 Chief Pharmacist 75*1 = 75 Divisional and District Ware House = 18*2 =36 & 75*2 = 150				
SN	**Indicator**	**Unit Cost**	**Number of Days**	**Participants**	**Total Budget in (Rs.)**
1	Per diem to participants (as per NHM norms)	500	1	35	17,500.00
2	Honorarium to Trainers (as per NHM norms)	500	1	2	1,000.00
3	Food for participants (Breakfast, tea, Lunch etc.)	200	1	35	7,000.00
4	Food for trainers	200	1	2	400
5	Contingency (Register, Pen, Bag, Photography, Photocopy, Banner, Projector etc.)	300	1	35	10,500.00
Total					**36,400.00**
6	T.A. to participants (actual as per state Govt. rules)	300	1	35	10,500.00
Total amount for one batch					**46,900.00**
Total Cost of Training in (Rs)		**46,900.00**	**85 Batch**		**3,986,500.00**
Total Cost of Training in (Lakh)					**39.87**

➢ **(ब) एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 के समुचित क्रियान्वयन हेतु आशा संगिनी को एक दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जाना है –(FMR–9.5.3.26/FAMS-9.5.3.24.S02)-**

उक्त प्रशिक्षण हेतु जनपदों को प्रति बैचवार धनराशि निम्नानुसार प्राविधानित किया जा रहा है:–

One Day District Level FPLMIS Refresher Training Of ASHA Sanginis					
Coverage		**75 District**			
Training Site		**Block CHC/ BPHC Training Hall**			
	Total Sanginis	**6799**			
SN	**Indicator**	**Unit Cost**	**Number of Days**	**Participants**	**Total Budget in (Rs)**
1	Per diem to participants	100	1	15	1,500.00
2	Honorarium to Trainers	100	1	2	200
3	Food for participants (Breakfast, tea, Lunch etc.)	100	1	15	1,500.00
4	Food for trainers	100	1	2	200
6	T.A. to participants	100	1	15	1,500.00
Total amount for one batch					4,900.00
Total Cost of Training in (Rs)		4,900.00	195 batches		955,500.00
Total Cost of Training in (Lakh)					9.56

- **विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़ा आयोजन से सम्बंधित गतिविधियाँ–**
  (FMR/FAMS-11.6.3)–विश्व जनसंख्या दिवस पर विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रति जनपद रू0 80,000.00 एवं प्रति ब्लाक रू0 9,000.00
  (FMR/FAMS-16.1.3.3.1)–जनपद स्तर पर आयोजित गतिविधियों की मानीटरिंग हेतु मोबिलिटी सपोर्ट के लिए प्रति जनपद रू0 20,000.00
  (FMR/FAMS-16.1.3.4.1)–ब्लाक स्तर पर आयोजित गतिविधियों की मानीटरिंग हेतु मोबिलिटी सपोर्ट के लिए प्रति ब्लाक रू0 1,000.00

- **पुरुष नसबन्दी दिवस पखवाड़ा आयोजन से सम्बंधित गतिविधियाँ–**
  (FMR/FAMS-11.6.4)–पुरुष नसबन्दी दिवस पखवाड़ा के विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रति जनपद रू0 20,000.00 एवं प्रति ब्लाक रू0 9,000.00
  (FMR/FAMS-16.1.3.3.2)–जनपद स्तर पर आयोजित गतिविधियों की मानीटरिंग हेतु मोबिलिटी सपोर्ट के लिए प्रति जनपद रू0 5,000.00
  (FMR/FAMS-16.1.3.4.2)–ब्लाक स्तर पर आयोजित गतिविधियों की मानीटरिंग हेतु मोबिलिटी सपोर्ट के लिए प्रति ब्लाक रू0 1,000.00

3.6 परिवार नियोजन प्रपत्र/रजिस्टर आदि का मुद्रण (FMR/FAMS-12.3.3)

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रयोग में आने वाले विभिन्न मैनुअल/प्रपत्र/रजिस्टर आदि के मुद्रण हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रेषित बजट फॉट में दिए गए विवरण के अनुसार निम्नानुसार व्यय की जानी है:–

Sl.No	Particulars	Unit Rate (In Rs.)
1	Sterilization Register for MC,DH,CHC	50/Registers
2	IUCD/PAIUCD Registration cum Follow up Registers Registers for (all MC,DH, CHC,UCHC,UPHC, PHC, SC)	50/Registers
3	PPIUCD Registration cum Follow up Registers @ Rs 200/copy-(DH, CHC, PHC)	50/Registers
4	DIMPA/Antara Injectable Registration cum Follow up Registers for (all MC,DH, CHC,UCHC,UPHC,PHC,SC	50/Registers
5	Chhaya Register for (all MC,DH, CHC,UCHC, UPHC, PHC, SC)	50/Registers
6	Counsellor Register (2/counsellors)	200/Registers
7	OCP Registers for (all MC,DH, CHC,UCHC,UPHC, PHC, SC)	50/Registers
8	Booklet for different forms of sterilization cases -Public Sector and Private Sector	50/Booklet
9	PPIUCD Follow up card	5/Card
10	PAIUCD Follow up card	5/Card
11	Injectable Registration cum Follw up Cards	5/Card

शासकीय एवं वित्तीय क्रय नियमों का पालन करते हुए उक्त सामग्रियों का मुद्रण सितम्बर, 2021 तक पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि धनराशि प्राप्त होते ही निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सामग्री मुद्रित कराकर, समुचित रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को प्रेषित की जाए। मुद्रण हेतु जनपदवार उपलब्ध कराई जा रही धनराशि का विवरण निम्नानुसार है–

SL. No	District	DIMPA Registration cum Follow up Registers	Chhaya Register	OCP Registers	IUCD/PAIUCD Registration cum Follow	PPIUCD Registration cum Follow up Registers	Sterilization Register	Counsellor Register	Booklet for diferent forms of sterilization cases	PPIUCD Follow up card	PAIUCD Follow up card	Injectable Registration cum Follw up Cards
1	AGRA	166	166	519	379	64	14	16	9730	8040	88	9252
2	ALIGARH	130	130	422	306	47	14	10	4075	6900	66	7760
3	AMBEDKAR NAGAR	84	84	316	226	22	9	12	2217	1942	132	5067
4	AMETHI	73	73	258	185	20	10	2	2731	2832	6	0
5	AURAIYA	56	56	201	144	15	7	8	1374	2594	8	3500
6	AYODHYA	86	86	310	222	23	8	18	1835	2614	4	5213
7	AZAMGARH	165	165	597	426	42	18	4	7915	5287	4	9750
8	BAGHPAT	63	63	235	168	16	6	2	1354	2756	16	0
9	BAHRAICH	110	110	394	281	29	12	6	5332	4423	12	7345
10	BALLIA	127	127	461	327	29	8	4	5342	2249	36	6809
11	BALRAMPUR	70	70	255	183	18	9	2	998	2837	20	4539
12	BANDA	90	90	338	239	19	6	12	3733	4947	18	3800
13	BARABANKI	120	120	428	306	33	15	4	5720	5387	4	6881
14	BAREILLY	152	152	521	374	45	6	10	5551	4475	44	9432

SL. No	District	DIMPA Registration cum Follow up Registers	Chhaya Register	OCP Registers	IUCD/PAIUCD Registration cum Follow	PPIUCD Registration cum Follow up Registers	Sterilization Register	Counsellor Register	Booklet for diferent forms of sterilization cases	PPIUCD Follow up card	PAIUCD Follow up card	Injectable Registration cum Follw up Cards
15	BASTI	94	94	331	237	27	13	4	1771	3490	44	5198
16	BIJNOR	119	119	425	303	31	7	2	2229	1811	7	7781
17	Budaun	102	102	363	259	27	8	18	2432	8115	20	7842
18	BULANDSHAHAR	127	127	437	313	36	11	8	4154	8052	37	7389
19	CHANDAULI	74	74	287	204	15	6	2	9438	1293	88	4123
20	CHITRAKOOT	49	49	170	122	14	5	10	2819	3350	6	3200
21	DEORIA	124	124	418	299	36	13	4	4867	4954	8	6544
22	ETAH	63	63	233	166	15	5	2	1658	3124	4	3720
23	ETAWAH	68	68	220	159	24	9	8	2591	3533	12	4500
24	FARRUKHABAD	69	69	238	171	21	9	4	1077	4446	20	3987
25	FATEHPUR	104	104	384	274	25	10	6	1744	3685	22	5560
26	FIROZABAD	72	72	257	185	22	5	6	3404	7427	20	5274
27	GB Nagar	67	67	187	138	29	6	2	3694	2271	22	0
28	GHAZIABAD	119	119	269	205	70	6	2	2410	4139	52	0
29	GHAZIPUR	130	130	499	353	25	6	16	8403	3252	16	9846
30	GONDA	110	110	394	281	30	13	0	3415	3867	8	7246
31	GORAKHPUR	187	187	655	469	53	9	10	12012	4755	4	0
32	HAMIRPUR	71	71	262	186	16	5	6	2866	2341	8	3200
33	HAPUR	55	55	209	148	12	3	0	1603	2979	44	0
34	HARDOI	133	133	510	361	27	8	16	4111	10266	4	8641
35	HATHRAS	64	64	232	166	16	7	8	2120	5698	8	3500
36	JALAUN	94	94	343	245	24	8	2	4359	4338	4	3528
37	JAUNPUR	170	170	617	440	44	17	12	11508	7020	8	0
38	JHANSI	117	117	411	295	34	9	4	9780	5895	24	0
39	JP Nagar	68	68	224	162	23	8	8	2589	3850	12	3884
40	KANNAUJ	72	72	242	175	24	11	8	857	3106	33	4000
41	KANPUR DEHAT	74	74	281	200	16	8	2	913	3548	4	0
42	KANPUR NAGAR	189	189	548	403	83	12	6	5382	7387	20	0
43	KASGANJ	60	60	211	151	16	6	2	1039	3689	88	0
44	KAUSHAMBI	60	60	218	155	14	5	14	3159	4243	48	4000
45	KUSHINAGAR	121	121	443	316	29	12	10	2609	1927	6	7520
46	LAKHIMPUR KHERI	127	127	466	332	32	12	12	7611	6745	6	8478
47	LALITPUR	61	61	232	165	13	5	8	8577	6308	20	3200
48	LUCKNOW	188	188	473	357	103	22	12	7870	13618	12	0
49	MAHARAJGANJ	92	92	345	246	22	9	8	7225	3873	132	5628
50	MAHOBA	47	47	175	125	11	5	6	3741	2165	4	2200
51	MAINPURI	79	79	267	191	24	9	4	1238	1613	4	3902
52	MATHURA	78	78	260	188	25	8	4	8405	2834	20	5369
53	MAU	79	79	280	200	21	6	0	1892	1843	20	0
54	MEERUT	125	125	377	276	51	10	4	4819	5260	4	7281
55	MIRZAPUR	93	93	322	232	29	13	2	9182	4169	20	0
56	MORADABAD	118	118	362	264	47	7	10	2275	3640	20	10081
57	MUZAFFARNAGAR	94	94	347	246	22	5	2	4431	2956	24	8740
58	PILIBHIT	65	65	238	170	17	6	4	2449	3851	53	4302
59	PRATAPGARH	125	125	439	315	36	17	4	5438	2658	4	0
60	PRAYAGRAJ	201	201	693	499	64	18	28	18389	8155	35	12587
61	RAEBARELI	118	118	425	304	32	14	6	4153	3734	12	5220
62	RAMPUR	73	73	259	186	20	6	6	1604	3478	20	4932
63	SAHARANPUR	140	140	462	334	48	13	2	3101	3194	4	7317
64	SAMBHAL	73	73	259	186	20	7	2	1546	5747	14	0
65	SANT RAVIDAS NAGAR	50	50	187	134	12	6	10	4540	2630	20	2200
66	SANTKABIR NAGAR	56	56	215	153	12	4	2	1878	2057	6	3621
67	SHAHJAHANPUR	114	114	375	272	39	14	6	3555	7097	16	6341
68	SHAMLI	51	51	172	124	16	6	2	904	2208	6	0
69	SHRAWASTI	38	38	144	103	9	5	6	939	3179	6	2354
70	SIDDHARTH NAGAR	99	99	353	251	23	7	0	1665	2386	8	5392
71	SITAPUR	154	154	564	403	39	15	26	9862	9831	20	9450
72	SONBHADRA	60	60	213	152	15	6	0	5688	2551	6	3934
73	SULTANPUR	87	87	303	217	25	11	2	2091	2450	8	5203
74	UNNAO	112	112	425	302	25	7	8	3194	3397	44	6570
75	VARANASI	134	134	415	304	54	12	6	12570	5622	109	0

नोट– *उपरोक्त तालिका में अंकित मुद्रित कराई जाने वाली सामग्री में दी गयी संख्या को जनपद अपनी आवश्यकतानुसार समान धनराशि के रजिस्टर्स एवं फार्मेट्स को आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर मुद्रण करा सकते हैं।*

3.7 मण्डल स्तर पर तैनात संविदा मण्डलीय एफ0पी0 एण्ड एल0एम0आई0एस0 मैनेजर का मानदेय (FMR–14.1.1.3/ FAMS-14.1.1.3.S02)

मण्डल स्तर पर कार्यरत संविदा मण्डलीय एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर हेतु 12 माह के मानदेय का प्राविधान किया गया है। इस हेतु सम्बन्धित मण्डलीय जनपद के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में बजट का प्राविधान किया गया है। सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0 के खाते में बजट अवमुक्त किये जाने के उपरान्त मण्डलीय अपर निदेशक के स्तर से मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई मे कार्यरत अन्य संविदा कर्मियों की भॉति भुगतान किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव संसाधन अनुभाग द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुसार ही वेतन वृद्वि प्रदान किया जाए।

- **मण्डल स्तर पर तैनात संविदा मण्डलीय एफ0पी0 एण्ड एल0एम0आई0एस0 मैनेजर हेतु आपरेशनल मद का व्यय (FMR–16.1.2/FAMS-16.1.2-S01)**–मण्डलीय एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर द्वारा अनुश्रवण, सर्पोटिव सुपरविजन, हैंण्ड होल्डिग, प्रशिक्षण तथा बैठको में प्रतिभाग करने हेतु जनपद के बाहर भ्रमण किया जाता है, जिस हेतु पी0ओ0एल0, यात्रा भत्ता, टी0ए0 / डी0ए0 एवं बोर्डिग लॉजिंग का भुगतान किया जायेगा। उक्त मद में रू0 8,000.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही मण्डलीय एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर के वित्तीय वर्ष 2020–21 का बकाया टी0ए0 / डी0ए0 का भुगतान भी इसी मद से किया जाना है।

यात्रा भत्ता (वास्तविक व्यय के आधार पर)			**पर डियम प्रतिदिन (रू0)**	**ठहरने की व्यवस्था हेतु अधिकतम अनुमन्यता प्रतिदिन (रू0)**
रेल मार्ग द्वारा	सड़क मार्ग द्वारा	मण्डल के अन्दर निजी वाहन से यात्रा की स्थिति में रू0 5 / किमी0 देय होगा	1000	1500
ए0सी02 / ए0सी0 चेयर कार	बस / शेयर टैक्सी			

नोटः–

(अ) किसी भी स्थान पर कम से कम 8 घंटे ठहरने पर 1 दिन गिना जायेगा तथा 04 अथवा अधिक घण्टे होने किन्तु 08 घण्टे से कम होने पर आधा दिन माना जायेगा। 04 घण्टे से कम यात्रा होने पर कोई भी परडियम देय नहीं होगा। मुख्यालय से ट्रेन / बस / टैक्सी के छूटने के निर्धारित समय / तिथि से यात्रा मानी जायेगी तथा मुख्यालय पर वापस आने के बाद वास्तविक समय पर समाप्त मानी जायेगी।

(ब) मण्डल के जनपदों में भ्रमण करने की स्थिति में परडियम का भुगतान नही किया जाना है।

- **जनपद स्तर पर तैनात संविदा जिला एफ0पी0 एण्ड एल0एम0आई0एस0 मैनेजर हेतु मानदेय मद का व्यय–(FMR–14.1.1.3 /FAMS-14.1.1.3.S03)** मिशन परिवार विकास के 57 जनपदों में जनपद स्तर पर कार्यरत संविदा जिला एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर हेतु 12 माह का मानदेय मद में बजट का प्राविधान किया गया है।

नोट–यह सुनिश्चित किया जाए कि जिला एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर को मानव संसाधन अनुभाग द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुसार मानदेय में वेतन वृद्वि प्रदान किया जाए।

- **जनपद स्तर पर तैनात संविदा जिला एफ0पी0 एण्ड एल0एम0आई0एस0 मैनेजर हेतु आपरेशनल मद का व्यय (FMR–14.1.1.3/FAMS-16.1.2-S01)**–जनपदीय एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर के द्वारा अपने जनपद के ब्लॉक में अनुश्रवण, सर्पोटिव सुपरविजन, हैंण्ड होल्डिग, प्रशिक्षण तथा बैठको में प्रतिभाग करने हेतु भ्रमण किया जाता है तो इस हेतु पी0ओ0एल0, यात्रा भत्ता, टी0ए0 / डी0ए0 एवं बोर्डिग लॉजिंग का भुगतान किया जायेगा। उक्त मद में रू0 5,000.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि का प्रावधान किया गया है। यदि जनपद के बाहर प्रशिक्षण तथा बैठको में प्रतिभाग करने हेतु भ्रमण किया जाता है तो उक्त के अलावा बोर्डिग एवं लॉजिंग का भुगतान भी इसी मद से किया जायेगा। साथ ही जनपदीय एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर के वित्तीय वर्ष 2020–21 का बकाया टी0ए0 / डी0ए0 का भुगतान भी इसी मद से किया जाना है।

यात्रा भत्ता (वास्तविक व्यय के आधार पर)			**पर डियम प्रतिदिन (रू0)**	**ठहरने की व्यवस्था हेतु अधिकतम अनुमन्यता प्रतिदिन (रू0)**
रेल मार्ग द्वारा	सड़क मार्ग द्वारा	जनपद के अन्दर निजी वाहन से यात्रा की स्थिति में रू0 5 / किमी0 देय होगा		
ए0सी02 / ए0सी0 चेयर कार	बस / शेयर टैक्सी		1000	1500

3.8 परिवार नियोजन सेवाओं सम्बन्धी सामग्रियों को राज्य औषधि भण्डारण गृह से मण्डल, जनपद एवं ब्लॉक के औषधि भण्डारण गृह तक पहुॅचाने हेतु यात्रा व्यय

भारत सरकार द्वारा प्रदेश में परिवार नियोजन सेवाओं सम्बन्धी समस्त सामग्रियों को राज्य औषधि भण्डारण गृह से मण्डल, जनपद एवं ब्लाक के औषधि भण्डारण गृह तक पहुॅचाने हेतु बजट का प्राविधान किया गया है। प्राविधानित बजट से, समस्त 18 मण्डलीय भण्डारण गृह एफ0पी0–एल0एम0आई0एस0 के माध्यम से किये गये इन्डेण्ट अनुसार राज्य मुख्यालय के परिवार नियोजन सामग्री सम्बन्धित भण्डार गृह से सामग्री प्राप्त करेंगें। इसी प्रकार समस्त 75 जनपद सम्बन्धित मण्डल मुख्यालय के भण्डार गृह से तथा जनपद के समस्त चिकित्सा ईकाईयॉ जनपद भण्डार गृह से एफ0पी0–एल0एम0आई0एस0 के माध्यम से किये गये इन्डेण्ट अनुसार परिवार नियोजन सामग्री प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात, जनपदों का दायित्व होगा कि इसी मद का उपयोग करते हुए समस्त ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाईयों पर ब्लाक के समस्त प्राथमिक (ग्रामीण व शहरी) स्वास्थ्य केन्द्रों व उपकेन्द्रों हेतु परिवार नियोजन सामग्रियों की आपूंर्ति एवं वितरण सुनिश्चित किए जाने हेतु बजट का प्राविधान किया गया हैं।

- **मण्डलीय औषधि भण्डारण गृह हेतु (FMR–14.2.3/FAMS-14.2.3.S01)** रू0 1,61,555.00 वार्षिक
- **जनपदीय औषधि भण्डारण गृह हेतु (FMR–14.2.3/FAMS-14.2.3.S02)** रू0 74,973.00 वार्षिक

नोट–*समस्त प्रकार के टैक्स आदि उपरोक्त धनराशि में सम्मिलित हैं।*

3.9 क्षेत्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक (FMR–16.1.2.1.5/FAMS-16.1.2.1.5.S01)

परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा हेतु प्रदेश में वर्ष 2021–22 में क्षेत्रीय स्तर पर–प्रयागराज, लखनऊ, मथुरा, गोरखपुर, झांसी, मेरठ एवं मुरादाबाद में कुल 07 क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाएगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आंकलन हेतु समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाएगा।

मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक का यह दायित्व होगा कि वो जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के समन्वयन से उक्त समीक्षा बैठक आयोजित करेंगें। इस बैठक में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोडल आफिसर (परिवार कल्याण), मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, क्षेत्रीय एवं जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, जिला लेखा प्रबन्धक, मण्डलीय एवं जनपदीय एफ0पी0–एल0एम0आई0एस0 मैनेजर्स, महिला चिकित्सालय के हॉस्पिटल मैनेजर एवं जिला फैमिली प्लानिंग स्पेशलिस्ट (टी0एस0यू0) आदि प्रतिभाग करेंगे। उक्त बैठक में राज्य स्तरीय अधिकारियों के द्वारा इकाईवार, विधिवार सेवाप्रदातावार उपलब्धि की समीक्षा के साथ संसाधनों की उपलब्धता आदि की समीक्षा की जायेगी।

नोट–बैठक के निर्धारण की तिथि की सूचना राज्य स्तर से पृथक से दी जायेगी।

क्षेत्रीय स्तर पर बैठक के आयोजन हेतु रू0 1,00,000.00 प्रति समीक्षा बैठक की दर से धनराशि का प्रावधान किया गया है।

3.10 मिशन परिवार विकास अभियान (4 प्रतिवर्ष) (FMR–16.1.3.3.17/FAMS-16.1.3.3.17.S01)

प्रत्येक तिमाही मिशन परिवार विकास अभियान की सेवाप्रदायगी अधिकतम सात दिवसीय होगी। अभियान के दौरान नियत दिवसों पर चिकित्सकों को प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त टी0ए0 / डी0ए0 के रुप में रू0 1000.00 प्रतिदिन देय होगा। उक्त धनराशि कार्य आधारित प्रोत्साहन है, इसलिए यह राशि तभी प्रदान की जायेगी जब चिकित्सक द्वारा न्यूनतम 10 नसबन्दी केस सफलतापूर्वक सम्पादित कर लिए जायेंगें।

3.11 नसबंदी सेवा प्रदाताओं के अभाव वाले जनपदों में अन्य जनपदों के सरकारी नसबंदी सेवा प्रदाता द्वारा नियत सेवा दिवस पर नसबंदी की सेवा प्रदान करने हेतु (FMR/ FAMS-18.1.2)

प्रदेश के चिन्हित 16 जनपदों में क्रियाशील (परफार्मिंग) नसबंदी सेवा प्रदाताओं का अभाव है। जिससे उन जनपदों में नियत सेवा दिवस पर सेवा देने हेतु अत्यन्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस योजना का उद्देश्य है कि ऐसे जनपदों में जहॉ क्रियाशील सेवा प्रदाताओं का अभाव है तथा नजदीकी जनपदों में सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता है, के द्वारा नियत सेवा दिवस पर सेवा प्रदान करने हेतु सर्जन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ये गतिविधि उन्ही जनपदों में स्वीकृत की गयी है जहाँ विगत वर्षों में सेवा

प्रदाता की अनुपलब्धता के कारण नियत सेवा दिवस बाधित हुए थे और इच्छुक लाभार्थियों को सेवायें नहीं प्रदान की जा सकी थी।

जनपद की विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों पर सफल नियत सेवा दिवस के आयोजन करने के लिए सेवा प्रदाता (सर्जन) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अन्य जनपदों में कार्यरत इम्पैनल्ड नसबंदी सेवा प्रदाताओं को सक्षम अधिकारी के द्वारा लगाया जायेगा। नियत सेवा आयोजन, अन्य व्यवस्थाओं की पूर्ण जिम्मेदारी उस स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी/अधीक्षक के द्वारा की जायेगी। नसबंदी सेवा प्रदाता को एक नियत सेवा दिवस में सेवा देने हेतु निम्नानुसार मानदेय एवं मोबिलिटी प्रदान किया जायेगा।

विधि	मानदेय रु0
नसबंदी (महिला/पुरुष)	रु0 400.00 प्रति केस (न्यूनतम 10 नसबंदी पर देय होगा)
मोबिलिटी	रु0 2500.00 प्रति विजिट नियत सेवा दिवस ने प्रतिभाग करने हेतु

उपरोक्त मानदेय नियमित रुप से परिवार कल्याण में सेवा प्रदाता (सर्जन) को दिये जाने वाले मानदेय के अतिरिक्त होगा।

योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी (परिवार कल्याण), जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला परिवार नियोजन विशेषज्ञ मिलकर निम्न कार्यवाही करेंगे–

- अन्य जनपदों में कार्यरत नसबंदी सेवा प्रदाता (सर्जन) की सूची तैयार करेगें, जो उनके जनपद में नियत सेवा दिवस पर सेवा दे सके।
- सेवा प्रदाता के अभाव वाले जनपद द्वारा स्वास्थ्य इकाईयों की मैपिंग करना।
- अपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सेवा प्रदाता हेतु शल्यक टीम का गठन एवं नियत सेवा दिवस पर उपस्थिति सुनिश्चित कराना।
- संबंधित अपर निदेशक स्तर से जनपद में सेवा प्रदान करने हेतु संबंधित सेवा प्रदाता तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश निर्गत कराना।
- सेवा प्रदाता (सर्जन) को नियत सेवा दिवस के आयोजन के उपरान्त मानदेय राशि का पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से राशि स्थानान्तरित कराना।

3.12 स्वास्थ्य इकाई के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के दायित्व

नियत दिवस सेवा के आयोजन की समस्त जिम्मेदारी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की होगी यथा नियत सेवा दिवस का प्रचार प्रसार कराना व आशा क्लस्टर बैठक में नियत सेवा दिवस तिथि के बारे में आशाओं को अवगत कराना।

- नियत सेवा दिवस कैलेन्डर तैयार करने से पूर्व सेवा प्रदाताओं से समन्वय स्थापित करना।
- नियत सेवा दिवस से पूर्व ओ0 टी0 तैयार कराना।
- नियत सेवा दिवस से पूर्व सभी आवश्यक उपकरण एवं सामग्री की व्यवस्था करना।
- सेवा प्रदाता से नियत सेवा दिवस से पूर्व वार्ता कर स्वास्थ्य इकाई पर सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कराना।
- नियत सेवा दिवस में आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाना।
- सेवा प्रदाता को ससमय मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करना।
- क्षेत्रीय आशाओं के माध्यम से नसबंदी सेवाओं हेतु संभावित लाभार्थियों की सूची एवं प्री रजिस्ट्रेशन किया जाना तथा सभी आशाओं को नियत सेवा दिवस पर क्लाइंट का मोबिलाइजेशन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देना।

उक्त सेवाओं को सुनिश्चित किए जाने हेतु, निम्न फॉट में दिए गए विवरण के अनुसार बजट का प्राविधान किया गया है–

List of Districts with allotted days for engaging private service provider for FDS					
S N	Name of Districts	No of days	Additional incentives @Rs. 400/- per case @10 cases per FDS	Mobility @Rs. 2500/- per FDS	Total Amoint (Rs.)
1	AURAIYA	38	304000.00	95000.00	399000.00
2	CHITRAKOOT	15	120000.00	37500.00	157500.00
3	ETAH	12	96000.00	30000.00	126000.00
4	FATEHPUR	26	208000.00	65000.00	273000.00
5	FIROZABAD	25	200000.00	62500.00	262500.00
6	GHAZIPUR	10	80000.00	25000.00	105000.00

7	HATHRAS	8	64000.00	20000.00	84000.00
8	JP Nagar	26	208000.00	65000.00	273000.00
9	KANPUR DEHAT	20	160000.00	50000.00	210000.00
10	KASGANJ	10	80000.00	25000.00	105000.00
11	KUSHINAGAR	20	160000.00	50000.00	210000.00
12	MATHURA	25	200000.00	62500.00	262500.00
13	MORADABAD	31	248000.00	77500.00	325500.00
14	SANTKABIR NAGAR	31	248000.00	77500.00	325500.00
15	SHAMLI	20	160000.00	50000.00	210000.00
16	SHAHJAHANPUR	15	120000.00	37500.00	157500.00

3.13 सेवा प्रदाताओं का जनपद स्तर पर काउन्सिलिंग प्रशिक्षण (FMR–18.14/FAMS-18.14)

समस्त जनपदों में शहरी स्वास्थ्य इकाईयों पर नियुक्त ए0एन0एम0 एवं हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर नियुक्त सी0एच0ओ0 व ए0एन0एम0 को परिवार नियोजन संबधित परामर्श जनसमुदाय को प्रदान किये जाने के सन्दर्भ में विभिन्न परामर्श विधियों में क्षमता वृद्धिकरण किया जाना है। प्रशिक्षित मानव संसाधन द्वारा जनपद स्तर पर प्रतिबैच 30 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करते हुए स्वास्थ्य इकाई को परिवार नियोजन–परामर्श सक्षम इकाई के रुप में विकसित किया जाएगा। जनपद स्तर के प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जनपद के लिए रु0 15,400.00 प्रति बैच की दर से निम्नानुसार धनराशि का प्राविधान किया गया हैः–

S.N.	Trainings-cum-Orientation	Rate	Days	Number/Units	Amount
	District Level training of 5100 CHOs/ANMs/SN				
A	Food for participants (Breakfast, Tea, Lunch etc)	200	1	30	6,000
B	Food for trainers (Lunch, Tea etc.)	200	1	2	400
C	Contingency (Register, Pen, Bag, Photography, Photocopy, Banner etc.)	300	1	30	9,000
	Total amount for one batch				**15,400**
	Amount for 75 batches				**1,155,000**

4. पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994

प्रदेश में घटता हुआ बाल लिंगानुपात गम्भीर चिन्ता का विषय है। कन्या भ्रूण हत्या एवं लिंग परीक्षण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994 में ''प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994'' पूर्व में ही प्रख्यापित किया जा चुका है, जो कि उत्तर प्रदेश में भी लागू है। वर्ष 2003 में इस अधिनियम में संशोधित करते हुए इसका नाम ''गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994'' कर दिया गया है। अधिनियम के अनुसार ऐसे सभी केन्द्र जहाँ गर्भधारण से पूर्व अथवा प्रसव पूर्व गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग की पहचान की जा सकती है, का पंजीकरण अनिवार्य है। किसी प्रकार से भी भ्रूण लिंग की जाँच कर उसका परिणाम बताना अथवा गर्भधारण पूर्व अथवा प्रसव पूर्व लिंग चयन करना व करवाना गैर कानूनी है। इस अधिनियम के अन्तर्गत गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग चयन से सम्बन्धित विज्ञापन भी पूर्णतया निषेध है। इस कानून की एक अहम बात यह भी है कि भ्रूण लिंग की जाँच करने वाले चिकित्सक तथा जाँच करवाने वाले व्यक्ति दोनो को कैद तथा जुर्माना हो सकता है।

प्रदेश में घटते हुये बाल लिंगानुपात की रोकथाम हेतु ''डिक्वाय ऑपरेशन'' संचालित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश दिनांकित 27.06.2017 के सापेक्ष ''**मुखबिर योजना**'' 01 जुलाई 2017 से लागू की गयी है। आवश्यक है कि लिंग चयन एवं लिंग चयन के पश्चात विशेष लिंग के भ्रूण की हत्या के अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों/केन्द्रों/संस्थाओं की गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त की जाये व ऐसे केन्द्रों/संस्थाओं/स्थलों पर ''डिक्वाय ऑपरेशन'' के माध्यम से इस अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों/संस्थाओं/केन्द्रों के विरूद्व साक्ष्य एकत्रित करते हुये उनके विरूद्व मा0 न्यायालय में दण्डादेश पारित कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये। ''**मुखबिर योजना**'' लागू होने के उपरान्त प्रदेश में अब तक कुल 12 सफल ''डिक्वाय ऑपरेशन'' ही सम्पादित किये गये है। अतः बाल लिंगानुपात में कमी लाने हेतु जनपदों द्वारा अधिक से अधिक सफल ''डिक्वाय ऑपरेशन'' किया जाना आवश्यक है।

''गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिशेध) अधिनियम, 1994'' के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 27 नवम्बर, 2014 को एक वेबसाइट www.pyaribitiya.in लांच की गयी। जिसके माध्यम से जनपद स्तर पर पंजीकृत ईकाइयों एवं अधिनियम के क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया जाता है। साथ ही पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 के अन्तर्गत इकाईयों के पंजीयन/नवीनीकरण की प्रकिया को सरल एवं आवेदनों को समयबद्व निस्तारण हेतु इकाईयों के पंजीयन/नवीनीकरण की सम्पूर्ण प्रकिया को 14 नवम्बर 2020 से पोर्टल www.pyaribitiya.in के माध्यम से ऑनलाईन कर दिया गया है।

हेल्थ मैनेजमेन्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम से मार्च 2021 की निर्गत रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का जन्म के समय बाल लिंगानुपात 929 है जो कि NFHS-4 (2015-16) में प्रदर्शित लिंगानुपात 903 से 26 अधिक है। NFHS-4 के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात में एक दशक में 19 अंको की गिरावट दर्ज की गयी थी। NFHS-3 (2005-06) में 922 लिंगानुपात के सापेक्ष NFHS-4 (2015-16) में 903 लिंगानुपात प्रदर्शित था। जनगणना 2011 के ऑंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपदों में शिशु लिंग अनुपात में गिरावट परिलक्षित हुई है। जबकि 2001 में प्रदेश का बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष) 916 था, जो कि वर्ष 2011 में गिरकर 902 रह गया है।

उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात गिरावट 14 अंकों की दर्शायी गयी है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह गिरावट 8 अंकों की है तथा यह गिरावट प्रदेश के अधिकतर जनपदों में है। गिरते हुए बाल लिंगानुपात का मुख्य कारण आधुनिक निदान तकनीकों का दुरुपयोग कर गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग की जानकारी प्राप्त कर उसके कन्या होने की दशा में उसका अवैध तरीके से गर्भपात कराना है। गिरते हुए बाल लिंगानुपात पर नियंत्रण प्राप्त करने तथा कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा ''गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिशेध) अधिनियम, 1994'' प्रख्यापित किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में भी लागू है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा जिलाधिकारी को जनपदीय समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद एवं मण्डल स्तरीय गतिविधियों के सम्पादन हेतु अनुमोदित धनराशि के आवंटित सीमा तक का व्यय, जनपद में आर.सी.एच. फ्लैक्सीपूल में उपलब्ध धनराशि से नियमानुसार व्यय की जानी है। जनपद स्तरीय गतिविधियों के सम्पादन का मुख्य दायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी का एवं मण्डल स्तरीय गतिविधियों के सम्पादन का दायित्व मण्डलीय अपर निदेशक–चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का है। प्रदेश में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु राज्य समुचित प्राधिकारी (स्टेट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी)/महानिदेशक परिवार कल्याण द्वारा समय–समय पर प्रेषित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में निम्नलिखित गतिविधियाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत <u>मण्डल/जनपद</u> स्तर पर संचालित की जानी हैं–

4.1 जनपद/मण्डल स्तर पर कार्यरत संविदा कर्मियों का मानदेय (FMR 16.2.1)

- **<u>मण्डल स्तरीय डाटा असिस्टेन्ट</u>**–गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के मण्डल स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन एवं गतिविधियों के सफलता पूर्वक सम्पादन हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 की आर0ओ0पी0 में प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में 01–01 डाटा असिस्टेन्ट का पद स्वीकृत किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में **सहारनपुर** मण्डल के अतिरिक्त समस्त 17 जनपदों में एक–एक डाटा असिस्टेंट मण्डलीय अपर निदेशक–चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यालय में कार्यरत है। भारत सरकार द्वारा पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर कार्यरत डाटा असिस्टेंट हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में **@ रु0** 25,358/– प्रतिमाह की दर से 12 माह का मासिक मानदेय एवं वर्तमान में देय मानदेय पर **@** 05 प्रतिशत की वेतन वृद्वि स्वीकृत की गयी है। मानदेय के भुगतान का प्राविधान वित्तीय नियमानुसार, प्रेषित बजट फॉट में दिए गए विवरण के अनुसार किया जाये।
- **<u>जनपद स्तरीय डाटा इन्ट्री आपरेटर</u>**– भारत सरकार द्वारा 2021–22 की आर0ओ0पी0 में प्रदेश के प्रत्येक जनपद हेतु 01–01 जनपद स्तरीय डाटा इन्ट्री आपरेटर का पद स्वीकृत किया गया है। प्रदेश के समस्त जनपदों में से 09 जनपदों–**मुरादाबाद, सम्भल, औरैया, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर,**

बदायू, पीलीभीत, फिरोजाबाद एवं प्रतापगढ़ को छोड़कर शेष 66 जनपदों में डेटा इन्ट्री आपरेटर कार्यरत हैं। जिसके 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है। जनपद **मुरादाबाद, सम्भल, औरैया, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, बदायू, पीलीभीत, फिरोजाबाद एवं प्रतापगढ** के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि रिक्त डेटा इन्ट्री आपरेटर के पदों पर चयन तब तक नहीं किया जाए, जब तक इस सम्बन्ध में राज्य स्तर से निर्देश न प्रेषित किये जाएं। वर्ष 2021–22 की आर0ओ0पी0 में मानदेय के भुगतान का प्राविधान वित्तीय नियमानुसार प्रेषित बजट फॉट दिए गए विवरण के अनुसार किया जाये।

- **<u>जनपद स्तरीय पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कोऑर्डिनेटर</u>**–प्रदेश के चयनित 24 जनपदों में जनपद स्तरीय पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कोआर्डिनेटर की पदस्थापना की गयी है। 03 जनपदों **हापुड, वाराणसी एवं जौनपुर** को छोडकर 21 जनपदों में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कोआर्डिनेटर कार्यरत है, जिनके मासिक मानदेय हेतु रु0 22,050.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि दिए जाने की व्यवस्था की गयी है। समस्त कार्यरत पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कोआर्डिनेटर को भारत सरकार द्वारा परफारमेन्स के आधार पर वर्तमान देय मानदेय पर 05 प्रतिशत की वेतन वृद्धि 2021–22 की आर0ओ0पी0 में स्वीकृत की गयी है। चयनित 24 जनपद निम्न हैं–

क.	मण्डल	जनपद	जनपद	जनपद	ज्नपद	जनपद	जनपद
1	आगरा	आगरा	फिरोजाबाद	मैनपुरी	मथुरा		
2	मेरठ	मेरठ	बागपत	बुलन्दशहर	गौतमबुद्धनगर	गाजियाबाद	हापुड (पद रिक्त)
3	लखनऊ	लखनऊ	हरदोई	खीरी	रायबरेली	सीतापुर	उन्नाव
4	गोरखपुर	गोरखपुर	देवरिया	कुशीनगर	महाराजगंज		
5	वाराणसी (पद रिक्त)	वाराणसी	चंदौली	गाजीपुर	जौनपुर (पद रिक्त)		

4.2 कन्टीजेन्सी धनराशि का प्राविधान–(FMR–16.2.1)

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 की आर0ओ0पी0 में एफ0एम0आर0 संख्या–16.2.1 के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद हेतु रू0 5,000.00 की दर से कुल रू0 3.75 लाख की धनराशि एवं मण्डल स्तर हेतु रू0 10,000.00 की दर से कुल रू0 1.80 लाख की धनराशि कन्टीजेन्सी मद में स्वीकृत की गयी है। उक्त धनराशि का व्यय अधिनियम में निर्दिष्ट कार्यकलापो/मदों के लिये किया जा सकेगा।

4.3 मुखबिर योजना के अन्तर्गत पुरस्कार का प्राविधान–(FMR–16.2.3)

प्रदेश में घटता हुआ बाल लिंगानुपात गम्भीर चिन्ता का विषय है। आवश्यक है कि लिंग चयन एवं लिंग चयन के पश्चात विशेष लिंग के भ्रूण की हत्या के अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों/केन्द्रों/संस्थाओं की गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त की जाए व ऐसे केन्द्रों/संस्थाओं/स्थलों पर ''डिक्वाय ऑपरेशन'' के माध्यम से इस अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों/संस्थाओं/केन्द्रों के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करते हुए उनके विरुद्ध मा0 न्यायालय से दण्डादेश पारित कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

उक्त योजना के संबंध में शासनादेश संख्याः–37/2017/383/पॉच–9–2017–9(37)/2017 दिनॉक 23 जून 2017 का संज्ञान लिया जाये एवं शासनादेश में निहित व्यवस्थानुरुप तथा राज्य समुचित प्राधिकारी के स्तर से इस सम्बंध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये डिक्वाय ऑपरेशन सम्पादित किये जाये तथा भुगतान हेतु प्रपत्र अग्रसारित किये जाये।

जनसमुदाय द्वारा सफल डिक्वॅाय ऑपरेशन करवाने पर ''मुखबिर'' को रु0 60,000.00 व ''मिथ्या ग्राहक'' को रु0 1,00,000.00 एवं ''मिथ्या ग्राहक सहायक'' को रु0 40,000.00 की धनराशि पुरस्कार के रूप में 03 किश्तों में दावा करने पर अनुमन्य की जायेगी।

नोट–मुखबिर योजना के तहत धनराशि का भुगतान जनपदों से प्राप्त मॉग पत्र के आधार पर राज्य स्तर से नियमानुसार किया जाएगा।

4.4 मण्डल एवं जनपद स्तरीय निरीक्षण टीमों हेतु मोबिलिटी सपोर्ट –(FMR –16.2.2)

- मण्डल एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों के मोबिलिटी सपोर्ट हेतु नियमानुसार टी0ए0/डी0ए0 के लिए **प्रत्येक मण्डल को रु0 10,000.00** एवं **प्रत्येक जनपद को रू0 50,000.00** की धनराशि **एफ0एम0आर0 कोड संख्या–16.2.2** के अर्न्तगत प्राविधानित की गयी है।

- पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 से विनियमित सेवायें प्रदान करने वाले केन्द्रों का निरीक्षण मण्डल स्तर से मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत मण्डलीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा किया जाये।
- मण्डल स्तरीय निरीक्षण में मण्डलीय अपर निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक के साथ सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जनपदीय समुचित प्राधिकारी (पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994) का उपकरणों व अभिलेखों को सील/सीज करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी का होना अनिवार्य है।
- जनपद स्तरीय निरीक्षण के समय मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा संयुक्त निदेशक/जनपदीय नोडल पी0सी0पी0एन0डी0टी0 के साथ सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जनपदीय समुचित प्राधिकारी (पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994) अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का उपकरणों व अभिलेखों को सील/सीज करने हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।
- निरीक्षण के समय यदि अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला प्रकाश में आता है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित केन्द्र की समस्त अल्ट्रासाउण्ड मशीनों के साथ–साथ ऐसे समस्त उपकरण जिनके द्वारा गर्भधारण पूर्व अथवा प्रसव पूर्व लिंग चयन सम्भव है, को निरीक्षण के समय ही सील किया जाये। इसके अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अभिलेखों को मूल रूप में जब्त भी किया जाए इस हेतु पृथक से सीलिंग/सीजर मैमो आवश्यक रूप से बनाया जाये।
- जब्त किए गए अभिलेखों/उपकरणों के साथ–साथ निरीक्षण रिपोर्ट, सीलिंग मैमो व सीजर मैमो की मूल प्रति जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में सम्बन्धित केन्द्र की पत्रावली में सुरक्षित रखीं जायें।
- अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में केन्द्र के पंजीकरण के निलम्बन/निरस्तीकरण के साथ–साथ दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में परिवाद योजित किए जाने की कार्यवाही जनपदीय समुचित प्राधिकारी द्वारा अमल में लायी जायेगी। इस हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दायित्व है कि वे मूल निरीक्षण रिपोर्ट, सीलिंग व सीजर मैमो के साथ–साथ समस्त साक्ष्य/अभिलेख जिलाधिकारी के समक्ष पत्रावली पर प्रस्तुत करें।
- निरीक्षण रिपोर्ट, सीलिंग मैमो व सीजर मैमो की एक छायाप्रति मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा निरीक्षणोपरान्त सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जनपदीय समुचित प्राधिकारी के साथ–साथ अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकरण (पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994), परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0, जगत नारायण रोड, लखनऊ–226003 को नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।
- निरीक्षण हेतु प्रारूप पूर्व में जनपदों को उपलब्ध कराया जा चुका है।

4.5 क्षेत्रीय पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कार्यशाला– (FMR 16.2.3)

पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 में समय समय पर होने वाले आवश्यक संशोधनों के सम्बन्ध में जनपद एवं मण्डल स्तरीय अधिकारियों के अभिमुखीकरण, कार्यक्रम के संचालन में आने वाली चुनौतियों एवं कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा हेतु प्रदेश में कुल 05 क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन प्रदेश में आगरा, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर एवं वाराणसी जनपद में किया जाना है। पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 के अन्तर्गत आयोजित होने वाली 05 क्षेत्रीय कार्यशालाओं हेतु प्रदेश के 75 जनपदों को निम्नानुसार 05 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है–

पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 के अन्तर्गत आयोजित होने वाली 05 क्षेत्रीय कार्यशालाओं हेतु जनपदों का विवरण				
क्षेत्रीय जनपद लखनऊ	**क्षेत्रीय जनपद आगरा**	**क्षेत्रीय जनपद मेरठ**	**क्षेत्रीय जनपद गोरखपुर**	**क्षेत्रीय जनपद वाराणसी**
लखीमपुरखीरी	मथुरा	बागपत	देवरिया	जौनपुर
हरदोई	फिरोजाबाद	बुलन्दशहर	कुशीनगर	चन्दौली
रायबरेली	मैनपुरी	हापुड़	महाराजगंज	गाजीपुर
सीतापुर	झाँसी	जी.बी. नगर	**बस्ती**	**मिर्जापुर**
उन्नाव	जालौन	गजियाबाद	एस.के.नगर	सोनभद्र
अयोध्या	ललितपुर	**मुरादाबाद**	सिद्वार्थनगर	भदोही
अमेठी	**अलीगढ़**	बिजनौर	**आजमगढ**	**प्रयागराज**
बराबंकी	एटा	सम्भल	बलिया	कौशाम्बी
अम्बेडकर नगर	हाथरस	अमरोहा	मऊ	फतेहपुर

सुल्तानपुर	कासगंज	रामपुर	**गोण्डा**	प्रतापगढ़
बरेली	**कानपुर नगर**	मुजफ्फरनगर	बलरापुर	**बाँदा**
बदायूँ	इटावा	**सहारनपुर**	बहराइच	चित्रकूट
पीलीभीत	फर्रूखाबाद	शामली	श्रावस्ती	हामिरपुर
शाहजहाँ	कन्नौज			महोबा
	कानपुर देहात			
	औरेया			

उक्त कार्यशाला में राज्य, मण्डल, जनपद एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों व सेवाप्रदाताओं द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। अभिमुखीकरण कार्यशाला में राज्य स्तर से प्राधिकृत अधिकारी, मण्डल स्तर से मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत मण्डल स्तरीय सयुक्त निदेशक, प्रत्येक जनपद के जिला सलाहकार समिति के सदस्यों, जनपदीय नोडल अधिकारी (पी0सी0पी0एन0डी0टी0), जिला चिकित्सालय/जिला महिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालयों के मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षकों, सी.एच.सी./पी.एच.सी. के अधीक्षकों/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। कार्यशाला के आयोजन की तिथि निर्धारित होने की सूचना कम से कम 01 सप्ताह पूर्व राज्य स्तर को अवश्य प्रेषित कर दी जाय, जिससे कि कार्यशाला में प्रतिभाग हेतु राज्य से किसी अधिकारी/सलाहकार को नामित किया जा सके।

इस कार्यशाला को सम्पन्न कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित मण्डल के मण्डलीय अपर निदेशक–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का है। उक्त कार्यशाला के आयोजन में मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक एवं उस जनपद के जिला कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा। बैठक के आयोजन हेतु रू0 1,00,000.00 प्रति कार्यशाला की दर से धनराशि का प्राविधान सम्बंधित जनपद में किया गया है। कार्यशाला हेतु आंवटित धनराशि का व्यय आयोजन स्थल की व्यवस्था, प्रतिभागी हेतु स्टेशनरी पेन, पैड, फोल्डर एवं पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट की किताब (हिन्दी वर्जन), जलपान एवं भोजन इत्यादि में किया जाना है।

कार्यशाला के आयोजन के उपरान्त एक सक्षिप्त रिपोर्ट, फोटोग्राफ्स एवं समाचार पत्रो की कटिंग मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक/जिला कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के आई0ई0सी0 अनुभाग को तथा महानिदेशक–परिवार कल्याण को भेजना सुनिश्चित करें। कार्यशाला में हुये व्यय का विवरण व सम्बन्धित दस्तावेज, डाक्यूमेण्टेशन (फोटोग्राफ आदि) एवं समाचार पत्रों की कटिंग, उपस्थित पत्रक आदि रिकार्ड के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर सुरक्षित रखें।

4.6 लिंगानुपात गिरावट रोकने हेतु जनजागरुकता (गर्ल्स चाइल्ड डे का आयोजन) (FMR–11.9.1)

प्रति वर्ष दिनांक 24 जनवरी को गर्ल्स चाइल्ड डे का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष गर्ल्स चाइल्ड डे का आयोजन'' **हमारी बेटियां हमारी पहचान**'' थीम/विषय पर आयोजित किया जायेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जनपदों तथा ब्लॉक स्तर पर विभिन्न प्रचार–प्रसार गतिविधियों का आयोजन कर प्रदेश में लिंग अनुपात को बेहतर करने की दिशा में प्रयास किए जाते हैं। उक्त गतिविधि से जनसाधारण को पी0सी0पी0पी0एन0डी0टी0 ऐक्ट के संबंध में जागरूक किया जाता है।

गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी 'गर्ल्स चाइल्ड डे' दिनांक 24.01.2022 को मनाया जाना है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत मण्डल, जनपद एवं ब्लाक स्तर पर विभिन्न गतिविधियॉ सम्पादित की जानी हैं, जिस हेतु **मण्डलवार रु0 50,000.00, जनपदवार रू0 25,000 एवं ब्लॉकवार रू0 10,000 की धनराशि** का प्राविधान किया जा रहा है। इस धनराशि का व्यय निम्नानुसार वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जाये।

A) मण्डल स्तरीय गतिविधियॉ– जिसका व्यय निम्नानुसार किया जाए–

क्रम	गतिविधि	कुल अधिकतम व्यय (रू0में)
1	**मण्डल स्तरीय** लिंग संवेदीकरण कार्यशाला हेतु	12000.00
2	04 इण्टरमीडिएट कालेजों में वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन	16000.00
3	सर्वश्रेष्ठ 03–03 प्रतिभागियों के बीच वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन व पुरस्कार वितरण	7000.00
4	मण्डल स्तरीय रैली **एवं** गोष्ठीका आयोजन	8000.00
5	हैण्डबिल्स का मुद्रण	7000.00
कुल योग		**50000.00**

- **मण्डल स्तरीय लिंग संवेदीकरण कार्यशाला**

यह कार्यशाला मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। उक्त कार्यशाला में जनपद/ब्लाक स्तरीय अधिकारियों–सी.डी.ओ., बी.डी.ओ., बी.एस.ए., पी.ओ.–महिला एवं बाल विकास, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट एवं जनपद में पदस्थ महिला विशेषज्ञ तथा अन्य सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि यथा–टी0एस0यू0 आदि की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जानी है। इस कार्यशाला में प्रतिभागियों में जेण्डर सेन्सिटाइजेशन (लिंग संवेदीकरण) विषय पर विचार–विमर्श एवं जनपद में लिंगानुपात में होने वाली गिरावट पर चर्चा कर आगे की रणनीति बनाई जानी है।

उक्त कार्यशाला हेतु रू0 12000.00 आवंटित किए जा रहे हैं, जिसका व्यय निम्नानुसार वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जायेः–

क्र.स.	मद	संख्या (सम्भावित)	दर	कुल अधिकतम व्यय (रू0में)
1	प्रतिभागियों हेतु चाय–नाश्ता एवं लंच	50	150.00	7500.00
2	स्टेशनरी	50	50.00	2500.00
3	बैनर	–	500.00	500.00
4	अन्य व्यय	–	–	1500.00
कुल योग				**12000.00**

- **मण्डल के 04 इण्टरमीडिएट कालेजों में वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन**

मण्डल के 04 इण्टरमीडिएट कालेजों में गर्ल्स चाईल्ड दिवस के अवसर पर वाद–विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाएगा। वाद–विवाद प्रतियोगिता का विषय लैंगिक भेदभाव व अल्ट्रासोनोग्राफी के फायदे एवं नुकसान आदि विषयों पर आधारित रहेगा तथा इससे सम्बन्धित अन्य विषयों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। **उक्त गतिविधि के आयोजन हेतु रू0 4,000.00 प्रति इण्टरमीडिएट कॉलेज की दर से कुल 04 कालेजों हेतु बजट रु0 16,000.00 स्वीकृत किया गया है,** जिसका व्यय प्रति कालेज निम्नानुसार वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जायः–

क्र.स.	मद	संख्या(सम्भावित)	दर	कुल अधिकतम व्यय (रू0में)
1	प्रतिभागियों हेतु स्वल्पाहार एवं लन्च	80	25.00	2000.00
2	फोटोग्राफी एवं दस्तावेजीकरण	–	1000.00	1000.00
3	अन्य व्यय (बैनर, माईक, आदि)	–	1000.00	1000.00
कुल योग				**4000.00**
महायोगः– 4000.00×04 वाद–विवाद प्रतियोगिता				**16,000.00**

- **मण्डल स्तरीय 04 इण्टरमीडिएट कालेजों से चुने गए सर्वश्रेष्ठ 03–03 प्रतिभागियों के बीच वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजनः**

यह प्रतियोगिता मण्डल स्तर पर आयोजित की जाये। इस प्रतियोगिता में 04 इण्टरमीडिएट कॉलेजों से चुने गए सर्वश्रेष्ठ 03–03 प्रतिभागियों के बीच वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता मण्डल के मण्डल स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों तथा अन्य विभाग के अधिकारियों सरकारी स्कूलों के अध्यापक, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट एवं मण्डल में पदस्थ महिला विशेषज्ञ, प्राइवेट चिकित्सालयों के चिकित्सक आदि के समक्ष आयोजित की जाये। इस प्रतियोगिता के लिए कुल रु0 7000.00 व्यय किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका व्यय निम्नानुसार किया जाये–

क्र.स.	मद	संख्या (सम्भावित)	दर	कुल अधिकतम व्यय (रू0में)
1	प्रतिभागियों हेतु स्वल्पाहार	25	100.00	2500.00
2	फोटोग्राफी एवं दस्तावेजीकरण	–	1000.00	1000.00
3	पुरस्कार	–	2000.00	2000.00
4	प्रमाण पत्र की प्रिण्टिंग	–	1000.00	1000.00
5	अन्य व्यय (बैनर, आदि)	–	500.00	500.00
कुल योग				**7000.00**

इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक इण्टरमीडिएट कॉलेजों के कुल 12 चयनित प्रतिभागियों में से सर्वश्रेष्ठ 03 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर पुरस्कार का वितरण मण्डलायुक्त/जनप्रतिनिधियों/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी आदि से कराया जाना सुनिश्चित करें।

- **मण्डल स्तरीय रैली एवं गोष्ठी का आयोजन**

इस कार्यक्रम का आयोजन मण्डल स्तर पर किया जाए। इस रैली को मण्डलायुक्त/ जन प्रतिनिधियों/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस रैली में आशा, ए0एन0एम0, आंगनबाड़ी एवं डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों व मण्डल में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिभाग किया जाए। रैली का समापन गोष्ठी के रुप में किया जाए। इस गतिविधि हेतु रु0 8000.00 की स्वीकृति निम्न विवरण के अनुसार प्रदान की जा रही हैः—

क्र.स.	गतिविधि	संख्या (सम्भावित)	दर	कुल अधिकतम व्यय (रू0में)
1	रैली/गोष्ठी में प्रतिभागियों को चाय—नाश्ते की व्यवस्था हेतु	250	25.00	6250.00
2	अन्य व्यय (बैनर एवं फोटो कॉपी आदि)	—	1750.00	1750.00
	योग			**8000.00**

- **हैण्ड बिल्स का मुद्रण**

मण्डल स्तरीय गतिविधियों हेतु गर्ल्स चाइल्ड डे से सम्बन्धित हैण्डबिल्स का मुद्रण कराया जाना है, जिस हेतु प्रोटोटाईप स्पेसिफिकेशन आदि पृथक से उपलब्ध कराए जायेंगे। हैण्डबिल्स के मुद्रण हेतु रु0 7000.00 स्वीकृत किया जा रहा है।

B) जनपद स्तरीय गतिविधियॉं—जिसका व्यय निम्नानुसार किया जाए—

क्रम	गतिविधि	कुल अधिकतम व्यय (रू0)
1	**जनपद स्तरीय** लिंग संवेदीकरण कार्यशाला हेतु	10,000.00
4	जनपद स्तरीय रैली **एवं** गोष्ठीका आयोजन	8,000.00
5	हैण्डबिल्स का मुद्रण	7,000.00
	कुल योग	**25000.00**

- **जनपद स्तरीय लिंग संवेदीकरण कार्यशाला**

यह कार्यशाला जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। उक्त कार्यशाला में जनपद/ब्लाक स्तरीय अधिकारियों—सी.डी.ओ., बी.डी.ओ., बी.एस.ए., पी.ओ.—महिला एवं बाल विकास, सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट एवं जनपद में पदस्थ महिला विशेषज्ञ तथा अन्य सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि यथा—यूनीसेफ, टी0एस0यू0 आदि की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जानी है। इस कार्यशाला में प्रतिभागियों में जेण्डर सेन्सिटाइजेशन (लिंग संवेदीकरण)विषय पर विचार—विमर्श एवं जनपद में लिंगानुपात में होने वाली गिरावट पर चर्चा कर आगे की रणनीति बनाई जानी है।

उक्त कार्यशाला हेतु रू0 10,000.00 आवंटित किए जा रहे हैं, जिसका व्यय निम्नानुसार वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जायेः—

क्र.स.	मद	संख्या(सम्भावित)	दर	कुल अधिकतम व्यय (रू0में)
1	प्रतिभागियों हेतु चाय—नाश्ता एवं लंच	40	150.00	6000.00
2	स्टेशनरी	40	50.00	2000.00
3	बैनर	—	500.00	500.00
4	अन्य व्यय	—	—	1500.00
	कुल योग			**10000.00**

- **जनपद स्तरीय रैली एवं गोष्ठी का आयोजन**

इस कार्यक्रम का आयोजन जनपद स्तर पर किया जाए। इस रैली को जनप्रतिनिधियों/ जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस रैली में आशा, ए0एन0एम0, आंगनबाड़ी एवं डिग्री कालेजों के विद्यार्थियों व जनपद में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के

कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिभाग किया जाए। रैली का समापन गोष्ठी के रुप में किया जाए। इस गतिविधि हेतु रु0 8,000.00 की स्वीकृति निम्न विवरण अनुसार प्रदान की जा रही हैः—

क्र. स.	गतिविधि	संख्या(सम्भावित)	दर	कुल अधिकतम व्यय (रू0 में)
1	रैली / गोष्ठी में प्रतिभागियों को चाय—नाश्ते की व्यवस्था हेतु	250	25.00	6250.00
2	अन्य व्यय (बैनर एवं फोटो कॉपी आदि)	—	1750.00	1750.00
योग				8000.00

- **हैण्डबिल्स का मुद्रण**

जनपद स्तरीय गतिविधियों हेतु गर्ल्स चाइल्ड डे से सम्बन्धित हैण्डबिल्स का मुद्रण कराया जाना है, जिस हेतु प्रोटोटाईप स्पेसिफिकेशन आदि पृथक से उपलब्ध कराए जायेंगे। हैण्डबिल्स के मुद्रण हेतु रु0 7000.00 स्वीकृत किया जा रहा है।

C) ब्लॉक स्तरीय गतिविधियॉ

गर्ल्स चाइल्ड डे के अवसर पर प्रत्येक जनपद के विकास खण्डों में घटते हुए लिंगानुपात विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया जाना है, जिसमें विकास खण्ड स्तर की आशा, ग्राम प्रधानों, आंगनबाड़ी एवं ए.एन.एम. को कार्यक्रम में प्रतिभाग हेतु आमंत्रित किया जाय। इस कार्यक्रम हेतु प्रत्येक जनपद को रु0 10,000.00 की धनराशि स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का व्यय निम्नानुसार किया जायः—

क्र.स.	गतिविधि	संख्या (सम्भावित)	दर	कुल अधिकतम व्यय (रू0 में)
1	गोष्ठी में प्रतिभागियों को चाय—नाश्ता की व्यवस्था हेतु	200	50.00	5000.00
2	हैण्डबिल्स का मुद्रण	—	3000.00	3000.00
3	अन्य व्यय बैनर एवं फोटोग्राफ आदि	—	2000.00	2000.00
योग				10000.00

गर्ल्स चाइल्ड डे के आयोजन के उपरान्त समस्त गतिविधियों की रिपोर्टिंग एवं फोटोग्राफ्स जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के आई0ई0सी0 अनुभाग को तथा महानिदेशक—परिवार कल्याण को भेजना सुनिश्चित करें।

वित्तीय व्यवस्था

- कोरोना—19 आपदा के दृष्टिगत उक्त गतिविधियों में से यदि किसी गतिविधि का आयोजन नही हो पाता है तब उक्त स्थिति में केवल आयोजित हुई गतिविधियों का वास्तविक व्यय ही सम्बन्धित एफ0एम0आर0 / मद में वित्तीय नियमानुसार बुक करना सुनिश्चित करें।
- विकास खण्ड स्तर पर आयोजित होने वाली गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि, सम्बन्धित इकाईयों को आवश्यक दिशा—निर्देश के साथ हस्तान्तरित की जाये।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मण्डल स्तर पर आयोजित होने वाली गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि अपर निदेशक—चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को हस्तान्तरित कर दें।
- समस्त गतिविधियों की भौतिक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति का विवरण समयबद्व रुप से एस0पी0एम0यू0 कार्यालय तथा महानिदेशक—परिवार कल्याण को निर्धारित प्रारुप पर ई मेल gmfamilyplanning@gmail.com एवं jointdirectorfw@gmail.com पर प्रेषित किया जाना है।
- कार्यक्रमों / प्रशिक्षण आदि का डिजिटल डॉक्यूमेण्टेशन (फोटोग्राफ आदि) एवं समाचार पत्रों की कटिंग, उपस्थित पत्रक आदि रिकार्ड के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर सुरक्षित रखें।

5. सुरक्षित गर्भपात सेवाएं कार्यक्रम

देश में होने वाली मातृ मृत्यु में से 08 प्रतिशत से अधिक मृत्यु असुरक्षित गर्भपात के कारण होती हैं, जिससे महिला के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। देश में गर्भपात कानूनन वैध है तथा सुरक्षित गर्भपात अधिनियम 1971 के अन्तर्गत सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान की जाती है। वर्ष 2021–22 में गर्भपात सेवाओं सम्बंधी गतिविधियो के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में प्रदत दिशा निर्देशों का ही अनुपालन किया जाये।

5.1 मेडिकल मेथड से गर्भपात कराए जाने की स्थिति में आशा को प्रोत्साहन राशि (FMR–3.1.1.1.4.9/FAMS-3.1.1.1.4.D9.S02)–सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान करने हेतु मेडिकल मेथड से गर्भपात किए जाने की स्थिति में आशा को यात्रा भत्ता के रुप में प्रतिपूर्ति राशि दिया जाना है। इस योजना के तहत आशा द्वारा यदि किसी महिला को मेडिकल मेथड से गर्भपात सेवा दिलाने हेतु प्रेरित कर सेवा दिलायी जाती हैं तो आशा को एकमुश्त धनराशि रु0 225.00 प्रति केस दिया जाएगा।

5.2 सर्जिकल मेथड से गर्भपात कराये जाने की स्थिति में आशा को प्रोत्साहन राशि (FMR–3.1.1.1.4.9/FAMS-3.1.1.1.4.D9.S03)–सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान करने हेतु सर्जिकल मेथड से गर्भपात किए जाने की स्थिति में आशा को यात्रा भत्ता के रुप में प्रतिपूर्ति राशि दिया जाना है। इस योजना के तहत आशा द्वारा यदि किसी महिला को सर्जिकल गर्भपात सेवा दिलाने हेतु प्रेरित किया जाता है तो आशा को एकमुश्त धनराशि रु0 150.00 प्रति केस दिया जाएगा।

5.3 सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण (FMR–9.5.1.11 /FAMS-9.5.1.11)–सुरक्षित गर्भपात सेवा टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण लखनऊ के वीरांगना अवन्तीबाई चिकित्सालय में Ipas संस्था के सहयोग से आयोजित की जाएगी। उक्त प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित जनपदों द्वारा प्रति बैचवार रु0 1,38,540.00 के उपयोग हेतु दिशा निर्देश निम्नवत है–

MVA/ EVA and Medical abortion ToT -2021-22					
1	Programme Budget for - **ToT on CAC services**				
2	Duration - **04 Working days**				
3	Participants- **12 per Batch**				
4	Budget for one batch-**Rs. 1,38,540 for 1 Batch**				
5	Total Budget Proposed for the Trainings-**Rs 1.39 Lakhs**				
Sl.No	**Activities**	**Rate in Rs.**	**No of participant**	**Days**	**Total**
1	Honararium per diem to Trainer- Doctor	1000	2	4	8000
2	Honararium per diem to Trainer- SN	500	1	4	2000
3	Honararium per diem to Participants-MOs	500	12	4	24000
4	Accomodation to Participants- MOs	1000	12	4	48000
5	Food- 12 Participants + 2 Trainers	250	14	4	14000
6	Incidental expenses -MOs	300	12	1	3600
	Total excluding TA				**99600**
7	TA -MO	2000	12	1	24000
	Total including TA				**123600**
8	Institutional Over Head 15 % of total training expenses excluding TA				**14940**
	Total Budget for 1 Batch in Rupees				**138540**

5.4 सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत चिकित्साधिकारियों का प्रशिक्षण (FMR-9.5.1.12 /FAMS-9.5.1.12.S01)–सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत चिकित्साधिकारियों का 12 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदेश के चिन्हित जनपदों में Ipas संस्था के सहयोग से आयोजित की जाएगी। उक्त प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित जनपदों द्वारा प्रति बैचवार धनराशि रु0 1,30,800.00 उपयोग हेतु दिशा निर्देश निम्नवत है–

CAC Training for Medical Officers 2021-22					
1	Duration - **12Working days for Medical Officers**				
2	Participants- **03per Batch (03 Medical Officers)**				
3	Training Conducted By-**Training Centers**				
4	Budget for one batch - **Rs.130800/batch**				
5	Total Budget Proposed for 50 Trainings-**Rs. 65.40 Lacs**				
Sl.No	**Activities**	**Rate in Rs.**	**No of participant**	**Days**	**Total**
1	Honararium per diem to Trainer- Two Doctor	1000	2	12	24000
2	Honararium per diem to Trainer- SN	500	1	12	6000
2	Honararium per diem to Participants MO	1000	3	12	36000
3	Accomodation for Participants	1000	3	12	36000
4	Food to Participants and Trainers	250	5	12	15000
5	Incidental expenses	300	3	1	900
	Sub Total Excluding TA				**117900**
6	TA for Participants-MO	1000	3	1	3000
	Total including TA				**120900**
8	Institutional Over Head 15 % of total training expenses excluding TA				**17685**
	Total Budget for 1 Batch Rupees				**130800**
	Total Budget for 50 batches in Lacs				**65.40**

5.5 सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ का प्रशिक्षण (FMR-9.5.1.12/FAMS-9.5.1.12.S02)—सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ का 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदेश के चिन्हित 12 जनपदों में Ipas संस्था के सहयोग से आयोजित की जाएगी। उक्त प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित जनपदों द्वारा प्रति बैचवार धनराशि के उपयोग हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैः—

CAC Training for Obs & Gynae 2021-22					
1	Duration **- 5Working days for Obs & Gynae**				
2	Participants- 04 **per Batch (03 Obs & Gynae)**				
3	Training Conducted By- **District Training Centre**				
4	Budget for one batch- **Rs.63480 /Batch**				
5	Total Budget Proposed for 15 Batches-**Rs.9.52 Lacs**				
Sl.No	**Activities**	**Rate in Rs.**	**No of participant**	**Days**	**Total**
1	Honararium per diem to Trainer- Two Doctor	1000	2	5	10000
2	Honararium per diem to Trainer- SN	500	1	5	2500
3	Honararium per diem to Participants- **Obs & Gynae**	500	4	5	10000
4	Accomodation for Participants	1000	4	5	20000
5	Food to Participants and Trainers	250	6	5	7500
6	Incidental expenses	300	4	1	1200
	Total excluding TA				**51200**
7	TA for Participants-(On Actual Basis)	1000	4	1	4000
	Total including TA				**55200**
8	Institutional Over Head 15 % of total training expenses excluding TA				**8280**
	Total Budget for 1 Batch Rupees				**63480**
	Total Budget for 15 Batches in Lacs				**9.52**

5.6 सुरक्षित गर्भपात सेवाओं हेतु प्रपत्र/रजिस्टर आदि का मुद्रण (FMR/FAMS-12.1.5)–सुरक्षित गर्भपात सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु प्रयोग में आने वाले विभिन्न मैनुअल/प्रपत्र/रजिस्टर आदि के मुद्रण हेतु धनराशि निम्नानुसार व्यय की जानी हैः–

क्रम	**मद**	**दर रू0 में**
1-	RMP Opinion Form Booklet	150.00
2-	Consent Form Registers	150.00
3-	MTP Reporting Formats (Form-2) booklet	150.00
4-	Admission Registers	150.00
5-	Evacuation Registers	150.00

शासकीय एवं वित्तीय क्रय नियमों का पालन करते हुए उक्त सामग्रियों का मुद्रण करवाना सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि धनराशि प्राप्त होते ही निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सामग्री मुद्रित कराकर, समुचित रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को प्रेषित की जाए। मुद्रण हेतु उक्त सामग्रियों का प्रोटोटाईप व स्पेसिफिकेशन गाईडलाईन के साथ पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।

5.7 सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु विविध व्यय (FMR–18.1.3)–

सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश के 02 जनपद–अलीगढ़ एवं सहारनपुर में प्रशिक्षण केन्द्र का सुदृढ़ीकरण Ipas संस्था के सहयोग से किया जाना है। इस हेतु फर्नीचर, पर्दे/पारदर्शी ग्लास, परीक्षण टेबल, वॉश–बेसिन में एल्बो टैप, प्रचार–प्रसार सामग्री, स्लीपर स्टैण्ड, उपकरण इत्यादि के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य विविध मदों में वित्तीय एवं क्रय नियमों का पालन करते हुए धनराशि नियमानुसार व्यय की जानी है।

उक्त गतिविधि में होने वाले व्यय हेतु प्रति जनपद धनराशि रू0 2,00,000.00 का प्राविधान किया गया है।

6. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

भूमिका

किशोर एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति बदल सकते है। किशोर आयु वर्ग (10–19 वर्ष) कुल आबादी का पाँचवां हिस्सा हैं। किशोरों की विशाल संख्या को ध्यान में रखते हुए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह जीवंत और रचनात्मक शक्ति बनकर सतत् और समावेशी विकास में योगदान कर सके।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम एक समग्र मॉडल पर केंद्रित है। इसके अन्तर्गत क्लीनिक एवं समुदाय आधारित स्वास्थ्य संवर्धन पर ज़ोर देते हुए निरोधात्मक, नैदानिक और उपचारात्मक सेवाओं को मज़बूत बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, सेवाओं को समुदाय स्तर पर उपलब्ध करवाने का प्रावधान तथा त्रिस्तरीय लोक स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा सन्दर्भन के लिंकेजेज़ बनाना इसमें सम्मिलित है। इस रणनीति के अन्तर्गत किशोरों और क्षेत्रीय सेवा प्रदाताओं (जैसे कि अध्यापक, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता–आशा, ए.एन.एम, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, पियर एजूकेटर और नेहरू युवा केन्द्र संगठनों के स्वयं सेवक आदि) का समन्वित प्रयास होगा, ताकि किशोरों तक सेवाएं पहुँच सकें।

वर्तमान में इस कार्यक्रम के सम्पूर्ण घटक चयनित 25 जनपदों मे संचालित है। पीयर एजुकेटर कार्यक्रम से आच्छादित होने के कारण इन्हें पियर एजुकेटर जनपद (PE Districts) कहा जा रहा है। इन जनपदों में जनपदीय चिकित्सालय एवं ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर किशोर स्वास्थ्य परामर्शदाता कार्यरत है। इन ब्लॉक/शहरी किशोर स्वास्थ्य कोआर्डिनेटर द्वारा किशोरों को दिये जाने वाले परामर्श के साथ–साथ सम्बन्धित ब्लॉक एवं शहरी क्षेत्र में क्रियान्वित किशोर स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं के सम्बन्ध में समन्वय भी स्थापित किया जायेगा। जनपदीय आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट द्वारा समस्त ब्लॉक/शहरी किशोर स्वास्थ्य कोआर्डिनेटर से संकलित रिपोर्ट के आधार पर जनपदीय कार्यक्रम की सूचना की समीक्षा करते हुये जनपदीय नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के सम्मुख आख्या प्रस्तुत की जायेगी। जनपदीय आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट के सहयोग से जनपदीय नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा कार्यक्रम को गति देने एवं सुधार के लिये आवश्यक पत्राचार/कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

शेष 50 जनपदों को पीयर एजुकेटर रहित जनपद (Non PE Districts) कहा जायेगा/इन जनपदों में कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों का उत्तरादायित्व डी0ई0आई0सी0 मैनेजर का होगा। जिन जनपदों में आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट/डी0ई0आई0सी0 मैनेजर कार्यरत नहीं हैं वहां उक्त उत्तरादायित्व जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक का होगा।

समस्त जनपदों के शहरी क्षेत्रों में किशोर स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियो में अर्बन हेल्थ कोआर्डिनेटर द्वारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य नोडल को सहयोग दिया जाएगा।

लक्षित समूह

किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत 10 से 19 वर्ष के किशोरों का सार्वभौमिक आच्छादन किया जाना है। इसमे शहरी और ग्रामीण, स्कूल जाने वाले, स्कूल न जाने वाले विवाहित/अविवाहित तथा असेवित वर्ग के किशोर/किशोरी सम्मिलित हैं।

कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य गतिविधियॉ

1. इकाई आधारित

साथिया केन्द्र (किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक) का सुदृढ़ीकरण Strengthening of Adolescent Friendly Health Clinic

2. समुदाय आधारित

- साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड पूरक कार्यक्रम (WIFS)
- साथिया (पियर एजूकेशन) कार्यक्रम
- माहवारी स्वच्छता योजना (Menstrual Hygiene Scheme) के अर्न्तगत किशोरी सुरक्षा योजना ।

वर्ष 2021–22 में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के सुचारु रुप से संचालन हेतु निम्न मदों में धनराशियां स्वीकृत की गई है, जिनका उपयोग दिये गये मानकानुसार सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

6.1 साथिया केन्द्र (किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक) – (चयनित 57 जनपद हेतु)

जनपदों में मेडिकल कालेज/जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक की स्थापना पत्रांकः प0क0/08–प्रशि/आर0के0एस0के0/2014–15/4984–75 दिनांक 22.12.2014 द्वारा पूर्व में प्रेषित निर्देशों से की गई है। जिन्हें अब साथिया केन्द्र का ब्रान्ड नाम दिया गया है। स्थापित साथिया केन्द्र पर प्रशिक्षित किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर की तैनाती की गई है। साथिया केन्द्र के सफल संचालन हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत हैं :–

- प्रत्येक साथिया केन्द्र हेतु अलग से कमरा, साईनेज बोर्ड, वजन मशीन, हाईटोमीटर, बी0एम0आई0 चार्ट, कम्प्यूटर एवं प्रिंटर, आवश्यक फर्नीचर, स्नेलेंस बाक्स विद मिरर, आई0ई0सी0 मैटीरियल, क्लीनिक हेतु प्रिन्टेड रजिस्टर (क्लाईन्ट लोड रजिस्टर,सर्विस डिलिवरी रजिस्टर, आउटरीच रजिस्टर) किशोर स्वास्थ्य कार्ड इत्यादि लाजिस्टिक की उपलब्धता अवश्य सुनिश्चित की जाये।
- गर्भनिरोधक साधन कण्डोम/ओ0सी0पी0/ई0सी0पी0/सेनेटरी नैपकिन, आयरन की नीली बड़ी गोलियां, एल्बेन्डाजॉल की गोलियां तथा प्रेगनेन्सी टेस्ट किट आदि सी0एम0एस0डी0 स्टोर से उपलब्ध करायी जाये।
- किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर के द्वारा क्लीनिक का संचालन स्वास्थ्य इकाई की ओ0पी0डी0 के समयानुसार प्रतिदिन किया जाये।
- किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर परामर्श सेवाओं एवं आउटरीच गतिविधियों के दौरान नेम प्लेट के साथ ऐप्रेन अवश्य पहनें।
- चिकित्सालय में प्रशिक्षित पुरूष एवं महिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रतिदिन किशोर स्वास्थ्य क्लीनिकल सेवाएं अवश्य प्रदान की जायें।
- पी0ई0 वाले जनपदों में ब्लॉक स्तर पर स्थापित साथिया केन्द्र पर किशोर स्वास्थ्य पर प्रशिक्षित ए0एन0एम0/एल0एच0वी0 द्वारा काउन्सलर को परामर्श सेवाएं देने में सहायता प्रदान की जाए। जिन साथिया केन्द्र पर केवल पुरूष काउन्सलर है, वहां पर किशोरियों को परामर्श सेवाओं में ए0एन0एम0 के द्वारा सहयोग दिया जाये।
- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्रत्येक दिन एक प्रशिक्षित ए0एन0एम0 की ड्यूटी क्लीनिक पर रोटेशन के आधार पर अवश्य लगाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार से कम से कम प्रत्येक ए0एन0एम0 माह में एक बार काउन्सलर को सहयोग प्रदान कर पायेगी।
- किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर के द्वारा माह में 08 आउटरीच गतिविधि की जाये। यह गतिविधियां स्कूल, कालेज, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस सत्र (VHND) आर0बी0एस0के0 टीम के साथ, यूथ क्लब स्वयं सहायता समूह/किशोर–किशोरी समूह व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, स्वास्थ्य मेला, युवा महोत्सव, एवं अन्य ऐसे स्थानों पर जहां अधिक संख्या में किशोर–किशोरियों से मुलाकात की जा सके आदि स्थानों पर सम्पादित की जाये। आउटरीच गतिविधि के दौरान भेजे जा रहे थीमैटिक कैलेन्डर के अनुसार चर्चा/परिचर्चा की जायेगी
- प्रत्येक काउन्सलर/कोआर्डिनेटर के द्वारा आउटरीच गतिविधियों के लिए छः–छः माह हेतु वर्ष में 02 बार अग्रिम माईक्रोप्लान तैयार कर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/सी0एम0एस0 से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। आउटरीच गतिविधियां माईक्रोप्लान के आधार पर ही की जाये इसमें बिना अनुमति किसी भी प्रकार का बदलाव न किया जाये।
- काउन्सलर/कोआर्डिनेटर द्वारा साथिया केन्द्र पर 02 घण्टे परामर्श सेवाएं देने के पश्चात् ही आउटरीच गतिविधियां की जाये।
- गतिविधि के दौरान निर्धारित बैनर व आई0ई0सी0 मैटीरियल का उपयोग किया जाये।
- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/सी0एम0एस0 द्वारा काउन्सलर की आउटरीच गतिविधियों का भुगतान नियमानुसार प्रत्येक माह अवश्य करा दिया जाये।
- काउन्सलर द्वारा आर0बी0एस0के0 टीम, ए0एन0एम0 एवं अन्य चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग से क्लाईन्ट लोड बढ़ाने व लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु समन्वय स्थापित किया जाये।
- रिपोर्टिंग हेतु उपलब्ध कराये गये रजिस्टर प्रतिदिन भरे जायेंगे। साथिया केन्द्र की मासिक रिपोर्ट की हार्ड कापी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/सी0एम0एस0 द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होनी चाहिए। ब्लॉक एवं जिला स्तरीय/मेडिकल कॉलेज साथिया केन्द्र की मासिक रिपोर्ट काउन्सलर के द्वारा यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अगले माह की 5 तारीख तक अवश्य अपलोड कर दी जाये।

6.1.1 साथिया केन्द्र (किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक) हेतु ऑपरेशनल व्यय–एफ0एम0आर0 कोड 1.3.1.6

वर्तमान में 57 जनपदों में 344 किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक क्रियाशील हैं, शेष 55 क्लीनिक हेतु भारत सरकार द्वारा काउन्सलर्स के पद व ऑपरेशनल व्यय की धनराशि स्वीकृत न किये जाने के कारण ऑपरेशनल व्यय की धनराशि आवंटित नहीं की जा रही है। मेडिकल कॉलेज/जनपद/सी.एच.सी. स्तरीय साथिया केन्द्र में ऑपरेशनल व्यय हेतु धनराशि का उपयोग साथिया केन्द्र हेतु वजन मशीन बी0एम0आई0 चार्ट, ऐप्रन, इण्टरनेट, आउट रीच गतिविधियों हेतु बैनर, चार्ट, फोटोकापी, पेन्सिल, स्कैच पैन एवं स्टेशनरी व पब्लिक एड्रेस सिस्टम के क्रय एवं उपकरणों की मरम्मत, इत्यादि के लिये ही किया जाये। चिकित्सालय प्रभारी द्वारा काउन्सलर्स के मांगपत्र/ आवश्यकतानुसार सामग्री का क्रय सुनिश्चित किया जाये।

वित्तीय व्यवस्था

- साथिया केन्द्र के ऑपरेशनल व्यय हेतु रु0 10,000.00 प्रति वर्ष प्रति साथिया केन्द्र की दर से धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

नोटः– वित्तीय वर्ष 2020–21 में जिन जनपदों में साथिया केन्द्र की ब्राडिंग का कार्य नहीं सम्पन्न कराया गया है, उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में धनराशि कमिट करायी गयी है वे सभी जनपद साथिया केन्द्र ब्राडिंग का कार्य कराना सुनिश्चित करायेंगे)।

6.1.2 किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर द्वारा आउटरीच एक्टिविटी हेतु मोबिलिटी सपोर्टः–(केवल 53 जनपद हेतु) एफ0एम0आर0 कोड 2.2.2

काउन्सलर/कोआर्डिनेटर द्वारा प्रत्येक माह 08 आउटरीच सत्र किये जाने है। आउटरीच गतिविधियों का संपादन स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, यूथ क्लब, किशोर समूहों/किशोर मैत्री समूहों इत्यादि में किया जाना है। आउटरीच गतिविधि के दौरान भेजे जा रहे थीमैटिक कैलेन्डर के अनुसार चर्चा/परिचर्चा की जायेगी। साथ ही उपलब्ध कराई गई संदर्भ सामग्रियों, फ्लिप बुक, बैनर इत्यादि का उपयोग किया जायेगा।

- काउन्सलर/कोआर्डिनेटर द्वारा प्रत्येक माह किये गये भ्रमण के सापेक्ष सक्षम अधिकारी के समक्ष भुगतान हेतु क्लेम प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
- काउन्सलर/कोआर्डिनेटर द्वारा प्रत्येक माह अधिकतम 8 आउटरीच गतिविधियां की जानी हैं। यदि किसी माह कम गतिविधि की गई हो तो भुगतान गतिविधि की संख्यानुसार ही किया जाए तथा यदि आउटरीच गतिविधि प्रतिमाह प्रस्तावित 8 के सापेक्ष अधिक की गई है तो अधिकतम 8 गतिविधियों का ही भुगतान किया जायेगा। एक माह की गतिविधियां दूसरे माह में समायोजित नहीं की जाएंगी।
- सक्षम अधिकारी द्वारा भ्रमण के सापेक्ष प्राप्त समस्त क्लेम का निस्तारण अधिकतम 03 माह में किया जाना अनिवार्य है।

वित्तीय व्यवस्था

- जनपद एवं सी.एच.सी. पर तैनात किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर हेतु रू0 150.00 प्रति आउटरीच भ्रमण की दर से अधिकतम 08 आउटरीच गतिविधि प्रतिमाह 12 माह हेतु।
- जनपद में रिक्त पद किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर हेतुरू0 150.00 प्रति आउटरीच भ्रमण की दर से अधिकतम 08 आउटरीच गतिविधि प्रतिमाह 09 माह हेतु।

6.1.3 किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर के मानदेय हेतु (केवल 50 जनपद हेतु) एफ0एम0आर0 कोड 8.1.13.1

जिला एवं ब्लॉक स्तर पर स्थापित साथिया केन्द्र में वर्तमान में तैनात काउन्सलर्स को 31 मार्च 2021 को देय मानदेय में नियमानुसार (परफार्मेन्स अपरेजल के आधार पर) अधिकतम 5 प्रतिशत की वृद्धि एवं लॉयल्टी बोनस तथा ई0पी0एफ0 हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

6.2 आयुष्मान भारत के अन्तर्गत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम एफ0एम0आर0 कोड 2.2.2

आयुष्मान भारत के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में चयनित 23 जनपदों (प्रयागराज, बरेली, अयोध्या, बलरामपुर, बाराबंकी, सोनभद्र, बहराइच, बदायूँ, एटा, फर्रूखाबाद, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, पीलीभीत, रामपुर, शाहजहॉपुर, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीर नगर, श्रावस्ती, गोण्डा, सीतापुर, फतेहपुर, चन्दौली एवं चित्रकूट) के उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं इण्टर कालेज मे Intensified School Health promotion Activities का क्रियान्वन किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक शहरी/ग्रामीण विद्यालय (सरकारी

एवं सरकारी सहायता प्राप्त पूर्व माध्यमिक एवं इण्टर कालेज) में दो शिक्षको, (एक महिला एवं एक पुरूष शिक्षक) को "स्वास्थ्यदूत" (Health and Wellness Ambassadors) के पद पर नामित किया गया है। जनपदों में हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेसडर हेतु जनपद स्तरीय प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2021–22 में नामित हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर का ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण किया जायेगा। कार्यक्रम को सुदृढ़ एवं प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु जनपदों में तैनात समस्त काउन्सलर/कोआर्डिनेटर द्वारा माह में 02 आउटरीच गतिविधियां स्कूलों में की जायेंगी।

वित्तीय व्यवस्था

- आयुष्मान भारत के अन्तर्गत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम वाले 23 जनपदों के समस्त काउन्सलर/कोआर्डिनेटर (सम्बंधित उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों के समस्त किशोर स्वास्थ्य काउंसलर एवं जनपद चदौली, फतेहपुर एवं चित्रकूट के किशोर स्वास्थ्य काउंसलर, आई.सी.टी.सी. काउंसलर एवं फैमिली प्लानिंग काउन्सलर के लिए) हेतु रू0 200 प्रति आउटरीच भ्रमण की दर से माह में 02 आउटरीच गतिविधि प्रतिमाह 12 माह हेतु।
- धनराशि जनपदों को पर स्वीकृत की जा रही है।

6.3 किशोर स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता के लिए इन्टर कालेजों में 'किशोर स्वास्थ्य मंच' (75 जनपदों हेतु) एफ0एम0आर0 कोड 9.5.4.13.3

वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रदेश के सभी जनपदों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दो बार, भिन्न–भिन्न इण्टर कालेज में किशोर स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता के लिए कार्यक्रम–**'किशोर स्वास्थ्य मंच'** आयोजन किया गया था। गतिविधि की बृहद स्तर पर सफलता को देखते हुए उक्त गतिविधि का आयोजन पूर्व की भॉति वित्तीय वर्ष 2021–22 में भी किया जायेगा। कार्यक्रम संचालन हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् हैं:–

विद्यालयों का चयन

जनपदों के सभी ब्लॉकों एवं शहरी क्षेत्रों (अर्बन ब्लॉक) से 2 इण्टर कालेज/माध्यमिक विद्यालय (सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त) का चयन **'किशोर स्वास्थ्य मंच'** के लिए किया जायेगा। विद्यालय के चयन में ध्यान रखा जाये कि अधिक से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों का चयन किया जाये। कम से कम एक मंच का आयोजन बालिका विद्यालय (जी0जी0आई0सी0, केन्द्रीय विद्यालय) में अवश्य किया जाये। चयन के लिए आर0बी0एस0के0 टीम के सहयोग से ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा सुझाए गये नामों पर जनपदीय आर0के0एस0के0 नोडल, जिला विद्यालय निरीक्षक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) एवं डी0ई0आई0सी0 मैनेजर/आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट द्वारा विचार कर अन्तिम रूप दिया जाये।

लक्षित समूह

चयनित इण्टर कालेज/माध्यमिक विद्यालय (सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त) के छात्र–छात्राएं।

6.3.1 कार्यक्रम का आयोजन

ब्लॉक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक, ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, आर0बी0एस0के0 टीम, ब्लाक किशोर स्वास्थ्य कोआर्डिनेटर एवं टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप (टी0एस0जी0) पार्टनर के प्रतिनिधि/गैर सरकारी संगठन के समन्वय से चयनित इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य/नोडल टीचर के सहयोग से विद्यालय के समयानुसार सुबह 10 बजे से 2 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। जनपदों में जिला महिला एवं पुरूष चिकित्सालय में तैनात किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर का आवश्यक सहयोग शहरी क्षेत्रों में आयोजित मंच में अनिवार्य रूप से लिया जाये। वर्ष 2020–21 में समस्त फैमिली प्लानिंग काउंसलर को किशोर स्वास्थ्य पर प्रशिक्षित किया गया है, अतः इन काउन्सलर का उपयोग गतिविधि के दौरान किशोरों की काउन्सलिंग के लिए भी किया जाना है।

(क) जनपद स्तरीय प्री प्लानिंग बैठकः– जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में आर0के0एस0के0 समीक्षा बैठक में आयोजन सम्बन्धी प्री प्लानिंग की जायेगी। इसमें जनपदीय नोडल अधिकारी–आर0के0एस0के0, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक (माध्यमिक शिक्षा) जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर, आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट, डी0ई0आई0सी0 मैनेजर, अर्बन हेल्थ कोआर्डिनेटर, समस्त ब्लाक प्रभारी चिकित्साधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, बी0पी0एम0, बी0सी0पी0एम0, एम0ओ0 आर0बी0एस0के0 मेडिकल टीम के द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। इस

बैठक में समस्त ब्लाक से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पूरे जनपद के लिए कार्यक्रम सम्बन्धी माईक्रोप्लान को अन्तिम रूप दिया जायेगा, जिसकी सूचना राज्य स्तर पर भेजी जायें। शहरी क्षेत्रों में कार्यक्रम के आयोजन का उत्तरदायित्व जनपदीय अर्बन हेल्थ कोऑर्डिनेटर का होगा। इसके लिए जनपद में स्थापित 01 अर्बन क्लीनिक के प्रभारी को शहरी ब्लॉक का नोडल नामित कर दिया जाये। कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु रूपरेखा बनाकर अधिकांश कार्यक्रमों का मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाये एवं रिपोर्ट राज्य स्तर पर साझा की जाये।

(ख) आयोजन से पहले की तैयारी– ''किशोर स्वास्थ्य मंच'' से पहले निम्न तैयारियां सुनिश्चित की जायें:–

1. प्रत्येक ब्लॉक/शहरी क्षेत्र में संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से संपर्क कर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देना।
2. किशोर स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रचार प्रसार सामग्री पैम्फलेट की प्रिन्टिंग क्विज हेतु चार्ट पोस्टर, पुरस्कृत करने हेतु पुरस्कार की व्यवस्था करना।
3. अध्यापकों द्वारा छात्रों को निश्चित दिन पर विद्यालय में अवश्य उपस्थित होने की सूचना देना।
4. अधिकाधिक अभिभावकों को भी मंच में छात्रों के उत्साहवर्धन हेतु आमंत्रित किया जाये।
5. प्रत्येक ब्लॉक/शहरी क्षेत्र में मंच का उद्घाटन किसी जन प्रतिनिधि/जनपद स्तरीय अधिकारियों–जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी /एस0डी0एम0/तहसीलदार/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इसके लिए उनको कार्यक्रम की जानकारी देना एवं समय लेना सुनिश्चित करें।
6. RBSK टीम के पास छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धित समस्त टूल एवं कार्ड, रिपोर्टिंग फार्मेट एवं आई0ई0सी0 मैटीरियल की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाये।
7. अभियान में पोषण स्रोत वाले खाद्य पदार्थों पर प्रदर्शनी हेतु आई0सी0डी0एस0 विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाये।

(ग) किशोर स्वास्थ्य मंच' के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ :–

1. उद्घाटन समारोह।
2. उपस्थित सभी छात्रों में बी0एम0आई0 एवं हीमोग्लोबिन जाँच। एनीमिया व अन्य संदर्भन योग्य बीमारियों की पहचान एवं संदर्भन करना।
3. आई0सी0डी0एस0 विभाग के सहयोग से विविध पोषण स्रोत वाले खाद्य पदार्थों की स्टॉल।
4. उपस्थित छात्रों को एनीमिया, आयरन और IFA की गोलियों के साप्ताहिक सेवन की जानकारी देना और उन्हें पोषण की महत्ता समझाना।
5. प्रतिभागियों को किशोरी सुरक्षा योजना विशेषकर मेन्स्ट्रुअल हाईजीन, लिंग हिंसा, तम्बाकू एवं अन्य मादक पदार्थों का सेवन व उनके दुष्परिणामों से अवगत कराया जाये।
6. छात्र–छात्रों के साथ एनीमिया यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित क्विज, पेटिंग प्रतियोगिता, वाद–विवाद एवं तत्क्षण भाषण जैसी अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित करना।
7. सम्मानित अभिभावकों के विचारों को भी आमंत्रित किया जाय।
8. प्रतियोगिताओं मे विजेता प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के छात्रों को पुरस्कृत करना।

कार्यक्रम की रिपोर्टिंग– प्रत्येक ब्लॉक/शहरी क्षेत्रों में चयनित विद्यालय में कार्यक्रम पूरा होने के एक सप्ताह के अन्दर आर0बी0एस0के0 टीम के सहयोग से ब्लॉक किशोर स्वास्थ्य कोआर्डिनेटर/बी0पी0एम0 द्वारा अपने ब्लॉक की रिपोर्ट बना कर संलग्न निर्धारित प्रारूप पर जनपदीय नोडल अधिकारी आर0के0एस0के0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। जनपद से सभी ब्लॉक/शहरी क्षेत्र की संकलित रिपोर्ट के अनुसार राज्य किशोर स्वास्थ्य अनुभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रचार प्रसारः– जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से कार्यक्रम का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में कराया जाये।

कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षणः– जनपद स्तरीय अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक **''किशोर स्वास्थ्य मंच''** का अनुश्रवण एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण अपेक्षित है। इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जनपद स्तर से समस्त ब्लॉकों/शहरी क्षेत्रों के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित किया जायेगा।

वित्तीय व्यवस्था

किशोर स्वास्थ्य मंच' के लिए पर रू0 5000.00 प्रति मंच आयोजन हेतु धनराशि जनपदों को स्वीकृत की जा रही है। आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु धनराशि का व्यय निम्नानुसार किया जायः–

क्र0सं0	विवरण	धनराशि
1	कार्यक्रम आयोजन / जलपान की व्यवस्था के लिए	2500.00
2	किशोर स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता के लिए पैम्प्लेट प्रिंन्टिग हेतु	700.00
3	प्रतियोगिताओं के विजेताओं के पुरस्कार हेतु	1000.00
4	विभिन्न उपयोग जैसे– क्विज हेतु चार्ट पेपर पेन्सिल, मोम कलर फोटो कॉपी, आदि।	800.00
कुल धनराशि		**5000.00**

6.4 साथिया (पीयर एजुकेटर) कार्यक्रम –(25 PE जनपदों हेतु) एफ0एम0आर0 कोड 3.2.1.2

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के पीयर एजूकेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 14 से 19 वर्ष के किशोर किशोरियों का चयन साथिया / पियर एजूकेटर के रूप में किया जाता है।

6.4.1 पियर एजूकेटर्स हेतु नॉन मॉनिटरी इन्सेन्टिव

प्रशिक्षित पीयर एजुकेटर को उनके अच्छे कार्यों हेतु प्रोत्साहन एवं स्वास्थ्य की गतिविधियों में बढ़चढ कर प्रतिभाग करने के लिए नॉन मॉनिटरी इन्सेन्टिव की व्यवस्था की गई है। नॉन मॉनिटरी इन्सेन्टिव हेतु रू0 50.00 प्रतिमाह प्रति पीयर एजुकेटर की दर से विभिन्न सामग्रियों को दिया जाना है। दी जाने वाली प्रस्तावित सामग्री के मानक एवं विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जाएंगे।

वित्तीय व्यवस्थाः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में चयनित पियर एजुकेटर के लिए 12 माह हेतु धनराशि तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में 5 महत्वाकांक्षी जनपदों बहराईच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं सोनभद्र नवीन चयनित के लिए 6 माह हेतु जनपदों को रू0 50.00 प्रति पियर एजूकेटर प्रति माह की दर से धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

6.4.2 नवीन चयनित साथिया का 06 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण–एफ0एम0आर0 कोड 9.5.4.7

वित्तीय वर्ष 2019–20 में 05 महत्वाकांक्षी जनपदों बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर एवं सोनभद्र में कार्यक्रम को विस्तार दिया गया था। इन जनपदों के ब्लाकों में नवीन चयनित साथिया एवं संबंधित आशाओं का प्रशिक्षण किया जायेगा।

सभी नवीन चयनित पीयर एजुकेटर / साथिया का 06 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण पूर्व में प्रेषित पत्रांक एस0पी0एम0यू0 / आर.के.एस.के. / प्रशिक्षण / 08 / 2017–18 / 3122–25 दिनांक 05.07.2017 के अनुसार माह दिसम्बर 2021 तक अवश्य पूर्ण किया जाना सुनिचित किया जाये। प्रशिक्षण बैच में आवश्यकतानुसार संख्या निर्धारित 40 प्रतिभागियों से कम या ज्यादा भी हो सकती है।

वित्तीय व्यवस्थाः– ब्लॉक स्तरीय साथिया प्रशिक्षण हेतु जनपदों को प्रति बैच रू0 70,000.00 की दर से धनराशि स्वीकृत की जा रही है। आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु धनराशि का व्यय निम्नानुसार किया जायेः–

Budget Norm for Organizing 6 Days PE Training (per batch) at block level.					
1	Venue	Block CHC/PHC			
2	Participnats per Batch	40			
3	Participants	ASHA & Peer Educator			
S.N.	**Head**	**Unit Cost**	**No. of Units**	**No. of Days**	**Total amount (Rs.)**
1	Honorarium to Internal Faculty Trainers	500	2	6	6000.00
2	Honorarium, to participants -ASHA & PE	100	40	6	24000.00
3	Breakfast, Tea Lunch	75	42	6	18900.00
4	Contingency (Banner, Certificate, Name Tag & Stationary etc.)				3100.00
7	TA to participants -	75	40	6	18000.00
Total					**70000.00**

ब्लॉक स्तर पर कार्यरत किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर नवीन चयनित एवं पूर्व में छूट गये साथिया का डेटाबेस संकलित कर प्रशिक्षण से पूर्व बैच का संयोजन अवश्य कर लें। जनपद स्तर पर कार्यरत आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट नये चयनित पीयर एजूकेटर की सूची एवं प्रशिक्षण का कैलेन्डर तैयार कर शीघ्रातिशीघ्र राज्य स्तर पर प्रेषित करें। ***प्रशिक्षण के दिशा–निर्देशों का अनुपालन न किये जाने की दशा में संबंधित अधिकारी से धनराशि की रिकवरी की जा सकती है।***

6.5 किशोर स्वास्थ्य दिवस (केवल 25 PE जनपदों हेतु) एफ0एम0आर0 कोड 2.3.1.5

किशोर स्वास्थ्य दिवस चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सम्बन्धित उपकेन्द्र क्षेत्र में वर्ष में त्रैमासिक आयोजन किया जाना है। किशोर स्वास्थ्य दिवस पर सेवायें प्राप्त करने के लिए सभी किशोर उप समूह 10–19 वर्ष के स्कूल जाने एवं स्कूल न जाने वाले (अविवाहित एवं विवाहित किशोर) उपस्थित होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य हितधारको जैसे माता–पिता, सामुदायिक नेता जैसे पंचायत व **VHSNC** के सदस्य, अध्यापक आदि को भी किशोर स्वास्थ्य संबधी जरूरतों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। निश्चित दिन व समय पर साथिया, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकत्री और अन्य गैर सरकारी संगठन, क्षेत्र के किशोरों एवं उनके माता पिता तथा अन्य हितधारकों को उपकेन्द्र क्षेत्र में चयनित स्थान (उपकेन्द्र, पंचायत भवन अथवा स्कूल आदि) पर एकत्रित करेंगे। लक्षित समूह के ध्यान आकर्षण एवं किशोर स्वास्थ्य पर जानकारी प्रदान करने हेतु मनोरंजन व उपयोगी कार्यकलापों जैसे लघु नाटिका, कठपुतली नाच आदि, का आयोजन किया जायेगा।

ए.एन.एम. व अन्य स्वास्थ्य अधिकारी किशोर स्वास्थ्य दिवस पर सेवाएं प्रदान करने तथा लक्षित समूह को किशोर स्वास्थ्य विषयों की जानकारी देने के लिए वहाँ मौजूद रहें। किशोर व किशोरियॉं उपस्थित स्वास्थ्य अधिकारियों ए0एन0एम0 आदि से बातचीत कर विभिन्न सुविधाएं व अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। किशोर स्वास्थ्य सम्बंधी समास्याओं के निवारक एवं बचाव उपायों के बारें में भी विस्तृत जानकारी के साथ विशेष समस्याओं के लिए किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक पर संदर्भित किया जायेगा।

आयोजकः–किशोर स्वास्थ्य दिवस के आयोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व ए.एन.एम. का होगा तथा आशा,साथिया, आंगनवाड़ी कार्यकत्री आदि सहयोग प्रदान करेंगें। ब्लॉक प्रभारी चिकित्साधिकारी चयनित पी0एच0सी0 के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक किशोर स्वास्थ्य कोआर्डिनेटर, ए.एन.एम एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से किशोर स्वास्थ्य दिवस के आयोजन की कार्ययोजना तैयार की जाये।

वित्तीय व्यवस्थाः– किशोर स्वास्थ्य दिवस के आयोजन हेतु रू0 2500.00 प्रति किशोर स्वास्थ्य दिवस की दर से धनराशि जनपदों को पर स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का व्यय निम्न मानकानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगाः–

कम सं0	विवरण	दर
1.	बैनर, स्टेशनरी, चार्ट पेपर इत्यादि	रू0 200.00
2.	जलपान (100 प्रतिभागियों हेतु @ रू0 15.00/ प्रतिभागी)	रू0 1500.00
3.	आई0ई0सी0(पैमफ्लेट / हेण्डआउट) / फोटो कॉपी	रू0.300.00
4	साथिया एवं अन्य प्रतिभागियों के पुरस्कार इत्यादि हेतु	रू0. 500.00
	कुल धनराशि	रू0. 2500.00

6.5.1 किशोर स्वास्थ्य क्लब की बैठक (केवल 25 PE जनपदों हेतु)

किशोर स्वास्थ्य क्लब की मासिक बैठक उपकेन्द्र स्तर पर की जानी है। बैठक सम्बन्धी पुनरीक्षित दिशा–निर्देश मिशन निदेशक के पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0 / किशोर स्वास्थ्य / पीयर एजुकेटर / 04 / 2018–19 / 10203–25 दिनांकः 31.12.2018 जारी किये जा चुके है। जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किशोर स्वास्थ्य क्लब की बैठक कराना सुनिश्चित किया जाये।

वित्तीय व्यवस्थाः– किशोर स्वास्थ्य क्लब की मासिक बैठक हेतु धनराशि जनपदों को **एफ0एम0आर0 कोड 2.1.3.1.6** मे प्रति बैठक हेतु **रू0 250.00 की दर से 8 माह के लिए** स्वीकृत की जा रही है।

6.5.2 किशोर स्वास्थ्य दिवस पर समुदाय तथा किशोरों के मोबिलाईजेशन हेतु आशा प्रोत्साहन (केवल 25 PE जनपदों हेतु) एफ0एम0आर0 कोड 3.1.1.1.5.E2

पियर एजूकेटर कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित उपकेन्द्रों पर वर्ष में 04 बार प्रस्तावित किशोर स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जाना है, जिसमें समुदाय के लोगों तथा साथिया समूह की किशोर–किशोरियों

तथा प्रशिक्षित पीयर एजुकेटर की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराने हेतु आशाओं द्वारा मोबिलाईज किया जायेगा। इसके लिए आशाओं को मोबिलाईजेशन हेतु प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जायेगी।

वित्तीय व्यवस्थाः— मोबिलाईजेशन हेतु रू0 200.00 प्रति किशोर स्वास्थ्य दिवस की दर से प्रति आशा हेतु आशा प्रोत्साहन धनराशि जनपदों को स्वीकृत की जा रही है।

जो आशाएं कार्यक्रम के दौरान सहयोग न करके अनुपस्थित रहती हैं उन्हें यह प्रोत्साहन राशि का भुगतान न किया जाए।

6.6 जूनियर विफ्स एवं विफ्स (साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सम्पूरण कार्यक्रम) (75 जनपदों हेतु)

जूनियर विफ्स के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समस्त सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के 5 वर्ष से 10 वर्ष तक के छात्र—छात्राओं को आयरन की पिंक गोली (45 एम.जी.) प्रत्येक सप्ताह खिलाई जानी है।

साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सम्पूरण कार्यक्रम— विफ्स के अर्न्तगत समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों (अपर प्राथमिक विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, मदरसा, सरकारी एवं सहायता प्राप्त इण्टर कालेज के छात्र छात्राओं) में 10 से 19 वर्ष के छात्र—छात्राओं एवं स्कूल न जाने वाली किशोरियों (आंगनवाड़ी केन्द्रों पर) को आयरन की बड़ी नीली गोली (60एम.जी.) प्रत्येक सप्ताह सोमवार को स्कूल तथा ऑगनवाड़ी केन्द्र पर बुधवार/शनिवार को खिलाई जानी है।

कार्यक्रम पूर्व के दिशा—निर्देशों के अनुसार संचालित किया जायेगा तथा आयरन की पिंक गोलियों (45एम.जी.) एवं नीली (60एम.जी.) की सप्लाई यू0पी0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन के द्वारा जनपदों में की जायेगी।

6.7 जनपद स्तरीय आर0के0एस0के0 समीक्षा बैठक (75 जनपद हेतु) एफ0एम0आर0 कोड 16.1.2.1.6

समस्त जनपदों में आर0के0एस0के0 की समीक्षा बैठकें आयोजित की जानी है। उच्च प्राथमिकता वाले 25 जनपदों में कुल 04 त्रैमासिक एवं शेष 50 जनपदों में कुल 02 छमाही समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी। बैठक में विफ्स, ए0एफ0एच0सी0, एम0एच0एस0, पीयर एजुकेशन कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की जायेगी। बैठक में सहयोगी विभागों/टी0एस0जी0 पार्टनर के प्रतिनिधि तालिकानुसार जनपदीय एवं ब्लॉक स्तरीय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

क्र.सं.	जनपदीय स्तरीय प्रतिभागी	ब्लॉक स्तरीय प्रतिभागी
1	जनपदीय नोडल अधिकारी, आर.के.एस.के./ समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
2	जिला विद्यालय निरीक्षक	बाल विकास परियोजना अधिकारी
3	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं नगर शिक्षा अधिकारी	खण्ड शिक्षा अधिकारी
4	जिला कार्यक्रम अधिकारी	स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
5	जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं डी0सी0पी0एम0	बी.पी.एम.
6	आर.के.एस.के. कन्सल्टेन्ट एवं डी.ई.आई.सी. मैनेजर	आर0बी0एस0के0 टीम के टीम लीडर
7	अर्बन हैल्थ कोऑर्डिनेटर	ए.एफएच.एस. काउन्सलर (ब्लॉक/शहरी)

जनपदीय नोडल अधिकारी बैठक हेतु स्थान का निर्धारण, एल.सी.डी. प्रोजेक्टर इत्यादि की व्यवस्था बैठक से पूर्व अवश्य सुनिश्चित करेंगे।

- ✓ PE जनपदों में बैठकें क्रमशः जुलाई, सितम्बर, नबम्वर एवं फरवरी में तथा Non PE जनपदों मे सितम्बर एवं फरवरी में अवश्य की जाये।
- ✓ बैठक आयोजन से पूर्व सभी प्रतिभागियों एवं राज्य स्तरीय अधिकारियों को ससमय सूचित किया जाये।
- ✓ आयोजन के सात दिनों के भीतर प्रतिभागियों की सूची सहित विस्तृत कार्यवृत्त सहयोगी विभागों एवं राज्य स्तर पर प्रेशित किया जाये।

वित्तीय व्यवस्था :— जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक हेतु 10 ब्लॉक से कम वाले जनपदों हेतु प्रति बैठक रू0 5000.00 तथा 10 ब्लॉक से अधिक वाले जनपदों हेतु प्रति बैठक रू0 8000.00 की दर से धनराशि स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का उपयोग बैनर, जलपान, शिक्षण सामग्री एवं स्टेशनरी इत्यादि में किया जायेगा। बैठक का एजेण्डा, कार्यवृत्त एवं उपस्थिति रिकार्ड सुरक्षित रखे जाऐं।

6.8 जनपदीय आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट हेतु मोबिलिटी सपोर्ट (केवल 25 जनपद हेतु) एफ0एम0आर0 कोड 16.1.3.1.2

जनपदीय आर.के.एस.के. कन्सल्टेन्ट द्वारा प्रत्येक माह में 08 विजिट्स अलग–अलग ब्लॉको में किये जायेगें, ताकि कार्यक्रम के संचालन में आने वाली समस्याओं/कठिनाईयों के बारे में पता चल सके। इसके लिए पूर्व में भ्रमण की कार्य योजना बनाकर जनपदीय नोडल अधिकारी से अनुमोदित करा ली जाये। भ्रमण के दौरान साथिया केन्द्र/ए0एफ0एच0एस0 क्लीनिक, पियर एजुकेटर कार्यक्रम (गांव में), विफ्स कार्यक्रम (स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र पर) एवं किशोरी सुरक्षा योजना का सघन अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।

- माइक्रोप्लान पूर्व में प्रेषित निर्धारित प्रपत्र पर तैयार कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरांत राज्य स्तर पर प्रेषित कर तदनुसार भ्रमण किया जाये।
- प्रत्येक माह किये गये भ्रमण के सापेक्ष सक्षम अधिकारी के समक्ष भुगतान हेतु क्लेम प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
- सक्षम अधिकारी द्वारा भ्रमण के सापेक्ष प्राप्त समस्त क्लेम का निस्तारण अधिकत 03 माह में किया जाना अनिवार्य है।
- माह में किये गये भ्रमण की रिपोर्ट नोडल अधिकारी आर0के0एस0के0/मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से सुधारात्मक कार्यवाही हेतु जारी की जाय। जारी रिपोर्ट को क्लेम के साथ प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जाये।

वित्तीय व्यवस्थाः–आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट हेतु रू0 300.00 प्रति भ्रमण की दर से प्रति माह कुल 08 भ्रमण हेतु रु0 2400.00 प्रतिमाह तथा कम्युनिकेशन एवं इन्टरनेट के लिए रू0 250.00 प्रति माह की दर से 12 माह के लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

6.8.1 जनपदीय आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट के मानदेय हेतु (केवल 25 जनपद हेतु) एफ0एम0आर0 कोड 16.4.2.1.2– उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों में तैनात आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट को 31 मार्च 2021 को देय मानदेय में नियमानुसार (परफार्मेन्स अपरेजल के आधार पर) अधिकतम 5 प्रतिशत की वृद्धि एवं लॉयल्टी बोनस हेतु धनराशि_जनपदों को स्वीकृत की जा रही है।

6.9 रिपोर्टिंग पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण

कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली समस्त गतिविधियों जैसे–साथिया केन्द्र/ए.एफ.एच. एस. क्लीनिक, विफ्स, पीयर एजूकेटर कार्यक्रम एवं किशोर स्वास्थ्य दिवस की रिपोर्ट माह की 05 तारीख तक यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पर अपलोड कर दी जाये। किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित समस्त रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु 25 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में आर.के.एस.के. कन्सल्टेन्ट तथा शेष जनपदों में डी.ई.आई.सी. मैनेजर उत्तरदायी होगें।

- जनपद स्तर पर कार्यक्रम के संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी जनपदीय नोडल अधिकारी आर0के0एस0के0 के साथ–साथ पी0ई0 जिलों में आर.के.एस.के. कन्सल्टेन्ट तथा शेष जनपदों में डी.ई.आई.सी. मैनेजर, आर.बी.एस.के. की होगी। जिन जनपदों में डी.ई.आई.सी. मैनेजर, आर.बी.एस. के की तैनाती नहीं है, वहॉ पर कार्यक्रम की पूर्ण जिम्मेदारी डी0पी0एम0 की होगी।
- ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम के संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ–साथ ब्लॉक किशोर स्वास्थ्य कोआर्डिनेटर की होगी। जिन ब्लॉकों में किशोर स्वास्थ्य कोआर्डिनेटर की तैनाती नहीं है, वहां पर कार्यक्रम की पूर्ण जिम्मेदारी बी0पी0एम0 की होगी। इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा निर्देश निर्गत किये जायें।
- जनपदीय नोडल अधिकारी आर0के0एस0के0, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर एवं अर्बन हेल्थ कोऑर्डिनेटर के द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम 02 साथिया केन्द्र /किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक एवं स्कूल आंगनबाड़ी केन्द्र का भ्रमण कर उपलब्ध कराई गई साथिया केन्द्र पर्यवेक्षण एवं विफ्स मानीटरिंग चेकलिस्ट के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। चेकलिस्ट विश्लेषण, मासिक अनुपालन आख्या के साथ राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाये।
- पी0ई0 जनपदों में आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट द्वारा प्रत्येक माह में 10 विजिट्स अलग–अलग ब्लॉको में किया जायेगा, ताकि कार्यक्रम के संचालन में आने वाली समस्याओं/कठिनाईयों के बारे में पता चल सके। भ्रमण के दौरान साथिया केन्द्र/ए0एफ0एच0एस0 क्लीनिक, पियर एजुकेटर कार्यक्रम (गांव में), विफ्स कार्यक्रम (स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र पर) एवं किशोरी सुरक्षा योजना का सघन अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।

- डी.ई.आई.सी. मैनेजर, द्वारा आर.बी.एस.के के अन्तर्गत ब्लॉक में भ्रमण के दौरान विफ्स कार्यक्रम का अनुश्रवण आंगनबाड़ी केन्द्र एवं स्कूलों में विफ्स मानीटरिंग चेकलिस्ट के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा वी0एच0एन0डी0 दिवस पर भ्रमण के दौरान विफ्स कार्यक्रम का अनुश्रवण आंगनबाड़ी केन्द्र एवं स्कूलों में विफ्स मानीटरिंग चेकलिस्ट के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्देश निर्गत किये जायें।
- आर0बी0एस0के0 टीम अपने भ्रमण के दौरान विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर विफ्स कार्यक्रम में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगी एवं माह के अंत मे (उचित आयरन, रजिस्टर, रिपोर्टिंग फॉरमेट, व्यक्तिगत अनुपालन कार्ड एवं आई0ई0सी0 की उपलब्धता, रिपोर्ट तैयार करना एवं संप्रेषण एवं गोलियों का वास्तविक उपभोग) संकलित आख्या ब्लाक कार्यक्रम प्रबधक को उपलब्ध कराये। ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के मार्गदर्शन में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
- ब्लॉक से प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, बी0पी0एम0, बी0सी0पी0एम के द्वारा वी0एच0एन0डी0 दिवस पर भ्रमण के दौरान विफ्स कार्यक्रम का अनुश्रवण आंगनबाड़ी केन्द्र एवं स्कूलों में विफ्स मानीटरिंग चेकलिस्ट के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- प्रत्येक अनुश्रवण के दौरान पाई जाने वाली कमियों में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही कराने हेतु भ्रमण आख्या प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं जनपदीय नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन, समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों जैसे–यूनीसेफ, एन0आई0, PSI & PFI वात्सल्य एवं ममता से सहयोग लिया जाये।

6.10 राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पेट के कीड़े एक विश्वव्यापी जन स्वास्थ्य समस्या है। बच्चों में कृमि संक्रमण से जहाँ एक ओर बच्चों का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास बाधित होता है वहीं दूसरी ओर उनके पोषण एवं हीमोग्लोबिन स्तर पर भी दुष्प्रभाव पड़ता हैं। बच्चों को पेट के कीड़ो की गोली (एल्बेंण्डाजॉल) खिलाने से निम्नलिखित लाभ होते हैंः –

1. एनीमिया में कमी एवं पोषण स्तर में वृद्धि।
2. बच्चों में शारीरिक वृद्धि एवं वजन बढ़ना।
3. मानसिक एवं शारीरिक विकास में बढ़ोत्तरी।
4. अन्य बीमारियों से बचने हेतु प्रतिरोधी क्षमता बढ़ना।
5. स्कूल में उपस्थिति बढ़ने में सहायक होना।
6. बच्चों की याद्दाश्त में वृद्धि एवं स्कूल में सक्रिय रहना।

भारत सरकार के अनुसार उत्तर प्रदेश में 01 से 19 वर्ष के बच्चों में कृमि संक्रमण 76 प्रतिशत है, जिसके कारण प्रदेश में कृमि मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन साल में दो बार किया जाना है। प्रथम चरण समस्त 75 जनपदों में माह अगस्त 2021 तथा द्वितीय चरण चयनित 25 जनपदों में माह फरवरी–2022 में किया जाना है। निर्धारित दिवस के पश्चात माप–अप सप्ताह का आयोजन किया जायेगा।

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस

1 से 19 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाने के लिये प्रदेश के जनपदों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (National Deworming Day-NDD) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जायेगा, जिसमें पेट के कीड़ों की गोली एल्बेण्डाजॉल (1 से 2 वर्ष को 200 मि.ग्रा./आधी गोली एवं 2 से 19 वर्ष के बच्चों को 400 मि.ग्रा.) खिलायी जानी है।

लक्षित आयु वर्ग

- 1 से 5 वर्ष तक के सभी पंजीकृत बच्चों को एवं 6 से 19 वर्ष तक के स्कूल न जाने वाले सभी बालक/बालिकाएं, ईट भट्टों पर कार्य करने वाले श्रमिक एवं घुमन्तू लाभार्थियों को आंगनबाड़ी केन्द्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से।
- 6 से 19 वर्ष (कक्षा 1 से 12) तक के सभी छात्र/छात्राओं को–सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, प्राईवेट स्कूलों, मदरसों, पॉलिटेक्निक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के माध्यम से।

मॉप अप सप्ताह

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अगले दिन स्कूल, आंगनबाड़ी, आशा, ए.एन.एम., द्वारा ब्लॉक एवं जनपद प्रत्येक स्तर पर एन.डी.डी. के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाये एवं यह देखा जाये कि जो अनुपस्थिति या अन्य कारणों से एन0डी0डी0 के दिन एल्बेन्डाजाल गोली खाने से वंचित रह गये है, उन्हें **मॉप अप सप्ताह** के दौरान स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दवा खिलाये जाने की कार्यवाही की जाये।

जनपदों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जनपदीय नोडल अधिकारी आर0के0एस0के0 एवं डी0सी0पी0एम0 की होगी। कार्यक्रम का संचालन पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। शहरी क्षेत्र को ग्रामीण ब्लॉक की भांति एक अतिरिक्त ब्लॉक के रूप में स्थापित किया गया है एवं अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई है। एन0यू0एच0एम0 द्वारा जनपदों में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी/कार्यक्रम नोडल अधिकारी जनपदीय अर्बन हेल्थ कोआर्डिनेटर से सहयोग प्राप्त कर जनपद में किसी एक केन्द्र को चयन कर नोडल शहरी ब्लॉक चिन्हित करें एवं समस्त गतिविधियां ग्रामीण ब्लॉक की भांति शहरी क्षेत्र में भी पूर्ण रूप से संचालित करें। कतिपय आवश्यक दिशा–निर्देश कार्यक्रम की योजना के अनुसार उचित समय पर पृथक से प्रेषित किये जायेंगे। राष्ट्रीय डी–वर्मिंग दिवस की विभिन्न गतिविधियों के लिए जनपदों को स्वीकृत की जाने वाली धनराशियों का विवरण निम्नवत है:–

6.10.1 राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर अभिमुखीकरण–एफ0एम0आर0 कोड 9.5.2.19

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापक एवं ए0एन0एम0 का राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर अभिमुखीकरण के लिए प्रति प्रतिभागी रू0 50.00 की दर से धनराशि स्वीकृति की जा रही है।

6.10.2 राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आई.ई.सी. गतिविधियों हेतु–एफ0एम0आर0 कोड 12.2.6

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के प्रचार प्रसार हेतु आई0ई0सी0 गतिविधियों एवं रिपोर्टिंग फार्मेट हेतु धनराशि निम्नवत् स्वीकृत की जा रही है। (समस्त प्रोटोटाईप अभियान से पूर्व प्रेशित करेंगे।)

- प्रति जनपद 02 होर्डिंग रु0 4000.00 प्रति होर्डिंग की दर से।
- प्रति 01 बैनर/कलेन्डर सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल तथा प्राइवेट स्कूल हेतु बैनर/कैलेण्डर रु0 80.00 प्रति बैनर/कलेन्डर की दर से।
- प्रति आंगनवाडी केन्द्र 01 पोस्टर रु0 5.00 प्रति पोस्टर की दर से।
- प्रति सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल तथा प्राइवेट स्कूल एवं आंगनवाडी केन्द्र के लिए हैण्डआउट के साथ रिर्पोटिंग प्रपत्र हेतु रु0 5.00 की दर से।

  (आई.ई.सी. गतिविधियों हेतु अभियान से पूर्व धनराशि व्यय विवरण सम्बंधी दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।)

6.10.3 राष्ट्रीय डी–वर्मिंग दिवस लांच एवं मीडिया जन जागरण एवं प्रचार एफ0एम0आर0 कोड 11.5.1

राष्ट्रीय डी–वर्मिंग दिवस लांच एवं मीडिया जन जागरण एवं प्रचार–प्रसार हेतु जनपद स्तर हेतु रू0 10000.00 प्रति जनपद एवं ब्लॉक स्तर हेतु प्रति रू0 5000.00 प्रति ब्लॉक की दर से धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

6.10.4 बच्चों/किशोर–किशोरियों के मोबिलाईजेशन के लिए आशा प्रोत्साहन धनराशि एफ0एम0आर0 कोड 3.1.1.1.2.B5 – राष्ट्रीय डी–वर्मिंग दिवस के दिन आशा द्वारा अपने क्षेत्र के 1–19 वर्ष के स्कूल/आंगनबाड़ी न जाने वाले बच्चों की सूची निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर आंगनबाड़ी कार्यकत्री को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उन बच्चों को एन.डी.डी./मॉप–सप्ताह के दौरान दवा खिलाने के लिये आंगनबाड़ी केन्द्र पर लेकर आयेगी। बच्चों को एल्बेन्डाजॉल की गोली खिलवाने के लिए मोबिलाईजेशन करने हेतु रु0 100.00 प्रति आशा की दर से धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

6.10.5 बच्चों/किशोर–किशोरियों हेतु एलबेन्डाजॉल की गोलियॉ – 1 से 19 वर्ष के बच्चों/किशोर–किशोरियों के लिये एल्बैन्डाजोल (400 मि0ग्रा0) की गोलियॉ उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन द्वारा जनपद की आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराई जायेगी। उपलब्ध कराई गई एल्बेडाजाल गोलियॉ तथा जनपदों में पूर्व में बची हुई गोलियॉ का उपयोग एन0डी0डी0 अभियान के दौरान किया जाये।

6.10.6 अर्न्तविभागीय समन्वयन – योजना के अन्तर्गत समाहित समस्त गतिविधियों हेतु ब्लॉक/जनपदीय नोडल अधिकारी को उत्तरदायी बनाते हुए शिक्षा विभाग तथा आई0सी0डी0एस0 विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्यक्रम संचालित किया जाए।

7. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.)

(अ) आर0बी0एस0के0 का क्रियान्वयन

प्रदेश के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 4 Ds- Defects at Birth, Deficiency, Diseases and Developmental delays leading to disability से ग्रसित बच्चों की पहचान हेतु 6 सप्ताह से 6 वर्ष के बच्चों का आंगनवाड़ी केन्द्रो पर एवं 6 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों का सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ब्लाक स्तरीय मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है।

प्रसव केन्द्रों पर प्रशिक्षित स्टॉफ द्वारा नवजात शिशुओं में जन्मजात दोषों तथा आशा द्वारा गृह भ्रमण के दौरान अन्य जन्मे बच्चों का जन्मजात दोशों एवं विकास में देरी हेतु स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है।

कार्यक्रम कें अन्तर्गत गतिविधियों का संचालन जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जाना है। कार्यक्रम के सुचारु रुप से संचालन हेतु निम्न मदों में धनराशि व्यय किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही हैं, जिनका उपयोग दिये गये मानकानुसार सुनिश्चित किया जाना है। कार्यक्रम सम्बन्धी गतिविधियों हेतु आवंटित की जाने वाली धनराशि जनपद के एलोकेशन/डैप का अंश है।

7.1 माइक्रोप्लान तैयार करना– FMR Code 16.1.1.4

कार्यक्रम के सुचारु रुप से संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए ब्लाक स्तर पर शिक्षा विभाग एवं आई.सी.डी.एस. के सहयोग से माइक्रोप्लान तैयार किया जाना है। इस हेतु जनपद के समस्त ब्लाक प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे अपने स्तर पर तत्काल अन्तर्विभागीय अधिकारियों (Block official of education, ICDS, Social justice and empowerment, tribal welfare for Ashram school, Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya and Kendriya Vidyalya) की बैठक आयोजित करके 31 मार्च 2022 तक का माइक्रोप्लान बनवाना सुनिश्चित करें। इस बैठक हेतु रु0 500.00 प्रति ब्लाक की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है। तैयार माइक्रोप्लान (बुकलेट) की एक प्रति शिक्षा विभाग, आई.सी.डी.एस. ए.एन.एम एवं आशा को देते हुए एक सॉफ्ट कॉपी राज्य स्तर को प्रेषित की जाए। ए.एन.एम. आशा, एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की मासिक बैठक में मोबाइल हेल्थ टीम के क्रियाकलाप की जानकारी साझा की जाये एवं यथासंभव टीम का प्रतिभाग करवाना सुनिश्चित करें, जिससे कि मोबाइल हेल्थ टीम के भ्रमण के संबन्ध में सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी प्राप्त हो जाये। इससे स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों के शत–प्रतिशत बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित कराने में सहायता मिलेगी।

7.2 मोबाइल टीम हेतु वाहन की व्यवस्था– FMR Code 2.2.3

- प्रत्येक मोबाइल हेल्थ टीम के लिए एक टैक्सी परमिट वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है।
- जनपदों में वाहन के संचालन हेतु रु0 33,000.00 प्रतिमाह प्रतिवाहन की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है। **वाहन का भुगतान ई–टेण्डर द्वारा निर्धारित न्यूनतम धनराशि (अधिकतम सीमा रु0 33,000 तक) के अनुसार ही किया जायेगा।**
- वाहन की व्यवस्था हेतु प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्र दिनांक 01.08.2017 तथा कार्यालय के पत्र दिनांक 02.02.2018, 03.05.2018, 13.08.2020, 08.10.2020 में दिये गये निर्देशों के आलोक में वर्तमान में प्रचलित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- आर.बी.एस.के. वाहन पर 07 प्रकार के विजिबिलिटी प्रोटोकॉल लगाया जाना अनिवार्य है।
- जनपदीय नोडल अधिकारी–आर.बी.एस.के द्वारा जी.पी.आर.एस. डेटा को लागबुक के साथ सत्यापन के उपरान्त ही बीजकों का भुगतान किया जाये।
- अनुबन्धित वाहन की उपलब्धता सम्बन्धित चिकित्सा इकाई पर समय से प्रति दिन कम से कम 8 घंटे अनिवार्य हो।
- वाहन का उपयोग माह में कम से कम 25 दिन किया जाये तथा माइक्रोप्लान के अनुसार फील्ड विजिट/जिला चिकित्सालय हेतु संदर्भन अथवा फील्ड विजिट न होने पर अन्य निर्दिष्ट कार्य कराये जाने के उपरान्त ही पूरे माह का भुगतान किया जाये। यदि वाहन का उपयोग माह में 25 दिन से कम किया गया है तो जितने दिन वाहन का उपयोग किया गया उतने ही दिन का भुगतान किया जाए।
- माइक्रोप्लान के अनुसार विजिट के उपरान्त वाहन लागबुक पर मोबाइल हेल्थ टीम के कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर अनिवार्य रुप से होने चाहिए।

- वाहन अनुबंध पत्र में दर्शाये गये टेण्डर दर के अनुसार ही भुगतान किया जाना है। बिना टैक्सी परमिट वाहन के भुगतान होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होगें।

7.3 सपोर्ट फॉर आर.बी.एस.के. सी0यू0जी0 (इन्टरनेट कनेक्शन एण्ड रेन्टल)–FMR Code 2.2.4

कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर तैनात मोबाइल हेल्थ टीम को लैपटाप एवं डाटा कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं। डाटा कार्ड के रीचार्ज हेतु रु0 200.00 प्रति टीम प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।

7.4 मोबाइल हेल्थ टीम हेतु उपकरण की व्यवस्था–FMR Code 6.1.1.5.1

कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर तैनात नवीन मोबाइल हेल्थ टीम के क्षेत्र भ्रमण के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के उपयोग हेतु निम्नानुसार उपकरणों की व्यवस्था की जानी हैः–

Equipment list for each Mobile Health Team	No. of equipment for each team
Vision charts	2
toys, torch, bangle (red ring), crayon rattle, bell, 1 inch cubes, cups, head circumference tape, MUAC tape, picture book and magnifying lens	2
Weighing scale Adult	1
Weighing scale infant	1
Height scale standing	1
Length scale (infant)	1
Stethoscope	2
Sphygmomanometer - BP instrument [cuff of 2 size adult & children]	1

उपरोक्तानुसार नवीन तैनात टीमों हेतु उपकरणों की व्यवस्था हेतु रू0 15,000.00 प्रति टीम की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है। उपकरणों की व्यवस्था यूपी मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन की उपलब्ध दर/जेम पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।

7.5 मोबाइल हेल्थ टीम हेतु औषधियॉ– FMR Code 6.2.1.5

- कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर तैनात मोबाइल हेल्थ टीम हेतु स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान आर.बी.एस.के. ई.डी.एल. के अनुसार औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जानी है। इसके लिए रु0 5000.00 प्रति टीम की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- प्रत्येक टीम का दायित्व है कि मौके पर उपचारित बच्चों की संख्या तथा उनको दी गयी औषधियों को स्टॉक रजिस्टर में अंकित करना अनिवार्य है।
- आर.बी.एस.के. ई.डी.एल. की जो औषधियां ब्लाक सी.एच.सी./पी.एच.सी. स्तर पर उपलब्ध है के अतिरिक्त औषधियों के लिए इस धनराशि का उपयोग किया जाए। औषधियों की व्यवस्था यूपी मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन की उपलब्ध दर अनुबंध के अनुसार की जायेगी। यदि आर0बी0एस0के0 ई0डी0एल0 मे उल्लिखित औषधियों में से कोई औषधि की दर अनुबंध उपलब्ध न हो तो उसकी व्यवस्था नियमानुसार सुनिश्चित की जाये।

7.6 मानव संसाधन– FMR Code 8.1.7.1

कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर पूर्व से संविदा पर तैनात मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्यो/कर्मियों को वर्ष 2020–21 में दिये जा रहे मानदेय में 5 प्रतिशत बढ़ाकर धनराशि आवंटित की जा रही है। संविदा कर्मियों के मानदेय में 5 प्रतिशत तक की वृद्धि उनके परफार्मेन्स अप्रेजल के आधार पर ही की जानी है। जिन कर्मियों का मानदेय रु0 15000.00 प्रतिमाह या उससे कम है, के लिए नियमानुसार ई0पी0एफ0 हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है। मानव संसाधन का विवरण निम्नवत हैः–

क्रम	एफ0एम0आर0 संख्या	पद नाम	नव नियुक्त कर्मियों का मानदेय (रु0)/माह
1	8.1.7 .1.1	चिकित्सा अधिकारी आयुष	32000.00
2	8.1.7.1.2	चिकित्सा अधिकारी एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस	–
3	8.1.7.1.3	स्टाफ नर्स	–
4	8.1.7.1.4	ए.एन.एम	12500.00

5	8.1.7.1.5	पैरामेडिकल स्टॉफ/ एलोपैथिक फार्मासिस्ट	– 13500.00

उपरोक्त समस्त कर्मियों के मानदेय हेतु कुल **रु0 23180.53** लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

नोटः–

- प्रत्येक मोबाइल हेल्थ टीम में मानकानुसार (चिकित्सक–2 (पुरुष–1, महिला–1), स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम.–1 एवं पैरामेडिकल/फार्मासिस्ट–1) मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- एम.बी.बी.एस/बी.डी.एस. चिकित्सक के रिक्त पदों के सापेक्ष आयुष चिकित्सक, स्टाफ नर्स का पद रिक्त होने पर उसके स्थान पर ए.एन.एम. तथा पैरामेडिकल स्टॉफ के रिक्त पदों के सापेक्ष कम्प्यूटर में दक्ष एलोपैथिक फार्मासिस्ट रखे जायेंगे।
- मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्यों को किसी भी दशा में अन्यत्र स्थानों पर संबद्ध न करें, अन्यथा की दशा में कर्मियों का मानदेय आर.बी.एस.के. के संबंधित मद से आहरित नही होगा।
- मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्यो को प्रत्येक कार्य दिवस में 8 घण्टे की सेवा प्रदान करना आवश्यक है तथा क्षेत्र भ्रमण स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के खुलने के समयानुसार किया जाए।

नोट– जनपद आजमगढ़ एवं बुलन्दशहर में एक–एक ब्लॉक सक्रिय नहीं है। अतः इन 2 ब्लॉक हेतु धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

7.7 ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर आर.बी.एस.के. FMR Code 16.1.5.3.16.S10

- **Operational cost for Mobile Health Team :** कोविड–19 महामारी से बचाव के दृष्टिगत कार्यक्रम के अन्तर्गत तैनात मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण अथवा अन्य गतिविधियों में ड्यूटी लगायी जा रही है। मोबाइल हेल्थ टीम के स्वास्थ्य सुरक्षा (safety precautionary measures) के लिए ग्लव्स, सेनेटाइजर, सर्जिकल मास्क, थर्मल स्कैनर आदि की व्यवस्था निम्न तालिका के अनुसार रू0 14,000.00 प्रति टीम की दर से किये जाने हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया हैः–

Details	Unit cost	Per month/ per team	month	Total (Amount in Rs.)
Surgical Mask	5	100	12	6000
Sanitizer	50	4	12	2400
Disposable Gloves	3	100	12	3600
Thermal scanner	750	1		750
Equipment /medicine bag for MHT	750	1		750
Contingency (stationary, chargeable battery, repair of equipment)	500	1		500
Total				**14000**

- **Operational cost for DEIC Manager:** जनपद स्तर पर कार्यरत डी.ई.आई.सी. मैनेजर हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट (स्टेश्नरी, कार्टेज, कटिन्जेन्सी आदि) हेतु वार्षिक कुल रु0 10,000.00 की धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- मोबाइल हेल्थ टीम को उपलब्ध कराये गये लैपटॉप की रिपेयरिंग एवं एन्टीवायरस आदि का कार्य ब्लाक/सी.एच.सी स्तर पर आर.के.एस मद में उपलब्ध धनराशि से किया जाना है।

7.8 डी.पी.एम.यू. ऑपरेशनल कॉस्ट FMR Code 16.1.5.3.16.S09

- डी.ई.आई.सी. मैनेजर द्वारा कार्यक्रम के पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु फील्ड विजिट व राज्य स्तर पर आयोजित आर.बी.एस.के. समीक्षा बैठक में प्रतिभाग करने के लिए टीए/डीए की व्यवस्था हेतु **मानव संसाधन अनुभाग** की ओर से डी.पी.एम.यू. ऑपरेशनल कॉस्ट मद में रु0 10,000.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु धनराशि का आवंटन किया गया है, जिसका उपयोग निम्न मानकानुसार किया जाना है–
  - प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 दिन ग्रामीण क्षेत्र में फील्ड विजिट किया जाना है। प्रत्येक माह का विजिट प्लान एवं भ्रमण आख्या बनाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी से अनुमोदन

कराकर राज्य स्तर को भेजना होगा। भ्रमण के दौरान पायी गयी कमियों का उचित स्तर से निस्तारण करायें।

- फील्ड विजिट हेतु दैनिक आधार पर टैक्सी परमिट छोटा वाहन जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर इम्पैनेल्ड एजेंसी से अनुमन्य दर के आधार पर लिया जा सकता है।
- बस द्वारा यात्रा किये जाने पर वास्तविक व्यय के आधार पर।
- मोटर साइकिल/स्कूटर या अन्य वाहन द्वारा किये गये यात्रा के लिए रु0 5.00 प्रति किलोमीटर की दर से।
- राज्य स्तर पर प्रशिक्षण/बैठक में प्रतिभाग करने पर उक्त मद में उपलब्ध धनराशि से टीए0/डीए0 का भुगतान किया जाना है।

7.9 डी.ई.आई.सी. मैनेजर का मानदेय FMR Code 16.4.2.1.1.S06

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के सुचारु रुप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर डी.ई.आई.सी. मैनेजर की तैनाती की गई है, जिनके मानदेय की धनराशि गत वर्ष 2020–21 में दिये जा रहे मानदेय से 5 प्रतिशत मानदेय वृद्धि एव लॉयल्टी बोनस की धनराशि सहित आवंटित की जा रही है। संविदा कर्मियों के मानदेय में 5 प्रतिशत तक की वृद्धि उनके परफार्मेन्स अप्रेजल के आधार पर ही की जानी है। नवनियुक्त डी.ई.आई.सी. मैनेजर के मानदेय के लिए रु0 33,000.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है। लॉयल्टी बोनस का भुगतान 3 वर्ष पूर्ण होने पर 10 प्रतिशत तथा 5 वर्ष पूर्ण होने पर 5 प्रतिशत की दर से नियमानुसार किया जाना है।

7.10 डी0ई0आई0सी0 (ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर डी0ई0आई0सी0 मैनेजर)- FMR Code 1.3.1.7.S02

जनपद स्तर पर तैनात डी0ई0आई0सी0 मैनेजर को मोबाइल हेल्थ टीम, संदर्भित इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक एवं डी0ई0आई0सी0 में पंजीकृत बच्चों के उपचार तथा फॉलोअप हेतु उनके अभिभावकों से समन्वय कर लिंकेज स्थापित सुनिश्चित करने हेतु मोबाइल फोन एवं इन्टरनेट चार्जेस हेतु वार्षिक रु0 2,000.00 की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

7.11 रेफरल सपोर्ट फॉर सेकण्डरी/टर्शरी केयर- FMR Code 1.1.2.3

- कार्यक्रम के अन्तर्गत संदर्भित बच्चों के उपचार हेतु राजकीय मेडिकल कॉलेज/विश्वविद्यालय /संस्थान स्तर पर चिन्हित स्वास्थ्य अवस्थाओं की निःशुल्क शल्य चिकित्सा हेतु निम्न तालिका के अनुसार धनराशि का प्राविधान किया गया हैः–

Sl.No.	Name of District	Name of Medical college/Institution	Budget (in lakh)
1	Aligarh	JN Medical College & Hospital, AMU	250.00
2	Etawah	RIMS, Safai Etawah (UPUMS)	5.00
3	GB Nagar	SSPHPGTI GB Nagar	10.00
4	Gorakhpur	B.R.D. Medical College, Gorakhpur	5.00
5	Jhansi	M.L.B. Medical College, Jhansi	10.00
6	Kanpur	L.P.S. HRS Kanpur	5.00
7	Lucknow	K.G.M.U. Lucknow	25.00
8	Meerut	L.L.R.M. Medical College, Meerut	5.00
9	Sitapur	Regional Eye Institute Sitapur	30.00
10	Varanasi	Sir Sundarlal Hospital, BHU	5.00
		Total	**350.00**

संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सारिणी के अनुसार धनराशि संबंधित मेडिकल कॉलेज/संस्थान को हस्तांतरित करने का कष्ट करें।

नोटः– भविष्य में चिन्हित समस्त राजकीय मेडिकल कालेज द्वारा आवश्यकतानुसार मांग पत्र राज्य स्तर को भेजे जाने के उपरान्त धनराशि जनपदों को आवंटित की जा सकती है।

7.12 आर.बी.एस.के. कन्वर्जेन्स एवं मॉनीटरिंग मीटिंग FMR Code 16.1.2.1.7

- जनपद स्तर पर कार्यक्रम की मॉनिटरिंग एवं कन्वर्जेन्स हेतु एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./आर.बी.एस.के./01/2019–20/5865–75 दिनांक 09.10.2019 में दिये गये निर्देश के कम में **मुख्य विकास अधिकारी** की अध्यक्षता में नियमित अन्तर्विभागीय समीक्षा बैठक की जानी है। बैठक में शिक्षा विभाग, आई.सी.डी.एस., सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कस्तूरबा गांधी

बालिका विद्यालय, केन्द्र विद्यालय एवं स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी तथा मोबाइल हेल्थ टीम के समस्त सदस्य उपस्थित रहेगें। बैठक में कम्युनिटी प्रोसेस, बाल स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य से संबन्धित नोडल अधिकारी भी प्रतिभाग करेंगे। इस बैठक में टीम के सदस्यों को नवीन जानकारिया देते हुए उनके कार्य के संबंध में संवेदीकृत किया जाये। जनपद स्तर पर समीक्षा बैठक के आयोजन हेतु रु0 500.00 प्रति बैठक/ब्लॉक की दर से 3 बैठक हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। आवश्यकतानुसार मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में मासिक बैठक भी की जा सकती है।

- ब्लॉक स्तर पर बी.पी.एम द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आई0सी0डी0एस0 विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए कार्यक्रम कियान्वयन में सहयोग प्रदान करेंगे तथा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में मासिक बैठक कराते हुए समस्त सूचनाओं/फीडबैक को डी.ई.आई.सी मैनेजर/जनपदीय नोडल अधिकारी से साझा करेंगे।
- राज्य स्तर पर कार्यक्रम की समीक्षा बैठक के आयोजन हेतु रु0 50,000.00 प्रति बैच की दर से 2 बैच हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।

7.13 Peadiatric Speech Therapist at SGPGI Lucknow– FMRCode 8.1.7.2.2.S02

- कार्यक्रम के अर्न्तगत चिन्हित 47 स्वास्थ्य अवस्थाओं में से जन्मजात बहरापन एक अवस्था है, जिसके लिये भारत सरकार द्वारा निशुल्क उपचार किये जाने का प्राविधान है। उक्त के कम में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के Neurotology unit, Department of Neurosurgery विभाग द्वारा Cochlear Implant Services प्रारम्भ किया गया है, जहॉ पर जन्म से बधिर बच्चों को Cochlear Implant से सबन्धित सेवाओं हेतु उपचार किया जा रहा है। संदर्भित बच्चों के पूर्ण उपचार हेतु सेवा प्रदान करने के लिए पूर्व से तैनात **पीडियाट्रिक स्पीच थेरेपिस्ट** के मानदेय हेतु रु0 69,457.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु कुल रु0 8,33,484.00 का प्राविधान किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त मानदेय की धनराशि SGPGI लखनऊ के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।

7.14 Paediatric Cardiac Evaluation and Cardiac Surgery Unit–FMR Code 15.2.6. S05,S06

- कार्यक्रम के अन्तर्गत जे.एन. मेडिकल कालेज ए.एम.यू. अलीगढ़ में स्थापित पीडियाट्रिक कार्डियक इवैलुवेशन एण्ड कार्डियक सर्जरी यूनिट के संचालन हेतु मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। पूर्व से कार्यरत स्टॉफ के मानदेय हेतु धनराशि वर्ष 2020–21 में दिये जा रहे मानदेय से 5 प्रतिशत मानदेय वृद्धि एवं 10 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस की धनराशि आवंटित की जा रही है। संविदा कर्मियों द्वारा निरन्तर एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके मानदेय में 5 प्रतिशत तक की वृद्धि उनके परफार्मेन्स अप्रेजल के आधार पर तथा 3 वर्ष पूर्ण होने पर लायॅल्टी बोनस नियमानुसार दिया जाना है।
- जिन कर्मियों का मानदेय रु0 15000.00 प्रतिमाह या उससे कम है के लिए नियमानुसार ई0पी0एफ0 हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
- इकाई के संचालन हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट एवं कन्ज्यूमेबिल मद में कुल रु0 10.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। धनराशि का भुगतान वास्तविक दर पर किया जायेगा।

नोट– वर्ष 2019–20 के आर.ओ.पी. में दिये गये शर्त के अनुसार नियमित मानव संसाधन की तैनाती हेतु यू.जी.सी., से अनुमोदन प्राप्त कर भर्ती प्रक्रिया की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये। कृत कार्यवाही से मिशन निदेशक एन.एच.एम को अवगत कराना अपेक्षित है।

मानव संसाधन का विवरण निम्नवत है–

S.No	HR Details	HR-Existing	HR-Vacant	Honoraria per month for Vacant HR)	Honoraria per month for existing HR 2021-22	Total EPF, ESI, Agency chrges, GST	Total fund of honoraria for 12 months (In Rs.)
1	Assistant Professors (Cardiac Anaesthesia, Pediatric Cardiologyand Pediatric Intensive Care)	1	2	110000	139466	0	4313595
2	Pediatric Cardiac surgeon		1	110000		0	1320000
3	Pediatric Anaesthetic	1		100000	105000	0	1260000
4	Pediatric Intensivist	1		100000	105000	0	1260000

5	MO-MBBS	4		60000	63000	0	3024000
6	Nursing Incharge		1	35000		0	420000
7	Perfustionist/ Cath lab technician	2	2	30000	38036	0	1632870
8	Staff Nurse	10	6	25000	31697	0	5603694
9	Accountant		1	25000		0	300000
10	ECG Technician		1	25000		0	300000
11	ECHO Technician		1	25000		0	300000
12	Anaesthetic Technician	7	1	13913	17639	192000	1840607
13	OT Technicians	3		13913	17639	72144	707137
14	Support staff*(outsourced)	13		10791	11331	873174	2640740
15	Support staff*(outsourced)	2		8758	9196	109026	329728
16	Receptionist/Computer operator* (outsourced)	0	1	10791	10791	67387	196879
		44	17			**Total**	**254,49,249**
						Total	**254,49,249**

*** सपोर्ट स्टॉफ का चयन कटेगरी के आधार पर निम्न विवरण तथा मानक के अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाना है:–**

सारणी–1

Outsourced staff salary		**2021-22**		
S.No	**Class of Employment**	**Unskilled**	**Semi Skilled**	**Skilled**
1	Total Minimum wages Per Month (In Rupees)	8758	9634	10791
	Increment@5%	438	482	540
	(A)	9196	10116	11331
2	EPF @13.36%(employers contribution) (B)	1229	1351	1514
3	ESI @3.25%(Employers contribution) (C)	299	329	368
4	Agency charges @10% (D)	920	1012	1133
	(A+B+C+D)	11643	12807	14346
5	GST @ 18%	2096	2305	2582
	Total Honoraria/Month (Rs)	**13739**	**15113**	**16928**

Category	**Some Example of Category**
1. Skilled	Driver (Heavy Vehicle), Accountant, Cashier, Store keeper, clerk, Godown keeper
2. Semi Skilled	Sorter/checker, Driver (Light Vehicle), Billman
3. Unskilled	Loader, Un-loader, sweeper and chowkidar.

उपरोक्त कर्मियों के मानदेय हेतु रु0 254.49 लाख तथा आपरेशनल कॉस्ट हेतु रु0 10.00 लाख की धनराशि का आवंटन किया जा रहा है। उक्त मानदेय की धनराशि में पूर्व से तैनात कर्मियों के मानदेय हेतु रू0 173.53 लाख तथा रिक्त पदों के मानदेय हेतु रू0 80.96 लाख निर्धारित है। रिक्त पदों पर तैनाती के पश्चात ही मांग के अनुसार मानदेय की धनराशि अवमुक्त की जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी–अलीगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(ब) शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन

वर्तमान में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2020–21 से कार्यक्रम का विस्तार 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले चिन्हित 15 जनपदों के नगरीय क्षेत्र में संचालित करना योजित किया गया है। इस हेतु सारणी में वर्ष 2021–22 का लक्ष्य एवं मोबाइल हेल्थ टीम का विवरण निम्नवत है–

Sl. No.	**District**	**No. of Urban MHT**	**Human Resource**			**No. AWC**	**No. of AWC Children**	**Total School**	**Total School children**
			MO-AYUSH	**ANM**	**Pharmacist**				
1	Agra	3	6	3	3	508	61364	347	64384
2	Aligarh	2	4	2	2	424	59634	162	46442
3	Allahabad (Prayagraj)	3	6	3	3	545	73766	207	64512

4	Bareilly	2	4	2	2	115	13678	247	72052
5	Faizabad (Ayodhya)	1	2	1	1	87	5656	104	40530
6	Firozabad	3	6	3	3	624	59512	102	29530
7	Ghaziabad	3	6	3	3	639	26206	161	40257
8	Gorakhpur	3	6	3	3	567	22046	130	49145
9	Jhansi	1	2	1	1	118	13350	155	31610
10	Kanpur Nagar	4	8	4	4	567	42000	453	78685
11	Lucknow	4	8	4	4	719	57401	393	92582
12	Meerut	2	4	2	2	315	60280	274	63637
13	Moradabad	3	6	3	3	651	44398	184	59953
14	Saharanpur	2	4	2	2	400	37468	224	70331
15	Varanasi	4	8	4	4	991	56000	221	74489
	Total	**40**	**80**	**40**	**40**	**7270**	**632759**	**3364**	**878139**

7.15 मानव संसाधन

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालन हेतु अर्बन मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्यों की संविदा पर तैनाती की जानी है। प्रत्येक टीम में 4 सदस्य– 2 आयुष चिकित्सक (1 महिला एवं 1 पुरुष), 1 ए.एन.एम. तथा 1 एलोपैथिक फार्मासिस्ट (कम्प्यूटर में दक्ष) होंगे। अर्बन एम.एच.टी. के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया राज्य स्तर से की जायेगी। मानव संसाधन के मानदेय का विवरण निम्नवत है–

आयुष चिकित्सक FMR Code 8.1.7.1.1

कार्यक्रम के अन्तर्गत तैनात होने वाले आयुष चिकित्सक के मानदेय की व्यवस्था हेतु रु0 32,000.00 प्रतिमाह की दर से 6 माह हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।

ए.एन.एम. FMR Code 8.1.7.1.4

कार्यक्रम के अन्तर्गत तैनात होने वाली ए.एन.एम के मानदेय की व्यवस्था हेतु रु0 12,500.00 प्रतिमाह की दर से 6 माह हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। जिन कर्मियों का मानदेय रु0 15,000.00 प्रतिमाह या उससे कम है, उनके लिए नियमानुसार ई0पी0एफ0 हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।

फार्मासिस्ट FMR Code 8.1.7.1.5

कार्यक्रम के अन्तर्गत तैनात होने वाले एलोपैथिक फार्मासिस्ट के मानदेय की व्यवस्था हेतु रु0 13,500.00 प्रतिमाह की दर से 6 माह हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। जिन कर्मियों का मानदेय रु0 15,000.00 प्रतिमाह या उससे कम है, के लिए नियमानुसार ई0पी0एफ0 हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।

7.16 अर्बन मोबाइल हेल्थ टीम हेतु वाहन की व्यवस्था– FMR Code U.2.1.2

- कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक अर्बन मोबाइल हेल्थ टीम के लिए एक टैक्सी परमिट वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। जनपदों में वाहनों के संचालन हेतु रु0 33,000.00 प्रतिमाह प्रतिवाहन की दर से 6 माह हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- अर्बन मोबाइल हेल्थ टीम के लिए वाहनों की व्यवस्था टीम के सदस्यों की तैनाती के पश्चात् ही प्रारम्भ किया जाना है। **वाहन का भुगतान ई–टेण्डर द्वारा निर्धारित न्यूनतम धनराशि (अधिकतम सीमा रु0 33,000.00 तक) के अनुसार ही किया जायेगा। वाहन व्यवस्था हेतु आर.बी.एस.के. के अन्तर्गत FMR Code 2.2.3 पर दिये गये निर्देशो का पूर्ण रुप से अनुपालन किया जाये।**

7.16.1 अर्बन मोबाइल हेल्थ टीम हेतु उपकरण/औषधियों की व्यवस्था– FMR Code U.6.3.2.S01

अर्बन मोबाइल हेल्थ टीम हेतु स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान आर.बी.एस.के. ई.डी.एल. के अनुसार औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए रु0 5,000.00 प्रति टीम की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है। आर.बी.एस.के. ई.डी.एल. की जो औषधियां अर्बन सी.एच.सी./पी.एच.सी. स्तर पर उपलब्ध हैं, के अतिरिक्त औषधियों के क्रय हेतु इस धनराशि का उपयोग किया जाए। प्रत्येक टीम द्वारा मौके पर उपचारित बच्चों के संख्या के साथ दिये गये औषधियों को स्टॉक रजिस्टर में अंकित कर मासिक प्रगति रिपोर्ट में दर्शाया जाना अपेक्षित है।

नोट–अर्बन मोबाइल हेल्थ टीम हेतु उपकरणों की व्यवस्था के लिए रु0 15,000.00 प्रति टीम की दर से गत वर्ष 2020–21 में धनराशि आवंटित की जा चुकी है, जिससे उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(स) डिस्ट्रिक्ट अर्ली इन्टरवेशन सेन्टर (डी.ई.आई.सी) का संचालन

- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 Ds- Defects at Birth, Deficiency, Diseases and Developmental delays leading to disability से ग्रसित बच्चों की पुष्टि, टर्शरी लेवल इकाईयों से लिंकेजेज स्थापित करते हुए निःशुल्क चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने एवं उनका फालोअप सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इन्टरवेन्शन सेन्टर की स्थापना किये जाने का प्राविधान है।
- वर्तमान समय में डी.ई.आई.सी. का संचालन निम्न जनपदों में किया जा रहा है/जाना है:–

Sl.No.	Name of Distrtict	DEIC established at
1	Aligarh	DEIC-COE- JN Medical College & Hospital AMU
2	Aligarh	DEIC- District Women Hospital
3	GB Nagar	DEIC-COE- SSPHPGTI GB Nagar
4	Lucknow	DEIC-COE- K.G.M.U. Lucknow
5	Ghaziabad	DEIC- District Combind Hospital
6	Moradabad	DEIC- District Women Hospital
7	Jhansi	DEIC- MLB Medical College
8	Unnao	DEIC- District Hospital
9	Chitrakoot	DEIC- District Women Hospital
10	Pratapgarh	DEIC- District Women Hospital
11	Sonebhadra	DEIC- District Women Hospital
12	Meerut	DEIC-LLRM Medical College (To be constructed)
13	Amedkar Nagar	DEIC-MCH Wing, CHC, Tanda
14	Etah	DEIC- District Women Hospital

7.17 डी0ई0आई0सी0 (ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर डी0ई0आई0सी0 सेन्टर)- FMR Code 1.3.1.7.S01

कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित डी0ई0आई0सी0 की क्रियाशीलता हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट (कन्ज्यूमेबिल, मेडिकल एवं मिसलेनियस गतिविधियों) हेतु धनराशि की व्यवस्था निम्नानुसार है:–

क.सं.	डी0ई0आई0सी0 का नाम	माह	ऑपरेशनल कॉस्ट
1	डी.ई.आई.सी.–सी.ओ.ई. के.जी.एम.यू. लखनऊ	12	5.22 लाख
2	डी.ई.आई.सी. गाजियाबाद	12	5.72 लाख
3	डी.ई.आई.सी. जिला महिला चिकित्सालय अलीगढ़ (रू0 30,000.00 प्रतिमाह की दर से)	11	3.30 लाख
4	डी.ई.आई.सी. जिला महिला चिकित्सालय मुरादाबाद (रू0 30,000.00 प्रतिमाह की दर से)	11	3.30 लाख
5	डी.ई.आई.सी. मेडिकल कॉलेज झांसी हेतु (रू0 30,000.00 प्रतिमाह की दर से)	6	1.80 लाख
6	डी.ई.आई.सी. जिला चिकित्सालय उन्नाव (रू0 30,000.00 प्रतिमाह की दर से)	6	1.80 लाख

व्यय वास्तविक भुगतान के आधार पर बुक किया जायेगा।

7.17.1 डी.ई.आई.सी.–सी.ओ.ई. जी.बी. नगर हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट का विवरण

(A) Administrative		
S.N.	**Outsource staff**	**Total (in Rs.)**
1	Group D Staff (2)	7,77,000
2	Receptionist/computer operator(1)	
3	Security Guard (1)	
(B) Consumables Operational and medical (cost of medicine, consumable for lab and dental)		
Hosekeeping material & stationery Gloves, Dilunt and control, Reagents, Syringes, lancet, tip Dental bonding agent		4,80,000

(C) Miscellaneous	
Printing and photocopy, Telephone and Internet Charges BMW charges	1,50,000
(D) Maintenance	
Maintenenace Expense (Electricity & licence fees of SSPH,repair,desktop repair,plumbing issues,water charges etc)	3,12,000
(E) Overhead cost @ 10.5%	1,81,000
Grand Total (A+B+C+D+E)	19,00,000
Note : **District to ensure the following** 1. For consumable and medicines NHM support to be extended to the COE through districts NHM level EDL and consumable as per DH list. 2. Tests that are part of overall essential diagnostics are to be supported under NHM at district	

7.17.2 डी.ई.आई.सी.–सी.ओ.ई. ए.एम.यू. अलीगढ़ ऑपरेशनल कॉस्ट का विवरण

(A) Administrative		
S.N.	**Outsource staff**	**Total (in Rs.)**
1	Receptionist/computer operator	8,97,000
2	Group D Staff	
3	Security Guard	
(B) Consumables Operational and medical (cost of medicine, consumable for lab and dental)		
Hosekeeping material & stationery, Gloves Dilunt and control, Reagents, Syringes, lancet, tip Dental bonding agent		5,64,000
(C) Miscellaneous		
Printing and photocopy , Telephone and Internet Charges BMW charges		1,38,000
(D) Maintenance		
Maintenenace Expense		1,20,000
(E) Overhead cost @ 10.5%		1,81,000
	Grand Total (A+B+C+D+E)	**19,00,000**
Note : **District to ensure the followings** 1. For consumable and medicines NHM support to be extended to the COE through districts NHM level EDL and consumable as per DH list. 2. Tests that are part of overall essential diagnostics are to be supported under NHM at district level		

डी0ई0आई0सी0 के.जी.एम.यू. लखनऊ हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट रु0 5.22 लाख का विवरण निम्नवत है–

S.No	Details	Unit cost/ month	Total
1	Administrative (Group D staff-1) (outsourced)	13739	164864
2	Consumables	14750	177000
3	Miscllaneous	10000	120000
4	Maintanance	5000	60000
	Total		**521864**

डी0ई0आई0सी0 गाजियाबाद हेतु आपरेशनल कॉस्ट रु0 5.72 लाख का विवरण निम्नवत है–

Details	Total (in Rs.)
(A) Administrative (Group D staff-1 @ Rs. 13739/month) (outsourced)	1,64,864
(B) Consumables Operational and medical (cost of medicine, consumable for lab and dental): Gloves, Dilunt and control, Reagents, Syringes, lancet, tip, Dental bonding agent	**2,40,000**
(C) Miscellaneous : Printing, photocopy, Telephone and Internet Charges	**1,02,000**
(D) Maintenance : Maintenance charges Repair & Maintenenace of infrastructe life, broken ceilings, water pipes, electrical & plumbing issues, software issues, laptop/desktop repairs/Insurance of essentials, AMC of equipments, Water for patients.	64,992
Total (A+B+C+D)	**5,71,856**

डी0ई0आई0सी0 अलीगढ़ (DWH), मुरादाबाद, झॉसी एवं उन्नाव हेतु आपरेशनल कॉस्ट प्रतिमाह का विवरण निम्नवत है–

S.No	Details	Unit cost (in Rs.)
1	Consumables	15000
2	Miscellaneous	10000
3	Maintenances	5000
	Total	**30000**

डी0ई0आई0सी0 हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट के क्रम संख्या 1, 2, 7 एवं 8 पर **Administrative** मद में अंकित सपोर्ट स्टॉफ जैसे रिसेप्शनिस्ट, Group D स्टॉफ एव सुरक्षा गार्ड की तैनाती आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जानी है। **आउटसोर्सिंग के माध्यम से सपोर्ट स्टॉफ का चयन के मानक सारिणी–1 में दी गई है।** इलेक्ट्रीशियन पद की स्वीकृत नहीं है, आवश्यकतानुसार सेवायें आउटसोर्स की जा सकती है।

उपरोक्त गतिविधियों हेतु कुल 59.14 लाख की धनराशि का प्राविधान एफ0एम0आर0 कोड 1.3.1.7 पर किया गया है।

7.18 डी.ई.आई.सी. हेतु उपकरण– FMR Code 6.1.1.5.2

कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद अम्बेडकर नगर एवं एटा के एम.सी.एच विंग में स्थापित डी.ई.आई.सी. के लिए उपकरण की व्यवस्था हेतु रु0 57.22 लाख प्रति डी.ई.आई.सी की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है। डी.ई.आई.सी. के लिए रु0 2.00 लाख से अधिक मूल्य के उपकरणों (रु0 33.50 लाख प्रति डी.ई.आई.सी की दर से) की व्यवस्था राज्य स्तर से यू.पी. मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लि0 से की जा रही है। शेश उपकरणों की व्यवस्था (रु0 23.72 लाख प्रति डी.ई.आई.सी की दर से) जिला स्तर पर जेम पोर्टल/ई–टेण्डर के माध्यम से की जानी है।

7.19 मानव संसाधन–डी.ई.आई.सी– FMR Code 8.1.7.2.1 to 12

कार्यक्रम के अन्तर्गत संबंधित मेडिकल कॉलेज/संस्थान/जिला चिकित्सालय स्तर पर संचालित डी0ई0आई0सी0 में पूर्व से कार्यरत स्टॉफ के मानदेय हेतु धनराशि वर्ष 2020–21 में दिये जा रहे मानदेय से 5 प्रतिशत मानदेय वृद्धि एवं 10 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस की धनराशि सहित आवंटित की जा रही है। संविदा कर्मियों द्वारा निरन्तर एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके मानदेय में 5 प्रतिशत तक की वृद्धि उनके परफार्मेन्स अप्रेजल के आधार पर तथा 3 वर्ष पूर्ण होने पर लॉयल्टी बोनस नियमानुसार दिया जाना है।

डी.ई.आई.सी के नव नियुक्त स्टॉफ के मानदेय का विवरण निम्नवत है–

FMR code	DEIC HR	Honoraria (Rs.)/Month
8.1.7.2.1.S01	Paediatrician	100000
8.1.7.2.1.S02	Pathologist	100000
8.1.7.2.2.S01	MO, MBBS	60000
8.1.7.2.3.S01	MO, Dental	50000
8.1.7.2.3.S02	Training Coordinator	50000
8.1.7.2.4	Staff Nurse (SN)	25000
8.1.7.2.5	Physiotherapist	30000
8.1.7.2.6	Audiologist & speech therapist	40000
8.1.7.2.7	Psychologist	35000
8.1.7.2.8	Optometrist	30000
8.1.7.2.9	Early interventionist cum special educator	35000
8.1.7.2.10	Social worker	30000
8.1.7.2.11	Lab technician	25000
8.1.7.2.12.S01	Dental technician	25000
8.1.7.2.12.S02	Counsellor	25000
16.4.2.1.1.S07	DEIC Manager (at Medical college)	33000

उपरोक्तानुसार डी.ई.आई.सी.के स्टॉफ के मानदेय, मानदेय वृद्धि एवं लायल्टी बोनस का भुगतान नियमानुसार किया जाना है। उपरोक्त स्टॉफ के मानदेय हेतु कुल **577.64 लाख** की धनराशि का प्राविधान उपरोक्तानुसार एफ0एम0आर0 कोड पर किया गया है।

नोट– डी0ई0आई0सी0–सी0ओ0ई0 जी0बी0 नगर एवं लखनऊ के प्रशिक्षण से संबंधित रिक्त पदों–Training Coordinator, Physiotherapist, Audiologist & speech therapist, Psychologist, Optometrist, Early interventionist cum special educator की तैनाती प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित होने के उपरान्त किया जायेगा।

Part time specialist for DEIC (COE) GB Nagar– FMR Code 8.4.3

- कार्यक्रम के अन्तर्गत डी.ई.आई.सी.–सी.ओ.ई. का संचालन SSPHPGTI जी.बी.नगर में किया जा रहा है। डी.ई.आई.सी के प्रभावी सुदृढ़ीकरण हेतु निम्न अवस्थाओं से ग्रसित चिन्हित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण पार्ट टाइम स्पेशलिस्ट के माध्यम से किया जा रहा है। पार्ट टाइम स्पेशलिस्ट को बुलाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि रोगी बच्चों की संख्या पर्याप्त उपलब्ध हो। परीक्षण किये गये बच्चों की **Complain/history, diagnosis, treatment and followup** हेतु विस्तृत विवरण सहित अभिलेख अनुरक्षित रखा जाना है:–

Part time specialist for DEIC GB Nagar				
Specialist	**visit in month**	**month**	**honoraria per visit**	**Total (Rs)**
Neurologist	4	12	5000	240000
Pediatric Cardiologist	2	12	4000	96000
Opthalmologist	3	12	3000	108000
Orthopediatrician	3	12	3000	108000
ENT surgeon	2	12	3000	72000
Psychiatrist	3	12	3000	108000
Total	**17**	**204**		**7,32,000.00**

- उपरोक्तानुसार गतिविधियों हेतु धनराशि का प्राविधान एफ.एम.आर कोड 8.4.3 पर किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी.बी.नगर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सारणी के अनुसार पार्ट टाइम स्पेशलिस्ट के मानदेय की धनराशि संबंधित संस्थान के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।

डी0ई0आई0सी0 स्टाफ प्रशिक्षण–FMR Code 9.9.5.2

- कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित डी.ई.आई.सी. के संचालन हेतु तैनात नवीन स्टाफ के राज्य स्तर पर प्रशिक्षण हेतु रु0 5.50 लाख प्रति बैच की दर से तीन बैच हेतु राशि का प्राविधान किया गया है।

7.20 कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कर्तव्य एवं दायित्व

➢ **मोबाइल हेल्थ टीम का दायित्व**

- प्रत्येक टीम एक दिन में एक स्कूल एवं एक आंगनवाड़ी अथवा दो आंगनवाडी केन्द्रो का भ्रमण सुनिश्चित करेगी। तद्नुसार वार्षिक माइक्रोप्लान तैयार कर आई.सी.डी.एस. एवं शिक्षा विभाग के संबन्धित अधिकारियों को प्रति उपलब्ध करायें।
- निर्धारित क्षेत्र भ्रमण तिथि से दो दिन पूर्व संबन्धित स्कूल के शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं आशा तथा ए.एन.एम. को दूरभाष द्वारा अवगत करायें।
- क्षेत्र भ्रमण के दौरान वाहन पर 07 प्रकार के विजिबिलिटी प्रोटोकॉल तथा अपने साथ आवश्यक औषधियां, उपकरण एम.एच.टी. रजिस्टर (स्कूल एवं आंगनवाड़ी) एवं आर.बी.एस.के. कार्ड अवश्य रखें।
- संदर्भित बच्चों के सापेक्ष प्रत्येक स्तर (सी.एच.सी., जिला चिकित्सालय तथा मेडिकल कॉलेज/उच्च स्वास्थ्य इकाई) पर उपचारित बच्चों की सूची तैयार कर नियमित रुप से फॉलोअप सुनिश्चित करें।
- प्रसव इकाई में जन्में बच्चों का बर्थ डिफेक्ट्स संबंधित विवरण का मासिक रिपोर्टिंग फॉर्मेट में अंकन व लाइन लिस्ट बनाना।
- आशा के माध्यम से एच.बी.एन.सी./एच.बी.वाई.सी. के दौरान घरेलू प्रसव में जन्मे बच्चों एवं उनमें पाये जाने वाले बर्थ डिफेक्ट्स तथा विकास में देरी की सूचना आशा/बी.सी.पी.एम. के माध्यम से अपने मासिक रिर्पोटिग में अंकित करना।
- संदर्भित किए गए बच्चों का नियमित रूप से फॉलोअप करना।
- नोडल अधिकारी आर.बी.एस.के./डी.ई.आई.सी. मैनेजर द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन।

- मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्यो को प्रत्येक कार्य दिवस में 8 घण्टे की सेवा प्रदान करना आवश्यक है। उनके द्वारा क्षेत्र भ्रमण स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के खुलने के समयानुसार योजित किया जाए।
- प्रत्येक सदस्य द्वारा क्षेत्र भ्रमण के पूर्व मूवमेंन्ट रजिस्टर में समय एवं स्थान का अंकन सुनिश्चित किया जाय।
- क्षेत्र भ्रमण के उपरान्त ब्लॉक स्तर पर अपना कार्य प्लानिंग, माईक्रोप्लान, रिपोर्टिंग आदि पूर्ण कर ससमय रिपोर्ट डी0ई0आई0सी0 मैनेजर/जनपदीय नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायें।
- बच्चों का संदर्भन निश्चित दिवस (शनिवार) को सी.एच.सी. से जिला चिकित्सालय तक आर.बी.एस.के. वाहन के माध्यम से किया जाय तथा उपचार के उपरान्त पुनः वाहन से सी.एच.सी पर वापस पहुचा दिया जाये।
- टीम द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे वाहन की लॉगबुक का रखरखाव टीम लीडर की जिम्मेदारी है। लॉगबुक में प्रतिदिन प्रविष्टि करते हुए सप्ताहान्त में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से सत्यापन करायें।
- **मासिक प्रगति रिपोर्ट (1.एम.पी.आर. फार्मेट–आशा, स्कीनिंग एम.एच.टी, सर्विस एक्सेस, सेकेण्ड्री टर्शरी केयर तथा 2. डिलीवरी प्वाइंट बर्थ डिफेक्ट्स फार्मेट) ससमय जिला स्तर पर उपलब्ध करना।**

➢ **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का दायित्व**

- वर्ष के प्रारम्भ में शिक्षा एवं आई0सी0डी0एस0 विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ मोबाइल हेल्थ टीम का माइक्रोप्लान तैयार कराना एवं तदनुसार भ्रमण कराना। वार्षिक माइक्रोप्लान की प्रति आई.सी.डी.एस. एवं शिक्षा विभाग के संबन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु एक प्रति अपने पास अवश्य रखें।
- बाढ़, आपदा एवं अन्य कारणों से छूटे हुए विद्यालय/आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए विशेष योजना बनाकर शत्–प्रतिशत भ्रमण कराना सुनिश्चित करें।
- टीम को आवश्यक औषधियां एवं उपकरण उपलब्ध करवाना।
- वाहन पर 07 प्रकार के विजिबिलिटी प्रोटोकॉल के साथ उसकी समय से उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- टीम हेतु क्षेत्र भ्रमण का मूवमेंन्ट रजिस्टर तैयार करवाना एवं उसका फॉलोअप। टीम के वाहन की लॉगबुक का सप्ताहान्त में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापन सुनिश्चित किया जाये।
- प्रत्येक बच्चे का आर.बी.एस.के. कार्ड भरवाना एवं मोबाइल हेल्थ टीम रजिस्टर के सभी कॉलम भरना सुनिश्चित करवाना।
- प्रत्येक माह निश्चित दिवस पर सहयोगी विभागों के प्रतिनिधि (सी0डी0पी0ओ0, बी0ई0ओ0 व अन्य) व मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्यों के साथ कार्यक्रम की नियमित समीक्षा बैठक करना तथा आवश्यकतानुसार व्यवस्थायें सुनिश्चित करना। समीक्षा बैठक आख्या को जिला नोडल अधिकारी–आर.बी.एस.के/डी.ई.आई.सी. मैनेजर को प्रेषित करना।
- **मासिक प्रगति रिपोर्ट (1. एम.पी.आर. फार्मेट–आशा, स्कीनिंग एम.एच.टी, सर्विस एक्सेस, सेकेण्ड्री टर्शरी केयर तथा 2. डिलीवरी प्वाइंट बर्थ डिफेक्ट्स फार्मेट) ससमय जिला स्तर पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।**
- ब्लॉक स्तर पर तैनात दोंनो टीमों को कार्यक्रम संबंधित रजिस्टर, प्रपत्र, उपकरण, औषधियां आदि को रखने एवं उनके बैठने हेतु एक कमरा उपलब्ध करा दें।

➢ **डी0ई0आई0सी0 मैनेजर–आर.बी.एस.के. के दायित्व**

- डी.ई.आइ.सी0 मैनेजर डी.पी.एम.यू. कार्यालय अथवा स्थापित डी.ई.आई.सी. में निर्धारित स्थान पर बैठेगे।
- सभी मोबाइल हेल्थ टीमों का वार्षिक माइक्रोप्लान बनवायेगें तथा जिले स्तर पर कम्पाइल कर संबंधित से साझा करते हुए राज्य स्तर पर प्रेषित करेंगें।
- मोबाइल हेल्थ टीमों के वाहन की लॉगबुक में प्रविष्टि तथा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापन का सतत् फॉलोअप सुनिश्चित किया जाय।
- जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक से समन्वय करते हुये सप्ताह में कम से कम 2–3 सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु अग्रिम मासिक भ्रमण कार्यक्रम बनायेगें। भ्रमण योजना की एक प्रति राज्य स्तर पर भी साझा करेगे।

- भ्रमण के दौरान मॉनिटरिंग फॉर्मेट का उपयोग करते हुए मोबाइल हेल्थ टीम, लाजिस्टिक आदि से संबंधित पायी गयी कमियों को ब्लॉक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से साझा कर समस्या का निदान करवायेगें। नियमित रुप से इसकी जानकारी जनपदीय नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी देगें। प्रत्येक माह की भ्रमण आख्या के प्रमुख बिन्दु तथा उन पर की गयी कार्यवाही को संकलित कर जनपद स्तर पर आयोजित होने वाले त्रैमासिक बैठक में चर्चा की जायेगी एवं उसकी एक प्रति राज्य स्तर पर प्रेषित की जायेगी।
- आशा, आंगनवाड़ी एवं ए.एन.एम. की ब्लॉक स्तरीय बैठक में माह में कम से कम एक बार प्रतिभाग करके जन्मजात दोषों के पहचान हेतु उन्मुखीकरण किया जाए।
- आर0बी0एस0के0 के अन्तर्गत सन्दर्भित बच्चों का चिकित्सा इकाईयो के नोडल अधिकारियो से समन्वय स्थापित करते हुये निःशुल्क उपचार करवाना तथा उनका फॉलो–अप सुनिश्चित कराना।
- एक जनपद से दूसरे जनपद में मेडिकल कॉलेज/डी0ई0आई0सी0 स्तर पर संदर्भित किये जाने वाले बच्चों के संदर्भन हेतु मातृ जनपद के डी.ई.आई.सी. मैनेजर द्वारा संबंधित जनपद के डी.ई.आई.सी. मैनेजर से समन्वय स्थापित करते हुए समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित किया जाय। अन्य जनपदों को संदर्भित बच्चों की लाइन लिस्ट एवं उनका फालोअप प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाय।
- आर.बी.एस.के से संबंधित सूचनाओं को विभिन्न स्तरों पर एच.एम.आई.एस. आर.बी.एस.के. साफ्टवेयर में अपलोड कराना। उपलब्ध ऑकड़ों को जनपद स्तरीय बैठकों में प्रस्तुत करना।
- जनपद स्तर पर होने वाली मासिक बैठको एवं जिला स्वास्थ्य समिति की बैठको में आर.बी.एस.के. की प्रगति एजेण्डा बिन्दु के रूप में सम्मिलित करवाना।
- ब्लॉकवार सभी स्तर के संदर्भित बच्चों की (संदर्भन से उपचार तक की सूचनाओं के साथ) लाइन लिस्ट तैयार कर नियमित फॉलोअप सुनिश्चित करना।
- चिन्हित जनपदों में डी.ई.आई.सी. के संचालन हेतु एस.एन.सी.यू. से लिंकेजेज, उपकरणों की उपलब्धता, मेडिकल कालेज/संस्थानों से समन्वय स्थापित कर बच्चों का उपचार करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- जिला स्तर पर प्रसव इकाई में जन्में बच्चे एवं एस.एन.सी.यू. में भर्ती बच्चों में पाये जाने वाले जन्मजात दोषों की सूचना डिलेवरी प्वाइंट बर्थ डिफेक्ट्स फार्मेट में संकलित करना।
- **मासिक प्रगति रिपोर्ट (1.एम.पी.आर. फार्मेट–आशा, स्कीनिंग एम.एच.टी, सर्विस एक्सेस, सेकेण्ड्री टर्शरी केयर तथा 2.डिलीवरी प्वाइंट बर्थ डिफेक्ट्स फार्मेट) संकलित कर माह के 5 तरीख तक राज्य स्तर पर आवश्यक रुप से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।**

➢ **नोडल अधिकारी आर.बी.एस.के. के दायित्व**

- संबंधित जनपदों में स्थापित डी.ई.आई.सी. केन्द्र का त्रैमासिक भ्रमण करते हुए सुपरवाइजरी चेकलिस्ट भरकर राज्य स्तर को प्रेषित किया जाये।
- डी.ई.आई.सी. मैनेजर द्वारा जनपदीय जिला चिकित्सालयों में मोबाइल हेल्थ टीम के माध्यम से संदर्भित बच्चों के उपचार हेतु समन्वय किया जाना है। डी.ई.आई.सी. मैनेजर के बैठने की व्यवस्था डी.पी.एम.यू. कार्यालय में है। जिन जनपदों में डी.ई.आई.सी. की स्थापना हो गई है वहॉ के डी.ई. आई.सी. मैनेजर के बैठने की व्यवस्था डी.ई.आई.सी. कार्यालय में सुनिश्चित करें।
- आर.बी.एस.के.त्रैमासिक समीक्षा बैठक जिसमें संबन्धित विभाग के अधिकारियों, डी.ई.आई.सी. मैनेजर एवं समस्त ब्लाक के मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्य प्रतिभाग करेंगे का आयोजन सुनिश्चित करें।
- टीम के सदस्यों को कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक जानकारियां साझा करते हुए भ्रान्तियों का निवारण किया जाये। बैठक का कार्यवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं राज्य स्तर के साथ साझा करें।
- आर.बी.एस.क. से संबंधित सूचनाओं को एच.एम.आई.एस., आर.बी.एस.के. साफ्टवेयर में विभिन्न स्तरों पर अपलोड कराना। उपलब्ध ऑकड़ों को जनपद स्तरीय बैठकों में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार कार्यवाही कराना।
- जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कार्यक्रम से संबंधित एजेण्डा को सम्मिलित करवाकर कार्यक्रम की प्रगति को साझा करनां।
- समस्त क्रियाशील प्रसव इकाईयों में जन्में बच्चों एवं एस.एन.सी.यू. में भर्ती बच्चों में जन्मजात दोशों की पहचान प्रसव इकाई/एस.एन.सी.यू. में कार्यरत स्टॉफ के माध्यम से सुनिश्चित कराना।

- चिन्हित जनपदों में डी.ई.आई.सी. के संचालन हेतु एस.एन.सी.यू. से लिंकेजेज, उपकरणों की उपलब्धता, मेडिकल कालेज/संस्थानों से समन्वय स्थापित कर बच्चों का उपचार करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- वाहन पर 07 विजिबिलिटी प्रोटोकॉल तथा उनकी समय से उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- मासिक प्रगति रिपोर्ट (1.एम.पी.आर. फार्मेट–आशा, स्कीनिंग एम.एच.टी, सर्विस एक्सेस, सेकण्डरी टर्शियरी केयर तथा 2. डिलीवरी प्वाइंट्स बर्थ डिफेक्ट्स फार्मेट) संकलित कर माह के 5 तरीख तक राज्य स्तर पर आवश्यक रुप से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

➢ **प्रसव ईकाई पर तैनात स्टाफ नर्स/ए.एन.एम. का दायित्व**

- जिला/ब्लॉक स्तर की प्रसव इकाईयों पर तैनात स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम द्वारा जन्मजात दोषों की पहचान हेतु समस्त नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना है। स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त इसका अंकन आर.सी.एच./प्रसव पंजिका के कॉलम सं0 09 (जटिलतायें) में बच्चों में अतिरिक्त जटिलताओं के रूप में आवश्यक रुप से अंकित कर दिया जाय। जन्मजात दोष पाये जाने पर इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अवश्य दें, ताकि उपचार हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा सकें।
- जन्मजात दोषों के परीक्षण एवं संदर्भन के संदर्भ में एस0पी0एम0यू0 कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 10.04.2019 में दिये गये अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु निर्धारित दायित्वों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।
- प्रसव इकाई में जन्मे बच्चों का बर्थ डिफेक्ट्स संबंधित विवरण आर.बी.एस.के. के मोबाइल हेल्थ टीम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वे मासिक रिपोर्टिंग र्फोमेट में अंकन कर सके।
- जनपद स्तर पर एस.एन.सी.यू. पर तैनात स्टाफ नर्स द्वारा बच्चो में पाये गये बर्थ डिफेक्ट्स संबंधित विवरण जनपद के डी.ई.आई.सी. मैनेजर को प्रत्येक माह उपलब्ध कराना।

➢ **आशा का दायित्व**

- कार्यक्रम के अन्तर्गत तैनात मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा आंगनवाडी केन्द्र/स्कूल में भ्रमण निर्धारित माइक्रोप्लान के अनुसार किया जाता है। आशा, मोबाइल हेल्थ टीम से पूरे माह का माइक्रोप्लान प्राप्त कर ले एवं भ्रमण दिवस पर घर–घर जाकर अभिभावकों को प्रोत्साहित करे कि वे अपने बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अवश्य भेजें एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित विषयों पर जागरूकता हेतु स्वयं भी पहुंचें। विशेषकर ऐसे बच्चे जिनमें जन्मजात दोष, कुपोषण, नियमित विकास में देरी, हृदय, नेत्र, दन्त, कर्ण एवं त्वचा संबन्धित रोग आदि स्वास्थ्य समस्यायें है, का स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य सुनिश्चित करायें, ताकि उनका संदर्भन कर निःशुल्क उपचार किया जा सके।
- एच.बी.एन.सी./एच.बी.वाई.सी. के दौरान घरेलू प्रसव में जन्मे बच्चों एवं उनमें पाये जाने वाले बर्थ डिफेक्ट्स तथा विकास में देरी से ग्रसित बच्चों को सी.एच.सी. पर संदर्भन करना/मोबाइल हेल्थ टीम को सूचित करना।
- आशा की मासिक बैठक के दिन आर0बी0एस0के0 आशा फार्मेट से संबंधित सूचनाओं को एम.एच.टी. को उपलब्ध कराना है।

➢ **शिक्षा विभाग के शिक्षकों का दायित्व**

- मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान चिन्हित 4डी से ग्रसित बच्चों को सी.एच.सी./जिला चिकित्सालय स्तर पर संदर्भन हेतु शिक्षकों अभिभावकों को प्रोत्साहित किया जाय। टीम के भ्रमण के दिन अधिकाधिक अभिभावकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये ताकि उन्हें स्वास्थ्य सम्बन्धित विषयों हेतु जागरूक किया जा सके।
- विद्यालय में पंजीकृत समस्त बच्चों के अभिभावकों का मोबाइल नम्बर मोबाइल हेल्थ टीम को रिकॉर्डिंग एवं फॉलोअप हेतु उपलब्ध कराया जाय।

➢ **आई.सी.डी.एस. विभाग के आंगनवाड़ी कार्यकत्री का दायित्व**

- मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के दिन अधिक से अधिक बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराना।

- 4डी से ग्रसित बच्चों को सी.एच.सी./जिला चिकित्सालय स्तर पर संदर्भन हेतु अभिभावकों को प्रोत्साहित करना।
- विशेषकर सैम चिल्ड्रेन, जो कतिपय रोग से ग्रसित हों, को मोबाइल हेल्थ टीम के भ्रमण दिवस पर परीक्षण कराकर टीम के सहयोग से NRC में संदर्भन कराना।
- टीम के भ्रमण के दिन अधिकाधिक अभिभावकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय, ताकि उन्हें स्वास्थ्य सम्बन्धित विषयों हेतु जागरूक किया जा सके।
- आंगनवाड़ी में पंजीकृत समस्त बच्चों के अभिभावकों का मोबाइल नम्बर एम.एच.टी. रजिस्टर में अवश्य रुप से अंकित कराना ताकि टीम द्वारा फॉलोअप किया जा सके।।

➢ **पीडियाट्रिक कार्डियक यूनिट ए.एम.यू. के स्टाफ/टीम का दायित्व**

- प्रत्येक संदर्भित बच्चों का विस्तृत विवरण, आर.बी.एस.के. मॉडल कॉस्टिंग बुकलेट के अनुसार रिकार्ड अनुरक्षित करना।
- ह्रदय रोग से ग्रसित बच्चों के अधिक से अधिक संदर्भन हेतु जनपदीय डी.ई.आई.सी. मैनेजर से समन्वय स्थापित करना।
- यूनिट में उपचारित बच्चों के संदर्भ में विस्तृत विवरण यथा—सर्जिकल प्रोसीजर, औषधियां, कन्ज्यूमेबिल आदि का अभिलेख रखना। उपचारित बच्चों का फालोअप करना।
- मासिक प्रगति रिपोर्ट माह की 5 तारीख तक अवश्यक रुप से राज्य स्तर को उपलब्ध कराना।

➢ **डी.ई.आई.सी. स्टॉफ/टीम का दायित्व**

- क्रियाशील डी.ई.आई.सी. में प्रत्येक संदर्भित बच्चों का विवरण सहित रिकार्ड अनुरक्षित किया जाए।
- प्रसव इकाईयों एवं एस0एन0सी0यू0 के बच्चों को डी.ई.आई.सी. में संदर्भन हेतु वहॉ के संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना।
- बच्चों के निःशुल्क शल्य चिकित्सा प्रबन्धन हेतु मेडिकल कालेज/उच्च स्तरीय इकाईयों के संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना।
- प्रत्येक संदर्भित बच्चों का डोमेनवाइज विवरण उपलब्ध हो तथा सम्पूर्ण उपचार एवं रीहेविलीटेशन (पुनर्वास) हेतु संबंधित इकाईयों से लिंकेजेज स्थापित सुनिश्चित करना।
- डी.ई.आई.सी. में उपचारित बच्चों के संदर्भ में विस्तृत विवरण यथा—सर्जिकल प्रोसीजर, औषधियां, कन्ज्यूमेबिल आदि का अभिलेख रखना।
- उपचारित बच्चों का फालोअप करना। उपकरणों की विस्तृत सूची तैयार करना।
- मासिक प्रगति रिपोर्ट एवं वित्तीय व्यय रिपोर्ट माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से राज्य स्तर को उपलब्ध कराना।

अन्य बिन्दु

- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत दृष्टिदोष से ग्रसित 19 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क चश्मे की व्यवस्था राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत नियमानुसार की जानी है।
- मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा स्कूल/आंगनवाड़ी केन्द्र भ्रमण के दौरान क्षय रोग (टी0बी0) एवं कुष्ठ रोग (लेप्रोसी) से सम्भावित ग्रसित बच्चों को एन0टी0ई0पी0 एवं एन0एल0ई0पी0 के संबंधित संदर्भन इकाई से समन्वय स्थापित करते हुए संदर्भन सुनिश्चित करना। इससे सम्बन्धित अभिलेख, एम0पी0आर0 के सेकेण्ड्री/टर्शरी केयर फॉर्मेट पर अंकित करना।
- वित्तीय वर्ष 2021—22 से मोबाइल ऐप क्रियाशील नहीं है। अतः टीम के सदस्यों की उपस्थिति, माईक्रोप्लान के अनुसार विजिट सुनिश्चित कराने का दायित्व डी.ई.आई.सी मैनेजर का होगा।
- भारत सरकार द्वारा विकसित आर0बी0एस0के सॉफ्टवेयर को क्रियाशील कराने हेतु संबंधित डाटा—एम.एच.टी., स्कूल, आंगनवाड़ी, डी.ई.आई.सी. आदि का डाटा अद्यतन किया जाना अति आवश्यक है। अतः डाटा का अपडेशन एम.एच.टी द्वारा ससमय अवश्य पूर्ण करा लिया जाए।

उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी एवं आर.बी.एस.के. कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे। उपरोक्तानुसार धनराशि उपयोग करने के पश्चात् मासिक भौतिक एवं वित्तीय आख्या एस.पी.एम.यू. कार्यालय एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. संविदा मानव संसाधन दिशा–निर्देश

वर्गवार संविदा कर्मियों हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत प्रेषित किये जा रहें हैं:–

8.1 पैरा मेडिकल स्टाफ (लैब टेक्नीशियन, एक्स–रे टेक्नीशियन) FMR Code 8.1.1.5; 8.1.1.9

वित्तीय वर्ष 2021–22 में संविदा पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन, एक्स–रे टेक्नीशियन को रु0 20,064.00 (मानदेय + वार्षिक वेतन वृद्धि+ लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु0 15,923.00 प्रतिमाह का बजट (रिक्त पदों हेतु) तथा नियमानुसार अतिरिक्त धनराशि ई0पी0एफ0 हेतु आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के एफ.एम. आर. कोड संख्या 8.1.1.5 ; 8.1.1.9 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। वर्तमान मानदेय पर वित्तीय वर्ष 2021–22 में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी केवल उन संविदा कर्मी पर लागू होगी, जिन्होंने एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। तदनुसार अनुबन्ध पत्रों में संशोधन करा लिया जाये।

कर्त्तव्य एवं दायित्व

संविदा पर पैरा मेडिकल स्टाफ (लैब टेक्नीशियन एवं एक्स–रे टेक्नीशियन) को अपेक्षित कार्यों एवं दायित्वों के अनुसार कार्यों का निर्वहन करना होगा। इनकी ड्यूटी भी निर्देशानुसार शिफ्ट में लगाई जा सकती है।

<u>Performance Appraisal Form (Lab Technician)</u>

PART-I

Review period: Name: Date of joining: Location: Date of completion of contract:

PART-II

Performance & Achievements (Please comment on the major achievements during the reporting period)

Lab Technician		
Sl.No.	**Activities**	**Achievement** (2020-21)
1.	No. of routine blood tests (TLC/DLC/Haemoglobin/ESR	
2.	Stool and urine tests	
3.	Bleeding time, clotting time	
4.	Diagnosis of RTI/STDs with wet mounting, Grams strain, etc.	
5.	Sputum testing for tuberculosis (if designated asa microscopy center under RNTCP)	
6.	Blood smear examination for malarial parasite.	
7.	Rapid tests for pregnancy/malaria	
8.	RPR test for Syphilis/YAWS surveillance	
9.	Any other tests (specify-)	

Qualitative Assessment

Behaviour with patients/Community		
Good	**Average**	**Bad**
Is punctual		
Always	**Sometimes**	**Never**
Takes interest in assigned job		
Always	**Sometimes**	**Never**
Attend and participate in staff meeting		
Always	**Sometimes**	**Never**
C: Any extraordinary achievement made or reasons for shortfall if any during the reporting period		
D. Remark of the Assessing Authority - Overall assessment of the appraisee:		
Date:	**Name:**	**Signature:**

PERFORMANCE APPRAISAL FORM (X-Ray Technician)

PART-I

Review period: Name: Date of joining: Location: Date of completion of contract:

Performance & Achievements (Please comment on the major achievements during the reporting period)

Condition of X-RAY machine-funcional/non functional		
Sl.No.	**Activities**	**Achievement** (2020-21)
1.	Ensuring standards in Film Developing and processing modalities	
2.	Following standards of exposure techniques in terms of KV,MA and time	
3.	Following standards in recognition of the part of the body to be X-rayed and select the exposure factor accordingly.	
4.	Preparation of fixer, developer, replenisher to maintain temperature.	
5.	Use of proper exposure factors, collimators, cones and various protective measures.	
6.	Number of X-Rays done	

QUALITATIVE ASSESSMENT

Behaviour with patients/Community		
Good	**Average**	**Bad**
Is punctual		
Always	**Sometimes**	**Never**
Takes interest in assigned job		
Always	**Sometimes**	**Never**
Attend and participate in staff meeting		
Always	**Sometimes**	**Never**
C: Any extraordinary achievement made or reasons for shortfall if any during the reporting period		
D. Remark of the Assessing Authority - Overall assessment of the appraisee:		
Date:	**Name:**	**Signature:**

8.2 जनपदीय चिकित्सालयों में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (एफ0एम0आर0 16.4.3.1.9)

प्रदेश के समस्त जनपदीय महिला/पुरूष/संयुक्त चिकित्सालयों में प्रति चिकित्सालय एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को संविदा पर तैनात करने का प्राविधान किया गया है। ये डाटा इन्ट्री ऑपरेटर चिकित्सालय में मुख्यतः जननी सुरक्षा योजना, आशा, एफ0आर0यू0, चौबीसों घंटे प्रसव सुविधा, आर0टी0आई0/एस0टी0आई0, राष्ट्रीय कार्यक्रम, एच0एम0आई0एस0 के प्रपत्रों के अनुसार एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें कम्प्यूटर पर फीड करने एवं आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचना प्रेषित करने का कार्य करेंगे।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को रू0 15,599.00 प्रतिमाह एवं रू0 11,500.00 (रिक्त पदों हेतु) का अधिकतम बजट (मानदेय + वार्षिक वेतन वृद्धि + नियमानुसार लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस) तथा नियोक्ता द्वारा वैधानिक कटौती योगदान हेतु (EPF@13.36%,ESI@3.25%,GST@18%, Service Charge) की दर से अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया हैं, जो कि नियमानुसार अनुमन्य होने की दशा में लागू होगा। बजट आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के एफ. एम. आर. कोड संख्या 16.4.3.1.9 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। वर्तमान मानदेय पर वित्तीय वर्ष 2021–22 में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी केवल उन संविदाकर्मी पर लागू होगी, जिन्होंने एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस का लाभ केवल जिला स्वास्थ्य समिति के कर्मियो को अनुमन्य हैं।

PERFORMANCE APPRAISAL FORM (DATA ENTRY OPERATOR)

PART-I

Review period: Name: Date of joining: Location: Date of completion of contract:

PART-II

Performance & Achievements (Please comment on the major achievements during the reporting period)

Data Entry Operator

Sl.No.	Activities			Achievement (2020-21)
1.	Data Entry of all required information/records on a concurrent basis and producing monthly/quarterly reports/formats			**Not Submitted/entered**
Data/Records		**Timely Submission**	**Late Submission**	
Janani Suraksha Yojna				
ASHA				
FRU/24 x 7 Delivery Services				
School Health Program				
National Disease Control Programmes				
RTI/STI Sevices				
Quarterly District updates (for CMO/DPM)				
Any other programme				

8.3 दन्त चिकित्सक (एफ.एम.आर. कोड संख्या 8.1.4.1)

वर्ष 2021–22 में संविदा पर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत दन्त चिकित्सक को रु 58,198.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु0 39,900.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) की धनराशि आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के एफ.एम.आर. कोड संख्या 8.1.4.1 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। वर्तमान मानदेय पर वित्तीय वर्ष 2021–22 में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी केवल उन संविदाकर्मी पर लागू होगी, जिन्होंने एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। तदनुसार अनुबन्ध पत्रों में संशोधन करा लिया जाय।

दन्त चिकित्सकों की तैनाती हेतु सामान्य नियम

दन्त चिकित्सकों की तैनाती उपरोक्तानुसार उन्हीं स्थानों पर की जानी है, जहां डेन्टल चेयर उपलब्ध है तथा नियमित डेन्टिस्ट तैनात न हों एवं दन्त चिकित्सा से सम्बन्धित सारे उपकरण उपलब्ध हों। इसके लिए जनपदवार फॉट में जो स्वीकृति दी गई है उससे अधिक संख्या में बी0डी0एस0 चिकित्सकों की तैनाती अनुमन्य नहीं होगी। **संविदा दन्त शल्यको हेतु संबंधित जनपदो को धनराशि आंवटित की जा रही है परन्तु धनराशि के उपयोग हेतु जनपदो को दिशा–निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।** दंत चिकित्सकों की उपलब्धता का व्यापक प्रचार–प्रसार करायें ताकि अधिक से अधिक दंत रोगी उनका फायदा उठा सकें।

S.No.	Activities	Achievement (2020-21)
1.	No. of OPD cases attended	
2.	No. of cases handled at the facility	
3.	No. of emergency cases attended against the total no. of cases	
4.	No. of procedures handled at the facility	

8.4 जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई

(आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल एवं मिशन फ्लैक्सीपूल)

वर्ष 2021–22 में जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों में कार्यरत संविदा कर्मियों को निम्नवत मानदेय की धनराशि भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह स्वीकृत की गई हैः–

1 **जिला कार्यक्रम प्रबन्धक**– हेतु अधिकत धनराशि रू0 55,136.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु0 32,700.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) के अनुसार 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के एफ.एम.आर. कोड संख्या–16.4.2.1.1 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। प्रत्येक जनपद में एक पद स्वीकृत है।

2 **जिला लेखा प्रबन्धक–** हेतु अधिकतम धनराशि रू0 44,874.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु 26,650.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) के अनुसार 12

माह के मानदेय हेतु धनराशि आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के एफ.एम.आर. कोड संख्या–16.4.2.1.1 पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। प्रत्येक जनपद में एक पद स्वीकृत है।

3. **जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर–** हेतु अधिकतम धनराशि रू0 44,874.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु 26,650.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) के अनुसार 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि एफ. एम. आर. कोड संख्या 16.4.2.1.1 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। प्रत्येक जनपद में एक पद स्वीकृत है।
4. **जिला डाटा कम लेखा सहायक** – हेतु अधिकतम धनराशि रू0 30,629.00 प्रतिमाह (मानदेय+ वार्षिक वेतन वृद्धि+लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु0 18,150.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) के अनुसार 12 माह के मानदेय की धनराशि आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के एफ. एम. आर. कोड संख्या 16.4.2.1.1 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। प्रत्येक जनपद में एक पद स्वीकृत है।
5. **कार्यालय सहायक –** हेतु अधिकतम धनराशि रू0 11,199.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि) तथा रु 8758.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) तथा नियोक्ता द्वारा वैधानिक कटौती योगदान हेतु (EPF@13.36%,ESI@3.25%,GST@18%, Service Charge) की दर से अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के एफ.एम.आर. कोड संख्या 16.4.2.1.1 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई हेतु वर्ष 2021–22 में ऑपरेशनल व्यय के लिए रू0 1,14,685.00 प्रतिमाह व्यय हेतु आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के एफ. एम. आर. कोड संख्या 16.1.5.3.16 पर धनराशि स्वीकृत की गई है। वर्तमान मानदेय पर वित्तीय वर्ष 2021–22 में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी केवल उन संविदा कर्मियों पर लागू होगी जिन्होंने एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। तदनुसार अनुबन्ध पत्रों में संशोधन करा लिया जाय।

जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में संविदा कर्मियों की तैनाती हेतु सामान्य नियम

1. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई हेतु प्रेषित धनराशि को जिला स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत गठित शासी निकाय में चर्चा की जायेगी और सहमति प्राप्त की जायेगी। यदि शासी निकाय की बैठक में विलम्ब हो रहा हो तो अध्यक्ष–शासी निकाय से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। आपसे अनुरोध है कि प्रेषित धनराशि को जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के खाते में स्थानान्तरित करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें। जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई द्वारा वित्तीय नियमावली का अनुपालन करते हुए इस धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. इस वित्तीय वर्ष में वास्तविक कार्य करने की तिथि से एवं संतोषजनक कार्य के आधार पर जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के कर्मियों/अधिकारियों के मानदेय का भुगतान किया जाय।

8.4.1 जिला कार्यक्रम प्रबन्धक (FMR Code 16.4.2.1.1)

- जिला स्वास्थ्य समिति–शासी निकाय एवं कार्यकारी समिति की नियमित रूप से प्रतिमाह बैठक कर सभी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करवाना।
- जनपद स्तर पर कार्यरत कार्यक्रम समन्वयक/कन्सलटेन्ट (DMHC, DLC-NLEP, DPC-NTEP, DQC, DC-NTCP, DC-NVBDCP, UHCs-NUHM, DQIM, DEICM, FLC-NCD) के कार्यो की मासिक बैठक में कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा कर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फीडबैक उपलब्ध कराना। उक्त कार्य मे DPM द्वारा DCPM तथा DAM का सहयोग भी लिया जाये।
- नये संविदाकर्मी के चयनोपरान्त जनपद पर योगदान आख्या देने के उपरान्त नियुक्ति सम्बन्धी सभी औपचारिकताओं को 10 दिवसों में पूर्ण करते हुये मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित कराना।
- डिस्ट्रिक्ट वॉक–इन इंटरव्यू के माध्यम से चयनित संविदा विशेषज्ञों/चिकित्सकों की पूर्ण सूचना ससमय राज्य स्तर पर अनुमोदन हेतु प्रेषित करना।
- प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जनपद में कार्यरत संविदा कर्मी/आउटसोर्स कर्मियों की व्यक्तिगत सूचना (जनपद का नाम, कार्यक्रम का नाम, पदनाम, योगदान तिथि) एवं संक्षेप सूचना (Summarised) (कार्यक्रमवार, पदवार, कार्यरत कर्मियों की संख्या एवं रिक्त पदों की सूचना) मानव संसाधन अनुभाग को प्रेषित करना। इसके अतिरिक्त समय–समय पर वांछित सूचना को ससमय राज्य स्तर पर प्रेषित करना।

- जननी सुरक्षा योजना सहित सभी कार्यक्रमों के संचालन हेतु जनपद की सभी इकाईयों के पास पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना। एवं जच्चा का अस्पताल में 48 घंटे रूकने हेतु सत्यापन करना।
- डिलीवरी प्वाइंट्स सहित सभी इकाईयों तथा कार्यालयों मे कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से वित्त पोषित कर्मियों की कार्यस्थल पर उपस्थिति का औचक निरीक्षण।
- जिला स्वास्थ्य समिति मे कार्यरत सभी कार्मिकों का मानव सम्पदा पर पंजीयन, अवकाश प्रबन्धन, वार्षिक अनुबन्ध तथा समय से मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करवाना।
- जिला स्वास्थ्य समिति मे कार्यरत सभी कार्मिकों का छमाही परफार्मेन्स अप्रेजल सुनिश्चित करना।
- प्रतिमाह निर्धारित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आयोजित होने वाले सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु प्रतिभागियों का नामांकन तथा जनपद स्तरीय कार्यक्रम का समय से गुणवत्ता सहित आयोजन कराना।
- टीकाकरण सत्रों का (बुधवार एवं शनिवार) पर्यवेक्षण।
- अर्बन हैल्थ पोस्ट पर डिस्प्ले बोर्ड की फोटोग्राफी तथा भौतिक प्रगति की रिपोर्ट।
- HMIS/UPHMIS पोर्टल पर माहवार एच.एम.आई.एस. की अद्यतन रिपोर्ट, जिला डाटा कम लेखा सहायक (DDAA) तथा जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुमोदित नवीन पद (District Monitoring & Evaluation Specialist) के द्वारा कियान्वित करते हुये आर.सी.एच. पर पंजीकरण सुनिश्चित करवाना।
- निर्माण कार्य की माहवार अद्यतन सूचना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण तथा जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन की कार्यवाही कराना।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कम से कम दो विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के दौरान कार्यक्रम की समीक्षा विशेषकर मोबाइल टीम की उपस्थिति तथा स्वास्थ्य कार्ड एवं रजिस्टर का भरा जाना।
- एन0डी0सी0पी0 (राष्ट्रीय कार्यक्रम) से सम्बन्धित अद्यतन शासनादेशों / सर्कुलर / दिशानिर्देशों / एन0एच0एम0 वेबसाइट पर उपलब्ध फार्म से मुख्य चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारियों को अवगत कराना तथा उनके कियान्वयन में सहयोग करना।
- एन0डी0सी0पी0 (राष्ट्रीय कार्यक्रम) कार्यक्रमों का औचक निरीक्षण एवं उक्त से सम्बन्धित समीक्षात्मक आख्या एस0पी0एम0यू0 को ई मेल द्वारा प्रेषित किया जाना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति / एस0पी0एम0यू0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य।
- जनपद मे कार्यरत Devlopment Partners के साथ समन्वयय करते हुये कार्यक्रमों का कियान्वयन।

8.4.2 जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर (FMR Code 16.4.2.1.1)

- कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग द्वारा संचालित समस्त गतिविधियों के गुणवत्तापूर्वक संचालन, मुल्याकन एवं अनुश्रवण में जनपदीय नोडल अधिकारी को सहयोग प्रदान करना।
- काम छोड़ चुकी आशा/आशा संगिनी और बिना आशा वाले गावों का आकलन कर नई आशा/आशा संगिनी का चयन करवाना।
- (जिले से ब्लॉक को) अविरत रूप से फंड जारी किया जाना सुनिश्चित करना और उनके अधिकतम उपयोग में सहयोग करना।
- आशा व आशा संगिनी को प्रदान की जाने वाली प्रतिपूर्ति धनराशि का ससमय एवं नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाना।
- आशा किटों की आपूर्ति, वितरण एवं उन्हें फिर से भरने के लिए अच्छी व्यवस्था करना।
- आशा के लिए अतिरिक्त सहयोगी तंत्र जैसे–आशा पुरस्कार, शिकायत निवारण प्रणाली, आशा सहायता तंत्र स्थापित करना।
- राज्य स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देशों को ब्लॉक स्तर पहुंचना।

- वीएचएसएनसी के गठन/पुनर्गठन का पर्यवेक्षण करना और जिला स्तरीय सहयोगी टीम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिले के सभी गांवों में राज्य स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार सामुदायिक निगरानी के लिए प्रक्रिया विकसित करना।
- जिला प्रशिक्षण स्थलों का विकास और जिला प्रशिक्षण टीम के गठन एवं क्षमता वर्धन में सहयोग करना।
- एक व्यवस्थित प्रशिक्षण योजना तैयार करना, आशा, आशा सहयोगियों और वीएचएसएनसी सदस्यों के ब्लॉकवार प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं निगरानी करना।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण प्रक्रिया में सुचारु व्यवस्था, जैसे– समुचित आधारभूत सुविधाएं और प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराकर, गुणवत्ता मानकों का पालन किया जा रहा है।
- सभी प्रशिक्षकों और प्रशिक्षार्थियों का एक डेटा बेस रखना।
- जिला प्रशिक्षकों, आशा का प्रशिक्षण उपरांत मूल्यांकन सुनिश्चित करना और उनके एवं जिला प्रशिक्षण स्थल की प्रमाणीकरण प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना।
- ग्राम स्वास्थ्य योजनाओं का संकलन करने, और जिला स्वास्थ्य कार्य–योजना के बजट तैयार करने में डीपीएमयू के साथ समन्वय स्थापित कर, योगदान प्रदान करना।
- प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन हेतु जिला संसाधन पूल को सुदृढ़ बनाने के लिए गैर–सरकारी संगठनों और अन्य सरकारी विभागों, जैसे–महिला एवं बाल विकास, पेयजल एवं स्वच्छता, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समन्वय करना।
- ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर के साथ समय–समय पर समीक्षा बैठकें करना।
- आशा एवं सामुदायिक प्रक्रियाओं से संबंधित गतिविधियों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना।
- समुदाय स्तर पर संचालित विभिन्न गतिविधियों यथा–राष्ट्रीय कार्यक्रमों, जे.ई./ए.ई.एस. आदि का समुदाय स्तर पर क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान सहायतित पर्यवेक्षण करना एवं भ्रमण आख्या से उच्चाधिकारियों को अवगत कराना।
- क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान वी.एच.एन.डी. का अनुश्रवण करना।
- प्रत्येक आशा के ब्यौरे, प्रशिक्षण स्थिति और ड्रॉप आउट संबंधी ब्लॉकवार डेटाबेस रखना।
- प्रमुख कार्यों में आशा की सक्रियता का मूल्यांकन करने के लिए ब्लॉक सामुदायिक संयोजकों द्वारा प्रस्तुत प्रारूपों के अनुरूप जिला स्तरीय निष्पादन रिपोर्टों का संकलन करना।
- कम निष्पादन करने वाले ब्लॉकों की पहचान करना, कम प्रदर्शन के कारणों का आकलन करना और सुधार के लिए रणनीति बनाना।
- वीएचएसएनसी के प्रशिक्षण, कार्यक्षमता, खर्च और लंबित कार्य (बैकलॉग) के बारे में ब्लॉकवार डेटाबेस बनाए रखना भी इसका एक नियमित कार्य है।
- रोगी कल्याण समिति के गठन/नवीनीकरण एवं सुचारू संचालन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- जनपद में स्थापित किये जाने वाले हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों के चिन्हीकरण में सहयोग प्रदान किया जाना।
- हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों के गैप एनालिसिस करवाने में सहयोग करना।
- गैप एनालिसिस के अनुसार आवश्यक उपकरण एवं सामग्री को उपलब्ध कराने में जनपदीय नोडल अधिकारी (एच.डब्ल्यू.सी.) को सहयोग प्रदान करना।
- हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों की क्रियाशीलता सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रों का आवश्यक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कर जनपदीय नोडल अधिकारी (एच.डब्ल्यू.सी.) को अवगत कराते हुये जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर से सम्बन्धित विभिन्न पोर्टल्स पर ससमय रिपोर्ट अपलोड किये जाने में जनपदीय नोडल अधिकारी (एच.डब्ल्यू.सी.) को सहयोग प्रदान किया जाना।
- अन्य कार्य जो कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग द्वारा प्रदान किये जायें।

8.4.3 जिला लेखा प्रबन्धक (FMR Code 16.4.2.1.1)

- समस्त कार्यक्रमों के लेखा सम्बंधी कार्यो का मासिक अनुश्रवण एवं समीक्षा करना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में एवं विभिन्न इकाईयों पर कार्यरत लेखाकंन अधिकारी/कर्मचारी का पर्यवेक्षण करना।

- फाइनेन्शियल गाइडलाइन्स के अनुसार लेखा पुस्तकों के अद्यतन रख–रखाव के लिये प्रत्येक माह कम से कम 4 सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 का निरीक्षण कर आख्या जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में शामिल करना तथा राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना।
- सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0, जिला अस्पताल एवं जिला स्वास्थ्य समिति का टैली डाटा, एफ.एम.आर, बी0आर0एस0, कमिटेड रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्ट को मासिक अन्तराल पर राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को प्रेषित करना।
- सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0, एवं जिला अस्पताल के टैली डेटा का सप्ताहिक बैकअप रखना। साथ ही जिला स्वास्थ्य समिति के प्रतिदिन टैली डेटा का बैकअप रखना।
- सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0, जिला अस्पताल एवं जिला स्वास्थ्य समिति के टैली डेटा का मासिक या कम अन्तराल पर गुणवत्ता की जॉच करना।
- जिला स्वास्थ्य समिति के टैली डेटा से लेखा पुस्तकों का प्रिन्ट आउट निकालकर अभिरक्षित करना।
- प्रत्येक माह ब्लाक लेखा प्रबन्धक की बैठक करना एवं रिपोर्ट राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना।
- वित्तीय लेखा पुस्तकों के रख–रखाव की निरीक्षण रिपोर्ट की अनुपालन आख्या तैयार करवाना एवं वित्तीय नियमावली के अनुरूप कार्य की समीक्षा करना।
- जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के समस्त लेखा कार्य की समीक्षा करना।
- पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल को पत्र संख्या–एस.पी.एमयू. / एन0आर0एच0एम0 / लेखा / पी.एफ.एम.एस. / 187 / 2017–18 / 1782–6 दिनांक 28.05.2018 एवं तत्पश्चात् जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार लागू कराना।
- कान्करेन्ट ऑडिट निष्पादित करवाना, प्रत्येक माह जनपद की समस्त इकाईयों बैंक समाधान विवरण एवं सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0, जिला अस्पताल एवं जिला स्वास्थ्य समिति का टैली डेटा से तैयार रिपोर्ट ई–मेल के माध्यम से ऑडिटर एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना।
- वार्षिक त्रैमासिक वित्तीय विवरण तैयार करना एवं ई–मेल के माध्यम से ऑडिटर एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना।
- जिला ऑडिट समिति की प्रत्येक वर्ष कम से कम 06 बैठकें आयोजित करवाना एवं कार्यवृत राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना।
- कान्करेन्ट ऑडिट पर कृत कार्यवाही एवं अनुपालन आख्या को जिला ऑडिट समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
- वैधानिक ऑडिट निष्पादित करवाना तथा कृत कार्यवाही एवं अनुपालन आख्या की समीक्षा करना तथा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना।
- जनपद के अन्दर की समस्त इकाईयों का बैंक समाधान विवरण बनवाने, मैनुअल रोकड़ बही एवं बाउचर पत्रावलियों के रख–रखाव की समीक्षा करना।
- जनपद के अन्दर समस्त इकाईयों की लेखा पुस्तकों के रख–रखाव की अद्यतन स्थिति का एजेण्डा जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में शामिल करवाना।
- टी0डी0एस0, जी0एस0टी0, ई0पी0एफ0 एवं अन्य वैधानिक दायित्वों की कटौती एवं समय से जमा करवाने की समीक्षा करना तथा डी0डी0ओ0 को यथा स्थिति एवं उसके परिणाम से अवगत कराना।
- राज्य स्वास्थ्य समिति से जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिला स्वास्थ्य समिति से जिला अस्पताल सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 एवं अन्य इकाइयों के मध्य फण्ड समाधान विवरण तैयार करना।
- जनपद की समस्त इकाईयों पर फाईनेन्शियल एण्ड एकाउंटिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम (एफ0ए0एम0एस0) को लागू करवाना।
- फाईनेन्शियल एण्ड एकाउंटिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम (एफ0ए0एम0एस0) के अनुसार व्यय एवं पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के अनुसार व्यय की इकाईवार रिपोर्ट तैयार करना तथा मुख्य चिकित्साधिकारी से प्रत्येक सप्ताह दोनों के व्यय में अन्तर की समीक्षा करवाना।
- प्रत्येक माह की 07 तारीख तक सभी कार्यरत कर्मियों का मानदेय निर्गत करते हुये निर्गत सम्बन्धी सूचना वित्त अनुभाग एवं मानव संसाधन अनुभाग को प्रेषित करना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति / एस0पी0एम0यू0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य।

8.4.4 जिला डाटा कम लेखा सहायक (FMR Code 16.4.2.1.1)

राज्य स्तर से निर्धारित लेखांकन एवं अन्य कार्य, जिला लेखा प्रबन्धक के कार्यो में सहयोग, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के लेखा पुस्तकों को तैयार करना एवं अभिरक्षित करना तथा जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के निर्देश में अन्य कार्य एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति/एस0पी0एम0यू0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य।

प्रारूप– डी0पी0एम0

कार्य मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन वर्ष ....

संविदा कर्मी का नाम ....

तैनाती स्थल ..जनपद..

माह में अनुपस्थित रहे कार्य दिवसों की संख्या ....

तैनाती की तिथि ....संविदा समाप्त होने की तिथि..

क्रम सं0	कार्य/उत्तरदायित्व	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1.	जिला स्वास्थ्य समिति शासी एंव कार्यकारी निकाय की नियमित रूप से प्रतिमाह बैठक करवाना।	10	
2.	जननी सुरक्षा योजना में धनराशि सुनिश्चित करवाना एवं जच्चा का अस्पताल में 48 घंटे रूकने हेतु सत्यापन करना।	10	
3.	प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जनपद में कार्यरत संविदाकर्मी/आउटसोर्स कर्मियों की व्यक्तिगत सूचना एवं संक्षेप सूचना मानव संसाधन अनुभाग को प्रेषित करना।	10	
4.	जिला स्वास्थ्य समिति मे कार्यरत सभी कार्मिकों का मानव सम्पदा पर पंजीयन, अवकाश प्रबन्धन, वार्षिक अनुबन्ध तथा समय से मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करवाना।	10	
5.	डिलीवरी प्वाइंट्स सहित सभी इकाईयों तथा कार्यालयों मे कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से वित्तपोषित कर्मियों की कार्यस्थल पर उपस्थिति का औचक निरीक्षण।	10	
6.	टीकाकरण सत्रों का (बुधवार एवं शनिवार) पर्यवेक्षण।	10	
7.	HMIS/UPHMIS पोर्टल पर माहवार एच.एम.आई.एस. की अद्यतन रिपोर्ट, जिला डाटा कम लेखा सहायक (DDAA) तथा जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुमोदित नवीन पद (District Monitoring & Evaluation Specialist) के द्वारा क्रियान्वित करते हुये आरसीएच पर पंजीकरण सुनिश्चित करवाना।	10	
8.	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कम से कम दो विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के दौरान कार्यक्रम की समीक्षा विशेषकर मोबाइल टीम की उपस्थिति तथा स्वास्थ्य कार्ड एवं रजिस्टर का भरा जाना।	10	
9.	एन0डी0सी0पी0 (राष्ट्रीय कार्यक्रम) से सम्बन्धित अद्यतन शासनादेशों/ सर्कुलर/ दिशा निर्देशों/ एन0आर0एच0एम0 वेबसाइट पर उपलब्ध फार्म से सी0एम0ओ0 एवं सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारियों को अवगत कराना तथा उनके क्रियान्वयन में सहयोग।	10	
10.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति/एस0पी0एम0यू0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य	10	
	कुल योग	**100**	

- **ग्रेडिंग का आधारः–**

टांकलन	कुल बिन्दु	मूल्यांकन
असन्तोषजनक	<= 40	
संतोषजनक	41-60	
उत्तम	61-80	
अति उत्तम	81-100	

हस्ताक्षर | हस्ताक्षर
मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक | मुख्य चिकित्सा अधिकारी

प्रारूप– डी0सी0पी0एम0

कार्य मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन वर्ष ....

संविदा कर्मी का नाम ....

तैनाती स्थल (जनपद का नाम)..
वित्तीय वर्ष में अनुपस्थित रहे कार्य दिवसों की संख्या (आकस्मिक/चिकित्सकीय/पैटरनिटी/मैटरनिटी/एल0डब्ल्यू0पी0 अवकाश इत्यादि) ....
तैनाती की तिथि ....संविदा समाप्त होने की तिथि..

क्रम	कार्य उत्तरदायित्व	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1.	नई आशा एवं आशा संगिनी की नियुक्ति के साथ आशा की अद्यतन सूचना।	10	
2.	वी0एच0एन0डी0 सत्रों का (बुधवार एवं शनिवार) पर्यवेक्षण।	10	
3.	रोगी कल्याण समिति की धनराशि का माहवार उपयोग रिपोर्ट।	10	
4.	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक की भ्रमण रिपोर्ट।	10	
5.	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस का सत्यापन एवं रिपोर्ट।	10	
6.	राष्ट्रीय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम का अनुश्रवण ।	10	
7.	102 एवं 108 एम्बुलेंस सेवा का औचक निरीक्षण।	10	
8.	आशाओं एवं आशा संगिनी को देय मॉनिटरी एवं नॉनमॉनिटरी प्रतिपूर्ति राशि की ब्लॉकवार समीक्षा एवं अनुश्रवण करना।	10	
9.	हेल्थ एवं वैलनेस सेन्टर की कन्स्ट्रक्शन, ब्रान्डिंग व क्रियाशीलता की अद्युनान्त सूचना रखना।	10	
10.	एन0एच0एम0 के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति/एस0पी0एम0यू0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य।	10	
	कुल योग	**100**	

- **ग्रेडिंग का आधारः–**

टांकलन	कुल बिन्दु	मूल्यांकन
असंतोषजनक	<= 40	
संतोषजनक	41-60	
उत्तम	61-80	
अति उत्तम	81-100	

हस्ताक्षर
मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक

हस्ताक्षर
मुख्य चिकित्साधिकारी

प्रारूप–जिला लेखा प्रबन्धक

कार्य मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन वर्ष ....
संविदा कर्मी का नाम ....
तैनाती स्थल (जनपद का नाम)..
वित्तीय वर्ष में अनुपस्थित रहे कार्य दिवसों की संख्या (आकस्मिक/चिकित्सकीय/पैटरनिटी/मैटरनिटी / एल0डब्ल्यू0पी0 अवकाश इत्यादि) ....
तैनाती की तिथि ....संविदा समाप्त होने की तिथि..

क्रम	कार्य उत्तरदायित्व	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के समस्त कार्यक्रमों के लेखा कार्यो की समीक्षा। (कैश बुक/बैंक समाधान विवरण/बिल वाउचर/पत्रावलियां का रख–रखाव एवं अन्य लेखा पुस्तिकें आदि)	10	
2.	प्रत्येक माह कम से कम चार सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 का निरीक्षण कर वहां फाइनेन्सियल गाइडलाइन्स के अनुसार लेखा पुस्तकों के अद्यतन रखरखाव की स्थिति की आख्या।	10	
3.	माहवार एफ.एम.आर, एवं अन्य रिपोर्ट की अद्यतन सूचना प्रेषण।	10	
4.	प्रत्येक माह ब्लाक एकाउंट मैनेजर की बैठक करना एवं वित्तीय लेखा का निरीक्षण आख्या बनवाना एवं वित्तीय नियमावली के अनुरूप कार्य की समीक्षा करना।	10	
5.	कांकरेन्ट ऑडिट सम्बन्धी कार्य।	10	
6	वैधानिक ऑडिट सम्बन्धी कार्य।	10	
7	वार्षिक/त्रैमासिक वित्तीय विवरण तैयार करना।	10	
8	एफ0ए0एम0एस0 को लागू करवाना।	10	

9	टी0डी0एस0/जी0एस0टी0/ई0पी0एफ0/अन्य वैधानिक दायित्वों से सम्बन्धित कार्य।	10	
10	एन0आर0एच0एम0 के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति/एस0पी0एम0यू0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य।	10	
	कुल योग	**100**	

- **ग्रेडिंग का आधारः–**

आंकलन	कुल बिन्दु	मूल्यांकन
असंतोषजनक	<= 40	
संतोषजनक	41-60	
उत्तम	61-80	
अति उत्तम	81-100	

हस्ताक्षर   हस्ताक्षर

मण्डलीय लेखा अधिकारी एवं एम0आई0एस0   मुख्य चिकित्सा अधिकारी

प्रारूप– डी0डी0ए0ए0/डी0डी0एम0

कार्य मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन वर्ष ....

संविदा कर्मी का नाम ....

तैनाती स्थल (जनपद का नाम)..

वित्तीय वर्ष में अनुपस्थित रहे कार्य दिवसों की संख्या (आकस्मिक/चिकित्सकीय/पैटरनिटी/मैटरनिटी/एल0डब्ल्यू0पी0 अवकाश इत्यादि) ....

तैनाती की तिथि ....संविदा समाप्त होने की तिथि...

क्रम सं0	कार्य उत्तरदायित्व	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1.	मुख्य चिकित्साधिकारी/अधीक्षक /एम0ओ0आई0सी0 एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों/गतिविधियों को ब्लॉक स्तर पर क्रियान्वयन में सहयोग।	10	
2.	ब्लॉक पर पर प्लानिंग, कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग तथा फीडबैक प्रदान करना।	10	
3	रोगी कल्याण समिति एवं ग्राम,स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति हेतु नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को सहयोग प्रदान करना।	10	
4	प्रत्येक माह कम से कम 8 से 10 दिन क्षेत्र का भ्रमण करना।	10	
5	बुक्स ऑफ एकाउन्ट्स गाइडलाइन के अनुसार बनाने में एम0ओ0आई0सी0 को सहयोग करना।	10	
6	मासिक व्यय रिर्पोट में ब्लॉक स्तर पर हुए व्ययों का समय से सम्मिलित करना।	10	
7	राज्य स्तर से निर्धारित वित्तीय एवं लेखाकंन कार्य।	10	
8	जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के लेखा पुस्तकों का रख–रखाव (कैश बुक/बी0आर0एस0/बिल वाउचर एवं अन्य लेखा पुस्तकें आदि)	20	
9	सम्बन्धित ब्लॉक के सभी कार्यक्रमों का अनुश्रवण करना।	10	
	कुल योग	**100**	

- **ग्रेडिंग का आधारः–**

टांकलन	कुल बिन्दु	मूल्यांकन
असंतोषजनक	<= 40	
संतोषजनक	41-60	
उत्तम	61-80	
अति उत्तम	81-100	

हस्ताक्षर   हस्ताक्षर

मण्डलीय लेखा अधिकारी एवं एम0आई0एस0   मुख्य चिकित्सा अधिकारी

8.5 ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई – FMR Code 16.4.3.1.1

आप अवगत हैं कि जनपदों में ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई कियाशील हैं तथा इन इकाइयों पर विभिन्न स्तर के संविदा कर्मी कार्यरत हैं जिसमें प्रत्येक ब्लाक पर एक ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक एवं एक ब्लाक लेखा प्रबन्धक की स्वीकृति है।

वर्ष 2021–22 में ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों में कार्यरत संविदा कर्मियों को निम्न मानदेय बजट भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है।

1 **ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक**– हेतु अधिकतम बजट एफ. एम. आर. कोड संख्या 16.4.3.1.1 पर रू0 33,694.00 प्रतिमाह (मानदेय+ वार्षिक वेतन वृद्धि+ लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस), रु0 26,741.00 (01 वर्ष की संतोषजनक सेवा उपरान्त)/रु0 24255.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) का मानदेय बजट भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है।

2 **ब्लाक लेखा प्रबन्धक**– हेतु अधिकतम बजट एफ. एम. आर. कोड संख्या 16.4.3.1.1 पर रू0 25,844.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु0 22,325.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) का मानदेय बजट आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के एफ. में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है।

3 ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई हेतु वर्ष 2021–22 में ऑपरेशनल व्यय हेतु एफ. एम. आर. कोड संख्या 16.1.5.3.16 रू0 17,364.00 प्रतिमाह व्यय हेतु स्वीकृत किया गया है।

उपरोक्त मानदेय बजट एवं ऑपरेशनल व्यय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है, वर्तमान मानदेय पर वित्तीय वर्ष 2021–22 में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी केवल उन संविदाकर्मी पर लागू होगी जिन्होंने एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। तदनुसार अनुबन्ध पत्रों में संशोधन करा लिया जाय।

ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई संविदा कर्मियों की तैनाती हेतु सामान्य नियम

1. ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई हेतु प्रेषित धनराशि को जिला स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत गठित शासी निकाय में चर्चा की जायेगी और सहमति प्राप्त की जायेगी। यदि शासी निकाय की बैठक में विलम्ब हो रहा हो तो अध्यक्ष–शासी निकाय से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई द्वारा वित्तीय नियमावली का अनुपालन करते हुए इस धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. इस वित्तीय वर्ष में वास्तविक कार्य करने की तिथि से एवं संतोषजनक कार्य के आधार पर ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के कर्मियों/अधिकारियों के मानदेय का भुगतान जनपदवार दिये गये निर्धारित मानदेय के अनुसार कर दिया जाय।

8.5.1 ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों में कार्यरत संविदा कर्मियों के कार्य एवं दायित्व

➢ **ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक**

- **निर्धारित कार्य एवं उत्तरदायित्व**
  - कार्यक्रमों के कियान्वयन हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी/प्रभारी अधीक्षक/जिला कार्यक्रम प्रबंधक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मंशानुरूप सहयोग प्रदान करना।
  - ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम नियोजन, संचालन, पर्यवेक्षण, समन्वयन हेतु पूर्णरूपेण उत्तरदायी।
  - ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में कार्यरत सहयोगियों BAM, BCPM & DEO का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करते हुये इकाई का संचालन।
  - रोगी कल्याण समिति, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों की कार्य क्षमता एवं विकास हेतु कार्ययोजना बनाना।
  - ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण हेतु ग्राम संबंधी कार्ययोजना बनवाना, साथ ही उक्त समिति को समयानुसार धनराशि उपलब्ध करवाना।
  - विकास खंड स्तर पर विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय करते हुये स्वास्थ्य कार्ययोजना का निर्माण तथा कियान्वयन मे अर्न्तविभागीय सहयोग प्राप्त करना।
  - ए.एन.एम./आशा की मीटिंग में उपस्थित होकर सुझावों एवं समस्याओं के निस्तारण करना।

- प्रत्येक माह की प्रगति सूचना डाउनलोड कर चिकित्सा अधीक्षक के साथ चर्चा करना तथा ए. एन.एम. एंव आशा की मासिक बैठक मे डेटा प्रस्तुत करना।
- सभी लाभार्थियों तथा आशा एंव सेवा प्रदाताओं को समय से प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान सुनिश्चित करवाना।
- प्रभारी अधीक्षक/चिकित्साधिकारी के नेतृत्व में प्रत्येक स्तर पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण लागू करवाना
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कम से कम दो विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के दौरान कार्यक्रम की समीक्षा विशेषकर मोबाइल टीम की उपस्थिति तथा स्वास्थ्य कार्ड एवं रजिस्टर का भरा जाना।
- माह में कम से कम 8–10 दिन की फील्ड विजिट तथा ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के दैनिक संचालन एवं वित्तीय प्रबंधन करना।
- वित्तीय प्रबंधन में प्रभारी अधीक्षक/चिकित्साधिकारी को सहयोग प्रदान करना तथा BAM का पर्यवेक्षण करना।
- मसिक प्रगति आख्या प्रत्येक माह समय पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक को प्रस्तुत करना ।
- प्रत्येक माह में कार्यरत कर्मियों की उपस्थिति की सूचना जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को ससमय प्रेषित करना, जिससे कि मानदेय का ससमय भुगतान किया जा सके।

➢ **ब्लाक लेखा प्रबन्धक**

- अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक को वित्तीय कार्यो में सहयोग करना।
- पी0एफ0एम0एस0 लॉग बुक/चेक निर्गत रजिस्टर तैयार करना।
- रोकड़ बही एवं बैंक बही तैयार करना।
- प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरण तैयार करना।
- टैली डेटा अद्यतन करना।
- टैली डेटा, एफ.एम.आर एवं अन्य वित्तीय सूचना तैयार करना एवं जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराना।
- टैली डाटा का प्रतिदिन बैकअप रखा जाना।
- टैली डाटा से लेखा पुस्तकों का प्रिन्ट आउट निकालकर अभिरक्षित करना।
- कान्करेन्ट एवं स्टेच्युटरी ऑडिटर को ऑडिट के दौरान मैनुअल रोकड़ बही, टैली प्रिन्ट आउट, बैंक समाधान विवरण, बाउचर एवं अन्य वित्तीय प्रपत्र एवं पत्रावली उपलब्ध कराना।
- पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर उपकेन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति का पंजीकरण।
- पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से मेकर आई0डी0 का प्रयोग करते हुये समस्त भुगतान करना।
- आशा पोर्टल से तैयार भुगतान फाईल डाउनलोड करके मूल आशा बाउचर से मिलान के उपरान्त पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से भुगतान करना।
- उपकेन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों के वित्तीय अभिलेखों का अनुश्रवण करना।
- उप–केन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र बिल बाउचर की मूल प्रति ब्लाक स्तर पर अभिरक्षित करना।
- उप–केन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियों के बैंक खाते मे अवशेष एवं ब्लाक की लेखा पुस्तकों में दर्शायी गयी अवशेष धनराशि का विवरण तैयार करना।
- वित्तीय लेखा के निरीक्षण आख्या की कृत कार्यवाही एवं अनुपालन आख्या बनवाना एवं वित्तीय नियमावली के अनुरूप कार्य की समीक्षा करना।
- राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार अन्य लेखाकंन सम्बन्धी कार्य।
- फाईनन्शियल एण्ड एकांउटिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम्स के माध्यम से समस्त वित्तीय लेन–देनों को व्यवहरित करना।
- फाईनेन्शियल एण्ड एकाउंटिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम्स (एफ0ए0एम0एस0) के अनुसार व्यय एवं पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के अनुसार व्यय की इकाईवार रिपोर्ट तैयार करना तथा चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी से प्रत्येक सप्ताह दोनों के व्यय में अन्तर की समीक्षा करवाना।

प्रारूप– बी0पी0एम0

कार्य मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन वर्ष ....

संविदा कर्मी का नाम ....

तैनाती स्थल (जनपद का नाम)..

वित्तीय वर्ष में अनुपस्थित रहे कार्य दिवसों की संख्या (आकस्मिक/चिकित्सकीय/पैटरनिटी/मैटरनिटी/एल0डब्ल्यू0पी0 अवकाश इत्यादि) ....

तैनाती की तिथि ....संविदा समाप्त होने की तिथि..

क्र0 सं0	कार्य उत्तरदायित्व	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में कार्यत सहयोगियों BAM, BCPM, & DEO का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करते हुये इकाई का संचालन।	10	
2.	रोगी कल्याण समिति, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों की कार्य क्षमता एवं विकास हेतु कार्ययोजना बनाना।	10	
3.	ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण हेतु ग्राम सम्बन्धी कार्ययोजना बनवाना, साथ ही उक्त समिति को समयानुसार धनराशि उपलब्ध करवाना।	10	
4.	ए.एन.एम./आशा की मीटिंग में उपस्थित होकर सुझावों एवं समस्याओं का निस्तारण करना।	10	
5.	सभी लाभार्थियों तथा आशा एवं सेवाप्रदाताओं को समय से प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान सुनिश्चित करवाना।	10	
6.	प्रभारी अधीक्षक/चिकित्साधिकारी के नेतृत्व में प्रत्येक स्तर पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण लागू करवाना।	10	
7.	माह में कम से कम 8–10 दिन की फील्ड विजिट तथा ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के दैनिक संचालन, वित्तीय प्रबन्धन करना।	10	
8.	वित्तीय प्रबन्धन में प्रभारी अधीक्षक/चिकित्साधिकारी को सहयोग प्रदान करना तथा BAM का पर्यवेक्षण करना।	10	
9.	मासिक प्रगति आख्या प्रत्येक माह समय पर जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को प्रस्तुत करना।	10	
10.	प्रत्येक माह में कार्यरत कर्मियों की उपस्थिति की सूचना जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को ससमय प्रेषित करना जिससे कि मानदेय का ससमय भुगतान किया जा सके।	10	
	कुल योग	**100**	

- **ग्रेडिंग का आधारः–**

आंकलन	कुल बिन्दु	मूल्यांकन
असंतोषजनक	<= 40	
संतोषजनक	41-60	
उत्तम	61-80	
अति उत्तम	81-100	

हस्ताक्षर
जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/प्रभारी चिकित्साधिकारी

हस्ताक्षर
मुख्य चिकित्साधिकारी

प्रारूप–ब्लॉक लेखा प्रबन्धक

कार्य मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन वर्ष ....

संविदा कर्मी का नाम ....

तैनाती स्थल (जनपद का नाम)..

वित्तीय वर्ष में अनुपस्थित रहे कार्य दिवसों की संख्या (आकस्मिक/चिकित्सकीय/पैटरनिटी/मैटरनिटी/एल0डब्ल्यू0पी0 अवकाश इत्यादि) ....

तैनाती की तिथि ....संविदा समाप्त होने की तिथि..

क्र0 सं0	कार्य उत्तरदायित्व	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, के समस्त कार्यक्रमों के लेखा कार्यों की समीक्षा। (कैश बुक/बैंक समाधान विवरण/बिल वाउचर/पत्रावलियों का रख–रखाव एवं अन्य लेखा पुस्तकें आदि।	20	

2.	माहवार एफ0एम0आर0 एवं अन्य रिपोर्ट की अद्यतन सूचना प्रेषण।	10	
3.	उप–केन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण समितियों के वित्तीय अभिलेखो का अनुश्रवण करना।	10	
4.	कान्करेट ऑडिट संबंधी कार्य।	20	
5.	वैधानिक ऑडिट संबंधी कार्य।	10	
6.	एफ0ए0एम0एस0 पर कार्य करना।	10	
7.	टी0डी0एस0/जी0एस0टी0/ई0पी0एफ0/अन्य वैधानिक दायित्वों से संबंधित कार्य।	10	
8.	एन0आर0एच0एम0 के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति/एस0पी0एम0यू0/जिला स्वास्थ्य समिति/सी0एम0ओ0/एम0ओ0आई0सी0/द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य।	10	
	कुल योग	**100**	

- **ग्रेडिंग का आधारः–**

आंकलन	**कुल बिन्दु**	**मूल्यांकन**
असंतोषजनक	<= 40	
संतोषजनक	41-60	
उत्तम	61-80	
अति उत्तम	81-100	

हस्ताक्षर
जिला लेखा प्रबंधक एवं अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

हस्ताक्षर
मुख्य चिकित्साधिकारी

9. नर्सिंग कार्यक्रम

9.1 'सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस' प्रशिक्षण एफ0एम0आर0 मद संख्या 9.5.27.1

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जनसमुदाय को गुणवत्तापरक एवं सुगमतापूर्वक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2021–22 में प्रदेश के 4000 उपकेन्द्रों को Health and Wellness Center (HWC) के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इन केन्द्रों पर एक–एक जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग की तैनाती की जानी है, जिनको छः माह का 'सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस' का प्रशिक्षण चिन्हित् प्रोग्राम स्टडी सेन्टर/आर0एच0एफ0डब्लू0टी0सी0 पर के0जी0एम0यू0 के माध्यम से कराया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने तथा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त उनकी तैनाती सम्बंधित जनपद के उपकेन्द्र स्तरीय Health and Wellness Center पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर की जायेगी। साथ ही जिन अभ्यर्थियों द्वारा B.Sc. (Nursing)/Post Basic B.Sc. (Nursing) course with integrated curriculum of Certificate in Community Health for Nurses (CCHN) in the year 2019-20 (Academic Session 2016-17 onwards) उत्तीर्ण किया हो, इनका चयन भी सीधी भर्ती के माध्यम से सी0एच0ओ0 के पद पर किये जाने का प्राविधान है।

9.1.1 मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्य

- प्रशिक्षार्थी के पोस्टिंग जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रशिक्षार्थियों से उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर तीन वर्षों तक कार्य करने हेतु रु0 2,50,000.00 का श्योरिटी बॉण्ड (रु0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर) तथा वांछित दस्तावेज (हाई स्कूल, इण्टर, जी0एन0एम0/बी0एस0सी0/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0–नर्सिंग की मार्कशीट, उ0प्र0 नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, जाति, ई0डब्लू0एस0 प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड) प्राप्त करना तथा समस्त रिकार्ड सुरक्षित रखना।
- प्रशिक्षार्थियों के वांछित दस्तावेज सही पाये जाने पर उनको सी0सी0एच0एन0 प्रशिक्षण प्राप्त कराने की सूचना सम्बंधित जनपद के प्रोग्राम स्टडी सेंटर/आर0एच0एफ0डब्लू0टी0सी0 को लिखित रुप में दिया जाना।
- प्रशिक्षार्थियों की क्लीनिकल पोस्टिंग हेतु जनपद के सामुदायिक /प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्रों एवं नगरीय स्वास्थ्य इकाईयों को चिन्हित कर सूचना सम्बंधित प्रशिक्षण सेन्टर इंचार्ज को उपलब्ध कराना।
- स्वास्थ्य इकाईयों की सूची तैयार करते समय ध्यान रखा जाय कि उक्त इकाई पर अन्य प्रशिक्षण सेंटर के प्रशिक्षार्थियों की क्लीनिकल पोस्टिंग पूर्व से निर्धारित न हो। विशेष परिस्थिति में दो सेंटरों के लिए एक ही इकाई का भी चयन किया जा सकता है, लेकिन आवश्यक होगा कि दोनों सेंटर के क्लीनिकल पोस्टिंग के दिवस/माह, अलग–अलग निर्धारित किये जायें।
- प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त फाइनल रिजल्ट आने तक प्रशिक्षार्थियों को जनपद के उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स से सम्बंधित सामुदायकि/प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई पर इन्टर्न के रूप में तैनात किया जाना, जिससे कि उन्हें ब्लॉक स्तर पर एन0एच0एम0/स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं की जानकारी हो सके।
- परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों की तैनाती एस0पी0एम0यू0 स्तर से जारी पत्र के आधार पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर की जाये, जिनको अनुमन्य मानदेय के अतिरिक्त परफार्मेन्स बेस्ड इन्सेंटिव भी दिया जायेगा। जिसके सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग, एस0पी0एम0यू0 द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं।
- अनुत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को अगले सत्र की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए केवल एक अवसर स्वयं के खर्चे पर दिया जायेगा, परन्तु इस अवधि में इनको एन0एच0एम0 से किसी प्रकार की मानदेय/धनराशि देय नही होगी। पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त एस0पी0एम0यू0, द्वारा इसकी सूचना सम्बन्धित सी.एम.ओ. को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर ही इनकी तैनाती उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर की जायेगी।
- यदि प्रशिक्षार्थी द्वारा कतिपय कारणों से प्रशिक्षण बीच में छोड़ दिया जाता है, ऐसी स्थिति में प्रशिक्षार्थी से भराये गये बाण्ड के अनुसार धनरशि को जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में जमा करवाते हुए अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने की कार्यवाही की जायेगी।

- राज्य स्तर से प्रशिक्षण हेतु अवमुक्त धनराशि को सम्बन्धित प्रशिक्षण सेंटर को समय से अवमुक्त करना तथा प्रत्येक माह उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना।

9.1.2 प्रशिक्षण सेंटर के कार्य

- संस्थान/चिकित्सालय में स्थापित ''प्रशिक्षण सेन्टर'' के इंचार्ज/कोआर्डिनेटर/काउंसलर्स हेतु अलग से एक कक्ष आवंटित किया जाय, जिसमें उनके बैठने के लिए आवश्यक फर्नीचर तथा कार्यालय कार्य हेतु अलमारी आदि की व्यवस्था हो।
- प्रशिक्षार्थियों की संख्या के अनुसार अलग से कक्ष/सभागार की व्यवस्था की जाये, जिसमें उनके लिए कुर्सी, मेज तथा अध्ययन हेतु एल0सी0डी0 प्रोजेक्टर, आडियो विडियो, चार्ट, पेपर, मार्कर, माइक, कम्प्यूटर/लेपटॉप आदि की व्यवस्था हो तथा कक्ष को सुसज्जित करते हेतु इण्टर्नल ब्रांडिंग करायी जाये।
- सेंटर द्वारा प्रशिक्षार्थियों के लिए इनरोलमेंट एवं परीक्षा फार्म तथा फाइनल प्रैक्टिकल परीक्षा हेतु उत्तर पुस्तिका के0जी0एम0यू0, लखनऊ से प्राप्त किये जायें। साथ ही योगदान देने वाले प्रशिक्षार्थियों के उक्त फार्म को भराते हुए, कोर्स को–आर्डिनेशन सेल, अधिष्ठाता, नर्सिंग कार्यालय, कलाम सेंटर, के0जी0एम0यू0, लखनऊ में ससमय जमा कराया जाये। साथ ही प्रशिक्षार्थियों के आवश्यक दस्तावेज/अभिलेखों की एक प्रति अपने कार्यालय में रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखें। परीक्षा फार्म भराते समय आधार कार्ड से फोटो एवं अन्य विवरणों का मिलान अवश्य कर लिया जाये।
- सेन्टर स्तर पर चिन्हित कांउसलर्स द्वारा 60 थ्योरी सत्र (One session =2 hour) एवं 75 प्रैक्टिल सत्र (One session =4 hour) सम्पादित किये जायें तथा प्रशिक्षार्थियों की क्लीनिकल पोस्टिंग का कार्य 15–15 प्रशिक्षार्थियों के ग्रुप बनाकर कराया जाय। इस प्रकार 50से अधिक प्रशिक्षण क्षमता वाले सेंटर पर 60 थ्योरी एवं 300 प्रैक्टिकल (75*4=300), अधिकतम 360 सत्रों एवं 45 प्रशिक्षार्थियों की क्षमता वाले सेंटर पर 60 थ्योरी एवं 225 प्रैक्टिकल (75*3=225), अधिकतम 285 सत्रों का आयोजन किया जायेगा, इसी प्रकार 35 से कम क्षमता वाले सेंटर पर 60 थ्योरी एवं 150 प्रैक्टिकल (75*2=150), अधिकतम 210 सत्रों का आयोजन किया जाये। परन्तु आर0एच0एफ0डब्लू0टी0सी0 हेतु थ्योरी सत्रों का सम्पादन वर्चुअल के माध्यम से एस0आई0एच0एफ0डब्लू0 से किया जाना है। साथ ही आर0एच0एफ0डब्लू0टी0सी0 स्तर पर भी 10 अतिरिक्त थ्योरी सत्रों का प्राविधान है।
- प्रशिक्षण के थ्योरी सत्र विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं चिन्हित काउन्सलर्स से ही सम्पादित कराये जायें। यदि किसी विषय के विशेषज्ञ चिकित्सक/काउसंलर्स जनपद में उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी स्थिति में सक्षम स्तर से अनुमोदन लेते हुए चिन्हित काउंसलर्स से भी उन विषयों का अध्यापन कार्य कराया जा सकता है।
- पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित Communication, Management, Supervision, Leadership, HMIS, Financial Management Accounts at Sub centre and records & reports आदि सत्र मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, मण्डलीय/जनपदीय लेखा प्रबन्धक एवं जनपदीय कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक से उनके विषय के अनुसार सम्पादित कराये जायें।
- प्रत्येक सत्र (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल) में निर्धारित प्रारूप पर प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति अंकित की जाये, जिसके आधार पर कांउसलर्स के मानदेय का भुगतान किया जाये। भुगतान के वाउचर में उपस्थिति को संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
- प्रशिक्षण के थ्योरीसत्र में 75 प्रतिशत तथा प्रैक्टिकल सत्र में 100 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, थ्योरी सत्रों एवं क्लीनिकल पोस्टिंग के दौरान प्रशिक्षार्थी को नाम पट्टिका सहित एप्रेन पहनना आवश्यक है।
- कोविड–19 के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं प्रोटोकॉल (जैसे–सोशल डिस्टेंसिग, मास्क एवं सेनेटाइजर आदि) का पालन प्रशिक्षण सत्रों एवं क्लीनिकल पोस्टिंग के दौरान अवश्य सुनिश्चित किया जाये। समस्त प्रशिक्षार्थियों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है।
- कोविड–19 को दृष्टिगत रखते हुए सेंटर द्वारा ऑनलाइन सत्रों का आयोजन भी जपाइगो के तकनीकी सहयोग से किया जा सकता है, जिस हेतु चिकित्सकों/काउंसलर्स का ओरिएंटेशन जपाइगो द्वारा कराया जायेगा। ऑनलाइन सत्रो के दौरान प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति, रिकार्ड हेतु अवश्य रखी जाये।

- प्रशिक्षण को ससमय पूर्ण करने हेतु मास्टर रोटेशन प्लान (MRP) एवं क्लीनिकल रोटेशन प्लान (CRP) तैयार किया जाये, जिसमें ''जपाइगो'' के अधिकारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा। MRP and CRP का अनुमोदन सक्षम स्तर से अवश्य प्राप्त किया जाये।
- प्रशिक्षण की विषयवार पठ्न–पाठ्न सामग्री की हार्ड कॉपी राज्य स्तर से प्राप्त होने तक सेंटर द्वारा प्रशिक्षार्थियों को विषयवार साफ्ट कॉपी तथा पी0पी0टी0 उपलब्ध करायी जाये तथा उनसे रिसीविंग प्राप्त कर रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखी जाये।
- प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को क्लीनिकल पोस्टिंग हेतु 50 दिन (जिला चिकित्सालय–22, सामु0स्वा0के0–10, प्रा0स्वा0के0–10, उपकेन्द्र–6 एवं नगरीय सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र–2 दिन) की क्लीनिकल पोस्टिंग की जानी है। पोस्टिंग की अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकती है, जिससे प्रत्येक स्तर की स्वास्थ्य इकाईयों पर प्रदान की जा रही सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके।
- प्रशिक्षार्थियों को दक्ष करने तथा उनके कौशल विकास हेतु समय–समय पर चिकित्सालय में ए0एन0सी0, पी0एन0सी0 वार्ड, लेबर रुम एवं ओ0टी0 आदि में भी ड्यूटी लगाई जाये, साथ ही जनपद में स्थापित स्किल लैब/मिनी स्किल लैब का उपयोग अनिवार्य रूप से कराया जाये।
- प्रैक्टिकल सत्र के दौरान ही प्रशिक्षार्थियों द्वारा निर्धारित लॉग बुक भरा जाना एवं सत्र से सम्बन्धित काउन्सलर्स द्वारा सत्यापित कराना अनिवार्य है।
- क्लीनिकल पोस्टिंग हेतु जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्रों एवं नगरीय स्वास्थ्य इकाईयों की सूची प्राप्त की जाये। इस कार्य में जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0 का सहयोग प्राप्त किया जाये।
- यदि प्रशिक्षार्थी द्वारा कतिपय कारणों से प्रशिक्षण बीच में छोड़ दिया जाता है, ऐसी स्थिति में इंचार्ज द्वारा उसके प्रशिक्षण छोड़ने सूचना, तैनाती जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवगत करायेंगें, जिससे कि सम्बंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।
- प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त रिजल्ट घोषित होने तक परीक्षा में सम्मिलित प्रशिक्षार्थियों को तैनाती जनपद के चिन्हित् उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स से सम्बंधित सामु0/प्रा0 स्वास्थ्य इकाई पर इर्न्टन के रुप में तैनात किये जाने हेतु सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचना प्रेषित की जाये।
- अनुत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को अगले सत्र की ही परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए केवल एक अवसर स्वयं के खर्चे पर दिया जायेगा, लेकिन इस अवधि में इनको एन0एच0एम0 से किसी भी प्रकार का मानदेय/धनराशि देय नही होगी। पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त एस0पी0एम0यू0 स्तर से जारी पत्र के आधार पर इनकी तैनाती सम्बंधित जनपद के उपकेन्द्र स्तरीय एच.डब्लू.सी. पर की जायेगी।
- अनुत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी अगले सत्र की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपना परीक्षा फार्म सम्बन्धित प्रशिक्षण सेंटर के माध्यम से जमा करेंगे तथा निर्धारित परीक्षा फीस उनके द्वारा स्वयं जमा की जायेगी, जिसके सम्बन्ध में के0जी0एम0यू0 द्वारा पृथक से सूचना प्रेषित की जायेगी।
- प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु इंचार्ज द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए चिकित्सालय/संस्थान में कार्यरत नियमित अथवा संविदा कर्मियों में से एक Assistant Co-ordinator तथा एक Program Asssistant को मानकानुसार नामित किया जाये। किसी भी दशा में सपोर्ट स्टाफ का अलग से चयन न किया जाये अन्यथा की स्थिति में पूर्ण जिम्मेदारी इंचार्ज की होगी। परन्तु आर0एच0एफ0डब्लू0टी0सी0 में एक सेंटर कोआर्डिनेटर तथा एकाउंटेंट का प्राविधान है।

9.1.3 प्रशिक्षण सेंटर हेतु वित्तीय व्यवस्था :–

- **प्रैक्टिकल, एक्सपोज़र भ्रमण हेतु वाहन/पी0ओ0एल0:–** इस गतिविधि हेतु रू0 3000.00 प्रति प्रशिक्षार्थी की दर से छः माह हेतु रु0 18,000.00 प्रति प्रशिक्षार्थी के अनुसार धनराशि स्वीकृत है। इस धनराशि का उपयोग छात्र–छात्राओं के विभिन्न स्वास्थ्य इकाईयों पर क्लीनिकल पोस्टिंग हेतु जिला चिकित्सालय/संस्थान के वाहन मे पी0ओ0एल0 के लिए किया जाये, यदि वाहन उपलब्ध नही है अथवा खराब है ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करते हुए नियमानुसार किराए पर टैक्सी परमिट वाहन का प्रयोग अनुमन्य होगा। प्रशिक्षण सत्रों के दौरान बिजली न होने की स्थिति में पी0ओ0एल0 का उपयोग आवश्यकतानुसार चिकित्सालय/संस्थान के जनरेटर मे भी

किया जा सकता है, जिसका अंकन चिकित्सालय/संस्थान की जनरेटर लॉग बुक में करना अनिवार्य होगा।

- **टी0ओ0टीः–**इस गतिविधि हेतु रु0 15,000.00 की दर से धनराशि प्रति सेन्टर स्वीकृत है। प्रोग्राम इंचार्ज का दायित्व है कि प्रशिक्षण संचालित करने से पूर्व चिन्हित् चिकित्सकों/काउंसलर्स की एक दिवसीय टी0ओ0टी0 अपने सेंटर पर आयोजित की जानी हैं। टी0ओ0टी0 में जनपद के CMO/ACMO/Div.PM/DPM द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। टी0ओ0टी0 में 'जपाइगो संस्था' द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा। परन्तु आर0एच0एफ0डब्लू0टी0सी0 के काउसलर्स की टी0ओ0टी0 वर्चुअल के माध्यम एस0आई0एच0एफ0डब्लू0 द्वारा की जानी है, अतः टी0ओ0टी0 हेतु धनराशि अनुमन्य नहीं है।
- **विविध व्ययः–**इस गतिविधि हेतु रु0 3750.00 प्रति प्रशिक्षार्थी की दर से धनराशि स्वीकृत है, जिसका उपयोग स्टेशनरी, प्रिन्टर कार्टेज, बैनर, प्रशिक्षार्थी/काउंसलर्स हेतु प्रशिक्षण लर्निंग मैटेरियल, टेलीफोन/इन्टरनेट, फोटोग्राफी, थर्मल स्कैनर, ग्लब्स, सेनेटाइजर, प्रशिक्षण कक्ष को सुसज्जित करते हेतु इण्टर्नल ब्रांडिंग, बैठकों के जलपान, प्रशिक्षण कार्य हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मी द्वारा की गई यात्रा तथा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण से सम्बंधित अन्य मदों में भी किया जा सकता है। आर0एच0एफ0डब्लू0टी0सी0 हेतु इस मद में रु0 10,000.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि स्वीकृत है।
- **प्रोग्राम इंचार्ज एवं सपोर्ट स्टाफ का मानदेय –**प्रशिक्षण के सफल संचालन हेतु प्रोग्राम इंचार्ज हेतु रु0 5000.00, Assistant Co-ordinator को रू0 4,500.00 तथा Program Assistant को रू0 3500.00 प्रति माह की दर से Part time honorarium की धनराशि अनुमन्य है। साथ ही आ0एच0एफ0डब्लू0टी0सी0 पर सेंटर कोआर्डिनेटर हेतु रू0 6,000.00 एवं एकाउंटेंट हेतु रू0 3500.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि अनुमन्य है।
- **कांउसलर्स के मानदेय की व्यवस्थाः–**सेन्टर के नोटिफाईड/चिन्हित कांउसलर्स द्वारा सम्पादित कराये जाने वाले निर्धारित थ्योरी एवं प्रैक्टिल सत्रों हेतु रु0 1500.00 प्रति सत्र की दर से धनराशि अनुमन्य है।
- **प्रशिक्षार्थी के मानदेय एवं अवकाश की व्यवस्थाः–**प्रशिक्षण के वर्ष 2021–22 सत्र के प्रशिक्षार्थियों को रु0 10,000.00 प्रतिमाह की दर से मानदेय अनुमन्य है, जो कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के तद्दिनांक से उनकी उपस्थिति के आधार पर सेंटर द्वारा देय होगी। एन0एच0एम0 के नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थी को राजकीय अवकाश के अतिरिक्त अधिकतम 7 आकस्मिक अवकाश अनुपातिक दर से अनुमन्य हैं। सेंटर पर प्रशिक्षुकों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु उपस्थिति पंजिका बनायी जाए, जिसका अनुश्रवण इंचार्ज द्वारा नियमित रूप से किया जाएगा।
- **प्रैक्टिकल एवं लिखित परीक्षाः–** समस्त सेंटरों पर प्रशिक्षण हेतु योगदान देने वाले प्रशिक्षार्थियों के फाइनल प्रैक्टिकल एवं लिखित परीक्षा के शुल्क की धनराशि एन0एच0एम0, लखनऊ स्तर से के0जी0एम0यू0 को आवंटित की जायेगी। के0जी0एम0यू0 द्वारा समय सारणी, फाइनल प्रैक्टिकल परीक्षा के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से समस्त सेंटरों को प्रेषित किये जायेगें।
- **सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवणः–**जनपद के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0), जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं तकनीकी सहयोग के लिए अनुबंधित जपाईगो संस्था के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह सपोर्टिव सुपरविजन किया जायेगा। साथ ही मण्डलीय अपर निदेशक, मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0, महानिदेशालय एवं एस0आई0एच0एफ0डब्लू0 के अधिकारियों द्वारा भी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जायेगा।
- **वित्तीय व्यवस्थाः–**प्रशिक्षण संचालित करने हेतु स्वीकृत धनराशि का उपयोग एन0एच0एम0 की वित्तीय आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार करना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अवश्य प्रेषित की जाये।
- **तकनीकी सहयोगः–**प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रत्येक स्तर पर 'जपाइगो संस्था' के अधिकारियों द्वारा आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा।

9.2 प्री–सर्विस एजूकेशन फार नर्सिंग एवं मिडवाइफरी कार्यक्रम
एफ0एम0आर0 मद संख्या 9.1.1, 9.1.5, 9.2.2 एवं 9.5.1.2

परियोजना का उद्देश्य

प्री–सर्विस नर्सिंग एण्ड मिडवाइफिरी एजूकेशन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कालेज ऑफ नर्सिंग, जी0एन0एम0 स्कूल्स एवं ए0एन0एम0टी0सी0 को सुदृढ़ करना है, जिससे कि उच्च गुणवत्तापरक शैक्षिक एवं क्लीनिकल्स सेवाओं की जानकारी प्रशिक्षु नर्स/मिडवाईफ्स को प्रदान कर उनकी क्षमता का विकास किया जा सके। कार्यक्रम के अर्न्तगत 6 कालेज आफ नर्सिंग एवं 7 जी0एन0एम0 स्कूल्स मे स्किल लैब, आई0टी0 लैब एवं लाइब्रेरी की स्थापना की जा चुकी है।

<u>चयनित जनपदः–</u> परियोजना के अर्न्तगत निम्नलिखित जनपदों का चयन किया गया है।

(1) लखनऊ, (2) कानपुर नगर, (3) इलाहाबाद, (4) वाराणसी, (5) गोरखपुर, (6) बरेली, (7) मेरठ, (8) इटावा एवं (9) आगरा।

9.2.1 कियान्वयन रणनीति

- शैक्षिक मानकों के क्रियान्वयन के माध्यम से नर्सिंग कालेज/स्कूल्स के सम्बंधित कालेज में शैक्षिक और मूल्यांकन प्रक्रियाओं की गुणवत्ता सुधार मे मद्द एवं सहयोग करेंगें।
- चयनित कालेज आफ नर्सिंग/जी0एन0एम0 स्कूल्स में स्किल्स लैब के माध्यम से छात्रों को उच्च गुणवत्तापरक शैक्षिक एवं क्लीनिकल जानकारी प्रदान की जायेगी।
- भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार नर्सिंग फैकल्टी/ट्यूटर्स की छः सप्ताह का प्रशिक्षण नेशनल/स्टेट नोडल सेन्टर में क्षमता वृद्धि हेतु कराई जायेगी।
- नर्सिंग फैकल्टी/ट्यूटर्स को छः दिवसीय प्रशिक्षण भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रशिक्षण संस्थानों में तथा दक्षता प्रशिक्षण के माध्यम से भी दक्ष किया जायेगा।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं नर्सिंग स्कूल्स के प्रधानाचार्य द्वारा नर्सिंग फैकल्टी/ट्यूटर्स को विभिन्न प्रशिक्षण हेतु नामित करेंगे।
- आई0एन0सी0 के मानकों के अनुसार नर्सिंग कालेज/स्कूल्स में नर्सिंग ट्यूटर्स की तैनाती सुनिश्चित की जानी है।
- नर्सिंग कालेज/स्कूल्स के भवन, कार्यालय एवं कक्षाओं की सुदृढ़ीकरण हेतु सामान्य मरम्मत एवं रिनोवेशन की जानी है।
- परियोजना की समस्त गतिविधियों के समुचित संचालन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश एस0पी0एम0यू0 के पत्र दिनांक 01.05.2019 के माध्यम से भेजी जा चुके हैं।

9.2.2 वित्तीय व्यवस्था

- एफ0एम0आर0 मद संख्या 9.1.1 में कालेज आफ नर्सिंग में रु0 25000/–एवं जी0एन0एम0 स्कूल में रु0 10000/– की दर से स्किल लैब में कन्जुमेबल्स आदि के लिए एक मुश्त कुल रु0 2.20 लाख की धनराशि का प्रविधान किया गया है।
- एफ0एम0आर0 मद संख्या 9.1.5 में Mobility/ POLहेतु कालेज आफ नर्सिंग एवं जी0एन0एम0 स्कूल के लिएरु0 25,000.00 की दर से 09 माह हेतु कुल रू0 29.25 लाख की धनराशि तथा Contingency हेतु कॉलेज आफ नर्सिंग के लिए रू0 7,500.00 की दर से एवं जी0एन0एम0 स्कूल के लिए रू0 5,000.00 की दर से कुल रू0 7.20 लााख की धनराशि का प्रविधान किया गया है। साथ ही 34 ए0एन0एम0टी0सी0 एवं 4 एल0एच0वी0 सेन्टर्स पर मानव संसाधन की तैनाती के उपरान्त Minor Repair/Renovation कार्य हेतु रू0 76.00 लाख की धनराशि राज्य स्तर से सम्बंधित जनपदों को स्वीकृत की जायेगी।
- एफ0एम0आर0 मद संख्या 9.2.2 में कालेज आफ नर्सिंग एवं जी0एन0एम0 स्कूल्स में नवीन संविदा मानव ससाधन– नर्सिंग फैकल्टी (ट्यूटर्स) को मानदेय धनराशि रु0 35000.00 प्रतिमाह, कार्यक्रम सहायकों को रु0 22660.00 प्रतिमाह की दर तथा नर्सिंग मिडवाइफरी ट्यूटर्स को रु0 54698.00 प्रतिमाह से धनराशि आवंटित की गई है। साथ ही मानकानुसार इंक्रीमेंट एवं लॉयल्टी बोनस की धनराशि अनुमन्य है।

- प्रदेश के 04 एल0एच0वी0 प्रशिक्षण केन्द्रों जनपद–लखनऊ, बरेली, आगरा एवं प्रयागराज तथा 34 ए0एन0एम0टी0सी सेन्टर को अस्थायी रूप से स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला के प्रशिक्षण हेतु पब्लिक हेल्थ नर्स (पी0एच0एन0) ट्यूटर को मानदेय रु0 35000.00 धनराशि का प्रविधान किया गया है।
- एफ0एम0आर0 मद संख्या 9.5.1.2 में कालेज आफ नर्सिंग, कानपुर नगर, मेरठ एवं वाराणसी मे तैनात नर्सिंग मिडफाइफरी ट्यूटर्स द्वारा कुल 18 दो दिवसीय सहयोगात्मक पर्वेक्षण (3 भ्रमण प्रति एन0एम0टी0 प्रति वर्ष) भ्रमण हेतु अधिकतम रु0 7000.00 प्रति भ्रमण की दर से कुल रु0 1.26 लाख की धनराशि का प्रविधान किया गया है लेकिन व्यय मानकानुसार/वास्तविकता के आधार पर किया जाये।

9.2.3 नोडल अधिकारी

जनपद स्तर पर प्री–सर्विस नर्सिंग एण्ड मिडवाईफिरी एजूकेशन को क्रियान्वित करने के लिए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0) कार्यक्रम के नोडल अधिकारी होंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपेक्षा है कि वह अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित कर उनका नाम, मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0, एस0पी0एम0यू0 की नर्सिंग सेल की ई–मेल आई0डी0 (spmunursingcellup@gmail.com) पर भेजना सुनिश्चित करें।

9.2.4 अनुबंध की कार्यवाही

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत प्री–सर्विस नर्सिंग एण्ड मिडवाईफिरी एजूकेशन कार्यक्रम में चयनित नर्सिंग मिडवाईफिरी ट्यूटर्स, नर्सिंग फैकल्टी/ट्यूटर्स एवं कार्यक्रम सहायको को जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से संविदा पर नियमानुसार तैनात किये जाने की कार्यवाही सम्बंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से की जायेगी।

9.2.5 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसके अंतर्गत प्रत्येक तीन माह में निदेशक नर्सिंग, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 एवं तकनीकी सहयोग के लिए अनुबंधित जपाईगो संस्था के अधिकारियों द्वारा फैकल्टी की RMNCH+A गतिविधियों में Competency Assessment की प्रगति समीक्षा की जायेगी।

9.3 नर्स मेन्टरिंग कार्यक्रम–FMR Code-9.2.2 & 9.5.29.13

प्रदेश के 25 उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों में नर्स मेन्टर्स कार्यक्रम वर्ष 2014–15 से संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2021–22 में यह कार्यक्रम प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के 820 ब्लॉकों पर क्रियान्वित किया जाना है।

कार्यक्रम का उद्देश्य

प्रदेश की अत्यधिक जनसंख्या एवं विशिष्ट सूचकांकों को ध्यान में रखते हुये RMNCH+A की सेवाओं को प्रभावी ढंग से कियान्वित करने के लिए कार्यक्रम के उददेश्य निम्नवत् हैः–

- उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य कार्यकत्रियों को कार्यस्थल पर प्रशिक्षित करना।
- प्रसव इकाइयों पर स्वास्थ्य सुविधा हेतु आवश्यक औषधियों एवं उपकरणों की आपूर्ति, अभिलेखों के रख–रखाव की प्रकिया, संदर्भन प्रक्रिया एवं संक्रमण नियन्त्रण कार्यो में सुधार हेतु चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी को सहयोग प्रदान करना।
- सेवा प्रदाता के ज्ञान, कौशल विकास एवं अभ्यास में सुधार लाना।

➢ कियान्वयन रणनीति

- प्रदेश के समस्त जनपदों में RMNCH+A की सेवाओं का सुदृढ़ीकरण करने में नर्स मेंटर्स सहयोग प्रदान करेंगी।
- नर्स मेन्टर्स द्वारा प्रसव इकाइयों पर तैनात ए0एन0एम0/स्टाफ नर्स को कौशल विकास हेतु मेंटरिंग सहयोग प्रदान किया जायेगा।

- जनपदों के चयनित ब्लॉकों में स्थापित प्रसव इकाइयों को सुदृढ़ एवं क्रियाशील किये जाने में सहयोग किया जाएगा।

➢ **नर्स मेन्टर के कार्य एवं दायित्व**

- ब्लॉक स्तर की प्रसव इकाइयों में RMNCH+A सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु सहयोग प्रदान किया जाना है।
- संक्रमण नियंत्रण के तरीके जैसे–हाथ धोना, प्रसव सम्बन्धित उपकरणों का Sterilization, Bio-Medical Waste का प्रबन्धन आदि किया/कराया जाना है।
- ब्लॉक स्वास्थ्य इकाई के अन्तर्गत आने वाली प्रसव इकाईयों पर तैनात ए.एन.एम. एवं स्टाफ नर्स के अभिलेखों के रख–रखाव और सामान्य मातृ एवं बाल जटिलताओं के प्रबंधन हेतु कौशल विकास तथा BEmOC की अधिकांश सेवाओं को बढ़ाने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना।
- ब्लॉक के अंतर्गत अक्रियाशील स्वास्थ्य इकाइयों को प्रसव इकाइयों में परिवर्तित करने के लिए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ सुनियोजित तरीके से सक्रिय सेवा केन्द्रों में परिवर्तित कराने में सहयोग प्रदान करना।
- लेबर रूम रजिस्टर, केस शीट, सन्दर्भन स्लिप का उपयोग तथा एच0एम0आई0एस0–यू0पी0एच0एम0आई0एस0, आर0सी0एच0 पोर्टल पर डाटा का अंकन किये जाने में सहयोग प्रदान किया जाना है।
- चिकित्सा इकाई पर High Risk Pregnancy detection, Basic Clinical checkup, Active Management of Third Stage of Labour, Partograph, Infection Control measure हेतु भारत सरकार के MNH tool kit आधारित कार्य प्रणाली को व्यवहार मे लाना।
- भारत सरकार के MNH tool kit के अनुरूप प्रसव कक्ष में न्यू बोर्न केयर कार्नर (NBCC) एवं प्रसव कक्ष के समीप न्यूबोर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट (NBSU) विकसित करने तथा क्रियाशील रखने में सहयोग प्रदान करना।
- नर्स मेन्टर अपनी प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर प्रत्येक माह अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता को उपलब्ध करायेंगी।
- स्वास्थ्य केन्द्र पर ''क्वालिटी इम्प्रूवमेंट सर्कल'' गठन में सहयोग करना तथा प्रत्येक माह प्रभारी चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में ''क्वालिटी इम्प्रूवमेंट'' बैठक आयोजित करवाना। प्रसव कक्ष, ट्राइएज कक्ष, ए0एन0सी0 और पी0एन0सी0 वार्ड में आवश्यक औषधि आपूर्ति, उपकरण एवं अन्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- क्वालिटी सर्किल टीम द्वारा लेबर रूम के लक्ष्य की चेकलिस्ट के आधार पर स्वास्थ्य इकाई का स्व–मूल्यांकन किया जायेगा।
- नर्स मेण्टर प्रसव कक्ष में कार्यरत अन्य स्टाफ के लिये प्रति माह मेण्टरिंग प्लान तैयार करेंगी और नियमानुसार प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेंगी। प्रत्येक 02 माह में नर्स मेण्टर प्रसव कक्ष में कार्यरत स्टाफ की OSCE आधारित योग्यता का मूल्यांकन करेंगे।
- जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय तथा मेडिकल कॉलेज के साथ रेफरल लिंकेज का गठन तथा सन्दर्भित मामलों का ससमय फॉलो–अप करना/कराना।
- नर्स मेण्टर को अपने सी0एच0सी0/बी0पी0एच0सी0 पर मिनी स्किल लैब की स्थापना प्रभारी चिकित्साधिकारी के सहयोग एवं दिशा–निर्देशों के अनुसरण में करायी जानी है।
- नर्स मेन्टर द्वारा अपने तैनाती स्थल के प्रसव कक्ष का नियमित अन्तराल में (02 माह में 1 बार) 'लक्ष्य' कार्यक्रम की चेक लिस्ट के अनुसार इन्टर्नल असेसमेण्ट कराया जाये।

➢ **जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों में यू0पी0टी0एस0यू0 के माध्यम से तैनात डेडिकेटेड नर्स मेंटर्स**

- एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र दिनांक 26.07.2021 के माध्यम से टी0एस0यू0, नर्स मेंटर्स को चिन्हित जिला चिकित्सालयों (महिला/संयुक्त) के डेडिकेटेड नर्स मेंटर्स के रूप में तैनात करने हेतु निर्देश प्रेषित किये जा चुके है। इन नर्स मेंटर्स के मानदेय एवं समस्त भत्ते आदि का व्यय यू0पी0टी0एस0यू0 द्वारा वहन किया जायेगा।
- यू0पी0टी0एस0यू0 के माध्यम से तैनात डेडिकेटेड नर्स मेंटर्स के संशोधित कार्य एवं दायित्व (ToR) प्रेषित किये जा चुके है।

- **प्रशिक्षण**– समस्त नर्स मेंटर्स को निम्न 3 प्रकार के प्रशिक्षणों में प्रशिक्षित किया जाना है:–
    - चिन्हित प्रशिक्षण संस्थानों (राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ, संयुक्त चिकित्सालय नोएडा एवं टी0एन0ए0आई0, नोएडा) में 6 दिवसीय **''दक्ष प्रशिक्षण''** प्रदान किया जायेगा।
    - 03 दिवसीय **''दक्षता प्रशिक्षण''** मण्डलीय जनपद स्तर पर सम्पादित किया जायेगा।
    - 03 दिवसीय **''मेंटरिंग मैथेडोलॉजी''** में यू0पी0टी0एस0यू0 द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा।

    प्रशिक्षण की तिथि एवं स्थान के सम्बन्ध में राज्य स्तर से सूचना प्रेषित की जायेगी।
- **नोडल अधिकारी**–जनपद स्तर पर नर्स मेन्टर कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0) के नोडल अधिकारी होंगे तथा ब्लॉक स्तर/ सी0एच0सी0/ पी0एच0सी0 स्तर पर प्रभारी चिकित्साधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। साथ ही जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता द्वारा नर्स मेन्टर कार्यक्रम के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्यक्रम की मेन्टरिंग, मॉनिटरिंग एवं अनुश्रवण के साथ प्रत्येक स्तर पर आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगें।
- **समीक्षा बैठकें**–कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्न समीक्षा बैठकें आयोजित की जानी हैं:–
    - **जनपद स्तर पर** – मुख्य/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में नर्स मेंटरिंग कार्यक्रम की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी, जिसमें अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता, जनपदीय क्वालिटी एश्योरेंस, परामर्शदाता एवं समस्त नर्स मेंटर्स आदि द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।
    - **ब्लॉक स्तर पर**– ब्लॉक की चिन्हित स्वास्थ्य इकाई पर चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में क्वालिटी सर्किल टीम के सदस्यों की प्रति माह समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।
- **राज्य स्तर पर सूचनाओं का प्रेषण/रिपोर्टिंग प्रपत्र**

कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाएं राज्य स्तर पर नर्स मेंटर कार्यक्रम की Email ID– nhmupnm@gmail.com पर उपलब्ध करायी जायें:–

- मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता द्वारा समस्त ब्लाक स्वास्थ्य इकाईयों की लेबर रूम का असेसमेंट किया जाना है, जिसकी रिपोर्ट प्रत्येक त्रैमास (उदाहरणार्थ–अप्रैल से जून) में निर्धारित प्रारूप पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करेंगें।
- जनपदीय मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता, नर्स मेंटर कार्यक्रम की संकलित प्रगति रिपोर्ट निर्धारित **प्रारूप** पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करेंगें।
- नर्स मेंटर द्वारा ब्लॉक स्वास्थ्य चिकित्सा इकाईयों पर प्रत्येक माह आयोजित होने वाली क्वालिटी सर्किल की बैठक की रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्धारित **प्रारूप** पर प्रेषित की जाये।

- **वित्तीय व्यवस्था**

वर्ष 2021–22 में प्रदेश में Scaling up Nurse Mentoring Program in 820 Blocks of 75 Districts के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत की जा रही है। नर्स मेंटर्स हेतु मानदेय/टी0ए0/डी0ए0 की व्यवस्था–एस0पी0एम0यू0 के पत्र संख्या 2747–75 दिनांक 31.8.2020 के माध्यम से नर्स मेन्टर के मानदेय के सम्बन्ध में निर्देश प्रेषित किये गये थे, जिसके सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि –

- एच0पी0डी0 जनपदों में संविदा पर कार्यरत डेडिकेटेड 53 नर्स मेन्टर के मानदेय हेतु कुल रू0 329.68 लाख की धनराशि स्वीकृत है, जिसमें इन्क्रीमेंट एवं लायल्टी बोनस की धनराशि भी सम्मिलित है। अतः नियमानुसार प्रतिमाह मानेदय का भुगतान किया जाये। नर्स मेंटर्स द्वारा कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस में जमा की जाये।
- 767 ब्लाकों पर नामांकित नर्स मेंटर्स हेतु अतिरिक्त मानदेय रू0 5,000.00 प्रति माह की दर से कुल रू0 459.60 लाख की धनराशि स्वीकृत है। नर्स मेंटर्स को नामांकन तिथि से उनके द्वारा निर्धारित कार्यों को सम्पादित किया जाना है तथा उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस में जमा की जाय, जिसके आधार पर अतिरिक्त मानदेय रू0 5,000.00 प्रतिमाह का भुगतान ससमय सुनिश्चित किया जाये।
- समस्त 820 (53 डेडीकेटेड + 767 नामांकित) ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा इकाईयों की नर्स मेंटर्स हेतु रू0 3,000.00 प्रति नर्स मेंटर्स की दर से कुल रू0 24.00 लाख की धनराशि स्वीकृत है, जिसका उपयोग राज्य/जनपद स्तरीय प्रशिक्षणों एवं बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु किया जायेगा।

- प्रिन्टिग ऑफ नर्स मेंटर्स रजिस्टर–समस्त 820 ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा इकाईयों हेतु रू0 250.00 प्रति ब्लॉक की दर से कुल रू0 2.05 लाख की धनराशि स्वीकृत है, जिसका उपयोग नर्स मेंटर्स द्वारा उपयोगित किये जाने वाले रजिस्टर की प्रिन्टिंग कराने में किया जाये। रजिस्टर का प्रारूप एवं स्पेसिफिकेशन पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।
- मण्डल स्तरीय जनपदों में दक्षता प्रशिक्षण–नर्स मेंटर्स को 03 दिवसीय ''दक्षता प्रशिक्षण'' मण्डलीय जनपद स्तर पर सम्पादित किया जायेगा, जिस हेतु मण्डल स्तरीय जनपदों को रू0 80,000.00 प्रति बैच की दर से 22 बैचों हेतु कुल रू0 17.60 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा रही है। Divisional Dakshta Training सम्बन्धी दिशा–निर्देश एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/प्रशिक्षण/एन0एम0–620/16/2018–19/4946–73 दिनांक 08.08.2018 के माध्यम से निर्गत किये जा चुके है।
- 6 दिवसीय दक्ष प्रशिक्षण– 265 नर्स मेंटर्स को 6 दिवसीय''दक्ष प्रशिक्षण'' प्रदान किया जायेगा, जिसमें से टी0एन0ए0आई0, नोएडा–85, संयुक्त चिकित्सालय (कोविड), नोएडा–90 एवं एस0आई0एच0एफ0डब्लू0–90 नर्स मेंटर्स को प्रशिक्षित किया जाना है। जिस हेतु जिला स्वास्थ्य समिति, नोएडा को कुल रू0 15.40 लाख तथा एस0आई0एच0एफ0डब्लू0, लखनऊ को रू0 7.92 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा रही हैं, जिसमें से मुख्य चिकित्सा अधिकारी–नोएडा द्वारा संयुक्त चिकित्सालय (कोविड), नोएडा को रू0 7.92 लाख एवं टी0एन0आई0, नोएडा को रू0 7.48 लाख की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
- एस0आई0एच0एफ0डब्लू0–लखनऊ एवं संयुक्त चिकित्सालय–नोएडा द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में वास्तविकता के आधार पर प्रशिक्षण धनराशि व्यय की जाय।

9.4 दक्षता क्यू0आई0 मेण्टर्स–FMR Code-16.4.2.1.11 & 9.5.1.21

गैर उच्च प्राथमिकता वाले 31 जनपदों में वर्ष 2016–17 से दक्षता कार्यक्रम का कियान्वयन (Roll Out) किया जा रहा है, जिसके कम में जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में मिनी स्किल लैब स्थापित की जा चुकी है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य मातृ–मृत्यु एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है, कार्यक्रम के अर्न्तगत 15 जनपदों में तैनात क्यू.आई. मेण्टर (क्वालिटी इम्प्रूवमेण्ट) द्वारा अपने जनपदों की प्रसव इकाईयों पर तैनात समस्त सेवा प्रदाताओं को प्रसूति सेवाओं सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम के विस्तृत दिशा–निर्देश एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/ मा0स्वा0/ क्यू0आई0 मेण्टर/152/2020–21/2000–15 दिनांक 28.7.2020 के माध्यम से प्रेषित किये जा चुके है।

वित्तीय व्यवस्था–

कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत क्यू0आई0 मेण्टर के वित्तीय वर्ष 2021–22 के मानदेय एवं ऑन साइट मेण्टरिंग विजिट आदि हेतु रू0 109.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्पष्ट करना है कि आवंटित धनराशि बजट की अधिकतम धनराशि है, सम्बन्धित क्यू0आई0 मेण्टर को वास्तविक भुगतान उसके मानदेय निर्धारण के आधार पर किया जाये। साथ ही देय मानदेय पर अधिकतम 5 प्रतिशत की इन्क्रीमेंट की धनराशि अनुमन्य है। क्यू0आई0 मेण्टर को एक ही पद पर कार्य करते हुए 03 वर्ष पूर्ण होने पर 10 प्रतिशत तथा 05 वर्ष पर पुनः 05 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस की धनराशि भी देय होगी।

1- स्किल्ड बर्थ अटेण्डेंस (एस0बी0ए0)–FMR Code - 9.5.1.6

प्रदेश द्वारा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं, जैसे संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देना एवं संस्थागत प्रसवों को प्रशिक्षित चिकित्सकों/स्टाफ़ नर्सों/ए0एन0एम0 के द्वारा कराया जाना आदि। इसी क्रम में भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक 24X7 प्रसव केन्द्रों पर तैनात समस्त ए0एन0एम0/एल0एच0वी0/स्टाफ नर्स/आयुष महिला चिकित्सक की दक्षता में वृद्धि के लिये विशेष प्रशिक्षण ''स्किल्ड बर्थ अटेण्डेंट (एस0बी0ए0) प्रशिक्षण'' दिया जा रहा है।

प्रशिक्षण हेतु 24 घण्टे प्रसव सेवा प्रदान करने वाले सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात ए0एन0एम0/एल0एच0वी0/स्टाफ नर्स का वर्ष 2021–22 में 21 दिवसीय (5+16) एवं आयुष महिला चिकित्सक हेतु 28 दिवसीय (5+23) एस0बी0ए0 प्रशिक्षण प्रदेश के समस्त ज़िला महिला/संयुक्त चिकित्सालय व प्रथम सन्दर्भन इकाईयों (एफ0आर0यू0) पर सम्पादित किया जाना है। उक्त प्रशिक्षण यू0पी0टी0एस0यू0 एवं एस0आई0एच0एफ0डब्लू0, लखनऊ के सहयोग से क्रियान्वित किया जाना है।

वित्तीय व्यवस्था

- प्रशिक्षण के आयोजन हेतु एफ.एम.आर. कोड 9.5.1.6 के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 के लिए ए0एन0एम0 / एल0एच0वी0 / स्टाफ़ नर्स के 21 दिन के प्रशिक्षण हेतु रू0 1.29 लाख प्रति बैच की दर से 7 बैचों हेतु समस्त जनपदों को कुल 678.71 लाख तथा आयुष महिला चिकित्सक के 28 दिन के एस0बी0ए0 प्रशिक्षण हेतु रू0 1.81 लाख प्रति बैच प्रति जनपद की दर से कुल रू0 136.18 लाख, इस प्रकार कुल रु0 814.89 लाख की धनराशि आवंटित की जा रही है।

सम्पर्क सूत्र

1. डा0 अरूण कनौजिया, संयुक्त निदेशक, नर्सिंग, मो0–8795315551, ई–मेल dirnursing.dgmh@gmail.com
2. डा0 विजयकीर्ति, नोडल अधिकारी, एस0आई0एच0एफ0डब्लू0, मो0–9935453820, ई–मेल vijaykirti@rediffmail.com.
3. श्री देवेश चन्द त्रिपाठी, स्टेट नर्सिंग नोडल अधिकारी, एस0पी0एम0यू0ए मो0–9412067074, ई–मेल–nhmupnm@gmail.com
4. डा0 वन्दना सिंह (8004930725) एवं डा0 प्रशान्त मिश्रा (9721081399), यू0पी0टी0एस0यू0, लखनऊ।

10. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक है कि उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण तन्त्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर वित्तीय व्यवस्था एवं योजना बनायी गयी है। योजना के अर्न्तगत विभिन्न स्तरों पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं मासिक समीक्षा बैठक करने हेतु निम्न निर्देश दिये जा रहे हैं–

10.1 मण्डल/जनपद/ब्लॉक स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु दिशा–निर्देशः–

उद्देश्य

- राज्य/मण्डल/जनपद द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों एवं शासनादेशों की अनुपालन स्थिति।
- सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान निर्धारित चार चेक लिस्टों के माध्यम से कार्यक्रम/गतिविधियों के क्रियान्वयन की स्थिति।
- सहयोगात्मक पर्यवेक्षण आख्या पर फीडबैक एवं अनुपालन की स्थिति।
- सहयोगात्मक पर्यवेक्षण आख्या के अनुरूप प्राप्त फीड बैक के आधार पर समस्त अपेक्षित मानकीय सुधार एक सप्ताह के भीतर कार्यक्रम हित मे सुनिश्चित कराया जाना।
- समस्त जनपदों, विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा चिन्हित 100 महत्वाकांक्षी विकास खण्डों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाना, जिससे भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य एवं पोषण के संकेतांकों में सुधार सुनिश्चित हो सकें।

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा इकाईयों पर किये गये कार्यों का कार्यक्रमों में जारी मानको के अनुसार सतत् सत्यापन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जाये। इस हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जा रही हैः

मण्डल/जनपद/ब्लॉक स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

क. सं.	विवरण	मण्डल स्तर पर	जनपद स्तर पर	ब्लाक स्तर पर
1.	पर्यवेक्षण दल के सदस्य	मण्डलीय अपर निदेशक कार्यालय में तैनात समस्त संयुक्त निदेशक, मण्डलीय अभियन्ता, मण्डल स्तर पर तैनात समस्त प्रबंधक/एम0एण्ड0ई0 आफीसर एवं अन्य मण्डलीय एन0एच0एम0 अधिकारियों/कर्मचारियों की कम से कम 2–3 सदस्यों की टीम गठित करके सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जाना है।	मुख्य चिकित्साधिकारी, समस्त अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में तैनात समस्त प्रबंधक, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी/एन0एच0एम0 के अन्य प्रबन्धकों, अपर शोध अधिकारी (ए0आर0ओ0) एवं जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी (डी.एच.ई.आई.ओ.) की 3–4 सदस्यों की कम से कम 02 टीमें गठित करके सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जाना है।	चिकित्सा अधीक्षक, समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारी– पी0एच0सी0, ब्लाक स्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में तैनात समस्त प्रबंधक, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सुपरवाईजर एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरूष एवं महिला)/एल0एच0वी0 की 2–3 सदस्यों की टीमें गठित करके सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जाना है।
2.	मासिक भ्रमण कैलेण्डर	मण्डल स्तरीय भ्रमण हेतु एडवांस कैलेण्डर मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक के द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के साथ परामर्श के आधार पर तैयार किया जायेगा तथा राज्य स्तर पर साझा किया जायेगा।	प्रत्येक माह एडवांस भ्रमण कार्यक्रम जिला कार्यक्रम प्रबंधक के द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी से परामर्श के आधार पर तैयार किया जायेगा। जनपद स्तरीय टीमों की कार्ययोजना का पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा तथा मण्डल स्तर पर साझा किया जायेगा।	प्रत्येक माह एडवांस भ्रमण कार्यक्रम ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक के द्वारा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से परामर्श के आधार पर तैयार कर जारी किया जायेगा तथा जनपद स्तर पर साझा किया जायेगा।
3.	प्रत्येक माह भ्रमण कार्यभार	Facility Assesment Checklist- 8 Community Assessment Checklist - 8 Health & Wellness Center Assessment Checklist – 8 उक्त चेकलिस्टों को गूगल ड्राइव के माध्यम से भरा जाना है।	Facility Assesment Checklist- 8 Community Assessment Checklist - 8 Health & Wellness Center Assessment Checklist – 8 District Assesment Checklist-1 उक्त चेकलिस्टों को गूगल ड्राइव के माध्यम से भरा जाना है।	Facility Assesment Checklist- 4 Community Assessment Checklist - 8 Health & Wellness Center Assessment Checklist – 10 उक्त चेकलिस्टों को गूगल ड्राइव के माध्यम से भरा जाना है।

क. सं.	विवरण	मण्डल स्तर पर	जनपद स्तर पर	ब्लाक स्तर पर
4.	चेकलिस्ट /भ्रमण आख्या	• लेवल–3 इकाईयों तथा फैसिलिटी एवं नजदीकी कम्युनिटी एवं हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर सेवाओं का भ्रमण कर चेकलिस्टों/भ्रमण आख्याओं को राज्य स्तर पर एवं सम्बन्धित जनपद पर प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे जिसका दायित्व मण्डलीय परियोजना प्रबंधक का होगा। • प्रयास होना चाहिए कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र को एल–1 इकाई के रूप में कियाशील किया जा सके। • मण्डलीय लेखा प्रबंधक समस्त जनपदों के लेखा कार्यो का अनुश्रवण प्रत्येक माह करना सुनिश्चित करेंगे। • मण्डल स्तर की टीमें भ्रमण उपरान्त फीडबैक लिखित रूप में मण्डलीय अपर निदेशक एवं सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित करेंगी।	• प्रत्येक माह जनपद स्तरीय अधिकारी ब्लाक में स्थित लेवल–3 इकाईयों एवं लेवल–2 की समस्त इकाईयों का भ्रमण कर फैसिलिटी, कम्युनिटी एवं हेल्थ एण्ड वेलनस सेन्टर एसेस्मेन्ट चेकलिस्टों के आधार पर सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें। • यदि उपकेन्द्र एल–1 इकाई नही है तो प्रयास होना चाहिए कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र को एल–1 इकाई के रूप में कियाशील किये जाने की संभावनाओं को पूर्ण करते हुए कियाशील किया जा सके। जनपद स्तरीय टीमों को प्रत्येक त्रैमास में जनपद की समस्त एल–1 इकाईयों का अनुश्रवण किया जाना अनिवार्य होगा। • जिला लेखा प्रबंधक जनपद की समस्त ब्लाक स्तरीय इकाईयों के लेखा कार्यो का अनुश्रवण प्रत्येक माह करना सुनिश्चित करेंगे। • जनपद स्तर की टीमें भ्रमण उपरान्त फीडबैक लिखित रूप में मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित करेंगे। साथ ही प्रतिलिपि मण्डलीय अपर निदेशक कार्यालय में प्रेषित करेंगे।	• ब्लाक स्तरीय टीम को प्रत्येक माह ब्लाक में स्थित लेवल–1 एवं लेवल–2 की समस्त इकाईयों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जाना है। साथ ही साथ ऐसे नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भ्रमण करें जहाँ किंचित गैप्स को दूर करते हुए संस्थागत प्रसव 24 घण्टे कराये जा सकते हों अथवा उपकेन्द्र जिसे लेवल–1 बनाया जा सकता हो। • प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को सामुदायिक गतिविधियों का अनुश्रवण कराया जाना चाहिए। इन दिवसों पर समस्त एल0एच0वी0/ पुरूष सुपरवाईजर को सत्रों के अनुश्रवण हेतु सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के वाहन से भेजना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। • बी0पी0एम0 द्वारा टीमों के माध्यम से किये गये पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण सम्बन्धित चेकलिस्टों को प्राप्त कर संकलित किया जाना हैं। फैसिलिटी, कम्युनिटी एवं हेल्थ वेलनेस सेन्टर पर सुधारात्मक कार्यवाही टीम को मौके पर ही कराई जानी है।
5.	अवलोकन की प्रतिपुष्टि	सम्बन्धित जिलाधिकारी, सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित चिकित्सा प्रभारी	सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित चिकित्सा प्रभारी	सम्बन्धित चिकित्सा प्रभारी
6	अनुपालन आख्या	मण्डल के अधीन आने वाले समस्त जनपदों के प्रबंधकों/ अधिकारियों द्वारा लिखित भ्रमण आख्याओं के आधार पर आवश्यक कार्यवाही एवं निरंतर फॉलोअप एवं फीडबैक लिखित रूप में जनपदों एवं मण्डलीय अपर निदेशक कार्यालय में दिया जाना है।	जिला कार्यक्रम प्रबंधक का दायित्व है कि किये गये भ्रमण के उपरान्त भ्रमण आख्याओं पर आवश्यक कार्यवाही एवं निरंतर फॉलोअप किया जाना है। फैसिलिटी संबंधित टीम में अपर/उपमुख्य चिकित्साधिकारी अवश्य रहेंगे।	ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक का दायित्व है कि किये गये भ्रमण के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही एवं निरंतर फॉलोअप सुनिश्चित किया जाये साथ ही प्रत्येक त्रैमास ब्लाक के अन्तर्गत सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्र आच्छादित हो जाये।
7	मोबलिटी सपोर्ट	भ्रमण हेतु **एक कामर्शियल टैक्सी** वाहन/टैक्सी परमिट तथा परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहन प्रत्येक मंडल @ Rs 33000/- प्रति माह प्रति वाहन की दर से, जिसका दायित्व मण्डलीय परियोजना प्रबंधक का होगा।	भ्रमण हेतु **दो कामर्शियल टैक्सी** वाहन/टैक्सी परमिट तथा परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहन प्रत्येक जनपद @ Rs 33000/- प्रति माह प्रति वाहन की दर से, जिसका दायित्व अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर0सी0एच0 का होगा।	भ्रमण हेतु **एक कामर्शियल टैक्सी** वाहन/टैक्सी परमिट तथा परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहन प्रत्येक ब्लाक @ Rs 33000/- प्रति माह प्रति वाहन की दर से, जिसका दायित्व प्रभारी चिकित्साधिकारी का होगा।
8	वाहन अनुबन्धित करने के नियम	**<u>ई टेण्डर/जेम पोर्टल से प्राप्त टैक्सी परमिट एवं जी0पी0एस0 युक्त वाहन</u> मण्डल के अधीनस्थ जनपदों में कम से कम 1500 किलोमीटर अवश्य चलाया जाये।** वाहन का उपयोग माह में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण	**<u>ई टेण्डर/जेम पोर्टल से प्राप्त प्रत्येक टैक्सी परमिट एवं जी0पी0एस0 युक्त वाहन</u> प्रतिमाह जनपद के अधीनस्थ ब्लाकों में कम से कम 1500 किलोमीटर अवश्य चलाया जाये।** वाहनों का उपयोग माह में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण गतिविधियों को पूर्ण करते हुए राजकीय	**<u>ई टेण्डर /जेम पोर्टल से प्राप्त प्रत्येक टैक्सी परमिट एवं जी0पी0एस0 युक्त वाहन</u> ब्लाक के अधीनस्थ उपकेन्द्रों/गॉवों में कम से कम 1500 किलोमीटर अवश्य चलाया जाये।** वाहन का उपयोग माह में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण गतिविधियों

क्र.सं.	विवरण	मण्डल स्तर पर	जनपद स्तर पर	ब्लाक स्तर पर
		गतिविधियों को पूर्ण करते हुए राजकीय कार्यों में भी किया जा सकता है, जिसका दायित्व मण्डलीय परि0प्र0 का होगा।	कार्यो के उपयोग हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है। राज्य स्तरीय अधिकारियों को भी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।	को पूर्ण करते हुए राजकीय कार्यो के उपयोग हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है।
9	वाहन प्रयोग सम्बन्धित नियम	• मण्डलीय अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक तथा मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक जिनके पास पूर्व से सरकारी/किराये का वाहन आवंटित/उपलब्ध है इस टैक्सी वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। • वाहन का उपयोग माह में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण गतिविधियों को पूर्ण करते हुए राजकीय कार्यों में भी किया जा सकता है। प्रत्येक माह भुगतान के पूर्व वाहन के लागबुक एवं जी0पी0एस0 लागबुक की छायाप्रति भुगतान बिल के साथ प्रस्तुत की जानी अनिवार्य है।	• समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी जिनके पास सरकारी वाहन या पूर्व से वाहन उपलब्ध नहीं है वह इस वाहन का उपयोग पूर्ण मितव्ययिता का पालन करते हुये करेंगे। • वाहनों का उपयोग माह में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण गतिविधियों को पूर्ण करते हुए राजकीय कार्यो के उपयोग हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक माह भुगतान के पूर्व वाहन के लागबुक एवं जी0पी0एस0 लागबुक की छायाप्रति भुगतान बिल के साथ प्रस्तुत की जानी अनिवार्य है। • एडवांस मासिक टूर योजना को एस0पी0एम0यू0 के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अनुभाग में डी0पी0एम0 द्वारा प्रेषित किया जायेगा।	• प्रत्येक माह भुगतान के पूर्व वाहन के लागबुक एवं जी0पी0एस0 लागबुक की छायाप्रति भुगतान बिल के साथ प्रस्तुत की जानी अनिवार्य है। भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल के साथ लागबुक न होने की स्थिति में संबंधित लेखा लिपिक/ब्लाक लेखा प्रबंधक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माने जायेंगे। • प्रभारी चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि टूर प्लान अनुसार निर्धारित तिथि को वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। बी0पी0एम0 ब्लाक स्तरीय टैक्सी परमिट वाहन के नोडल अधिकारी होंगे। वाहन का उपयोग करने वाली टीम लागबुक को प्रतिदिन हस्ताक्षर करेगी। एडवांस मासिक टूर योजना को ब्लाक के बी0पी0एम0 द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबंधक को मासिक आधार पर प्रेषित किया जायेगा। • वाहन का उपयोग माह में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण गतिविधियों को पूर्ण करते हुए राजकीय कार्यो के उपयोग हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है।
10	एफ0एम0 आर0 कोड	**16.1.3.3.3 Mobility Support, Field Visit for District Level (Division + District)**		**16.1.3.4.3 S01 Mobility Support, Field Visit for Block Level**

निर्देशित किया जाता है कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक माह ब्लाक, जनपद एवं मण्डल स्तरीय टीमों का अग्रिम टूर प्लान राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अनुभाग को मासिक आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। 01 अप्रैल 2021 से सहयोागात्मक पर्यवेक्षण हेतु लिये गये वाहनों की सूचना राज्य स्तर पर निम्न प्रारूप पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें–

Supportive Supervision Vehicle Hiring - Block wise information 2021-22						
S.No.	Name of division	Name of District	Block Name	Vehicle No	Date of Hiring	Agreement copy attached

Supportive Supervision Vehicle Hiring - District level information 2021-22							
Sl.No.	Name of District	Name of Agreement Signing officer	Vehicle No-1	Date of Hiring	Vehicle No-2	Date of Hiring	Agreement copy attached

Supportive Supervision Vehicle Hiring - Division level information 2021-22					
S.No.	Name of Division	Name of Agreement Signing officer	Vehicle No	Date of Hiring	Agreement copy attached

प्रत्येक माह भ्रमण कार्ययोजना की स्कैन कॉपी को राज्य स्तर पर ई–मेल द्वारा प्रेषित करना तथा एन.एच.एम. पोर्टल पर निरीक्षण आख्या को अपलोड कराना सुनिश्चित करें। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण से संबंधित पत्राचार ई–मेल आई डी menhmup@gmail.com पर करना सुनिश्चित करें।

10.2 **मण्डल/जनपद/ब्लॉक स्तरीय बैठकों के आयोजन हेतु निर्धारित दिशा–निर्देश**

उद्‌देश्य

- राज्य द्वारा प्रेषित समस्त नवीन शासनादेशों/दिशा–निर्देशों को उपलब्ध कराते हुये उद्‌देशात्मक चर्चा।
- विगत् माह की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं कृत्य सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मियों द्वारा अनुपालन।
- सहयोगात्मक भ्रमण आख्या पर फीडबैक, अनुपालन आख्या एवं उत्तरोत्तर सुधार हेतु सम्बन्धित ए0टी0आर0 सुनिश्चित किया जाना।

मण्डलीय/जनपदीय/ब्लाक स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक हेतु अनिवार्य दिशा–निर्देश

विवरण	मण्डल स्तर पर	जनपद स्तर पर		ब्लाक स्तरीय सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर
		जिला स्वास्थ्य समिति की कार्यकारी समिति की बैठक	जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय की बैठक	
अध्यक्षता	मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	मुख्य चिकित्साधिकारी	जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति	चिकित्सा प्रभारी
बैठक का समन्वय अधिकारी	मण्डलीय परियोजना प्रबंधक	जिला कार्यक्रम प्रबंधक	मुख्य चिकित्साधिकारी	ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक
प्रतिभागी	मण्डल के समस्त संयुक्त निदेशकों, समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में तैनात समस्त प्रबंधक, रीजनल कोआर्डिनेटर–आशा, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में तैनात समस्त प्रबंधक, जनपद स्तर पर तैनात समन्वयक	मण्डलीय अधिकारी, मुख्य चिकित्साधीक्षक/अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी अधिकारी एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में तैनात समस्त प्रबंधक, रीजनल कोआर्डिनेटर–आशा, समस्त कार्यक्रमों में तैनात प्रबंधक, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में तैनात समस्त प्रबंधक, एम0सी0टी0एस0 ऑपरेटर, ए0आर0ओ0, एच0ई0ओ0, आदि।		जनपद स्तर से अधिकारी, समस्त नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारी, समस्त ब्लाक इकाई पर तैनात चिकित्सक, समस्त एल0एच0वी0, पुरुष पर्यवेक्षक, बी0पी0एम0यू0 में तैनात समस्त प्रबंधक, एम0सी0टी0एस0 ऑपरेटर, समस्त स्टॉफ नर्स, ए0एन0एम0
वित्तीय वर्ष 2021–22 में निर्धारित बैठको की संख्या	12	12	12	12
कार्यवाही	बैठक का विस्तृत कार्यवृत्त (प्रतिभागी सूचना सहित), राज्य स्तर पर अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के भीतर प्रेषित किये जायेंगे।	बैठक का विस्तृत कार्यवृत्त (प्रतिभागी सूचना सहित), एन0एच0एम0 पोर्टल पर जनपद स्तर से एक सप्ताह के भीतर अपलोड किया जायेगा।		बैठक का विस्तृत कार्यवृत्त (प्रतिभागी सूचना सहित), जनपद स्तर पर अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के भीतर प्रेषित किये जायेंगे।
जलपान एवं अन्य लॉजिस्टिक व्यवस्था हेतु धनराशि का प्रावधान	रू0 5000 प्रति बैठक की दर	रू0 2000 प्रति बैठक की दर	रू0 2500 प्रति बैठक की दर	-
वित्तीय व्यवस्था	**एफ0एम0आर0 कोड नम्बरः 16.1.3.1.1 Mobility Support, Field Visit for State Level (Divisional Meeting/DHS-GB/EC)**			

उक्त के क्रम में मण्डल, जनपद एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण हेतु जनपदों को आर.सी.एच. फ्लैक्सीपूल के एफ.एम.आर.कोड संख्याः 16.1.3.3.3 Mobility Support, Field Visit for District Level (Division+District) एवं .एम.आर. कोड संख्याः 16.1.3.4.3 S01 Mobility Support, Field Visit for Block Level से धनराशि को व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त के आलोक मे आपको निर्देशित किया जाता है कि मण्डल, जनपद एवं ब्लाक में टैक्सी परमिट वाहनों से सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु स्वीकृत बजट को शासकीय एन0एच0एम0 वित्तीय मैनुअल के नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करें।

मिशन फ्लैक्सीपूल
(पार्ट—बी)

1. कम्युनिटी प्रोसेस

1.1 आशा योजना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को समुदाय तक पहुँचाने एवं उपलब्ध सेवाओं के सम्बन्ध में समुदाय को जागरूक करने में आशा की अहम भूमिका है। आशा कार्यक्रम को सुचारू एवं प्रभावी रूप से चलाने हेतु आशा योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों हेतु दिशा–निर्देश निम्नानुसार प्रेषित किये जा रहे हैं–

1.1.1 आशा द्वारा सी–बैक फार्म भरने एवं रोगियों के फालोअप हेतु प्रतिपूर्ति राशि (FMR Code 3.1.1.4)

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर से सम्बद्ध आशाओं को क्षेत्र में निवास कर रहे 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का सी–बैक फार्म भरने हेतु प्रति फार्म रू0 10.00 की दर से धनराशि देय होगी। **जिन आशाओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया गया हैं उनके द्वारा सी–बैक फॉर्म 'एप्लीकेशन' पर भरे जायेंगे**। आशा के क्षेत्र में जिन लाभार्थियों का सी–बैक फॉर्म भरा गया है, उनका सत्यापन सम्बन्धित उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के लिए सी0एच0ओ0 एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के मुख्य केन्द्र से सम्बन्धित आशाओं के लिए चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायगा। इस हेतु सी0एच0ओ0/चिकित्साधिकारी प्रति आशा क्षेत्र के लाभार्थियों की गणना कर रिपोर्ट ब्लॉक स्तर पर प्रेषित करेंगे।

उक्त के अतिरिक्त क्षेत्र में गैर संचारी रोगों से ग्रसित रोगियों के फॉलोअप हेतु प्रति रोगी रू0 100.00 की दर से धनराशि का आवंटन किया जा रहा है। आशा द्वारा अपने क्षेत्र में चिन्हित डायबिटीज, हाइपरटेंशन एवं कैंसर के रोगियों का मासिक रूप से फॉलो–अप किया जायेगा। रोगियों द्वारा 6 माह तक नियमित रूप से दवाइयां/उपचार प्राप्त किये जाने पर आशा को प्रति लाभार्थी रू0 50.00 की धनराशि देय होगी। अतः आशा को वर्ष में प्रति लाभार्थी रू0 100.00 तक की धनराशि 2 किश्तों में प्राप्त होगी।

1.1.2 आशा नियमित गतिविधि हेतु प्रतिपूर्ति राशि (FMR Code 3.1.1.5)

आशा द्वारा किये जा रहे कार्यो के आधार पर विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों में प्रतिपूर्ति राशि का प्राविधान किया गया है। प्रतिपूर्ति राशियों में ससमय भुगतान किये जाने से आशाओं के उत्साह, मनोबल एवं कार्य क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे वह अपने कार्यों को और सक्रिय रूप से कर पाने में सक्षम हो पायेंगी तथा समुदाय को गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी।

आशाओं को उनके द्वारा की जाने वाली नियमित गतिविधियों के लिए प्रतिपूर्ति राशि के रूप में रू0 2000.00 प्रतिमाह दिये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त प्रतिपूर्ति राशि भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार चिन्हित गतिविधियों हेतु अनुमन्य है। इन गतिविधियों का विवरण एवं गतिविधियों के लिए दी जाने वाली धनराशि निम्न तालिका में दी गयी है–

गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि प्रतिमाह (रू0 में)
ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने पर	200
ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में प्रतिभाग करने पर	150
आशाओं को सी.एच.सी./पी.एच.सी. पर मासिक बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा–व्यय	150
वर्ष के आरम्भ में परिवारों की सूची तैयार (प्रति माह लाइन लिस्टिंग) करने पर एवं 6 माह के पश्चात अद्यतन करने पर	300
ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर का अद्यतन करने व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण की सूचना देने हेतु सहायता करने पर	300
टीकाकरण हेतु बच्चों का ड्यू लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300
ANC लाभार्थियों का लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300
योग्य दम्पत्तियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300
नियमित गतिविधियों के लिए कुल प्रतिपूर्ति राशि	2000

1.1.3 हेल्थ प्रमोशन डे (FMR Code 3.1.1.6)

हेल्थ प्रमोशन दिवस के अन्तर्गत निर्धारित मासिक गतिविधियों के आयोजन में आशा द्वारा समुदाय को प्रेरित एवं जागरूक करने के लिए पत्रांक संख्या प0क0/08–प्रशि0/आ0यो0/दिशा–निर्देश/2018–19/4613–75 दिनांक 27.09.2018 के अनुसार प्रति गतिविधि में प्रतिमाह आशाओं को **रू0 200.00** दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

1.1.4 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (FMR Code 3.1.1.6)

आशा द्वारा गर्भवती महिला का पंजीकरण कराने के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फार्म भरा जायेगा जिसके साथ गर्भवती महिला का MCP कार्ड/आधार कार्ड/बैंक पासबुक/पोस्ट आफिस पास बुक की छाया प्रति फार्म के साथ ANM को उपलब्ध करायेगी। इसके पश्चात् प्रति केस **रू0 50** की धनराशि दिये जानेका प्राविधान है।

आशा द्वारा गर्भवती महिला का प्रपत्र 1 सी भरकर ए0एन0एम0 के पास जमा किया जायेगा। आशा का भुगतान लाभार्थी को तृतीय किस्त के भुगतान के साथ ही किया जायेगा। इसके पश्चात् प्रति केस रू0 50 की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।

1.2 मातृ समूह बैठक (FMR Code 3.1.1.6) <u>नवीन गतिविधि</u>

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव और टीकाकरण सेवाओं में वृद्धि हुयी है। कई शोधों मे यह पाया गया है कि यदि प्रसव पश्चात प्रथम पंक्ति कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं से अधिक से अधिक सम्पर्क किया जाता है तो नवजात शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा, टीकाकरण, पोषण, परिवार नियोजन से स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवहारों में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। प्रदेश मे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर मे कमी लाने के लिए मातृ बैठकों के माध्यम से माताओं को प्रसव पश्चात उचित देखभाल से सम्बन्धित जानकारी देकर उन्हे बचाया जा सकता है। आप अवगत है कि स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी के लिए समुदाय को जागरूक करने में आशा एक स्वास्थ्य प्रेरक के रूप में कार्य करती है। अतः इसी तारतम्य में आशा द्वारा सकारात्मक स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए, ग्राम स्तर पर प्रसव पश्चात् 2 वर्ष तक के बच्चों की माताओ का एक समूह बनाकर एक–एक माह के अन्तराल पर मातृ बैठक आयोजित की जानी है।

मातृ समूह बैठक आयोजित किए जाने का उद्देश्य

- प्रसव पश्चात् मुख्य स्वास्थ्य व्यवहारो – मां एवं नवजात शिशु में खतरे के लक्षणों की पहचान, नियमित टीकाकरण केवल स्तनपान, पोषण एवं परिवार नियोजन संबंधी सकारात्मक स्वास्थ्य व्यवहारों को माताओं में बढ़ावा दिया जा सके।
- पीयर लर्निंग के माध्यम से सकारात्मक स्वास्थ्य व्यवहारों को प्रोत्साहित किया जा सके।

मातृ समूह बैठक का संचालन

ग्राम स्तर पर एक आशा क्षेत्र में लगभग 30 से 40 माताएं (जिनके बच्चे जन्म से 02 वर्ष तक के होगें) मिलेगी। इस समूह की बैठक, दो माह में एक बार आशा द्वारा क्षेत्र में सुगम स्थान का चयन करते हुए आयोजित की जायेगी। जिसमें निर्धारित थीम अनुसार आशा द्वारा माताओं को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित विषयों पर जागरूक किया जाएगा। प्रत्येक मातृ बैठक के लिए एक थीम निर्धारित की गयी है।

मातृ बैठक निम्नानुसार निर्धारित थीम अनुसार किया जाएः–

1. प्रथम मासिक बैठक – प्रसव पश्चात् परिवार नियोजन
2. द्वितीय मासिक बैठक –नवजात एवं मां में प्रसव के बाद खतरे के लक्षणों की पहचान एवं उपचार
3. तृतीय मासिक बैठक –केवल स्तनपान
4. चतुर्थ मासिक बैठक– धात्री महिलाओं द्वारा आई.एफ.ए. एवं कैल्शियम की गोलियों का सेवन
5. पांचवी मासिक बैठक– शिशु को छः माह के बाद पूरक पोषण आहार
6. छठवीं मासिक बैठक – नियमित टीकाकरण का महत्व

बैठक के दौरान आशा द्वारा समस्त माताओं को उक्त थीम के अनुसार आवश्यक जानकारी प्रदान की जाय। इसके अतिरिक्त बैठक में अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं, अगले 02 माह में होने वाले विशेष स्वास्थ्य दिवसों एवं प्रतिभागियों द्वारा उठाये गये स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों पर भी जानकारी दी जाय। आशा द्वारा मातृ बैठक के दौरान परिवार नियोजन सामग्रियों, ओ0आर0एस0 आदि का वितरण भी किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर स्थापित किये गये हैं वहाँ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एवं ए0एन0एम0 द्वारा भी इन बैठकों में प्रतिभाग किया जा सकता है।

मातृ समूह बैठक की हेतु वित्तीय निर्देश

मातृ समूह की बैठक आयोजित किए जाने हेत आशा को कुल रू. 200.00 प्रति बैठक हेतु प्रतिपूर्ति राशि के रूप में दिया जाना है। यह धनराशि आशा को प्रत्येक मातृ समूह की बैठक सुनिश्चित करने पर देय होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक आशा को बैठक के आयोजन हेतु रू. 2000.00 की वार्षिक धनराशि

अनुमोदित किया गया है। इस धनराशि से मातृ बैठक हेतु आशा द्वारा निम्न सामग्रियों का क्रय किया जाऐगा–

क्रम	सामग्री	मात्रा	अनुमानित दर (रू0 में)
1	बैनर (6*2 फिट)	01	200
2	दरी (6*6 फिट)	02	1000
3	स्टील जग (1500 एम0एल0)	01	200
4	स्टील गिलास (250 एम0एल0)	12	240
5	स्टील ढक्कनदार बाल्टी (20 लीटर)	01	360
कुल			**2000**

बैनर, दरी, पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित उपकरण/लॉजिस्टिक या आवश्यक आई.ई.सी. क्रय करने के पश्चात आशा द्वारा बिल वाउचर भुगतान हेतु अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत किया जायगा। प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा व्यय की गयी धनराशि अधिकतम रू0 2000.00 का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से आशा के खाते में किया जायगा।

1.2.1 आशा संगिनी डायरी (FMR Code 3.1.1.6)

आशा संगिनियों द्वारा किये जाने वाले दैनिक कार्यो के अभिलेखीकरण के उद्देश्य से आशा संगिनियों को आशा संगिनी रजिस्टर दिया गया है। उक्त रजिस्टर में आशा संगिनी के क्षेत्र में कार्यरत आशाओं के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण, मासिक भ्रमण, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, आशा संगिनी क्लस्टर बैठक, आशा शिकायत, आशा ड्रग किट रिफिलिंग आदि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की देखभाल, प्रसवोपरान्त देखभाल, परिवार नियोजन, गैर संचारी रोग, किशोर स्वास्थ्य, बीमार (0–5 वर्ष) बच्चों का प्रबंधन व देखभाल, मातृ एवं शिशु मृत्यु के सम्बन्ध में पृष्ठ सम्मिलित हैं। रजिस्टर में आशा संगिनी हेतु एक मासिक प्लानर भी दिया गया है, जिसके द्वारा आशा अपने प्रस्तावित भ्रमणों एवं किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षणों के सम्बन्ध में जानकारी अंकित करेगी। यह प्रतिपूर्ति राशि रू0 300.00 प्रतिमाह प्रत्येक आशा संगिनी को देय होगी।

1.2.2 आशा संगिनी मासिक बैठक (FMR Code 3.1.1.6)

आशा संगिनी द्वारा प्रत्येक माह ब्लॉक स्तर पर आयोजित आशा संगिनी मासिक बैठक में प्रतिभाग किया जायेगा। उक्त बैठक में प्रतिभाग करने हेतु आशा संगिनी को रू0 150.00 की प्रतिपूर्ति राशि देय होगी।

1.2.3 आशा संगिनी प्रतिपूर्ति राशि सम्बन्धी दिशा–निर्देश (FMR Code 3.1.1.6)

उपरोक्त के अतिरिक्त आशा संगिनियों को प्रतिपूर्ति राशि दिये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त के अन्तर्गत आशा संगिनियों को निम्न तालिका के अनुसार अधिकतम रू0 1250.00 प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जायेगी–

क्र.स.	गतिविधियाँ	अधिकतम देय धनराशि (रू0 में)	टिप्पणी
1–क	आशा संगिनी द्वारा प्रतिमाह कम से कम 50 CBAC form का परीक्षण करने पर एवं 70 प्रतिशत लोग जिनका CBAC रिस्क स्कोर 4 या 4 से अधिक है उनका प्राथमिकता के आधार पर स्क्रीनिंग कराना सुनिश्चित करने हेतु	200	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर क्षेत्र अथवा PBS जनपद हेतु
1–ख	आशा संगिनी क्षेत्र के कम से कम 50 प्रतिशत डायबेटीज एवं हाईपरटेन्शन के रोगियों को प्रतिमाह औषधि उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु	150	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर क्षेत्र अथवा PBS जनपद हेतु
1–ग	आशा संगिनी अपने क्षेत्र में समस्त आशाओं के कम से कम 10 प्रतिशत लक्ष्य दम्पत्ति, गर्भवती महिलाओं एवं टीकाकरण का सत्यापन।	350	उन क्षेत्रों के लिए जहाँ हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर न हो अथवा वह PBS जनपदों में न आती हो।
2	आशा संगिनी क्षेत्र के समस्त क्षय रोग के मरीजों को नियमित रूप से औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु	150	समस्त जनपदों हेतु
3	आशा संगिनी क्षेत्र के कम से कम 80 प्रतिशत उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के समय के	500	समस्त जनपदों हेतु

क्र.स.	गतिविधियाँ	अधिकतम देय धनराशि (रू0 में)	टिप्पणी
	आधार पर निम्न सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर • क्षेत्र भ्रमण के दौरान उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का गृह भ्रमण। • उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड पर नियमानुसार HRP का अंकन। • आशाओं के सहयोग से कम से कम चार प्रसव पूर्व जाँचें जिनमें से कम से कम एक जाँच चिकित्सालय स्तर पर करायी गयी हो। • आशाओं के साथ उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की प्रसव योजना तैयार कराना • संस्थागत प्रसव • पोर्टल पर अंकन		
4	क्षेत्र भ्रमण के दौरान उच्च जोखिम वाले नवजात शिशुओं का गृह भ्रमण कर फालोअप करना • जन्म के समय 1800 ग्राम से कम वजन वाले नवजात। • SNCU से Discharge नवजात शिशु।	150	समस्त जनपदों हेतु
5	• बीमार नवजात शिशु, जिन्हें आशा द्वारा HBNC के दौरान Refer किया गया हो। • पोषण पुनर्वास केन्द्र से डिस्चार्ज बच्चों का फॉलो–अप।	100	समस्त जनपदों हेतु

नोट–यदि किसी क्षेत्र में कोई उपकेन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में क्रियाशील हो जाता है तो उसे 1–ग में उल्लेखित पूर्ति राशि नहीं दी जायेगी। उसे 1–क एवं 1–ख में उल्लिखित प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जायेगी।

क प्रतिमाह आशा संगिनी द्वारा अपने क्षेत्र में कार्यरत समस्त आशाओं का कम से कम 50 CBAC form का परीक्षण किया जायेगा एवं उनमें से 70 प्रतिशत लोग जिनका CBAC रिस्क स्कोर 4 या 4 से अधिक है उनका प्राथमिकता के आधार पर स्क्रीनिंग कराना सुनिश्चित करने हेतु उनको रू0 200.00 की धनराशि देय होगी। (हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर क्षेत्र अथवा PBS जनपद हेतु)

ख आशा संगिनी द्वारा अपने क्षेत्र के कम से कम 50 प्रतिशत डायबेटीज एवं हाईपरटेन्शन के रोगियों को आशा की सहायता से प्रतिमाह औषधि उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनको रू0 150.00 की धनराशि देय होगी। (हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर क्षेत्र अथवा PBS जनपद हेतु)

ग आशा संगिनी अपने क्षेत्र में समस्त आशाओं के कम से कम 10 प्रतिशत लाभार्थीयों (जैसे लक्ष्य दम्पत्ति को परिवार नियोजन संबंधित साधन एवं परामर्श, गर्भवती महिलाओं एवं बच्चो का टीकाकरण) का सत्यापन करने हेतु उनको रू0 350.00 की धनराशि देय होगी। (हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर क्षेत्र अथवा PBS जनपद हेतु)

बिन्दु सं0–2,3,4,5 पर दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि समस्त जनपदों की आशा संगिनियों को प्रदान किया जायगा।

1.2.4 आशा बीमा (FMR Code 3.1.1.6)

प्रदेश की समस्त ग्रामीण एवं शहरी आशाओं एवं आशा संगिनियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाना है। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत आयु सीमा 18 से 70 वर्ष है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में रू0 330.00 प्रति व्यक्ति की दर से तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में रू0 12/– प्रति व्यक्ति की दर से बीमा हेतु आवश्यक प्रीमियम की धनराशि आवंटित की जा रही है। कार्यालय के पत्रांक एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो./आशा बीमा योजना/2015–16/84/6382 दिनांक 24.10.

2019 एवं एस.पी.एम.यू. / कम्यू.प्रो. / आशा बीमा योजना / 18–19 / 84 / वॉल्यूम.1 / 4911–75 दिनांक 19.11. 2020 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

1.2.5 आशा संगिनी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु प्रतिपूर्ति राशि (FMR Code 3.1.3.1)

आशा संगिनी अपने क्षेत्र की समस्त आशाओं की सक्रियता भारत सरकार द्वारा वर्णित 10 बिन्दुओं पर निर्धारित करेगी। आशा संगिनी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु प्रतिपूर्ति राशि रू0 300.00 प्रति भ्रमण दिवस की दर से अधिकतम 24 भ्रमण दिवस हेतु अधिकतम रू0 7200.00 तक प्रतिमाह (वास्तविक भ्रमण दिवसों के आधार पर), ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा किये गये सत्यापन के पश्चात देय होगी।

1.2.6 आशाओं एवं आशा संगिनियों को यूनिफार्म दिये जाने हेतु दिशा–निर्देश (FMR Code 3.1.3.1)

आशा यूनिफार्म हेतु रू0 600.00 प्रति आशा एवं आशा संगिनी की दर से अनुमोदित किया गया है। इस धनराशि का व्यय आशा एवं आशा संगिनी द्वारा किया जायेगा, जिसके पश्चात उसके दिये बीजक (बिल) के अनुसार अधिकतम रू0 600.00 का भुगतान PFMS के माध्यम से किया जायेगा।

- आशाओं को यूनिफार्म के रूप में एक साड़ी दिये जाने हेतु धनराशि प्रदान की जा रही है, जो पूर्व की भाँति क्रीम रंग की प्लेन होगी एवं उसमें चॉकलेट रंग का बॉडर होगा।
- आशा संगिनी हेतु एक साड़ी दिये जाने हेतु धनराशि प्रदान की जा रही है, जो चॉकलेट रंग की प्लेन एवं क्रीम रंग का बॉडर होगा।
- जिन आशाओं द्वारा सामान्यतः साड़ी के स्थान पर सलवार–कुर्ता पहना जाता है। उनके द्वारा साड़ी के स्थान पर क्रीम रंग का सलवार–कुर्ता एवं चॉकलेट रंग का दुपट्टा खरीदा जा सकता है। इसी प्रकार जिन आशा संगिनी द्वारा सामान्यतः साड़ी के स्थान पर सलवार–कुर्ता पहना जाता है। उनके द्वारा साड़ी के स्थान पर चॉकलेट रंग का सलवार–कुर्ता एवं क्रीम रंग का दुपट्टा खरीदा जा सकता है।
- आशाओं द्वारा यूनिफार्म खरीदने के पश्चात सत्यापन ए.एन.एम. द्वारा किया जायेगा। आशा संगिनी द्वारा यूनिफार्म खरीदने के पश्चात सत्यापन ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा किया जायेगा।
- आशाओं का यूनिफार्म हेतु लक्षित आशा / आशा संगिनी के आधार पर अवमुक्त की जा रही है। वर्तमान में कार्यरत आशा / आशा संगिनी को ही यूनिफार्म हेतु धनराशि प्रदान की जानी है, शेष धनराशि डी.एच.एस. में सुरक्षित रखी जायेगी तथा नवीन आशा / आशा संगिनी के चयन के पश्चात उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार धनराशि आशाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

1.2.7 आशा छाता (एफ0एम0आर0 कोड–3.1.3.1)

आशाओं, आशा संगिनियो एवं अरबन आशाओं के लिए रू0 200.00 प्रति आशा की दर से धनराशि जनपदों को आवंटित की जा रही है। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

1.3 ए.ए.ए. (उपकेन्द्र स्तरीय) बैठक (FMR Code 3.3.4)

समुदाय स्तरीय कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु प्रथम पंक्ति की कार्यकर्त्रियाँ यथा– ए.एन.एम., आँगनवाड़ी एवं आशाओं के मध्य आपसी समन्वय किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रत्येक उपकेन्द्र क्षेत्र में कार्यरत समस्त ए.एन.एम., आँगनवाड़ी व आशा की मासिक बैठक आयोजित किया जाना है। यह बैठक उपकेन्द्र अथवा उपकेन्द्र क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य किसी सार्वजनिक स्थान यथा आँगनबाड़ी केन्द्र, पंचायत भवन, विद्यालय आदि पर आयोजित की जा सकती है। यह बैठक प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 1:00 बजे तक आयोजित की जायेगी। उपकेन्द्र स्तरीय बैठक में प्रतिभाग करने हेतु आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को प्रतिमाह रू 75.00 की धनराशि दिये जानें का प्राविधान है।

ऐसे उपकेन्द्र जिन्हें हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में क्रियाशील किया जा चुका है, उन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर बैठक का संचालन कम्यूनिटी हेल्थ ऑफीसर के द्वारा ए0एन0एम0 के सहयोग से किया जायेगा। बैठक के दौरान हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु निर्धारित 15 सूचकांकों के आधार पर कार्यक्रमों की समीक्षा की जायेगी एवं मासिक / वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्ययोजना विकसित की जायेगी, जिससे इन लक्ष्यों को प्राप्त कर कार्य आधारित टीम बेस्ड इन्सेन्टिव प्राप्त किया जा सके। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर सम्बन्धित निर्देशों में सम्मिलित किये गये हैं।

1.4 एच0बी0एन0सी0 किट रिप्लेनिशमेंट (एफ0एम0आर0 कोड–6.2.2.1)

- आशाओं को मॉड्यूल 6–7 के अन्तर्गत चार चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के प्रथम चरण के पश्चात आशाओं द्वारा गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम के अन्तर्गत

नवजात शिशुओं एवं माताओं की देखभाल की जाती है। उक्त देखभाल हेतु आशाओं को प्रथम चरण के प्रशिक्षण के दौरान एच0बी0एन0सी0 किट उपलब्ध करायी जाती है। एच0बी0एन0सी0 किट क्रय किये जाने हेतु नवीन रेट कॉन्ट्रेक्ट (आर0सी0) शीघ्र ही जनपदों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। समस्त जनपदों को मॉड्यूल 6–7 प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रशिक्षित आशाओं की संख्या के आधार पर एच0बी0एन0सी0 किट रिप्लेनिशमेंट हेतु एफ0एम0आर0 कोड 6.2.2.1 के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत/आवंटित की जा रही है।

- जनपदों द्वारा उक्त धनराशि से एच0बी0एन0सी0 किट की सामग्री का क्रय राज्य स्तर से जारी आर0सी0 के अनुसार किया जाएगा। यदि 6–7 मॉड्यूल प्रथम चरण का प्रशिक्षण प्रस्तावित है तो प्राथमिकता के आधार पर पहले नवीन एच0बी0एन0सी0 किट का क्रय किया जाएगा तद्पश्चात शेष धनराशि से आशाओं की आवश्यकतानुसार एच0बी0एन0सी0 किट की सामग्रियों का क्रय किया जाएगा। जिसे जनपदीय स्टोर में स्टॉक बुक में एंट्री के पश्चात ब्लॉक स्तर से आशाओं की आवश्यकता के आधार पर आशाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर बी0सी0पी0एम0 द्वारा अधीक्षक/ प्रभारी चिकित्साधिकारी के निर्देशानुसार एच0बी0एन0सी0 किट की विभिन्न सामग्रियों की माँग/वितरण का नियमित रूप से अभिलेखीकरण किया जाएगा।
- आशाओं के एच0बी0एन0सी0 किट में उपलब्ध डिजिटल घड़ी एवं थर्मामीटर को बदलने अथवा माइनर रिपेयर के लिए सम्बन्धित उपकेन्द्र अथवा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति हेतु उपलब्ध अण्टाइड फण्ड का उपयोग किया जा सकता है।

1.5 आशा योजना से सम्बन्धित प्रपत्रों/रजिस्टरों का मुद्रण (FMR Code 12.2.2)

1.5.1 ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर मुद्रण– ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर का मुद्रण रू0 175.00 प्रति आशा की दर से जनपद स्तर पर निम्न स्पेसिफिकेशन के अनुसार किया जाना है, जिसकी आपूर्ति जनपद स्तर पर की जानी है।

क्र.सं.	विवरण	साईज	जी.एस.एम.	रंग	पृष्ठ
1	कवर पृष्ठ	28 से.मी. × 21 से.मी.	250 जी.एस.एम. आर्ट कार्ड	4 रंगों में	4
2	रजिस्टर के अन्दर के पृष्ठ–2 स्टेप्लड	28 से.मी. × 21 से.मी.	80 जी.एस.एम. मेपलिथो	1 रंग में	220

1.5.2 आशा संगिनी रजिस्टर मुद्रण हेतु–आशा संगिनी रजिस्टर का मुद्रण रू0 175.00 प्रति आशा संगिनी की दर से जनपद स्तर पर निम्न स्पेसिफिकेशन के अनुसार किया जाना है जिसकी आपूर्ति जनपद स्तर पर की जानी है।

क्र.सं.	विवरण	साईज	जी.एस.एम.	रंग	पृष्ठ
1	कवर पृष्ठ	28 से.मी. × 21 से.मी.	250 जी.एस.एम. आर्ट कार्ड	4 रंगों में	4
2	रजिस्टर के अन्दर के पृष्ठ–2 स्टेप्लड	28 से.मी. × 21 से.मी.	80 जी.एस.एम. मेपलिथो	1 रंग में	220

1.5.3 आशा एवं आशा संगिनी प्रतिपूर्ति राशि हेतु वाउचर एवं मास्टर पेमेंट रजिस्टर

- वर्ष 2021–22 में आशाओं के भुगतान हेतु वाउचर एवं ब्लॉक स्तरीय आशा मास्टर पेमेंट रजिस्टर उपलब्ध कराने एवं रख–रखाव हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–
- आशाओं एवं आशा संगिनियों द्वारा किये गये कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु वाउचर की बुकलेट प्रारूप अनुसार छपवाकर वितरित किया जाना है।
- प्रत्येक बुकलेट में वाउचर्स की दो प्रतियाँ (डुप्लीकेट कॉपी के 15 सेट अर्थात 30 पन्ने) की बुकलेट तैयार की जानी है। इस हेतु अधिकतम रू0 25.00 प्रति बुकलेट प्रति आशा के आधार पर छपवाने हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है। बुकलेट का मानक निम्नवत है।

क्र0सं0	उपयोग	जी0एस0एम0	लम्बाई X चौड़ाई
1	मिशन फ्लैक्सीपूल मद की वाउचर बुकलेट	57	लम्बाई 26 से.मी. चौड़ाई 21 से.मी.

मास्टर पेमेंट रजिस्टर आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि की पूर्ण जानकारी हेतु ब्लॉक स्तर पर आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर का रख–रखाव अनिवार्य है। प्रत्येक ब्लॉक के लिये अधिकतम रू0 150.00 प्रति रजिस्टर प्रति ब्लॉक के आधार पर प्रारूपानुसार छपवाने हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

आशा संगिनी के रिपोर्टिंग प्रपत्र आशा संगिनी के सुपरवाईजरी/रिपोर्टिंग प्रपत्र–1 एवं 2 छपवाने हेतु धनराशि की व्यवस्था वर्ष 2021–22 की अनुमोदित कार्ययोजना में मिशन फ्लैक्सीपूल मद के एफ0एम0आर0 कोड संख्या 12.2.2 के अंतर्गत प्रति आशा संगिनी रू0 50.00 की दर से की जानी है। आशा संगिनी की सीमित संख्या को देखते हुए इन प्रपत्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से जनपद में छपवाया जाना है।

उपकेन्द्र व ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति रजिस्टर मुद्रण (एफ0एम0आर0 कोड–12.2.8)– उपकेन्द्र व ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति रजिस्टर का मुद्रण रू0 150.00 प्रति रजिस्टर दर से जनपद स्तर पर निम्न स्पेसिफिकेशन के अनुसार किया जाना है।

क्र.सं.	विवरण	साईज	जी.एस.एम.	रंग	पृष्ठ
1	कवर पृष्ठ	28 से.मी. × 21 से.मी.	250 जी.एस.एम. आर्ट कार्ड	4 रंगों में	4
2	रजिस्टर के अन्दर के पृष्ठ–2 स्टेप्लड	28 से.मी. × 21 से.मी.	80 जी.एस.एम. मेपलिथो	1 रंग में	146

1.6 मण्डल स्तरीय त्रैमासिक समीक्षा बैठक (FMR Code 16.1.3.1.4)

ब्लॉक/जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं कार्यक्रम को गति देने के उद्देश्य से प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर मण्डल के समस्त ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनजर्स की त्रैमासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाना है। बैठक प्रत्येक त्रैमास में एक बार मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में मण्डलीय मुख्यालय पर प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक आयोजित की जायेगी। बैठक में सम्बन्धित मण्डल के समस्त बी0सी0पी0एम0, डी0सी0पी0एम0, अपर मुख्यचिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0), मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, रीजनल कोऑर्डिनेटर (आशा) मण्डलीय एच0बी0एन0सी0 कोऑर्डिनेटर (यूनीसेफ), उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों में तकनिकी सहयोग इकाई के प्रतिनिधियों एवं अन्य मण्डल स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

वित्तीय व्यवस्थाः–उपरोक्त बैठक हेतुरू0 500.00 प्रति ब्लाक कम्युनिटी प्रोसेस मेनेजर प्रति बैठक (त्रैमास) की दर से धनराशि अनुमोदित की गई है। उक्त धनराशि बैठक हेतु हॉल, प्रोजेक्टर, प्रतिभागियों हेतु खान–पान एवं स्टेशनरी आदि के लिए समस्त वित्तीय नियमो को ध्यान में रखते हुए व्यय की जायेगी। जहां तक संभव हो सरकारी भवनों में स्थित हाल का उपयोग किया जाये। व्यय के सम्बन्ध में समस्त अभिलेख मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेंगी। प्रतिभागियों को यात्रा भत्ता आदि (टी.ए./डी.ए.) उनके तैनाती स्थल से यात्रा भत्ता हेतु अनुमोदित मद अथवा ऑपरेशनल कास्ट से किया जायेगा। उक्त गतिविधि हेतु तालिका में अंकित धनराशि सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को हस्तानान्तरित की जाएगी।

1.7 आशा मेन्टोरिंग समूह (एफ0एम0आर0 कोड–16.1.3.3.5)

आशा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं कार्यक्रम को सुदृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य एवं जनपद स्तरों पर आशा मेन्टोरिंग समूह का गठन किया गया है। मेन्टोरिंग समूह में सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञ, स्वयं सेवी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों एवं स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। समूह का प्रमुख उद्देश्य आशा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नीति, कार्यक्रम क्रियान्वयन, आशा का क्षमतावर्द्धन जैसे मुद्दों पर सलाह देना है। समूह के सदस्यों का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह समय–समय पर क्षेत्र भ्रमण करके आशा कार्यक्रम से सम्बन्धित फीडबैक एवं सुझाव प्रदान करते हैं जिससे की कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। इसकी बैठकें राज्य एवं जनपद स्तरों पर प्रत्येक त्रैमास में आयोजित की जाती हैं तथा जनपद स्तरीय बैठकों के फीडबैक एवं सुझावों को राज्य स्तर की बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं एवं फॉलोअप कार्यवाही में सम्मिलित किया जाता है।

जनपद स्तरीय आशा मेन्टोरिंग समूह के गठन एवं क्रियान्वयन से सम्बन्धित विस्तृत दिशा–निर्देश पूर्व में पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./आशा सपोर्ट/2008–09/5/11363–71 दिनांक 29 मई, 2009 एवं संशोधित दिशा–निर्देश पत्र संख्या प0क0/08–प्रशि0/आशा मेन्टोरिंग ग्रुप/2013–14/2042–75 दिनांक 14.08.2013 द्वारा प्रेषित किये जा चुके हैं, जिनका पालन सुनिश्चित किया जाये।

1.8 क्लस्टर बैठक (FMR Code 3.1.2.4)

प्रदेश में स्वास्थ्य योजनाओं के गुणवत्तापरक क्रियान्वयन, समीक्षा एवं आशाओं के नियमित क्षमतावर्द्धन के लिए ब्लॉक स्तर पर क्लस्टर बैठक का आयोजन किया जाता है। आशा के कार्यो को देखते हुए उसका नियमित रूप से क्षमतावर्द्धन एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण होते रहना अति आवश्यक है। इस सम्बन्ध मे वर्ष 2019–20 में प्रदेश के 28 जनपदों के समस्त 321 ब्लॉकों में आशा क्लस्टर बैठक को क्षमतावर्द्धन प्लेटफार्म के रूप में संचालित किया जा रहा है, एवं आशा संगिनी द्वारा आशाओं का निर्धारित विषयो पर क्षमतावर्द्धन किया जा रहा है, जिसके परिणाम बहुत ही सराहनीय है। उपरोक्त के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2021–22 में शेष 47 जनपदों के समस्त ब्लॉकों में विस्तार करते हुए प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में आशा संगिनी द्वारा क्लस्टर बैठक के माध्यम से आशाओं के क्षमतावर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रम हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

क्लस्टर बैठक में क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम की योजना एवं संचालन निम्नानुसार किया जाना हैः–

जनपद स्तरीय प्रशिक्षण के दौरान कोविड–19 से सम्बन्धित प्रोटोकाल का पालन प्रशिक्षण के दौरान कोविड–19 महामारी से सम्बन्धित प्रोटोकाल का पालन करना आवश्यक होगा। इसके अन्तर्गत समस्त प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा एवं उनके बीच में कम से कम 1 मीटर का अन्तर रखा जायेगा। प्रशिक्षण से पूर्व समस्त प्रतिभागियों को हाथ धोना/सेनेटाईज़ करना होगा एवं उनकी थर्मल स्केनिंग भी आवश्यक होगी। यदि किसी प्रशिक्षक/प्रशिक्षु में कोविड–19 से सम्बन्धित लक्षण पाये जाते हैं तो उन्हें प्रशिक्षण से हटा लिया जाए। साथ ही कोविड–19 प्रोटोकाल के अन्तर्गत जाँच/उपचार की व्यवस्था भी की जायेगी।

1.8.1 नये सम्मिलित जनपद स्तरीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण

- नये सम्मिलित 47 जनपदों (आगरा, अलीगढ, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरईया, आजमगढ, बागपत, बलिया, बांदा, बस्ती, बिजनौर, बुलन्दशहर, देवरिया इटावा, फिरोजाबाद, जी.बी.नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हापुड़, हमीरपुर, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कुशीनगर, लखनऊ, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मोरादाबाद, मुजफ्रनगर, प्रतापगढ, रायबरेली, सहारनपुर, संभल, संतरविदास नगर, शामली, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी) के समस्त ब्लॉको में आशा संगिनियों एव बी.सी.पी.एम. का तीन दिवसीय जनपद स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है।
- इस हेतु प्रति बैच में 30 प्रतिभागियों के हिसाब से रू. 49,400.00 की धनराशि आवंटित की जा रही है। यदि किसी भी बैच में 30 से अधिक प्रतिभागी होंगे, तो प्रति अतिरिक्त प्रतिभागी हेतु रू. 1300.00 तीन दिवसीय प्रशिक्षण की धनराशि में जोड़कर दिया जाना है। जिससे कोई भी प्रतिभागी छूटे नहीं और निर्बाध प्रशिक्षण आयोजित किया जा सके।
- तीन दिवसीय प्रशिक्षण के प्रति बैच के बजट का विवरण निम्नानुसार है –

Sr.	Item	Rate	No. of days	No./ units	Amount (in Rs.)
1	Perdiem to participants	150	3	30	13500
2	Honorarium to trainers	500	3	2	3000
3	Food for participants (breakfast, tea, lunch etc.)	150	3	30	13500
4	Food for trainer (Lunch, tea etc.)	150	3	2	900
5	Contingency (Writing pad, Pen, Bag, Photography, Photocopy, banner etc.)	100	1	30	3000
6	P.O.L				2000
7	Hall /Venue and audio system & Projector	1500	3	1	4500
8	TA to ASHA Sangini upto Rs. 300-(Actual)	300		30	9000
Total					**49400**

1.8.2 जनपद स्तरीय दो दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण

- 28 जनपदों (एच.पी.डी. एवं एस्पिरेशनल – अयोध्या, बाराबंकी, बहराईच, बलरामपुर, बदायूं, बरेली, चन्दौली, चित्रकूट, एटा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गोण्डा, हरदोई, कन्नौज, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, महराजगंज, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रयागराज, रामपुर, संत कबीर नगर, शांहजहांपुर, सीतापुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगरए कासगंज एवं सोनभद्र) के समस्त ब्लॉको में जहां पर पहले से यह कार्यक्रम

क्रियान्वित हो रहा है, वहां की आशा संगिनियों एवं बी.सी.पी.एम. का दो दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण जनपद स्तर पर किए जाने हेतु प्रति बैच रू. 37,300.00 की धनराशि आवंटित की जा रही है। यदि उक्त किसी भी जनपद में 30 से अधिक प्रतिभागी है, वहां पर प्रति प्रतिभागी के अनुसार रू. 1000.00 दो दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण के बैच में जोड़कर दी जा रही है।

- दो दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण के प्रति बैच में व्यय की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत है:–

Sr.	Item	Rate	No. of days	No./units	Amount (in Rs.)
1	Perdiem to participants	150	2	30	9000
2	Honorarium to trainers	500	2	2	2000
3	Food for participants (breakfast, tea, lunch etc.)	150	2	30	9000
4	Food for trainer (Lunch, tea etc.)	150	2	2	600
5	Contingency (Writing pad, Pen, Bag, Photography, Photocopy, banner etc.)	100		32	3200
6	P.O.L				1500
7	Hall /Venue and audio system & Projector	1500	2	1	3000
8	TA to ASHA Sangini upto Rs. 300-(Actual)	300		30	9000
Total					**37300**

1.8.3 कन्टीजेन्सी व्यय के मानक

सभी 75 जनपदो के समस्त ब्लॉकों में क्लस्टर बैठकों के लिए कन्टीजेन्सी व्यय के लिए रू0 2500.00 प्रतिवर्ष/प्रति क्लस्टर बैठक के हिसाब से धनराशि आवंटित की जा रही है। इसके तहत क्लस्टर बैठक में क्षमतावर्द्धन सत्र के रोस्टर की पी.एच.सी./सी.एच.सी. पर वॉल राइटिंग, बैनर, दरी, पंखा, बैठने के लिए कुर्सी, पानी की व्यवस्था या आवश्यक आई.ई.सी.सामग्री की फोटोकॉपी आदि के लिए व्यय किया जायेगा।

1.8.4 आशा एवं आशा संगिनी को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि – एफ0एम0आर0 कोड 3.1.2.4

आशा संगिनी को प्रत्येक माह क्लस्टर बैठक में निर्धारित सत्र फैसिलिटेट करने पर रू0 200.00 प्रति सत्र एवं आशाओं को प्रत्येक माह क्लस्टर बैठक में निर्धारित सत्र में प्रतिभाग करने हेतु रू0 100.00 दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि एफ0एम0आर0 कोड 3.1.2.4 से प्रदान की जायेगी।

- **क्रम संख्या–1–**आशाओं को प्रत्येक माह क्लस्टर बैठक में निर्धारित सत्र में प्रतिभाग करने पर भोजन हेतु रू0 100.00 प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। यह धनराशि नियमित मासिक क्लस्टर बैठक में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि रू0 150.00 के अतिरिक्त देय है।
- **क्रम संख्या–2–**आशा संगिनियों को प्रत्येक माह निर्धारित सत्र को फैसिलिटेट करने हेतु रू0 100.00 एवं भोजन मद में रू0 100.00 अर्थात कुल रू0 200.00 की धनराशि उनके खाते में हस्तांतरित की जायेगी। यह धनराशि नियमित मासिक क्लस्टर बैठक में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि रू0 300.00 के अतिरिक्त देय है।
- क्लस्टर बैठक में क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी आशा एवं संगिनी को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि नये 47 जनपदो हेतु 6 माह के लिए एवं 28 जनपद जहां पर विगत वर्ष से कार्यक्रम संचालित हो रहा है के लिए 12 माह हेतु धनराशि अवमुक्त की जाएगी।

1.8.5 क्लस्टर बैठक मॉड्यूल की प्रिन्टिंग/फोटोकॉपी (FMR Code 12.2.2) –

47 जनपदो के सभी ब्लॉको की आशा संगिनियों, ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक की संख्या के अनुसार रू 160.00 प्रति मॉडयूल के हिसाब से धनराशि आवंटित की जा रही है। **मॉड्यूल का प्रोटोटाइप यू.पी.टी.एस.यू. द्वारा पूर्व में साझा किया जा चुका है।**

1.9 अन्टाइड धनराशि

1.9.1 जिला स्तरीय चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय चिकित्सालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (FMR Code 4.1.1, 4.1.3 एवं 4.1.4)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में जिला स्तरीय चिकित्सालयों (एफ0एम0आर0 कोड 4.1.1) एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय चिकित्सालयों में गठित रोगी कल्याण समितियों (एफ0एम0आर0 कोड 4.1.3) एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों

(एफ0एम0आर0 कोड 4.1.4) को प्रथम किश्त के रूप में अनुमन्य धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि क्रमशः रू0 5.00 लाख, रू0 2.50 लाख एवं रू0 87,500.00 प्रति इकाई की दर से आवंटित की जा रही है। शेष धनराशि अन्तरवित्तीयन प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित की जायेगी।

उपरोक्त आवंटित असम्बद्ध धनराशि महानिदेशक–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के पत्रसंख्या 11फ/2020–21/कैम्प–456 दिनांक 21.05.2020 के अनुसार धनराशि व्यय की जानी है।

1.9.2 उपकेन्द्रों तथा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों हेतु अन्टाइड धनराशि (FMR Code 4.1.5, एवं 4.1.6)

प्रदेश में समस्त उपकेन्द्रों एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों हेतु अन्टाइड फण्ड का प्राविधान किया गया है। प्रदेश में पंचायत चुनाव के पश्चात् पूर्व से गठित ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियों का पुर्नगठन किया जाना है। विदित है कि ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियों के बैंक खातों का संचालन ग्राम प्रधान एवं सदस्य सचिव (आशा) के संयुक्त हस्ताक्षर से एवं उपकेन्द्र स्तरीय असम्बद्ध धनराशि के बैंक खाते का संचालन ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ए.एन.एम. के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है। उक्त के दृष्टिगत यह अनिवार्य है कि ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों तथा उपकेन्द्र स्तरीय असम्बद्ध धनराशि के बैंक खातों में आवश्यकतानुसार हस्ताक्षर परिवर्तन कराया जाये। नवीन दिशा–निर्देशों के अनुसार समस्त क्रियाशील उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर असम्बद्ध धनराशि हेतु पूर्व से खोले गये बैंक खाते का संचालन ग्राम प्रधान (जहॉ पर उपकेन्द्र स्थित है) तथा सम्बन्धित कम्युनिटी हेल्थ ऑफीसर के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाना है। असम्बद्ध धनराशि केवल उन उपकेन्द्रों को अवमुक्त की जाय, जहाँ ग्राम प्रधान एवं उपकेन्द्र की ए0एन0एम0 का संयुक्त बैंक खाता खुला हो। जिन उपकेन्द्रों में ए.एन.एम. का पद रिक्त है या संविदा ए.एन.एम. कार्यरत है, वहां पर ग्राम प्रधान के साथ द्वितीय हस्ताक्षरी का निर्धारण मिशन निदेशक के पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./एस.सी./3ए–II/2015–16/05/10021–75 दिनांक 17.02.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वर्ष 2021–22 की राज्य कार्ययोजना में एफ.एम.आर. कोड संख्या 4.1.5 तथा 4.1.6 के अन्तर्गत उपकेन्द्रों तथा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों हेतु अनुमन्य अनटाइड धनराशि का क्रमशः 50 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत आवंटित की जा रही है, जिसका उपयोग पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाना है।

1.10 उपकेन्द्र का किराया (FMR Code 5.1.2)

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत किराये के भवनों में संचालित उपकेन्द्रों के किराये हेतु रू0 3,000.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु कुल रू0 36000.00 की धनराशि प्रति उपकेन्द्र की दर से जनपदों से प्राप्त संख्या के आधार पर सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है

किराये के भवन में संचालित उपकेन्द्रों हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

1. किराये के भवन में संचालित उपकेन्द्र हेतु संशोधित दर (रू0 3000.00 प्रतिमाह) के दृष्टिगत प्रत्येक उपकेन्द्र हेतु न्यूनतम तीन कमरे, शौचालय, विद्युत व्यवस्था, पेयजल इत्यादि की उपलब्धता होना आवश्यक है। उपकेन्द्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को ध्यान में रखते हुये बहुमंजिली भवन होने पर भूतल (ग्राउण्ड फ्लोर) पर स्थिति भवन का चयन किया जाये। ऐसे भवनों को प्राथमिकता प्रदान की जाय, जिन भवनों में आवागमन हेतु पृथक से व्यवस्था हो। भवन के चयन में यह प्रयास किया जाय कि उपकेन्द्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवायें समस्त वर्गों हेतु सुलभ हों। यदि कतिपय उपकेन्द्रों हेतु उक्त मानकानुसार किराये का भवन उपलब्ध न हो तो सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा उक्त मानकों में आवश्यकतानुसार शिथिलता प्रदान की जा सकती है।
2. उपकेन्द्र भवन में आवश्यक संसाधनों (फर्श, सीढ़ियॉ, लाइट फिटिंग इत्यादि) व सुरक्षा आदि की उपलब्धता होनी आवश्यक है।
3. उपकेन्द्र हेतु चिन्हित भवन गॉव की बस्ती के मध्य/समीप होना आवश्यक है।
4. उक्त मानकों के आधार पर उपकेन्द्र हेतु किराये का भवन चिन्हित करने के लिये उसी ग्राम का चयन किया जाय, जहॉ पर पहले से किराये के भवन में उपकेन्द्र संचालित था। उसी ग्राम में मानकानुसार भवन की उपलब्धता न होने पर उपकेन्द्र क्षेत्र के अन्तर्गत निकटतम ग्राम में किराये के भवन को चिन्हित किया जाय। इस आशय का प्रमाण–पत्र कि पूर्व से संचालित ग्राम में

आवश्यकतानुसार भवन की उपलब्धता नहीं है, सम्बन्धित ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के अध्यक्ष/ग्राम प्रधान द्वारा प्रदान किया जायेगा जिसका अनुमोदन सम्बन्धित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

5. उपकेन्द्र भवन के चिन्हांकन में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान एवं सदस्यों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
6. भारत सरकार के पत्र संख्या–D.O. No. Z-28015/94/2020-NRHM-1 Dated 25th June, 2021 के माध्यम से निर्देश प्रेषित किये गये हैं कि हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर का संचालन किराये के भवन में संचालित स्वास्थ्य उपकेन्द्र में किया जा सकता है। उक्त के अनुपालन में स्वास्थ्य उपकेन्द्र के संचालन हेतु किराये के ऐसे भवन को चयनित किया जाय, जिसमें हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सुचारू रूप से प्रदान किया जा सके।
7. किराये के भवन में संचालित उपकेन्द्र हेतु रू0 3000.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि अनुमन्य है। यह संशोधित दर दिशा–निर्देशों के उपरान्त अनुबन्ध करने की तिथि से प्रभावी होगी। अनुबन्ध करने से पूर्व किराये का भुगतान रू0 250.00 प्रतिमाह की दर से किया जाना है।
8. किराये के भवन में Minor Modification (फैसिलिटी ब्रान्डिंग, लैब हेतु स्लैब, सिंक व रैक आदि) हेतु भवन स्वामी से सहमति प्राप्त करने का उल्लेख किराये के भवन हेतु किये जाने वाले अनुबन्ध–पत्र में अनिवार्य रूप से किया जाये।
9. उपकेन्द्र भवन में उपयोग होने वाले विद्युत बिल का भुगतान उपकेन्द्र असम्बद्ध धनराशि से किया जायेगा।
10. रेन्ट एग्रीमेन्ट प्रभारी चिकित्साधिकारी तथा भवन स्वामी के मध्य रू0 100.00 के Stamp Paper पर किया जायेगा। Stamp Paper पर होने वाला व्यय भवन स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।
11. उपकेन्द्र का सरकारी भवन बनने अथवा विषम परिस्थितियों में एग्रीमेन्ट की शर्तों के अनुरूप तीन माह पूर्व सूचना प्रदान कर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा।
12. सम्बन्धित अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामु0/ब्लाक स्तरीय प्रा0 स्वा0 केन्द्र द्वारा किराये के भवन में संचालित उपकेन्द्र के किराये का मासिक भुगतान भवन स्वामी के बैंक खाते में पी.एफ. एम.एस. के माध्यम से किया जाये। किसी भी स्थिति में नकद व चेक द्वारा भुगतान न किया जाये।
13. उपकेन्द्र के किराये के भुगतान के लिये अनिवार्य होगा कि जिस भवन में उपकेन्द्र संचालित किया जा रहा है उसके भवन स्वामी के साथ उपकेन्द्र के संचालन हेतु किराये पर लिये गये भवन का अनुबन्ध–पत्र भरा गया हो। अनुबन्ध–पत्र की एक प्रति सम्बन्धित सामु0/ब्लाक प्रा0 स्वा0 केन्द्र तथा एक प्रति कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्थापना अनुभाग में आवश्यक जॉच एवं ऑडिट के लिये सुरक्षित रखी जाय।
14. अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामु0/ब्लाक स्तरीय प्रा0 स्वा0 केन्द्र को स्पष्ट निर्देश प्रेषित किये जायें कि उपकेन्द्र का भौतिक निरीक्षण करके उपकेन्द्र के किराये की धनराशि मकान मालिक के खाते में जिसके साथ अनुबन्ध किया गया हो, में नियमानुसार स्थानान्तरित की जाय।
15. क्षेत्रीय उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने भ्रमण में किराये के भवन में संचालित उपकेन्द्रों का समय–समय पर सत्यापन किया जायेगा।
16. जनपद द्वारा सम्बन्धित विकास खण्ड को उपकेन्द्र की संख्या के आधार पर धनराशि अवमुक्त की जाय।
17. वर्ष 2021–22 की धनराशि का विगत वर्ष के उपकेन्द्र के किराये के लिये उपयोग न किया जाय।
18. जिन स्थानों पर उपकेन्द्र सरकारी भवन एवं अनुदानित भवन में संचालित हैं अथवा नवनिर्मित उपकेन्द्रों को विभाग द्वारा हैण्ड ओवर कर लिया गया है उन उपकेन्द्रों हेतु भवन के किराये का भुगतान न किया जाय।
19. किराये के भवन में संचालित उपकेन्द्र में ए.एन.एम. का पद रिक्त होने की स्थिति में सम्बन्धित अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा अन्य ए.एन.एम. को अतिरिक्त चार्ज सौंप कर आवश्यक गतिविधियों का सम्पादन किया जायेगा।
20. किराये के भवनों में संचालित उपकेन्द्रों के विषय में सुनिश्चित कर लें कि राज्य स्तर से उपकेन्द्र की स्थापना/संचालन का आदेश कार्यालय में उपलब्ध हो। यदि बिना किसी आदेश के उपकेन्द्र के किराये का भुगतान किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होगें।
21. वर्ष 2021–22 में किराये के भवनों में संचालित उपकेन्द्रों हेतु किये गये भुगतान की सूचना परिवार कल्याण महानिदेशालय व एस.पी.एम.यू.–एन.एच.एम. को उपलब्ध करायी जाय।

1.11 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर की स्थापना एवं संचालन

प्रदेश के समस्त जनपदों में जनसमुदाय को उनके घर के समीप गुणवत्तापरक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में सुदृढ़ीकृत किया जा रहा है। दिसम्बर 2022 तक प्रदेश के समस्त उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में सुदृढ़ीकृत किये जाने की योजना है। वर्ष 2021–22 की राज्य वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत 4000 उपकेन्द्रों, 500 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 50 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में संचालित किये जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है। जिसका जनपदवार विवरण निम्नवत है–

S.No.	District	HWC target for FY 2021-22		
		SC- HWC FY 21-22	PHC-HWC 2021-22	UPHC-HWC 2021-22
		4000	500	50
1	Agra	46	11	0
2	Aligarh	72	4	2
3	Allahabad	159	7	0
4	Ambedkar Nagar	15	4	0
5	Amethi	52	6	0
6	Amroha	51	6	1
7	Auraiya	44	5	0
8	Azamgarh	123	15	0
9	Baghpat	45	3	1
10	Bahraich	27	0	0
11	Ballia	28	19	0
12	Balrampur	18	0	0
13	Banda	76	11	0
14	Barabanki	114	1	0
15	Bareilly	91	12	0
16	Basti	45	10	0
17	Bijnor	81	11	4
18	Budaun	79	11	1
19	Bulandshar	46	14	0
20	Chandauli	8	0	0
21	Chitrakkoot	8	0	0
22	Deoria	80	7	1
23	Etah	45	8	0
24	Etawah	49	7	0
25	Faizabad	52	7	2
26	Farrukhabad	45	6	0
27	Fatehpur	0	0	0
28	Firozabad	46	13	2
29	G B Nagar	23	2	0
30	Ghaziabad	44	1	4
31	Ghazipur	48	12	1
32	Gonda	58	12	0
33	Gorakhpur	0	10	0
34	Hamirpur	52	8	0
35	Hapur	26	4	1
36	Hardoi	119	5	0
37	Hathras	4	5	0
38	Jalaun	65	6	1
39	Jaunpur	11	19	0
40	Jhansi	116	8	1
41	Kannauj	54	8	0
42	Kanpur Dehat	34	0	0

S.No.	District	HWC target for FY 2021-22		
		SC- HWC FY 21-22	PHC-HWC 2021-22	UPHC-HWC 2021-22
		4000	500	50
43	Kanpur Nagar	100	8	3
44	Kasganj	23	13	1
45	Kaushambi	47	4	0
46	Kushinagar	52	13	1
47	Lakhimpur Kheri	140	4	0
48	Lalitpur	54	4	0
49	Lucknow	52	4	1
50	Maharajganj	48	6	0
51	Mahoba	36	0	0
52	Mainpuri	41	21	0
53	Mathura	32	4	4
54	Mau	61	9	0
55	Meerut	36	1	3
56	Mirzapur	69	1	0
57	Moradabad	59	6	4
58	Muzaffarnagar	70	10	2
59	Pilibhit	49	6	0
60	Pratapgarh	80	13	0
61	Raebareli	120	13	0
62	Rampur	54	5	1
63	Saharanpur	56	9	2
64	Sambhal	29	0	0
65	Sant Kabir Nagar	49	2	0
66	Sant Ravidas Nagar	20	0	0
67	Shahjahanpur	75	9	3
68	Shamli	35	3	3
69	Shrawasti	15	1	0
70	Siddharth Nagar	6	1	0
71	Sitapur	104	15	0
72	Sonbhadra	0	0	0
73	Sultanpur	58	10	0
74	Unnao	66	3	0
75	Varanasi	65	4	0
		4000	500	50

1.11.1 उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ीकरण (FMR Code 5.1.1.2.8)

वर्ष 2021–22 की राज्य वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत 4000 उपकेन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में सुदृढ़ीकृत किये जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है। उक्त के क्रम में जनपदवार हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों के रूप में सुदृढ़ीकृत किये जाने वाले उपकेन्द्रों का निर्धारण किया गया है। जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1222 उपकेन्द्रों पर अतिरिक्त कक्ष हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसे उपकेन्द्र जहां भूमि उपलब्ध नहीं है वहां रू0 2.50 लाख प्रति उपकेन्द्र की दर से व 2778 उपकेन्द्र जहां अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है उन्हें प्रति उपकेन्द्र रू0 7.00 लाख की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है।

उपरोक्त धनराशि का उपयोग उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर अतिरिक्त कक्ष निर्माण, कक्ष में लैब कॉर्नर एवं कबर्ड, आवश्यक फर्नीचर, उपकरण, एक्सटर्नल एवं इन्टरनल ब्राण्डिंग हेतु किया जाना है। कक्ष का निर्माण, निर्माण हेतु जारी वित्तीय एवं अन्य दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुये किया जाना है। निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु आंगणन व मानचित्र पत्र के साथ संलग्न है। दिशा–निर्देश संख्या–एस.पी.एम.यू. / कम्यु.प्रो. / सीएच.डब्ल्यू.सी. / 2019–20 / 88 / 3413 दिनांक 24.09.2020 एवं एस.पी. एम.यू. / कम्यु.प्रो. / एच.डब्ल्यू.सी. / 2019–20 / 88 / 7837 दिनांक 9.03.2021 के अनुसार कार्य किया जायगा। इसके अतिरिक्त केन्द्र हेतु फर्नीचर 2 कुर्सी, 1 मेज, 1 अलमारी, रोगियों हेतु 4 कुर्सियॉ, 1 इग्जामिनेशन

टेबल, स्टूल आदि की व्यवस्था की जानी एवं केन्द्र हेतु आवश्यक उपकरण गैप एनालिसिस के अनुसार उपलब्ध कराया जाना है।

1.11.2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ीकरण (FMR Code 5.1.1.2.9)

वर्ष 2021–22 की राज्य वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत 500 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में सुदृढ़ीकृत किये जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है। उक्त के क्रम में जनपदवार हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों के रूप में सुदृढ़ीकृत किये जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक नवीन चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर की इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन्थनिंग एवं फैसिलिटी ब्राण्डिंग हेतु रू0 2.74 लाख आवंटित किये जा रहे हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की गैप एनालिसिस के अनुसार आवश्यक उपकरण/सामग्री का क्रय किया जायगा। इसके अतिरिक्त शेष धनराशि का उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में विद्युत व्यवस्था, इन्वर्टर, पेयजल, महिला व पुरूषों के लिए पृथक शौचालय, स्टोर हेतु आलमारी आदि की व्यवस्था में भी किया जा सकता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर में एक कक्ष को चिन्हित कर उसे वेलनेस रूम के रूप में विकसित किया जाना है। उक्त कक्ष में लाभार्थियों की काउन्सिलिंग, स्क्रीनिंग आदि का कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कक्ष में हेल्थ प्रमोशन से सम्बन्धित गतिविधियां जैसे योग आदि भी संपादित किये जाएंगे। इस हेतु आवश्यक फर्नीचर, उपकरण, योग हेतु चटाई आदि क्रय किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मरीजों के बैठने, विकलांगों के लिए रैम्प, चिकित्सालय परिसर में योग के लिए स्थान आदि भी विकसित किया जा सकता है।

1.11.3 आशा सी–बैक फार्म भरने एवं गैर संचारी रोगियों के फालोअप हेतु प्रतिपूर्ति राशि (FMR Code 3.1.1.4)

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर क्षेत्र के 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का सी–बैक फार्म भरने हेतु आशा प्रतिपूर्ति राशि प्रति फार्म रू0 10 की दर से कुल आवश्यक धनराशि का 50 प्रतिशत आवंटित किया जा रहा है। जिन आशाओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराये गये हैं उनके द्वारा प्रशिक्षणोपरान्त सी–बैक फॉर्म एप्लीकेशन पर भरे जाने पर ही रू0 10 प्रति फॉर्म की दर से धनराशि देय होगी। आशा को एक लाभार्थी के लिए उक्त इंसेन्टिव वर्ष में 1 बार ही देय होगा।

उक्त के अतिरिक्त क्षेत्र में गैर संचारी रोगों से ग्रसित रोगियों के फालोअप हेतु प्रति रोगी रू0 100 की दर से धनराशि का आवंटन किया जा रहा है। आशा द्वारा अपने क्षेत्र में चिन्हित डायबिटीज, हाइपरटेंशन एवं कैंसर के रोगियों का मासिक रूप से फॉलो–अप किया जायगा। रोगियों द्वारा 6 माह तक नियमित रूप से दवाइयां/उपचार प्राप्त किये जाने पर आशा को प्रति लाभार्थी रू0 50.00 की धनराशि देय होगी। अतः आशा को वर्ष में प्रति लाभार्थी रू0 100.00 तक की धनराशि 2 किश्तों में प्राप्त होगी।

1.11.4 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु असंम्बद्ध धनराशि (FMR Code 4.1.7)

इस वर्ष उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु रू0 30000.00 एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु रू0 50000.00 की अतिरिक्त असम्बद्व धनराशि आवंटित की गयी है ।

- उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु आवंटित अन्टाईड फण्ड के व्यय हेतु कार्ययोजना, कम्यूनिटी हेल्थ ऑफीसर के द्वारा ए0एन0एम0 के सहयोग से तैयार की जायेगी। उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु उपलब्ध करायी गयी असम्बद्व धनराशि के उपयोग हेतु कार्ययोजना सम्बन्धित जन आरोग्य समिति की बैठक में प्रस्तुत की जायेगी एवं तदानुसार व्यय की जायगी। जन आरोग्य समिति के गठन एवं संचालन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं। जब तक जन आरोग्य समिति का गठन नहीं किया जाता है, उक्त धनराशि का उपयोग पूर्व की भांति सम्बन्धित उपकेन्द्र की ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के द्वारा किया जायगा।
- उपकेन्द्रों को सुदृढ़ीकृत कर हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में परिवर्तित उपकेन्द्रों में जन आरोग्य समिति का गठन किया जाना है। उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर जन आरोग्य समिति के गठन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगें।
- उपकेन्द्र स्तरीय जन आरोग्य समिति के लिये असम्बद्व धनराशि का वित्तीय प्रबन्धन, बैंक खाता का संचालन पूर्व से खुले खाते में ही ग्राम प्रधान/अध्यक्ष (जिस ग्राम पंचायत में हेल्थ एण्ड वेलनेस

सेन्टर स्थित है) एवं सम्बन्धित कम्यूनिटी हेल्थ ऑफीसर/सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। उपकेन्द्र स्तरीय जन आरोग्य समिति के लिये नवीन बैंक खाता नहीं खोला जायेगा।

- उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु अतिरिक्त असम्बद्ध धनराशि (रू0 30,000.00 प्रति उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर) का आवंटन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु प्रेषित दिशा–निर्देशों के माध्यम से जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित किया जा चुका है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु आवंटित अन्टाईड फण्ड के व्यय हेतु कार्ययोजना, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) के द्वारा सम्बन्धित स्टाफ नर्स/फार्मासिस्ट/एलटी के सहयोग से तैयार की जायेगी एवं इसे हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर सम्बन्धित जन आरोग्य समिति की बैठक में प्रस्तुत की जायेगी एवं तदानुसार व्यय की जायगी। जनआरोग्य समिति के गठन एवं संचालन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं। जब तक जन आरोग्य समिति का गठन नहीं किया जाता है, उक्त धनराशि का उपयोग पूर्व की भांति सम्बन्धित ब्लॉक चिकित्सा इकाई में संचालित रोगी कल्याण समिति द्वारा किया जायगा।

1.11.5 उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु कम्युनिकेशन कॉस्ट (FMR Code 16.1.3.4.5)

वर्तमान में संचालित उपकेंद्र स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों हेतु 12 माह के लिए रू0 5000.00 एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में संचालित होने वाले हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों हेतु संचालन के माह के अनुसार रू0 3750.00 एवं कम्युनिकेशन कॉस्ट के लिय रू0 2500.00 प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर आवंटित किये गये है। यदि जनपद स्तर से नेटवर्क की व्यवस्था नहीं की जाती है ऐसी स्थिति में ए0एन0एम0 तथा सी0एच0ओ0 के टैबलेट हेतु कम्युनिकेशन कॉस्ट के रूप में वास्तविक व्यय बिल के आधार पर प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु अधिकतम कुल धनराशि रू0 200.00 प्रतिमाह प्रति ए0एन0एम0/सी0एच0ओ0 की दर से रिम्बर्स किया जाएगा ।

1.11.6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु कम्युनिकेशन कॉस्ट (FMR Code 6.1.2.6)

समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु रू0 5000.00 प्रतिवर्ष की दर से कम्युनिकेशन कास्ट के लिए धनराशि आवंटित की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2021–22 में अनुमोदित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों हेतु रू0 60,000.00 की दर से कंप्यूटर/लैपटॉप तथा एक टैबलेट हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है। उक्त कम्प्यूटर/लैपटॉप का उपयोग चिकित्सा अधिकारी द्वारा एवं टैबलेट का उपयोग स्टाफ नर्स (एम0एच0–सी पी) द्वारा किया जायेगा।

उपकेन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के कम्युनिकेशन कॉस्ट के उपयोग के लिये जनपद स्तर पर हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर की संख्या के आधार पर वित्तीय नियमों एवं नेटवर्क की उपलब्धता के आधार पर सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जायेगा एवं सभी हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर इण्टरनेट उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके माध्यम से प्रतिदिन रिपोर्टिंग, मासिक रिपोर्टिंग, टेलीमेडिसिन आदि का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके।

1.11.7 लैब रिकरिंग कॉस्ट (FMR Code 6.2.2.6)

वर्तमान में संचालित उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर को रू0 30000 प्रतिवर्ष की दर से एवं वर्ष 2021–22 में संचालित होने वाले उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर को संचालन के माह के अनुसार रू0 2500.00 प्रतिमाह की दर से क्रमशः रू0 22500.00 एवं रू0 15000.00 प्रतिवर्ष की दर से लैब रिकरिंग कॉस्ट हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है। प्रदेश के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों हेतु रू0 30000.00 प्रतिवर्ष की दर से लैब रिकरिंग कॉस्ट हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है।

इस धनराशि से उपरोक्त जॉचों हेतु आवश्यक रीएजेण्ट/उपकरणों, उपकरणों की मरम्मत आदि की व्यवस्था की जायेगी।

1.11.7.1 लैब सुदृढ़ीकरण कॉस्ट (FMR Code 6.2.2.6) – वर्ष 21–22 में अनुमोदित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों रू0 1.00 लाख की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। उक्त धनराशि डायग्नोसिस सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपकरणों का क्रय करने में किया जा सकता है एवं गैप एनालिसिस के अनुसार लैब की मरम्मत एवं अन्य आवश्यक फर्नीचर की व्यवस्था की जा सकती है।

1.11.8 स्टाफ नर्स–एम0एच0सी0पी0 मानदेय (एफएमआर कोड संख्या–8.1.1.2) : जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर जनपद में कार्यरत स्टाफ नर्स–एम0एच0सी0पी0 के योगदान तिथि के अनुसार वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं लायल्टी बोनस को सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार मानदेय देय होगा।

तैनाती की तिथि	मानदेय प्रतिमाह रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
1 अप्रैल 2021 या उसके पश्चात	20500
1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	21525*
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	22601**
1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक	25991**

* जिन स्टाफ नर्स–एम0एच0सी0पी0 के संतोषप्रद कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हो चुका हो उन्हें 1 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से प्रथम वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगी।

**जिन स्टाफ नर्स–एम0एच0सी0पी0 के वित्तीय वर्ष 2021–22 में संतोषप्रद कार्यकाल 2, 3 वर्ष पूर्ण हो चुका हो उन्हें माह अप्रैल से वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगी। जिन स्टाफ नर्स–एम0एच0सी0पी0 के संतोषप्रद कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें 10 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस मानव संसाधन अनुभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार देय होगा। इस हेतु एफ0एम0आर0 कोड 8.2 के अन्तर्गत धनराशि आवंटित की जा रही है।

1.11.9 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर मानदेय (एफएमआर कोड संख्या–8.1.12.1):–जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर जनपद में कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के कार्यावधि के आधार पर उनको देने वाले मानदेय की गणना करते हुए तदनुसार जनपदवार धनराशि का आवंटन किया गया है।

तैनाती की तिथि	मानदेय प्रतिमाह रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
1 अप्रैल 2021 या उसके पश्चात	20500
1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	21525*
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	22601**
1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक	25358**
1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक	26626**

* जिन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के संतोषप्रद कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हो चुका हो उन्हें 1 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से प्रथम वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगी।

**जिन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के संतोषप्रद कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2021–22 में 2, 3 अथवा 4 वर्ष पूर्ण हो चुका हो उन्हें माह अप्रैल से उपरोक्त तालिकानुसार मानदेय देय होगा।

- जिन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के संतोषप्रद कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें 10 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस, मानव संसाधन अनुभाग द्वारा लॉयल्टी बोनस के दिशानिर्देशों के अनुसार देय होगा। वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं लॉयल्टी बोनस हेतु एफ0एम0आर0 कोड 8.2 के अन्तर्गत धनराशि आवंटित की जा रही है।
- कम्यूनिटी हेल्थ ऑफीसर के लिए योगदान तिथि वह तारीख मानी जायेगी जिस तिथि को सफलतापूर्वक सी0सी0एच0एन0 प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात जनपद में योगदान दिया गया है।

1.11.10 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर असिस्टेंट (FMR Code-8.1.1.12, 8.2 & 8.3) जनपद श्रावस्ती में कार्यरत 17 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर अस्सिटेण्ट के मानदेय, वार्षिक वेतन वृद्धि, लॉयल्टी व ई.पी.एफ. का आवंटन के अनुरूप किया जा रहा है। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर अस्सिटेण्ट का मानदेय निम्न तालिका अनुसार निर्धारित होगा–

तैनाती	मानदेय प्रतिमाह रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
वर्ष 2017–18	19970.00

नोट–जिन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर अस्सिटेण्ट के संतोषप्रद कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2021–22 में 4 वर्ष पूर्ण हो चुका हो उन्हें माह अप्रैल, 2021 से उपरोक्त तालिकानुसार मानदेय देय होगा।

1.11.11 कार्य आधारित प्रोत्साहन धनराशि एवं टीम बेस्ड इन्सेन्टिव

कम्युनिटी हेल्थ ऑफीसर को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि (FMR Code-8.1.12.2), उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर से सम्बद्ध आशा एवं ए0एन0एम0 हेतु टीम बेस्ड प्रोत्साहन राशि (FMR Code-8.4.9)

एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर से सम्बद्ध मुख्य उपकेन्द्र की आशा एवं ए.एन.एम. हेतु टीम बेस्ड प्रोत्साहन राशि (FMR Code-8.4.10) से प्रदान की जानी है। कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि/टीम बेस्ड प्रोत्साहन राशि का वितरण अधिकतम निम्न सीमा तक किया जायेगा –

- रू 15000.00 प्रतिमाह कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर हेतु
- रू 1500.00 प्रतिमाह प्रति ए.एन.एम./एम0पी0डब्ल्यू महिला (अधिकतम रू0 3000–2 ए0एन0एम0 अथवा 1 ए0एन0एम0 एवं 1 पुरूष कार्यकर्ता/एम0पी0डब्ल्यू पुरूष हेतु)
- रू 1000.00 प्रति आशा प्रतिमाह

1.11.12 कार्य आधारित प्रोत्साहन तथा टीम बेस्ड इन्सेन्टिव हेतु मानकः–

कार्य की सुगमता के दृष्टिगत, प्रत्येक निम्न वर्णित सूचकांको हेतु एक समान प्रोत्साहन धनराशि का आवंटन किया गया है। अतः कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को रू0 1000.00 प्रति सूचकांक की दर से 15 निर्धारित सूचकांकों हेतु अधिकतम रू 15000.00 प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जा सकता है। इसी प्रकार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्रियों (ए.एन.एम.) हेतु प्रति कार्यकर्त्री अधिकतम रू0 1500.00 प्रतिमाह एवं प्रति आशा हेतु रू 1000.00 प्रतिमाह की धनराशि सी0एच0ओ0 को प्राप्त प्रोत्साहन राशि के सापेक्ष अनुमन्य होगी।

तालिका– हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर (उपकेन्द्र) पर कार्य आधारित प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करने हेतु सूचकांक :

क्र0	सूचकांक	परिभाषा	सत्यापन स्रोत	प्रदान सेवाओं की उपलब्धि आंकलन 75 प्रतिशत भुगतान हेतु	प्रदान सेवाओं की उपलब्धि आंकलन 100 प्रतिशत भुगतान हेतु
1	बाह्य रोगियों की संख्या	बाह्य रोगियों की कुल संख्या, नवीन रोगियों सहित	एन0सी0डी0 एप्लीकेशन	न्यूनतम 300 बाह्य रोगियों प्रतिमाह	400 बाह्य रोगियों प्रतिमाह
2	अनुमानित गर्भवती महिलाओं के सापेक्ष पंजीकरण	पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या/ अनुमानित गर्भवती महिलाओं की संख्या	आर.सी.एच. पोर्टल/ उपकेन्द्र पंजिका	न्यूनतम 60 प्रतिशत अनुमानित गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण	न्यूनतम 80 प्रतिशत अनुमानित गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण
3	गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जिनको प्रसव पूर्व सेवाये प्रदान की गयीं	सारणीनुसार गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनको प्रसव पूर्व सेवाये प्रदान की गयीं/ कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या	आर.सी.एच. पोर्टल/ उपकेन्द्र पंजिका	न्यूनतम 80 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं जिन्हे सारणीनुसार प्रसव पूर्व सेवाये प्रदान की गयीं	100 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं जिन्हें सारणीनुसार प्रसव पूर्व सेवाये प्रदान की गयीं
4	2 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की संख्या जिनको प्रतिरक्षित किया गया	सारणीनुसार बच्चों की संख्या जिनको प्रतिरक्षित किया गया / कुल पंजीकृत गर्भवती बच्चों की संख्या सख्या जो सन्दर्भित माह में योग्य थे	आर.सी.एच. पोर्टल/ उपकेन्द्र पंजिका	न्यूनतम 90 प्रतिशत बच्चे जिन्हे सारणीनुसार प्रतिरक्षित किया गया	100 प्रतिशत बच्चे जिन्हे सारणीनुसार प्रतिरक्षित किया गया
5	उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनका फॉलोअप किया गया	कुल उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनका फॉलोअप किया गया /कुल पंजीकृत उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की संख्या	आर.सी.एच. पोर्टल/ उपकेन्द्र पंजिका	100 प्रतिशत उच्च जोखिम गर्भवती महिलाये जिनका फॉलोअप किया गया	

6	बच्चों का प्रतिशत जिनको गृह आधारित नवजात देखभाल के अर्न्तगत भ्रमण किया गया	बच्चों की संख्या जिनको सारणीनुसार गृह आधारित नवजात देखभाल के अर्न्तगत भ्रमण किया गया/ कुल नवजातों की संख्या	आर.सी.एच. पोर्टल/ उपकेन्द्र पंजिका	80 प्रतिशत नवजात जिनको सारणीनुसार गृह आधारित नवजात देखभाल के अर्न्तगत भ्रमण किया गया	100 प्रतिशत नवजात जिनको सारणीनुसार गृह आधारित नवजात देखभाल के अर्न्तगत भ्रमण किया गया
7	30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत जिनको उच्च रक्तचाप हेतु जॉचा गया	30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या जिनको उच्च रक्तचाप हेतु जॉचा गया/ कुल 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या	एन0सी0डी0 ऐप्लीकेशन	8 प्रतिशत संचयी मासिक बृद्धि– 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जिन्हे उच्च रक्तचाप हेतु जॉचा गया एवं प्रत्येक वर्ष पुनः जॉचा जाये	
8	30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत जिनको मधुमेह हेतु जॉचा गया	30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या जिनको मधुमेह हेतु जॉचा गया/ कुल 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या	एन0सी0डी0 एप्लीकेशन	8 प्रतिशत संचयी मासिक बृद्धि– 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जिन्हे मधुमेय हेतु जॉचा गया एवं प्रत्येक वर्ष पुनः जॉचा जाये	
9	उपचारित किये जा रहे उच्चरक्तचाप रोगियों का प्रतिशत	उपचारित किये जा रहे उच्चरक्तचाप रोगियों की संख्या/ कुल उच्चरक्तचाप रोगियों की संख्या	एन0सी0डी0 ऐप्लीकेशन	30 प्रतिशत रोगियों कर संख्या, जिन्हे उपचारित किया जा रहा है	50 प्रतिशत रोगियों कर संख्या, जिन्हे उपचारित किया जा रहा है
10	उपचारित किये जा रहे मधूमेय रोगियों का प्रतिशत	उपचारित किये जा रहे मधूमेय रोगियों की संख्या/ कुल मधूमेय रोगियों की संख्या	एन0सी0डी0 ऐप्लीकेशन	30 प्रतिशत रोगियों कर संख्या, जिन्हे उपचारित किया जा रहा है	50 प्रतिशत रोगियों कर संख्या, जिन्हे उपचारित किया जा रहा है
11	क्षय रोग की जॉच हेतु सन्दर्भित व्यक्तियों का प्रतिशत	क्षय रोग की जॉच हेतु सन्दर्भित व्यक्तियों की संख्या/माह में देखे गये बाह्य रोगियों की संख्या	निःक्षय/ हैल्थ एंड वैलनैस सेन्टर अभिलेख	न्युनतम 3 प्रतिशत सम्भावित बाह्य रोगियों का सर्न्दभन	
12	क्षय रोगी जिनको उपचार प्राटोकॉल के अनुसार किया जा रहा है	क्षय रोगियों की संख्या जिनको उपचार प्राटोकॉल के अनुसार किया जा रहा है/ कुल क्षय रोगियों की संख्या	निःक्षय/ उपचार कार्ड	100 प्रतिशत रोगियो का उपचार प्राटोकॉल के अनुसार	
13	ग्राम स्वाथ्य एवं पोषण दिवसो का नियोजन के सापेक्ष आयेजन	आयोजित ग्राम स्वाथ्य एवं पोषण दिवसो की संख्या/ नियोजन ग्राम स्वाथ्य एवं पोषण दिवसो की संख्या		आशओं एवं ए.एन.एम. द्वारा ग्राम स्वाथ्य एवं पोषण दिवसों का आयोजन/ व्यवस्था करेगें	
14	ग्राम स्वाथ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक	आयोजित ग्राम स्वाथ्य एवं पोषण समिति की बैठकों की संख्या/ नियोजन ग्राम स्वाथ्य एवं पोषण समिति की बैठकों की संख्या		आशओं एवं ए.एन.एम. द्वारा ग्राम स्वाथ्य एवं पोषण समिति की बैठक का आयोजन/ व्यवस्था करेगें	
15	हैल्थ एंड वैलनैस सेन्टर– उपकेन्द्र पर मासिक बैठक	प्रथम पंक्ति कार्यकर्ताओं के साथ मासिक बैठक		आशओं एवं ए.एन.एम. द्वारा माह में एक मासिक बैठक में प्रतिभाग किया जाये	

1.11.13 प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु प्रदान सेवाओं का आंकलन–उपरोक्त सूचकांको में से 8 सूचकांको में अनुमन्य धनराशि का 75 प्रतिशत या 100 प्रतिशत दिये जाने का प्राविधान किया गया है एवं शेष 7 सूचकांको में गतिविधि पूर्ण रूप से सम्पन्न किये जाने पर 100 प्रतिशत अनुमन्य धनराशि देय होगी।

उदाहरणार्थ–

क्र0	सूचकांक	परिभाषा	सत्यापन स्रोत	प्रदान सेवाओं की उपलब्धि ऑकलन 75 प्रतिशत भुगतान हेतु	प्रदान सेवाओं की उपलब्धि ऑकलन 100 प्रतिशत भुगतान हेतु	अधिकतम् प्रोत्साहन राशि भुगतान प्रत्येक कार्यकर्ता हेतु 75 प्रतिशत उपलब्धि पर	अधिकतम् प्रोत्साहन राशि भुगतान प्रत्येक कार्यकर्ता हेतु 100 प्रतिशत उपलब्धि पर
1	बाह्य रोगियों की संख्या	बाह्य रोगियों की कुल संख्या, नवीन रोगियों सहित	एन0सी0डी0 एप्लीकेशन	न्यूनतम 300 बाह्य रोगियों प्रतिमाह	400 बाह्य रोगियों प्रतिमाह	सी.एच.ओ–रू0 750 ए.एन.एम.–रू0 75 आशा– 50	सी.एच.ओ.–रू0 1000.00 ए.एन.एम.– रू0 100.00 आशा–66.6

उपरोक्त उदाहरण में यदि हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर में बाह्य रोगियों की संख्या 300–399 के बीच है तो सम्बन्धित सी0एच0ओ0 को रू0 750.00 ए0एन0एम0 को रू0 75.00 एवं आशा को रू0 50.00 देय होगा। यदि बाह्य रोगियों की संख्या 400 या अधिक है तो सम्बन्धित सी0एच0ओ0 को रू0 1000.00 ए0एन0एम0 को रू0 100.00 एवं आशा को रू0 66.00 देय होगा। 300 से कम बाह्य रोगी होने की दशा में उक्त सूचकांक हेतु कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाएगी।

इस प्रकार यदि उपरोक्त 15 सूचकांकों के सापेक्ष कार्य के आधार पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफीसर को किसी माह में रू0 12000.00 (कुल धनराशि का 80 प्रतिशत) प्रदान किया जाता है तो सम्बन्धित सभी आशाओं को अनुमन्य धनराशि (रू0 1000.00) का 80 प्रतिशत, रू0 800.00 एवं ए0एन0एम0 को अनुमन्य धनराशि (रू0 1500.00) का 80 प्रतिशत, रू0 1200.00 देय होगा।

प्रक्रिया–

- प्रभारी चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिसके क्षेत्राधिकार में वह हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर आता है, के द्वारा कार्य आधारित प्रोत्साहन धनराशि हेतु मूल्यांकन किया जायेगा। यदि किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्साधिकरी तैनात नहीं है तो उस परिस्थिति में मूल्यांकन ब्लॉक स्तरीय अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जो उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से लिंक्ड हैं, वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी द्वितीय अथवा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया जायगा।
- कार्य आधारित प्रोत्साहन धनराशि के भुगतान हेतु आई0टी सॉल्यूशन विकसित किया जा रहा है जिसके दिशा निर्देश पृथक से निर्गत किये जाएगें।
- सी0एच0ओ0 द्वारा माह की 21–20 तारीख के मध्य किये गये कार्यों की सूचना माह की 25 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी को प्रेषित की जाएगी (जब तक कम्प्रेहेन्सिव प्राइमरी हेल्थ केयर हेतु विकसित एप्लीकेशन का संचालन आरम्भ न हो जाए)। प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा कार्यों का सत्यापन करने के पश्चात संकलित सूचना सी0एच0सी0/बी0पी0एच0सी0 के प्रभारी अधिकारी को माह की 28 तारीख तक प्रेषित कर दी जाएगी। तदानुसार ब्लॉक स्तर से कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
- यह सुनिश्चित किया जाये कि सी.एच.ओ/ए.एन.एम. ने एन0सी0डी0/अनमोल एप्लीकेशन में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यदि किसी कारणवश एन0सी0डी0 एप्लीकेशन प्रयुक्त नहीं हो रहा है तो उस परिस्थिति में ओ.पी.डी. पंजिका पर अभिलेखीकरण किया जाये।
- प्रभारी चिकित्साधिकारी प्रा0स्वा0केन्द्र, प्रत्येक माह केन्द्र का भ्रमण कर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रदान कर गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर आवश्यक औषधि एवं कन्ज़्यूमेबिल्स की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित कराएगें।

1.11.14 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आरोग्य केन्द्र (मुख्य उपकेन्द्र) के अर्न्तगत कार्यरत आशाओं एवं ए0एन0एम0 टीम बेस्ड इंसेन्टिव FMR Code 8.4.10– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आरोग्य केन्द्र (मुख्य उपकेन्द्र) पर कार्यरत आशाओं को प्रदान की जाएगी। इस हेतु दिशा–निर्देश निम्न वर्णित उपकेन्द्र स्तरीय आरोग्य केन्द्र पर कार्यरत आशाओं को प्रदान की जाने कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि के समान है। गतिविधि हेतु रू0 8000/केन्द्र (रू 1000 प्रति आशा) की दर से आवंटित की गई है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आरोग्य केन्द्र (मुख्य उपकेन्द्र) पर सी.एच.ओ. की तैनाती नहीं होने के कारण कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि के सूचकांक सं. 1,7,8,9 एवं 10 से संबंधित सेवाये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अभिलेख उक्त के सत्यापन हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के संबंधित अभिलेख प्रयुक्त किये जायें।

- ए.एन.एम. हेतु कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि FMR Code 8.4.10– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आरोग्य केन्द्र (मुख्य उपकेन्द्र) की ए.एन.एम को – उपकेन्द्र स्तरीय आरोग्य केन्द्र पर कार्यरत ए.एन.एम को प्राप्त कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार वितरित की जायेगी। रू 1500 प्रतिमाह प्रति ए.एन.एम. / एम0पी0डब्ल्यू महिला (अधिकतम रू0 3000– 2 ए0एन0एम0 अथवा 1 ए0एन0एम0 एवं 1 पुरूष कार्यकर्ता / एम0पी0डब्ल्यू पुरूष हेतु)
- ए.एन.एम. व आशाओं को यह प्रतिपूर्ति राशि एक दूसरे के सापेक्ष प्राप्त होगी, अर्थात किसी भी सूचकांक पर प्राप्त धनराशि समान होगी यथा यदि सूचकांक 1 पर ए.एन.एम. 75 प्रतिशत उपलब्धि के सापेक्ष रू 75.00 प्रदान किया जाता है, तो संबधित समस्त आशाओं को सूचकांक 1 पर 75 प्रतिशत उपलब्धि के सापेक्ष रू 50.00 प्रदान किया जायेगा।

1.11.15 योग शिविर का आयोजन (FMR Code 9.5.27.4) गत वर्ष इस मद में व्यय की दृष्टिगत वर्तमान में संचालित उपकेंद्र स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों एवं समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों हेतु रु० 250.00 प्रति सत्र की दर से माह में 10 सत्रों हेतु आवश्यक धनराशि का 10 प्रतिशत आवंटित किया जा रहा है शेष धनराशि राज्य स्तर पर उपलब्ध रहेगी एवं आवश्यकतानुसार जनपदों को उपलब्ध करायी जा सकेगी।

प्रशिक्षण योग अनुदेशक (लेवल 1 योग प्रशिक्षक) अथवा योग शिक्षक (लेवल 2 योग प्रशिक्षक) जिन्हें योग सर्टिफिकेशन बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गयी हो के द्वारा ही किया जाएगा। इस हेतु आयुष मंत्रालय द्वारा प्रेषित प्रशिक्षकों की सूची पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।

1.11.16 उपकेन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु आई0ई0सी0 (FMR Code 11.24.1) उपकेन्द्र स्तरीय 11774 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु रू0 25,000.00 प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की दर से व 2486 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु रू0 50,000.00 प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की दर से धनराशि जनपदों को आवंटित की जा रही है। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

1.11.17 जन आरोग्य समिति / हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर रजिस्टर (FMR Code 12.6.1) प्रदेश में संचालित समस्त हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों (उपकेन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय) हेतु जन आरोग्य समिति / हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर रजिस्टर के मुद्रण हेतु रू0 200.00 प्रति रजिस्टर की दर से धनराशि जनपदों को आवंटित की जा रही है। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

1.11.18 फैमिली फोल्डर एवं सी बैक फॉर्म का मुद्रण (FMR Code 12.7.3):

समस्त उपकेन्द्र स्तरीय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर से सम्बंधित कार्यक्षेत्र के अनुसार जनपद स्तर पर फैमिली फोल्डर एवं सी बैक फॉर्म का मुद्रण भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर किया जाएगा

मुद्रण हेतु मानक एवं दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैः–

फैमिली फोल्डर एवं सी बैक फॉर्म के मुद्रण हेतु मानकः प्रदेश के प्रति केन्द्र द्वारा लगभग 8000 की जनसंख्या को सेवा प्रदान की जाती है एवं जनसंख्या का लगभग 37 प्रतिशत भाग 30 वर्ष से अधिक के आयु की स्त्रियों एवं पुरुषों का होता है। उक्त के दृष्टिगत निम्न तालिकानुसार मुद्रण कराना सुनिश्चित किया जाएः

S. No	Item Name	Specifications	Estimated Quantity per Sub Centre
1	Family Folder	4 Colour Offset Printing. Dye cut Folder (300 gsm, FRC), Size 484 mm X 450 mm including pocket	1143 (8000/7)
2	Consent Form	4 Colour Offset Printing. Single Side (170 gsm Lucky Print) Size 220 mm X 317 mm	2960 (8000 X 37%)
3	CBAC Form		
4	Individual Health Card		

उपरोक्तानुसार मुद्रण हेतु रु० 10.00 प्रति फैमिली फोल्डर की दर से धनराशि जनपदों को आवंटित की जा रही है। उक्त मुद्रण समस्त वित्तीय एवं क्रय नियमों तथा ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाईनेन्शिअल मैनेजमेंट में दिए गए दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किये जाएंगे। फैमिली फोल्डर एवं सीबैक फार्म हेतु आवश्यक धनराशि जनपदों को आवंटित की जा रही है। सी–बैक फार्म का नवीन प्रारूप पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

1.11.19 टी0ए0/डी0ए0 HWC Staff (FMR Code 16.1.3.3.3) वर्तमान में संचालित उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों एवं समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों हेतु 12 माह के लिए एवं वित्तीय वर्ष में संचालित होने वाले हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों हेतु संचालन के माह के अनुसार रू0 500.00 प्रति माह प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर आवंटित किये गये है, जिसका उपयोग सी0एच0ओ0 के द्वारा किये गए वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाएगा ।

1.11.20 आशा एवं आशा संगिनी हेतु कम्युनिकेशन कॉस्ट (FMR Code 17.8) हेल्थ एंड वैलनेस सेन्टर से सम्बद्ध 10377 आशाओं जिनको स्मार्टफोन वितरित किये गए हैं, एवं समस्त आशा संगिनी हेतु कम्युनिकेशन कॉस्ट 12 माह हेतु एवं वर्तमान में क्रयाधीन 74871 स्मार्ट फोन हेतु 9 माह के लिए रु० 200.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। आशा/आशा संगिनियों द्वारा स्वयं अपने पहचान पत्र से सिम कार्ड लिया जायगा एवं प्रतिमाह टॉप–अप कराया जायगा। आशा संगिनियां द्वारा मासिक रूप से अपने बाउचर में रू0 200.00 भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाय एवं नियमित रूप से इस मद में भुगतान किया जाय। यदि कोई आशा संगिनी किसी माह में रिचार्ज नहीं कराती है तो उसे इस मद में कोई धनराशि नहीं देय होगी। जनपद द्वारा समस्त आशा संगिनियों हेतु समेकित रूप जनपद/ब्लॉक पर निर्धारित किये गये वेण्डर के माध्यम से वित्तीय नियमों को ध्यान में रखते हुए डेटा पैक रिचार्ज कराया जा सकता है। जिसकी अधिकतम सीमा रू0 200/– प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए ऐसी दशा में आशा एवं आशा संगिनियों को इस मद में कोई धनराशि देय नहीं होगी ।

1.12 ECHO प्लेटफार्म (FMR Code 18.2.3)

जन समुदाय को उनके घर के समीप व्यापक एवं गुणवत्तापरक् प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की स्थापना की गयी है। इन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों का क्षमतावर्धन ईको इंडिया के सहयोग से किया जा रहा है।

भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार इन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर तैनात समस्त चिकित्सा अधिकारी एवं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का प्राथमिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर नियमित अभिमुखीकरण किया जाना है, जिससे विषय विशेषज्ञों द्वारा सेवा प्रदाताओं को नवीनतम जानकारियां एवं दिशा–निर्देशों से अवगत कराया जा सके। उक्त अभिमुखीकरण हेतु ईको इंडिया द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। ईको इंडिया (Extension for Community Health Outcome) एक गैर–लाभकारी संस्था है। संस्था का मुख्य उद्देश्य अल्पसेवित समुदायों को स्वास्थ्य सम्बन्धी लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से सेवा प्रदाताओं की क्षमता वृद्वि करना एवं जनसमुदाय का इन सेवाओं तक पहुँच बढ़ाना है। इस क्रम में ईको इंडिया द्वारा 20 से अधिक क्षेत्रों पर विशेष प्रयास किया जा रहा है। इनमें कैंसर की जांच, उपशामक देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य, यकृत रोग, तपेदिक आदि क्षेत्र शामिल हैं।

प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेजों में ईको इंडिया के सहयोग से ECHO Platform स्थापित (के0जी0एम0यू0 बी0एच0यू0 मेडिकल कॉलेज–वाराणसी, राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, लाला लाजपत राज मेडिकल कॉलेज मेरठ) किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा 18 मण्डल स्तरीय जनपदों में ECHO Platform की स्थापना हेतु सहयोग प्रदान किया जा रहा है। 18 मण्डल स्तरीय जनपदों में ECHO Platform की स्थापना एवं संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश कार्यालय के पत्रांक एस0पी0एम0यू0/कम्यु0प्रो0/ECHO Platform/2020–21 /110 TC–1/7674 दिनांक 03.03.2020 द्वारा प्रेषित किये गये थे।

वर्ष 2021–22 की अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना के एफएमआर कोड संख्या–18.2.3 में प्रदेश के 5 चिकित्सा महाविद्यालयों एवं 18 मण्डलीय जनपदों में ECHO Platform का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

1.12.1 ECHO HUB का संचालन

- कार्यक्रम के सुगम संचालन हेतु प्रत्येक हब को 4–5 जनपदों के साथ जोड़ा गया है। इन जनपदों में क्रियाशील हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों में तैनात चिकित्साधिकारियों, सी0एच0ओ0 एवं अन्य कर्मियों का क्षमतावर्द्धन सम्बन्धित हब से किया जाएगा ।
- प्रत्येक इको हब के माध्यम से माह **में** दो बार हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर तैनात चिकित्साधिकरियों का एवं दो बार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरों का स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा अभिमुखीकरण किया जायेगा।
- संचालन से पूर्व प्रत्येक इको हब में आवश्यक उपकरणों यथा कम्प्यूटर, माइक्रोफोन, कैमरा, प्रोजेक्टर आदि की क्रियाशीलता अवश्यक सुनिश्चित की जाये। साथ ही इन केन्द्रों में कम से कम 2 Mbps इण्टरनेट की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- अभिमुखीकरण हेतु विषय विशेषज्ञों का चुनाव एवं उनकी उपलब्धता कम से कम एक सप्ताह पूर्व सुनिश्चित कर ली जाये। विषय विशेषज्ञों का चुनाव राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्साधिकारियों, जनपद में स्थापित चिकित्सा महाविद्यालयो के विशेषज्ञ अथवा गैर सरकारी विशेषज्ञ सेवा प्रदाओं का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
- हब के साथ संम्बद्व चिकित्साधिकारियों एवं कम्यूनिटी हेल्थ ऑफीसर का रोस्टर इस प्रकार बनाया जाये कि प्रत्येक बैच में न्यूनतम 50 प्रतिभागी अवश्य प्रतिभाग करें।
- कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु प्रत्येक रोस्टर/बैच के प्रतिभागियों सोशल मीडिया समूह बनाया जाये, जिससे उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित हो साथ ही प्रतिभागियों की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। वर्तमान में क्रियाशील हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर तैनात चिकित्साधिकरियों एवं कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसरों की सूची पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।
- ईको इंडिया द्वारा Zoom Platform के सॉफ्टवेयर की व्यवस्था सुनिश्चित की जायगी एवं सत्र अयोजन स्थल हेतु डिजिटल बैनर उपलब्ध कराया जायेगा।
- प्रत्येक ईको हब से सम्बन्धित अधिकारियों का ईको इण्डिया द्वारा प्रारम्भिक प्रशिक्षण कराया जायगा जिसकी सूचना पृथक से प्रेषित की जायगी।
- समस्त प्रतिभागियों से अभिमुखीकरण से कम से कम एक दिन पूर्व सम्पर्क कर उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाये। हब द्वारा अभिमुखीकरण हेतु उपलब्ध कराये गये जूम लाइसेंस से लिंक, मीटिंग कोड एवं आई0डी0 समस्त प्रतिभागियों को उपलब्ध करा दी जाय।
- अभिमुखीकरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि समस्त प्रतिभागियों द्वारा Google Play store से Zoom Platform डाउनलोड कर लिया गया है। प्रतिभागियों द्वारा अपना नाम, पदनाम एवं जिले का नाम Zoom Platform पर अंकित किया जाना आवश्यक है। उदाहरणार्थ– डा0 परमेश, एम0ओ0, पी0एच0सी0 सॉंड़ी–हरदोई।
- प्रत्येक प्रस्तुतीकरण के निम्न 05 भाग होंगे–
    - प्रस्तावना/भूमिका
    - विषय विशेषज्ञ द्वारा अभिमुखीकरण
    - केस प्रस्तुतिकरण
    - विचार विमर्श
    - प्रश्न उत्तर
- अभिमुखीकरण के उपरान्त प्रतिभागियों की सूची Excel Sheet पर Download कर upnhmecho@gmail.com, myadav@echoindia.in पर प्रेषित की जायेगी।
- इस प्लेटफार्म का उपयोग हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर में तैनात चिकित्साधिकारियों, सी0एच0ओ0 एवं अन्य कर्मियों का क्षमतावर्द्धन किये जाने के अतिरिक्त स्वास्थ्य सम्बन्धी समीक्षा बैठकों आदि के आयोजन हेतु किया जा सकता है। जूम लाइसेंस का **राजकीय कार्यों के अतिरिक्त व्यक्तिगत उपयोग नहीं किया जाये।** प्रत्येक ईको प्लेटफॉर्म हेतु ईको संस्था द्वारा जूम लाइसेंस उपलब्ध कराया जायगा। इस हेतु नोडल अधिकारी द्वारा IPR एवं Equipment Lending Policy Document हस्ताक्षरित कर संस्था को उपलब्ध कराया जायगा। जब तक उपरोक्त फॉर्म नहीं भरे जाते हैं संस्था के प्रतिनिधि द्वारा नोडल अधिकारी की आवश्यकता के अनुसार सेशन आयोजित किये जाएंगे।
- प्रत्येक जूम सत्र में सम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया जाय, यह इसलिये भी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक सत्र रिकार्ड किया जाता है।

1.12.2 वित्तीय व्यवस्था

ECHO HUB के संचालन हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों को निम्नानुसार धनराशि सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से आवंटित की जा रही है:–

Cost of 5 Medical College HUBs					
Sr.	**Particular**	**Unit**	**Month/ Freq.**	**Unit Cost**	**Amount**
1	Broadband Connection	1	12	1000	12000
2	Incentive for Speaker	1	12	8000	96000
3	Remuneration of Project Executive	1	12	26250	315000
4	Contingency	1	12	1000	12000
Grand Total					**435000**
Rs. in Lakhs					**4.35**

इसी प्रकार मण्डल स्तर पर संचालित किये जाने वाले ईको हब हेतु मण्डलीय अपर निदेशक कार्यालय को निम्नानुसार धनराशि आवंटित की जा रही है:–

Cost of NEW 18 Divisional HUBs					
Sr.	**Particular**	**Unit**	**Month/ Freq.**	**Unit Cost**	**Amount**
1	Broadband Connection	1	12	1000	12000
2	Incentive for Speaker	1	12	8000	96000
3	Contingency	1	12	1000	12000
Grand Total					**120000**
Rs. in Lakhs					**1.20**

उपरोक्त धनराशि का व्यय निम्नानुसार किया जाना है–

- **इन्टरनेट कनेक्टिविटी**– प्रत्येक हब को 2Mbps की न्यूनतम इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु रू0 1000.00 प्रति हब प्रतिमाह की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है।
- **स्पीकर हेतु इंसेन्टिव**– प्रत्येक हब पर प्रत्येक माह में 4 सत्र आयोजित किये जांएगे। प्रत्येक सत्र में विषय–विशेषज्ञ को प्रतिभाग करने हेतु रू0 2000.00 प्रति सत्र की दर धनराशि देय होगी।
- **कन्टीजेन्सी**– अन्य आवश्यक व्यय जैसे–प्रिण्टिंग ऑफ डॉक्यूमेण्टेशन आदि हेतु प्रति हब रू0 1000.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है।
- **प्रोजेक्ट एग्ज़ीक्यूटिव**– चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थापित ECHO Center के संचालन हेतु 01 प्रोजेक्ट एग्ज़ीक्यूटिव की तैनाती मेडिकल कॉलेज द्वारा की जायेगी। इस हेतु रू0 25000.00 प्रतिमाह की दर से मानदेय देय होगा।

1.13 रीजनल कोआर्डिनेटर

1.13.1 रीजनल को–ऑर्डिनेटर (रीजनल मैनेजर–कम्यू0प्रो0) के कार्य/उत्तरदायित्व तथा मानदेय, टी0ए0/डी0ए0/ऑपरेशनल कास्ट/कम्युनिकेशन कॉस्ट (FMR Code 16.4.1.3.5, 16.4.4, 16.1.3.1.4)

सामुदायिक प्रक्रियाओं से सम्बन्धित कार्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण, हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की स्थापना एवं संचालन, आशा योजना से सम्बन्धित कार्यक्रमों विशेषकर आशा प्रशिक्षणों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के समस्त सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों पर रीजनल को–ऑर्डिनेटर (रीजनल मैनेजर–कम्यू0प्रो0) को तैनात किया गया है।

1.13.2 रीजनल को–ऑर्डिनेटर (रीजनल मैनेजर–कम्यू0प्रो0) मानदेय (FMR Code 16.4.1.3.5, 16.4.4)

रीजनल को–ऑर्डिनेटर (रीजनल मैनेजर–कम्यू0प्रो0) द्वारा सम्बन्धित जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार प्रदान किया जाना है–

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्वि के साथ)
1 अप्रैल 2021 के पश्चात	35000
1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	36750
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	38588
1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक	44376
1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक	46595
1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक	51255
1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक	53818
1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक	56509

मानदेय हेतु आवंटित धनराशि अधिकतम बजट मात्र है, प्रत्येक कर्मचारी को वास्तविक मानदेय का भुगतान उनके वेतन निर्धारण के अनुसार किया जायगा।

1.13.3 रीजनल को–ऑर्डिनेटर (रीजनल मैनेजर–कम्यू0प्रो0) हेतु डी0ए0, ट्रेवल कास्ट, ठहरने हेतु व्यय, कम्यूनिकेशन कास्ट एवं ऑफिस एक्सपेन्डीचर (FMR Code 16.1.3.1.4)

रीजनल को–ऑर्डिनेटर (रीजनल मैनेजर–कम्यू0प्रो0) को डी0ए0, ट्रेवल कॉस्ट, ठहरने हेतु व्यय, कम्युनिकेशन कास्ट एवं ऑफिस एक्सपेन्डीचर के लिए प्रतिमाह की दर से धनराशि अनुमन्य की गयी है, जो कि वास्तविक व्यय के आधार पर बिल प्रस्तुत करने पर देय होगी।

- बैठकों में भाग लेने एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु जहाँ तक सम्भव हो शेयर टैक्सी का प्रयोग किया जाय यदि शेयर टैक्सी उपलब्ध न हो तो टैक्सी किराये पर ली जा सकती है। दैनिक आधार पर टैक्सी परमिट का वाहन मुख्यालय वाले जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर निदेशक, आर0एच0एफ0पी0टी0सी0 के स्तर से इम्पैनल एजेन्सी से अनुमन्य दर के आधार पर किया जाएगा। उक्त स्तरों पर वाहन उपलब्ध न होने की दशा में इम्पैनल एजेन्सी की अनुमन्य दर पर ही अन्य एजेन्सी से भ्रमण हेतु वाहन लिया जा सकता है। बस अथवा ट्रेन द्वारा यात्रा किये जाने पर वास्तविक व्यय के आधार पर यात्रा भत्ता देय होगा।
- रीजनल को–ऑर्डिनेटर (रीजनल मैनेजर–कम्यू0प्रो0) द्वारा भ्रमण पूर्व अग्रिम प्रस्तावित भ्रमण योजना प्रधानाचार्य सम्भागीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण को उपलबध करायी जायेगी। भ्रमण के पश्चात 5 कार्यदिवसों में विस्तृत भ्रमण आख्या सम्बन्धित प्रधानाचार्य सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। प्रत्येक माह की 5 तारीख तक विगत माह किये गये समस्त यात्रा बिल/वाउचर भुगतान हेतु सम्बन्धित प्रधानाचार्य सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- **यात्रा देयकों के भुगतान हेतु विस्तृत भ्रमण आख्या प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।**
- रीजनल को–ऑर्डिनेटर (रीजनल मैनेजर–कम्यू0प्रो0) द्वारा किये गये भ्रमणों का सत्यापन प्रधानाचार्य सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किया जाएगा एवं रीजनल मैनेजर द्वारा बिल प्रस्तुत करने के 10 दिनों के भीतर भुगतान प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाएगा।
- एक माह में अधिकतम 10 दिवसों का भ्रमण करने पर यात्रा भत्ता अनुमन्यता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर रू0 2500.00 प्रतिदिन की दर से माह में अधिकतम रू0 25,000.00 का भुगतान किया जाएगा।
- प्रत्येक माह में अधिकतम 5 दिवसों में Stay Arrangement हेतु वास्तविक व्यय के आधार पर अधिकतम रू0 2200.00 प्रति दिवस की दर से भुगतान किया जाएगा।
- यात्रा नियमों के अनुसार माह में अधिकतम 10 दिवसों हेतु परडायम रू0 1100.00 प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा।

1.13.4 मानदेय/ऑफिस व्यय/टी0ए0–डी0ए0 आदि–

- रीजनल को–ऑर्डिनेटर (रीजनल मैनेजर–कम्यू0प्रो0) को ऑफिस व्यय हेतु रू0 1500.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है ।
- मोबाइल व इण्टरनेट की व्यवस्था हेतु रू0 500.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। उक्त धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर किया जायगा।

1.14 ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक के मानदेय, टी0ए0/डी0ए0/ऑपरेशनल कास्ट/ कम्युनिकेशन कॉस्ट (FMR Code 16.4.3.1.1, 16.4.4, 16.4.5, 16.1.3.4.3

आशा योजना, हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर एवं कम्युनिटी प्रोसेस से सम्बन्धित गतिविधियों को सुगमतापूर्वक संचालित किये जाने हेतु ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक की तैनाती की गयी है।

1.14.1 मानदेय (FMR Code 16.4.3.1.1, 16.4.4) वर्ष 2020–21 के दौरान ब्लाक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धकों दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (मानदेय वृद्वि एवं लायल्टी बोनस को सम्मिलित करते हुए) प्रदान किया जाना है, जोकि निम्नवत् है–

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्वि के साथ)
1 अप्रैल 2021 से अथवा उसके पश्चात	15000
1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक*	15750
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक**	16538
1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक**	19019
1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक**	19779
1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक**	21757
1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक**	22636

नोट–* *जिन ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धकों के संतोषप्रद कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हो चुका हो उन्हें 1 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से प्रथम वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगी।*

***जिन ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धकों के संतोषप्रद कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2021–22 में 2, 3 अथवा अधिक वर्ष पूर्ण हो चुका हो उन्हें माह अप्रैल से मानदेय वृद्धि देय होगी। जिन ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक के संतोषप्रद कार्यकाल के 3 वर्ष अथवा 05 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें क्रमशः 10 प्रतिशत अथवा 15 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस, मानव संसाधन अनुभाग द्वारा लॉयल्टी बोनस के दिशानिर्देशों के अनुसार देय होगा।*

मानदेय हेतु आवंटित धनराशि अधिकतम बजट मात्र है, प्रत्येक कर्मचारी को वास्तविक मानदेय का भुगतान उनके वेतन निर्धारण के अनुसार किया जायगा।

1.14.2 ई0पी0एफ0 (FMR Code 16.4.5) - ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धकों के ई0पी0एफ0 हेतु 13.36 प्रतिशत की दर से नियोक्त अंशदान सहित आवश्यक धनराशि आवंटित की जा रही है।

1.14.3 सहयोगात्मक पर्यवेक्षण (FMR Code 16.1.3.4.3) - ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक के द्वारा उपरोक्त कार्यों के सम्पादन एवं कम्युनिटी प्रोसेस के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं विभिन्न बैठकों में प्रतिभाग हेतु रू0 57600.00 प्रति बी0सी0पी0एम0 प्रति वर्ष की दर से अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि बजट आवंटन की दृष्टि से आंगणित की गयी है। यात्रा एवं अन्य भत्ते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा पर कार्यरत बी0पी0एम0यू0 कर्मियों हेतु अनुमन्यता के आधार पर वास्तविक व्यय के अनुसार देय होगा जो कि निम्नानुसार है–

क्र.स.		यात्रा भत्ता
1	रेल यात्रा हेतु अनुमन्यता	ए0सी0 तृतीय श्रेणी / ए0सी0 चेयर कार
2	सड़क यात्रा हेतु अनुमन्यता	बस / शेयर टैक्सी मोटर साईकिल / स्कूटर से की गयी यात्रा के लिए रू0 5 प्रति किलोमीटर।
3	परडियम	रू0 500 प्रतिदिन
4	ठहरने की व्यवस्था हेतु अधिकतम अनुमन्यता	रू0 1000 प्रतिदिन

नोट–

1. मण्डल के अन्दर निजी वाहन से यात्रा करने की स्थिति में रू0 5.00 प्रति किलोमीटर देय होगा
2. किसी भी स्थान पर कम से कम 8 घण्टा ठहरने पर एक दिन गिना जायेगा तथा चार अथवा अधिक घण्टे होने पर आधा दिन माना जायगा। 04 घण्टे से कम यात्रा होने पर कोई परडियम देय नहीं होगा।
3. मुख्यालय से ट्रेन, बस, टैक्सी के छूटने के निर्धारित समय से यात्रा आरम्भ मानी जायेगी तथा मुख्यालय पर वापस आने के वास्तविक समय पर समाप्त मानी जायेगी।

रेल / बस / शेयर टेक्सी द्वारा यात्रा करने पर यात्रा भत्ता हेतु टिकट एवं ठहरने की व्यवस्था का बिल प्रस्तुत करना होगा। इस हेतु निर्धारित प्रारूप पर भ्रमण आख्या के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

बी0सी0पी0एम0 अपनी सम्भावित भ्रमण कार्ययोजना (Advance Tour Plan) प्रत्येक माह की 01 तारीख को चिकित्सा अधीक्षक के अनुमोदन के पश्चात् जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई एवं रीजनल मैनेजर कम्युनिटी प्रोसेस को प्रेषित करेंगे। बी0सी0पी0एम0 के द्वारा प्रत्येक माह की 08 तारीख तक गत माह किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण / बैठकों में प्रतिभाग करने की **विस्तृत भ्रमण आख्या (1–2 पेज की)** / चेकलिस्ट निर्धारित प्रारूप पर टी0ए0 / डी0ए0 भुगतान हेतु अधीक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे। तदोपरान्त अधीक्षक द्वारा मासिक रूप से टी0ए0 / डी0ए0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जायगा।

यदि बीसीपीएम हेतु आवश्यक टीए/डीए की धनराशि उपरोक्त वार्षिक बजट से अधिक है कि तो उसका भुगतान उपलब्धता के आधार पर बीपीएमयू के ऑपरेशनल कॉस्ट से किया जा सकता है।

1.14.4 कम्युनिकेशन कास्ट (FMR Code 16.1.3.4.3): भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2020–21 में ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर को प्रतिमाह रू0 300.00 कम्युनिकेशन कॉस्ट के रूप में देय होगी।

- उपरोक्त के अतिरिक्त बी.सी.पी.एम. द्वारा किये जा रहे विभिन्न कार्यो हेतु आवश्यकतानुसार स्टेशनरी, फोटोकॉपी इत्यादि की व्यवस्था बी.पी.एम.यू. की ऑपरेशनल कॉस्ट से की जायेगी।

ब्लाक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धकों के मानदेय, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं कम्युनिकेशन कास्ट हेतु धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

1.15 वर्ष 2021–22 में अनुमोदित 5000 नवीन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का संचालन

अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–एस. पी.एम.यू./कम्यू.प्रो./उपकेन्द्र/2021–22/102/2011/दिनांक 22.07.2021 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में अनुमोदित 5000 नवीन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। एस.पी.एम.यू. कार्यालय के पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो./जे.ए.एस./2021–22/113/2428–75 दिनांक 07.08.2021 के माध्यम से जनपद में स्थापित किये जाने वाले उपकेन्द्रों का अनुमोदन जिला स्वास्थ्य समिति से कराये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। इन 5000 नवीन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के संचालन के सम्बन्ध में निर्देश निम्नवत हैं–

- **असम्बद्ध धनराशि (एफ.एम.आर. कोड–4.1.7):–** प्रत्येक उपकेन्द्र हेतु रू0 10,000.00 प्रतिवर्ष की दर से असम्बद्ध धनराशि आवंटित की जा रही है। इस धनराशि के उपयोग हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश कार्यालय के पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो./पी.आई.पी./2021–22/93/ 2480–75 दिनांक 10.08.2021 के माध्यम से निर्गत किये जा चुके हैं। 5000 नवीन उपकेन्द्रों हेतु अनुमन्य असम्बद्ध धनराशि का उपयोग पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
- **भवन का मासिक किराया (एफ.एम.आर. कोड–5.1.2):–**प्रत्येक उपकेन्द्र हेतु अधिकतम रू0 3000.00 प्रतिमाह की दर से उपकेन्द्र भवन का किराया आवंटित किया जा रहा है। इन नवीन उपकेन्द्रों के भवन का किराया छः माह हेतु आवंटित किया जा रहा है। किराये के भवन में संचालित उपकेन्द्रों के मासिक किराये के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश कार्यालय के पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./ कम्यू.प्रो./पी.आई.पी./2021–22/93/2479–75 दिनांक 10.08.2021 के माध्यम से निर्गत किये जा चुके हैं। 5000 नवीन उपकेन्द्रों हेतु अनुमन्य मासिक किराये का भुगतान पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
- **नवीन उपकेन्द्रों हेतु उपकरण, आवश्यक फर्नीचर एवं अन्य सामग्री (एफ.एम.आर. कोड–6.3.1):–** प्रत्येक नवीन उपकेन्द्र में उपकरण, आवश्यक फर्नीचर एवं अन्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु रू0 2.00 लाख प्रति उपकेन्द्र की दर से धनराशि अनुमन्य है। महानिदेशक परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा नवीन उपकेन्द्र के संचालन हेतु उपकरण, आवश्यक फर्नीचर एवं अन्य सामग्री की सूची उपलब्ध करायी गयी है। सूची में जेम पोर्टल पर उपलब्ध न्यूनतम व अधिकतम दरों का उल्लेख किया गया है। उपकरण, आवश्यक फर्नीचर एवं अन्य सामग्री का क्रय समस्त वित्तीय/क्रय नियमों का अनुपालन करते हुये जनपद स्तर पर न्यूनतम दरों पर (अधिकतम प्रति उपकेन्द्र रू0 2.00 लाख तक) किया जाना है।
- **मानव संसाधन (एफ.एम.आर. कोड–8.1.1.1):–**प्रत्येक नवीन उपकेन्द्र में एक संविदा ए.एन.एम. का पद स्वीकृत किया गया है। संविदा ए.एन.एम. को रू0 12,128.00 मानदेय प्रतिमाह देय होगा। संविदा ए. एन.एम. के मानदेय हेतु छः माह की धनराशि आवंटित की जा रही है। संविदा ए.एन.एम. की तैनाती एवं कार्य दायित्व हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश मातृ स्वास्थ्य अनुभाग द्वारा पृथक से प्रेषित किये जायेंगें।
- **मानव संसाधन हेतु ई.पी.एफ. (एफ.एम.आर. कोड–8.3):–**संविदा ए.एन.एम. के मानदेय रू0 12,128.00 पर 13.36 प्रतिशत (रू0 1620.00 ई.पी.एफ. प्रतिमाह) की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है।
- **सफाई व्यवस्था (एफ.एम.आर. कोड–2.2.11):–**प्रत्येक नवीन उपकेन्द्र की सफाई व्यवस्था हेतु रू0 500.00 प्रतिमाह की दर से छः माह की धनराशि आवंटित की जा रही है। सफाई व्यवस्था हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

2. प्रचार–प्रसार गतिविधियां

2.1 Places covered with hoardings/bill board/sinages-FMR Code 11.24.3.1

रूपरेखा

State-level IEC Campaign/Other IEC Campaign के अंतर्गत प्रति ब्लॉक प्रत्येक माह एक होर्डिंग्स स्थापना हेतु रू0 4500.00 प्रति माह की दर से 820 ब्लॉक हेतु कुल धनराशि रू0 442.80 लाख अनुमोदित है। अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष राज्य स्तरीय अभियान हेतु होर्डिंग्स स्थापना गतिविधि का क्रियान्वयन किया जाना है। उक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष प्रदेश के समस्त जनपदों के ब्लॉकों में समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले अभियानों, विशेष दिवसों, पखवाड़ा आदि में गतिविधि को सम्पादित किया जाना है।

प्रबंधन एवं संचालन

1. वित्तीय नियमों के अनुसार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ0प्र0 में पंजीकृत एजेंसी अथवा निविदा प्रक्रिया द्वारा जिला स्तर पर संस्थाओं/एजेंसियों का चयन एवं दरों का निर्धारण करना, जो कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की दर 20 फुट x 10फुट= 200 वर्गफुट हेतु रू0 4500.00 प्रति माह से अधिक न हो। होर्डिंग्स स्थापना बहुरंगीय हो एवं इसका साईज 20फुट x 10फुट= 200 वर्गफुट होगा।
2. टेण्डर विज्ञापन प्रकाशन की कार्यवाही प्राथमिकता पर जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से अथवा उन्हें संज्ञान में लेते हुए नियमानुसार की जाये।

एजेंसी हेतु चयन समिति का गठन

होर्डिंग्स स्थापना एजेंसी के माध्यम से कराने की दशा में एजेंसी के चयन के लिए चयन समिति का गठन जनपद स्तर पर निम्नानुसार किया जाये–

- मुख्य चिकित्साधिकारी — अध्यक्ष
- अपर मुख्य चिकित्साधिकारी — सदस्य
- जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि — सदस्य
- डिवीजनल पी0एम0 — सदस्य
- जिला प्रशासनिक अधिकारी/जिला स्वास्थ्य षिक्षा अधिकारी — सदस्य
- जिला सूचना अधिकारी — सदस्य

होर्डिंग्स स्थापना हेतु स्थल का चयन एवं मानक

1. संबंधित होर्डिंग्स की स्थापना मीडिया प्लान में दिये गये निर्धारित स्थल पर किया जायेगा। होर्डिंग्स स्थापना में अच्छी गुणवत्ता हेतु उच्चतम फ्लैक्स का प्रयोग किया जाये।
2. होर्डिंग्स स्थापना में विशेष ध्यान रखा जाये कि खराब मौसम में होर्डिंग्स की किसी भी प्रकार की क्षति न हो।
3. होर्डिंग्स स्थापना ऐसी जगह न की जाये, जहां पर होर्डिंग्स लगाना प्रतिबंधित हो।
4. आई.ई.सी. अनुभाग से अनुमोदित होर्डिंग्स क्रिएटिव का ही प्रयोग किया जाये, ताकि पूरे प्रदेश में समरूपता प्रदर्शित हो।
5. प्रत्येक होर्डिंग्स स्थापना में नीचे की तरफ दाहिने किनारे पर निम्नलिखित सूचनाओं को अंकित कराया जाये–
   - होर्डिंग्स स्थापना का माप (लम्बाई x चौडाई)
   - होर्डिंग्स स्थापना की तिथि
   - प्रत्येक होर्डिंग्स स्थापना के एक किनारे पर कोड नम्बर दिया जाये, जो फोटोग्राफ में प्रदर्षित हो।
   - होर्डिंग्स स्थापना का स्थल/ग्राम सभा/विकास खण्ड का नाम
   - कार्यदायी संस्था का नाम
6. प्रत्येक होर्डिंग्स स्थापना के दो फोटोग्राफ एक नजदीक से (क्लोज–अप) व दूसरी थोड़ी दूर से लिया गया हो, जिसमें आस–पास का लगभग दस फिट का एरिया भी आच्छादित करते हुए रिपोर्ट के साथ संलग्न करें एवं रिकॉर्ड के लिये सुरक्षित रखते हुए महाप्रबंधक–आई.ई.सी. को nhmiec@gmail.com पर ई–मेल करना सुनिश्चित करें।

7. आयोजित किये गये मेला महोत्सवो की इलेक्ट्रानिक रिपोर्ट डी.पी.एम. के माध्यम से डिवीजनल प्रोजेक्ट मैनेजर के स्तर से मिशन निदेशक को प्रेषित करते हुए उसकी प्रतिलिपि आई.ई.सी. अनुभाग की ईमेल nhmiec@gmail.com पर भी प्रेषित की जाये।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

1. गतिविधि पूर्ण होने के पश्चात इसका सत्यापन अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं रिपोर्टिंग का कार्य ब्लॉक स्तर पर आई0ई0सी0 / बी0सी0सी0 नोडल अधिकारी, द्वारा शत–प्रतिशत स्थलों का सत्यापन सुनिश्चित कराया जाये और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट प्रेषित की जाये।
2. होर्डिग्स स्थापना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात 30 प्रतिशत होर्डिग्स का सत्यापन रैण्डम सेलेक्शन के आधार पर जिला नोडल आई.ई.सी. अधिकारी ए0सी0एम0ओ0 / डी0सी0पी0एम0 के स्तर से किया जाये।
3. इस अभियान की गतिविधियों के प्रभावशाली अनुश्रवण के लिये पाक्षिक सूचना प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
4. उपरोक्त आदेशों का तत्काल अनुपालन करते हुए इस धनराशि का उपयोग नियमानुसार करके उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर मिशन निदेशक–एन0एच0एम0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर नियमानुसार ही किया जाये।
6. उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।
7. उपरोक्त आदेशों का तत्काल अनुपालन करते हुये इस धनराशि का उपयोग नियमानुसार सम्पादित कर उपयोग प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2.2 Usages of Folk Media such as Nukkad Natak/Mobile audio – FMR Code 11.24.3.2

लोककला / नुक्कड़ नाटक इण्टर पर्सनल कम्युनिकेशन का सशक्त माध्यम है। समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले अभियानों में गतिविधि को संपादित किया जाना है। ताकि अधिक से अधिक जनता तक स्वास्थ्य संदशों का प्रवाह हो सके। प्रदेश के 820 ब्लाकों में कार्यक्रम का लोककला दलों के माध्यम से वृहद प्रचार–प्रसार कराया जाना है। रू0 18,000.00 प्रति ब्लाक की दर से जनपदों को आवंटित किया जा रहा है। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 में पंजीकृत लोककला दलों में अनुबंधित लोककला दलों के माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपदों में गतिविधि का क्रियान्वयन किया जाना है।

प्रबंधन एवं संचालन

- दूसरे जनपद के कलाकार कार्यक्रम से एक दिन पहले लोक कला दल जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के पास पहुंचेगे।
- कार्यक्रम हेतु उपलब्ध करायी गयी गॉव की सूची / शेड्यूल के अनुसार निर्धारित दिनों में ही करना है।
- एक दिन में दो कार्यक्रम पूर्व चयनित गॉव में लोक कला दलों को दी गई सारणी के अनुसार प्रस्तुत करने हैं।
- कार्यक्रम के लिए साउन्ड सिस्टम एवं प्रकाश की व्यवस्था दलों को स्वयं करनी है, दल के साथ उपयुक्त वाद्य यन्त्रों का होना आवश्यक है।
- प्रत्येक लोककला दल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 द्वारा समय–समय पर उपलब्ध कराये गये स्क्रिप्ट्स पर ही कार्यक्रम प्रस्तुत करना है।
- प्रत्येक दल में 6–8 सदस्य होना अनिवार्य है, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं अवश्य भागीदारी करें, सभी दल साज–सज्जा व वेशभूषा का विशेष ध्यान रखेंगे।
- कोविड प्रोटोकाल का विशेष रूप से पालन करते हुए एकत्र लोगों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जायेगा।
- कार्यक्रम के दौरान मुख्य संदेश एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा दी जाने वाली समस्त सेवायें, जो मुफ्त उपलब्ध करायी जाती है, के बारे में उपयुक्त मौके पर बार–बार दोहरायें।

- लोककला दलों का यह उत्तरदायित्व होगा कि 70–100 के जन–समुदाय को एकत्र करें, जिसमें अधिक से अधिक योग्य दम्पत्ति एवं किशोर–किशोरी, सम्मानित वृद्ध शामिल हों।
- जिले में आपके दल के रहने व खान–पान इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- किसी भी स्थानीय समन्वय स्थापित करने हेतु जिला स्तरीय आई.ई.सी. / बी.सी.सी. नोडल अधिकारी, ए.सी.एम.ओ., एन.एच.एम., डी.सी.पी.एम. / डी.एच.ई.आई.ओ. से सम्पर्क करें।
- आयोजित किये गये मेला महोत्सवो की इलेक्ट्रानिक रिपोर्ट डिवीजनल प्रोजेक्ट मैनेजर के स्तर से मिशन निदेशक को प्रेषित करते हुए उसकी प्रतिलिपि आई.ई.सी. अनुभाग की ईमेल nhmiec@gmail.com पर भी प्रेषित की जाये।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

- समस्त जिला स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय आई.ई.सी. / बी.सी.सी. नोडल आफिसर लोक कला दलों, बी0पी0एम0 एवं बी0सी0पी0एम0 के साथ एक WhatsApp group बनाएंगे, जिसमें प्रतिदिन होने वाले कार्यक्रमों की फोटो लोक कला दल एवं बी0पी0एम0 / बी0सी0पी0एम0 अपने स्मार्ट फोन से खींचकर WhatsApp group पर शेयर करेंगे।
- समस्त जिला स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय आई0ई0सी0 / बी0सी0सी0 नोडल ऑफिसर अपने कार्यालय में टेलीफोन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर एक Daily Diary रखेंगे, जिसमें प्रतिदिन होने वाले कार्यक्रमों का विवरण दर्ज करेंगें।
- कार्यक्रम प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला / ब्लॉक स्तरीय आई.ई.सी. / बी.सी.सी. नोडल अधिकारी के साथ बैठक कर लोक कला का मंचन किए जाने हेतु उचित स्थल का चयन व लक्षित समुदाय की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चत करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर माइक्रो–प्लान तैयार करें व आई.ई.सी. अनुभाग को ससमय प्रेषित करें।
- सभी दलों को कार्यक्रम से पहले मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला / ब्लॉक स्तरीय आई.ई.सी. / बी.सी.सी. नोडल अधिकारी को कार्यक्रम क्रियान्वयन की समय–सारणी की एक प्रति देना अनिवार्य है ।
- लोककला दल सुनिश्चित करें कि कार्यक्रम से कोई भी चयनित गांव छूटा न रहे।
- लोककला दल के प्रभावी आयोजन हेतु प्रत्येक दल मंचन शुरू करने से पूर्व कम से कम से 2–3 घण्टे पहले गॉव में पहुंच जाये ताकि गांव के प्रधान व आशा से सम्पर्क कर लक्षित समुदाय की उपस्थिति सुनिश्चित कर सकें। लोककला दल क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों जैसे प्रधान, उपप्रधान, ग्राम सभा सदस्य, अध्यापक, ए0एन0एम0, एम0ओ0आई0सी0, आशा आदि को कार्यक्रम से पूर्व सूचित कर कार्यक्रम में भाग लेने तथा लोगों को प्रेरित करने के लिए अनुरोध करें। कार्यक्रम में किसी भी प्रकार के व्यवधान को रोकने के लिए किसी भी व्यक्ति विशेष के भाषण आदि को कार्यक्रम में शामिल न करें।

पूर्व प्रचार

कार्यक्रम की सूचना मिलते ही नोडल आफिसर आशा कार्यकर्ता, ए0एन0एम0 के माध्यम से प्रचार–प्रसार शुरू करवा दें। औपचारिक तौर पर कार्यक्रम से पहले जिस गांव में कार्यक्रम होना है, उसके आस–पास के गांवों में प्रमुख व्यक्तियों, महिला मण्डलों, युवक मण्डलों, स्वयं सहायता समूहो (जो भी आपके यहां सक्रिय हों) के माध्यम से कार्यक्रम की सूचना दें।

कार्यक्रम स्थल का चयन :

- जिस गांव में कार्यक्रम होना है, वहां जाकर ऐसे स्थान का चयन पूर्व में ही कर लें, जहां अधिक से अधिक व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था हो सके। विशेष रूप से निम्न बातों को ध्यान में रखें–
- कार्यक्रम का स्थान गांव में ऐसी जगह हो, जो शोरगुल रहित हो तथा जहां सामान्यतः सभी लोग, विशेषकर महिलायें पहुंच पायें व संकोच महसूस न करें।
- कार्यक्रम स्थल में, जहां तक संभव हो, मंचन के लिए ऐसा स्थान चुनें जहां पीछे एक दीवार / वृक्ष या आड़ उपलब्ध हो तथा दर्शक ठीक तरह से देख सके। मंच की व्यवस्था पहले से ही कर लें।

कार्यक्रम से पूर्व तैयार की जाने वाली सामग्रीः

- कार्यक्रम के लिए रोशनी का प्रबन्ध लोककला दलों के स्तर पर होना है।
- बैनर दिये गये डिजाइन अनुसार मुद्रण कराकर, मार्कर से प्रत्येक कार्यक्रम में स्थल एवं दिनांक लिखकर पूर्व ऐसी जगह लगवाएं जहॉ से सभी को दिखाई दें, साथ ही फोटोग्राफ में भी बैनर स्पष्ट नजर आये।

- ➢ कार्यक्रम से दो घण्टे पूर्व माइक द्वारा पूरे गॉव में आकर्षक ढंग से प्रचार–प्रसार करके कार्यक्रम के शुरू होने की जानकारी दें। कार्यक्रम से पूर्व प्रमुख व्यक्तियों से पुनः मिलकर व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।

भुगतान हेतु प्रकिया

मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला/ब्लॉक स्तरीय आई.ई.सी./बी.सी.सी. नोडल अधिकारी द्वारा लोककला दलों को भुगतान निम्नानुसार किया जायेगाः–

1. लोक कला दलों को भुगतान सूचना विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के आधार पर ही किया जायेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि किसी भी लोक कला दल को प्रति कार्यक्रम भुगतान सूचना विभाग द्वारा अनुमोदित दरों से अधिक न हो, प्रति कार्यक्रम रू 500.00 कंटीजेंसी दल को दिया जायेगा ।
2. यदि किसी कार्यक्रम में 50 से कम जनता एकत्रित हुई तो देय धनराशि में से 5 प्रतिशत प्रति कार्यक्रम की दर से कटौती की जायेगी ।
3. भुगतान के समय सभी लोककला दलों को सूचना विभाग द्वारा अनुमोदित दर का प्रपत्र मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसका भुगतान एफ.एम.आर. 11.24.3. 2 मद से देय होगा।
4. भुगतान हेतु प्रत्येक लोककला दल के कार्यक्रम की दो फोटो खींचकर निर्धारित प्रारूप पर चिपकाकर मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय को देना अनिवार्य है।
5. समस्त लोक कला दलों द्वारा प्रत्येक सम्पादित कार्यक्रम का सत्यापन संबंधित गॉव के ग्राम प्रधान तथा आशा/ए.एन.एम./आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा कराया जाए एवं निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने पर ही भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
6. कार्यक्रमों का भुगतान दो ब्लाक के कार्यक्रम अर्थात कुल 8 कार्यक्रम के पूर्ण होने पर कार्यक्रम को प्रमाणित करवाकर एवं समस्त बिल प्रस्तुत करने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 15 कार्य दिवस के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
7. भुगतान हेतु पैन कार्ड की छायाप्रति भी लगानी होगी।
8. कार्यक्रम का भुगतान समस्त बिल प्रस्तुत करने पर जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

2.3 Biannual Media Workshop- FMR Code 11.24.3.4

राज्य स्तरीय अभियान के अंतर्गत 2 बार जनपद स्तरीय स्वास्थ्य पत्रकारों के माध्यम से अभियान के संदर्भ में प्रकाशित समाचार–पत्रों में सकारात्मक न्यूज, रिपोर्ट आदि प्रकाशित कर लोगों को जागरूक करना है। मीडिया वर्कशाप के माध्यम से स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं की सूचनाओं व उपलब्धियों का आदान प्रदान मीडिया कर्मियों के साथ किया जाना है। District-level IEC Campign हेतु प्रत्येक जनपद को रू0 10,000.00 की धनराशि के अनुसार प्रदेश के समस्त 75 जनपदों हेतु कुल धनराशि रू0 15.00 लाख अनुमोदित है।

प्रबंधन एवं संचालन

1. मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला सूचना अधिकारी के साथ उक्त गतिविधि का क्रियान्वयन सुनिष्चित करें।
2. राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं लोकल समाचार–पत्रों के जनपद स्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मीडिया वर्कशॉप आयोजित की जाए।
3. आई.ई.सी. अनुभाग में विकसित अनुमोदित बैनर को ही मीडिया वर्कशाप में प्रयोग में लाया जाये।
4. मीडिया वर्कशॉप स्थल का चयन शहर के सुगम आवागमन स्थल पर किया जाए।
5. मीडिया वर्कशॉप स्थल साईनेज बोर्ड, बैनर एवं विभिन्न स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी स्टैण्डी की स्थापना की जाए।
6. स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं की सूचनाओं व उपलब्धियों संबंधी प्रेस विज्ञप्ति उपस्थित पत्रकारों के साथ साझा की जाए।
7. आयोजन में सूक्ष्म जलपान, प्रमाण पत्र आदि वितरित किए जाएं।
8. प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
9. उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

1. गतिविधि पूर्ण होने के पश्चात सत्यापन अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं रिपोर्टिंग का कार्य ब्लाक स्तर पर आई0ई0सी0 / बी0सी0सी0 नोडल अधिकारी, द्वारा शत–प्रतिशत स्थलों का सत्यापन सुनिश्चित कराया जाये और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से महाप्रबंधक, आई0ई0सी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 को रिपोर्ट प्रेषित की जाये।
2. अभियान हेतु कार्ययोजना बना कर रखें, प्रदेश स्तर से अभियान के शुभारंभ की सूचना पृथक से प्रेषित की जाएगी। तदोपरांत ही अभियान अंतर्गत गतिविधि का क्रियान्वयन कार्ययोजना अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
3. कोविड प्रोटोकाल का विशेष रूप से पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जायेगा।
4. समय–समय पर आवश्यकतानुसार अनुमोदित आईईसी सामग्री की सॉफ्ट कॉपी जनपदों को उपलब्ध करायी जायेगी, जिनका नियमानुसार मुद्रण कर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से वितरण कराना सुनिश्चित करें।
5. आयोजित किये गये मीडिया वर्कशाप की इलेक्ट्रानिक रिर्पोट डिवीजनल प्रोजेक्ट मैनेजर के स्तर से मिशन निदेशक को प्रेषित करते हुए उसकी प्रतिलिपि आई.ई.सी. अनुभाग की ईमेल nhmiec@gmail.com पर भी प्रेषित की जाये।

2.4 Digital wall painting- FMR Code 11.24.3.4

रूपरेखा

IEC Campaign के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक हेतु धनराशि रू0 5,000.00 के अनुसार 820 ब्लॉक हेतु एवं 2 डिजिटल वाल पेण्टिग प्रति जनपद अनुमोदित है। अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष राज्य स्तरीय अभियान हेतु डिजिटल वॉल पेंटिंग गतिविधि का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

स्थल का चयन

1. डिजिटल वॉल पेंटिंग ऐसे स्थल पर किया जायेगा जहां आमजन का आवागमन अधिक हो।
2. वित्तीय नियमों के अनुसार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ0प्र0 में पंजीकृत एजेंसी अथवा निविदा प्रक्रिया द्वारा जिला स्तर पर संस्थाओं / एजेंसियों का चयन एवं दरों का निर्धारण करना, जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत उच्चतम इकाई दर (Selling Rate) की दरों से अधिक न हो।
3. डिजिटल वॉल पेंटिंग बहुरंगीय एवं इसका साईज 5फुट x 8फुट= 40 वर्गफुट होगा। टेण्डर विज्ञापन प्रकाशन की कार्यवाही प्राथमिकता पर जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से अथवा उन्हें संज्ञान में लेते हुए नियमानुसार की जाये।

चयन समिति गठन

होर्डिग्स स्थापना हेतु एजेंसी के चयन के लिए गठित समिति द्वारा ही वॉल पेंटिंग के लिए भी एजेंसी का चयन किया जायेगा।

मानक

1. वॉल पेण्टिग में अच्छी गुणवत्ता हेतु आई0एस0आई0 मार्का प्लास्टिक पेंट का प्रयोग किया जाये।
2. वॉल पेंण्टिग के चारों ओर 2 इंच का बार्डर जरूर बनवाया जाये।
3. यदि दीवारों पर पूर्व में संदेश लिखे हैं तो उसकी बगल की दीवार पर पेंट कराया जाये।
4. प्रत्येक वॉल पेंण्टिग में नीचे की तरफ दाहिने किनारे पर निम्नलिखित सूचनाओं को अंकित कराया जाये–
   - वॉल पेंण्टिग का माप (लम्बाई x चौडाई)
   - वॉल पेंण्टिग की तिथि
   - प्रत्येक वॉल पेंण्टिग के एक किनारे पर कोड नम्बर दिया जाये जो फोटोग्राफ में दर्शित हो।
   - वॉल पेंण्टिग का स्थल / ग्राम सभा / विकास खण्ड का नाम
   - पेण्टर / कार्यदायी संस्था का नाम
5. प्रत्येक वॉल पेंटिंग के दो फोटोग्राफ एक नजदीक से (क्लोज–अप) व दूसरी थोड़ी दूर से लिया गया हो, जिसमें आस–पास का लगभग पांच फिट का एरिया भी आच्छादित करते हुए रिपोर्ट के साथ संलग्न करें एवं रिकार्ड के लिये सुरक्षित रखते हुए महाप्रबंधक आई.ई.सी. को ई–मेल करना सुनिश्चित करें।

6. आई0ई0सी0 / बी0सी0सी0 के जिला / ब्लाक नोडल अधिकारी द्वारा अनुश्रवण आख्या प्राप्त कर प्रेषित करें।
7. गतिविधि पूर्ण होने के पश्चात इसका सत्यापन अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं रिपोर्टिंग का कार्य ब्लाक स्तर पर आई0ई0सी0 / बी0सी0सी0 नोडल अधिकारी, द्वारा शत प्रतिशत स्थलों का सत्यापन सुनिश्चित कराया जाये और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट प्रेषित की जाये।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

1. वॉल पेंटिंग का कार्य पूर्ण होने के पश्चात 20 प्रतिशत वॉल पेंटिंग का सत्यापन रैण्डम सेलेक्शन के आधार पर जिला नोडल अधिकारी ए0सी0एम0ओ0 / डी0सी0पी0एम0 के स्तर से किया जाये, सत्यापनकर्ता द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण–पत्र का निर्धारित प्रारूप आपको पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है। इस कार्य की जिला स्तरीय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप पर भरकर आई0ई0सी0 / बी0सी0सी0 अनुभाग, एन0एच0एम0 उत्तर प्रदेश लखनऊ को समय–सारिणी के अनुसार प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. इस अभियान की गतिविधियों के प्रभावशाली अनुश्रवण के लिये पाक्षिक सूचना प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
6. उपरोक्त आदेशों का तत्काल अनुपालन करते हुये धनराशि का उपयोग नियमानुसार सम्पादित कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. विभिन्न अभियानों हेतु कार्ययोजना बना कर रखें, प्रदेश स्तर से अभियान के शुभारंभ की सूचना पृथक से प्रेषित की जाएगी। तदोपरांत ही अभियान के अंतर्गत गतिविधि का क्रियान्वयन कार्ययोजना अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
8. संपादित किये गये वाल पेण्टिग्स की इलेक्ट्रानिक रिपोर्ट डिवीजनल प्रोजेक्ट मैनेजर के स्तर से मिशन निदेशक को प्रेषित करते हुए उसकी प्रतिलिपि आई.ई.सी. अनुभाग की ईमेल nhmiec@gmail.com पर भी प्रेषित की जाये।

2.5 Advocacy through district for PRI/NSS- FMR Code 11.24.3.4

प्रत्येक जनपद हेतु रू0 2.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। चूंकि किसी भी अभियान की सफलता का मापक यह है कि शासन, प्रशासन के साथ आम आदमी की भागीदारी। अतः अनुमोदित बजट रु0 2.00 लाख प्रति जनपद के सापेक्ष राज्य स्तरीय अभियान हेतु पब्लिक रिलेशन / जनसंपर्क गतिविधि का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

1. मुख्य चिकित्साधिकारी, संबधित अधिकारी के साथ बैठक कर जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर अभियान के अंतर्गत होने वाली गतिविधि हेतु स्वयंसेवी / विद्यालयों का चयन करें। ऐसे विद्यालयों को चयन में अधिमान (Preference) किया जाए जहां विधार्थियों के लिए एन0सी0सी0 एवं एन0एस0एस0 जैसी गतिविधियों की सुविधा उपलब्ध हो।
2. ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी (HEOs) के द्वारा ब्लॉक के विद्यालयों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रमों की जागरूकता के संदर्भ में पहले एक सप्ताह में जागरूकता सामग्री वितरित करते हुये उन्मुखीकरण किया जाए। तदोपरांत विद्यालयों में पेन्टिंग प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। आयोजन में सूक्ष्म जलपान का प्रबंध किया जाए एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेता को प्रमाण पत्र इत्यादि वितरित किए जाएं। साथ ही जागरूता रैली का आयोजन किया जाए।
3. डी0सी0पी0एम0 एवं बी0सी0पी0एम0, आशा एवं ए0एन0एम0 के साथ राज्य स्तरीय अभियान को सफल बनाने के लिए जागरूकता के संदर्भ में स्वास्थ्य लाभार्थियों के साथ कुकरी शो, हैल्दी बेबी शो आयोजित करें। आयोजन में सूक्ष्म जलपान का प्रबंध किया जाए एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेता को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएं।
4. गतिविधि पूर्ण होने के पश्चात सत्यापन अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं रिपोर्टिंग का कार्य ब्लाक स्तर पर आई0ई0सी0 / बी0सी0सी0 नोडल अधिकारी, द्वारा शत–प्रतिशत स्थलों का सत्यापन सुनिश्चित कराया जाये और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से महप्रबंधक–आई0ई0सी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ को रिपोर्ट प्रेषित की जाये।

5. उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर मिशन निदेशक–एन0एच0एम0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. अभियान की कार्ययोजना बना कर रखें, प्रदेश स्तर से अभियान के शुभारंभ की सूचना पृथक से प्रेषित की जाएगी। तदोपरांत ही अभियान के अंतर्गत गतिविधि का क्रियान्वयन कार्ययोजना अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
7. समय–समय पर आवश्यकतानुसार आईईसी सामग्री की सॉफ्ट कॉपी जनपदों को उपलब्ध करायी जायेगी जिनका नियमानुसार मुद्रण कर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से वितरण कराना सुनिश्चित करें।

2.6 Targeting Naturally Occuring Gathering of People/Health Mela- FMR Code 11.3

जनपद–प्रयागराज, वाराणसी, आगरा एवं लखनऊ में आयोजित मेलों के लिए प्रति जनपद रु0 5.00 लाख व अन्य समस्त जनपदो के लिए प्रति जनपद रु0 1.00 लाख के अनुसार बजट अनुमोदित है। अनुमोदित बजट के क्षेत्र में आयोजित मेला–महोत्वस में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना है।

अवमुक्त की गई धनराशि का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर उ0प्र0 पर्यटन विभाग के सौजन्य से आयोजित होने वाले पारम्परिक मेला/महोत्सव में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार हेतु किया जाय। यदि जनपद में उ0प्र0 पर्यटन द्वारा कोई मेला नहीं कराया जा रहा है, उस अवस्था में जनपद में आयोजित होने वाले अन्य पारम्परिक मेला/महोत्सव में प्रतिभाग किया जाये।

1. मेला/महोत्सव में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्टॉल पर RMNCH+A काउन्सलर की ड्यूटी लगाई जाय, जिसके द्वारा मातृ एवं बाल स्वास्थ्य वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत लक्षित कार्याक्रमों की जानकारी दी जाये तथा स्टॉल पर समुदाय को वितरित किये जाने के लिये लीफलेट्स/हैण्डआउट्स भी उपलब्ध कराया जाये।
2. स्टाल पर कोविड प्रोटोकाल पालन करते हुए यथा संभव सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जायेगा।
3. मेला/महोत्सव में टी.वी. प्रोजेक्टर के माध्यम से मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सम्बंधित ऑडियो/वीडियो स्पॉटस का प्रसारण कराया जाये।
4. मेला/महोत्सव में बैनर एवं स्टैण्डी लोक कला दल/विज्ञापन आदि के माध्यम से RMNCH+A एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया जाये।
5. स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत अन्य प्रचार–प्रसार गतिविधियों का आयोजन किया जाये।
6. मेला महोत्सव के लिए आई.ई.सी. अनुभाग द्वारा विकसित किये गये स्टैण्र्ड कैनोपी, होर्डिग्स, बैनर आदि का ही प्रयोग किया जाये जो कि समय–समय पर पुनः काम आये।
7. आयोजित किये गये मेला महोत्सवो की इलेक्ट्रानिक रिपोर्ट डिवीजनल प्रोजेक्ट मैनेजर के स्तर से मिशन निदेशक को प्रेषित करते हुए उसकी प्रतिलिपि आई.ई.सी. अनुभाग की ईमेल nhmiec@gmail.com पर भी प्रेषित की जाये।
8. वर्ष 2021 के माह दिसम्बर तक मेला महोत्सव गतिविधियों को अनिवार्य रूप से सम्पन्न करा लिया जाये।
9. त्यौहारों के आस–पास ही मेला महोत्सवों को आयोजित किया जाये, ताकि आम जनमानस तक स्वास्थ्य संबंधी संदेशों का प्रवाह हो सके।
10. मेला/महोत्सव हेतु स्वीकृत धनराषि के उपयोग हेतु उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाय। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

3. मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष

प्रदेश में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के साथ ही आयुष चिकित्सा पद्धति का लाभ जन–सामान्य को पहुँचाने हेतु भारत सरकार द्वारा 2044 संविदा आयुष चिकित्सकों (पुरुष/महिला) एवं 759 संविदा आयुष फार्मासिस्टों के पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

1. **आयुष चिकित्सक मानदेय–एफ0एम0आर0 कोड 8.1.6.1** के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में नवीन नियुक्ति/एक वर्ष से कम की सेवा अवधि वाले संविदा आयुष चिकित्सको को रू0 32000.00 प्रतिमाह, 1 वर्ष व इससे अधिक तथा 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले संविदा आयुष चिकित्सकों को अधिकतम रू0 38747.00 प्रतिमाह तथा 5 वर्ष से अधिक सेवा अवधि पूर्ण करने वाले संविदा आयुष चिकित्सकों को अधिकतम रू0 40769.00 प्रतिमाह की दर से Basic मानदेय (दिनांक 31 मार्च 2021 को प्रदत्त मानदेय) वास्तविक गणना के आधार पर नियमनानुसार देय होगा। उक्त Basic मानदेय पर मानव संसाधन अनुभाग द्वारा निर्धारित नियमानुसार 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि तथा लॉयल्टी बोनस (निर्धारित सेवा अवधि के आधार पर 5 अथवा 10 प्रतिशत) देय होगा। उक्त समस्त देय हेतु आवश्यक धनराशि एफ0एम0आर0 कोड 8.1.6.1 पर आवंटित धनराशि में सम्मिलित है।
2. **आयुष फार्मास्टि मानदेय–एफ0एम0आर0 कोड 8.1.6.2** के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में नवीन नियुक्ति/एक वर्ष से कम की सेवा अवधि वाले संविदा आयुष फार्मास्टिों को रू0 12500.00 प्रतिमाह, 1 वर्ष व इससे अधिक तथा 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले संविदा आयुष फार्मास्टिों को अधिकतम रू0 14531.00 प्रतिमाह तथा 5 वर्ष से अधिक सेवा अवधि पूर्ण करने वाले संविदा आयुष फार्मास्टिों को अधिकतम रू0 15289.00 प्रतिमाह की दर से Basic मानदेय (दिनांक 31 मार्च 2021 को प्रदत्त मानदेय) वास्तविक गणना के आधार पर नियमनानुसार देय होगा। उक्त Basic मानदेय पर मानव संसाधन अनुभाग द्वारा निर्धारित नियमानुसार 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि, लॉयल्टी बोनस (निर्धारित सेवा अवधि के आधार पर 5 अथवा 10 प्रतिशत) तथा ई0पी0एफ0 देय होगा। उक्त समस्त देय हेतु आवश्यक धनराशि एफ0एम0आर0 कोड 8.1.6.2 पर आवंटित धनराशि में सम्मिलित है।
3. वर्ष 2021–22 में संविदा आयुष फार्मासिस्टो हेतु नियमानुसार देय ई0पी0एफ0 के लिए 13.36 प्रतिशत की दर से कुल धनराशि रू0 174.75 लाख एफ0एम0आर0 कोड 8.1.6.2 पर आवंटित धनराशि में सम्मिलित है।
4. संविदा आयुष चिकित्सकों (विशेषकर संविदा आयुष पुरूष चिकित्सकों) को सर्वप्रथम ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों जहाँ पर कोई भी चिकित्सक (M.B.B.S./AYUSH) नियमित अथवा संविदा पर तैनात नहीं है, पर तैनात करते हुये उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जनपद स्तर पर संचालित आयुष विंग में तीनों विधा के एक–एक संविदा आयुष चिकित्सक एवं यथा संभव फार्मासिस्ट तैनात रहें।
5. यदि जनपद में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक उपलब्ध हो, ऐसी स्थिति में चिकित्सा इकाईयों के कार्यभार/आवश्यकता के आधार पर संविदा आयुष चिकित्सकों की तैनाती की जाये।
6. स्वास्थ्य इकाईयों पर जिस विधा का संविदा आयुष चिकित्सक तैनात किया जा रहा है, वहाँ पर उसी विधा के संविदा आयुष फार्मासिस्ट की तैनाती तथा आयुष औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी स्वास्थ्य इकाई (PHC/CHC/DH) पर संविदा आयुष फार्मासिस्टों की तैनाती संविदा आयुष चिकित्सकों के बिना न की जाये।
7. आवंटित धनराशि का वित्तीय सीमा में सभी शासकीय एवं वित्तीय नियमों का पालन करते हुए व्यय किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही उपर्युक्त तालिका में किसी तरह की त्रुटि अथवा विसंगति दृष्टिगत होने पर मुख्य चिकित्साधिकारी अपनी स्पष्ट अभियुक्ति सहित सूचना ई–मेल gmayushnrhm01@gmail.com पर तत्काल प्रेषित करे।

4.1 पंचकर्म इकाई में तैनात मानव संसाधन के मानदेय हेतु दिशा–निर्देश (FMR Code- 8.1.6.3)

1. **पंचकर्म विशेषज्ञ**–एफ0एम0आर0 कोड 8.1.6.3 के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में नवीन नियुक्ति/एक वर्ष से कम की सेवा अवधि वाले संविदा पंचकर्म विशेषज्ञ को रू0 50000.00 प्रतिमाह तथा 3 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले संविदा पंचकर्म विशेषज्ञ को अधिकतम रू0 55125.00 प्रतिमाह की दर से Basic मानदेय (दिनांक 31 मार्च 2021 को प्रदत्त मानदेय) वास्तविक गणना के आधार पर नियमनानुसार देय होगा। उक्त Basic मानदेय पर मानव संसाधन अनुभाग द्वारा निर्धारित नियमानुसार 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि तथा लॉयल्टी बोनस (निर्धारित सेवा अवधि के आधार पर 5 अथवा 10 प्रतिशत) देय होगा। उक्त समस्त देय हेतु आवश्यक धनराशि एफ0एम0आर0 कोड 8.1.6.3 पर आवंटित धनराशि में सम्मिलित है।
2. पंचकर्म इकाई में तैनात उन्ही संविदा पंचकर्म विशेषज्ञ को लॉयल्टी बोनस प्रदान किया जाना है, जिनके द्वारा वर्ष 2021–22 में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गयी है।
3. Basic मानदेय पर मानव संसाधन अनुभाग द्वारा निर्धारित नियमानुसार 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगी।
4. वर्ष 2021–22 में पंचकर्म इकाई में आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से तैनात मानव संसाधन (पंचकर्म टेक्नीशियन, पंचकर्म अटेण्डेंट एवं सफाई कर्मी) हेतु ई0पी0एफ0 13.36 प्रतिशत की दर से कुल धनराशि रू0 1.21 लाख, ई0एस0आई0 3.25 प्रतिशत की दर से कुल धनराशि रू0 0.31 लाख, आउटसोर्सिंग एजेन्सी को पंचकर्म इकाई में तैनात मानव संसाधन हेतु जी0एस0टी0 18 प्रतिशत की दर से कुल धनराशि रू0 2.08 लाख तथा एजेन्सी चार्जेस अधिकतम 10 प्रतिशत की दर से कुल धनराशि रू0 0.48 लाख एफ0एम0आर0 कोड–8.1.6.3 पर आवंटित धनराशि में सम्मिलित है।
5. आवंटित धनराशि रु0 27.27 लाख का व्यय, जनपद–लखनऊ के स्तर से वित्तीय सीमा में सभी शासकीय एवं वित्तीय नियमों का पालन करते हुए व्यय किया जाना है।

4.2 आयुष औषधियों का क्रय एवं भण्डारण हेतु दिशा–निर्देश (FMR Code 6.2.2.4)

आयुष की विभिन्न पद्धतियों आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ की औषधियों के क्रय एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2021–22 में एफ0एम0आर0 कोड 6.2.2.4 पर आयुष औषधियों के क्रय एवं भण्डारण हेतु कुल अनुमोदित धनराशि रू0 1014.50 लाख के सापेक्ष प्रदेश में DH/CHC/PHC पर तैनात कुल 2019 संविदा आयुष चिकित्सकों (महिला/पुरूष) हेतु रू0 50000.00 प्रति चिकित्सक प्रति इकाई की दर से आयुष औषधि हेतु कुल धनराशि रू0 10090.50 लाख जनपदों को आवंटित की जा रही है तथा पंचकर्म इकाई हेतु आयुष औषधियों के क्रय हेतु वर्ष 2021–22 में धनराशि रू0 5.00 लाख जनपद–लखनऊ को अवमुक्त/आवंटित जा रही है।

जनपदों को CHC/PHC/DH तथा पंचकर्म इकाई हेतु आयुष औषधियों के क्रय एंव भण्डारण हेतु आवंटित की जा रही धनराशि का उपयोग निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के अनुरुप किया जाना है–

1. आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये आवश्यक आयुष औषधियों की आवश्यकता का आंकलन एवं निर्धारण किया जाये तथा तद्नुसार क्रय जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता में निम्नवत् गठित समिति द्वारा दिशा–निर्देशों का पालन करते हुये किया जाये–
   - (i) मुख्य चिकित्साधिकारी – सदस्य सचिव
   - (ii) जिला होम्योपैथिक अधिकारी – सदस्य
   - (iii) क्षेत्रीय आयुर्वेद/यूनानी चिकित्साधिकारी – सदस्य
   - (iv) वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय, मुख्य चिकित्साधिकारी – सदस्य
   - (v) जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0 – सदस्य
2. आयुष औषधियों और दवाईयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार) के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से अथवा राज्य सरकारों के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अपनी स्वयं की

विनिमार्ण इकाईयों में निर्माण करने तथा सुव्यवहार (जीएमपी) का अनुपालन करने वाले सहकारिता संस्थानों से प्राप्त औषधियों के लिए कम से कम 50 प्रतिशत प्रदत्त अनुदान का उपयोग किया जाना चाहिए।

3. आयुष विभाग, भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी की आवश्यक औषध सूची के अनुसार और वैध विनिर्माण अनुज्ञप्ति धारक अन्य उत्तम विनिर्माण व्यवहार (जीएमपी) वाली अनुपालना ईकाईयों से औषधियों प्राप्त करने के लिए मिशन के तहत प्रदत्त शेष अनुदान सहायता का उपयोग औषधियों खरीदने लिए किया जा सकता है।

4. शास्त्रीय औषधियां क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की Essential Drug List (EDL) for AYUSH के अनुरूप क्रय की जायें जो एन0एच0एम0 की वेबसाइट–www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध है।

5. आयुष औषधियां क्रय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रत्येक सम्बन्धित औषधि के प्रत्येक बैच का किसी अनुमोदित प्रयोगशाला या नेशनल एक्रिडेटेड बोर्ड ऑफ टेस्टिंग केलिबरेशन लेबोरेटरीज (एन0ए0बी0एल0) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण कर लिया गया है। प्रयोगशाला रिपोर्ट की प्रति सुरक्षित रखी जायेगी।

6. जनपदों में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक चिकित्सको की उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार औषधियों का क्रय चिकित्सा इकाईयों पर तैनात चिकित्सकों की विधानुसार किया जाये एवं क्रय की जाने वाली औषधियों की मात्रा आवश्यकतानुसार सुनिश्चित की जायें यानि कि अधिक उपयोग वाली औषधियां अधिक मात्रा में कम उपयोग आने वाली औषधियां कम मात्रा में क्रय की जाये।

7. आयुष औषधियों के क्रय हेतु उपलब्ध धनराशि से आयुष विधा की औषधियां पर्याप्त मात्रा में क्रय के पश्चात् अवशेष धनराशि से आयुष की जिस विधा की औषधि की अतिरिक्त आवश्यकता हो, का जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तवत् गठित क्रय समिति द्वारा दिशा–निर्देशों का पालन करते हुये नियमानुसार किया जायेगा।

8. आयुष औषधियों के क्रय–आदेश की एक प्रति gmayushnrhm01@gmail.com पर भी प्रेषित की जायेगी।

9. आयुष औषधियों के वितरण हेतु शीशियां इत्यादि आवश्यकतानुसार संबंधित चिकित्सालय के आर0के0एस0 अनटाईड फन्ड से नियमानुसार क्रय की जायेंगी।

10. क्रय की गयी आयुष औषधियों का भण्डारण जनपद स्तरीय सी0एम0एस0डी0 में किया जायेगा। जहां से औषधि भण्डारण नियमों का पालन करते हुए आवश्यकतानुसार जनपद के चिकित्सालयों में वितरण हेतु आवंटित करते समय औषधि प्राप्ति एवं अवसान तिथि (एक्सपायरी दिनांक) का अंकन सुनिश्चित किया जाये, जिससे जल्द एक्सपायर होने वाली औषधियों को प्राथमिकता के आधाार पर समय से पूर्व वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

11. जनपद स्तरीय सी0एम0एस0डी0 में आयुष मद में क्रय की गयी औषधियों हेतु अलग स्टॉक रजिस्टर बनाया जायेगा, जिसमें आपूर्ति की गयी औषधियों का सम्पूर्ण विवरण तथा उनका विभिन्न चिकित्सालयों में वितरण अंकित किया जायेगा। इसी प्रकार समस्त चिकित्सालयों में भी अलग से आयुष औषधियों का स्टॉक रजिस्टर बनाया जायेगा, जिसमें प्राप्ति एवं वितरण अंकित किया जायेगा।

12. चिकित्सालय स्तर पर आयुष औषधियों की प्राप्ति/वितरण का कार्य एवं अभिलेखों का रख–रखाव आयुष फार्मासिस्ट द्वारा किया जायेगा। आयुष फार्मासिस्ट की अनुपलब्धता की स्थिति में उक्त कार्य संविदा आयुष चिकित्सक द्वारा किसी अन्य कार्मिक के सहयोग से किया जायेगा।

13. आयुष औषधियों की एक्सपायरी दिनांक पंजिका अलग से बनायी जायेगी तथा स्टोर कीपर द्वारा प्रतिमाह समीक्षा सुनिश्चित की जायेगी। एक्सपायरी दिनांक के अतिरिक्त भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन अथवा फंगस आदि का प्रकोप होने पर औषधि वितरण रोक कर सम्बन्धित अधिकारियों से परामर्श लिया जायेगा।

14. शेल्फ लाइफ, आपूर्ति के समय औषधि के अवसान (एक्सपायर) होने की निर्धारित अवधि की कम से कम 75 प्रतिशत अवश्य होनी चाहिये तथा निर्माण की तिथि 6 माह से अधिक पुरानी न हो।

15. आयुष औषधियों के वितरण सम्बन्धित अभिलेख जैसे इन्डैन्ट बुक, इशु रजिस्टर, डेली एब्सट्रैक्ट रजिस्टर आदि का नियमानुसार रख–रखाव सुनिश्चित किया जायेगा।

16. आयुष औषधि के क्रय, भण्डारण एवं वितरण की त्रैमासिक समीक्षा उपर्युक्त समिति द्वारा की जायेगी तथा उसकी आख्या मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

17. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित जनपद स्तर पर तैनात एक आयुष चिकित्सक एवं एक आयुष फार्मासिस्ट को अपने चिकित्सालय के नियमित कार्य के अतिरिक्त सी0एम0एस0डी0 स्टोर में मुख्य फार्मासिस्ट के सहयोग से आयुष औषधियों के रख–रखाव, भण्डारण तथा प्राप्ति एवं वितरण की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी जायेगी।

18. आयुष औषधियों हेतु जनपदवार प्रेषित धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं क्रय की गयी औषधियों की मात्रा सहित सूची राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ को अवश्य प्रेषित की जायेगी।

19. धनराशि का आवंटन मात्र व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु आपरेशनल गाइडलाईन फार फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट में की गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी संगत नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का समस्त स्तरों पर पालन सुनिश्चित करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

20. धनराशि का व्यय गतिविधि हेतु आवंटित बजट की निर्धारित सीमा तक सभी वित्तीय एवं क्रय नियमों का अनुपालन करते हुये किया जाये। किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

4.3 पंचकर्म इकाई की Operational Cost हेतु दिशा–निर्देश (FMR Code- 16.1.5.3.16)

वर्ष 2021–22 के लिये लोकबन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, जनपद–लखनऊ में स्थापित पंचकर्म इकाई के सुचारु रुप से संचालन हेतु **Operational Cost for Panch karma unit** के अन्तर्गत (**FMR Code- 16.1.5.3.16**) आवंटित धनराशि रु0 5.00 लाख का व्यय, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक लोकबन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, जनपद–लखनऊ के स्तर से सभी वित्तीय एवं क्रय नियमों का अनुपालन करते हुए निम्न दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना हैः–

1. उक्त धनराशि का प्रयोग पंचकर्म इकाई के सुचारु रुप से संचालन हेतु आवश्यक व्ययों यथा स्टेशनरी, फोटो कॉपी, फैक्स, तौलिया, साबुन, बल्ब, पर्दे, झाडू, डस्टबिन, इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति तथा मरीजों को पंचकर्म क्रिया कराने हेतु आवश्यक सहायक सामग्री हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति के पश्चात् किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि का प्रयोग एक वित्तीय वर्ष में पंचकर्म इकाई के आवश्यक उपकरणों की मरम्मत हेतु अधिकतम धनराशि रु0 50000.00 की सीमा में किया जा सकता है। अपरिहार्य परिस्थितियों में जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष स्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत कर अनुमोदनोपरान्त अधिकतम रु0 2.00 लाख सीमा तक भी व्यय किया जा सकता है।

3. उक्त धनराशि से टेलीफोन, फैक्स/फोटो कॉपी मशीन, कम्प्यूटर इत्यादि का किसी भी अवस्था में क्रय नहीं किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का व्यय पंचकर्म विशेषज्ञ (पुरूष/महिला) द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक लोकबन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, जनपद–लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा।
5. सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त व्यय की गयी धनराशि का बीजक प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा। जिस पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा नियमानुसार बीजक की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित के खाते में किया जायेगा।
6. पंचकर्म मद से धनराशि के उपभोग के समय सुनिश्चित करना चाहिये की उक्त मद में किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित ना की गयी हो। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये।
7. प्रत्येक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तिकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तिकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
8. व्यय से सम्बन्धित समस्त बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखना एवं मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष कार्यक्रम के अन्तर्गत उपरोक्त गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए गतिविधिवार तालिका एवं दिशा–निर्देशों के अनुरूप आवंटित वित्तीय सीमा में आपरेशनल गाइडलाइन फार फाइनेन्शियल मैनजमेन्ट में की गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी संगत नियमों/निर्देशों एवं राज्य कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का समस्त स्तरों पर पालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सक्षम प्राधिकारी/जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगें।

4. जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम

जिला चिकित्सालयों पर ससमय गुणवत्तापरक आकस्मिक गहन एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के 22 जिला चिकित्सालयों में सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रम सम्बन्धित प्रमुख गतिविधियां निम्नवत है–

- 24×7 आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।
- गहन चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु चिन्हित जिला स्तरीय चिकित्सालयों में 8 शैय्या हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट्स की स्थापना, जिसमें 04 शैय्या की सर्जिकल एच0डी0यू0 एवं 04 शैय्या की मेडिकल एच0डी0यू0 स्थापित की जानी है।

प्रमुख 10 विशेषज्ञताओं जैसे–मेडिसिन, सर्जरी, एनेस्थिजियोलोजी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, ऑप्थैल्मोलोजी, ई0एन0टी0, ऑब्स एवं गाईनी (जहाँ उपलब्ध हो) पैथॉलोजी एंव रेडियोलॉजी में चिकित्सकीय सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण आई0पी0एच0एस0 2012 के माऩकानुसार किया जाना है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत मानव संसाधन–234 विशेषज्ञ चिकित्सक, 72 ई0एम0ओ0– सामान्य, 50 ई0एम0ओ0–एच0डी0यू0, .पैरामेडिकल पद–829 स्टाफ नर्सेज़, 28 फार्मासिस्ट, 302 स्टाफ नर्स–एच0डी0यू0 व 22 नर्स–इन्चार्ज– एच0डी0यू0 एवं 11 संवर्ग के 2774 आउटसोर्स पैरामेडिकल पद के मानदेय एवं अन्य कम्प्लाइन्सेज़ के भुगतान हेतु वर्ष 2021–22 में आवंटन किया जा रहा है। चिकित्सालयवार एवं संवर्गवार स्वीकृत पद, मानदेय आदि की सूचना आपको पूर्व में उपलब्ध कराई जा चुकी है, तदनुसार धनराशि नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर उपयोगित की जाय।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु चयनित चिकित्सालयों को मानव संसाधन एवं उपकरणों की उपलब्धता कराई जा रही है। चिन्हित उपकरणों की क्रय प्रक्रिया यू0पी0एम0एस0सी0एल0 के माध्यम से की जा रही है।

4.1 मानव संसाधन

वित्तीय वर्ष में 2021–22 में प्रदेश के 56 जिला स्तरीय चिकित्सालयों के मानव संसाधन सम्बन्धी दिशा–निर्देश निम्नवत् है :–

- स्वीकृत मानव संसाधन तथा आवश्यक उपकरण इस आशय से उपलब्ध कराये जा रहें हैं कि जिला चिकित्सालय स्तर पर पहुँच रहे रोगियों को ससमय गुणवत्तापरक उपचार की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकें। केवल अति गम्भीर रोगी, जिन्हें सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं की आवश्यकता हो, को ही संदर्भित किया जाए। ओ0पी0डी0/आई0पी0डी0 रोगियों के निदान एवं उपचार से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव उचित प्रकार से किया जाए तथा प्रत्येक माह एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जाए।
- विशेषज्ञ चिकित्सकों, एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों की चयन प्रक्रिया वर्तमान में एन0एच0एम0 में लागू व्यवस्था के अनुसार जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समितियों के अनुमोदनोपरान्त वाक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से की जाएगी। मिशन निदेशक के पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./डी.एच.एस./यू.पी.एच.एस.एस.पी./25/2019–20/5381–2, दिनाँक 20.09.2019 एवं 28/डी0एच0एस0/एच0आर0/2019–20/6464–2, दिनाँक 25/10/2019 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में भी चयन प्रक्रिया जिला स्वास्थ्य समितियों से अनुमोदनोपरान्त वाक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से ही की जानी है।

नोट– जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कतिपय अन्य पदों सम्बन्धी दिशा–निर्देश (टी0ओ0आर0, मानदेय एवं चयन प्रक्रिया) पृथक से प्रेषित किये जाएगें। तत्पश्चात् उक्त पदों पर चयन प्रक्रिया जनपद स्तर पर आरम्भ की जायेगी एवं जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर किसी भी पद पर चयन प्रक्रिया उक्त पदों हेतु अनुमोदित टी0ओ0आर0 के बिना नहीं की जायेगी।

- जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य जनपदों में विशेषज्ञ चिकित्सकों का मानदेय रू0 1.00 लाख प्रतिमाह की दर से स्वीकृत हैं तथा महत्वाकांक्षी जनपदों हेतु रु0 1.75 लाख प्रतिमाह की दर से मानदेय स्वीकृत किया गया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त 4 पैरामेडिकल संवर्ग के कर्मियों की भर्ती राज्य स्तर से प्रक्रियाधीन है, जिनमें एफ0एम0आर0 8.1.1.2 पर स्टाफ नर्स, एफ0एम0आर0 8.1.10.3 पर स्टाफ नर्स– एच0डी0यू0 व नर्स इन्चार्ज–एच0डी0यू0 एवं एफ0एम0आर0 8.1.1.8 पर फार्मासिस्ट सम्मिलित हैं।

- मिशन निदेशक के पत्र संख्या 144/एस.पी.एम.यू./डैप–एच.आर./नियु0 2019–20/6074–2, 15/10/2019 एवं एस0पी0एम0यू0/ डी0एच0एस0/ यू0पी0एच0एस0एस0पी0/25/2019–20/7597–2, दिनाँक 06.12.2019 के अनुसार एफ0एम0आर सं0 8.1.13.22 पर वर्णित 11 संवर्गों के पैरामेडिकल कर्मियों की सेवाएं जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा सेवा प्रदाता एजेन्सीज़ के माध्यम से ली जाएगी।

जेम पोर्टल से सेवा प्रदाता एजेन्सी के चयनोपरान्त जिला स्वास्थ्य समिति ही एजेन्सी अनुबन्ध सम्बन्धी समस्त मामलों के निस्तारण के लिए जिम्मेदार होगी।

- एन0एच0एम0 के अधीन कार्यरत् सभी चिकित्सकों को एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात् जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा पुनः अनुबन्धित किये जाने की दशा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मानव संसाधन नीति में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार 05 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि के पात्र होंगे। सेवाप्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत् एफ0एम0आर सं0 8.1.13.22 पर स्वीकृत कर्मियों हेतु मानदेय, नियमानुसार इन्क्रीमेण्ट, नियोक्ता स्तर की दर से ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0सी0 (पात्रता के आधार पर मानदेय रू0 15000.00 प्रतिमाह अथवा उससे कम मानदेय वाले पदों को ई0पी0एफ0 के साथ ई0एस0आई0सी0 एवं मानदेय रू0 21000.00 प्रतिमाह अथवा उससे कम परन्तु रू0 15000.00 प्रतिमाह से अधिक मानदेय वाले पदों हेतु केवल ई0एस0आई0सी0 संबंधी धनराशि), एजेन्सी सर्विस चार्जेज़ तथा जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगा, इस हेतु वांछित धनराशि भी आवंटित की जा रही है।

नोट– एफ0एम0आर सं0 8.1.13.22 पर स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मियों हेतु 12 माह एवं रिक्त पदों हेतु 09 माह के बजट का आवंटन किया जा रहा है।

- एन0एच0एम0 संविदा कर्मियों हेतु लागू समस्त सेवा संबंधी नियम/शर्तें जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत एवं जिला स्वास्थ्य समिति से अनुबन्धित पदों पर लागू है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक, एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक, स्टाफ नर्सेज तथा अन्य पैरामेडिकल कर्मी चिकित्सा उपचार से संबंधित समस्त कार्यो जैसे आकस्मिक सेवा, गहन चिकित्सा सेवा, वाह्य रोगियों एवं भर्ती रोगियों की देखभाल, विशेष अभियानों, स्वास्थ्य मेलों आदि में पूर्ण योगदान देगें।
- जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत मानव संसाधन की मासिक कार्य समीक्षा हेतु निर्धारित प्रपत्र पर वांछित सूचना भर कर **प्रत्येक माह की 5 तारीख तक** राज्य स्तर पर ई–मेल के माध्यम से **districthospitals.up2021@gmail.com** पर प्रेषित करें। इस कार्य का दायित्व सम्बन्धित चिकित्सालय के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका का होगा।

4.2 हाई डिपेन्डन्सी यूनिट्स

प्रदेश के 19 जनपदों के चिन्हित 22 चिकित्सालयों में 8 शैय्या हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट–04 शैय्या सर्जिकल रोगियों तथा 04 शैय्या मेडिकल रोगियों हेतु स्थापना/संचालन यथाशीघ्र प्रारम्भ की जानी है।

हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट्स के सफल संचालन हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन भी उपलब्ध कराये जा रहें हैं, जिसमें स्टाफ नर्स–एच0डी0यू0, नर्स इन्चार्ज–एच0डी0यू0 तथा ई0एम0ओ0–एच0डी0यू0, की स्वीकृति प्राप्त है। उक्त मानव संसाधन में स्टाफ नर्स–एच0डी0यू0 एवं नर्स इन्चार्ज–एच0डी0यू0 के पदों पर चयन प्रकिया राज्य स्तर से एवं ई0एम0ओ0–एच0डी0यू0 की चयन प्रकिया जनपद स्तर पर वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से की जानी है।

इन यूनिट्स में तैनात स्टाफ नर्सेज, एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों के प्रशिक्षण हेतु योजना के सम्बन्ध में पृथक से सूचना प्रेषित की जायेगी।

हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट हेतु उपकरण यू0पी0एम0एस0सी0एल0 के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे है। यूनिट्स हेतु आवश्यक अन्य सामग्री औषधियों आदि का प्रबन्धन राज्य बजट से किया जाएगा। यूनिट्स की स्थापना हेतु आवश्यक माइनर रिपेयर के सिविल, प्लम्बरिंग एवं विद्युत संबंधी कार्यों हेतु राज्य बजट अथवा रोगी कल्याण समिति के खाते में उपलब्ध धनराशि में से व्यय किया जाएगा। हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट्स का समुचित प्रबन्धन चिकित्सालय इन्चार्ज अथवा प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका द्वारा किया जाएगा।

5. डी0एन0बी0 कार्यक्रम

प्रदेश में चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी के दृष्टिगत चिन्हित निम्न 9 जिला स्तरीय चिकित्सालयों को प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है :–

1. डॉ0 राम मनोहर लोहिया आर्युविज्ञान संस्थान–लखनऊ।
2. बलरामपुर जिला चिकित्सालय–लखनऊ।
3. डॉ0 एस0पी0एम0 चिकित्सालय–लखनऊ।
4. वीरांगना अवन्ती बाई महिला चिकित्सालय–लखनऊ।
5. यू0एच0एम0 जिला चिकित्सालय–कानपुर नगर।
6. टी0बी0 सप्रू चिकित्सालय–प्रयागराज।
7. एस0एस0पी0जी0 चिकित्सालय–वाराणसी।
8. महाराणा प्रताप जिला चिकित्सालय–बरेली।
9. पी0एल0 शर्मा जिला चिकित्सालय–मेरठ।

वर्तमान में उपरोक्त चिकित्सालयों में 11 विधाओं–मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक, जनरल सर्जन, ऑब्स एण्ड गायनी, टी0बी0 एण्ड चेस्ट डिजीज़, एनेस्थीजियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ई0एन0टी0, पैथोलॉजी एवं इमरजेन्सी मेडिसिन में कुल 86 जूनियर रेजीडेन्ट्स अध्ययनरत् हैं एवं आगामी सत्र में 37 सीटों (नवीन सत्र वर्ष 2021–22 में 35 स्वीकृत सीटों पर आने वाले जूनियर रेजीडेन्ट्स एवं एन0बी0ई0 द्वारा एक्रीडिटेशन के उपरान्त वर्ष 2021–22 में बलरामपुर जिला चिकित्सालय, लखनऊ 2 सीटों पर आने वाले जूनियर रेजीडेन्ट्स) पर प्रशिक्षार्थी पंजीकृत होंगे, जिसमें से 50 प्रतिशत सीटें प्रदेश के राजकीय प्रशिक्षकों हेतु आरक्षित हैं।

आवेदित नवीन विषयों के एक्रीडिटेशन के उपरान्त नवीन सीटों पर जूनियर रेजीडेन्ट्स हेतु तत्समय आवश्यकतानुसार धनराशि का आवंटन किया जायेगा।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया आर्युविज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा कई वर्षों से कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा था, जिसका विलय डॉ0 राम मनोहर लोहिया आर्युविज्ञान संस्थान में हो गया है। डॉ0 राम मनोहर लोहिया आर्युविज्ञान संस्थान में इस शैक्षणिक सत्र में नवीन विद्यार्थियों का इन्रोलमेन्ट नहीं होगा, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्राइमरी एवं सेकेण्ड्री सीटों पर अध्ययनरत् प्रशिक्षार्थियों का मानदेय पूर्व की भाँति आवंटित किया जा रहा है।

डी0एन0बी0 कार्यक्रम हेतु वर्ष 2021–2022 में एफ0एम0आर0 संख्या 9.2.4 एवं 9.1.5 पर तालिका–1 एवं 2 के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके व्यय के सम्बन्ध में निम्नवत् विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं–

तालिका–1

District Hospitals Strengthening Programmme					
Summary of Budget Approvals under DNB Program in RoP 2021-22					
S. No.	**Activity/Heads**	**FMR Code**	**Proposed Budget in pip 21-22 (in Lakh)**	**Approved Budget in rop 21-22 (in Lakh)**	**Budget for Allocation to Districts (In Lakh)**
1	STIPEND FOR JUNIOR RESIDENTS	9.2.4	892.41	892.41	664.83
2	HONORARIUM FOR SENIOR RESIDENTS	9.2.4	927.68	927.68	747.68
3	TEACHERS INCENTIVE	9.2.4	128.64	128.64	96
4	LIBRARIAN CUM PROGRAM ASSISTANT	9.2.4	44.721	44.721	35.721
5	LIBRARY ESTABLISHMENT	9.2.4	40	40	0
6	BOOKS	9.2.4	10	10	0
7	APPLICATION FEE	9.1.5	23.91	23.91	0
	Total Budget (in Lakh)		**2067.36**	**2067.36**	**1544.23**

चिकित्सालयवार मानदेय हेतु धनराशि तालिका– 2

Sl.No	District	Name of Hospitals	Budget for Jr. Resident (in lakhs)	Budget for Teacher's Incentive (in Lakhs)	Budget for SR (in Lakhs)	Budget for Librarian (in Lakhs)	Total allocated Budget Hospitalwise (in Lacs)
1	Luncknow	RML Hospitals, Luncknow	234.78	19.20	96.15	3.97	354.10
2		Dr. SPM Hospitals, Lucknow	123.9	15.36	124.61	3.97	267.84
3		BalrampurHospital, Lucknow	163.77	23.04	187.69	3.97	378.47
9		Veerangna Avantibai Hospital, Lucknow	0	0.00	33.08	3.97	37.05
4	Kanpur	UHM Hospital Kanpur	86.16	15.36	120.00	3.97	225.49
5	Bareilly	MP Combined Hospital, Bareilly	11.73	7.68	60.00	3.97	83.38
6	Allahbad	TB Sapru Hospital, Allahbad	11.97	3.84	31.54	3.97	51.32
7	Meerut	PL Sharma Hospital, Meerut	23.7	3.84	30.00	3.97	61.51
8	VaranasI	SSPG Hospital Varanasi	8.82	7.68	64.61	3.97	85.08
Total (in Lakh) under FMR code- 9.2.4			**664.83**	**96.00**	**747.68**	**35.72**	**1544.23**

प्रशिक्षार्थियों का मानदेय–एफ0एम0आर0 9.2.4

सभी चिकित्सालयों में एकरूपता से प्रशिक्षार्थियों को स्टाईपेन्ड दिया जाएगा। प्रथम वर्ष में घनराशि रू0 70,000.00 द्वितीय वर्ष मे धनराशि रू0 72,000.00 तथा तृतीय वर्ष में रू0 74,000.00 प्रति माह की दर से 12 माह हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। पत्रांक 910/चि0–3–2021 द्वारा शासन स्तर से स्टाइपेन्ट का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार जनपदों को धनराशि आवंटित की जा रही है। नवीन आवेदित विभागों के एक्रीडिटेशन के परिणाम घोषित होने के पश्चात् स्वीकृत सीटों के आधार पर बजट पृथक से आवंटित किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि कतिपय चिकित्सालयों में एन0बी0ई0 द्वारा स्वीकृत प्राइमरी सीटों के अतिरिक्त पोस्ट डिप्लोमा सैकेण्डरी सीटों पर भी प्रशिक्षार्थियो का इन्रोलमेन्ट किया जा रहा है।

सेकेण्डरी सीटों के विद्यार्थियों को भी प्रथम वर्ष में रू0 72,000.00 प्रतिमाह तथा अन्तिम वर्ष में रू0 74,000.00 प्रतिमाह की दर से स्टाइपेंड का भुगतान किया जायेगा। चिकित्सालयों में स्वीकृत प्राइमरी सीटों तथा अपेक्षित सैकेण्डरी सीटों के आधार पर स्टाइपेन्ड हेतु धनराशि का आवंटन **तालिका–3** के अनुसार किया जा रहा है। आवंटित धनराशि का व्यय प्रशिक्षार्थियों की उपलब्धता के अनुसार वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि एक वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षार्थी दो विभिन्न शैक्षिक वर्षो में अध्ययन करते हैं, अतः स्टाइपेण्ड का आंकलन उपरोक्त को संज्ञान में रखते हुए किया जा रहा है।

तालिका–3

S. NO	Hospital Name	Budget for 1ST YR 2021-2022	Budget for 2nd YR 2021-2022	Budget for Primary and secondary Seats	Total Budget Hospital wise (in Rs.)
1	Balrampur Hospital, Lucknow	4095000	5400000	6882000	16377000
2	Dr. SPM (Civil) Hospital, Lucknow	2520000	4320000	5550000	12390000
3	UHM Hospital, Kanpur Nagar	2730000	3888000	1998000	8616000
4	T.B. Sapru Hospital Prayagraj	315000	216000	666000	1197000
5	SSPG Hospital, Varanasi	0	216000	666000	882000
6	PL Sharma District Hospital, Meerut	840000	864000	666000	2370000
7	Maha Rana Pratap District Hospital, Bareilly	525000	648000	0	1173000
8	Dr. Ram Manohar Lohiya Institute of Medical Science, Lucknow	1260000	7344000	14874000	23478000
	Total Budget	**12285000**	**22896000**	**31302000**	**66483000**

सीनियर रेजीडेन्ट्स (एस0आर0) का मानदेय–एफ0एम0आर0 9.2.4

डी0एन0बी0 कार्यक्रम हेतु प्रत्येक विभाग/विषय में दो सीनियर रेजीडेन्ट्स (एस0आर0) के पद स्वीकृत किये गए हैं। वर्ष 2021–22 हेतु कुल 48 सीनियर रेजीडेन्ट्स के पदो हेतु मानदेय रू0 1,25,000.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह एवं नवीन विभागों हेतु 6 माह के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है। आवंटित धनराशि का व्यय सीनियर रेजीडेन्ट्स की उपलब्धता के अनुसार वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा। सीनियर रेजीडेन्ट्स के मानदेय के साथ–साथ निम्नलिखित शर्तें/कन्डीशनैलिटीज़ निर्धारित की जा रही हैः–

- सीनियर रेजीडेन्ट्स आकस्मिक सेवाओं में पूर्ण योगदान देंगे।
- शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य के साथ–साथ चिकित्सा उपचार के कार्यों में भी पूर्ण योगदान देगें।
- सीनियर रेजीडेन्ट्स के चयन के सम्बन्ध में मिशन निदेशक के पत्र एस.पी.एम.यू. /नियोजन/38/2017–18/13290–2 दिनाँक 26.03.2018 के माध्यम से निर्गत दिशा– निर्देशों एवं एन0बी0ई0 के मानकों का पालन किया जायेगा।

सीनियर रेजीडेन्ट की आवश्यक अर्हताएं निम्नवत् है–

"They must possess recognized Degree/Diploma qualification in the specialty. The degree/ Diploma should not have been awarded more than 60 Months earlier from the date of filing the application. Sr. Residents with diploma qualification must possess minimum of 2 years of post-diploma experience in the specialty concerned."- As per Information Bulletin 2021 National Board of Examination 4.21

तालिका– 4

<table>
<tr><th>Sl.</th><th>Name of Hospital and District</th><th>Seats/Specilities proposed</th><th>Honoraria of Sr. Resident</th><th>No of Residents</th><th>Total Budget for inposition staff</th><th>Budget (in rupees)</th></tr>
<tr><td rowspan="7">1</td><td rowspan="7">बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ</td><td>Medicine</td><td>1,25,000.00</td><td>2</td><td>30,00,000.00</td><td>30,00,000.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Surgery</td><td>1,25,000.00</td><td>1</td><td>15,00,000.00</td><td>15,00,000.00</td></tr>
<tr><td>1,31,250.00</td><td>1</td><td>-</td><td>16,53,750.00</td></tr>
<tr><td>ENT</td><td>1,31,250.00</td><td>2</td><td>-</td><td>33,07,500.00</td></tr>
<tr><td>Anaethisialogy</td><td>1,25,000.00</td><td>2</td><td>30,00,000.00</td><td>30,00,000.00</td></tr>
<tr><td>Pathology</td><td>1,31,250.00</td><td>2</td><td>-</td><td>33,07,500.00</td></tr>
<tr><td>Orthopaedics</td><td>1,25,000.00</td><td>2</td><td>30,00,000.00</td><td>30,00,000.00</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय लखनऊ</td><td>Medicine</td><td>1,25,000.00</td><td>2</td><td>30,00,000.00</td><td>30,00,000.00</td></tr>
<tr><td>Surgery</td><td>1,31,250.00</td><td>2</td><td>-</td><td>33,07,500.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Orthopaedies</td><td>1,25,000.00</td><td>1</td><td>15,00,000.00</td><td>15,00,000.00</td></tr>
<tr><td>1,31,250.00</td><td>1</td><td>-</td><td>16,53,750.00</td></tr>
<tr><td>Chest and Rispiratary diseases</td><td>1,25,000.00</td><td>2</td><td>30,00,000.00</td><td>30,00,000.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3</td><td rowspan="4">यू0एच0एम0 चिकित्सालय कानपुर नगर</td><td>ENT</td><td>1,25,000.00</td><td>2</td><td>30,00,000.00</td><td>30,00,000.00</td></tr>
<tr><td>Medicine</td><td>1,25,000.00</td><td>2</td><td>30,00,000.00</td><td>30,00,000.00</td></tr>
<tr><td>Emergency</td><td>1,25,000.00</td><td>2</td><td>30,00,000.00</td><td>30,00,000.00</td></tr>
<tr><td>Paedictric</td><td>1,25,000.00</td><td>2</td><td>30,00,000.00</td><td>30,00,000.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">टी0बी0 सप्रु चिकित्सालय इलाहाबाद</td><td rowspan="2">Surgery</td><td>1,25,000.00</td><td>1</td><td>15,00,000.00</td><td>15,00,000.00</td></tr>
<tr><td>1,31,250.00</td><td>1</td><td>-</td><td>16,53,750.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">एस0एस0पी0जी0 चिकित्सालय वाराणसी</td><td rowspan="2">Medicine</td><td>1,25,000.00</td><td>1</td><td>15,00,000.00</td><td>15,00,000.00</td></tr>
<tr><td>1,31,250.00</td><td>1</td><td>-</td><td>16,53,750.00</td></tr>
<tr><td>opthalmics</td><td>1,31,250.00</td><td>2</td><td>-</td><td>33,07,500.00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>पी0एल0 शर्मा जिला चिकित्सालय मेरठ</td><td>Medicine</td><td>1,25,000.00</td><td>2</td><td>30,00,000.00</td><td>30,00,000.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">7</td><td rowspan="2">महाराण प्रताप जिला संयुक्त चिकित्सालय बरेली</td><td>Surgery</td><td>1,25,000.00</td><td>2</td><td>30,00,000.00</td><td>30,00,000.00</td></tr>
<tr><td>opthalmics</td><td>1,25,000.00</td><td>2</td><td>30,00,000.00</td><td>30,00,000.00</td></tr>
<tr><td>8</td><td>वीरांगना अवंतीबाई चिकित्यालय लखनऊ।</td><td>Obs/Gynee</td><td>1,31,250.00</td><td>2</td><td>-</td><td>33,07,500.00</td></tr>
</table>

9	डॉ0 राम मनोहर लोहिया आर्युविज्ञान संस्थान, लखनऊ	Surgery	1,25,000.00	1	15,00,000.00	15,00,000.00
			1,31,250.00	1	-	16,53,750.00
		Obs. And Gynae.	1,31,250.00	2	-	33,07,500.00
		Orthopaedics	1,25,000.00	1	15,00,000.00	15,00,000.00
			1,31,250.00	1	-	16,53,750.00
Total						**7,47,67,500.00**

नोट– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत लागू मानव संसाधन नीति के अनुसार सीनियर रेजीडेन्ट्स भी एनुअल इन्क्रीमेण्ट के पात्र होंगे। अतः तालिका–4 के अनुसार सम्बन्धित चिकित्सालयों को धनराशि का आवंटन किया जा रहा है। आवंटित धनराशि का व्यय सीनियर रेजीडेन्ट्स के कार्यकाल के अनुसार वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा।

राजकीय चिकित्सकों हेतु प्रोत्साहन भत्ता–एफ0एम0आर कोड 9.2.4

डी0एन0बी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत फैकल्टी के रूप में कार्यरत राजकीय चिकित्सकों तथा अन्य सहयोगी विभागों के चिकित्सकों द्वारा अपने दैनिक कार्यों, दायित्वों के साथ–साथ शिक्षण एवं प्रशिक्षण का भी कार्य किया जाएगा, जिसके लिए प्रति लेक्चर/थ्योरी क्लासेज़ हेतु प्रोत्साहन धनराशि रू0 2000.00 प्रति लेक्चर स्वीकृत की गई है। नेशनल बोर्ड ऑफ इग्ज़ैमिनेशन (एन0बी0ई0) के मानकों के अनुसार सप्ताह में कम से कम 10 घंटे, जिसमें से 5 घंटे प्रायोगिक कक्षाएं एवं 5 घंटे थ्योरी की कक्षाएं ली जायेंगी। इस प्रकार प्रति विषय सप्ताह में 75 मिनट के कम से कम 4 क्लासेज़ लिये जायेंगे। प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन धनराशि का आवंटन तालिका–5 के अनुसार किया जा रहा है। प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान वास्तविकता के आधार पर फैकल्टी/टीचर्स के सेलरी एकांउट में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रत्येक माह के अंत में कर दिया जाएगा।

तालिका–5

Sl.No	Name of Hospitals	Total No of subject	Total Budget for Teacher's Incentive (in Lakhs)
1	BalrampurHospital,Lucknow	6	23.04
2	Dr. SPM Hospitals, Lucknow	4	15.36
4	UHM Hospital Kanpur	4	15.36
6	TB Sapru Hospital, Allahbad	1	3.84
8	SSPG Hospital Varanasi	2	7.68
7	PL Sharma Hospital, Meerut	1	3.84
5	MP Combined Hospital, Bareilly	2	7.68
6	RML Hospitals, Luncknow	5	19.20
Total		**25**	**96.00**

लाइब्रेरियन कम प्रोग्राम असिस्टेंट–एफ0एम0आर कोड 9.2.4

नेशनल बोर्ड ऑफ इग्ज़ैमिनेशन (एन0बी0ई0) द्वारा लाइब्रेरी की स्थापना एवं क्रियाशीलता पर विशेष बल दिया गया है। इसी उद्देश्य से गत वर्ष की भांति प्रत्येक सम्बन्धित चिकित्सालय हेतु लाइब्रेरियन कम प्रोग्राम असिस्टेंट का एक पद धनराशि रू0 30,000.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु स्वीकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत लागू मानव संसाधन नीति के अनुसार लाइब्रेरियन कम प्रोग्राम असिस्टेंट भी वार्षिक वेतन वृद्वि के पात्र होंगे। अतः **तालिका–6** के अनुसार सम्बन्धित चिकित्सालयों को धनराशि का आवंटन किया जा रहा है। आवंटित धनराशि का व्यय लाइब्रेरियन कम प्रोग्राम असिस्टेंट के कार्यकाल के अनुसार वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा।

तालिका–6

Sl.	Name of Hospital and District	Honoraria of Librarain Cum Programme Assistant	No of Post	Total Proposed Budget (in Rs.)
1	बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ	31,500.00	1	3,96,900.00
2	डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय लखनऊ	31,500.00	1	3,96,900.00
3	यू0एच0एम0 चिकित्सालय कानपुर नगर	31,500.00	1	3,96,900.00
4	टी0बी0 सप्रु चिकित्सालय इलाहाबाद	31,500.00	1	3,96,900.00
5	एस0एस0पी0जी0 चिकित्सालय वाराणसी	31,500.00	1	3,96,900.00
6	पी0एल0 शर्मा जिला चिकित्सालय मेरठ	31,500.00	1	3,96,900.00
7	महाराण प्रताप जिला संयुक्त चिकित्सालय बरेली	31,500.00	1	3,96,900.00

8	वीरांगना अवंतीबाई चिकित्यालय लखनऊ।	31,500.00	1	3,96,900.00
9	डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ	31,500.00	1	3,96,900.00
	Total			**35,72,100.00**

लाइब्रेरियन कम प्रोग्राम असिस्टेंट के द्वारा लाइब्रेरी के रख–रखाव के अतिरिक्त डी0एन0बी0 कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्यालय का भी कार्य किया जाएगा, जिसमें प्रमुखता, पत्राचार, रिपोर्ट का प्रेषण एवं एन0एच0एम0 से प्राप्त धनराशि के व्यय/समायोजन का ब्यौरा रखना होगा। उपरोक्त पद की स्वीकृति के साथ भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित शर्तें/कन्डीशनैलिटीज़ भी निर्धारित की गई हैः–

- लाइब्रेरियन कम प्रोग्राम असिस्टेंट निदेशक/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के अधीन ही कार्य करेंगे।
- लाइब्रेरी की स्थापना चिकित्सालय परिसर में ही की जाएगी।
- लाइब्रेरी सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगार्थ होगी, विभिन्न पैरामेडिकल कोर्सेज़ के विद्यार्थी भी इसका सदुपयोग कर सकेगें। साथ ही चिकित्सालय में कार्यरत् चिकित्सक भी इसका उपयोग करेंगे।
- लाइब्रेरी का कार्यकाल सायं 9 बजे तक होगा तथा शनिवार को भी खुली रहेगी।

सम्बन्धित निदेशक/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों का यह दायित्व होगा कि वे नेशनल बोर्ड ऑफ इग्जैमिनेशन के पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण एवं प्रशिक्षण का कार्य सम्पादित करेंगे। सीनियर रेजिडेन्ट्स, फैकल्टी की उपस्थिति तथा प्रशिक्षण कार्यों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करें। डी0एन0बी0 कार्यक्रम के संचालन हेतु निर्धारित एफ0एम0आर कोड 9.2.4 से नियमानुसार व्यय किया जाय।

सम्बन्धित निदेशक/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों का यह दायित्व होगा कि वे प्रशिक्षार्थियों, सीनियर रेजीडेन्ट्स, फैकल्टी की उपस्थिति तथा प्रशिक्षण कार्यों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करेंगे। साथ ही डी0एन0बी0 नोडल अधिकारी के द्वारा निम्न कार्यों को ससमय करवाना सुनिश्चित करेंगे–

1. डी0एन0बी0 कोर्स से सम्बन्धित भौतिक एवं वित्तीय रिपोर्ट (डी0एन0बी0 मासिक वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के साथ डी0एन0बी0 तिमाही रिपोर्ट) निर्धारित प्रपत्र पर ई–मेल districthospitals.up2021@gmail.com पर ससमय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
2. जूनियर रेजीडेन्ट्स के स्टाइपेण्ड का भुगतान नियमानुसार ससमय करवाना सुनिश्चित करें।
3. महानिदेशक–प्रशिक्षण के पत्रांक प्रशि0प्रको0/2021/डी0एन0बी0/777 दिनांक 05.05.2021 के अनुसार पूर्व की भांति सभी अध्ययनरत् जूनियर रेजिडेन्टस (राजकीय चिकित्सक सहित) द्वारा डी0एन0बी0 फीस ससमय जमा करवाना सुनिश्चित करें।
4. एन0बी0ई0 द्वारा इन्स्पेक्शन, एक्रिडिटेशन अथवा डी–एक्रिडिटेशन सम्बन्धित कार्यवाही से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय की ई–मेल पर तत्काल अवगत कराया जाए।
5. डी0एन0बी0 कोर्स सम्बन्धी सभी रिपोर्ट्स ससमय ई–मेल districthospitals.up2021@gmail.com पर प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।

6. एम्बुलेंस सेवा

6.1 ’108’ एम्बुलेंस सेवा, ’102’ नेशनल एम्बुलेंस सेवा एवं एडवांस लाइफ सपोर्ट (ए0एल0एस0) एम्बुलेंस सेवा

प्रदेश के समस्त जनपदों में ’108’, ’102’ एवं ए0एल0एस0 एम्बुलेंस सेवा संचालित है। ’108’ एम्बुलेंस सेवा का संचालन पूर्वी क्लस्टर हेतु सेवाप्रदाता 108 ई.एम.टी.एस. ईस्ट (यूपी) तथा पश्चिमी क्लस्टर हेतु 108 ई.एम.टी.एस. वेस्ट (यूपी) एवं ए0एल0एस0 एम्बुलेंस सेवा का संचालन सेवा प्रदाता मेड केयर 365 मेडिकल सर्विसेस प्रा0 लि0 द्वारा एवं ’102’ नेशनल एम्बुलेंस सेवा का संचालन सेवा प्रदाता 102 मदर चाइल्ड सर्विसेस (यूपी) के माध्यम से राज्य सरकार एवं सेवा प्रदाता के मध्य हस्ताक्षरित अनुबन्ध के अनुसार किया जा रहा है। ’’108’’ एम्बुलेंस सेवा एवं ए0एल0एस0 एम्बुलेंस सेवा का क्रियान्वयन महानिदेशक–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा ’102’ नेशनल एम्बुलेंस सेवा का संचालन क्रियान्वयन महानिदेशक–परिवार कल्याण के स्तर से किया जा रहा है।

- किसी भी चिकित्सकीय आकस्मिकता की स्थिति में ’108’ टोल फ्री नम्बर पर कॉल करके ’108’ एम्बुलेंस सेवा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- जननी सुरक्षा योजना एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं एवं एक वर्ष तक की आयु के बीमार शिशुओं हेतु ’102’ टोल फ्री नम्बर पर कॉल करके ’102’ नेशनल एम्बुलेन्स सेवा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- ’102’ नेशनल एम्बुलेन्स सेवा के अंतर्गत लाभार्थियों को ड्रॉपबैक सुविधा प्रदान किये जाने की भी व्यवस्था है। इस सेवा के माध्यम से नसबन्दी केसेज को भी ड्रापबैक की सेवा प्रदान की जा रही है।
- ए0एल0एस0 एम्बुलेंस जिले के सी.एम.ओ./सी.एम.एस./नामित अधिकारी की काल के आधार पर कन्ट्रोल रूम से मरीजों को उपलब्ध करायी जाती है।
- 108 पर प्राप्त होने वाली सामान्य जनता की कॉलों हेतु भी आवश्यकतानुसार ए0एल0एस0 एम्बुलेंस उपलब्ध करायी जायेगी।
- इमरजेन्सी कॉल सेन्टर (ई0आर0सी0) पर सूचना प्राप्त होने पर गम्भीर रोगियों को ए0एल0एस0 एम्बुलेंस में एडवांस उपचार के साथ–साथ उच्च स्तरीय इकाई पर पहुँचाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। दिल्ली और चंडीगढ से 200 किलोमीटर के अन्दर आने वाले जनपदों के मरीजों को ए0एल0एस0 एम्बुलेंस से एम्स दिल्ली और पीजीआई–चंडीगढ के चिकित्सालयों में भी भेजा जा सकता है।

6.2 एम्बुलेंस क्रियान्वयन सम्बन्धित मुख्य बिन्दु

- सेवा प्रदाता द्वारा इमरजेन्सी कॉल सेन्टर (ई0आर0सी0) पर टोल फ्री नम्बर पर सूचना प्राप्त होने पर निकटतम एम्बुलेन्स को रोगी तक पहुँचाने एवं रोगियों को प्राथमिक उपचार के साथ–साथ निकटस्थ राजकीय स्वास्थ्य इकाई पर पहुँचाया जाना सुनिश्चित किया जाना है।
- प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध करायी जानी है।
- गम्भीर रोगियों को स्थानीय चिकित्सा इकाई पर उपलब्ध चिकित्सक के परामर्श के अनुसार उच्च स्तरीय चिकित्सा इकाईयों में जनपदीय एवं अर्न्तजनपदीय संदर्भन की व्यवस्था है।
- आकस्मिकता की स्थिति में लाभार्थी को एम्बुलेन्स में ही प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है।
- सेवाएं पूर्ण रुप से निःशुल्क हैं एवं 24 घण्टे 365 दिन पूरे प्रदेश में उपलब्ध है।
- कॉल सेन्टर पर पहली रिंग प्राप्त होने के 20 सेकेण्ड के अन्दर फोन कॉल को उठा लिया जायेगा और तीन मिनट के अन्दर सम्बन्धित एम्बुलेन्स वाहन को रवाना कर दिया जाना है।
- 108 एवं 102 एम्बुलेंस में बेसिक उपकरण, प्राथमिक उपचार से सम्बन्धित मेडिसिन, मेडिकल कन्ज्यूमेबिल्स तथा एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन (ई.एम.टी.) एवं एक वाहन चालक (पायलट) की व्यवस्था की गयी है।
- ए0एल0एस0 एम्बुलेंस में एडवांस उपकरण जैसे कि वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, फिटल डाप्लर आदि, उपचार हेतु औषधियां, उपचार से सम्बन्धित मेडिकल कन्ज्यूमेबिल्स तथा एक प्रशिक्षित एडवांस इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की व्यवस्था की गयी है।

- परियोजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को बनाये रखने एवं निरन्तर मॉनीटरिंग सुनिश्चित किये जाने हेतु स्थापित इमरजेन्सी कॉल सेन्टर में इन्टीग्रेटेड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी, वॉयस लोगर सिस्टम की व्यवस्था है।
- प्रत्येक एम्बुलेंस में जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (जी0पी0आर0एस0) एवं जियोग्राफिकल इन्फॉरमेशन सिस्टम (जी0आई0एस0) की व्यवस्था है।
- तीनों ही परियोजनाओं का मासिक भुगतान राज्य स्तर से किया जा रहा है। मासिक बिल के सापेक्ष भुगतान को जनपदों द्वारा प्राप्त करायी गई ट्रिप एवं अन्य मानकों की सत्यापन आख्या के आधार पर किया जाता है।

6.3 एम्बुलेंस सुचारू संचालन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण

सेवाओं के सुचारू संचालन तथा गुणवत्ता बनाए रखने हेतु जनपद स्तर पर निम्न कार्यवाही कराया जाना अपेक्षित हैः–

1. प्रदेश के चिकित्सालयों में एम्बुलेंस सेवा के लाभार्थियों का रिकार्ड रखा जायेगा। इसके लिए प्रत्येक चिकित्सा इकाई के प्रभारी द्वारा 102 एवं 108 एम्बुलेंस सेवा से लाये गये रोगी को 24X7 रिसीव किए जाने हेतु चिकित्सा इकाई में उपलब्ध मानव संसाधन में से पर्याप्त संख्या में रिपोर्टिंग अधिकारी/कर्मचारी नामित किए जायेगें। चिकित्सालय स्तर पर होम टू हॉस्पिटल/हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल रजिस्टर तथा ड्रॉप बैक रजिस्टर आदि अभिलेख तैयार किए जाएंगे। सम्बन्धित शासनादेश संख्या–1264/पांच–1–2017–5 (57)/16 दिनांक 14 जून 2017 एनेक्जर–1 पर प्रस्तुत है।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने–अपने जनपद से सम्बंधित '108' एम्बुलेंस सेवा तथा 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा की एम्बुलेंसों की तैनाती के स्थलों की सूची सभी माननीय सांसद/विधायकों/अध्यक्ष, जिला पंचायत तथा समस्त ब्लाक प्रमुखों को उपलब्ध करा दें।
3. एम्बुलेंस वाहनों में औषधियों की आपूर्ति जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सेवा प्रदाता की मांग के अनुसार की जानी है। समस्त एम्बुलेन्स वाहनों में औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु इसकी नियमित समीक्षा की जाय।
4. एम्बुलेन्स वाहनों की भौतिक स्थिति, मेडिकल कन्ज्यूमेबिल्स तथा उपकरणों की क्रियाशीलता के अनुश्रवण हेतु समय–समय पर निरीक्षण कराए जायें।
5. सेवा प्रदाता से मासिक आख्या प्राप्त कर एम्बुलेन्स सेवाओं द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की जाए तथा सेवा प्रदाता से बेहतर समन्वय हेतु जनपद एवं ब्लाक स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाय।
6. सेवा के सम्बन्ध में जनता में जागरूकता बढाये जाने के उद्देश्य से आशा बहुओं की मासिक बैठकों में उन्हें सेवा सम्बन्धी जानकारी दी जाय तथा उक्त के प्रचार प्रसार हेतु आशा बहुओं को निर्देशित किया जाय।
7. अनुबन्ध में सेवा प्रदाता पर सेवाओं में कमी के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक दण्ड लगाने का प्राविधान है। लाभार्थी को सेवा न दिया जाना, एम्बुलेन्स का समय से न पहुंचना, एम्बुलेंस में मेडिकल कन्जयूमेबुल एवं आवश्यक उपकरण न होना, एम्बुलेन्सों का माह में औसत चली दूरी कम होना एवं किसी भी दिन पांच प्रतिशत से अधिक एम्बुलेन्सों का आफरोड होने आदि पर कड़े आर्थिक दण्ड का प्राविधान है तथा इन दण्डों का अधिरोपण तभी संभव है जब जनपदों द्वारा नियमित मासिक समीक्षा कर इसकी रिपोर्ट सम्बन्धित माह के सत्यापन रिपोर्ट के साथ राज्य स्तर पर प्रस्तुत की जाय।
8. जनपद में आयोजित की जाने वाली जिला स्वास्थ्य समिति की समस्त बैठकों में पृथक एजेण्डा के माध्यम से एम्बुलेन्स सेवाओं की समीक्षा सुनिश्चित की जाय तथा महत्वूपर्ण बिन्दुओं पर आदेश/निर्देश हेतु प्रस्ताव महानिदेशालयों/एस0पी0एम0यू0 को प्रेषित किये जाय।
9. जनपदों की सुलभता हेतु ''108'' एम्बुलेंस सेवा,''102'' नेशनल एम्बुलेन्स सेवा एवं ए0एल0एस0 एम्बुलेंस सेवा हेतु उत्तर प्रदेश सरकार तथा सेवा प्रदाता के मध्य हस्ताक्षरित अनुबन्धों की प्रति वेबसाइट–upnrhm.gov.in पर उपलब्ध है। अनुबंध के आर्टिकल्स एवं शिडयूल्स में सेवा सम्बन्धी विवरण अंकित हैं।

6.4 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट (एम.एम.यू.)–FMR Code.2

170 मोबाइल मेडिकल यूनिट परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 53 जिलों के दूरस्थ तथा असेवित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। एम.एम.यू. परियोजना का संचालन सेवाप्रदाता मेसर्स के.एच.जी. हेल्थ सर्विसेस प्रा0लि0 के माध्यम से किया जा रहा है। परियोजना का क्रियान्वयन महानिदेशक–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के स्तर से किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत समुदाय को प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं, प्राथमिक जाचें, परामर्श, स्वास्थ्य शिक्षा, प्रसव पूर्व देख–भाल, परिवार नियोजन सेवाएं आदि एवं निःशुल्क औषधियां उपलब्ध करायी जा रही हैं। सेवा सम्बंधी मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं–

- एम.एम.यू. में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स, लैब टेक्नीशियन एवं ड्राइवर की व्यवस्था है।
- एम.एम.यू. के माध्यम से प्राथमिक उपचार, कम्युनिकेबिल एवं नॉन कम्युनिकेबिल बीमारियों की स्क्रीनिंग, बेसिक लैब टेस्ट आदि सेवायें प्रदान की जा रही है।
- शिशु स्वास्थ्य–कम वजन वाले शिशुओं का परीक्षण, सलाह एवं सामान्य बीमारियों का इलाज की व्यवस्था है।
- एम.एम.यू. द्वारा पूर्व निर्धारित कार्ययोजना के आधार पर निर्धारित स्थान पर प्रातः 09.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- औषधियों की उपलब्धता विभाग द्वारा सुनिश्चित की जा रही है।
- समस्त सेवाएं पूर्ण रुप से निःशुल्क हैं।

नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर निम्न कार्यवाही अपेक्षित है–

- प्रत्येक एम.एम.यू. के लिए निर्धारित ब्लाक में आशा/ए.एन.एम. को चिन्हित किया जाए।
- प्रभारी चिकित्साधिकारी, ब्लाक स्तर पर नोडल अधिकारी होंगे तथा जिले स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी होंगे।
- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं सेवाप्रदाता के माध्यम से असेवित क्षेत्रों की पहचान कराते हुए 02 माह की कार्ययोजना एवं रूट चार्ट तैयार कर जिला स्वास्थ्य समिति में अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
- जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा परियोजना की समीक्षा मासिक एवं त्रैमासिक एवं आवश्यकतानुसार मुख्य चिकित्साधिकारी के सहयोग से की जायेगी।
- परियोजना का मासिक भुगतान राज्य स्तर से किया जा रहा है। जनपदों द्वारा प्राप्त करायी गई ट्रिप एवं अन्य मानकों की सत्यापन आख्या के आधार पर मासिक बिल के सापेक्ष भुगतान किया जाता है।

7. क्वालिटी एश्योरेन्स कार्यक्रम

7.1 क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम

क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम प्रदेश की समस्त चिकित्सा इकाईयों पर गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपद स्तरीय चिकित्सालय (पुरूष, महिला एवं संयुक्त चिकित्सालय) सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर आच्छादित है, जिनका भारत सरकार के निर्धारित मानकानुसार सुदृढ़ीकरण किया जाना है, जिससे कि चिकित्सा इकाई **'नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस' एवं 'लक्ष्य' सर्टिफिकेशन'** प्राप्त कर सकें।

उक्त कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा विभिन्न गतिविधियों यथा–क्वालिटी एश्योरेंस इम्पलीमेंटेशन फॉर ट्रैवर्सिंग गैप, क्वालिटी एश्योरेंस असेसमेंट कम मेंटरिंग विजिट, स्टेट असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट समीक्षा बैठक (राज्य स्तरीय) इन्सेंटिव फॉर एन.क्यू.ए. सर्टिफिकेशन सपोर्टिव सुपरविजन भ्रमण (मण्डल एवं जनपद स्तर हेतु) मण्डल एवं जनपद में क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट हेतु ऑपरेशनल कास्ट हेतु वर्ष 2021–22 में धनराशि रू0 1264.90 लाख एवं क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अर्न्तगत कार्यरत कार्मिकों के मानदेय एवं वेतन वृद्धि हेतु धनराशि रू0 2330.20 लाख (कुल धनराशि रू0 3595.10 लाख) स्वीकृत की गई है।

7.1.1 मानव संसाधन का मानदेय–एफ.एम.आर. कोड 16.4.2.1.2

डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, डिवीजनल कंसल्टेंट क्वालिटी /पब्लिक हेल्थ एवं हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर तथा एडमिन कम प्रोग्राम असिस्टेंटः–एफ.एम.आर. कोड–16.4.2.1.8

क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल एवं जनपद स्तर पर तैनात मानव संसाधन के मासिक मानदेय एवं वार्षिक मानेदय वृद्धि का भुगतान नियमानुसार निर्धारित परफार्मेंस अप्रैजल के आधार पर डैप में आवंटित बजट के अनुसार किया जाना है। क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिको के कार्यो के परफॉर्मेंस अप्रैजल मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक मानदेय वृद्वि तथा लॉयल्टी बोनस दिया जाना है। गत वर्ष 40 डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस के वार्षिक मानदेय वृद्वि हेतु बजट आवंटन नहीं किया जा सका था, उनका गत वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु बजट आवंटन नियमानुसार कर दिया गया है। कार्यरत संविदा कार्मियों को 03 वर्ष तथा 05 वर्ष की अवधि पूर्ण किये जाने पर लॉयल्टी बोनस क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 05 प्रतिशत स्वीकृति प्रदान की गयी है।

नवीन परफार्मेंस अप्रेजल व्यवस्था लागू होने तक डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, डिवीजनल कंसल्टेंट क्वालिटी /पब्लिक हेल्थ एवं हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर का परफार्मेंस अप्रैजल पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या–एस..पी.एम.यू./एन.एच.एम./क्यू.ए./2016–17/03/150 दिनांक 10 अप्रैल 2017 एवं प्रोग्राम कम एडमिन असिस्टेंट का परफार्मेंस अप्रैजल–एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./क्यू.ए./2018–19/11/2379–2 दिनांक 9 जून 2018 में इंगित दिशा– निर्देशानुसार किया जायेगा।

7.1.2 ऑपरेशनल मद–एफ.एम.आर. कोड 16.1.4.2.1

मण्डल एवं जनपद स्तर पर कार्यालय के संचालन हेतु ऑपरेशनल व्यय क्रमशः रू0 30,000.00/ रू0 25,000.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि अनुमन्य है। ऑपरेशनल मद से कार्यालय सम्बंधी गतिविधियॉ यथा–प्रशिक्षण सामग्री, फोटोकॉपी, राज्य स्तर से प्रेषित गाईडलाइन, मैनुअल प्रिन्टिंग, स्टेशनरी, बैठक में जलपान की व्यवस्था, टेलीफोन बिल, इंटरनेट, मोबाइल रिचार्ज (क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद एवं मण्डल स्तर पर तैनात कंसल्टेट, हॉस्पिटल मैनेजर तथा प्रोग्राम कम एडमिन असिस्टेंट प्रत्येक को त्रैमासिक आधार पर अधिकतम् रू0 500.00 की दर से अनुमन्य होगा) इत्यादि में किया जायेगा। जनपदीय चिकित्सालयों में तैनात हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर/हॉस्पिटल मैनेजर हेतु इंटरनेट, मैनुअल प्रिन्टिंग, स्टेशनरी तथा अन्य कार्यक्रम सम्बन्धित कार्य हेतु 2,000.00 प्रतिमाह की दर से व्यय किया जा सकता है। उक्त मद में बजट का आवंटन किया जा रहा है।

7.1.3 सपोर्टिव सुपरविजन फॉर क्यू.ए.–एफ.एम.आर. कोड–16.1.2.2.3

सपोर्टिव सुपरविजन फॉर क्यू.ए – एफ.एम.आर. कोड–16.1.2.2.3:

क्वालिटी एश्योरेन्स कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल एवं जनपद स्तर पर तैनात कार्मिको द्वारा समय–समय पर कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु कार्यक्रमों के अनुश्रवण, सपोर्टिव–सुपरविजन, हैण्ड–होल्डिंग, प्रशिक्षण तथा बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु मण्डल के अन्दर, जनपद के बाहर तथा राज्य स्तर पर भ्रमण

किया जाता है। कार्यक्रम के समुचित क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट मण्डल स्तर पर डिवीजनल कंसल्टेंट के मोबिलिटी हेतु अनुबंधित वाहन की व्यवस्था के लिए क्रमशः रु0 30,000.00 एवं रु0 35,000.00 प्रतिमाह की दर से अलग–अलग धनराशि प्रावधानित है, जिसका उपयोग नियमानुसार टैक्सी परमिट वाहन को मासिक आधार पर अनुबन्धित कर किया जाना है। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन एवं कार्यक्रम संबंधी मेंन्टॉरिंग हेतु कतिपय अनुभवी एवं कुशल कंसल्टेंट को अन्य जनपद की चिकित्सा इकाईयो (तैनाती मण्डल या जनपद के बाहर) में डयूटी राज्य स्तर या मण्डलीय अपर निदेशक स्तर से लगायी जाती है। उक्त के दृष्टिगत मेंन्टॉरिंग विजिट, पियर एवं स्टेट असेसमेंट विजिट हेंतु कंसल्टेंट को अनुबन्धित वाहन को उपयोग करने हेतु अनुमति प्रदान की जा रही है। यह ध्यान रखा जायें कि कंसल्टेंट की नियमित सपोर्टिव सुपरविजन विजिट प्रभावित न हो तथा माह में चलने वाले वाहन की अधिकतम सीमा (कि0मी0) एवं आवंटित बजट की सीमा से अधिक न हो ।

मासिक आधार पर वाहन की अनुपलब्धता में दैनिक आधार पर टैक्सी परमिट वाहन अथवा स्वयं के वाहन के यात्रा के लिये रू 05 प्रति कि0मी0 की दर से अपरिहार्य स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मण्डल स्तर पर वाहन की अनुपलब्धता में डिवीजनल कंसलटेंट द्वारा डिस्ट्रिक्ट कंसलटेंट का वाहन उपयोग सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त किया जा सकता है। डिवीजनल कंसलटेंट द्वारा भ्रमण के पूर्व भ्रमण संबंधी कार्ययोजना क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग एस0पी0एम0यू0 लखनऊ द्वारा अनुमोदित करने के उपरान्त प्रतिमाह अधिकतम 15 भ्रमण जिसमे अधिकतम 10 भ्रमण तैनाती जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपदों में किये जायेंगे। जिन मण्डलों में दो डिवीजनल कंसल्टेंट तैनात है उन कंसल्टेंट द्वारा अधिकतम 07 भ्रमण प्रति कंसल्टेट तैनाती जनपदों के अतिरिक्त अन्य जनपदों में किये जायेंगे।डिस्ट्रिक्ट कंसलटेंट द्वारा भ्रमण के पूर्व भ्रमण संबंधी कार्ययोजना डिवीजनल कंसल्टेंट द्वारा अनुमोदित करने के उपरान्त प्रतिमाह अधिकतम 15 भ्रमण किये जाने है। डिवीजनल कंसलटेंट हेतु आवंटित धनराशि मण्डलीय अपर निदेशक के खाते में नियमानुसार हस्तांतरित की जायेगी। मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण द्वारा भ्रमण हेतु वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये तथा डिवीजनल कंसल्टेंट द्वारा उक्त भ्रमण संबंधी आख्या/फीडबैक क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा सत्यापित होने के उपरान्त वास्तविक बीजकों के सापेक्ष टी.ए./डी.ए. तथा बोर्डिंग, लॉजिंग का भुगतान किया जाये। उक्त मद में बजट का आवंटन किया गया है।

उक्त कार्मिकों को महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) एस0पी0एम0यू0 एन0एच0एम0 के पत्र संख्या 144/एस0पी0एम0यू0/डैप एच0आर0/2018–19/10398 दिनांक 4.01.2019 में वर्णित मानक तथा क्वाालिटी एश्योरेस अनुभाग द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशो के अनुरूप यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग का भुगतान FMR Code-16.1.4.2.1 से निम्नवत किया जाना हैः–

S.N.	Position Name	Base Monthly Honoraria in Rs.	Approved per Diem per Day for QA staff (Rs.)	Maximum lodgings applicability per day
1	District Consultant (QA)	45000.00 to 40000.00	1000	1500
	Division Consultant (QA/PH)			
2	Hospital Manager	38588.00 & Above		
3	Admin Cum Programme Assistant	12000.00 & above	500	1000

जो चिकित्सालय एन.क्यू.ए./लक्ष्य सर्टिफाइड हो चुके है उनके कार्मिकों की ड्यूटी जनपद या मण्डल के अन्दर स्थित अन्य चिकित्सा इकाईयों में आवश्कतानुसार मण्डलीय अपर निदेशक के स्तर से लगायी जा सकती है। उनकी ड्यूटी के दौरान वाहन की व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेट द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा नियमानुसार टी.ए./डी.ए. का भुगतान किया जायेगा।

7.1.4 कार्यक्रम की समीक्षा हेतु बैठकों का आयोजन

जनपद स्तर पर त्रैमासिक बैठक का आयोजन जिलाधिकारी/अध्यक्ष–जनपदीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति की अध्यक्षता में किया जाना है। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम को एजेण्डा में सम्मिलित करते हुए समीक्षा की जाए। मण्डल स्तर पर मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम को एजेण्डा के रूप में सम्मिलित किया जाये (उक्त बैठकों हेतु कोई धनराशि प्रावधानित नहीं है)। विशेष परिस्थितियों में यदि बैठक हेतु जलपान, स्टडी मैटीरियल आदि में व्यय की आवश्यकता हो तो सम्बंधित मण्डल/जनपद के ऑपरेशनल मद से व्यय किया जाए।

7.1.5 क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के संचालन एवं गैप क्लोजर–एफ.एम.आर. कोड 13.1.1.6

चिकित्सा इकाईयों के सुदृद्वीकरण तथा क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डर्ड चेकलिस्ट में इंगित कमियों के गैप–क्लोजर हेतु धनराशि का उपयोग किया जायेगा। गैप क्लोजर हेतु कार्य योजना निर्माण का उत्तरदायित्व संबंधित हॉस्पिटल मैनेजर / कंसल्टेट का होगा।

उक्त के संबंध में बजट आवंटन एवं दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

7.1.6 नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन

स्टेट असेसमेंट में अर्हता पूर्ण करने पर एन.क्यू.ए. सर्टिफिकेशन हेतु राज्य स्तर से भारत सरकार को एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाता है। एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु असेसर्स के मानदेय, यात्रा भत्ता तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग की व्यवस्था हेतु निम्नानुसार प्राविधान किया गया हैः–

क्रस	विवरण	दर (रूपये में)	असेसर्स की संख्या	दिवस	धनराशि (रूपये में)
1	टीम के आवागमन हेतु यात्रा भत्ता (एयर टिकट, टैक्सी हायॅरिंग, या रेल किराया वास्तवित	20000.00	3		60000.00
2	मानदेय प्रतिदिन प्रति असेसर्स	4000.00 (राजकीय विभाग में कार्यरत् असेसर्स हेतु) या 7000.00 (अन्य संस्थानों में कार्यरत् असेसर्स या रिटायर्ड अधिकारी हेतु)	4	3	45000.00 (अधिकतम)
3	बोर्डिंग लॉजिंग हेतु रू0 4000.00 प्रति असेसर्स) होटल में ठहरने एवं भोजन इत्यादि)	4000.00	3	4	48000.00
4	स्थानीय मोबिलिटी सपोर्ट हेतु	2000.00	1	4	8000.00
5	कंटिनजेंसी / विविध व्यय (डाक्यूमेंटेशन–फोटो / वीडियोग्राफी, फोटोकॉपी, रिपोर्टिंग आदि हेतु)	10000.00			10000.00
	कुल योग				**171000.00**

भारत सरकार द्वारा एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु तिथि की सूचना प्राप्त होने के पश्चात उपरोक्त बजट आवंटन पृथक से किया जायेगा।

स्टेट असेसमेंट–एफ.एम.आर. कोड 13.1.2

सलाहकार, क्यू.आई. अनुभाग, एन.एच.एस.आर.सी, नई दिल्ली द्वारा चिकित्सा इकाईयों का स्टेट असेसमेंट निम्नवत् निर्धारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैः–

1. जिला चिकित्सालयों हेतु तीन असेसर्स द्वारा तीन दिवस
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु दो असेसर्स द्वारा तीन दिवस
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु दो असेसर्स द्वारा दो दिवस
4. हेल्थ एण्ड वेलनेस (उपकेन्द्र) सेन्टर हेतु दो असेसर्स द्वारा एक दिवस

क्रस	विवरण	दर (रूपये में)	असेसर्स की संख्या	दिवस	धनराशि (रूपये में)
1	टीम के आवागमन हेतु यात्रा भत्ता (टैक्सी हायॅरिंग, या रेल किराया वास्तवित	2500.00	3	3	22500.00
2	मानदेय प्रतिदिन प्रति असेसर्स	2000.00	3	3	18000.00
3	बोर्डिंग लॉजिंग हेतु रू0 4000.00 प्रति असेसर्स) होटल में ठहरने एवं भोजन इत्यादि)	4000.00	3	4	48000.00
4	स्थानीय मोबिलिटी सपोर्ट हेतु	2000.00	1	4	8000.00
5	कंटिनजेंसी / विविध व्यय (डाक्यूमेंटेशन–फोटो / वीडियोग्राफी, फोटोकॉपी, रिपोर्टिंग आदि हेतु)	10000.00			10000.00
				कुल योग	**98,500.00**

चिकित्सालयों के स्टेट सर्टिफिकेशन हेतु राज्य स्तर से निर्धारित 2 सदस्यीय टीम द्वारा 3 दिवस में असेसमेंट किया जाता है। उक्त असेसमेंट में असेसर्स द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति निर्धारित मानकानुसार की जायेगी अथवा असेसर्स की सुविधानुसार जनपद स्तर से यात्रा टिकट, ठहरने हेतु होटल

की व्यवस्था तथा स्थानीय स्तर पर आवागमन हेतु वाहन की व्यवस्था की जा सकती है। उपरोक्त हेतु बजट आवंटन आवश्यकतानुसार पृथक से किया जायेगा।

यदि स्टेट असेसमेंट में सभी विभागों में 70% से कम स्कोर प्राप्त होता है, तो गैप क्लोजर हेतु एक माह का समय दिया जायेगा तथा एक माह पश्चात गैप क्लोजर पूर्ण करने पर सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक के स्तर से स्कोर रिवैलिडेशन हेतु डिविजनल कंसल्टेंट/डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट एवं हॉस्पिटल मैनेजर की टीम बनाकर कराया जायेगा। प्रत्येक टीम के सदस्य द्वारा प्रत्येक दिन 2 विभागों का असेसमेन्ट किया जायेगा।

मण्डलीय अपर निदेशक को चिकित्सा इकाईयों के रिवैलिडेशन कराये जाने हेतु मिशन निदेशक के पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./क्यू.ए./2019–20/03/6842 दिनांक 11.11.19 द्वारा अधिकृत किया गया है। असेसमेन्ट के उपरान्त टीम द्वारा प्रेषित स्कोर चेक लिस्ट तथा मानकानुसार समस्त अभिलेखो की सॉफ्ट कापी क्वालिटी एश्योरेन्स अनुभाग को एस.पी.एम.यू. लखनऊ की ई–मेल qanhmup2021@gmail.com पर एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित की जायेगी। उपरोक्त कार्य हेतु डिविजनल केसल्टेट को उत्तरदायी बनाया जा रहा है। उपरोक्त असेसमेन्ट में टीम के सदस्यों का यात्रा भत्ता, टी.ए./डी.ए. तथा बोर्डिंग लॉजिंग का व्यय उनके तैनाती जनपद (तैनाती जनपद में बजट अनुपलब्धता की स्थिति में असेसमेंट की गयी चिकित्सा इकाई के जनपद से किया जा सकता है) से मानकानुसार आपरेशनल कास्ट मद से किया जायेगा।

7.1.7 नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन

NQA सर्टिफिकेशन हेतु तीन चरणों में असेसमेन्ट (इनटर्नल, स्टेट एवं एक्सर्टनल असेसमेंट) किया जाता है। इनर्टनल असेसमेंट के ओवरऑल स्कोर 70% या अधिक होने पर डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेन्स समिति के माध्यम से स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस समिति को स्टेट असेसमेंन्ट हेतु अनुरोध किया जाता है। स्टेट असेसमेंन्ट में सभी विभागों में 70% से अधिक स्कोर होने पर राज्य स्तर से भारत सरकार को एक्सर्टनल असेसमेंट हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाता है। **NQA** सर्टिफिकेशन हेतु मानक निम्नवत् है :–

SN	Criteria	Aggregate Score (%)		
		DH	SDH/CHC	PHC/UPHC
1	Aggregate score of the health facility	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%
2	Score of each department of the health facility	≥ 70%	≥ 70%	NA
3	Segregated score in each Area of Concern	≥ 70%	≥ 70%	≥ 60 %
4	Score of Standard	Standard A2, Standard B5 and Standard D10 is >70%	Standard A2, Standard B5 and Standard D8 is >60%	Standard A2, Standard B4 and Standard F6 (PHC)/F4 (U-PHC) is ≥ 60%
5	Individual Standard wise score	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%
6	Patient Satisfaction Score	70% or Score of 3.5 on Likert	Scale 65% or Score of 3.2 on Linkert	60% or Score of 3.0 on Linkert

उपरोक्त मानकों में पांच प्रतिशत कम होने पर **NQA** स्टेट सर्टिफिकेशन की अर्हता प्राप्त होगी। भारत सरकार के नवीन दिशा निर्देशानुसार हेल्थ एण्ड वेलनेस केन्द्रों में 'नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस' कार्यक्रम वर्ष 2021–22 से कार्यान्वित किया जाना है। उक्त हेतु समस्त दिशा–निर्देश ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किये जा चुके है। हेल्थ एण्ड वेलनेस केन्द्रों के NQA सर्टिफिकेशन हेतु मानक निम्नवत् है:–

SN	Criteria	Score
1	Aggregate score of the health facility	≥ 70%
2	Score of each service package of the health (minimum 7 package)	≥ 70%
3	Segregated score in each Area of Concern	≥ 60%
4	Score of Standard	≥ 60%
	a. Standard A1- The facility provides Comprehensive Primary	

SN	Criteria	Score
	Healthcare service	
	b. Standard D3- The facility has defined and established procedure for clinical records and data management with progressive use of digital technology	
	c. Standard D4- The facility has defined and established procedure for hospital transparency and accountablity	
	d. Standard D5- The facility ensures health promotion and disease prevention activities through community mobilization	
	e. Standard G2- The facility has established system for patient and employee satisfaction.	
5	Individual Standard wise score	≥ 50%
6	Patient Satisfaction Score	60% or Score of 3.0 on Linkert scale

7.1.8 क्वालिटी एश्योरेंस के अन्तर्गत प्रशिक्षण–एफ0एम0आर0 9.5.25.1

भारत सरकार द्वारा नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन एवं कायाकल्प अवार्ड योजना का विस्तारीकण हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर तथा सब–सेन्टर तक किया गया है। उक्त हेतु ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों का बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कन्ट्रोल एवं अन्य कार्यक्रम संबंधी प्रशिक्षण मण्डल स्तर पर दिया जाना है। उक्त एक दिवसीय मण्डल स्तरीय प्रशिक्षण स्टेट कंसल्टेंट–क्वालिटी एश्योरेंस, डिवीजनल कंसल्टेंट–क्वालिटी एवं पब्लिक हेल्थ/डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट–क्वालिटी एश्योरेंस, हॉस्पिटल मैनेजर, एक्सटर्नल एवं इन्टर्नल असेसर्स द्वारा प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक, ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफीसर एवं स्टाफ नर्स को सम्मिलित किया जायेगा। प्रतिभागियों का टी.ए./डी.ए., मोबिलिटी तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग पर होने वाला व्यय का भुगतान उनके तैनाती जनपद/चिकित्सा इकाई से नियमानुसार किया जायेगा। बजट आवंटन बैच संख्या के आधार पर किया गया है, किन्तु बैच में प्रतिभागियों की संख्या अधिक होने पर आवंटित बजट सीमा तक ही व्यय किया जाये। प्रशिक्षण हेतु मानक निम्नवत हैः–

S.No	Particulars	Rate Per Participant	No of Participants	Total Amount
1	Banner	500	2	1000
2	Food for participants(including trainer & facilitators	250	40	10000
3	Honorarium to trainers@Rs 500 per session	4000		4000
4	Contingency) Learning material, pen, pad, folder)	250	40	10000
Total cost for One batch				**25000**
Total cost for 82 Batches (for 820 blocks)				**2050000**

प्रशिक्षण हेतु धनराशि मण्डलीय मुख्यालय के जनपद के डी0एच0एस0 के खाते में संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हेतु हस्तांतरित की जायेगी।

Budget allocation under FMR Code: 9.5.25.1				
Sno	**Divisions**	**Nos. of Blocks**	**Total Nos of Batches**	**Budget Allocation @ Rs.25000/- per Batch (Rs. In Lakh)**
1	Agra	43	4	1.00
2	Aligarh	34	3	0.75
3	Prayagraj	58	6	1.50
4	Azamgarh	48	5	1.25
5	Bareilly	52	5	1.25
6	Basti	37	4	1.00
7	Banda	24	2	0.50
8	Devipatan	44	4	1.00
9	Ayodhya	61	6	1.50
10	Gorakhpur	61	6	1.50
11	Jhansi	23	2	0.50
12	Kanpur	50	5	1.25

Budget allocation under FMR Code: 9.5.25.1				
Sno	**Divisions**	**Nos. of Blocks**	**Total Nos of Batches**	**Budget Allocation @ Rs.25000/- per Batch (Rs. In Lakh)**
13	Lucknow	95	10	2.50
14	Mirzapur	26	3	0.75
15	Merrut	46	5	1.25
16	Moradabad	39	4	1.00
17	Saharanpur	25	3	0.75
18	Varanasi	54	5	1.25
Total		**820**	**82**	**20.50**

NQA सर्टिफिकेशन हेतु आवश्यक डाक्यूमेंट का विवरण निम्नवत है:

District Hospital (DH/DCH&DWH)	Community Health Centre	Primary Health Centre / Urban Primary Health Centre
1.Hospital Profile	1. No. and Names of departments to be assessed	1. Latest State Assessment Report and scores.
2. Latest State Assessment Report and scores.	2. Latest State Assessment Report and scores.	2. Minutes of last Quality Team meeting (MOM).
3. Minutes of last Quality Team meeting (MOM).	3. Minutes of last Quality Team meeting (MOM).	3. Departmental SOPs.
4. Departmental SOPs.	4. Departmental SOPs.	
5. Quality Improvement Manual.	5. Quality Improvement manual.	4. Quality Improvement Manual.
6. Copy of Hospital Wide Policies/ Procedures. (Government Order/ Single Pager Policy / Procedures): Vision, Mission, Values, Strategic Plan and Quality Policy (Condemnation Policy, Antibiotic policy,Social, Culture and Religious Equality policy,Privacy, Dignity and confidentiality policy of patient., Consent policy,Prescription by Generic Name policy,Adverse Event reporting policy,Referral policy,Timely reimbursement of entitlements and compensation,Grievance Redressal policy,Free treatment to BPL patient’s procedure/ policy,	6. Policies/Procedures of the facility(Condemnation Policy, Antibiotic policy,Social, Culture and Religious Equality policy,Privacy, Dignity and confidentiality policy of patient, Consent policy,Referral policy,Policy of timely reimbursement of entitlements and compensation, Quality Policy.	5. Copy of Hospital Wide Policies/ Procedures. (Government Order/ Single Pager Policy / Procedures): Vision, Mission, Values, Strategic Plan and Quality Policy., Condemnation Policy, Maintaining of Patients Record, its security, sharing of information and safe disposal,• Higher Centre Referral Policy
7. Scores of Last 3 Patient Satisfaction Surveys and Subsequent Corrective and Preventive actions undertaken.	7. Scores of last 3 Patient satisfaction Surveys and subsequent Corrective and Preventive actions.	6. Scores of Last 3 Patient Satisfaction Surveys and Subsequent Corrective and Preventive actions undertaken.
8. Last 3 months data of Key Performance Indicators (KPI).	8. Last 3 months data of Key Performance Indicators	7. Last 3 months data of Key Performance Indicators (KPI).
9. Prescription/Medical Audit Analysis with Corrective and Preventive Action (CAPA)	9. Prescription Audit Analysis with Corrective and Preventive Action (CAPA) report	8. Prescription Audit Analysis with Corrective and Preventive Action (CAPA)

NQA सर्टिफिकेशन हेतु विभिन्न प्रकार के स्टेटुटरी रिक्वायरमेंट/ऑडिट एवं अभिलेखीकरण की आवश्यकता होती है, जो नेशनल एवं स्टेट असेसमेंट के समय प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य होते हैं। NQA सर्टिफिकेशन हेतु इंसेन्टिव धनराशि मानदंड का विवरण निम्नवत है:–

S.No	Type of Health Facility	Incentive money criterion after NQA Certification				Remark
		NQA Certification without Conditionality		NQA Certification with Conditionality		
		Full Certification(All Departments)	Partial Certification	Full Certification (All Departments)	Partial Certification	
1	District Level Health Facility	Rs. 10,000.00 Per Functional Bed	Rs.10,000.00 Per Functional Bedx Nos of Dept Assessed / Total No of Dept	Rs. 7,000.00 Per Functional Bed	Rs.7,000.00 Per Functional Bedx Nos of Dept Assessed / Total No of Dept	
2	Community Health Centre-FRU	Rs. 10,000.00 Per Functional Bed	Rs.10,000.00 Per Functional Bed x Nos of Dept Assessed / Total No of Dept	Rs. 7,000.00 Per Functional Bed	Rs.7,000.00 Per Functional Bedx Nos of Dept Assessed / Total No of Dept	Rs.3,00000.00 for 30 Beds for without Conditionality)
3	Community Health Centre-Non FRU	Rs. 2,00,000.00				Rs.2,00000.00 for 30 Beds for Non-FRU (without Conditionality)
4	Primary Health Centre & UPHC	Rs. 3,00,000.00	NA			
5	Health &wellness centre	Rs. 18,000.00 per package (total 12 package)	NA			

कोविड महामारी के दृष्टिगत् भारत सरकार द्वारा वर्तमान में वर्चुअल असेसमेंट किया जा रहा है। उक्त के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा इन्सेन्टिव धनराशि चिकित्सा इकाईयों को प्रदान किये जाने हेतु उपरोक्त दिशा–निर्देश में संशोधन किये गए है। उक्त संशोधित दिशा–निर्देश के अनुसार चिकित्सा इकाई के वर्चुअल असेसमेंट में सर्टिफाई होने के पश्चात् उपरोक्त तालिकानुसार प्रदान की जाने वाली धनराशि की 30 प्रतिशत् इनसेन्टिव धनराशि प्रदान की जाएगी। तत्पश्चात् कोविड–19 महामारी परिवेश में सुधार होने पर भारत सरकार द्वारा भौतिक असेसमेंट किया जायेगा, जिसमे अर्हता प्राप्त करने पर चिकित्सा इकाई को उपरोक्त तालिकानुसार शेष 70 प्रतिशत इनसेन्टिव धनराशि प्रदान की जाएगी।

7.1.9 एन.क्यू.ए. सर्टिफिकेशन के अन्तर्गत इंसेन्टिव धनराशि–एफ.एम.आर. कोड 13.1.3

भारत सरकार के स्तर से एक्सटर्नल असेसमेंट के उपरान्त चिकित्सालय द्वारा एन.क्यू.ए. सर्टिफिकेशन की अर्हता पूर्ण करने पर मानकानुसार इंसेन्टिव धनराशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है। भारत सरकार के निर्देशानुसार अवार्ड हेतु प्राविधानित धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि चिकित्सालय के नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डर्ड एवं कायाकल्प अवार्ड स्कीम के अंतर्गत चिन्हित गैप क्लोजर, सुदृढ़ीकरण, रख–रखाव, स्वच्छता व्यवस्था इत्यादि सुनिश्चित किये जाने हेतु उपयोगित की जाये, जिससे चिकित्सालय के स्कोर में वृद्धि हो सके। शेष 25 प्रतिशत धनराशि चिकित्सा इकाईयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (नियमित संविदा एवं आउटसोर्स) के उत्साहवर्धन हेतु इन्सेंटिव के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

अवार्ड विजेता चिकित्सा इकाई को अवार्ड धनराशि में से इन्सेंटिव हेतु स्वीकृत 25 प्रतिशत धनराशि का उपयोग चिकित्सालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कैश अवार्ड, क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण, चिकित्सालय में कर्मचारियों के कार्यस्थल में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक गतिविधियों पर नियमानुसार व्यय किया जायेगा।

अवार्ड धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि कायाकल्प–अवार्ड योजना तथा क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डर्ड के असेसेमेंट में चिन्हित गैप क्लोजर तथा चिकित्सालय के सुदृढ़ीकरण हेतु उपयोगित की जायेगी। यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि अन्य मद से प्राप्त बजट की कोई डुप्लीकेसी न हो। उक्त मद में बजट का आवंटन भारत सरकार द्वारा समय–समय पर चिकित्सा इकाईयों द्वारा एन.क्यू.ए. सर्टिफिकेशन प्राप्त होने के उपरान्त पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

हास्पिटल मैनेजर के कार्यदायित्वों के संबंध में अतिरिक्त दिशा–निर्देश

हास्पिटल मैनेजर के कार्यदायित्वों के संबंध में पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य अनिवार्य रूप से सम्पादित किये जायेगेः–

1. शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से आरम्भ की गई बी0एफ0एच0आई0 (Breast Feeding Hospital Initiative) कार्यक्रम सम्बन्धी पोर्टल पर दैनिक एवं मासिक प्रपत्रों में प्रविष्टियां करना।
2. यूनिसेफ द्वारा संचालित 'वॉश्' कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत चिकित्सा इकाईयों के परिसर में साफ–सफाई स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण तथा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी पोर्टल पर मासिक प्रपत्रों में प्रविष्टियां करना।
3. चिकित्सा इकाईयों में मातृ स्वास्थ्य सम्बन्धी चिकित्सकीय सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं सुरक्षित बनाए जाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के आडिट यथा–सीजेरियन, रेफरल एवं मातृ मृत्यु संबंधी फैसिलिटी बेस्ड एम0डी0एस0आर0 सम्पादित किया जाना।
4. चिकित्सा सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सम्बन्धित विभागों में अन्तर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से उक्त विभागों के सक्षम अधिकारियों से समन्वय तथा सम्पर्क किया जाना।
5. कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी के संबंध में पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम/क्यू0ए0/जन0सु0/2018–19/02/10070 दिनांक 26.12.2018 के अनुसार सम्बन्धित जनपदों में कार्यरत विभिन्न कॉरपोरेट हाउस, संस्थानों एवं फर्मो के सक्षम अधिकारियों से सम्पर्क करते हुए चिकित्सा इकाईयों को विभिन्न प्रकार के अनुदान प्रदान करवाना।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एन.क्यू.ए.एस. चेकलिस्ट उपयोग के सम्बन्ध में निर्देश

प्रदेश के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा 'नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन' प्राप्त किये जाने का लक्ष्य है। चेकलिस्ट में इंगित कुछ चेक प्वाइंट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सीधे सम्बंधित नहीं हैं क्योंकि कतिपय सेवाएं रेफरल या लिंक सर्विस के रूप में उच्चतर चिकित्सा इकाईयों से (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा जनपद स्तरीय चिकित्सालय) प्राप्त की जाती हैं, जिनका विवरण निम्नवत हैः–

क्रम सं.	विभाग	एन.क्यू.ए.एस. चेकलिस्ट (एम.ई नं.)	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध न होने वाली सेवाएं	रेफरल/लिंक सर्विस हेतु चिकित्सा इकाई
1	ओ.पी.डी	ए2.1, ई13.4, ई13.4	सुरक्षित गर्भपात की सेवा	जिला महिला चिकित्सालय/एफ.आर.यू. सामु0स्वा0 केंन्द्र
2		ए2.5	एडोलिसेन्ट (किशोर) फैसिलिटी क्लीनिक की उपलब्धता	जिला महिला चिकित्सालय/सामु0स्वा0 केंन्द्र
3		ए2.4	कुपोषित बच्चों के लिए एन.आर.सी. की सुविधाऐं	जिला पुरूष चिकित्सालय
4		सी5.3	पैप स्मीयर की उपलब्धता	जिला महिला चिकित्सालय/एफ.आर.यू. सामु0स्वा0 केंन्द्र
5		ई14.1, ई14.2, ई14.3, ई14.4	आई.सी.टी.सी एवं पी.पी.टी.सी.टी अर्श सेवाऐं एच.आई.वी–टी.बी को–आर्डिनेशन	जिला महिला/पुरूष चिकित्सालय
6	लैब	ए3.1	बायोकेमेस्ट्री एवं हिमेटोलॉजी (हीमोग्लोबिन की जांच को छोड़कर) की जांचें	जिला महिला/पुरूष चिकित्सालय / एफ.आर.यू. सामु0स्वा0 केंन्द्र
7	आई.पी.डी.	ई12.3	नवजात शिशुओं के लिए एस.एन.सी.यू की सुविधाएं	जिला महिला चिकित्सालय
8	लेबर रूम	सी5.2	एम.टी.पी की सुविधाएं	जिला महिला चिकित्सालय
9	एन.एच.पी	ए4.2	एक्स–रे	जिला पुरूष चिकित्सालय/साम0 स्वा0 केंद्र
10		ए4.2	कल्चर सेंसटिविटी ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम फॉर टी.बी.	मेडिकल कॉलेज/निजी डायग्नोस्टिक सेंटर
11		ए4.4	सेलेब्रल मलेरिया, सेप्टीसीमिया एवं बैक्टीरियल निमोनिया	जिला पुरूष चिकित्सालय

12		ए4.3	लैप्रोसी सेवाऐं	जिला पुरूष चिकित्सालय
13		ए4.5	मोतियाबिन्द ऑपरेशन	जिला पुरूष चिकित्सालय
14		ए4.6	नेशनल मेन्टल हेल्थ कार्यक्रम रिफरल लिंकेज	जिला पुरूष चिकित्सालय

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एन.क्यू.ए.एस. चेकलिस्ट उपयोग के सम्बन्ध में निर्देश

भारत सरकार द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डर्ड चेकलिस्ट उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें 12 विभाग सम्मिलित है। प्रदेश में कतिपय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एफ. आर.यू–सी0एच0सी0 के रूप में कियाशील है। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्रों का एन.क्यू.ए. सर्टिफिकेशन किये जाने के उद्देश्य से चेकलिस्ट को एफ.आर.यू–सी0एच0सी0 तथा एफ.आर.यू. नॉन सी0एच0सी0 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उक्त के कम में एन.एच.एस.आर.सी. नई दिल्ली की अनुमति के उपरान्त चेकलिस्ट का सी.एच.सी.–एफ.आर.यू. के अन्तर्गत 12 विभाग सी.एच.सी. नॉन एफ.आर.यू. की चेकलिस्ट में 8 विभागों (इमरजेन्सी ओ.पी.डी. लेबर रूम आई.पी.डी. लैब. फार्मेसी, ऑक्जिलरी, जनरल एडमिन) के कतिपय चेक प्वांइट के सत्यापन के साधन (Means of Verification) में कस्टमाइजेशन करते हुये असेसमेंट कराये जाने का निर्णय लिया गया है। कस्टमाइजेशन निम्न चेक प्वाइंट में किया गया हैः–

S.No	Name of Department	CheekPoints	Sno	Name of Department	CheekPoints
1	Emergency	ME.C.1.5ME .H.1.2	7	NBSU	ME.B.5.55.ME.C.1.5.ME.H.1.2
2	OPD		8	Radiology	C.1.5.MR.H.1.2
3	Laabour Room		9	Pharmacy	ME.A.4.2.ME.A.4.4C.1.5.ME.H.1.2
4	IPD		10	BSU	C.1.5
5	OT		11	AuxServices	C.1.5
6	Laboratory		12	Gen Sdmin	ME.B.5.4.ME.5.6.5.ME.C.1.2 ME.C.1.5.ME.C3.4,,ME.C.3.5ME.C3.9. ME.H.1.2

सितम्बर 2019 तक 58 कियाशील सी.एच.यसी.–एफ.आर.यू. की सूची के अतिरिक्त अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो को सी.एच.सी.– नॉन एफ.आर.यू. की श्रेणी में माना जायेगा। आगामी असेसमेंट (इनटर्नल, पियर एवं एर्क्सटनल) उपरोक्तानुसार वर्णित कस्टमाइज चेकलिस्ट का उपयोग करते हुये किया जायेगा। उपरोक्त कस्टमाइज चेकलिस्ट का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करायें।

पूर्व में प्रेषित किये गये दिशा–निर्देशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उपरोक्त पुनरीक्षित दिशा–निर्देश को समेकित करते हुए पढ़ा जाये।

7.2 'कायाकल्प'–अवार्ड योजना

आप अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा 15 मई, 2015 से राजकीय चिकित्सा इकाईयों में स्वच्छता एवं हाइजीन व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने हेतु 'कायाकल्प'–अवार्ड योजना का कियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में प्रदेश की समस्त चिकित्सा इकाईयां जनपद स्तरीय चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर्स को कायाकल्प अवार्ड के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है। अवार्ड के नामांकन हेतु चिकित्सा इकाईयों का तीन चरणो में असेसमेंन्ट (इनटर्नल, पियर एवं एक्सटर्नल) किया जाता है। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के इन्टर्नल, पियर एवं एक्सटर्नल असेसमेंट के पश्चात राज्य स्तर से' राज्य कायाकल्प अवार्ड नामांकन समिति' के माध्यम से अन्तिम निर्णय लिया जाता है। कार्यक्रम के समुचित कियान्वयन हेतु पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश को अवकमित करते हुये समेकित दिशा–निर्देश निम्नवत हैः–

7.2.1 'कायाकल्प–अवार्ड' योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण FMR Code-9.5.25.3

जनपद स्तरीय 'कायाकल्प' अवार्ड योजना सम्बंधी एक दिवसीय ओरिएन्टेशन कम अवेयरनेस कार्यशाला का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा। उक्त कार्यशाला के आयोजन का उत्तरदायित्व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी–क्वालिटी एश्योरेंस तथा सम्बंधित डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट–क्यू0ए0 का होगा। कार्यशाला में चिकित्सा इकाईयों के प्रभारी अधिकारी/नोडल अधिकारी–क्यू0ए0, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक, नर्स मेन्टर, स्टाफ नर्स कम्युनिटी हेल्थ

आफीसर तथा अन्य कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। आवश्यकतानुसार एक से अधिक बैच में प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। कार्यशाला में 50 प्रतिभागियों हेतु बजट का आवंटन किया गया है। किन्तु प्रतिभागियों की संख्या 50 से अधिक होने पर सम्बन्धित मद से आवंटित धनराशि की सीमा से अधिक व्यय नही होना चाहिये। उक्त कार्यशाला हेतु निम्न तालिकानुसार रू. 33,000.00 प्रति जनपद की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है–

District Level Awareness Training				
S.N.	**Activities**	**Rate (in Rs.)**	**Participants**	**Total in Rs**
1	Honorarium to Distt. Trainers	600	2	1200.00
2	Mess, Fooding for Participants	250	50	12500.00
3	Incidental expenses, Banner, Sound System etc.			5000.00
4	Contingency (Photocopy, Stationary, venue hiring if required etc.)			10000.00
5	Institutional Overhead (15% POL for generator if required etc.)			4300.00
Total				**33000.00**

प्रशिक्षण सम्बन्धित डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, डिवीजनल कंसल्टेंट–क्यू0ए0 / पब्लिक हेल्थ या अन्य प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा प्रदान किया जायेगा। प्रतिभागियों को प्रशिक्षण सामग्री एवं अन्य आवश्यक लर्निंग रिसोर्स मैटीरियल्स आवश्यक रूप से प्रदान किया जायेगा।

7.2.2 असेसमेंन्ट की प्रक्रिया (एफ.एम.आर.कोड 13.2.1) चिकित्सा इकाईयों का तीन चरणों मे असेसमेन्ट किया जाना है –

इन्टर्नल असेसमेंट–जनपद स्तरीय चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अरबन प्राथमिक केन्द्रों एवं हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर्स के लिए निर्धारित चेकलिस्ट पर चिकित्सा इकाई स्तर से इन्टर्नल असेसमेंट किया जायेगा। चिकित्सा इकाईयों द्वारा इन्टर्नल असेसमेंट की रिपोर्ट प्रत्येक त्रैमास में सम्बंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। यथासम्भव जनपद / मण्डल स्तर से क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत चिकित्सा इकाईयों का स्कोर रिवैलिडेट किया जायेगा। वर्ष में एक बार 70 प्रतिशत से अधिक स्कोर प्राप्त चिकित्सा इकाईयों का पियर असेसमेंट हेतु नामाकंन किया जायेगा।

पियर असेसमेंट–इन्टर्नल असेसमेंन्ट में 70 प्रतिशत या अधिक स्कोर प्राप्त चिकित्सा इकाईयों की सूचना संकलित कर जनपद / मण्डल के प्रशिक्षित कार्मिकों (मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक' जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक' डिवीजलन कंसल्टेट क्वालिटी एश्योरेंस / पब्लिक हेल्थ .डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट–क्यू0ए0, एन0जी0ओ0 तथा हॉस्पिटल मैनेजर्स) द्वारा पियर असेसमेंट किया जायेगा।

चिकित्सा इकाईयों (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अरबन) के पियर असेसमेंट कराये जाने हेतु मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। मण्डलीय अपर निदेशक के स्तर से क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अर्न्तगत तैनात डिवीजनल कंसल्टेट क्यू.ए. एवं पब्लिक हेल्थ के सहयोग से पियर असेसमेंट किया जायेगा। कायाकल्प के एक्सटर्नल असेसर्स पूल से पियर डयूटी डिवीजनल कंसल्टेट द्वारा तैयार की जायेगी तथा असेसमेंट पूर्ण होने पर असेसर्स का भुगतान सबंन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी / नोडल अधिकारी क्यू.ए. के मार्गदर्शन में किया जायेगा। असेसर्स से समन्वयन करके क्लेम फार्म संकलित कर भुगतान हेतु पत्रावली परिचालन एवं उक्त भुगतान असेसमेंट के एक माह के अन्दर सुनिश्चित कराये जाने के उत्तरदायित्व डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेट– क्वालिटी एश्योरेंस का होगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पियर असेसमेंट हेतु जनपदवार धनराशि का आवंटन इन्टर्नल असेसमेंट में (70 प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त) अर्ह चिकित्सा इकाईयों की संख्या के आधार पर राज्य स्तर से किया जायेगा, जिसकी सूचना इनर्टनल असेसमेंट के परिणाम प्राप्त होने के उपरान्त पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

जनपद स्तरीय चिकित्सालयों का पियर असेसमेंट राज्य से नियमानुसार कराया जायेगा। असेसर्स का भुगतान मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से नियमानुसार किया जायेगा।

प्रदेश सरकार की वर्तमान मितव्ययता नीति के दृष्टिगत पियर असेसमेंट हेतु दैनिक मानदेय रू0 2000.00 के स्थान पर रू0 1000.00 किया जा रहा है।

जनपद स्तरीय चिकित्सालयो के पियर असेसमेंट हेतु बजट फॉट निम्नवत हैः–

District level Hospital peer assessment (01 Day) FMR Code: 13.2.1				
Sno	**Particulars**	**Rate /per Participants**	**Participants /Qty**	**Amount**
1	Travel Cost of Assessors	3000	2	6000.00
2	Honorarium / Per Diem to Assessors	1000	2	2000.00
	Total			**8000.00**

जनपदवार पियर असेसमेंट हेतु जनपद में चिकित्सालयों की संख्या के आधार पर धनराशि का आवंटन किया जा चुका है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पियर असेसमेंट हेतु बजट फॉन्ट निम्नवत हैः–

CHC Peer (01 Day) FMR Code: 13.2.1				
Sno	**Particulars**	**Rate /per Participants**	**Participants /Qty**	**Amount**
1	Travel Cost of Assessors	3000	2	6000.00
2	Honorarium for Assessors	1000	2	2000.00
	Total			**8000.00**

जनपदवार पियर असेसमेंट हेतु अर्ह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या के आधार पर धनराशि का आवंटन किया जायेगा, जिसकी सूचना पृथक से प्रेषित की जायेगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा (हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर्स सहित) हेतु बजट फॉन्ट निम्नवत हैः–

PHC Peer (01 Day) FMR Code: 13.2.1				
Sno	**Particulars**	**Rate /per Participants**	**Participants /Qty**	**Amount**
1	Honorarium for Assessors	1000	1	1000.00
2	Travel Cost of Assessors	4000	1	4000.00
	Total			**5000.00**

जनपदवार पियर असेसमेंट हेतु अर्ह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या के आधार पर धनराशि का आवंटन किया जायेगा, जिसकी सूचना पृथक से प्रेषित की जायेगी।

जनपद स्तरीय चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का एक्सटर्नल असेसमेण्ट FMR Code: 13.2.1

पियर असेसमेंट में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त जनपद स्तरीय चिकित्सालयों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का एक्सटर्नल असेसमेंट राज्य स्तर पर प्रशिक्षित असेसर्स पूल से असेसमेंट टीमों का निर्धारण करते हुये कराया जायेगा। जनपद स्तरीय चिकित्सालयों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के असेसमेंट हेतु नामित टीम के सदस्यों का भुगतान राज्य स्तर से निम्न मानकानुसार किया जायेगाः–

असेसर्स द्वारा असेसमेंट तिथि से 02–03 दिवस में असेसमेंट स्कोर चेकलिस्ट (स्टैण्डर्ड चेकलिस्ट की साफ्ट कॉपी तथा चेकलिस्ट के प्रथम पेज की असेसर द्वारा हस्ताक्षरित स्कैन कापी) तथा विवरणात्मक रिपोर्ट तथा असेसर्स द्वारा टीम के सभी सदस्यों का क्लेम फार्म बीजकों सहित क्यू0ए0 अनुभाग को प्रेषित किया जायेगा।

जनपद स्तरीय चिकित्सालयो के एक्सटर्नल असेसमेण्ट हेतु बजट फॉन्ट निम्नवत है FMR Code: 13.2.1

External Assessment of District level Hospital (02 Day)					
s/n	**Particulars**	**Rate /per Participants**	**Participants /Qty**	**Days**	**Amount**
1	Travel Cost of Assessors	2000	3	2	12000.00
2	Honorarium / Per Diem to Assessors	2000	3	2	12000.00
3	Boarding & Lodging of Assessors	4000	3	2	24000.00
5	Contingency for Documentation				2000.00
	Total				**50000.00**

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एक्सटर्नल असेसमेण्ट हेतु बजट फॉन्ट निम्नवत हैः— FMR Code: 13.2.1

External Assessment of CHC (01 Day)					
s/n	**Particulars**	**Rate /per Participants**	**Participants**	**Days**	**Amount**
1	Travel Cost of Assessors	2500	3	2	15000.00
2	Honorarium / Per Diem to Assessors	2000	3	1	6000.00
3	Boarding & Lodging of Assessors	4000	3	1	12000.00
4	Contingency for Documentation				1000.00
	Total				**34000.00**

7.2.3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अरबन प्राथमिक केन्द्रों (हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर्स सहित) का एक्सटर्नल असेसमेण्ट

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। राज्य स्तर से पियर असेसमेंट में 70 प्रतिशत से अधिक स्कोर प्राप्त चिकित्सा इकाइयों की सूचना मण्डल पर उपलब्ध करायी जायेगी। पिअर असेसमेंट में 70 प्रतिशत या अधिक स्कोर प्राप्त चिकित्सा इकाईयों का एक्सटर्नल असेसमेंट मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वा0 एवं परिवार कल्याण के स्तर से प्रशिक्षित कार्मिकों (स्टेट कंसल्टेंट—क्वालिटी एश्योरेंस, डिवीजनल कंसल्टेंट—क्वालिटी एवं पब्लिक हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट—क्वालिटी एश्योरेंस, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, मेडिकल कालेज/विश्व विद्यालय तथा एन0जी0ओ0 के प्रशिक्षित असेसर्स) की ड्यूटी लगाकर किया जायेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एक्सटर्नल असेसमेंट की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु मण्डल स्तर पर तैनात डिवीजनल कंसल्टेंट क्यू0ए0/पी0एच0 एवं मण्डल के अन्य असेसर्स की डयूटी निम्न आवंटित मण्डलों के जनपदों में लगायी जायेगी। असेसमेंट डयूटी लिस्ट अन्तिम करते समय समस्त असेसर्स को यथासंभव समान अवसर प्रदान किया जाये।

s/n	Division	Allocated division for external assessment of PHCs	s/n	Division	Allocated division for external assessment of PHCs
1	Agra	Jhansi	10	Jhansi	Banda
2	Aligarh	Agra	11	Kanpur	Basti
3	Lucknow	Bareilly	12	Ayodhya	Lucknow
4	Azamgarh	Devipatan	13	Meerut	Moradabad
5	Banda	Prayagraj	14	Mirzapur	Varanasi
6	Bareilly	Aligarh	15	Moradabad	Saharanpur
7	Basti	Mirzapur	16	Prayagraj	Kanpur
8	Devipatan	Ayodhya	17	Saharanpur	Meerut
9	Gorakhpur	Azamgarh	18	Varanasi	Gorakhpur

प्रा0स्वा0केन्द्रों के एक्सटर्नल असेसर्स का भुगतान सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक के स्तर से वास्तविक बीजकों के सत्यापन के पश्चात् निर्धारित मानकानुसार किया जायेगा। डिवीजनल कंसल्टेंट क्यू0ए0/पब्लिक हेल्थ द्वारा असेसर्स की ड्यूटी लिस्ट तैयार करने चेकलिस्ट की साफ्ट कापी संकलन में मण्डलीय अपर निदेशक को सहयोग प्रदान किया जायेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अरबन प्राथमिक केन्द्रों (हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर्स सहित) के एक्सटर्नल असेसमेण्ट हेतु बजट फॉन्ट निम्नवत हैः— FMR Code: 13.2.1

External Assessment of PHC(01 Day)					
s/n	**Particulars**	**Rate /per Participants**	**Participants**	**Day**	**Amount**
1	Travel Cost of Assessors	2000	2	1	4000.00
2	Honorarium / Per Diem to Assessors	2000	2	1	4000.00
3	Boarding & Lodging of Assessors	4000	2	1	8000.00
4	Contingency for Documentation				1000.00
	Total				**17000.00**

पियर असेसमेंट में अर्ह चिकित्सा इकाईयों की संख्या के आधार पर मण्डलीय जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति में राज्य स्तर से धनराशि का आवंटन एवं व्यय हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। सम्बन्धित मण्डलीय जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक को धनराशि हस्तानान्तरित की जायेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पियर असेसमेंट का परिणाम प्राप्त होने के उपरान्त उक्त के सम्बन्ध में धनराशि का आवंटन पृथक से किया जायेगा।

प्रदेश सरकार की वर्तमान मितव्ययता नीति के दृष्टिगत असेसमेंट (पियर एवं एक्सर्टनल) हेंतु नामित जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों (यथाः मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक,डिवीजनल कंसल्टेंट–क्वालिटी एवं पब्लिक हेल्थ,डिस्ट्रिकट कंसल्टेंट–क्वालिटी एश्योरेंस) को राजकीय या अनुबंधित वाहन आवंटित है, द्वारा यथा संभव टैक्सी हायर न किया जाये अपितु आवंटित वाहन का उपयोग किया जाये।

7.2.4 एक्सटर्नल असेसमेंट के अंको में 'मेरा–अस्पताल' के वेटेज व्यवस्था हेतु दिशा–निर्देश

भारत सरकार के पत्र संख्या–DO No. NHSRC/14-15/QI/01/Swacch Health Facilities & Kayakalp Date :12th July 2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत 'मेरा चिकित्सालय' में आच्छादित चिकित्सालयों को 'कायाकल्प'–अवार्ड स्कीम के अन्तर्गत 15.0 प्रतिशत का वेटेज अंक प्रदान करने हेतु निर्णय लिया गया है। उक्त के अन्तर्गत चिकित्सा इकाई के स्कोर का निर्धारण निम्न सूत्र (अवार्ड टू पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज–कायाकल्प 2019 के Annexure-III पृष्ठ संख्या–141–142) के आधार पर किया जायेगाः–

Mera Aspataal Score of Hospital can be calculated using the formula	=	Max. % age of dissatisfied patients in the state-% of patient dissatisfied at a Hospital / Min. % age of dissatisfied patients in the state- Min % of patient dissatisfied patient in the state	X 100

कायाकल्प–अवार्ड स्कीम के अन्तर्गत अन्तिम स्कोर गणना निम्नवत् की जायेगीः उदारणार्थ यदि चिकित्सालय का चेकलिस्ट के आधार पर स्कोर 84 प्रतिशत है तथा मेरा अस्पताल स्कोर 66.66 प्रतिशत है, तो

Score	Value	Wieghatge	Calculation	Wieghatge Score
Kayakalp Score	84.0%	85.0%	84.0X 0.85	71.4%
Mera Asptaal Score	66.6%	15.0%	66.6 X 0.15	9.99%
Total score of Hospital A				81.39 %

जो चिकित्सालय मेरा अस्पताल योजना के अन्तर्गत अच्छादित है, उनके अंतिम स्कोर की गणना तथा अवार्ड अंतिम सूची उपरोक्तानुसार राज्य स्तर से निर्गत की जायेगी।

7.3 स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र–एफ.एम.आर.कोड 13.2.5

भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 दिसंबर, 2016 को 'स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र' कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय समग्र रूप से भारत को खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) बनाये जाने के लिए कार्य कर रहें है। भारत सरकार द्वारा ओ0डी0एफ0 आच्छादित विकास खण्डों की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो को एन0क्यू0ए0 सर्टिफिकेशन की उपलब्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2021–22 में भारत सरकार द्वारा रू0 100.00 लाख की धनराशि स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त धनराशि का आंवटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों हेतु निर्धारित कायाकल्प, एन0क्यू0ए0 स्टैडर्ड चेक लिस्ट में अंको की वरीयता के आधार पर निम्नवत् किया जा रहा हैः–

s/n	Districts	Name of CHCs	Budget allocated (Rs in Lakh)	s/n	Districts	Name of CHCs	Budget allocated (Rs in Lakh
1	Prayagraj	Phoolpur	5.0	11	Moradabad	Kanth	5.0
2	Raibareilly	Deeh	5.0	12	Mahoba	Kabrai	5.0
3	Jalaun	Kadaura	5.0	13	Mirzapur	Rajgarh	5.0
4	Barabanki	Badagaon	5.0	14	Pratapgarh	Sangramgarh	5.0
5	Bulandsahar	Jahangirabad	5.0	15	Rampur	Shahabad	5.0
6	Deoria	Gauribazar	5.0	16	Muzaffanagar	Jansath	5.0
7	Maharajganj	Partawal	5.0	17	Kaushambi	Kada	5.0
8	Sultanpur	Kurwar	5.0	18	Etawah	Udi	5.0
9	Kanpur Nagar	Bilhaur	5.0	19	Bahraich	Chhittaura	5.0
10	Lucknow	BKT	5.0	20	Gorakhpur	Bhathat	5.0

धनराशि का उपयोग चेकलिस्ट चिन्हित गैप के आधार पर कार्ययोजना बनाकर मानकानुसार किया जाये। धनराशि को व्यय किये जाने हेतु दिशा–निर्देश पूर्ववत् रहेंगें।

7.3.1 अवार्ड प्राप्त जनपद स्तरीय चिकित्सालयों के लिए पुरस्कार धनराशि के उपयोग हेतु वित्तीय दिशा–निर्देश एफ.एम. आर. कोड 13.2.2

कायाकल्प अवार्ड योजना के अन्तर्गत 'राज्य स्तरीय कायाकल्प अवार्ड समिति' द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त चिकित्सा इकाईयों को निर्धारित अवार्ड धनराशि को राज्य कायाकल्प अवार्ड नामांकन समिति द्वारा कम की जा सकती है तथा कटौती की गयी धनराशि वरीयता के क्रम में प्रथम 10 या अधिक रैंक तक अथवा औचित्यपूर्ण अनुपात में आवंटित की जा सकती है। कायाकल्प अवार्ड योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अवार्ड धनराशि का विवरण निम्नवत हैः–

s/n	Type of health facility	Award Money (Rs.in lakh)	Remark
1	District Hospitals (DH/DCH/DWH)	• I Rank across the state Rs.50.00 Lakh • II Rank across the state Rs.20.00 Lakh • III Rank across the state Rs.10.00 Lakh& • Consolation prize : Rs.3.00 Lakh	Top Ranker's (I,II &III) must increase 5% score from previous year score
2	CommunityHealth Centre	• I Rank across the state Rs.15.00 Lakh • II Rank across the state Rs.10.00 Lakh& • Consolation prize : Rs.1.00 Lakh	Top Ranker's (I & II) must increase 5% score from previous year score
3	Primary Health Centre (including Health & Wellness Centre)	• I Rank across District Rs.2.00 Lakh& • Consolation prize : Rs.0.50 Lakh	District 1st ranker must increase 5% score from previous year score
4	Health & Wellness Centre (SC)> 50	• 1st prizes Rs 1.00 Lakh • 1st Runner –upRs 50,000, • 2nd Runner-up Rs 35,000 , & • Consolation prize :Rs.25,000	

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स (उपकेन्द्र) हेतु दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किए जाएगें।

गुणवत्ता की निरन्तरता के दृष्टिगत चिकित्सा इकाईयों का रैण्डम आधार पर राज्य स्तर से रिवैलिडेशन किया जा सकता है तथा असेसमेंट के स्कोर में (अवार्ड के समय एक्सटर्नल असेसमेंट स्कोर) पांच प्रतिशत से अधिक कमी की स्थिति में दण्ड स्वरूप अवार्ड धनराशि में कटौती की जा सकती है, जिसका निर्धारण राज्य स्तर से किया जायेगा।

7.3.2 अवार्ड धनराशि–एफ.एम.आर. कोड 13.2.2

भारत सरकार के निर्देशानुसार अवार्ड हेतु प्राविधानित धनराशि की 75 प्रतिशत चिकित्सालय के नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डर्ड एवं कायाकल्प अवार्ड स्कीम के अंतर्गत चिन्हित गैप क्लोजर, सुदृढ़ीकरण, रख–रखाव, स्वच्छता व्यवस्था इत्यादि सुनिश्चित किये जाने हेतु उपयोगित की जाये, जिससे चिकित्सालय के स्कोर में वृद्धि हो सके। शेष 25 प्रतिशत धनराशि चिकित्सा इकाईयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (नियमित संविदा एवं आउटसोर्स) के उत्साहवर्धन हेतु इन्सेंटिव के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। अवार्ड विजेता चिकित्सा इकाई को अवार्ड धनराशि में से इन्सेंटिव हेतु स्वीकृत 25 प्रतिशत धनराशि का उपयोग चिकित्सालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों कों कैश अवार्ड, क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण, चिकित्सालय में कर्मचारियों के कार्यस्थल में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक गतिविधियों पर नियमानुसार व्यय किया जायेगा।

अवार्ड धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि कायाकल्प–अवार्ड योजना तथा क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डर्ड के असेसेमेंट में चिन्हित गैप क्लोजर तथा चिकित्सालय के सुदृढ़ीकरण हेतु उपयोगित की जायेगी। यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि अन्य मद से प्राप्त बजट की कोई डुप्लीकेसी न हो।

डाक्यूमेंटेशन–प्रा0स्वा0 केन्द्रों के तीन स्तरों के असेसमेंट में चेकलिस्ट, अवार्ड का नामांकन करते हुये मण्डलीय अपर निदेशक के स्तर से संकलित सूचना क्यू0ए0 अनुभाग के ई–मेल आई0डी0 qanhmup2021@gmail.com पर प्रेषित की जायेगी। डिविजनल कंसल्टेंट द्वारा सभी स्तरों की चेकलिस्ट, थीमेटिक एरियावार स्कोर की संकलित कर 'हार्ड डिस्क' में डाटा को कम से कम 05 वर्षों तक सुरक्षित रखा जायेगा।

असेसमेन्ट हेतु समय सारणी

Sno	Type of Assessment	Time Line		
		District Level Hospital (DH,DWH & DCH)	Community Health Centers	Primary Health Centre (Including Health & Wellness centre)
1	Internal Assessment	Last Month of Each Quarter	Last Month of Each Quarter	Last Month of Each Quarter
2	Peer Assessment	June –July of Each Financial Year	Aug–Sept of Each Financial Year	Oct-Nov of Each Financial Year
3	External Assessment	September Onwards		

कायाकल्प–अवार्ड स्कीम के अंतर्गत जनपदों के समस्त चिकित्सालयों को अवार्ड की अर्हता में लाना भारत सरकार व प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। योजना के प्रारम्भ से अब तक अवार्ड की अर्हता प्राप्त चिकित्सालयों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है किन्तु यह प्रयास किया जाना है कि अधिक से अधिक संख्या में चिकित्सालयों को क्वालिटी एश्योरेंस एवं 'कायाकल्प' के मानकानुसार सुदृढ़ किया जाये, ताकि जनसमुदाय को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हो सकें।

अवार्ड धनराशि, प्राथमिक एवं समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो के पीयर असेसमेंट एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एक्टर्नल असेसमेंट हेतु दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

7.4 चिन्हित जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में "हेल्प डेस्क" कार्यक्रम का क्रियान्वयन

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 की राज्य कार्ययोजना में प्रदेश के चिन्हित जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में "हेल्प डेस्क" कार्यक्रम के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। "हेल्प डेस्क" के संचालन हेतु चिन्हित जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में एक हेल्प डेस्क मैनेजर व एक हेल्प डेस्क ऑपरेटर का पद संविदा पर स्वीकृत किया गया है।

हेल्प डेस्क के उद्देश्य

- चिकित्सालय में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की लाभार्थियों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना।
- लाभार्थियों की शिकायतों एवं सुझावों के सम्बन्ध में समुचित एवं समयबद्ध निराकरण हेतु चिकित्सालय प्रशासन को सूचित करना एवं अभिलेखीकरण करना।
- 'कायाकल्प'–अवार्ड योजना के निर्धारित मानकानुसार स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ीकरण हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को सहयोग प्रदान करना।
- मेरा अस्पताल योजना तथा वॉश कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में नोडल अधिकारी को सहयोग प्रदान करना।

हेल्प डेस्क का स्थल एवं संचालन

इस हेतु चिकित्सालय के ओ0पी0डी0 भवन के किसी मुख्य स्थान पर लगभग 100–150 वर्ग फिट का स्थान चयनित करते हुए हेल्प डेस्क मैनेजर एवं ऑपरेटर के बैठने हेतु तदनुसार मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका स्तर से स्थान आवंटित किया जाना आवश्यक है, जिससे लाभार्थियों को त्वरित सेवायें प्रदान की जा सकें। हेल्प डेस्क कार्मिकों के बैठने के स्थल पर बैकग्राउन्ड फ्लेक्स (फ्रेम सहित, लगभग 3X2 फिट) लगाया जाये। फ्लेक्स की पृष्ठिभूमि पीले रंग की होगी, जिस पर 'हेल्प डेस्क' लाल रंग से लिखा जाये तथा अन्य सूचनायें काले रंग से लिखी जायेंगी।

नोट–

(क) सुनिश्चित किया जाय कि हेल्प डेस्क की स्थापना मुख्य प्रवेश द्वार के पास हो, जिससे रोगी/परिजन (विशेष रूप से पहली बार आने वाले) चिकित्सालय में प्रवेश करते ही आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकें।

(ख) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि स्ट्रेचर एवं व्हील चेयर क्रियाशील अवस्था में हेल्प डेस्क के निकट हर समय उपलब्ध हो।

(ग) वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत हेल्प डेस्क काउन्टर पर पब्लिक कालिंग/माइक सिस्टम की व्यवस्था ऑपरेशनल कास्ट से की जाय, जिससे सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये सुचारू रूप से सेवायें प्रदान की जा सकें।

हेल्प डेस्क की समयावधिः– हेल्प डेस्क कार्मिकों द्वारा प्रातः 08:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक सेवायें प्रदान की जायेगीं।

7.4.1 हेल्प डेस्क ड्रेस कोडः– FMR Code-16.1.4.2.1

हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर द्वारा पिंक रंग की फुल स्लीव कॉटन एप्रैन ड्यूटी के दौरान धारण की जायेगी। प्रत्येक हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में अधिकतम दो एप्रैन अनुमन्य है। प्रति एप्रैन हेतु अधिकतम रू0 500.00 की धनराशि अनुमन्य है। हेल्प डेस्क कार्मिकों द्वारा एप्रैन का क्रय उपरोक्त मानकों के अनुसार किया जायेगा। हेल्प डेस्क कार्मिकों द्वारा एप्रैन हेतु कपड़ा एवं सिलाई का बिल प्रस्तुत किया जायेगा। बिल प्रस्तुत करने पर हेल्प डेस्क ऑपरेशनल कॉस्ट मद (FMR Code-16.1.4.2.1) में उपलब्ध धनराशि में से सम्बन्धित कार्मिक को भुगतान किया जायेगा।

हेल्प डेस्क द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं

1. चिकित्सालय में आने वाले लाभार्थियों को चिकित्सकों एवं चिकित्सालय में उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना एवं मरीजों/तीमारदारों की जिज्ञासाओं का समाधान करना।
2. चिकित्सा इकाई में सुझाव/शिकायत पेटिका लगाया जाना तथा शिकायत पंजिका/पेटिका से प्राप्त सुझाव/शिकायत का अभिलेखीकरण करना एवं प्राप्त शिकायतों के निराकरण के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही को अंकित करना, साथ ही यथा सम्भव शिकायतकर्ता को अवगत कराना।
3. चिकित्सालय में संदर्भित होकर आने वाले तथा चिकित्सा इकाई से अन्य इकाई को संदर्भित होकर जाने वाले मरीजों के लिए सूचना केंद्र के रूप में कार्य करना।
4. 102, 108 एवं ए.एल.एस. एम्बुलेन्स सेवा के माध्यम से मरीजों को आवश्यकतानुसार परिवहन सेवा उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना।
5. चिकित्सालय में उपलब्ध सेवायें एवं संचालित किये जाने वाले विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उपलब्ध प्रचार–प्रसार सामग्रियों का संकलन एवं वितरण करना।
6. चिकित्सालय में किसी रोगी की मृत्यु हो जाने की दशा में शव को स्ट्रेचर एवं शव वाहन उपलब्ध कराने में सहायता करना।
7. निराश्रित मरीजों को यथा आवश्यक सहायता प्रदान करना व संदर्भन सेवाओं हेतु समन्वय स्थापित करना।

कार्य एवं दायित्व

(क) हेल्प डेस्क प्रबन्धक के कार्य एवं दायित्व

1. चिकित्सालय का दैनिक भ्रमण कर वार्डों, शौचालयों, प्रतीक्षालय, दवा वितरण कक्ष, भोजनालय, गलियारों आदि की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण, कायाकल्प की निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार करना तथा हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को सूचित करना।
2. निरीक्षण के दौरान सामने आने वाली समस्याओं को हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर/चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षिका के साथ साझा करना। साथ ही दैनिक चेकलिस्ट में चिन्हित गैप के विषय में सूचित करना।
3. हेल्प डेस्क का प्रबन्धन करना तथा कायाकल्प योजना सम्बंधी दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक चेकलिस्ट भरना। दैनिक चेकलिस्ट प्रतिदिन, साप्ताहिक चेकलिस्ट प्रत्येक गुरूवार तथा मासिक चेकलिस्ट प्रत्येक माह की 25 तारीख को भरी जायेगी।
4. मासिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अंत में राज्य मुख्यालय की ईमेल आई डी helpdeskup2019@gmail.com पर प्रेषित करना।
5. चेकलिस्ट एवं लाभार्थियों से प्राप्त पेशेन्ट सैटिसफैक्शन फीडबैक फार्म प्रतिदिन हेल्प डेस्क ऑपरेटर द्वारा कम्प्यूटर पर फीड किया जाना सुनिश्चित करना तथा इस सम्बन्ध में हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अवगत कराना।
6. शिकायत/सुझाव/ई–मेल/टेलीफोन/साक्षात्कार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का विश्लेषण कर हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को उपलब्ध कराना।
7. शिकायत पेटिका को निर्धारित कमेटी के नामित सदस्यों के समक्ष प्रत्येक सप्ताह में निश्चित दिवस को खोला जाना।
8. चिकित्सालय में वर्ष भर विभिन्न स्वास्थ्य सम्बंधी दिवसों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के विषय में जन सामान्य को जानकारी प्रदान करना। विभिन्न आयोजनों से सम्बंधित विशिष्ट सुविधायें जैसे कैम्प के आयोजन इत्यादि के विषय में जानकारी प्रदान करना।
9. विभाग से सम्बन्धित गोष्ठी/प्रशिक्षण आदि में शामिल होना एवं इनके विषय में सामान्य जानकारी रखना।

10. विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व टी.बी. दिवस, विश्व ग्लूकोमा दिवस, पल्स पोलियो, नियमित टीकाकरण, कोविड टीकाकरण, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान इत्यादि सम्बंधी जानकारी लाभार्थियों को प्रदान करना।
11. हेल्प डेस्क से सम्बन्धित अन्य रिपोर्ट तैयार करना एवं अभिलेखीकरण करना।
12. चिकित्सालय प्रबन्धन से संपर्क कर समस्याओं/शिकायतों को दूर करने का प्रयास करना एवं सक्षम स्तर से समस्या का निस्तारण हो जाने पर अभिलेखीकरण करना साथ ही शिकायतकर्ता को अवगत कराना।
13. हेल्प डेस्क ऑपरेटर के पर्यवेक्षकीय एवं नियंत्रक अधिकारी के रूप में कार्य करना। हेल्प डेस्क ऑपरेटर द्वारा भरे गये फीडबैक फार्म का अनुश्रवण करना।
14. बाह्य रोगियों तथा अन्तः रोगियों से निर्धारित प्रश्नावली पर साक्षात्कार कर गुणवत्तापरक सुविधाओं को प्रदान करने में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका की सहायता करना।
15. चिकित्सा इकाई द्वारा मरीजों के हित में किये गये नवाचारों (Innovations) को अभिलेखित करना एवं उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना।

(ख) हेल्प डेस्क ऑपरेटर के कार्य एंव दायित्व

1. काउण्टर पर विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित आई.ई.सी. सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. लाभार्थियों को चिकित्सालय में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना।
3. मरीजों और तीमारदारों द्वारा की गयी शिकायतों का निर्धारित पंजिका पर अभिलेखीकरण करना एवं सम्बन्धित अधिकारियों को उक्त शिकायत को दूर कराने में सहयोग प्रदान करना।
4. आकस्मिक केसेज़ एवं मेडिको लीगल केसेज़ को शीघ्रातिशीघ्र चिकित्सक के पास पहुंचाना।
5. प्रतिदिन 10 बाह्य एवं 10 अन्तः रोगियों से फीडबैक फार्म भरवाना एवं उसे हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर/एच.एम.आई.एस. ऑपरेटर के कम्प्यूटर/लैपटॉप में अंकित करना।
6. दैनिक रिपोर्टिंग प्रपत्र पर प्रतिदिन अंकन कर प्रबन्धक के माध्यम से हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से साझा करना।
7. प्रत्येक सप्ताह एक दिन निश्चित करके शिकायत/सुझाव पेटिका से प्राप्त शिकायतों/सुझावों से हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अवगत कराना।
8. चिकित्सालय की समस्यायें यथा–दवाओं का स्टाक न होना, स्टाफ की कमी होना, स्टेश्नरी की कमी एवं आवश्यक सामग्री की कमी होने पर इसकी सूचना दैनिक आधार पर हेल्प डेस्क प्रबन्धक को प्रदान करना।
9. जनपद के सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा अन्य किसी स्थान से जिला चिकित्सालय में संदर्भित करने की दशा में ऐसे समस्त स्थानों/एम्बुलेन्सों आदि को चिकित्सालय का सम्पर्क सूत्र उपलब्ध कराया जाना।
10. आगन्तुकों को उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं (निदान व उपचार इत्यादि) एवं स्वास्थ्य अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
11. चिकित्सालय में उपलब्ध विशेषज्ञ सेवायें, दवायें एवं पैथोलॉजी में की जाने वाली समस्त जांचों की सूची हेल्प डेस्क पर उपलब्ध रखना। साथ ही जिन स्वास्थ्य केन्द्रों पर लाभार्थी संदर्भित किये जाते हैं, उन केन्द्रों का नाम, संपर्क व्यक्ति का नाम, टेलीफोन/मोबाइल नं0 व ईमेल का पूर्ण विवरण एवं जिन स्वास्थ्य केन्द्रों से लाभार्थी संदर्भित होकर आते हैं उनका भी पूर्ण विवरण रखा जाना।
12. चिकित्सा इकाईयों पर हॉस्पिटल मैनेजर/हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर/चिकित्सा इकाई के राजकीय कम्प्यूटर सिस्टम का उपयोग हेल्प डेस्क कार्मिकों द्वारा रिपोर्टिंग हेतु किया जायेगा।

नोट–सुनिश्चित किया जाये कि हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर से चिकित्सालय के सामान्य क्रिया–कलापों जैसे –मरीजों की पंजीकरण पर्ची बनाना, कम्प्यूटर कार्य में कम्प्यूटर ऑपरेटर की मदद करना अथवा दवाओं का वितरण आदि जैसे कार्य न कराये जायें।

अपेक्षित परिणाम सूचक

1. रोगियों/परिजनों द्वारा की गयी शिकायतों का ससमय निस्तारण।
2. स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त सेवाओं जैसे–जननी सुरक्षा योजना, जे.एस.एस.के., कायाकल्प स्कोर, पेशेन्ट सैटिस्फैक्शन स्कोर, National Tuberculosis Elimination Programme (NTEP) आदि की गुणवत्ता में सुधार।

3. स्वास्थ्य सेवा का बेहतर उपयोग–मरीजों की संख्या (अन्तः रोगी एवं बाह्य रोगी) में प्रतिशत वृद्धि (गत वर्ष के सापेक्ष) को अंकित करना एवं हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर को के.पी.आई. सम्बंधी डाटा उपलब्ध कराना एवं उसको व्यवस्थित रूप से भरने में सहायता प्रदान करना।

7.4.2 वित्तीय प्रबंधन– FMR Code 16.1.4.2.1

वित्तीय वर्ष 2021–22 में "हेल्प डेस्क" की ऑपरेशनल कॉस्ट हेतु रू0 6,000.00 प्रतिमाह प्रति चिकित्सालय की दर से निम्न तालिका के अनुसार धनराशि प्रावधानित हैः–

क्र0 सं0	मद	विवरण	स्वीकृत धनराशि (प्रतिमाह)
1	टेलीफोन/ सी.यू.जी.	रू0 1500.00 – हेल्प डेस्क हेतु टेलीफोन एवं इन्टरनेट रू0 200.00 प्रतिमाह हेल्प डेस्क कार्मिकों के मोबाइल व्यय हेतु (रू0 100.00 हेल्प डेस्क प्रबन्धक एवं रू0 100.00 हेल्प डेस्क ऑपरेटर) **नोट–स्पष्ट करना है कि उपरोक्तानुसार प्रत्येक कार्मिक को मोबाइल व्यय हेतु रू0 100.00 प्रतिमाह की दर से अर्थात् वर्ष में कुल रू0 1200.00 देय है। कार्मिक को आवंटित सी.यू. जी. या उसके व्यक्तिगत मोबाइल नं. पर किये गये रिचार्ज/ऑनलाइन रिचार्ज के बिल को सम्मिलित किया जाये।**	1700.00
2	आकस्मिक विविध व्यय	हेल्प डेस्क पर प्रकाश व्यवस्था से सम्बन्धित व्यय, शिकायत पेटिका, नोटिस बोर्ड, हेल्प डेस्क फलैक्स (फ्रेम सहित), डस्टबिन आदि में किया जा सकता है।	1300.00
3	स्टेशनरी	हेल्प डेस्क तथा मेरा अस्पताल हेतु फीडबैक प्रपत्र, मासिक रिपोर्ट, दैनिक, साप्ताहिक व मासिक चेकलिस्ट, सुझाव/शिकायत पंजिका, विजिटर रजिस्टर, पेन–पैड, Printer Cartridge की Refilling, हेल्प डेस्क कार्मिकों का टीए/डीए एवं अन्य सम्बन्धित मदों पर व्यय किया जा सकता है।	3000.00
		कुल	**6000.00**

7.4.3 मेरा अस्पताल

- हेल्प डेस्क कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत हेल्प डेस्क मैनेजर एवं ऑपरेटर द्वारा "***मेरा अस्पताल योजना*** " में भी सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- नर्सिंग स्टेशन/डिस्चार्ज स्टेशन पर प्रचुर मात्रा में फीडबैक फार्म की उपलब्धता सुनिश्चित कराना हेल्प डेस्क मैनेजर का दायित्व होगा।
- मेरा अस्पताल योजना के अन्तर्गत प्रत्येक भर्ती मरीज को डिस्चार्ज करते समय ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स द्वारा फीडबैक फार्म भरवाया जायेगा।
- समस्त भरे गये फीडबैक फार्म दैनिक आधार पर हेल्प डेस्क ऑपरेटर द्वारा स्टाफ नर्स से प्राप्त कर, साफ्ट कॉपी में चिकित्सा इकाई में उपलब्ध लैपटॉप/डेस्कटॉप पर तैयार कर हॉस्पिटल मैनेजर को दैनिक/साप्ताहिक रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
- सॉफ्ट कॉपी का विश्लेषण हॉस्पिटल मैनेजर द्वारा प्रत्येक माह किया जायेगा, जिससे चिकित्सा इकाई के पेशेन्ट सैटिसफैक्शन स्कोर (पी.एस.एस.) में वृद्धि किये जाने हेतु सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके।
- हेल्प डेस्क ऑपरेटर द्वारा मरीज से फीडबैक फार्म प्राप्त करने के दौरान हेल्प डेस्क काउन्टर पर हेल्प डेस्क मैनेजर द्वारा सेवायें प्रदान की जायेंगी, जिससे हेल्प डेस्क की सेवायें सुचारू रूप से संचालित होती रहें।
- मेरा अस्पताल योजना हेतु उपयोग किया जाने वाला भर्ती रोगी फीडबैक फार्म आपको उपलब्ध कराया जा रहा है।

7.4.5 WASH कार्यक्रम :–

- WASH कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सा इकाई की साफ–सफाई, स्वच्छता, जल व्यवस्था एवं संक्रमण के नियंत्रण से सम्बन्धित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। वॉश कार्यक्रम की चेकलिस्ट को मासिक रूप से पूर्ण किया जायेगा। यह चेकलिस्ट मासिक रिपोर्ट का हिस्सा होगी जिसे रिर्पोटिंग माह की तिथियों के अनुरूप तैयार किया जायेगा। मासिक रिर्पोटिंग प्रारूप को सम्बन्धित चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका के हस्ताक्षर के उपरान्त हेल्प डेस्क कार्मिकों द्वारा Open Data Kit App (ODK App) पर अंकन किया जायेगा।

- हस्ताक्षरित प्रति को कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को राज्य स्तर पर रिपोर्ट डाउनलोड कर ली जायेगी। अंतिम तिथि के उपरान्त Open Data Kit App (ODK App) पर रिपोर्ट अंकित करने वाली चिकित्सा इकाई की रिपोर्ट को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- Open Data Kit App (ODK App) के उपयोग हेतु हेल्प डेस्क कार्मिकों को शीघ्र ही प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

7.4.6 मानव संसाधन (हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर) FMR Code-8-1-13-22

1. प्रदेश के 25 उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों के कुल 50 जिला स्तरीय चिकित्सालयों में रोगी सहायता केन्द्र का संचालन वर्ष 2015 से किया जा रहा था। रोगी सहायता केन्द्र की उपयोगिता के दृष्टिगत वर्ष 2018 से प्रदेश के समस्त जनपदों के जिला स्तरीय चिकित्सालयों में रोगी सहायता केन्द्र को "हेल्प डेस्क" के रूप में विस्तारित करते हुये स्थापित किया गया है।
2. रोगी सहायता केन्द्रों पर कार्यरत रोगी सहायता केन्द्र प्रबन्धक एवं रोगी सहायता केन्द्र ऑपरेटर का पदनाम परिवर्तित कर क्रमशः हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर किया गया है।
3. वित्तीय वर्ष 2018–19 में रोगी सहायता केन्द्रों पर कार्यरत कार्मिकों को Relocate कर "हेल्प डेस्क" पर तैनात किया गया।
4. चिन्हित जिला स्तरीय चिकित्सालयों में स्थापित प्रत्येक "हेल्प डेस्क" पर एक हेल्प डेस्क मैनेजर एवं एक हेल्प डेस्क ऑपरेटर का पद स्वीकृत है।
5. वित्तीय वर्ष 2015–16 में रोगी सहायता केन्द्र प्रबन्धक के लिये रू0 15,000.00 एवं रोगी सहायता केन्द्र ऑपरेटर के लिये रू0 8,000.00 का प्रारम्भिक मानदेय प्रतिमाह स्वीकृत किया गया था।
6. हेल्प डेस्क पर कार्यरत हेल्प डेस्क मैनेजर का पुनरीक्षित मानदेय रू0 16,000.00 प्रतिमाह एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर का रू0 10,000.00 प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है।
7. भारत सरकार द्वारा हेल्प डेस्क मैनेजर हेतु अधिकतम धनराशि रू0 23,066.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस) तथा हेल्प डेस्क मैनेजर के रिक्त पदों हेतु रू0 16,000.00 प्रतिमाह की दर से स्वीकृत किया गया है। कार्यरत हेल्प डेस्क मैनेजर्स हेतु 12 माह तथा रिक्त पदों हेतु 06 माह के लिये मानदेय का आवंटन जिला स्वास्थ्य समिति को डैप के माध्यम से किया गया है।
8. वर्ष 2021–22 में भारत सरकार द्वारा हेल्प डेस्क ऑपरेटर हेतु अधिकतम बजट रू0 12,302.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस) तथा हेल्प डेस्क ऑपरेटर के रिक्त पदों हेतु रू0 10,000.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि स्वीकृत की गई है। कार्यरत हेल्प डेस्क ऑपरेटर्स हेतु 12 माह तथा रिक्त पदों हेतु 06 माह के लिये मानदेय का आवंटन जिला स्वास्थ्य समिति को डैप के माध्यम से किया गया है।
9. वित्तीय वर्ष 2021–22 में संविदा कर्मियों हेतु वार्षिक वेतन वृद्धि, लायल्टी/एक्सपीरियंस बोनस तथा ई0पी0एफ0 आदि का निर्धारण संविदा कर्मियों के सामान्य नियमों के अनुरूप होगा।
10. हेल्प डेस्क मैनेजर तथा हेल्प डेस्क ऑपरेटर को आउटसोर्स किये जाने हेतु सम्बन्धित एजेन्सी को सर्विस चार्जेज की धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति को डैप के माध्यम से आवंटित की जा चुकी है।
11. एजेन्सी के माध्यम से आउटसोर्स किये गये हेल्प डेस्क मैनेजर तथा हेल्प डेस्क ऑपरेटर पर कर्मचारी बीमा योजना के प्रावधान लागू किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा रू0 21000.00 प्रतिमाह तक प्राप्त करने वाले कर्मियों हेतु ई0एस0आई0 की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
12. हेल्प डेस्क कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित जनपद स्तरीय चिकित्सा इकाईयों पर रिक्त पदों पर तैनाती कार्यालय के पत्र संख्या–पत्रांकः एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./क्यू.ए./हेल्प डेस्क/2019–20/10/ 9771–2 दिनांक 26.02.2020 के अनुरूप किया जाना है।
13. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यरत एवं एजेन्सी के माध्यम से आउटसोर्स किये हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर्स पर उपरोक्त के अतिरिक्त, मानव संसाधन सम्बन्धी दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

7.4.7 हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर (आउटसोर्स सहित) का टी.ए./डी.ए.– FMR Code 16.1.4.2.1

हेल्प डेस्क कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु समय–समय पर क्षमतावर्धन कार्यशाला एवं समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है जिसमें उक्त कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। कार्यशाला एवं समीक्षा बैठकों में

प्रतिभाग किये जाने हेतु हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर को निम्नानुसार टी.ए./डी.ए. का भुगतान किया जाना है :–

क्रम संख्या	पदनाम	मासिक मानदेय (रू0)	यात्रा भत्ता (वास्तविकता के आधार पर)		परडियम प्रतिदिन (रू0)	ठहरने की व्यवस्था हेतु अधिकतम अनुमन्यता प्रतिदिन (जनपद के बाहर की यात्रा की स्थिति में एवं वास्तविकता के आधार पर रू0)
			रेल मार्ग द्वारा	सड़क मार्ग द्वारा		
1	हेल्प डेस्क मैनेजर (आउटसोर्स सहित)	16000.00	AC III/AC Chair Car	बस/शेयर टैक्सी	500.00	1000.00
2	हेल्प डेस्क ऑपरेटर (आउटसोर्स सहित)	10000.00	AC III/AC Chair car	बस/शेयर टैक्सी	500.00	1000.00

नोट

- मण्डल के अन्दर निजी वाहन से यात्रा की स्थिति में रू0 05.00 प्रति किलोमीटर देय होगा।
- किसी भी स्थान पर कम से कम 08 घण्टे ठहरने पर 01 दिन गिना जायेगा तथा 04 अथवा अधिक घण्टे होने किन्तु 08 घण्टे कम होने पर आधा दिन माना जायेगा। 04 घण्टे से कम यात्रा होने पर कोई भी परडियम देय नहीं होगा।
- मुख्यालय से ट्रेन/बस/टैक्सी के छूटने के निर्धारित समय/तिथि से यात्रा मानी जायेगी तथा मुख्यालय पर वापस आने के बाद के वास्तविक समय पर समाप्त मानी जायेगी।

मूल्यांकन एवं अनुश्रवण

हेल्प डेस्क का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मुख्यतः हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जाना है। हेल्प डेस्क प्रबंधक प्रतिदिन डेस्क की गतिविधियों से हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अवगत करायेंगे। हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर का दायित्व होगा कि वे मासिक रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेन्स यूनिट (डी.क्यू.ए.यू.) को प्रेषित करेंगें। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट द्वारा रिपोर्ट का वैलीडेशन तथा गैप क्लोजर हेतु आवश्यकतानुसार हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर को सहयोग प्रदान किया जायेगा। डिवीजनल कंसल्टेंट द्वारा मण्डल के समस्त चिकित्सालयों से प्राप्त मासिक रिपोर्ट का आंकलन किया जाये तथा वे गैप जिनमें राज्य स्तरीय सहयोग दिया जाना अपेक्षित है, का चिन्हीकरण कर राज्य स्तर पर क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग की ईमेल आई डी helpdeskup2019@gmail.com पर रिपोर्ट प्रेषित की जाये।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुः–

1. हेल्प डेस्क कार्मिकों को ड्यूटी के दौरान उनकी स्वयं की सुरक्षा हेतु आवश्यकतानुसार लॉजिस्टिक्स (सेनिटाइजर, मास्क, ग्लब्स, फेसशील्ड इत्यादि) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के स्तर से उपलब्ध कराया जाये।
2. चिकित्सा इकाई के प्रशासनिक अधिकारियों तथा ड्यूटी पर उपलब्ध चिकित्सकों सूची सम्पर्क सूत्र के साथ उपलब्ध रखी जाये।
3. हेल्प डेस्क कार्मिकों द्वारा कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई से निरन्तर समन्वय स्थापित किया जाये।

8. एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 कार्यक्रम

8.1 हेल्थ मैनेजमेण्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एच0एम0आई0एस0)

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2009 से एच0एम0आई0एस0 पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य सम्बंधी सूचनाएं जनपद स्तर पर संकलित करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे। तत्क्रम में प्रदेश में जनपद स्तर से डाटा की फीडिंग की जा रही थी, भारत सरकार के निर्देशो के क्रम में वर्ष 2012–13 से फैसिलिटी बेस्ड डाटा की फीडिंग ब्लॉक स्तर से समस्त जनपदो द्वारा की जा रही है। उक्त पोर्टल पर स्वास्थ्य सम्बंधी डेटा के उपयोग के लिए मांग में लगातार वृद्धि हुई है, जो सूक्ष्म स्तर की कार्ययोजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए उपयोगी सिद्ध हुयी है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओ की गुणवत्ता एवं उपलब्धता, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल, सेवाओं के लिये व्यय और समाज के कमजोर वर्गों सहित सम्पूर्ण आबादी के विभिन्न वर्गों के बीच में स्वास्थ्य सेवाओ के उपयोग हेतु सही निर्णय लेने मे प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण पहलू हैं। नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जनपदीय चिकित्सालयों की रैंकिंग एवं महत्वाकांक्षी जनपदों में स्वास्थ्य सुविधाओं के अनुश्रवण हेतु एच.एम.आई.एस. डाटा उपयोगित किया जा रहा है। सतत गुणवत्तापरक डेटा एवं उसके संकेतकों की जानकारी एन0एच0एम0 के उद्देश्यों को पाने मे सहायक होंगे।

प्रमुख उददेश्य

- प्रदेश में मुख्यतः मातृ, शिशु तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओ के संबंध में दी जा रही समस्त गतिविधियो के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना।
- प्रदेश के समस्त जनपदो की लगभग 28,000 स्वास्थ्य इकाईयो की माहवार भौतिक प्रगति/सूचना उपलब्ध कराना।
- प्रदेश की समस्त स्वास्थ्य इकाईयो की वर्षवार उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी सूचना एवं उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की सूचना मासिक आधार पर उपलब्ध कराना।
- अगस्त, 2020 से प्रदेश के समस्त जनपदों में एच0एम0आई0एस0 पोर्टल का उच्चीकृत संस्करण नवीन हेल्थ मैनेजमेण्ट इन्फारमेशन सिस्टम उपयोगित किया जाना प्रस्तावित है।

उपयोगिता

- स्वास्थ्य इकाई स्तर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की सूचना।
- लाभार्थी को दी गई स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की उपलब्धता।
- स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता मॉनिटरिंग में सहायता।
- आगामी वर्ष की कार्ययोजना एवं लॉजिस्टिक आंकलन में उपयोगिता।

8.2 आर0सी0एच0 पोर्टल

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा माताओं को प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान एवं प्रसवोपरान्त दी जा रही सेवाओं तथा बच्चों के टीकाकरण सेवाओं की रिर्पोटिंग तथा फॉलोअप हेतु ''आर0सी0एच0 पोर्टल'' तैयार किया गया है। उक्त सिस्टम में प्रदेश के सभी जिलों से मास्टर डाटाबेस व लाभार्थियों की जानकारी अंकित की जा रही है। इस सिस्टम के मुख्य उद्देश्य व उपयोग निम्नानुसार हैंः–

उद्देश्य

- प्रदेश में माताओं एवं बच्चों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की लाभार्थी स्तर की जानकारी सॉफ्टवेयर के माध्यम से एकत्र करना तथा इसके द्वारा समस्त गर्भवती महिलाओं को कार्यक्रम के निर्धारित समयानुसार प्रसवपूर्व, प्रसव के दौरान एवं प्रसव पश्चात चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें प्रदान किया जाना, समस्त बच्चों का पूर्ण–टीकाकरण सुनिश्चित किया जाना एवं परिवार नियोजन सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- संपूर्ण सेवा लाभ अवधि में गर्भवती महिला, धात्री माताओं एवं बच्चों का रेगुलर फॉलोअप करना।
- प्रत्येक लाभार्थी को प्रदान की गई सेवाओ एवं शेष सेवाओं सम्बन्धी Workplan/Due list स्वास्थ्य कर्मियों को ससमय उपलब्ध कराना।

उपयोग

- लाभार्थी को दी गई सेवाओं संबंधी जानकारी की ऑन–लाईन उपलब्धता।

- आशा, ए.एन.एम. व लाभार्थी के दूरभाष एवं अन्य विवरण की ऑन–लाईन उपलब्धता, जिससे कि उनसे सम्पर्क करके दी गई सेवाओं का सत्यापन किया जा सके तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।
- स्वास्थ्य सेवा प्रदानकर्ता व आशा को आउटरीच सत्र हेतु पूर्व से जानकारी, वर्कप्लान के माध्यम से उपलब्ध कराना तथा दी गई सेवाओं की जानकारी अद्यतन कराने की सुविधा।
- स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं मॉनिटरिंग में सहायता।
- आगामी वर्ष की कार्ययोजना एवं लॉजिस्टिक का आंकलन।

पोर्टल में उपलब्ध रिपोर्ट्स का जनपद द्वारा नियमित रूप से उपयोग कर विभिन्न कार्यकमों को क्रियान्वित करने, सेवाओं के सत्यापन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु प्रत्येक स्तर पर उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

भारत सरकार द्वारा एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के आधार पर राज्य को आर0ओ0पी0 के अंतर्गत धनराशि का आवंटन किया जाता है तथा आवंटित धनराशि में कटौती भी पूर्ण प्रतिरक्षण, पूर्ण ए0एन0सी0, पी0एच0सी0/सी0एच0सी0/डी0एच0 की स्टार रेटिंग एवं एफ0आर0यू0 की क्रियाशीलता के उपलब्ध डाटा के अनुसार कन्डीशनैलिटी के अनुरूप की जाती है। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि राज्य स्तर से समय–समय पर जारी निर्देशों का जनपद स्तर पर कड़ाई से पालन किया जाए तथा निश्चित समयावधि पर डाटा की फीडिंग एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 पोर्टल पर की जाए। एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 कार्यक्रमों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु निम्नानुसार स्वीकृतियां प्रदान की गयी हैः–

8.3 जनपद स्तरीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक– FMR Code 9.5.26.2

उक्त गतिविधि के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक वर्ष में प्रत्येक त्रैमास में जनपद स्तर पर आहूत की जानी है, जिसमे HMIS / RCH / ANMOL एवं सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन एवं अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर से 05 तथा ब्लॉक स्तर से 02 कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाना है। सम्बन्धित गतिविधि में 03 दिवसीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक हेतु प्रतिभागियों के जलपान एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु कुल रु0 500.00 प्रति प्रतिभागी की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।

8.4 ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक– FMR Code 9.5.26.3

उक्त गतिविधि के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक वर्ष 2021–22 में प्रतिमाह ब्लॉक स्तर पर आहूत की जानी है, जिसमे HMIS/RCH /ANMOL एवं सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन एवं अनुश्रवण हेतु ब्लॉक स्तर से 02 तथा प्रत्येक पी.एच.सी. एवं उपकेन्द्र स्तर से 01–01 कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाना है। सम्बन्धित गतिविधि में 02 दिवसीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक हेतु प्रतिभागियों के जलपान एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु कुल रु0 100.00 प्रति प्रतिभागी की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।

8.5 मण्डल स्तरीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक– FMR Code 9.5.26.4

उक्त गतिविधि के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक वर्ष में 02 बार मण्डल स्तर पर आहूत की जानी है, जिसमे HMIS/RCH /ANMOL एवं सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य/मण्डल स्तर से 10 तथा जनपद स्तर से 05 कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाना है। सम्बन्धित गतिविधि में 03 दिवसीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक हेतु प्रतिभागियों के जलपान एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु कुल रु0 500.00 प्रति प्रतिभागी की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।

8.6 एच0एम0आई0एस0 कार्यक्रम हेतु निर्धारित प्रारूप की प्रिंटिंग–FMR Code12.9.1

एच0एम0आई0एस0 फारमेट की प्रिंटिंग सम्बन्धी कार्य जनपद स्तर से किया जाना है, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उक्त गतिविधि के संचालन हेतु उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रारूप को जनपद की आवश्यकतानुसार नियमानुसार competitive bidding के माध्यम से मुद्रित कराया जाना है।

उपकेन्द्र, ब्लॉक एवं जिला स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों में 100 प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड एच0एम0आई0एस0 रिर्पोटिंग फॉरमेट हेतु भारत सरकार द्वारा इकाईवार फार्मेट की प्रिंटिंग निर्धारित पृष्ठों की संख्या के आधार पर अधिकतम रू0 2.00 प्रति पेज की दर से धनराशि प्राविधानित की गई है। उक्त धनराशि का निर्धारित मानक के अनुसार उपयोग जनपद स्तरीय इकाइयों (SC/PHC/CHC/DH) को रिर्पोटिंग प्रारूप उपलब्ध कराने हेतु प्रिंटिंग मद में नियमानुसार किया जाना है।

8.7 ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों में प्रिन्टिग ऑफ फालोअप फार्मेट/सर्विस डियू लिस्ट/वर्क प्लान–FMR Code12.9.3

एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में फालोअप फार्मेट/सर्विस ड्यू लिस्ट/वर्क प्लान की प्रिटिंग सम्बन्धी कार्य जनपद स्तर से किया जाना है, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उक्त गतिविधि के संचालन हेतु उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रारूप को जनपद की आवश्यकतानुसार मुद्रित कराया जाना है।

भारत सरकार द्वारा समस्त जनपदों के प्रत्येक ब्लॉक में फालोअप फार्मेट/सर्विस डियू लिस्ट/वर्क प्लान हेतु अधिकतम रू0 3.00 प्रति आशा प्रतिमाह की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसे भारत सरकार के मानकों के अनुसार जनपद/ब्लाक स्तर पर व्यय किया जाना है।

8.8 जनपदीय मॉनीटरिंग, इन्फार्मेशन एण्ड इवेल्यूवेशन ऑफिसर पद हेतु कम्प्यूटर क्रय एवं मोबिलिटी सपोर्ट–FMR Code 16.1.1.9

उक्त नवीन गतिविधि के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों **हेतु रू0 50,000** कम्प्यूटर क्रय तथा सम्बन्धित द्वारा ब्लॉक स्तरीय भ्रमण हेतु रू0 200.00 प्रति भ्रमण तथा मण्डल/राज्य स्तरीय भ्रमण हेतु रू0 2000.00 प्रति भ्रमण के अनुसार आवश्यक धनराशि का प्राविधान किया गया है। विजिट के दौरान सम्बन्धित को निम्नलिखित बिन्दुओ पर कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी–

- एच0एम0आई0एस0, आर0सी0एच0 एवं अनमोल आदि हेतु राज्य स्तर पर प्रेषित होने वाले डेटा को जनपदों के मैनुअल रिकार्ड से मिलान एवं पुष्टीकरण करना।
- एच0एम0आई0एस0, आर0सी0एच0 एवं अनमोल आदि से संबधित डेटा की गुणवत्ता का परीक्षण करना। विशेषकर आर0सी0एच0 टैकिंग प्रारूप पर ए0एन0एम0 द्वारा लाभार्थियों के फोन नम्बर का अंकन सुनिश्चित करना है।
- ए0एन0एम0 द्वारा अनमोल रिर्पोटिंग सम्बन्धित समस्याओं की जानकारी संकलित करना एवं प्रारूप भरने में उनकी हैण्ड होल्डिग करना।
- सम्बन्धित द्वारा जनपदों में भ्रमण की रिपोर्ट मण्डलीय अपर निदेशक को प्रस्तुत की जाय एवं प्रतिलिपि मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक को भी प्रेषित करें।

8.9 एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 कार्यक्रम हेतु ब्लॉक स्तर के डेटा–इन्ट्री ऑपरेटर के मोबिलिटी सपोर्ट हेतु मानक–FMR Code 16.3.2

एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 पोर्टल पर शत प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड रिपोर्टिग हेतु ब्लॉक आपरेटर के लिए वर्ष 2021–22 में ब्लॉक के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में शत्–प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड रिपोर्टिग हेतु **टी0ए0/डी0ए0 हेतु प्रति ब्लॉक रु0 300.00** प्रतिमाह की दर से धनराशि प्राविधानित की गई है।

उपरोक्तानुसार ऑपरेटर द्वारा प्रति माह सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों/प्राथमिक स्वास्थ केंन्द्रो में कम मे कम एक विजिट सुनिश्चित किया जाना है। विजिट के दौरान आपरेटर को निम्नलिखित बिन्दुओ पर कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी–

- आर0सी0एच0 एवं एच0एम0आई0एस0 हेतु ब्लॉक स्तर पर प्रेषित होने वाले डेटा को उप स्वास्थ्य केंदों/प्राथमिक स्वास्थ केंन्द्रो के मैनुअल रिकॉर्ड से मिलान एवं पुष्टीकरण करना।
- आर0सी0एच0 एवं एच0एम0आई0एस0 से संबधित डेटा की गुणवत्ता का परीक्षण करना। विशेषकर आर0सी0एच0 ट्रैकिंग प्रारूप पर ए0एन0एम0 द्वारा लाभार्थियों के फोन नम्बर का अंकन सुनिश्चित करना है।
- ए0एन0एम0 द्वारा रिर्पोटिग सम्बन्धी समस्याओं की जानकारी संकलित करना एवं आर.सी.एच. रजिस्टर/प्रारूप भरने में उनकी हैण्ड होल्डिंग करना।
- उक्त ऑपरेटरों द्वारा स्वास्थ्य केंदों में भ्रमण की रिपोर्ट ब्लॉक प्रबन्धक को प्रस्तुत की जायेगी एवं प्रतिलिपि जिला कार्यक्रम प्रबंधक तथा मण्डलीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अधिकारी को भी प्रेषित करेंगें।

उपर्युक्त मानको के अनुसार ब्लाक डेटा–इंट्री ऑपरेटर के टीए/डीए का भुगतान वित्तीय नियमों का पालन करते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त किया जाएगा।

8.10 डिवीजनल एम एण्ड ई हब कार्यक्रम हेतु मण्डल स्तर पर कार्यरत मानव–संसाधन के लिए मोबिलिटी सपोर्ट–FMR Code 16.3.2

डिवीजनल एम0 एण्ड ई0 हब कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर कार्यरत मानव–संसाधन के मोबिलिटी सपोर्ट हेतु वर्ष 2021–22 में मण्डल स्तर पर शत्–प्रतिशत फैसिलिटी एवं लाभार्थी बेस्ड रिपोर्टिंग हेतु डिवीजनल एम0 एण्ड ई0 हब गतिविधि के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर कार्यरत एम0 एण्ड ई0 आफिसर एवं एम0 एण्ड ई0 असिस्टेन्ट के लिए टी.ए. / डी.ए. / Accommodation हेतु निम्नानुसार अधिकतम दरें स्वीकृत की गयी है–

Sl.	Particular	Divisional M & E Officer	Divisional M & E Assistant	Remarks
a.	**Outside the State**			
•	Travelling Allowance (Rail/Bus)	Rs 2000/-	-	Expected no. of visits in a year – 12
•	Dearness Allowance (per day)	Rs 1000/-	-	
•	Accommodation per night	Rs 2000/-	-	
b.	**Within the State**			
•	Travelling Allowance (Rail/Bus)	Rs 500/-	Rs 500/-	Expected no. of visits in a year – 09 for M&E Officer and 06 for M&E Assistant
•	Dearness Allowance (per day)	Rs 700/-	Rs 500/-	
•	Accommodation per night	Rs 1,800/-	Rs 1,200/-	
b.	**Within Allocated Division**			
•	Travelling Allowance (Rail/Bus)	Rs 500/-	Rs 500/-	Max 12 visits for M&E Officer and 06 visits for M&E Assistant per district per year (for Non divisional HQ district)
•	Dearness Allowance (per day)	Rs 700/-	Rs 500/-	

उपर्युक्तानुसार सम्बन्धित मण्डलीय अधिकारियों / कार्मिकों द्वारा मण्डल के समस्त जनपदों में विजिट सुनिश्चित किया जाना है। विजिट के दौरान सम्बन्धित को निम्नलिखित बिन्दुओ पर कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी–

- आर0सी0एच0, एच0एम0आई0एस0 एवं सम्बन्धित गतिविधि हेतु राज्य स्तर पर प्रेषित होने वाले डेटा को जनपदों के मैनुअल रिकार्ड से मिलान एवं पुष्टीकरण करना।
- आर0सी0एच0 एवं एच0एम0आई0एस0 से संबधित डेटा की गुणवत्ता का परीक्षण करना। विशेषकर आर0सी0एच0 टैकिंग प्रारूप पर ए0एन0एम0 द्वारा लाभार्थियों के फोन नम्बर का अंकन सुनिश्चित करना है।
- ए0एन0एम0 द्वारा अनमोल / अन्य रिर्पोटिग सम्बन्धित समस्याओं की जानकारी संकलित करना एवं प्रारूप भरने में उनकी हैण्ड होल्डिग करना।
- सम्बन्धित द्वारा जनपदों में भ्रमण की रिपोर्ट मण्डलीय अपर निदेशक को प्रस्तुत की जाय एवं प्रतिलिपि मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक को भी प्रेषित करें।

8.11 ए0एम0सी0 आफ कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यूपीएस–FMR Code16.3.3

एच0एम0आई0एस0 / आर0सी0एच0 कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक स्वास्थ्य इकाइयों, जिला चिकित्सालयों एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों में कम्प्यूटर प्रिन्टर्स एवं यू0पी0एस0 की ए0एम0सी0 हेतु अधिकतम रु0 4400.00 प्रति कम्प्यूटर वार्षिक की दर से धनराशि प्राविधानित की गई है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में स्थापित 951 कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 एवं एम.सी.टी.एस. कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्थापित 820 कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 एवं 75 डी0पी0एम0यू एवं 18 मण्डलीय एम0एण्ड0ई0 हब के कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 के ए0एम0सी0 (वार्षिक रख–रखाव) के उपयोग हेतु **(केवल उन्ही जनपदों द्वारा व्यय की जाय, जिनके द्वारा संबंधित कम्प्यूटर की वारण्टी अवधि वित्तीय वर्ष 2021–22 में समाप्त हो रही हो)** एवं एण्टी–वायरस आदि पर नियमानुसार व्यय किया जाएगा।

जनपद में आपूर्तित सभी प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 की ए0एम0सी0 का अनुबन्ध जेम पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार प्रक्रियाएं अपनाते हुए डी0एच0एस0 के अनुमोदनोपरान्त अनुबन्ध की कार्यवाही की जाय। प्रत्येक कम्प्यूटर पर एन्टी वायरस साफ्टवेयर उपलब्ध हो, इस हेतु भी कार्यवाही नियमानुसार की जाय।

8.12 इण्टरनेट कनेक्टिविटी लेन/डाटा कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु मानकों के सम्बन्ध में–FMR Code16.3.3

इंटरनेट कनेक्टिविटी के मासिक बिल के भुगतान, नजदीक के स्वान सेंटर्स (SWAN- State Wide Area Network) अथवा साइबर कैफे के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ब्लाक/जनपद/प्रदेश मुख्यालय को सूचनाएं प्रेषित करने के लिए इस धनराशि का उपयोग किया जाना है। 128 जिला चिकित्सालय एवं 18 डिवीजनल एम एण्ड ई हब में इंटरनेट की कनेक्टिविटी हेतु अधिकतम रु0 1,500.00 प्रति माह की दर एवं ब्लॉक कार्यक्रम इकाइयों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी हेतु अधिकतम रु0 1,000.00 प्रति माह प्रति ब्लाक की दर से धनराशि प्राविधानित की गई है।

8.13 एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 कार्यक्रम हेतु ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों में अन्य आफिस व्यय–FMR Code16.3.3

एच0एम0आई0एस0/आर0सी0एच0 कार्यक्रम के अंतर्गत 18 मण्डलीय एम0एण्डई0 हब, 128 जिला चिकित्सालय एवं 823 ब्लॉक कार्यक्रम इकाइयों में अन्य ऑफिस व्यय हेतु अधिकतम रु0 1,500.00 प्रति माह की दर से बजट प्राविधानित किया गया है। उक्त गतिविधि के अन्तर्गत कम्प्यूटर कन्ज्युमेबिल्स का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जाये।

8.14 टैबलेट डिवाईस के संचालन हेतु इन्टरनेट/डाटा एवं परफारमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिव–FMR Code 16.3.3

भारत सरकार द्वारा आरसीएच पोर्टल पर प्रेषित किये जाने हेतु एएनएम के माध्यम से संकलित सूचनाओं को टैबलेट डिवाईस पर उपलब्ध ऐप के माध्यम से सीधे एएनएम द्वारा अंकित/अद्यतन किये जाने के लिए **अनमोल ऐप** विकसित कर उपलब्ध कराई गयी है। एएनएम को टैबलेट डिवाईस उपलब्ध कराई गयी है, जिस पर अनमोल ऐप क्रियाशील कर एएनएम द्वारा लाभार्थियों यथा–योग्य दम्पत्ति, गर्भवती महिला, नवजात एवं प्राप्त कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं यथा एएनसी, टीकाकरण आदि की सूचना अंकित/अद्यतन की जाए, जो स्वतः आरसीएच पोर्टल पर अद्यतन हो जाएगी।

टैबलेट डिवाईस पर इन्टरनेट/डाटा एवं परफारमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिव हेतु अधिकतम् धनराशि रु0 300.00 प्रति ए0एन0एम0 प्रति माह की दर से स्वीकृति प्रदान की जा रही है, जिसे भारत सरकार के मानकों के अनुसार जनपद/ब्लॉक स्तर पर व्यय किया जाना है।

8.15 ब्लॉक स्तर पर कार्यरत ब्लाक डाटा–इन्ट्री ऑपरेटर–FMR Code16.4.3.1.9

भारत सरकार के निर्देशानुसार आर0सी0एच0 पोर्टल पर शत्–प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड डाटा इन्ट्री/अपलोडिंग का कार्य किया जाना है। आर0सी0एच0 पोर्टल के सफल संचालन हेतु प्रत्येक जनपद में ब्लॉक स्तर पर आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर्स के मानदेय हेतु रू0 14,007.00 प्रतिमाह की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

8.16 डिवीजनल एम एण्ड ई हब के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का मानदेय–FMR Code16.4.2.1.5

डिवीजनल एम एण्ड ई हब कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर स्वीकृत डिवीजनल एम एण्ड ई हब कार्मिकों (एम एण्ड ई ऑफिसर एवं एम एण्ड ई असिस्टेन्ट) हेतु आवश्यक धनराशि सम्बन्धित जनपदों को आवंटित की गयी है, विवरण निम्नवत् है–

1. डिवीजनल एम एण्ड ई हब ऑफिसर हेतु रू0 49,613.00 प्रतिमाह एवं 5 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोत्तरी अर्थात रू0 2481.00 प्रतिमाह हेतु आवश्यक धनराशि।
2. अलीगढ़, बाँदा एवं मिर्जापुर में कार्यरत डिवीजनल एम एण्ड ई असिस्टेण्ट के मानदेय हेतु रू0 18,234.00 एवं 5 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोत्तरी अर्थात रू0 912.00 प्रतिमाह हेतु आवश्यक धनराशि।
3. आगरा, प्रयागराज, बरेली, बस्ती, अयोध्या, मेरठ एवं मुरादाबाद में कार्यरत डिवीजनल एम एण्ड ई असिस्टेण्ट के मानदेय हेतु रू0 16,538.00 एवं 5 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोत्तरी अर्थात रू0 827. 00 प्रतिमाह हेतु आवश्यक धनराशि।

4. शेष 08 मण्डलीय जनपदों के डिवीजनल एम एण्ड ई असिस्टेण्ट के रिक्त पदों हेतु मूल मानदेय रू0 15,000.00 प्रतिमाह की दर से वित्तीय वर्ष 2021–22 के अवशेष 07 माह हेतु आवश्यक धनराशि।

उक्त धनराशि का उपयोग सम्बन्धित कार्मिकों के मानदेय भुगतान हेतु मण्डल स्तर पर किया जाना है। मण्डल स्तर पर एम एण्ड ई हब गतिविधि के अन्तर्गत 01–01 एम एण्ड ई ऑफिसर एवं एम एण्ड ई असिस्टेन्ट की तैनाती की गयी है। उक्त कार्मिक एचएमआईएस एवं आरसीएच के अन्तर्गत गतिविधि क्रियान्वयन हेतु एवं पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की जा रही सूचनाओं की गुणवत्ता एवं पूर्णता के लिये उत्तरदायी होंगे। एम एण्ड ई हब कार्मिक राज्य स्तर पर एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 के अन्तर्गत गतिविधियों की कार्ययोजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एवं मण्डलीय जनपदों में गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु एवं डेटा आधारित गतिविधि/कार्यों हेतु समन्वय स्थापित करेंगे।

8.17 जनपदीय मॉनीटरिंग, इन्फार्मेशन एण्ड इवेल्यूवेशन ऑफिसर के स्वीकृत पदों हेतु मानदेय–FMR Code16.4.2.1.1

वित्तीय वर्ष 2021–22 में भारत सरकार द्वारा नवीन गतिविधि के अन्तर्गत चयनित 29 जनपदों में 01–01 जनपदीय मॉनीटरिंग, इन्फार्मेशन एण्ड इवेल्यूवेशन ऑफिसर के पद स्वीकृत किये गये हैं, उक्त पदों के सापेक्ष कार्मिकों की तैनाती राज्य स्तर से की जानी है। जनपदीय मॉनीटरिंग, इन्फार्मेशन एण्ड इवेल्यूवेशन ऑफिसर की तैनाती की प्रत्याशा में वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू0 30,000.00 प्रतिमाह प्रति जनपदीय मॉनीटरिंग, इन्फार्मेशन एण्ड इवेल्यूवेशन ऑफिसर की दर से 06 माह हेतु आवश्यक धनराशि सम्बन्धित जनपदों को आवंटित की गयी है, जिसका उपयोग राज्य स्तर से सम्बन्धित कार्मिकों की तैनाती के उपरान्त ही जनपद स्तर से किया जाना है।

जनपदीय मॉनीटरिंग, इन्फार्मेशन एण्ड इवेल्यूवेशन ऑफिसर एचएमआईएस एवं आरसीएच के अन्तर्गत गतिविधि क्रियान्वयन हेतु एवं पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की जा रही सूचनाओं की गुणवत्ता एवं पूर्णता के लिये उत्तरदायी होंगे। राज्य स्तर पर एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 के अन्तर्गत गतिविधियों की कार्ययोजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एवं जनपद में गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु एवं डेटा आधारित गतिविधि/कार्यों हेतु समन्वय स्थापित करेंगे। जनपद स्तर पर सम्बन्धित कार्मिकों की माहवार समीक्षा की जाय।

8.18 डाटा एन्ट्री कार्य की आउटसोर्सिंग–FMR Code 16.4.3.1.9

डाटा एन्ट्री कार्य की आउटसोर्सिंग हेतु अधिकतम रु0 5.00 प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि स्वीकृत की गई है। डाटा एन्ट्री कार्य आउटसोर्सिंग हेतु चयनित संस्था द्वारा एच0एम0आई0एस0/आर0सी0एच0 एवं अन्य पोर्टल के अन्तर्गत विभिन्न सूचनाएं शत–प्रतिशत पोर्टल पर दर्ज करने की दशा में इस धनराशि का व्यय डी0एच0एस0 के अनुमोदनोपरान्त जनपद स्तर पर किया जाना है।

8.19 ई–हॉस्पिटल परियोजना क्रियान्वयन –FMR Code 17.6

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 2021–22 में ई–हॉस्पिटल परियोजना के अन्तर्गत 31 जनपदीय चिकित्सालयों **(डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय को छोड़कर)** में लीज लाइन कनेक्शन, ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन एवं प्रशासनिक व्यय हेतु धनराशि मानकानुसार स्वीकृत की जा चुकी है, जिसे वित्तीय वर्ष 2021–22 में शत–प्रतिशत उपयोगित किया जाना है।

9. बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण, चिकित्सालयों में क्लीनिंग, गार्डेनिंग एवं लॉण्ड्री सेवाएं तथा उपकेन्द्रों की साफ सफाई

9.1 उपकेन्द्रों की साफ–सफाई सम्बन्धी दिशा–निर्देश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वर्ष 2021–22 की आर0ओ0पी0 में भारत सरकार के स्तर से प्रदेश में 20526 उपकेन्द्रों की साफ–सफाई हेतु FMR Code 1.3.2.6 के अन्तर्गत रू 500.00 प्रति उपकेन्द्र/ माह की दर से 01 वर्ष के लिए रू0 1231.56 लाख की धनराशि पर स्वीकृत प्रदान की गयी है। प्रत्येक उपकेन्द्र की साफ–सफाई हेतु रू0 500.00 प्रतिमाह की धनराशि का समुचित उपयोग महानिदेशक–परिवार कल्याण द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार ही किया जाना है, जो कि निम्नवत् है–

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय अंशकालिक स्वैच्छिक सफाई कार्यकर्ता के मानदेय पर किया जायेगा जिसके द्वारा उपकेन्द्र परिसर, कक्ष व शौचालय की प्रतिदिन प्रातःकाल सफाई की जायेगी। साथ ही आवश्यकतानुसार फर्नीचर आदि यथा–लेबर टेबिल, मेज, कुर्सी, कूडेदान, बाल्टी, रैक्स तथा ए0एन0एम0 के निर्देशानुसार अन्य सफाई का कार्य किया जायेगा।
2. उपकेन्द्र पर साफ–सफाई हेतु आवश्यक सामग्री यथा–झाडू, डस्टर, फिनाइल, साबुन, ब्लीचिंग, पाउडर, वाइपर, इत्यादि की उपलब्धता सम्बन्धित उपकेन्द्र अनटाइड फंड मद में उपलब्ध धनराशि से सुनिश्चित की जायेगी।
3. उपकेन्द्र की साफ–सफाई का पूर्ण उत्तरादायित्व सम्बन्धित केन्द्र की ए0एन0एम0 का होगा जिसका नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उस क्षेत्र के सम्बन्धित स्वास्थ्य पर्यवेक्षक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति के खाते से नियमानुसार सम्बन्धित सी0एच0सी0/ पी0एच0सी0 के आर0के0एस0 खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से स्थानान्तरित की जायेगी।
5. सम्बन्धित अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा सम्बन्धित उपकेन्द्र की ए0एन0एम0 द्वारा सत्यापित वाउचर के आधार पर सम्बन्धित सफाई कर्मी के खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से धनराशि स्थानान्तरित की जायेगी, ए0एन0एम0 द्वारा सभी सत्यापित बिल एवं वाउचर ऑडिट हेतु सुरक्षित रखे जायेगे।
6. उपर्युक्त धनराशि के सदुपयोग का उत्तरादायित्व सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक/ प्रभारी चिकित्साधिकारी का होगा एवं उनके द्वारा नियमित क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान उपकेन्द्रो का भ्रमण कर सफाई व्यवस्था का भी अनुश्रवण किया जायेगा।
7. स्टेट बजट अथवा अन्य किसी योजनाओं से यदि उक्त मद में कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपयोग न किया जाय तथा प्रकरण को महानिदेशक–परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाय, जिससे की किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति के कारण भविष्य में होने वाले अनावश्यक विधिक वाद की संभावनाओं से बचा जा सके।

9.2 प्रदेश के जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में मशीनीकृत/मैनुअल लाण्ड्री सेवाएं

169 जिला स्तरीय चिकित्सालयों एवं 35 एम0सी0एच0 विंग (100 शैय्या) हेतु मशीनीकृत लाण्ड्री सेवाओं हेतु 12 माह के लिये FMR Code-1.3.2.6 में कुल धनराशि रू0 3574.05 लाख आवंटित की जा रही है। जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन के उपरान्त इस धनराशि का उपयोग वर्ष 2021–22 में सेवाप्रदाता एजेन्सी द्वारा किए गए वास्तविक कार्य के अनुसार किया जायेगा।

- लाण्ड्री सेवाओं हेतु एफ0एम0आर0 कोड–1.3.2.6 के अन्तर्गत केन्द्रीकृत निविदा के आधार पर अनुबन्धित 44 जिला स्तरीय चिकित्सालयों एवं 07 एम0सी0एच0 विंग (100 शैय्या) में मशीनीकृत लाण्ड्री तथा शेष जिला स्तरीय चिकित्सालयों/एम0सी0एच0 विंग (100 शैय्या) में मैनुअल लाण्ड्री की व्यवस्था है।
- भारत सरकार द्वारा 169 जिला स्तरीय चिकित्सालयों एवं 35 एम0सी0एच0 विंग(100 शैय्या) हेतु मशीनीकृत लाण्ड्री के लिये कुल धनराशि रू0 3574.05 लाख अनुमोदित की गयी है।
- जिन जिला स्तरीय चिकित्सालयों हेतु मैनुअल लाण्ड्री की निविदा जिला स्तर से की गयी है, उन चिकित्सालयों में केन्द्रीकृत निविदा पूर्ण होने तक पूर्ववत् नियम एवं शर्तों के अनुसार मैनुअल लाण्ड्री की सेवायें जारी रहेगीं।

- केन्द्रीकृत निविदा के माध्यम से मैकेनाइज्ड लाण्ड्री की व्यवस्था हेतु एजेन्सियों के चयन एवं अनुबन्ध के उपरान्त प्राप्त दरों के आधार पर भुगतान किया जायेंगा।

9.3 प्रदेश की चिकित्सा इकाईयों पर उत्सर्जित होने वाले बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण

प्रदेश के सभी जिला स्तरीय चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ब्लॉक स्तरीय पी0एच0सी0, जिला अरबन ब्लॉक स्तर पी0एच0सी0, एम0सी0एच0 विंग तथा ट्रामा सेन्टर पर उत्सर्जित बायो मेडिकल वेस्ट (उपचार एवं चिकित्सीय जॉच से उत्पन्न होने वाले जैव अपशिष्टों) का एकत्रीकरण, पृथक्कीकरण, परिवहन एवं निस्तारण किया जा रहा है। प्रदेश के 61 जनपदों हेतु बायो मेडिकल वेस्ट के एकत्रीकरण, पृथक्कीकरण, परिवहन एवं निस्तारण हेतु केन्द्रीकृत निविदा के माध्यम से सेवा प्रदाताओं का चयन किया जा चुका है एवं शेष 14 जनपदों के जिला स्तर एवं ब्लाक स्तरीय चिकित्सालयों में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु राज्य स्तर से निविदा की जा रही है।

उपरोक्त निविदा पूर्ण होने तक इन चिकित्सालयों में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु सेवाओं का कार्य पूर्व की भांति जिला स्तर से किया जायेगा। पूर्व में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 02.08.2019 द्वारा प्रदेश के चिकित्सालयों पर उत्सर्जित होने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण सम्बन्धी दिशा निर्देश जारी किये गये है।

उक्त के क्रम में प्रदेश की समस्त चिकित्सा इकाईयों पर उत्सर्जित होने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् हैः–

1. भारत सरकार के राजपत्र बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 यथा संशोधित रूल्स, 2018 का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 यथा संशोधित रूल, 2018 में निहित प्रविधानों के अनुसार नियमो का अनुपालन न करने पर चिकित्सा इकाई के प्रभारी के विरुद्ध जुर्माना व सजा का भी प्राविधान है, जिसके लिये चिकित्सा इकाईयों के प्रभारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. प्रत्येक चिकित्सा इकाई को प्रश्नगत प्रयोजन हेतु क्षेत्रीय/स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
3. प्रत्येक चिकित्सालय के प्रभारी, चिकित्सालय में उत्सर्जित हो रहे विभिन्न श्रेणियों के बायो मेडिकल वेस्ट को नियमानुसार पृथक–पृथक कलर कोडिंग के अनुसार पीला, लाल बैग्स तथा सफेद एवं नीले कन्टेनर/बाक्स में एकत्रित कर कॉमन ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी द्वारा नियामानुसार निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।
4. कन्टेनर पर बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 यथा संशोधित रूल्स, 2018 की अनुसूची–iv, A & B में वर्णित चित्र के अनुसार नामांकन किया जाये।
5. बायो मेडिकल वेस्ट के पृथक्करण, भण्डारण एवं परिवहन के समय शारीरिक सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करें।
6. चिकित्सालय में उत्सर्जित हो रहे विभिन्न श्रेणियों के बायो मेडिकल वेस्ट को अधिकतम 48 घण्टे के अन्दर निस्तारित कराना अनिवार्य होगा।
7. प्रत्येक चिकित्सालय प्रभारी का दायित्व होगा कि वह एक रजिस्टर तैयार कराये, जिसमें प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले विभिन्न प्रकार के बायो मेडिकल वेस्ट की मात्रा तथा कब और किसके द्वारा कॉमन ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी पर निस्तारण हेतु भेजा गया, को अंकित किया जाये।
8. प्रत्येक चिकित्सालय प्रभारी का दायित्व होगा कि वह बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 यथा संशोधित रूल्स, 2018 के प्रारूप–4 (नियम–13) के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर प्रत्येक वर्ष जून 30 तक या उससे पहले उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित करते हुये, रिपोर्ट की एक प्रति इस महानिदेशालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। समस्त स्वास्थ्य इकाईयों द्वारा उक्त वार्षिक रिपोर्ट का प्रदर्शन चिकित्सा इकाई की वेबसाइट पर भी किया जाना अपेक्षित है।
9. चिकित्सा इकाई प्रभारी/नोडल आफिसर प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले बायो मेडिकल वेस्ट का डाटा http://bmwmis.uphssp.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. सामान्यतः जनपदों में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु दो या तीन कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी कार्यशील है, जिन्हें उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया है। अतः जनपद हेतु अनुमन्य कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी से निविदा के आधार पर

जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित कराने के उपरान्त ही बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण कराना सुनिश्चित किया जाये।

11. प्रत्येक चिकित्सालय सेवाप्रदाता को भुगतान करने से पूर्व जाँच ले कि कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट फैसिलिटी क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकृत/सत्यापित है।

9.4 चिकित्सालयो के बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण हेतु कॉमन ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइडर को निविदा के आधार पर अनुबन्धित करने हेतु नियम एवं शर्तें

1. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कॉमन ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइडर ही निविदा में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे।
2. शहरी क्षेत्र के चिकित्सा इकाईयों हेतु प्रतिदिन शैय्या उपयोगिता दर के आधार पर दरें प्राप्त की जायेगी तथा जो इकाईयाँ नगर निगम/नगर पालिका की सीमा के बाहर स्थित हैं, उन पर उत्सर्जित होने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु अलग से दरें प्राप्त की जायेंगी।
3. सर्विस प्रोवाइडर को प्रति दिन संबंधित चिकित्सालय परिसर में आकर निर्दिष्ट स्थल से बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण हेतु ले जाना होगा। प्रत्येक दशा में बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण अनिवार्य रूप से 48 घंटे के अन्दर किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित सर्विस प्रोवाइडर का होगा।
4. सर्विस प्रोवाइडर द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट के संग्रहण, परिवहन एवं निस्तारण से संबंधित समस्त कार्य बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 यथा संशोधित रूल्स, 2018 में निहित प्राविधानों के अनुसार किये जाने की बाध्यता होगी। उक्त रूल्स का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण विधिक एवं आर्थिक उत्तदायित्व संबंधित सर्विस प्रोवाइडर का होगा।
5. बायो मेडिकल वेस्ट का संग्रहण पृथक्करण परिवहन तथा निस्तारण किये जाने हेतु आवश्यक कंज्युमेबिल्स एवं अन्य सामग्री की पर्याप्त एवं निर्बाध आपूर्ति संबंधित सर्विस प्रोवाइडर के साथ किये गये अनुबन्ध के अनुसार सुनिश्चित की जाये।
6. बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण तथा कंज्यूमेबिल व अन्य सामग्री की आपूर्ति हेतु पृथक–पृथक दरें संबंधित निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगी।
7. निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित अन्य समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. सेवाप्रदाता एजेन्सी के चयन में भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि की सीमा को ध्यान में रखते हुये ही दरों का निर्धारण किया जाये।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं का उल्लेख सेवा प्रदाता एजेन्सी के अनुबन्ध में अवश्य इंगित करें।

जिन जनपदों में केन्द्रीयकृत निविदा नहीं हुई है उनके द्वारा केन्द्रीयकृत निविदा होने तक के लिये अधिकतम रू0 25.00 प्रति शैय्या प्रति दिन से जनपद स्तर पर निविदा करते हुये बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण अपेक्षित है।

वित्तीय व्यवस्था

प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण चिकित्सालयों में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वर्ष 2021–22 की आर0ओ0पी0 में जिला स्तरीय चिकित्सालयों एवं ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों हेतु एक वर्ष के लिये एफ0एम0आर0 कोड संख्या 1.3.2.6 के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0 7060.96 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

- चिन्हित चिकित्सालयों में नियमित बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरान्त एन0एच0एम0 फाइनेन्शियल मैनुअल के वित्तीय नियमों के प्राविधानों के अनुसार सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि से किया जाये।
- चिकित्सा इकाईयों में बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट के (सर्विसेज एवं कन्ज्यूमेबिल्स) मद में किया जाने वाला भुगतान एन0एच0एम0 द्वारा अनुमन्य राशि से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा सम्बन्धित प्रभारी स्वयं इसके जिम्मेदार होगें।
- प्रश्नगत धनराशि का व्यय–विवरण मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से मासिक वित्तीय रिपोर्ट राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, लखनऊ को प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायें।
- जिला स्वास्थ्य समिति में अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोग नियमों की परिधि में सुनिश्चित करें।

- भारत सरकार की मंशानुसार प्रत्येक मुख्य चिकित्साधिकारी का उत्तरदायित्व है कि उनके द्वारा सेवा प्रदाता एजेन्सी का नाम एवं विवरण विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कराया जाये।
- यदि उक्त मद में स्टेट बजट अथवा किसी अन्य योजना से कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति अथवा विधिक वाद की संभावनाओं से बचने के लिये एन0एच0एम0 द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपयोग न करते हुये प्रकरण को महानिदेशक–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाये।

9.5 जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में लाण्ड्री, एम0सी0एच0 विंग, ट्रामा सेन्टर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर साफ–सफाई व्यवस्था, रख–रखाव एवं लाण्ड्री सेवाओं सम्बन्धी दिशा–निर्देश

प्रदेश सरकार जनसामान्य को गुणवत्तापरक चिकित्सकीय सेवाये उपलब्ध कराने के लिये दृढसंकल्प है। गुणवत्तापरक चिकित्सा सेवाओं के लिये चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था तथा स्वच्छ वातावरण आवश्यक है। प्रदेश के जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में लाण्ड्री, एम0सी0एच0 विंग व ट्रामा सेन्टर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सफाई व्यवस्था, रख–रखाव एवं लाण्ड्री सेवाओं के सम्बन्ध में पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या–11फ/2019/2993 दिनांक 11.07.2019 द्वारा जारी दिशा–निर्देश के क्रम में पुनरीक्षित दिशा–निर्देश निम्नवत् हैः–

प्रदेश के–

1. चयनित 126 जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में लाण्ड्री का कार्य जिला स्तर से ही कराया जायेगा।
2. समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, एम0सी0एच0 विंग एवं ट्रामा सेन्टर की आउट सोर्सिंग के माध्यम से सफाई व्यवस्था, रख–रखाव तथा लाण्ड्री का कार्य जिला स्तर से ही कराया जायेगा।
3. जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में मैकेनाइज्ड/मैनुअल क्लीनिंग, वाशिंग तथा गार्डनिंग के कार्य हेतु दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे है।

आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेन्सी का चयन

- मुख्य चिकित्साधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से निविदा प्रकिया के द्वारा श्रम विभाग में पंजीकृत ऐसी सेवा प्रदाता एजेन्सी का चयन कर लें, जिसका चिकित्सालय की साफ–सफाई, रख–रखाव तथा लाण्ड्री सेवाओं के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव हो।
- जनपद स्तर पर सेवाप्रदाता एजेन्सी का स्वतंत्र कार्यालय/कार्यशाला स्थापित हो तथा पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन एवं लाण्ड्री से सम्बन्धित उपकरणों की उपलब्धता हो। इस आशय के प्रमाणित साक्ष्य, फोटोग्राफ्स एवं कर्मचारियों के पूर्ण विवरण (नाम, पता, उम्र सहित) टेण्डर के साथ प्राप्त कर लिये जाये।
- सेवा प्रदाता एजेन्सी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के किसी अधिकारी/कर्मचारी के परिवार एवं उसके नजदीकी रिश्तेदार की न हो।
- सेवाप्रदाता एजेन्सी के चयन में भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि की सीमा को ध्यान में रखते हुये ही दरों का निर्धारण किया जाये।

सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ अनुबन्ध में शामिल करने हेतु आवश्यक बिन्दु

1. एम्बयूलेटरी एरिया (OPD, Emergency, Lab), प्रोसीजर एरिया, ऑग्जिलरी एरिया, वार्ड, लॉबी, खुली जगह (Kitchen, Pharmacy, Laundry, Admin Office, Garden & Open Area. etc) तथा स्नान गृह व शौचालय की साफ सफाई नियमित रूप से प्रतिदिन की जायेगी।
2. चिकित्सालयों मे शौचालयों की सफाई प्रतिदिन कम से कम 03 बार की जायेगी। शौचालय के दरवाजे पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार मासिक कलेण्डर चस्पा किया जाये जिस पर प्रतिदिन(प्रातः, दोपहर एवं शाम) सफाई करने का समय तथा सफाई कर्मी के हस्ताक्षर अंकित किये जायें।
3. प्रत्येक प्रसव के बाद प्रसव कक्ष की सफाई की जाए, ताकि स्वच्छता की गुणवत्ता की मानिटरिंग सुनिश्चित हो सके।
4. चिकित्सालय में प्रसूता एवं अन्य रोगियो को फ्रेश धुले हुए चादर/तकिया आदि बांसी कागज के लिफाफो में देते हुये रजिस्टर में उपलब्ध कराये गये वस्त्रों की तारीख व समय अंकित कर लाभार्थी के हस्ताक्षर कराए जायें। सभी अभिलेख कार्यालय में सुरक्षित रखे जायें।

5. सेवा प्रदाता के साथ एम0ओ0यू0 में यह अवश्य दर्शाया जाए कि यदि सेवा प्रदाता एजेन्सी वांछित सेवाएं 02 महीने के अन्दर प्रदान नहीं करती है तो अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा। अनुबन्ध में गुणवत्तापरक एवं ससमय कार्य न करने पर नियमानुसार पेनाल्टी का भी प्राविधान किया जाये।
6. स्वच्छ वातावरण के अर्न्तगत स्वच्छ चिकित्सालय परिसर, यथास्थान पर कूडादान की व्यवस्था एवं स्वच्छ पेयजल व्यवस्था इत्यादि आते है।
7. Hospital upkeep (रख–रखाव) के अन्तर्गत एनिमल एवं पेस्ट कन्ट्रोल (एन्टीटरमाइट, रोडेन्ट, इन्सेक्ट कन्ट्रोल, मच्छरों से बचाव हेतु खिडकियों एवं दरवाजों में जाली की व्यवस्था), गार्डनिंग एवं खुली जगह का रख–रखाव तथा रिमूवल ऑफ जंक मैटीरियल आते है।
8. सफाई व्यवस्था के अन्तर्गत Functional Areas की साफ–सफाई उनके जोखिम स्तर (उच्च, मध्यम एवं सामान्य) के अनुरूप नियमानुसार समयावधि में करायी जाये।

वर्ष 2021–22 की आर0ओ0पी0 में FMR Code-1.3.2.6 के अन्तर्गत

- आउटसोर्सिंग के माध्यम से जनपद स्तरीय चिकित्सालयों एवं 35 एम0सी0एच0 विंग (100 शैय्या) में मशीनीकृत क्लीनिंग, गार्डनिंग हेतु रू0 9680.59 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।
- आउटसोर्सिंग के माध्यम से जनपद स्तरीय चिकित्सालयों एवं 35 एम0सी0एच0 विंग(100 शैय्या) में मशीनीकृत लाण्ड्री सेवाओं हेतु कुल धनराशि रू0 3574.05 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।
- आउटसोर्सिंग के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, एम0सी0एच0 विंग(50 एवं 30 शैय्या) एवं ट्रामा सेन्टर की सफाई व्यवस्था, रख–रखाव तथा लाण्ड्री सेवाओं धनराशि क्रमशः रू0 1715.59 लाख, रू0 193.46 लाख एवं रू0 21.71 लाख (रू0 548.35 प्रति शैय्या प्रति माह की दर से) की धनराशि भी स्वीकृत की गयी है।
    - ➢ स्वीकृत धनराशि का उपयोग चिन्हित चिकित्सालयों एम0सी0एच0 विंग व ट्रामा सेन्टर में नियमित साफ–सफाई, रख–रखाव एवं लाण्ड्री सेवाओं हेतु जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरान्त एन0एच0एम0 फाइनेन्सियल मैनुअल के वित्तीय नियमों के प्राविधानों के अनुसार निविदा कराकर सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि से किया जाये।
    - ➢ प्रश्नगत धनराशि का व्यय–विवरण मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से मासिक वित्तीय रिपोर्ट में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उत्तर प्रदेश तथा एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 में प्रति माह उपलब्ध कराया जाये।
    - ➢ जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित धनराशि का उपयोग नियमों की परिधि में सुनिश्चित करें।
    - ➢ भारत सरकार की मंशानुसार प्रत्येक मुख्य चिकित्साधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि सेवा प्रदाता एजेन्सी का नाम एवं विवरण विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
    - ➢ स्टेट बजट अथवा अन्य किसी योजनाओं से यदि उक्त मद में कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो एन0एच0एम0 द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपयोग न किया जाये तथा प्रकरण को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ एवं मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाये, जिससे की किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी के कारण भविष्य में होने वाले अनावश्यक विधिक वाद की संभावनाओं से बचा जा सकें।

नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

1. नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य अधीक्षक/प्रत्येक जनपद की क्वालिटी एश्योरेंस टीम (DQAC) के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।
2. जिला अधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति एवं विभागीय कार्यक्रम समीक्षा बैठकों में चिकित्सालयों/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सफाई व्यवस्था का नियमित अनुश्रवण किया जाए।
3. राज्य स्तरीय, मण्डल स्तरीय तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान चिकित्सालयों की सफाई व्यवस्था का अनुश्रवण किया जायेगा, जिससे जनता को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।

यदि किसी जनपद में वर्ष 2020–21 में चिकित्सालयों की साफ–सफाई, रख–रखाव तथा लाण्ड्री सेवाओं हेतु जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से उपरोक्तवत् नियमानुसार सेवा प्रदाता एजेन्सी का चयन किया गया है, तो जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त कर अपरिहार्य परिस्थितियों में अगली निविदा होने तक वर्ष 2021–22 हेतु सेवाएं ली जा सकती है।

9.6 प्रदेश के 126 जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में मशीनीकृत तथा मैनुअल क्लीनिंग एवं गार्डनिंग सेवायें सुनिश्चित करने हेतु दिशा–निर्देश।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के जिला स्तरीय चिकित्सालयों में क्लीनिंग एवं गार्डनिंग का कार्य मशीनीकृत सिस्टम द्वारा कराये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुयी थी। प्रदेश सरकार चिकित्सालयो में जनसामान्य को गुणवत्तापरक चिकित्सकीय सेवाये उपलब्ध कराने के लिये दृढसंकल्प है। गुणवत्तापरक चिकित्सा सेवाओं के लिये चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था तथा स्वच्छ वातावरण आवश्यक है। इसी क्रम में महानिदेशालय द्वारा निविदा के माध्यम से प्रदेश के 110 जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में मशीनीकृत क्लीनिंग एवं गार्डनिंग का कार्य आउटसोर्स से किये जाने हेतु निम्नलिखित सेवाप्रदाताओं को चयनित किया गयाः–

1. ऑल सर्विसेस ग्लोबल प्रा0लि0।
2. प्राइम क्लीनिंग सर्विसेज, प्रा0लि0।
3. सन फैसिल्टी प्रा0लि0।

उक्त चयनित सेवाप्रदाताओं द्वारा दिनांक 01.05.2017 से अपने क्लस्टर के जिला चिकित्सालयों में क्लीनिंग एवं गार्डनिंग सेवाओं का कार्य निविदा की शर्तों के अनुसार मशीने, उपकरण एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराते हुये प्रारम्भ कर दिया गया है। निविदा शर्तों के अनुसार जिला चिकित्सालयों में मशीनीकृत क्लीनिंग एवं गार्डनिंग सेवाओं की नियमित रिपोर्टिंग एवं अनुश्रवण तथा संबंधित सेवाप्रदाताओं के बीजकों के समयबद्ध भुगतान हेतु पोर्टल सिस्टम विकसित कर क्रियाशील किया जाना प्रक्रियाधीन है। पोर्टल सिस्टम के क्रियाशील होने तक मैनुअली भुगतान की प्रक्रिया जारी रहेगी।

जनपद स्तरीय चिकित्सालयों की मशीनीकृत स्वच्छता के लियेः–

(1) Cleaning and gardening schedule.
(2) Indicative equipment, tools and consumables required for mechanized cleaning and gardening.
(3) Responsibilities of service providers
(4) Responsibilities of SIC/CMS/Nodal office

क्लीनिंग एवं गार्डनिंग सेवाओं हेतु एफ0एम0आर0 कोड–1.3.2.6 के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा अनुबन्धित 109 जिला स्तरीय चिकित्सालयों एवं पूर्व में यू0पी0एच0एस0एस0पी0 द्वारा अच्छादित 51 जिला स्तरीय चिकित्सालयों में मशीनीकृत क्लीनिंग एवं गार्डनिंग की जा रही है तथा शेष 16 जिला स्तरीय चिकित्सालयों में मैनुअल क्लीनिंग की जा रही है।

तत्क्रम में जिन जिला स्तरीय चिकित्सालयों हेतु मैनुअल क्लीनिंग की निविदा जिला स्तर से की गयी है, उन चिकित्सालयों में केन्द्रीकृत निविदा पूर्ण होने तक पूर्ववत् नियम एवं शर्तों के अनुसार जारी रहेगी तथा जिन जिला स्तरीय चिकित्सालयों में पूर्व में की गयी केन्द्रीकृत निविदा के अनुरूप मशीनीकृत क्लीनिंग एवं गार्डनिंग की जा रही है उनमें शासन के चिकित्सा अनुभाग–7 के पत्र संख्या–449 पॉच–7/2021 दिनांक 05 जुलाई 2021 द्वारा मैकेनाइज्ड क्लीनिंग एवं गार्डनिंग की व्यवस्था हेतु आबद्ध एजेन्सियों को पूर्व निर्धारित दर पर दिनांक 01.09.2021 तक के लिये विस्तारित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

वित्तीय व्यवस्था– वित्तीय वर्ष 2021–22 की आर0ओ0पी0 में 166 जिला स्तरीय चिकित्सालयों एवं 35 एम0सी0एच0 विंग (100 शैय्या) हेतु भारत सरकार द्वारा मशीनीकृत साफ–सफाई के लिये कुल धनराशि रू0 9680.59 लाख अनुमोदित की गयी है। तत्क्रम में प्रदेश के जिला स्तरीय चिकित्सालयों में मशीनीकृत क्लीनिंग एवं गार्डनिंग के लिये एजेन्सीयों के चयन हेतु केन्द्रीकृत निविदा प्रक्रियाधीन है। केन्द्रीकृत निविदा के माध्यम से मैकेनाइज्ड क्लीनिंग एवं गार्डनिंग की व्यवस्था हेतु एजेन्सियों के चयन एवं अनुबन्ध के उपरान्त प्राप्त दरों के आधार पर भुगतान किया जायेंगा। जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था, रख–रखाव गार्डनिंग एवं लाण्ड्री सेवाओं हेतु एफ0एम0आर0 कोड–1.3.2.6 में जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में धनराशि रू0 9680.59 लाख आवंटित की जा रही है। जिला चिकित्सालयों में लाण्ड्री व्यवस्था के लिये निर्देश पृथक से निर्गत किये जा रहे है। जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन के उपरान्त–

- इस धनराशि का उपयोग वर्ष 2021–22 में सेवाप्रदाता एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि से किया जाये।
- सेवा प्रदाता द्वारा मासिक बीजक प्रस्तुत किये जाने के सापेक्ष भुगतान अनुबन्ध में सम्मिलित निविदा के सेक्शन–5 एनैक्जर–6 के अनुसार मासिक प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।
- कुल प्राप्तांक की गणना साप्ताहिक मानिटरिंग शीट के प्राप्तांको के औसत (कुल 80 मे से) तथा मरीजों से प्राप्त फीडबैक के प्राप्ताकों के औसत (कुल 20 मे से) के योग के आधार पर की जायेगी। (Final score calculation will be based on Average cumulative scores of weekly monitoring sheet(out of 80) and Average cumulative score of patient feedback (out of 20).

प्राप्तांक/**Score (out of 100)**	**Percentage of payment to be reimbursed**
0-10	No payment
11-20	20%
21-40	40%
41-60	60%
61-80	80%
81-90	90%
91-100	100%

- निविदा की शर्तों के अनुरूप पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन एवं सम्बन्धित उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। इस हेतु प्रमाणित साक्ष्य, फोटोग्राफ्स एवं कर्मचारियों के पूर्ण विवरण (नाम, पता, उम्र सहित) प्राप्त कर लिये जाये।
- स्वीकृत धनराशि का उपयोग एन0एच0एम0 फाइनेशियल मैनुअल के वित्तीय नियमों के प्राविधानों के अनुसार किया जाए। धनराशि व्यय करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी तरह का व्ययावर्तन, Diversion न हो।
- स्टेट बजट अथवा अन्य किसी योजनाओं से यदि उक्त मद में कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी एवं भविष्य में अनावश्यक विधिक वाद की संभावनाओं से बचने के लिये उक्त कार्य हेतु अन्य किसी योजना से प्राप्त धन का व्यय न किया जाये तथा प्रकरण को महानिदेशक–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं मिशन निदेशक–एन0एच0एम0 के संज्ञान में लाया जाये।
- प्रश्नगत धनराशि का व्यय–विवरण प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका के स्तर से मासिक वित्तीय रिपोर्ट में मिशन निदेशक–एन0एच0एम0 को प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति में अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोग नियमों की परिधि में सुनिश्चित करें।
- भारत सरकार की मंशानुसार प्रत्येक प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका जिम्मेदारी होगी कि सेवा प्रदाता एजेन्सी की नियमित रिपोर्टिंग एवं अनुश्रवण तथा बीजको का समयबद्ध भुगतान हेतु विभागीय वेबसाइट (पोर्टल सिस्टम) पर प्रदर्शित करने हेतु शीघ्र कार्यवाही करेंगे।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

1. मशीनीकृत क्लीनिंग एवं गार्डनिंग की सेवाओं के नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का मुख्य दायित्व क्वालिटी एश्योरेंस टीम का होगा। इस कार्य में हॉस्पिटल मैनेजर द्वारा प्रमुखता से सहयोग दिया जायेगा।
2. जिलाधिकारी द्वारा चिकित्सालयों में मशीनीकृत क्लीनिंग एवं गार्डनिंग व्यवस्था का डी0एच0एस0 की मासिक बैठकों एवं विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठकों में नियमित अनुश्रवण कराया जाय।
3. जनता को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु राज्य, मण्डल तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान चिकित्सालयों की मशीनीकृत क्लीनिंग एवं गार्डनिंग व्यवस्था का अनुश्रवण किया जायेगा।

10. जिला स्तरीय चिकित्सालयों एवं ग्रामीण क्षेत्रों की CHCs/PHCs delivery points पर पी0ओ0एल0 की व्यवस्था

मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 उ0प्र0 द्वारा वर्ष 2021–22 में 166 जिला स्तरीय चिकित्सालयों एवं ग्रामीण क्षेत्रों की 878 CHCs/PHCs delivery points of 75 districts पर पी0ओ0एल0 फॉर जनरेटर मद में समय–समय पर अवमुक्त धनराशि के व्यय हेतु दिशा निर्देश निम्नवत् है–

1. समस्त प्रभारी अधिकारी जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर विद्युत विभाग से विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित रोस्टर प्राप्त कर लें एवं उसके अनुसार विद्युत बाधित होने की स्थिति में जनरेटर का उपयोग किया जाए तथा जनपद के अभियन्ता अथवा मण्डलीय तकनीकी परामर्शी द्वारा जांच कराकर जनरेटर की औसत उचित खपत की जांच कर लॉगबुक में अंकित की जाय।
2. जनरेटर की लॉगबुक प्रतिदिन भरी जाए, लांगबुक में विद्युत बाधित होने की अवधि, जनरेटर चलाये जाने की अवधि, पी0ओ0एल0 की खपत दर्शायी जाए।
3. जिन स्वास्थ्य इकाई में जनरेटर आपरेटर नियुक्त न हों, वहां पर प्रत्येक स्वास्थ्य इकाई पर इस कार्य का दायित्व एक जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी को सौंपा जाए।
4. स्वास्थ्य इकाई के प्रभारी अधिकारी, द्वारा प्रतिदिन लॉगबुक का सत्यापन किया जाए।
5. राज्य स्तरीय, मण्डल स्तरीय अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अन्य जनपदीय अधिकारीयों द्वारा इकाईयों के निरिक्षण में समय–समय पर विशेष रूप से रात्रि कालीन निरीक्षण के दौरान विद्युत बाधित होने कि स्थिति में जनरेटर की क्रियाशीलता तथा लॉगबुक का सत्यापन किया जाए, तथा निरिक्षण आख्या में किसी प्रकार की प्रतिकुल स्थिति में कार्यवाही कर राज्य स्तर पर अवगत कराया जाए।
6. स्टेट बजट अथवा अन्य किसी योजनाओं से यदि उक्त मद में कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो एन0एच0एम0 द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपयोग न किया जाये तथा प्रकरण को महानिदेशक एवं मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 के संज्ञान में लाया जाये, जिससे की किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी के कारण भविष्य में होने वाले अनावश्यक विधिक वाद की संभावनाओं से बचा जा सकें।
7. किसी प्रकार का व्ययावर्तन (diversion) न किया जाए।
8. अवमुक्त धनराशि का व्यय सीमा तक ही किया जाये ।

अतः उपरोक्त दिशा–निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा समस्त ईकाइयों से व्यय विवरण प्राप्त कर एस0पी0एम0यू0 के वित्त अनुभाग को प्रतिमाह उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का होगा।

नियमित टीकाकरण

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम

आप अवगत हैं कि शिशु मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से अनेक ऐसी बीमारियां हैं, जिनको नियमित टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है (Vaccine Preventable Diesases)। उत्तर प्रदेश के नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत बढ़ाने हेतु समस्त विभागीय एवं अन्य सहयोगियों के सहयोग से सतत् प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में एच0एम0आई0एस0 रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत 83.55 रहा है।

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में जानलेवा बीमारियों यथा–तपेदिक, गलाघोंटू, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा रूबेला, हैपेटाइटिस–बी, रोटा वायरस डायरिया, न्यूमोनिया तथा जैपनीज इन्सेफ्लाइटिस से बचाव हेतु राष्ट्रीय टीकाकरण सारिणी के अनुसार बच्चों को बी0सी0जी0, डी0पी0टी0, पोलियो, मीजिल्स रूबेला, हैपेटाइटिस–बी, रोटा वायरस, पेन्टावेलेन्ट, एफ0–आई0पी0वी0, पी0सी0वी0, जे0ई0, तथा टी0डी0 की वैक्सीन दी जाती हैं। साथ ही मीजिल्स रूबेला के साथ विटामिन 'ए' की खुराक दी जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं को टी0डी0 से टीकाकरण किया जाता है। नियमित टीकाकारण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु धनराशि आवंटित की गई है, जिसके उपयोग हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् हैः–

Consumables for computer including provision for internet access for strengthening RI-1.3.2.4 वर्ष 2021–22 में जनपद स्तर पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के कार्यालय में स्थित कम्प्यूटर के इन्टरनेट हेतु रु0 1000.00 प्रति माह की दर से धनराशि की स्वीकृत भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

Teeka Express-2.2.6 जनपद–श्रावस्ती हेतु रू0 62.75 लाख की धनराशि टीका एक्सप्रेस के ऑपरेशनल कास्ट हेतु स्वीकृत की गई है।

JE Campaign Operational Cost-2.2.7 प्रदेश के 38 जनपदों में जे0ई0 टीकाकरण अभियान हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस सम्बन्ध में पृथक से दिशा–निर्देश निर्गत किए जाएंगें।

Pulse Polio Operating Cost-2.2.8

- भारत सरकार द्वारा पल्स पोलियो टीकाकरण के चक्रों हेतु (Tentative) धनराशि स्वीकृत की गई है। समय–समय पर भारत सरकार के निर्देशानुसार एस0एन0आई0डी0 एवं एन0आई0डी0 अभियान हेतु धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जाएगी।
- प्रदेश के 9 जनपदों (आगरा, प्रयागराज, जी0बी0 नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर एवं वाराणसी) हेतु इन्वायरमेन्टल सर्विलेन्स फॉर पोलियो वायरस कार्यक्रम हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

Monthly Village Health and Nutrition Days-2.3.1.1.2

इस मद में वी0एच0एन0डी0 / यू0एच0एन0डी0 के पर्यवेक्षण हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार कुल आयोजित सत्रों के 20 प्रतिशत सत्रों के पर्यवेक्षण हेतु रू0 100.00 प्रति सत्र की दर से धनराशि का उपयोग किया जाएगा।

Focus on Slum & Underserved areas in urban areas/ alternative vaccinator for slums-2.3.1.9

जिन शहरी क्षेत्रों में ए0एन0एम0 की नियुक्ति नहीं की गई है, उन क्षेत्रों में Hired Vaccinators के माध्यम से टीकाकरण कराया जाना है। शहरी क्षेत्रों में 10,000 की जनसंख्या पर माह में 4 सत्र (2500 की जनसंख्या पर 1 सत्र) ए0एन0एम0 द्वारा आयोजित कराए जाने हेतु धनराशि अनुमोदित है। उन क्षेत्रों हेतु Hired Vaccinators का चयन कर जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरान्त टीकाकरण कार्य कराया जायेगा।

प्रत्येक सत्र हेतु वैक्सीनेटर मानदेय रु0 450.00 देय होगा। साथ ही रु0 300.00 प्रतिमाह कन्टीजेन्सी हेतु प्रति (10000 की जनसंख्या) पर स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार रु0 2100.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि व्यय की जायेगी।

नोट– प्रदेश के 32 जनपदों (आगरा, अमेठी, अयोध्या, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बरेली, बस्ती, चन्दौली, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, जी0बी0 नगर, गाजियाबाद, हापुड़, जालौन, जौनपुर, अमरोहा, कन्नौज, कौशाम्बी, लखनऊ, महोबा, मथुरा, मऊ, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रयागराज, रायबरेली, संतकबीर नगर, शामली, श्रावस्ती एवं सिद्धार्थनगर) हेतु धनराशि स्वीकृत है।

Mobility Support for mobile health team (Mobile Immunization Van)-2.3.1.10

जनपद स्तर पर मोबाइल इम्युनाइजेशन वाहन की व्यवस्था की जानी है। कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर यथा–दूरस्थ गांव, पुरवे, मजरे, डेरा आदि के जो बच्चे टीकाकरण से वंचित/छूटे जा रहे हैं, ऐसे बच्चों का समय से टीकाकरण कराए जाने हेतु जनपद स्तर पर मोबाइल इम्युनाइजेशन वाहन (4 पहिया वाहन) की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। वाहन किराए पर लेने की प्रक्रिया ई–टेण्डरिंग के माध्यम से नियमानुसार की जाएगी। वाहनों का भुगतान ई–टेण्डर के माध्यम से चयनित फर्म को निर्धारित धनराशि (अधिकतम सीमा रू0 33,000.00 तक) के अनुसार ही किया जाएगा।

नोट– 11 जनपदों–बुलन्दशहर, चित्रकूट, इटावा, फिरोजाबाद, हापुड़, हरदोई, ललितपुर, महोबा, पीलीभीत, संभल एवं श्रावस्ती हेतु धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

ASHA Incentive under immunization-3.1.1.1.3

इस मद में 0–1 वर्ष के बच्चों को सभी निर्धारित वैक्सीन लगवाने हेतु आशा को रू0 100.00 प्रति पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चे की दर से, दो वर्ष की आयु तक सभी निर्धारित टीका/बूस्टर इत्यादि लगवाने पर रू0 75.00 प्रति बच्चे की दर से एवं डी0पी0टी0 बूस्टर–2 (5 से 6 वर्ष की आयु तक) हेतु अतिरिक्त रू0 50.00 प्रति बच्चे की दर से आशा को देय होगा। इस मद में कुल रू0 225.00 प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। यह मानदेय सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित सत्रों हेतु देय है।

Mobilization of children through ASHA or other mobilizers-3.1.1.1.3

जनपदों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों (गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों) को टीकाकरण सत्र पर लाकर टीकाकरण कराने हेतु आशा या अन्य मोबिलाइजर (आशा के रिक्त पद वाले क्षेत्रों के लिये) को रू0 150.00 प्रति सत्र की दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

नोट– जिन क्षेत्रों में आशा का पद रिक्त है, उन क्षेत्रों में केवल अन्य मोबिलाइजर को ही रू0 150.00 प्रति सत्र की दर से भुगतान किया जाना है।

Incentive to Link worker for preparation of due list of children to be Immmunized-3.1.1.1.3

जिन क्षेत्रों (ग्रामीण एवं शहरी) में आशा उपलब्ध नहीं है उन क्षेत्रों में ड्यू लिस्ट तैयार किए जाने हेतु लिंक वर्कर द्वारा सत्र आयोजन के पूर्व ड्यू लिस्ट तैयार किया जाना है। इस हेतु रू0 100.00 प्रति सत्र की दर से लिंक वर्कर (जिन क्षेत्रों में आशा उपलब्ध नहीं है) को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

नोट–11 जनपदों–बरेली, इटावा, जी0बी0 नगर, गाजीपुर, कानपुर नगर, कासगंज, महाराजगंज, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, संभल एवं सीतापुर हेतु धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

Safety Pits: 5.3.9

स्वास्थ्य इकाई पर टीकाकरण वेस्ट (हब कटर द्वारा काटी गयी निडिल एवं टूटी हुई वायल को विसंक्रमित करने के उपरान्त) Safety pits में डाला जाना है। Safety Pits के निर्माण हेतु रू0 6000.00 प्रति पिट की दर से भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृति की गयी है।

Funds for AEFI (Adverse Effect following Immunization) Drug Kit-6.2.1.2

AEFI Drug Kit खरीदने हेतु भारत सरकार द्वारा रू0 200.00 प्रति किट की दर से धनराशि स्वीकृत की गई है। AEFI Drug Kit हेतु आवश्यक औषधियां जनपद स्तर पर नियमानुसार अनुबन्ध दरों पर क्रय कर चिकित्साधिकारियों को वितरित की जायेगी। सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए AEFI Drug Kit उपलब्ध कराना है।

Red/Black bags etc-6.2.1.5

टीकाकरण सत्र पर टीकाकरण वेस्ट को स्वास्थ्य इकाई पर लाने हेतु लाल, काले एवं पीले बैग का उपयोग किया जायेगा। बैग के जनपद स्तर पर क्रय हेतु रू0 3.00 प्रति बैग (कुल रू0 09.00 प्रति टीकाकरण सत्र) की दर से धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई है।

Bleach/Hypo Chlorite solution/Twin Buckets & Hub Cuttter-6.2.1.5

Bleach/Hypo Chlorite solution/Twin Buckets हेतु रू0 500.00 प्रति पी0एच0सी0/सी0एच0सी0/ब्लॉक/अर्बन प्लानिंग यूनिट/कोल्ड चेन प्वाइंट की दर से धनराशि स्वीकृत की गई है। हब कटर हेतु रू0 1000.00 प्रति कोल्ड चेन प्वाइंट यूनिट दर से धनराशि स्वीकृत की गई है।

Cold Chain Handlers-8.1.16.2.S01

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर पर 04, मण्डल स्तर पर 18 एवं जनपद स्तर पर 75 कोल्ड चेन हैण्डलर्स हेतु कुल 12 माह के मानदेय (5% Annual Increment, लायलिटी बोनस एवं EPF नियमानुसार सम्मिलित है) के लिये धनराशि स्वीकृत की गई है।

Techinician/Refrerigerator Mechanic-8.1.16.2.S02

22 टेक्निशियन/रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के मानदेय (5% Annual Incremen,t लायलिटी बोनस एवं EPF नियमानुसार सम्मिलित है) हेतु कुल 12 माह के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है।

Vaccine Van Driver-8.1.16.7.S06

08 वैक्सीन वैन ड्राइवर मण्डल स्तर (आगरा, बरेली, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी) पर कुल 12 माह के मानदेय (5% Annual Increment, लायलिटी बोनस एवं EPF नियमानुसार सम्मिलित है) के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है।

Vaccine Store Keeper-8.1.16.7.S07

09 वैक्सीन स्टोर कीपर मण्डल स्तर (अलीगढ़, आजमगढ़, बांदा, बस्ती, गोण्डा, लखनऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद एवं सहारनपुर) हेतु कुल 12 माह के मानदेय (5% Annual Increment, लायलिटी बोनस एवं EPF नियमानुसार सम्मिलित है) हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है।

RI Cold chain handlers incentive-8.4.12.S04

ऐसे कोल्ड चेन हैण्डलर्स, जिनके द्वारा अपने निर्धारित कार्यों के साथ–साथ कोल्ड चेन प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्य भी सम्पादित किए जाते हैं, के लिए तदर्थ रूप से, कोल्ड चेन से सम्बन्धित अतिरिक्त कार्य सम्पादित करने हेतु रू0 2400.00 प्रतिमाह की दर से कुल 12 माह हेतु इंसेन्टिव धनराशि स्वीकृत की गई है।

Training under Immunization-9.2.1.7

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रशिक्षण हेतु निम्नानसुार धनराशि स्वीकृत की गई है–

- Data Handlers training for one day
- Health Worker Traning for two days
- Cold Chain Handler training for two days
- Medical Officer Training for three days

उक्त प्रशिक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किए जाएंगे।

(19) 11.8.2-Any other IEC/BCC activities:

इस मद में रू0 169.11 लाख की धनराशि निम्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत की गई है–

i. **Wall painitng-(Rs 20/ Sq ft.) (Size 6 x 3 Sq Ft) Rs. 360/- per wall painting**
   - 1 wall painting, per district - Total- Rs. 0.27 lakh
   - 12 wall painting, per blcok (826 block) total-Rs. 35.68 lakh
   - 1 wall painting, per urban planning unit (466) total- Rs. 1.68 lakh
   - 1 wall painting, per District level Hospital-163, total- Rs. 0.59 lakh

   वाल पेन्टिंग हेतु रू0 38.22 लाख की धनराशि स्वीकृत है।

ii. **Banners for RI session at VHNDs (6' x 3') @ Rs 15/ Sq Ft for 28900 ANMs.-Rs. 78.03 lakhs (per ANM 01 banner)-** नियमित टीकाकरण सत्रों हेतु प्रति ए0एन0एम0 01 बैनर @ रू0 270/–प्रति बैनर की दर से रू0 78.03 लाख की धनराशि स्वीकृत है।

iii. **Banners for BSPM- Rs 52.02 lakhs (6' x 2') @ Rs 15/ Sq Ft for 28900 ANMs)-** बाल स्वास्थ्य पोषण माह हेतु प्रति ए0एन0एम0 01 बैनर @ रू0 180/– प्रति बैनर की दर से रू0 52.02 लाख की धनराशि स्वीकृत है।

Printing and dissemination of Immunization cards, tally sheets Monitoring forms etc-12.10.1

प्रति गर्भवती महिला रू0 10.00 की दर से प्रिन्टिंग हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसके अन्तर्गत आशा पेमेन्ट वाउचर, पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग प्रपत्र, वी0एच0एन0डी0/यू0एच0एन0डी0 टेलीशीट, ड्यू लिस्ट, कोल्ड चेन प्वाइंट्स पर वैक्सीन वितरण, स्टॉक रजिस्टर, टेम्परेचर लॉग बुक, इम्युनाइजेशन सर्टिफिकेट, बुलावा पर्ची, ट्रैंकिंग बैग, इम्युनाइजेशन ट्रेकिंग बुकलेट, विटामिन 'ए' सम्पूरण कार्यक्रम में उपयोग किये जाने वाले प्रपत्र जैसे–मॉनिटरिंग फार्मेट, टैली शीट, रिपोर्टिंग प्रपत्र इत्यादि, ओपन वाइल पर

मार्किंग हेतु सी0डी0 मार्कर पेन इत्यादि की उपलब्धता करायी जानी है। समस्त सामग्री एवं प्रपत्रों की प्रिन्टिंग टेण्डर/कोटेशन के माध्यम से की जाय। मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड (एम0सी0पी0 कार्ड) की प्रिन्टिंग हेतु मातृ–स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध करायी गई है।

Alternative Vacccine delivery in Hard to Reach areas -14.2.4.1

कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों (पहाड़ी/ जंगल (वन क्षेत्र)/बिना पुल वाली नदी के पार वाले क्षेत्र, गैर मोटर बाइक सड़क) एवं अंतिम कोल्ड चेन प्वाइंट से एक घंटे से अधिक पहुंच वाले क्षेत्र इत्यादि में टीकाकरण सत्र स्थलों पर वैक्सीन पहुंचाने हेतु रु0 200.00 प्रति टीकाकारण सत्र की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है।

नोट– 10 जनपदों– बागपत, बुलन्दशहर, एटा, गाजियाबाद, गोण्डा, कन्नौज, कानपुर नगर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एवं संत रविदास नगर हेतु धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

Alternative Vaccine Delivery in other areas-14.2.5

जनपदों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नियमित टीकाकरण सत्रों में सत्र स्थल पर वैक्सीन पहुंचाने हेतु रु0 90.00 प्रति सत्र की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है।

POL for vaccine delivery from State to district and from district to PHC/CHCs-14.2.6

राज्य मुख्यालय/रीजनल वैक्सीन डिपो, मण्डल मुख्यालयों से जनपद तथा ब्लॉक स्तर पर वैक्सीन वैन से वैक्सीन ले जाने हेतु प्रत्येक जनपद को रू0 2.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है। इस धनराशि का उपयोग वैक्सीन ले जाने में पी0ओ0एल0 की व्यवस्था हेतु किया जाना है।

Cold chain maintenance-14.2.7

प्रत्येक जनपद को रू0 20,000.00 प्रति जनपद तथा रू0 1000.00 प्रति ब्लॉक/कोल्डचेन प्वाइंट्स/अर्बन प्लानिंग यूनिट प्रति वर्ष हेतु कुल 1400 इकाईयों हेतु प्रति वर्ष की दर से एवं 09 एस0वी0एस0 (लखनऊ, आगरा, बरेली, मेरठ, झांसी, कानपुर नगर, अयोध्या, गोरखपुर एवं वाराणसी) हेतु रू0 50,000.00 की दर से भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत की गई है।

To develop Microplan at sub-centre level-16.1.1.6

नियमित टीकाकरण की कार्ययोजना हेतु उपकेन्द्र के लिए रू0 100.00 प्रति उपकेन्द्र, की दर से धनराशि स्वीकृत की गई है। इस धनराशि का उपयोग उपकेन्द्र की कार्ययोजना बनाने एवं उसको अधुनान्त करने हेतु किया जायेगा।

For consolidation of micro plans at block level-16.1.1.7

माइक्रोप्लान बनाने एवं उसको अधुनान्त करने हेतु ब्लॉक स्तर पर प्रति ब्लाक/पी0एच0सी0 हेतु रू0 1000.00 की दर से एवं प्रति जनपद रू0 2000.00 धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। इसका उपयोग कार्ययोजना बैठक, फार्मेट प्रिन्टिंग तथा माइक्रोप्लान के कम्प्यूटरीकरण हेतु किया जायेगा।

Quarterly review meetings exclusive for RI at district level with Block MOs, CDPO, and other stake holders-16.1.2.1.14

जनपद स्तर पर नियमित टीकाकरण की समीक्षा बैठकों के आयोजन हेतु रू0 100.00 प्रति प्रतिभागी की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है।

Quarterly review Meetings exclusive for RI at block level-16.1.2.1.15

प्रत्येक ब्लाक में नियमित टीकाकरण की त्रैमासिक समीक्षा बैठक हेतु रू0 1000.00 प्रति ब्लाक की दर से एवं रू0 500.00 प्रति अर्बन प्लानिंग यूनिट की दर से धनराशि स्वीकृत की गई है।

Mobility support for supervision for District level officers-16.1.3.3.7

जनपद स्तरीय अधिकारियों के लिए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु जनपद स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण के लिए 09 जनपदों को रू0 2.00 लाख की दर से, 13 जनपदों को रू0 2.25 लाख की दर से, 36 जनपदों को रू0 2.50 लाख की दर से एवं 17 जनपदों को रू0 3.00 लाख की दर से धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें वाहन हेतु पी0ओ0एल0 की व्यवस्था है। यदि राजकीय वाहन उपलब्ध नहीं है तो वाहन को दिवस के हिसाब से नियमानुसार किराये पर लिया जा सकता है।

State Specific Requirement-16.1.5.3.16.S22

Funds for Annual maintenance Operations for WIC/WIF at State & Division leve16.1.5.3.16.S22.01 प्रदेश में स्थापित 52 वाक इन कूलर/वाक इन फ्रीजर के Annual maintenance operation हेतु राज्य स्तर एवं मण्डल स्तर पर रू0 40,000.00 प्रति इकाई की दर से धनराशि स्वीकृत की गई है। उक्त धनराशि का उपयोग डब्लू0आई0सी0/डब्लू0आई0एफ0 के वार्षिक मेंटीनेंस हेतु नियमानुसार किया जायेगा।

Electricity bill for WIC/WIF at State and Division level-16.1.5.3.16.S22.02 राज्य एवं मण्डल में स्थापित 52 वॉक–इन कूलर/वॉक–इन फ्रीजर (Walk in Cooler / Walk in Freezer) में व्यय होने वाली विद्युत व्यवस्था के बिल भुगतान हेतु रू0 1.00 लाख प्रति डब्लू0आई0सी0/डब्लू0आई0एफ0 प्रति वर्ष की दर से धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

Funds for POL for generators & operational expenses at Divisional vaccine storage and State vaccine store 16.1.5.3.16.S22.03

मण्डल एवं राज्य स्तर पर स्थापित वैक्सीन स्टोर प्वाइंट्स हेतु रू0 2.00 लाख प्रति वैक्सीन स्टोर प्वाइन्ट्स की दर से धनराशि स्वीकृत है। उक्त धनराशि का उपयोग जनरेटर हेतु पी0ओ0एल0 एवं बैटरी के लिए तथा वैक्सीन को मण्डल से रीजनल डिपो तक लाने हेतु पी0ओ0एल0 मद में किया जा सकता है।

POL for generators and operational Expenses at District level Vaccine Storage points and other cold chain points-16.1.5.3.16.S22.04

जनपद स्तर पर स्थापित वैक्सीन स्टोर प्वाइंट्स हेतु रू0 1.20 लाख प्रति वैक्सीन स्टोर प्वाइन्ट्स की दर से धनराशि स्वीकृत है। उक्त धनराशि का उपयोग वैक्सीन स्टोरेज प्वाइन्ट्स पर जनरेटर हेतु पी0ओ0एल0 एवं बैटरी हेतु पी0ओ0एल0 मद में उपयोग किया जा सकता है।

PM activities under Micronutrient Supplementation Programme-16.1.5.3.1

विटामिन 'ए' सम्पूरण कार्यक्रम प्रतिवर्ष दो बार आयोजित किया जाता है। इस हेतु जनपद एवं ब्लाक स्तरीय बैठकों, भ्रमण एवं विटामिन 'ए' सम्पूरण कार्यक्रम माह के उद्घाटन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। **उक्त गतिविधि के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किए जाएंगे।**

Computer Assistant/Data Entry Operator-16.4.3.1.9.S07

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर पर 01 डी0ई0ओ0 एवं जनपद स्तर पर 75 डी0ई0ओ0 के 12 माह के मानदेय (5% Annual Increment, लायलिटी बोनस एवं EPF नियमानुसार सम्मिलित हैं) हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

एन0यू0एच0एम0

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 4.44 करोड़ जनता निवास करती है। शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता को गुणवत्तापरक एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन लागू किया गया है। शहरी स्वास्थ्य मिशन का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है–

Total Population as per census 2011 (In lakhs)	1,995.81
Urban Population as per census 2011 (In lakhs)	444.70
Total population covered under NUHM as per census 2011 (In lakhs)	314.53
Urban slum population (in lakhs) (as per DAP of 2013-14)	142.88
Total Cities covered under NUHM	131
Number of Metro cities	0
Number of Million + cities (> 10 lakh population)	7
Number of cities with 1 to 10 lakh population	56
Number of towns with less than 1 lakh but more than 50 thousand population	59
Number of District HQs which have less that 50 thousand population but are covered under NUHM	9

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के इम्प्लीमेन्टेशन फ्रेमवर्क के अनुसार प्रत्येक जिला मुख्यालय तथा 50,000 से अधिक शहरी जनसंख्या वाले 134 शहरों/कस्बों को स्वास्थ्य सेवाओं से आच्छादित किया जा रहा है तथा 50,000 से कम शहरी जनसंख्या वाले शहरों/कस्बों को एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत आच्छादित किया जाना है। इसके अनुसार शहरों/कस्बों में प्रत्येक 50,000 की शहरी जनसंख्या पर एक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 5,00,000 से अधिक शहरी जनसंख्या वाले शहरों में प्रत्येक 2,50,000 की शहरी आबादी पर एक नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

इस वर्ष जनपद स्तर पर आवंटित धनराशि मदवार उपलब्ध करायी जा रही है अतः सम्बन्धित मद में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर ही धनराशि व्यय की जा सकेगी। वित्तीय वर्ष 2021–22 मे कुल 610 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 14 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के संचालनार्थ अनुमति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है।

Operational Expenses of UPHC - FMR Code U.1.3.1- वर्ष 2021–22 की आर0ओ0पी0 में Office Expenses for UPHC हेतु रू0 8000.00 प्रतिमाह प्रति UPHC की दर से विगत वर्षों में स्वीकृत 593 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के 12 माह हेतु एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वीकृत नवीन 17 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के 09 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग बिजली, टेलिफोन बिल, स्टेशनरी, ओ.पी.डी. स्लिप, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, विभिन्न रजिस्टर, इत्यादि में किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन के अनुसार नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु अति आवश्यक सामग्री के क्रय में किया जा सकता है।

610 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो में से 147 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राज्य बजट से संचालित है, जिसके लिए यदि राज्य बजट से कन्टीन्जेन्सी मद में धनराशि उपलब्ध करायी गयी है तो राज्य बजट या एन0यू0एच0एम0 बजट में से किसी एक बजट की धनराशि का उपयोग किया जाय, जिससे किसी तरह की Duplicacy न हो।

Operational Expenses of Health Kiosks - FMR Code U.1.3.3 - Office Expenses for Health Kiosks हेतु रू0 5000.00 प्रतिमाह प्रति Health Kiosks की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

उपरोक्त धनराशि का व्यय महानिदेशक–परिवार कल्याण के पत्र संख्या प.क.–13/सं.नि.न./अ.हे.कि.–दि.नि./154/2018–19/5672–16 दिनांक 01.11.2017 के माध्यम से निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

Operational cost for UCHC (Jhansi) - FMR Code U.1.3.4 Others – वर्ष 2021–22 में जनपद झांसी हेतु स्वीकृत 01 नवीन नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के ऑपरेशनल व्यय हेतु रु0 15,000.00 प्रतिमाह की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग बिजली, टेलिफोन बिल, स्टेशनरी, ओ.पी.डी. स्लिप, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, विभिन्न रजिस्टर, इत्यादि में किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन के अनुसार नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु अति आवश्यक सामग्री के क्रय में किया जा सकता है।

Mobility Support for ANM– FMR Code U.2.2.1 - इस मद में Mobility Support for ANM हेतु रू0 500.00 प्रतिमाह प्रति ANM की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

उपरोक्त धनराशि का उपयोग ए0एन0एम0 द्वारा शहरी मलिन बस्तियों में शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजित करने एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु मोबिलिटी में व्यय किया जायेगा। ए0एन0एम0 द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर यह धनराशि ए0एन0एम0 के खाते में स्थानांतरित की जायेगी।

UHNDs - FMR Code U.2.3.1 - प्रत्येक ए.एन.एम. द्वारा अपने आवंटित क्षेत्र में 04 यू.एच.एन.डी. प्रति माह आयोजित किये जायेगें, जिसके लिए 3050 ए.एन.एम. हेतु रू0 250.00 प्रति UHND की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

Special Outreach Camps -FMR Code U.2.3.2- प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के क्षेत्र में प्रति माह 01 विशेष आउट रीच कैम्प (Special Outreach Camp) आयोजित किया जायेगा। इस हेतु रू0 6500.00 प्रतिमाह प्रति Special Outreach Camp की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि (कुल धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि) आवंटित की गयी है। प्रति माह आयोजित किये जाने वाले कैम्प हेतु अनुमोदित धनराशि निम्नानुसार व्यय की जायेगीः–

क्रं.	गतिविधि	धनराशि प्रति कैम्प (रू0)
1	चिकित्सक / विशेषज्ञ चिकित्सक का दैनिक भत्ता(एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 को रू 1500 / – तथा विशेषज्ञ हेतु रू0 3000 / –)	3,000
2	पैरा मेडिकल स्टाफ कुल 03 हेतु प्रत्येक को रू0 500 / –की दर से (आवश्यकतानुसार स्टाफ नर्स, एल0टी0, फार्मासिस्ट, नेत्र सहायक, डेन्टल हाइजिनिस्ट आदि को रखा जा सकता है)	1,500
3	परिवहन व्यवस्था	1,000
4	प्रचार–प्रसार (लाउडस्पीकर, बैनर, इत्यादि) एवं बैठने की व्यवस्था	1,000
कुल योग		**6,500**

उपरोक्त धनराशि के व्यय हेतु दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।

Incentive for Routine Activity- FMR Code U.3.1.1.1- इस मद में आशा प्रतिपूर्ति राशि हेतु रू0 2000 / – प्रतिमाह प्रति आशा की दर से कुल 8603 अरबन आशाओं हेतु कुल 12 माह के लिए धनराशि आवंटित की गयी है।

ASHA Incentives for Ayushman Bharat Health & Wellness Centres (H&WC) -FMR Code U.3.1.1.2 - इस मद में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के अन्तर्गत 459 हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर के अन्तर्गत कार्यरत अरबन आशाओं हेतु रु0 1000.00 प्रति माह प्रति आशा की दर से कुल 5613 अरबन आशाओं हेतु 12 माह के लिये धनराशि आवंटित की गयी है।

इस धनराशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।

FMR Code U.3.1.1.3

- **A- Other Incentive to U-ASHA (Health Promotion Day) -** इस मद में रु0 200.00 प्रतिमाह प्रति आशा की दर से 8603 आशाओं हेतु 12 माह के लिये धनराशि आवंटित की गयी है। उक्त धनरशि का व्यय महानिदेशक–परिवार कल्याण के पत्र संख्या–प0क0–13 / सं0नि0न0 / श0आ0–दिशा–निर्देश / 52 / 2020–21 / 931–75 दिनांक 26.06.2020 के अनुसार किया जाना है।
- **B- Other Incentive to U-ASHA (PMMVY) -** इस मद में रु0 100.00 प्रति लाभार्थी की दर से 120442 लाभार्थियों हेतु 8603 आशाओं हेतु 12 माह के लिये धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश सिफ्सा / पी0एम0एम0वी0वाई / 01 / साम0 / पत्रा0 / 2020–21 / 15322 दिनांक 02.07.2021 के द्वारा प्रेषित किये गये है।

Module Training (Induction, VI & VII) – FMR Code U.3.1.2.1

- **A- New U-ASHA Induction Training -** इस मद में रु0 1,37,600.00 प्रति बैच की दर से 67 बैच एवं रु0 100.00 प्रति माड्यूल प्रति आशा की दर से 2022 नवीन शहरी आशाओं एवं 150 ड्राप आउट आशाओं के 08 दिवसीय प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु धनराशि आंवटित की गयी है। इस सम्बन्ध में महानिदेशक–परिवार कल्याण के पत्र संख्या–प0क0 / 08–प्रशि0 / अर0आशा0 / 2016–17 / 842

दिनांक 20.05.2016 के माध्यम से दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं। वर्ष 2021–22 हेतु स्वीकृत 2022 आशाओ एवं 150 ड्राप आउट आशाओं के इंडक्शन प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार बैच का निर्धारण किया गया है–

Additional ASHA Training Batch Details (Approved in 2021-22)

Sr. No	District	No. of Additional Slum ASHAs approved for 2021-22	No. of Additional Non Slum ASHAs approved for 2021-22	Total Additional ASHAs (Slum+Non Slum) approved for FY 2021-22	Training Center	No. Of ASHAs	No. Of Batches
1	Azamgarh	17	14	31	Azamgarh	31	1
2	Auriya	0	22	22	Etawah	72	2
3	Etawah	0	50	50			
4	Ayodhya	10	35	45	Ayodhya	105	4
5	Ambedkarnagar	5	33	38			
6	Sultanpur	2	3	5			
7	Barabanki	4	13	17			
8	Gonda	0	30	30	Gonda	30	1
9	Bahraich	16	34	50	Bahraich	50	2
10	Bareilly	0	73	73	Bareilly	73	2
11	Budaun	34	45	79	Budaun	79	3
12	Baghpat	0	64	64	Baghpat	64	2
13	Bulandsahar	10	61	71	Bulandsahar	71	2
14	Hapur	0	66	66	Hapur	66	2
15	Banda	0	25	25	Banda	53	2
16	Chitrakoot	0	14	14			
17	Mahoba	0	14	14			
18	Etah	2	8	10	Hathras	56	2
19	Hathras	1	33	34			
20	Kasganj	4	8	12			
21	Moradabad	0	50	50	Moradabad	50	2
22	Rampur	0	25	25	Rampur	25	1
23	Amroha	6	25	31	Amroha	31	1
24	Sambhal	17	82	99	Sambhal	99	3
25	Bijnor	0	85	85	Bijnor	85	3
26	Raibareilly	0	32	32	Raibareilly	32	1
27	Sitapur	1	93	94	Sitapur	94	3
28	Lakhimpur	19	91	110	Lakhimpur Kheri	110	4
29	Unnao	32	31	63	Unnao	63	2
30	Saharanpur	188	29	217	Saharanpur	217	7
31	Muzzafarnagar	76	101	177	Muzaffarnagar	177	6
32	S.K.Nagar	0	18	18	Gorakhpur	31	1
33	Kushinagar	0	13	13			
34	Pratapgarh	4	32	36	Pratapgarh	36	1
35	Badohi	0	34	34	Bhadohi	34	1
36	Mirzapur	0	68	68	Mirzaour	68	2
37	Varanasi	0	25	25	Varanasi	25	1
38	Chandauli	0	37	37	Chandauli	37	1
39	Jaunpur	0	58	58	Jaunpur	58	2
	Grand Total	**448**	**1574**	**2022**		**2022**	**67**

Drop out U-ASHA Training Batch Details -

Sl.	District	No of ASHAs to be trained	Total no of ASHAs to be trained	Training Center	No of Batches
1	Raibareily	20	60	Lucknow	02
2	Sitapur	40			
3	Banda	03	27	Banda	01
4	Chitrakoot	05			
5	Mahoba	04			
6	Hamirpur	15			
7	Agra	60	60	Agra	02
Total		**147**	**147**	**03**	**05**

B- U-ASHA 6 & 7 Module Training - इस मद में रु0 88,200.00 प्रति बैच की दर से 231 बैच की दर से 6807 आशाओं के 6 & 7 Module (Third Round) हेतु धनराशि आंवटित की गयी है। उक्त प्रशिक्षण कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग द्वारा द्वितीय राउंड में प्रशिक्षित जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों के माध्यमों से कराया जायेगा।

इस धनराशि क उपयोग हेतु दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे है।

C- U-ASHA Refresher Training – इस मद में रु0 43,300.00 प्रति बैच की दर से 29 बैच हेतु जनपद–वाराणसी को धनराशि आवंटित की गयी है।

इस धनराशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे है।

Supportive Provision (Uniform/Awards etc..) - FMR Code U.3.1.3.1

A- इस मद में 8603 अरबन आशाओं के यूनिफार्म हेतु रु0 600.00 प्रति आशा की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।

B- अरबन आशाओं द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों हेतु ASHA Award के लिये धनराशि आवंटित की गयी है।

उक्त धनराशि के व्यय हेतु दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।

Training of MAS – FMR Code U.3.2.1.1 - इस वर्ष प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नवीन स्वीकृत महिला आरोग्य समिति के प्रशिक्षण हेतु रु0 43,300.00 प्रति बैच की दर से 103 बैच हेतु 1581 महिला आरोग्य समिति (1000 नान स्लम आशा एवं 581 स्लम आशा) हेतु धनराशि आंवटित की गयी है। उक्त धनराशि का व्यय महानिदेशक–परिवार कल्याण के पत्र संख्या–प0क0–13/सं0नि0न0/म0आ0स0/128/ 2017–18/ 4235–35 दिनांक 14.09.2017 के अनुसार किया जाना है।

Additional MAS Orientation Proposed in FY 2021-22

Sr. No	District	MAS for Non Slum ASHAs aproved in FY 2018-19	MAS for ASHAs Approved In FY 2019-20	MAS for ASHAs Approved In FY 2020-21	Total No. Of Additional MAS Prposed to be Trained in 2021-22	No. Of Participants to be Trained @ 2 per MAS	No. Of Batches	Training Site
1	Aligarh	25			25	50	2	Aligarh
2	Hathras	6		3	9	18		
3	Etah	7		12	19	38	1	Etah
4	Kasganj	9		6	15	30	1	Kasganj
5	Prayagraj	50			50	100	4	Prayagraj
6	Kaushambi	3			3	6		
7	Pratapgarh	10			10	20		
8	Fatehpur	10			10	20	1	Fatehpur
9	Ambedkarnagar	25			25	50	2	Ambedkarnagar
10	Sultanpur	7			7	14		
11	Ayodhya	30			30	60	3	Ayodhya
12	Barabanki	5		8	13	26		
13	Auraiya	20			20	40	1	Auraiya
14	Etawah	20		54	74	148	5	Etawah
15	Gonda	15		23	38	76	3	Gonda
16	Balrampur	7			7	14		
17	Bahraich	10			10	20	1	Bahraich
18	Ballia	10			10	20	1	Ballia
19	Mau			32	32	64	2	Mau
20	Chitrakoot	5			5	10	4	Banda
21	Banda	15		17	32	64		
22	Mahoba	6			6	12		
23	Hamirpur	15			15	30		
24	Bareilly	50		25	75	150	5	Bareilly
25	Pilibhit	20			20	40	1	Pilibhit
26	Shahjahanpur	20			20	40	1	Shahjahanpur
27	Budaun	20			20	40	1	Budaun
28	Basti	20		6	26	52	2	Basti
29	Sidharthnagar	6			6	12		
30	Sant Kabir Nagar	15		5	20	40	1	Sant Kabir Nagar

Additional MAS Orientation Proposed in FY 2021-22

Sr. No	District	MAS for Non Slum ASHAs aproved in FY 2018-19	MAS for ASHAs Approved In FY 2019-20	MAS for ASHAs Approved In FY 2020-21	Total No. Of Additional MAS Prposed to be Trained in 2021-22	No. Of Participants to be Trained @ 2 per MAS	No. Of Batches	Training Site
31	Bulandshahar			20	20	40	1	Bulandshahar
32	Gorakhpur	30			30	60	4	Gorakhpur
33	Deoria	15			15	30		
34	Kushinagar			1	1	2		
35	Maharajganj	8			8	16		
36	Jhansi	50			50	100	4	Jhansi
37	Lalitpur	10			10	20		
38	Lucknow	70			70	140	5	Lucknow
39	Rae Bareli	20			20	40	1	Rae Bareli
40	Sitapur	40		18	58	116	4	Sitapur
41	Unnao	20		10	30	60	2	Unnao
42	Hardoi	20			20	40	1	Hardoi
43	Mainpuri	10			10	20	1	Mainpuri
44	Mathura	20			20	40	1	Mathura
45	Firozabad			36	36	72	2	Firozabad
46	Sambhal	20			20	40	1	Sambhal
47	Amroha (JP Nagar)	25		3	28	56	2	Amroha (JP Ngr)
48	Rampur	20			20	40	1	Rampur
49	Saharanpur	46			46	92	4	Saharanpur
50	Shamli	10			10	20		
51	Jaunpur	15			15	30	1	Jaunpur
52	Varanasi	90	300		390	780	26	Varanasi
53	Mirzapur			2	2	4		
	Total	**1000**	**300**	**281**	**1581**	**3162**	**103**	

Untied Grant UPHC Government Building -FMR Code U.4.1.1.1 - इस मद में सरकारी भवनों में संचालित 71 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रोगी कल्याण समिति हेतु रु0 1.75 लाख प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

Untied Grant UPHC Rented Building - FMR Code U.4.1.1.2 - इस मद में किराये के भवनों में संचालित 539 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (522 पूर्व में स्वीकृत एवं 17 नवीन स्वीकृत) के रोगी कल्याण समिति हेतु रु0 1.00 लाख प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से वर्ष 2021–22 हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

उपरोक्त Untied Grant धनराशि का व्यय महानिदेशक–परिवार कल्याण के पत्र संख्या – प0क0–13/सं0नि0नग0/रो0क0स0/116/2017–18/3875–75 दिनांक 10.08.2017 के अनुसार किया जाना है।

नोटः– जनपद द्वारा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रोगी कल्याण समिति के खाते में 01 अप्रैल, 2021 को उपलब्ध धनराशि को उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से घटाते हुये शेष धनराशि सम्बन्धित रोगी कल्याण समिति के खाते में हस्तांतरित किया जाना है तथा प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।

Untied Grant for UCHC– FMR Code New U.4.1.2 - इस मद में जनपद लखनऊ के 8, वाराणसी के 05 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (03 पूर्व में स्वीकृत एवं 02 नवीन स्वीकृत) एवं 01 नवीन नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झांसी के रोगी कल्याण समिति हेतु रु0 5.00 लाख प्रति नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।

उपरोक्त धनराशि का व्यय महानिदेशक–परिवार कल्याण के पत्र संख्या–प0क0–13/सं0नि0नग0/रो0क0स0/116/2017–18/3875–75 दिनांक 10.08.2017 के अनुसार किया जाना है।

नोट– जनपद द्वारा नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रोगी कल्याण समिति के खाते में 01 अप्रैल, 2021 को उपलब्ध धनराशि को उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से घटाते हुये शेष धनराशि सम्बन्धित रोगी कल्याण समिति के खाते में हस्तांतरित किया जाना है तथा प्रत्येक नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जाय।

Untied Grants MAS - FMR Code U.4.1.4. - वर्ष 2021–22 की आर0ओ0पी0 में Untied Grants for 8603 MAS हेतु रू0 5,000.00 प्रति MAS की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।

उपरोक्त धनराशि का व्यय महानिदेशक–परिवार कल्याण के पत्र संख्या–प0क0–13/सं0नि0नग0/म0आ0स0/128/2018–19/2966–75 दिनांक 26 सितम्बर, 2018 एवं पत्र संख्या–प0क0–13/सं0नि0नग0/म0आ0स0/दिशानि0/128/2017–18/34–75 दिनांक 10 अप्रैल, 2017 के अनुसार किया जाना है।

नोट– जनपद द्वारा महिला आरोग्य समिति के खाते में 01 अप्रैल, 2021 को उपलब्ध धनराशि को उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से घटाते हुये शेष धनराशि सम्बंधित महिला आरोग्य समिति के खाते में हस्तांतरित किया जाना है तथा प्रत्येक महिला आरोग्य समिति द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।

Upgradation of existing facilities –UCHC -FMR Code - U.5.1.2

a. **BSUs establishment** – इस मद में स्वीकृत 03 नवीन नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (02 वाराणसी एवं 01 झांसी) में BSUs establishment हेतु रु0 4.00 लाख प्रति BSU की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है। इस धनराशि का व्यय समस्त वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाना है।
b. **OT strengthing** – इस मद में स्वीकृत 03 नवीन नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (02 वाराणसी एवं 01 झांसी) में OT strengthing हेतु रु0 1.00 लाख प्रति OT की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है। इस धनराशि का व्यय गैप एनालिस करते हुये एवं समस्त वित्तीय एवं क्रय नियमों के अनुसार किया जाना है।
c. **UCHC establishment** – इस मद में जनपद वाराणसी हेतु स्वीकृत 02 नवीन नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सारनाथ एवं काशी विद्यापीठ) में UCHC establishment हेतु रु0 20.00 लाख प्रति UCHC की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है। इस धनराशि का व्यय गैप एनालिस करते हुये एवं समस्त वित्तीय एवं क्रय नियमों के अनुसार किया जाना है।

Rent for UPHC - FMR Code - U.5.1.4 -इस मद में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के किराये हेतु रु0 17,325.00 प्रति माह प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से पूर्व में स्वीकृत 522 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के 12 माह हेतु एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वीकृत नवीन 17 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के 09 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। प्रत्येक किराये के भवन हेतु अधिकतम सीमा रू0 17,325.00 प्रति माह प्रति भवन की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। किराये का निर्धारण डी0एम0 सर्किल रेट या रू0 17,325.00 जो कम हो देय होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि जनपद के किसी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का किराया एरिया क्षेत्रफल एवं डी0एम0 सर्किल रेट के अनुसार रू0 17,325.00 से अधिक हो तो जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदनोपरान्त भवन को किराये पर लेते हुए जनपद को किराये मद में कुल आवंटित धनराशि में से प्रतिमाह बचत धनराशि से नियमानुसार भुगतान किया जा सकता है।

Infrastructure strengthening of UPHC to H&WC FMR Code - U.5.3.1: इस मद में 50 **नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रुप में सुदृढीकरण किये जाने हेतु**रु0 1.00 लाख प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से धनराशि आंवटित की गयी है। इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।

Equipment for AB-HWCs FMR Code U.6.1.1 –: इस मद में 17 नवीन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के फर्नीचर एवं उपकरण हेतु रु0 3.00 लाख प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से धनराशि आंवटित की गयी है। **इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।**

Eqipment for UCHC – FMR Code U.6.1.3 - इस मद में जनपद झांसी हेतु स्वीकृत 01 नवीन नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (कैन्ट) में UCHC Equipment हेतु रु0 20.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इस धनराशि का व्यय गैप एनालिस करते हुये एवं समस्त वित्तीय एवं क्रय नियमों के अनुसार किया जाना है।

Procurement of Drugs for AB-H&WCs- FMR Code U.6.2.1.1 इस मद में कुल 459 हेल्थ एवं वेलनेस सेण्टर हेतु Reagent & consumables के क्रय के लिए कुल स्वीकृत धनराशि की 20 प्रतिशत धनराशि (रू0 1,30,000.00 प्रति हेल्थ एवं वेलनेस सेण्टर की दर से) आवंटित की गयी है। उक्त धनराशि का व्यय समस्त वित्तीय एवं क्रय नियमों को ध्यान में रखते हुये किया जाना है।

Procurement of Drugs for facilities other than AB-H&WCs including UPHCs, UCHCs and Maternity Home etc.)- FMR Code U.6.2.1.2

A- इस मद में हेल्थ एवं वेलनेस सेण्टर के अतिरिक्त अन्य 151 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर Reagent & consumables के क्रय हेतु कुल स्वीकृत धनराशि की 20 प्रतिशत धनराशि (रू0 1,30,000.00 प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से) आवंटित की गयी है। उक्त धनराशि का व्यय समस्त वित्तीय एवं क्रय नियमों को ध्यान में रखते हुये किया जाना है।

B- इस मद में स्वीकृत नवीन नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–झांसी के लिये Reagent & consumables के क्रय हेतु कुल स्वीकृत धनराशि का 20 प्रतिशत धनराशि रू0 2.00 लाख आवंटित की गयी है। उक्त धनराशि का व्यय समस्त वित्तीय एवं क्रय नियमों को ध्यान में रखते हुये किया जाना है। शेष 80 प्रतिशत धनराशि औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु यूपीएमएससीएल को आंवटित की जा रही है।

ASHA Drug Kits – FMR Code U.6.2.2.1 इस मद में वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्वीकृत 281 आशाओं हेतु रु0 750.00 प्रति आशा ड्रग किट की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि के व्यय हेतु दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।

Tablet / Software for IT support of Ayushman Bharat (H&WC) - FMR Code U.6.3.1 –

(a) 50 नवीन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के लिये Computer & Printer with UPS हेतु रु0 50,000.00 प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।

(b) 509 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (459 पूर्व से संचालित एवं 50 नवीन स्वीकृत) के रुप में संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु 01 वर्ष के लिए रु0 10,000.00 प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।

ANM/LHV for UPHC – FMR Code U.8.1.1.1 : इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 2903 एवं नवीन स्वीकृत 69, इस प्रकार कुल 2972 ANM के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से ए.एन.एम. द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लॉयल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्वि के साथ)
After 1st April,2021	10915
2020-21	11461
2019-20	12034
2018-19	13180
2017-18	13839
2016-17	14498
2015-16	15223
2013-14 & 2014-15	15992
ANM Shifted from Urban RCH	17512

FMR Code No. – U.8.1.2.1 Staff Nurses for UPHC: इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 1126 एवं नवीन स्वीकृत 34, इस प्रकार कुल 1160 Staff Nurse for UPHC के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Staff Nurse द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लॉयल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्वि के साथ)
After 1st April,2021	19101
2020-21	20056
2019-20	21059
2018-19	23064
2017-18	23064
2016-17	25371
2015-16	25371
2013-14 & 2014-15	26653
Staff Nurse Shifted from Urban RCH	29172

Staff Nurse for UCHC – FMR Code U.8.1.2.2 – इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 17 एवं नवीन स्वीकृत 28 इस प्रकार कुल 45 Staff Nurse for UCHC के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Staff Nurse द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) दिया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्वि के साथ)
After 1st April,2021	19101
2020-21	20056
2019-20	21059
2018-19	23064
2017-18	23064
2016-17	25371
Staff Nurse Shifted from Urban RCH for Lko	29172

Lab Technician at UPHC –FMR Code U.8.1.3.1: इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 593 एवं नवीन स्वीकृत 17 इस प्रकार कुल 610 Lab Technician of UPHC के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Lab Technician द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना हैः–

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्वि के साथ)
After 1st April,2021	13666
2020-21	14349
2019-20	15067
2018-19	16495
2017-18	16495
2016-17	18151
2015-16	18151
2013-14 & 2014-15	19038

Lab Technician at UCHC– FMR Code U.8.1.3.2 – इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 03 एवं नवीन स्वीकृत 03, इस प्रकार कुल 06 Lab Technician के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Lab Technician द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लॉयल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्वि के साथ)
After 1st April,2021	13666

Pharmacist at UPHC– FMR Code U.8.1.4.1 - इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 593 एवं नवीन स्वीकृत 17, इस प्रकार कुल 610 Pharmacist के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Pharmacist द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लॉयल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्वि के साथ)
After 1st April,2021	19101
FY 2020-21	20056
2019-20	21059
2018-19	23064
2017-18	23064
2016-17	24163
2015-16	25371
2013-14 & 2014-15	26639

Pharmacist at UCHC – FMR Code U.8.1.4.2 -: इस मद में जनपद झांसी में स्वीकृत 01 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 01 Pharmacist के मानदेय हेतु रु0 19,101.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।

OT Technician at UCHC– FMR Code U.8.1.5.2 –: इस मद में जनपद झांसी में स्वीकृत 01 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 01 OT Technician के मानदेय हेतु रु0 15,656.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।

Any Other - FMR Code U.8.1.5.3

a- Data Assistant at UCHC - जनपद लखनऊ में Other NUHM (08 Data Assistant, lko) एवं जनपद झांसी में स्वीकृत 01 नवीन नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 01 Data Assistant के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Data Assistant द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) मानदेय प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April 21 For UCHC (BMC) in Lucknow District	19298
After 1st April,2021 (Jhansi)	16500

b- Nurse Mentor at UCHC: इस मद में जनपद–वाराणसी में स्वीकृत नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 01 Nurse Mentor के मानदेय हेतु रु0 25000.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।

Gynaecologist – FMR Code U.8.1.6.1 : इस मद में नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 12 Gynae के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Gynaecologist द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार (लॉयल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) मानदेय प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April,2021	82688
1-4-2020 to 31-3-2021	86822
1-4-2019 to 31-3-2020	91164
1-4-2018 to 31-3-2019	99845
1-4-2017 to 31-3-2018	99845
Joined in 2016-17 or Before	104837

Paediatrician–FMR Code U.8.1.6.2: इस मद में नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 14 Paediatrician के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Paediatrician द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April, 2021	82688
1-4-2020 to 31-3-2021	86822
1-4-2019 to 31-3-2020	91164
1-4-2018 to 31-3-2019	99845
1-4-2017 to 31-3-2018	99845
Joined in 2016-17 or Before	104837

Anaesthetist– FMR Code U.8.1.6.3. -: इस मद में नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 12 Anaesthetist के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Anaesthetist द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April, 2021	82688
1-4-2020 to 31-3-2021	86822
1-4-2019 to 31-3-2020	91164
1-4-2018 to 31-3-2019	99845
1-4-2017 to 31-3-2018	99845
Joined in 2016-17 or Before	104837

उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद झांसी में स्वीकृत 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैन्ट हेतु 1 Anaesthetist @ Rs. 3500.00 pm Per Call for Maximum 10 Calls in a month के अनुसार 12 माह हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

Surgeon – FMR Code U.8.1.6.4 - इस मद में जनपद वाराणसी में पूर्व से स्वीकृत नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 02 Surgeon के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Surgeon द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April, 2021	82688
1-4-2020 to 31-3-2021	86822

1-4-2019 to 31-3-2020	91164
1-4-2018 to 31-3-2019	99845
1-4-2017 to 31-3-2018	99845
1-4-2016 to 31-3-2017	104837

Radiologist – FMR Code U.8.1.6.6 - इस मद में जनपद लखनऊ में स्वीकृत 08 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु कुल 08 Radiologist के मानदेय हेतु रू0 82,688.00 प्रतिमाह प्रति Radiologist की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद झांसी में स्वीकृत 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैन्ट हेतु 1 Radiologists @ Rs. 350/- pm Per Ultrasound for Maximum 50 Altrasound in a month के अनुसार 12 माह हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

Other Specialists – FMR Code U.8.1.6.7 -

a- Physician : इस मद में नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु कुल 09 Physician के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Physician द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्वि के साथ)
After 1st April, 2021	82688
1-4-2020 to 31-3-2021	86822

b- Surgeon : इस मद में जनपद वाराणसी हेतु स्वीकृत 02 नवीन नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु कुल 02 Surgeon के मानदेय हेतु रू0 82,688.00 प्रतिमाह प्रति Surgeon की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।

Full Time MO at UPHC - FMR Code U.8.1.8.1.1: इस मद में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 470 Full time MBBS MO के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Full time MBBS MO द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है–

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्वि के साथ)
After 1st April, 2021	55000
1-4-2020 to 31-3-2021	57750
1-4-2019 to 31-3-2020	60638
Joined in or before 2018-19	69733

Part Time MO at UPHC– FMR Code U.8.1.8.1.2 : इस मद में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 64 Part time MBBS MO के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Part time MBBS MO द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) मानदेय प्रदान किया जाना हैः–

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्वि के साथ)
After 1st April, 2021	30000
1-4-2020 to 31-3-2021	31500
1-4-2019 to 31-3-2020	33075
Joined in or before 2018-19	33075

नोट– जनपद में पार्ट टाइम चिकित्सक के पद रिक्त होने पर राज्य स्तर से स्वीकृति उपरान्त ही उनकी भर्ती की जाय।

Full Time MO at UCHC (EMO)–FMR Code U.8.1.8.3.1 : इस मद में नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 05 EMO के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से EMO द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) मानदेय प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्वि के साथ)
After 1st April, 2021	55000
1-4-2020 to 31-3-2021	57750
1-4-2019 to 31-3-2020	60638
Joined in or before 2018-19	69733

Other Support staff - NUHM–FMR Code U.8.1.10.1 - इस मद में नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 1381 Support Staff के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Support Staff को निम्नानुसार मानदेय प्रदान किया जाना है –

For In -position staff

Support Staff - NUHM FY 2021-22		
Particular	**Employee Hired by DHS**	**Employee Hired by Agency**
Salary	10412	9507
PF(Emp.) 12%	1249	1141
ESI(Emp.) 1.75%	-	166
Net Payable to Employee	**9163**	**8200**
GST 18%	-	1882
Service charge (10%)	-	951
EPF (13.36%) by Employer	1391	1270
ESI (3.25%) by Employer	-	309
	11803	**13919**

For vacant positions– to be filled through agency

Support Staff - NUHM FY 2021-22	
Particular	**Employee Hired by Agency**
Salary	8758
PF(Emp.) 12%	1051
ESI(Emp.) 1.75%	153
Net Payable to Employee	**7554**
GST 18%	1734
Service charge (10%)	876
EPF (13.36%) by Employer	1170
ESI (3.25%) by Employer	285
	12823

DEO cum Accountant NUHM – FMR Code U.8.1.10.2 -इस मद में 56 DEO cum Accountant के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से DEO cum Accountant द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित मानदेय प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April, 2021	17000
1-4-2020 to 31-3-2021	17850
1-4-2019 to 31-3-2020	18743
1-4-2018 to 31-3-2019	21554

*** मानदेय हेतु आवंटित धनराशि अधिकतम बजट मात्र है, प्रत्येक कर्मचारी को वास्तविक मानदेय का भुगतान उनके वेतन निर्धारण के अनुसार किया जायगा।**

EPF (Employer's Contribution @ 13.36 % for salaries <= 15000/- p.m.) - EPF हेतु धनराशि पदवार मानदेय में सम्मिलित करते हुये रू0 15,000.00 प्रतिमाह या कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों हेतु EPF (Employer's Contribution @ 13.36%) की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। EPF के सम्बन्ध में राज्य स्तर से दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये। जिन कर्मियों की वर्तमान पद पर नियुक्ति के समय मानदेय रु0 15000.00 प्रतिमाह से कम था, परन्तु वर्तमान में उनका मानदेय रु0 15000.00 प्रतिमाह से अधिक हो गया है तो उन कर्मियों के EPF की गणना रु0 15,000.00 प्रतिमाह की दर से की जायेगी।

Performance linked Payment/Team based incentives for AB-H&WCs - FMR Code U.8.4.1 - इस मद में 459 स्वीकृत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु रु0 1.80 लाख प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर प्रति वर्ष की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। इस हेतु दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।

Any Other - FMR Code U.9.1.2

A- Dakshata Training - इस मद में जनपद वाराणसी को रु0 65,000.00 प्रति बैच की दर से 04 बैच हेतु रु0 2.60 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है। इसका व्यय सम्बन्धित अनुभाग द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार जनपद स्तर से किया जाना है।

B- RRTC Training- इस मद में जनपद वाराणसी को रु0 1,92,000.00 प्रति बैच की दर से 01 बैच हेतु रु0 1.92 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है। इसका व्यय सम्बन्धित अनुभाग द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार जनपद स्तर से किया जाना है।

C- SBA Training- इस मद में जनपद वाराणसी को रु0 1,23,654.00 प्रति बैच की दर से 05 बैच हेतु रु0 6.18 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है। इसका व्यय सम्बन्धित अनुभाग द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार जनपद स्तर से किया जाना है।

D- NCD Training for MO - इस मद में जनपद वाराणसी को रु0 1,50,000.00 प्रति बैच की दर से 01 बैच हेतु रु0 1.50 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है। इसका व्यय सम्बन्धित अनुभाग द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार जनपद स्तर से किया जाना है।

E- Indenting Training - इस मद में जनपद वाराणसी को फार्मासिस्ट के इन्डेंटिग प्रशिक्षण हेतु रु0 31,000.00 प्रति बैच की दर से 01 बैच हेतु रु0 0.31 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है। इसका व्यय सम्बन्धित अनुभाग द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार जनपद स्तर से किया जाना है।

F- Oral Health Care (MO & SN) - इस मद में जनपद वाराणसी को रु0 26650/– प्रति बैच की दर से 01 बैच हेतु रु0 0.27 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है। इसका व्यय सम्बन्धित अनुभाग द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार जनपद स्तर से किया जाना है।

Printing Activities – FMR Code U.12.1

(a) इस मद में प्रिंटिग हेतु रू0 325.00 प्रति Urban ASHA की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसमें Urban ASHA register (Rs. 300.00 प्रति रजिस्टर) & Urban ASHA Voucher (Rs. 25/- प्रति वाउचर) हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। उक्त धनराशि का व्यय इस कार्यालय के पत्र संख्या – SPMU/NUHM/IEC/2020-21/24/6709 दिनांक 29.01.2021 के द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार किया जाना है।

(b) इस मद में RKS Register हेतु रु0 350.00 प्रति रजिस्टर प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से 593 रजिस्टर हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। RKS Register की प्रिटिंग मण्डल मुख्यालय वाले जनपदों के द्वारा अपने मण्डल के समस्त जनपदों की नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु किया जायेगा। इस हेतु दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।

(c) इस मद में MAS Register हेतु रु0 200.00 प्रति रजिस्टर प्रति महिला आरोग्य समिति की दर से 8603 रजिस्टर हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस हेतु दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।

Printing Activities for H&WC - FMR Code U.12.2 – इस मद में NCD screening के लिये अरबन आशा 459 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु 5613 अरबन आशाओं हेतु C-BAC form & Family folder की प्रिटिंग के लिए धनराशि (रू0 10.00 प्रति C-BAC form & Family folder per House hold for 400 House Hold per Urban ASHA की दर से) आवंटित की गयी है।

उक्त प्रारुप की प्रिंटिग समस्त वित्तीय एवं क्रय नियमों को ध्यान में रखते हुये ग्रामीण क्षेत्र के हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु आवश्यक प्रिटिंग के साथ कराया जा सकता है। इस हेतु व्यय विवरण पृथक–पृथक रखे जायेगें।

Mobility Support for SPMU-FMR Code U.16.1.3.2 –इस मद में Mobility Support हेतु रू0 33,000.00 प्रतिमाह की दर से प्रति Div. PMU को कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

Mobility Support DPMU-FMR U.16.1.3.3 -इस मद में Mobility Support DPMU हेतु रू0 33,000.00 प्रतिमाह प्रति DPMU who are having >3 cities or >10 UPHCs (20 DPMU), रू0 10,000.00 प्रतिमाह प्रति DPMU who are having >1 city or >3 UPHCs (20 DPMU) एवं अन्य 32 DPMU को रू0 5,000.00 प्रतिमाह प्रति DPMU की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

Mobility Support CPMU – FMR Code U. 16.1.3.4

(a) रु0 3000.00 प्रतिमाह की दर से प्रति सी.सी.पी.एम. को कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

(b) रु0 2000.00 प्रतिमाह की दर से प्रति DEO cum Accountant को कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

नोटः– इस धनराशि का उपयोग इस कार्यालय के पत्र संख्या SPMU/NUHM/DPMU/2019-20/57/1958 दिनांक 31.05.2019 के अनुसार किया जायेगा।

Administrative Expenses for SPM - FMR Code U.16.1.4.2 - इस मद में Administrative Expenses हेतु रू0 15000.00 प्रतिमाह की दर से प्रति Div. PMU को कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग मण्डल मुख्यालय के अतिरिक्त की बैठक, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण इत्यादि में प्रतिभाग किये जाने हेतु, डी.ए., बोर्डिंग लॉजिंग एवं यात्रा व्यय, टेलीफोन बिल, फोटोकॉपी, स्टेश्नरी एवं कार्य की आवश्कतानुसार अन्य कंटिनजेंसी मद में किया जायेगा।

Administrative Expenses for DPMU - FMR Code U.16.1.4.3 – इस मद में Administrative Expenses हेतु रू0 20,000.00 प्रतिमाह प्रति DPMU who are having > 3 cities or > 10 UPHCs एवं शेष जनपदों को रू0 15,000.00 प्रतिमाह प्रति DPMU की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग राज्य/मण्डल स्तर की बैठक, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण इत्यादि में प्रतिभाग किये जाने हेतु, डी.ए., बोर्डिंग लॉजिंग एवं यात्रा व्यय, टेलीफोन बिल, फोटोकॉपी, स्टेशनरी एवं कार्य के आवश्कतानुसार अन्य कंटिनजेंसी मद में किया जायेगा।

Administrative Expenses for CPMU -FMR Code U.16.1.4.4 - इस मद में Administrative Expences हेतु रू0 2,500.00 प्रति माह प्रति सिटी पी.एम.यू. की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग CCPM & DEO cum Accountant दोनों के द्वारा किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग राज्य/मण्डल स्तर की बैठक, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण इत्यादि में प्रतिभाग किये जाने हेतु डी.ए., बोर्डिंग लॉजिंग एवं यात्रा व्यय, टेलीफोन बिल, फोटोकॉपी, स्टेशनरी एवं कार्य के आवश्कतानुसार अन्य कंटिनजेंसी मद में किया जायेगा।
नोट – मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट/शहरी स्वास्थ्य समन्वयक/डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट/सी.सी. पी.एम./डीइओ कम एकाउन्टेंट के TA/DA हेतु धनराशि का उपयोग इस कार्यालय के पत्र संख्या SPMU/NUHM/DPMU/2019-20/57/1644 दिनांक 22.05.2019 के अनुसार किया जायेगा।

State PMU Human Resouces- FMR Code U.16.4.1.1 – इस मद में 18 Div Urban Health Consultant के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Div UHC द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्वि के साथ)
After 1st April, 2021	40000
1-4-2020 to 31-3-2021	42000
1-4-2019 to 31-3-2020	44100
1-4-2018 to 31-3-2019	50715
1-4-2017 to 31-3-2018	53251
1-4-2016 to 31-3-2017	58576

District PMU Human Resouces - FMR Code U.16.4.2.1 – इस मद में 75 Urban Health Coordinator, 83 Data cum account assistant, 01 Senior Computer Operator, 01 Store Keeper and 03 Support Staff (Lko urban RCHC office) के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Urban Health Coordinator and Data cum account assistant, Senior Computer Operator, Store Keeper and Support Staff द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

District UHC

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्वि के साथ)
After 1st April, 2021	30000
1-4-2020 to 31-3-2021	31500
1-4-2019 to 31-3-2020	33075
1-4-2018 to 31-3-2019	38036
1-4-2017 to 31-3-2018	39938
1-4-2016 to 31-3-2017	43932

Data cum Account Assistant

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्वि के साथ)
After 1st April, 2021	20000

1-4-2020 to 31-3-2021	21000
1-4-2019 to 31-3-2020	22050
1-4-2018 to 31-3-2019	25358
1-4-2017 to 31-3-2018	26625
1-4-2016 to 31-3-2017	29288

Sr. Computer Operator –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्वि के साथ)
After 1st April 2021 For Lucknow City Office at Urban RCH Programme	26268

Store Keeper cum caretaker

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्वि के साथ)
After 1st April 2021 For Lucknow City Office at Urban RCH Programme	17512

03 Support staff for Lucknow Urban RCH office

For In -position staff

Particular	Hired by DHS	Employee Hired by Agency
Salary	10412	9507
PF(Emp.) 12%	1249	1141
ESI(Emp.) 1.75%		166
Net Payable to Employee	**9163**	**8200**
GST 18%		1882
Service charge (10%)		951
EPF (13.36%) by Employer	1391	1270
ESI (3.25%) by Employer		309
	11803	**13919**

All vacant positions to be filled through Agency

Particular	Employee Hired by Agency
Salary	8758
PF(Emp.) 12%	1051
ESI(Emp.) 1.75%	153
Net Payable to Employee	**7554**
GST 18%	1734
Service charge (10%)	876
EPF (13.36%) by Employer	1170
ESI (3.25%) by Employer	285
	12823

City PMU Human Resource– FMR Code U.16.4.3.1- इस मद में 41 CCPM के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से CCPM द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार लायल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित मानदेय प्रदान किया जाना है

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्वि के साथ)
After 1st April, 2021	15000
1-4-2020 to 31-3-2021	15750
1-4-2019 to 31-3-2020	16538
1-4-2018 to 31-3-2019	18113

राष्ट्रीय कार्यक्रम

1. ए0ई0एस0 / जे0ई0 कार्यक्रम

1.1 Asha Incentive for referral of AES/JE Cases to the nearest CHC/DH/Medical Colleges FMR Code 3.1.1.4.4

ए0ई0एस0 / जे0ई0 के संभावित रोगियों को निकटतम सामुदायिक केन्द्र, जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज को सन्दर्भित करने हेतु प्रत्येक आशा को रू0 300.00 प्रति ए0ई0एस0 रोगी की दर से प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित है। यदि आशा द्वारा सन्दर्भित कोई रोगी ए0ई0एस0 / जे0ई0 रोगी के रूप में निदानित, पंजीकृत एवं उपचारित किया जाता है तो सम्बन्धित आशा के खाते में यह प्रोत्साहन धनराशि समय से हस्तान्तरित की जाये। आशा को प्रोत्साहन धनराशि भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब ना किया जाये। ए0ई0एस0 रोगियों के सन्दर्भन हेतु आशा को प्रेरित किया जाये।

इस मद के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 की कार्ययोजना में कुल रू0 7.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है जिसे जनपदों में वित्तीय वर्ष 2020–21 की अवधि में रिपोर्ट किए गए ए0ई0एस0 रोगियो की संख्या के आधार पर आवंटित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है–

Asha Incentive for referral of AES/JE Cases			
S.No.	**District**	**AES/JE cases reported in 2020-21**	**Asha Incentive**
1	Gorakhpur	246	100000
2	Deoria	234	100000
3	Kushinagar	319	130000
4	Maharajganj	190	80000
5	Basti	82	35000
6	Siddharthnagar	131	55000
7	Sant Kabir Nagar	103	45000
8	Bahraich	48	20000
9	Shrawasti	36	15000
10	Gonda	22	10000
11	Balrampur	18	10000
12	Azamgarh	3	1000
13	Mau	3	1000
14	Ballia	3	1000
15	Lucknow	17	10000
16	Sitapur	66	30000
17	Raebareli	33	15000
18	Unnao	13	5000
19	Hardoi	25	10000
20	Lakhimpurkheri	47	20000
21	Ayodhya	2	1000
22	Barabanki	15	6000
	Total	**1656**	**700000**

1.2 ICU Establishment in Endemic Districts - Operational Cost - FMR Code 5.3.13

इस मद के अन्तर्गत समस्त 16 पी0आई0सी0यू0 हेतु रू0 12000.00 प्रतिमाह प्रति पी0आई0सी0यू0 की दर से एवं समस्त 15 मिनी पी0आई0सी0यू0 हेतु रू0 5000.00 प्रतिमाह प्रति मिनी पी0आई0सी0यू0 की दर से 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गई है, जिसका उपयोग प्रशासनिक व ऑपरेशनल व्यय यथा टेलिफोन / मोबाइल, इण्टरनेट / डोंगल, वीकली एलर्ट / एनुवल डिजीज सर्विलेंस रिपोर्ट हेतु रिव्यू मीटिंग, कार्यालय व्यय, आफिस स्टेशनरी इत्यादि के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त Sample Packaging एवं ETC से जिला अस्पताल को Sample Transportation हेतु रू0 6000.00 वार्षिक प्रति ETC की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। यह राशि सम्बंधित मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा ब्लाक ETC को निर्गत की जाएगी। आवंटित धनराशि के पूर्ण व्यय होने की स्थिति में जनपद की मांग पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जाएगी। इस मद के अन्तर्गत रू0 42.66 लाख की धनराशि का आवंटन जनपदों को निम्न तालिका के अनुसार किया गया है–

Operational cost of PICU, Mini PICU & ETC								
S. No.	**District**	**PICU**	**MINI PICU**	**ETC**	**PICU operational Exp. @12000/- pm for 12 months**	**MINI PICU operational exp. @5000/- pm for 12 months**	**Blood sample collection & transport from ETC to DH@6000/ ETC**	**Total allocation (in lacs)**
1	Gorakhpur	1	3	18	1.44	1.80	1.08	4.32
2	Maharajganj	1	2	9	1.44	1.20	0.54	3.18
3	Kushinagar	1	2	13	1.44	1.20	0.78	3.42
4	Deoria	1	1	15	1.44	0.60	0.90	2.94
5	Basti	2	3	10	2.88	1.80	0.60	5.28
6	St. Kabir Nagar	1	2	6	1.44	1.20	0.36	3.00
7	Siddharthnagar	1	2	10	1.44	1.20	0.60	3.24
8	Behraich	1		10	1.44		0.60	2.04
9	Lakhimpur Kheri	1		11	1.44		0.66	2.10
10	Gonda	1		9	1.44		0.54	1.98
11	Azamgarh	1			1.44		0.00	1.44
12	Mau	1			1.44		0.00	1.44
13	Rae-barili	1		9	1.44		0.54	1.98
14	Sitapur	1		12	1.44		0.72	2.16
15	Hardoi	1		8	1.44		0.48	1.92
16	Shrawasti			6	0.00		0.36	0.36
17	Balrampur			10	0.00		0.60	0.60
18	Unnao			11	0.00		0.66	0.66
19	Lucknow			3	0.00		0.18	0.18
20	Barabanki			7	0.00		0.42	0.42
	Total	**16**	**15**	**177**	**23.04**	**9.00**	**10.62**	**42.66**

1.3 Mobility & Operational Expenses - FMR Code 16.1.2.2.7

इस मद में वित्तीय वर्ष 2021–22 में जनपद / ब्लॉक स्तर पर मोबिलिटी, ट्रैवलकॉस्ट, आउटब्रेक की स्थिति में भ्रमण हेतु वाहन के लिए धनराशि का आवंटन किया गया है। इस वाहन का उपयोग जनपद / ब्लॉक स्तर पर तैनात ए0ई0एस0 / जे0ई0 कन्सलटेन्ट अथवा अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, वी0बी0डी0 के द्वारा ए0ई0एस0 / जे0ई0 कार्यक्रम से सम्बंधित कार्यों हेतु किया जायेगा। आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक जनपद को उपलब्ध बजट के सापेक्ष अधिकतम रू0 30,000 प्रतिमाह की दर से 8 माह के लिये डी0पी0एम0यू0 यूनिट की भॉति / जनपद स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा टेण्डर की प्रक्रिया के माध्यम से चयनित एजेन्सी से नियमानुसार अनुबन्ध के आधार पर किया जा सकता है अथवा उपलब्ध शासकीय वाहनों हेतु पी0ओ0एल0 के लिए किया जा सकता है।

Operational Expenses- ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए रू0 8000.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिए धनराशि आवंटित की गयी है, जिसका उपयोग कार्यालय उपयोग हेतु स्टेशनरी, प्रिन्टिंग, टेलीफोन, इन्टरनेट इत्यादि हेतु आवश्यकतानुसार नियमानुसार व्यय किया जायेगा।

1.4 डिस्ट्रिक्ट ए0ई0एस0 / जे0ई0- FMR Code 16.4.2.2.2

डिस्ट्रिक्ट ए0ई0एस0 / जे0ई0 कन्सल्टेन्ट के 15 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 7 जनपदों– गोण्डा, गोरखपुर, बस्ती, मऊ, श्रावस्ती, रायबरेली, एवं कानपुर देहात में कार्यरत पदों हेतु मानदेय जो वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्वीकृत है, में 5 प्रतिशत की वेतन बृद्वि एवं लॉयल्टी बोनस (यदि देय है) सम्मिलित करते हुए 12 माह के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु धनराशि आवंटित की गयी है तथा शेष 8 जनपदों–कुशीनगर, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर एवं हरदोई के रिक्त पदों लिए 6 माह हेतु मूल मानदेय रू0 40,000.00 मासिक की दर से वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए धनराशि आवंटित की गयी है। 05 प्रतिशत मानदेय की वेतन वृद्वि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 1 वर्ष का कार्य संतोषजनक पूर्ण कर लिया हो।

1.5 टेक्निकल असिस्टेंट FMR Code 16.4.2.2.3

इस मद के अन्तर्गत टेक्निकल असिस्टेंट के कुल 20 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 17 जनपदों– महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संतकबीर नगर सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोण्डा,

श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई एवं कानपुर देहात में कार्यरत टेक्निकल असिस्टेंट हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 के मानदेय में 5 प्रतिशत की वेतन बृद्वि एवं लॉयल्टी बोनस (यदि देय है) सम्मिलित करते हुए 12 माह के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। शेष 3 जनपदों–गोरखपुर, बहराईच एवं सहारनपुर के रिक्त पदों के लिए 6 माह के मूल मानदेय की धनराशि रू0 15000.00 मासिक की दर से नियमानुसार PF सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है। 05 प्रतिशत मानदेय की वेतन बृद्वि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 1 वर्ष का कार्य संतोषजनक पूर्ण कर लिया हो।

1.6 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर -FMR Code 16.4.3.1.9 :-

इस मद के अन्तर्गत जे0ई0 सेन्टिनल प्रयोगशालाओं हेतु डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के कुल स्वीकृत 19 पदों के सापेक्ष 8 जनपदों–महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संतकबीर नगर, मऊ, बहराईच एवं बलरामपुर में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के वित्तीय वर्ष 2020–21 के मानदेय में 5 प्रतिशत की वेतन बृद्वि तथा PF, ESI, GST एवं अन्य वैधानिक देयता सम्मिलित करते हुए 12 माह के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। शेष 11 जनपदों–गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, बलिया, गोण्डा, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई एवं अयोध्या के रिक्त पदों हेतु मूल मानदेय रू0 10,791.00 मासिक की दर से PF, ESI, GST एवं अन्य वैधानिक देयता सम्मिलित करते हुए 6 माह के लिए धनराशि आवंटित की जा रही है। 05 प्रतिशत मानदेय की वेतन बृद्वि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 1 वर्ष का कार्य संतोषजनक पूर्ण कर लिया हो।

नोटः कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में रिक्त पदों पर डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की तैनाती जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदित एजेन्सी द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जायेगा।

1.7 माइक्रोबॉयोलाजिस्ट FMR Code 8.1.13.4 :-

इस मद के अन्तर्गत जे0 ई0 सेन्टिनल प्रयोगशालाओं हेतु माइक्रोबॉयोलाजिस्ट के कुल स्वीकृत 19 पदों के सापेक्ष 4 जनपदों–आजमगढ़, बलिया, गोण्डा एवं सीतापुर में कार्यरत माइक्रोबॉयोलाजिस्ट के वर्ष 2020–21 में स्वीकृत मानदेय में 5 प्रतिशत की वेतन बृद्वि एवं लॉयल्टी बोनस (यदि देय है) सम्मिलित करते हुए 12 माह हेतु तथा शेष 15 जनपदों–गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, मऊ, बहराईच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, हरदोई एवं अयोध्या के रिक्त पदों के लिए 6 माह हेतु मूल मानदेय रू0 55,000.00 मासिक की दर से वर्ष 2021–22 के लिए धनराशि आवंटित की गयी है। 5 प्रतिशत की वेतन बृद्वि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 1 वर्ष का कार्य संतोषजनक पूर्ण कर लिया हो।

1.8 बाल रोग विशेषज्ञ- FMR Code 8.1.2.2

आर0ओ0पी0 में स्वीकृत 67 बालरोग विशेषज्ञों में से वर्तमान में कार्यरत 14 बालरोग विशेषज्ञ जिनकी नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा बिड मॉडल पर की गयी है, के 12 माह के मानदेय हेतु मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्रसं0 02–A/ए0ई0एस0/जे0ई0/एन0पी0/2018–19/5845–15, दिनांक 28.08.2018 के अनुसार देय होगा तथा शेष 53 रिक्त पदों के लिए 6 माह हेतु मानदेय देय होगा।

नोट– पी0बी0एफ0 की गणना निम्न तालिकानुसार की जाएगी–

Bifurcation of bidding Amount in Fixed and PBF

S. No.	Quoted Fee	Fixed	Performance Based Fee
1	less than or equal to INR 120,000/-	Entire fee	NIL
2	In the range of INR 120,001 - INR 200,000/-	120,000	Difference between quoted fee and 120,000
3	In the range of INR 200,001 - INR 250,000/-	150,000	Difference between quoted fee and 150,000

1.9 मेडिकल ऑफिसर FMR Code 8.1.5.1

आर0ओ0पी0 में स्वीकृत 30 मेडिकल ऑफिसर में से वर्तमान में कार्यरत 10 मेडिकल ऑफिसर का मानदेय वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्वीकृत दर के अनुसार 5 प्रतिशत की वेतन वृद्वि एवं अर्ह कर्मियों का

लॉयल्टी बोनस सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु 12 माह के लिए धनराशि आवंटित की गयी है। शेष 20 रिक्त पदों के लिए मूल मानदेय रू0 60,000.00 मासिक की दर से 6 माह हेतु मानदेय आवंटित किया गया है। 05 प्रतिशत मानदेय की वेतन वृद्धि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 01 वर्ष का कार्य सन्तोषजनक पूर्ण कर लिया हो।

1.10 **स्टाफ नर्स FMR Code 8.1.1.2**

आर0ओ0पी0 में कुल स्वीकृत 1138 स्टाफ नर्स में से वर्तमान में कार्यरत स्टाफ नर्सों को वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्वीकृत मानदेय में 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि एवं अर्ह कर्मियों का लायल्टी बोनस सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु 12 माह के लिए धनराशि आवंटित की गयी है तथा शेष रिक्त पदों हेतु मूल मानदेय रू0 20,000.00 मासिक की दर से 6 माह हेतु मानदेय आवंटित किया गया है। 05 प्रतिशत मानदेय की वेतन वृद्धि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 01 वर्ष का कार्य सन्तोषजनक पूर्ण कर लिया हो।

1.11 एन्सिलेरी स्टाफ (FMR Code 8.1.9.6)

एन्सिलेरी स्टाफ के कार्यरत 40 पदों हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 की स्वीकृत दरों के अनुसार मानदेय में 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि तथा नियमानुसार PF, ESI, GST एवं अन्य वैधानिक देयता सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु 12 माह के लिए धनराशि आवंटित की गयी है तथा शेष 24 रिक्त पदों के लिए 6 माह का मानदेय PF, ESI, GST एवं अन्य वैधानिक देयता सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु आवंटित किया गया है। 05 प्रतिशत मानदेय की वेतन वृद्धि उन कार्मिक को देय होगी, जिन्होंने 01 वर्ष का कार्य सन्तोषजनक पूर्ण कर लिया हो।

नोटः– उपरोक्त समस्त मदों में व्यय भारत सरकार से समय समय पर प्राप्त दिशा–निर्देशों तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

2. कालाजार कार्यक्रम

2.1 Patient wage loss for VL and PKDL - FMR Code 1.2.3.3

कालाजार के रोगी को रोग की पुष्टि के उपरान्त उपचार पूर्ण होने पर रू 500.00 एवं पोस्ट कालाजार डर्मल लेशमेनियासिस (PKDL) की पुष्टि होने पर रू 4000.00 Loss of wages के रूप में दिया जाएगा, **जिसका भुगतान दो सप्ताह के भीतर करना सुनिश्चित करे।** भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन के एम0एस0जी0 की पंचम बैठक दिनांक–27.02.2018 में लिए गए निर्णय के क्रम में पत्रांक–03-94/2014-NVBDCP (KA) NHM/EPC/MSG dated 03-07-2018 के अनुपालन में अप्रैल 2018 से प्रभावी माना जाए।

2.2 Case search/Camp Approach - FMR Code 2.2.10

केस सर्च कैम्प एंव कालाजार पखवाड़ा का मुख्य उद्देश्य कालाजार के नए/छिपे हुए रोगियों का पता लगााकर उनको पूर्ण रुप से उपचारित कर रोग के स्त्रोत को समाप्त करना है। इस धनराशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों पर करें। इस कार्य को अपने निर्धारित क्षेत्र/गांव में कराने की समस्त जिम्मेदारी ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की होगी। इसका पर्यवेक्षण जनपदीय वी0बी0डी0 कन्सलटेण्ट (वी0बी0डी0 कन्सलटेण्ट न होने की स्थिति में जिला मलेरिया अधिकारी/सहायक मलेरिया अधिकारी) द्वारा किया जाएगा, जिस हेतु जनपद स्तर से वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।

1. जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्य कार्यक्रम अधिकारियों का कालाजार रोग के प्रति संवेदीकरण/प्रशिक्षण किया जाना है।
2. जनपद स्तरीय प्रशिक्षण में प्रत्येक प्रभावित ब्लॉक से 02 सदस्य, जो प्रशिक्षण देने में कुषल हो, प्रतिभाग करेंगे एवं ब्लॉक स्तर पर आषाओं के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे। **जनपद स्तर पर प्रशिक्षित प्रशिक्षक को ब्लॉक पर ए0सी0डी0 के प्रशिक्षण हेतु (प्रति बैच–40 से 50 आषाओं) धनराशि रू0 500.00 देय होगा।**
3. जनपद के सी0डी0ओ0/बी0डी0ओ0/पंचायती राज/शिक्षा/आई.सी.डी.एस. इत्यादि विभागों के अधिकारियों/निजी चिकित्सालयों एवं डायग्नोस्टिक सेण्टरों के प्रतिनिधियों का संवेदनीकरण।
4. आंगनबाड़ी कार्यकत्री/आशा को रोग के लक्षणों से परिचित कराकर कालाजार के संदिग्ध रोगी चिन्हित करने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षित सदस्य अपने कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य कैम्प के माध्यम से अथवा घर–घर जाकर करेंगें–
    - बुखार के रोगी जो 02 सप्ताह से अधिक अवधि से ज्वर से ग्रसित है उनका निकटतम पी0एच0सी0 पर सन्दर्भन करेंगे। स्वयंसेवी संस्थाओ के कार्यकर्ताओ को भी प्रशिक्षण देकर खोज अभियान में प्रतिभागी बनायें।
    - पूर्व में कालाजार से ग्रसित रोगी के शरीर अथवा चेहरे पर चकत्ते दाग इत्यादि होने पर उनके पोस्ट कालाजार डर्मल लेषमेनियासिस (PKDL) की पुष्टि हेतु निकटतम पी0एच0सी0 पर संदर्भन करेंगे।
    - ब्लाक स्तर पर आशा को केस सर्च के आयोजन से पूर्व प्रशिक्षण कराया जाए, जिस हेतु प्रत्येक प्रशिक्षार्णी को मानदेय के रूप में रू0 100.00 की धनराशि उसके खाते में देय होगी। केस सर्च के दौरान Active Case Detection (ए0सी0डी0) हेतु आशा को रू0 100.00 प्रत्येक 50 घरों के भ्रमण के उपरान्त ए0एन0एम0/सुपरवाइजर द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराषि बैंक खाते में देय होगी। एक्टिव केस सर्च (ए0सी0एस0) वर्श में 04 बार, फरवरी–मार्च, मई–जून, अगस्त–सितम्बर एवं नवम्बर–दिसम्बर माह में की जाएगी।
    - आशा द्वारा प्रत्येक कालाजार रोगी (वी0एल0) को चिकित्सालय ले जाने तथा उसकी पुष्टि के उपरान्त प्रोत्साहन राशि के रूप में रू 500.00 दिया जाएगा।
    - कालाजार प्रभावित ग्रामों तथा उनके सीमावर्ती ग्रामों में कालाजार रोगी की खोज के उपरान्त प्रत्येक 03–04 ग्रामों के मध्य कैम्प का आयोजन किया जाए, जिससे क्षेत्र में खोजे गए रोगी की RK-39 kit से पुष्टि की जा सके तथा रोगी को ट्रीटमेंट सेन्टर पर संदर्भित किया जाए। कैम्प आयोजन हेतु ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा टीम बनाकर वाहन से क्षेत्र में भेजी जाएगी। **प्रत्येक कैम्प के आयोजन हेतु अधिकतम धनराशि रू0 10,000.00 की व्यवस्था की गई है,**

जिसके अन्तर्गत टीम की यात्रा एवं कैम्प की प्रगति के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु किराए पर वाहन (vehicle hire) लिया जा सकेगा, जिसकी दरें एन0एच0एम0 की अनुमोदित दरों के अनुसार होगा।

- प्रत्येक धनात्मक केस की Case Investigation Form (सी0आई0एफ0) चिकित्सा अधिकारी द्वारा भरी जाएगी, जिस हेतु उसे धनराशि रू0 200.00 देय होगी। प्रत्येक धनात्मक रोगी के 01 माह, 06 माह एवं 12 माह पर फ्लोअप का दायित्व चिकित्सा अधिकारी का होगा।
- विगत 03 वर्षो में जिन गांवों में कालाजार रोगी पाये गये है, उनकी सूची बनाकर उन गांवों एवं उनसे समीपवर्ती ग्रामों में अवश्य खोज अभियान चलायें। कालाजार रोगी का गांव जिस उपकेन्द्र के अन्तर्गत आता हो, उस उपकेन्द्र को ईकाई मानकर संपूर्ण उपकेन्द्र में खोज अभियान का संचालन किया जाए।

5. कालाजार प्रभावित जनपद के प्रत्येक पी0एच0सी0 / सी0एच0सी0 एवं जिला चिकित्सालयों में आर.के. –39 रैपिड डायग्नोस्टिक किट की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे एवं जॉच किये संभावित रोगियों का विवरण सर्वेलेन्स रजिस्टर पर अंकित करेंगे।
6. इस मद के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु पठन–पाठन सामग्री pamphlet, booklet, patient identity card, referral slip, register, reporting formats, transportation of logistics आदि पर नियमानुसार व्यय किया जाये।
7. खोज अभियान के दौरान व्यापक प्रचार–प्रसार करायें।
8. सभी कालाजार रोगियों की HIV & TB की जांच करायी जाए तथा धनात्मक पायी जाने की दषा में यथोचित कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से राज्य मलेरिया / वी.बी0डी0 मुख्यालय, उ0प्र0 को रिपोर्ट करना अनिवार्य है।

2.3 Asha incentive for supporting IRS/sensitizing community to accept IRS and Referral/Ensuring treatment for Kala Azar cases - FMR Code 3.1.1.3.1 -

प्रत्येक आई.आर.एस. स्प्रे राउण्ड में संबंधित आशा को जनजागरण एवं Indoor Residual Spray (आई. आर.एस.) में सहयोग हेतु रू 100.00 देय होगा। प्रत्येक नये कालाजार / पी.के.डी.एल. के रोगी की पुष्टि होने एवं उपचार पूर्ण होने के पश्चात् आशा को धनराशि रू0 500.00 का भुगतान किया जाएगा।

2.4 Operational cost for spray including spray wages - FMR Code No 3.2.2.1

इस मद में आवटित धनराशि का उपयोग, छिडकाव कराने वाले मजदूरों को कीटनाशी के छिड़काव की मजदूरी हेतु रू 364.90 प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जायेगा। वर्ष में 02 चक्र में छिड़काव किया जायेगा– मार्च–अप्रैल एवं अगस्त–सितम्बर।

प्रत्येक नये कालाजार अथवा पी.के.डी.एल. के रोगी की पुष्टि होने पर उसके ग्राम अथवा मोहल्ले में फोकल आई.आर.एस. स्प्रे किया जाएगा।

2.5 Training for spraying - FMR Code 3.2.2.1

इस मद के अंतर्गत धनराशि का उपयोग राज्य स्तरीय / जनपद स्तरीय टी0ओ0टी0 एवं आई.आर. एस. छिड़काव कराने वाले कर्मचारी / आशा के प्रशिक्षण एव छिड़काव की गुणवत्ता में वृद्धि लाने हेतु कार्य पर नियमानुसार किया जाये।

2.6 Spray Pumps and accessories - FMR Code 6.1.4.2

इस मद मे आवंटित धनराशि का उपयोग अवशेषी कीटनाशक छिडकाव हेतु आवश्यक स्प्रे–पम्प, उपस्कर, बाल्टी, मग, छोटी / कम वजन तौलने की डिजिटल मशीन आदि सामग्री की व्यवस्था नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सुनिश्चित की जायेगी।

2.7 IEC/BCC/Advocacy for Kala-azar - FMR Code 11.15.5

समस्त सामग्री जेम पोर्टल से ही क्रय की जाए। आई0ई0सी0 तैयार करने हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

1- **<u>Banners-</u>** इस मद में प्रति बैनर अधिकतम रू 150.00 की दर से प्रत्येक उपकेन्द्र हेतु 02 बैनर बनवाना सुनिश्चित करें, जिसकी न्यूनतम माप 6X3 फिट के साथ प्रिन्टिंग मल्टी कलर (04 कलर) में कराया जाना अनिवार्य है।

2- **<u>Posters-</u>** इस मद में प्रति पोस्टर अधिकतम रू 5.25 की दर से प्रत्येक आशा हेतु 10 पोस्टर बनवाकर चिपकाना सुनिश्चित करें। यह पोस्टर मेपलिथो पेपर (80 जी0एस0एम0) पर होंगे जिसकी न्यूनतम माप 30X20 इंच के साथ प्रिन्टिंग मल्टी कलर (04 कलर) में कराया जाना अनिवार्य है,

जिसमें रू 5.00 मूल्य एवं रू 0.25 (पच्चीस पैसे मात्र) चस्पा करने का मूल्य है। (200 पोस्टर्स का पैकेट तैयार किया जाए)

3- <u>**Leaflet-**</u> यह पत्रक A/4 साइड आर्ट पेपर 100 जी0एस0एम0 पर प्रिन्टिंग मल्टी कलर (04 कलर) में होगा तथा प्रिंटिग दोनो तरफ होगी। इसका अधिकतम मूल्य रूपया 2.00 होगा। **200 पत्रक का 01 पैकेट तैयार किया जाए।**

2.8 Monitoring and Evaluation (Kala Azar) - FMR Code No. 16.1.2.2.9

मूल्यांकन एवं अनुश्रवण की गतिविधियों में गुणात्मक सुधार हेतु जिला स्तर से कार्ययोजना बनाकर राज्य स्तर पर प्रेषित की जाए। ए0सी0एम0ओ0, वी0बी0डी0/जिला मलेरिया अधिकारी/सहायक मलेरिया अधिकारी/मलेरिया निरीक्षक/फाइलेरिया नियंत्रण अधिकारी/जीव विज्ञानी/फाइलेरिया निरीक्षक/ वी0बी0डी0 कन्सल्टेण्ट गतिविधियों के दौरान माह में कम से कम 15 दिन क्षेत्र का भ्रमण करेंगे एवं अपनी भ्रमण आख्या संबंधित प्रपत्रों के साथ राज्य स्तर पर प्रेशित करना सुनिष्चित करेंगे।

एण्टोमोलॉजिकल टीम के द्वारा एण्टोमोलॉजिकल सर्वे करने हेतु हुए व्यय का भुगतान भी इसी मद के द्वारा किया जाएगा। राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर सम्पन्न होने वाली कार्यशाला में प्रतिभाग करने पर होने वाले व्यय का भुगतान इस मद से किया जा सकेगा।

3. फाइलेरिया कार्यक्रम

3.1 State Task Force, State Technical Advisory Committee meeting, district coordination meeting- FMR Code No. 16.1.2.1.17

मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के पूर्व 02 बैठकें करनी अनिवार्य है, जिससे कार्यक्रम संबंधी समस्त समस्याओं का निराकरण समयान्तर्गत किया जा सके। समस्त आयोजन एम0डी0ए0 गाइडलाइन्स के अनुसार संम्पादित कराये जायें। डी0सी0सी0 की दो बैठकों के लिए धनराशि रू0 10,000.00 (प्रत्येक बैठक के लिए धनराशि रू0 5,000.00) अनुमन्य है। इस मद में उपलब्ध शेष धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर मीडिया संवेदीकरण (प्रिंट मीडिया, आकाशवाणी, अन्य स्थानीय रेडियो एवं टी0वी0 चैनल) हेतु आयोजित कार्यशाला में किया जाए तथा यह कार्यशाला कार्यक्रम के 02–04 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से करा ली जाए। जनपद के District Coordination Committee की बैठक में सूक्ष्म जलपान एवं बैठक में आने वाले अन्य व्ययों का वहन किया जायेगा।

3.2 Printing of forms/registers for Lymphatic Filariasis - FMR Code No. 12.11.1

इस मद में आवंटित धनराशि को जनपद में एम0डी0ए0 अभियान के अंतर्गत प्रपत्रों एवं परिवार–पंजिका इत्यादि में वहन किया जायेगा। परिवार–पंजिका को जेम–पोर्टल से क्रय किया जाए यदि परिवार–पंजिका जेम–पोर्टल पर उपलब्ध न हो तो उत्तर प्रदेश सरकार की क्रय नियमावली का अनुपालन करते हुये मुद्रण कराया जाये, जिसके लिए भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप अधिकतम धनराशि रू0 15.00 अनुमन्य है।

आई0डी0ए0 हेतु चयनित जनपदों में औषधि आइवरमेक्टिन की निर्धारित/उचित खुराक देने के लिए आवश्यक फ्लैक्स मेजरिंग टेप (रंगीन प्रिंट) को छपवाकर तैयार कराने के लिए इस मद में आवंटित बजट का उपयोग करे।

Flex Measuring Tape- (आई0डी0ए0 जनपदों हेतु) 12 सेमी0 चौडा एवं 180 सेमी0 लम्बा (रंगीन प्रिंट 04 कलर) में होगा, जिसका अधिकतम मूल्य रू0 25.00 होगा।

परिवार पंजिका एवं फ्लैक्स मेजरिंग टेप को मुद्रित कराने के उपरान्त, शेष धनराशि से फाइलेरिया रोग संबंधी विवरण पुस्तिका (Brochure) छपवाकर प्रत्येक ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर को 10 ब्रोशर/लीफलेट जनप्रतिनिधियों (ग्राम प्रधान इत्यादि) को जागरूक कराने के उददेश्य से उपलब्ध करवायी जाए।

परिवार पंजिका मुद्रण संबंधी आवश्यक निर्देश

प्रत्येक परिवार पंजिका को 250–300 व्यक्तियों के नामों के अंकन के लिए पर्याप्त होना चाहिए एवं 01 पेज पर 25 से अधिक नामों के अंकन की व्यवस्था न हो (अधिकतम 25 लाईन प्रति 01–04 पेज अर्थात् प्रत्येक परिवार पंजिका में 12 पेज या 06 पन्ने व्यक्तियों के नामों के अंकन के लिए एवं 02 पेज 04 कलर में लिम्फोडिमा एवं हाइड्रोसील के चित्रों के लिए तथा 04 पेज दिशा–निर्देशों के लिए)। परिवार पंजिका का कवर पेज एवं 02 रंगीन पेज (फाइलेरिया रोग के चित्रों हेतु) 190 जी0एस0एम0 के तथा शेष पेज 70 जी0एस0एम0 का होना अनिवार्य है।

3.3 Monitoring & Evaluation (Post MDA assessment by medical colleges (Govt. & private)/ICMR institutions) - FMR Code No. 10.2.5

इस मद में सम्बन्धित जनपदों को रू0 35,000.00 की धनराशि आवंटित की जा रही है। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य मेडिकल कालेज (सरकारी एवं प्राइवेट)/आई0सी0एम0आर0 इन्स्टीट्यूशन द्वारा किया जायेगा। एम0डी0ए0 कार्यक्रम सम्पन्न होने के एक माह बाद **Post MDA assessment** का कार्य कराया जायेगा तथा दो माह की अवधि के अंदर पूर्ण कराना होगा। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का होगा।

3.4 Morbidity Management - FMR Code No. 1.1.5.3

- इस मद के अन्तर्गत मॉरबिडिटी मैनेजमेन्ट के कार्य संपादित किए जाएगे। जिसमें–
  - ✓ लिम्फोडिमा मैनेजमेंट के लिए रू0 500.00 प्रति रोगी (बाल्टी, टब, मग, साबुन, छोटी तौलिया व एन्टी बैक्टिरियल या एन्टीफंगल क्रीम) तथा फाइलेरिया क्लीनिक के लिए न्यूमैटिक पम्प, लिम्फोडिमा मैनेजमेंट हेतु विशेष कम्प्रेशन बैण्डेज आदि के क्रय हेतु निर्धारित है। **फाइलेरिया एम0एम0डी0पी0 किट को जेम–पोर्टल से क्रय किया जाए (यदि फाइलेरिया एम0एम0डी0पी0**

किट जेम–पोर्टल पर उपलब्ध न हो तो उक्त किट की उपलब्धता हेतु जेम पोर्टल पर उसकी मांग अनिवार्य रूप से डाल दी जाए)।**

- ✓ **हाइड्रोसील ऑपरेशन कैम्प** में एम0डी0ए0 अभियान के दौरान चिन्हित एवं लाइन लिस्ट किये गये **हाइड्रोसील रोगियों को शल्य चिकित्सा प्रदान करने के लिए अधिकतम रू0 750.00 प्रति रोगी** निर्धारित है। रू0 750.00 में से चिकित्सक/सर्जन का मानदेय रू0 250.00 स्टाफ नर्स का मानदेय रू0 50.00, दो अटेन्डेट प्रत्येक को मानदेय रू0 25.00, रोगी की औषधि हेतु रू0 300. 00 एवं रोगी की ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था हेतु रू0 100.00 दिया जाना है। एम0डी0ए0 कार्यक्रम के दौरान लाइन–लिस्ट किए गए समस्त **हाइड्रोसील केसेस का ऑपरेशन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं इस हेतु आवश्यक अतिरिक्त धनराशि मांग के सापेक्ष उपलब्ध करा दी जाएगी।** यदि जनपद के सरकारी चिकित्सालयों में शल्य चिकित्सक न हो तो निजी चिकित्सालयों से शल्य चिकित्सकों को बुलाकर, कैम्प आयोजित करते हुए रोगियों का ऑपरेशन कराया जाए एवं चिकित्सकों को भुगतान उक्त मापदड़ों के अनुसार उनके बैंक खाते में किया जाए।

- इस मद में आंवटित धनराशि को फाइलेरिया से ग्रसित रोगियों के उपचार हेतु सामग्री, उपकरण तथा समुचित देखभाल (हॉस्पिटल बेस्ड एवं सेल्फ केयर) एवं हाइड्रोसील के रोगियों की शल्य–चिकित्सा पर व्यय किया जाना है।

3.5 Mobility support for Rapid Response Team - FMR Code No. 16.1.3.1.9

इस मद में आवटित धनराशि को जनपद में एम0डी0ए0 अभियान के अंतर्गत जनपद के रैपिड रिस्पॉस टीम के वाहन व्यवस्था/पी0ओ0एल0 पर व्यय किया जाना है।

3.6 Monitoring & supervision Lymphatic Filariasis - FMR Code No. 16.1.2.2.8

इस मद में आवटित धनराशि को जनपद में एम0डी0ए0 अभियान के दौरान जनपदीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु वाहन व्यवस्था/पी0ओ0एल0 पर व्यय किया जाना है।

3.7 Micro filaria Survey(@Rs. 50000 each district) - FMR Code No. 10.2.4

एम0डी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत फाइलेरिया प्रभावित प्रत्येक जनपद को माइक्रो फाइलेरिया सर्वे हेतु धनराशि रू0 50000.00 आवंटित की गई है। माइक्रो फाइलेरिया सर्वे/नाइट ब्लड सर्वे हेतु प्रत्येक जनपद में 04 सेण्टीनल एवं 04 रैण्डम स्थलों का निर्धारण किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक स्थल 04 व्यक्तियों (पैरामेडिकल, टेक्नीशियन एवं सहायक) के लिए प्रति स्थल 03 दिन के लिए रू0 150.00 प्रतिदिन के आधार पर मानदेय एवं प्रति व्यक्ति प्रति स्थल रू0 225.00 यात्रा भत्ता तथा प्रति स्थल रू0 500.00 स्लाइड जांच (रू 1.00 प्रति स्लाइड की दर से) एवं रू 500.00 प्रति स्थल कन्टीजेन्सी भुगतान हेतु निर्धारित है। शेष धनराशि आवश्यक स्लाइड, कॉटन, स्प्रिट, स्टेन एवं लैन्सेट आदि पर व्यय होना है। **माइक्रोफाइलेरिया सर्वे एम0डी0ए0 आयोजन** से **पूर्व अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये। नाइट सर्वे न कराने की स्थिति में एम0डी0ए0 का आयोजन न किया जाये तथा इस शिथिलता के लिए जनपदीय अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगें।** माइक्रोफाइलेरिया सर्वे में पाये गये **एम0एफ0 धनात्मक रोगियों को त्रैमासिक अन्तराल पर वर्ष में 04 बार 12 दिवसीय उपचार उपलब्ध कराना अवश्य सुनिश्चित कराये।**

Microfilaria survey budget details-

SN	Particulars	Cost in RS
1	TA Rs.225 x 4 Persons x 8 Sites.	Rs.7200.00
2	Honorarium Rs.150 x4 Persons x 3Days x 8 Sites.	Rs.14400.00
3	Contingency Rs.500 x 8 Sites.	Rs.4000.00
4	Honorarium for examination of 4000 Slides to Technician.	Rs.4000.00
5	Replenishment of slides, stain etc.	Rs.20400.00
	Total	**Rs.50000.00**

3.8 Training/Sensitization of district level officers on ELF & Drug administrator including Peripheral health workers - FMR Code No. 9.5.12.6

- इस मद में जनपदों को आवंटित धनराशि से जनपद स्तरीय अधिकारीगण/ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण/पैरामेडिकल कर्मचारियों/पर्यवेक्षकों/ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के एक दिवसीय प्रशिक्षण में होने वाले व्यय का वहन किया जायेगा।

- जनपद स्तरीय प्रशिक्षण में प्रत्येक ब्लॉक से 02–03 सदस्य, जो प्रशिक्षण देने में कुशल हो, प्रतिभाग करेंगे एवं ब्लॉक स्तर पर ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे **(अप्रशिक्षित प्रशिक्षक द्वारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर को प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा)। जनपद स्तरीय प्रशिक्षक (02), जो राज्य स्तर पर आहूत टी0ओ0टी0 में प्रशिक्षित किए गए है, को प्रशिक्षण हेतु धनराशि रू0 500.00 देय होगा एवं प्रशिक्षण में प्रति प्रतिभागी के भोजन एवं जलपान हेतु धनराशि रू0 100.00 अनुमन्य होगा।**
- ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण में अधिकतम 40 ड्रग एडमिनिस्ट्रेटरों का बैच बनाकर प्रशिक्षण दिया जाए। प्रत्येक ब्लॉक एवं अर्बन क्षेत्र में स्थापित प्रत्येक आर0आई0 यूनिट **हेतु माइक्रोप्लान विकसित करना एवं रिपोर्ट तैयार कराये जाने हेतु प्रशिक्षण के लिए प्रति ब्लॉक/आर0आई यूनिट (अर्बन क्षेत्र) धनराशि रू 2000.00 अनुमन्य है। यह धनराशि बी0सी0पी0एम0/अर्बन कोर्डिनेटर को देय होगी।**
- **माइक्रोप्लान एवं रिपोर्टिंग प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक ब्लॉक/आर0आई0यूनिट हेतु रू 2000.00 निर्धारित किया गया है, जिसमें माइक्रोप्लान एवं रिपोर्टिंग का प्रशिक्षण एवं माइक्रोप्लान बनाना तथा उसकी छायाप्रति (कुल 05 प्रति) कराया जाना सम्मिलित है।**
- दवा सेवन हेतु बनायी गई 02 सदस्यीय टीम को प्रशिक्षित किया जाएगा एवं प्रत्येक टीम को **प्रशिक्षित होने पर धनराशि रू0 100.00 देय होगी एवं प्रशिक्षक (टी0ओ0टी0 द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षक) को प्रति बैच धनराशि रू0 500.00 देय होगा।**
- लाभार्थियों को दवा सेवन हेतु प्रेरित किए जाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को फाइलेरिया रोग संबंधी विवरण पुस्तिका (Brochure) उपलब्ध करवायी जाए।

3.9 Honorarium for Drug Administrator including ASHA & Supervisors involved in MDA - FMR Code No. 3.1.1.4.5

- Drug Administrators house-to-house भ्रमण कर लाभार्थियों की रजिस्टर में सूची अनुसार डी0ई0सी0 एंव अल्बेन्डाजॉल औषधियॉ, एम0डी0ए0 के दिशा–निर्देशानुसार मात्राओं मे सेवन करायेगे। औषधि का सेवन कराने से पूर्व बैच नम्बर अवश्य नोट कर लें।
- प्रत्येक टीम में 02 Drug Administrator होंगे, जिनका कार्य 01 दिन में 125 लाभार्थियों (लगभग 25 घर) को अपने सामने औषधि सेवन कराना है, जिस हेतु प्रत्येक 125 लाभार्थियों को दवा सेवन से आच्छादित करने पर प्रत्येक टीम को धनराशि रू0 250.00 मानदेय देय होगा। प्रत्येक पर्यवेक्षक (Supervisor) को प्रत्येक दिन के कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए प्रति टीम धनराशि रू–50 देय होगा। (यदि आशा के क्षेत्र में 1000 जनसंख्या से कम है तो 10 दिन से कम का ही माइक्रोप्लान बनाए।) ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर को मानदेय का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाना अनिवार्य है। 01 पर्यवेक्षक द्वारा 01 दिन में अधिकतम 06 टीमें ही पर्यवेक्षित की जाएगी।
- जनपद को फाइलेरिया मद में उपलब्ध कराये गये बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं व्यय विवरण निर्धारित प्रारूपों पर उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय विवरण में फाइलेरिया मद में आवंटित धनराशि के अनुसार अलग–अलग कार्यकलापों का उल्लेख उन पर व्यय की गई राशि के साथ साक्ष्य स्वरूप भुगतान के वाउचर/रसीद की हस्ताक्षरित छायाप्रतियॉ, भ्रमण के दौरान भारत सरकार एवं राज्य मुख्यालय स्तर से आपके जनपद में आने वाली टीमों को भौतिक सत्यापन हेतु प्रस्तुत की जायें। फाइलेरिया कार्यक्रम से सम्बन्धित जनपदों में विगत वर्षो की कितनी राशि अवशेष है का भी विवरण उपलब्ध करायें।

3.10 Specific IEC/BCC for Lymphatic Filariasis at State, District, PHC, Sub-centre and village level including VHSC/Gks for community mobilization efforts to realize the desired durg compliance of 85% during MDA - FMR Code No. 11.15.4

समस्त सामग्री जेम पोर्टल से ही क्रय की जाए। आई0ई0सी0 तैयार करने हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

- **Banners-** इस मद में प्रति बैनर अधिकतम रू 150.00 की दर से प्रत्येक उपकेन्द्र हेतु 02 बैनर बनवाना सुनिश्चित करें, जिसकी न्यूनतम माप 6X3 फिट के साथ प्रिन्टिंग मल्टी कलर (04 कलर) में कराया जाना अनिवार्य है।
- **Posters-** इस मद में प्रति पोस्टर अधिकतम रू0 5.25 की दर से प्रत्येक आशा हेतु 10 पोस्टर बनवाकर चिपकाना सुनिश्चित करें। यह पोस्टर मेपलिथो पेपर (80 जी0एस0एम0) पर होंगे जिसकी न्यूनतम माप 30X20 इंच के साथ प्रिन्टिंग मल्टी कलर (04 कलर) में कराया जाना अनिवार्य है,

जिसमें रू0 5.00 प्रिन्टिंग मूल्य एवं रू0 0.25 चस्पा करने का मूल्य है। (200 पोस्टर्स का पैकेट तैयार किया जाए)

- **Brochure-** यह विवरण पंजिका A/4 साइज आर्ट पेपर 100 जी0एस0एम0 पर 03 फोल्ड में होगी तथा प्रिंटिग दोनो तरफ होगी। प्रिन्टिंग मल्टी कलर (04 कलर) में होगी। इसका अधिकतम मूल्य रू0 2.50 होगा। 200 विवरण पंजिका का 01 पैकेट तैयार किया जाए।
- **Leaflet-** यह पत्रक A/4 साइड आर्ट पेपर 100 जी0एस0एम0 पर प्रिन्टिंग मल्टी कलर (04 कलर) में होगा तथा प्रिंटिग दोनो तरफ होगी। इसका अधिकतम मूल्य रू0 2.00 होगा। 200 पत्रक का 01 पैकेट तैयार किया जाए।
- ग्राम प्रधान के सहयोग से डुग्गी पिटवाना एवं अन्य प्रचार–प्रसार साधनों के माध्यम से फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को स्थानीय आवश्यकतानुसार प्रचार–प्रसार को गति प्रदान करे।

3.11 Contingency support - FMR Code No. 16.1.4.2.3

इस मद से **स्टेशनरी क्रय (चॉक, मार्कर पेन, रस्सी गोद, पेन इत्यादि) तथा औषधियों को राज्य मलेरिया मुख्यालय से लाने एवं जनपदीय मुख्यालय से ब्लॉक स्तर तक आपूर्ति हेतु परिवहन संबंधी व्यय का भुगतान** किया जा सकता है।

नोट– मुद्रण कार्य हेतु टेण्डर करते समय उक्त दिए गए मानकों का विशेष ध्यान अवश्य रखा जाए व मानकों के साथ किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए। समस्त सामग्री के मुद्रण उपरान्त उसकी प्राप्ति की सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाए, जिससे राज्य स्तर पर गठित टीम द्वारा उसका भौतिक सत्यापन किया जा सके। भौतिक सत्यापन के उपरान्त ही सामग्री का वितरण कराया जाए।

4. मलेरिया कार्यक्रम

4.1 Human Resource (Contractual Payment)- FMR code 16.8

(i) District VBD Consultant, FMR Code-16.8.2.2.2

इस मद के अंतर्गत सम्बन्धित 18 जनपदों–प्रयागराज, बहराइच, बलिया, बांदा, देवरिया, लखनऊ, गाजीपुर, कानपुर नगर, महाराजगंज, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सम्भल, संत रविदास नगर (भदोही), शामली, सोनभद्र एवं वाराणसी में वर्ष 2021–22 के लिये संविदा पर कार्यरत District VBD Consultant (1 for each District) के मानदेय हेतु रू0 33,602.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिये कुल रू0 72.58 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है।

उक्त जनपदों में से 3 जनपद–कानपुर नगर, बहराइच एवं सम्भल में District VBD Consultant के रिक्त पदों हेतु केवल 6 माह के लिये मानदेय आवंटित किया गया है।

(ii) State VBD Consultant, preferably entomologist- New FMR Code-16.8.1.4.2

इस मद के अंतर्गत राज्य स्तर पर वर्ष 2021–22 के लिये संविदा पर कार्यरत एक State VBD Consultant के मानदेय हेतु रू0 31,416.00 प्रतिमाह की दर से, 12 माह की अवधि के लिये कुल रू0 3.77 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है।

4.2 ASHA Incentive/ Honorarium for Malaria FMR Code- 3.1.1.3.1

इस मद के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कुल रू0 209.25 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। आशाओं को मलेरिया की रक्त पटि्टका बनाने अथवा आर0डी0टी0 किट से मलेरिया जांच करने पर रू0 15.00 प्रति जांच तथा रू0 75.00 प्रत्येक केस के पूर्ण आमूल उपचार एवं फालो अप हेतु दिये जायेंगे।

4.3 Program management- FMR code- 16.1

(i) Monitoring, Supervision and Evaluation and epidemic preparedness (only mobility expense)-New FMR Code 16.1.3.3.9

मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में इस मद के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कुल रू0 150.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसमें से वेक्टर बॉर्न डिजीज कन्ट्रोल कार्य की सफल मॉनीटरिंग, सुपरविजन एवं इवैलुएशन एवं एपीडेमिक प्रिपेयर्डनेस हेतु जनपदीय अधिकारियों यथा अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, वेक्टर बॉर्न एवं जिला मलेरिया अधिकारी व अन्य सम्बन्धित स्टॉफ को, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित मासिक दर (अधिकतम रू0 33000.00 प्रति माह) के अनुसार, 6 माह के लिये किराये पर एक वाहन (टैक्सी कोटे के अन्तर्गत) लिये जाने हेतु, प्रत्येक जनपद को रु0 1.98 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है।

(ii)- Zonal Entomological units- FMR code 16.1.3.2.1

इस मद के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में प्रत्येक सम्बन्धित मण्डलीय जनपद को रू0 5.00 लाख की धनराशि, मण्डलीय कीट विज्ञान टीम के प्रयोजनार्थ उपलब्ध करायी गयी है जिससे सम्बन्धित स्टाफ के प्रशिक्षण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु मोबिलिटी सपोर्ट तथा एन्टोमोलॉजिकल किट एवं कन्टिंजेन्सी इत्यादि पर नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर व्यय किया जायेगा।

प्रदेश में क्रियाशील/स्थापित 9 जोनल एन्टोमोलॉजिकल यूनिट्स के लिए मोबिलिटी सपोर्ट हेतु अधिकतम रु0 33000.00 प्रति यूनिट/माह की दर से 10 माह के लिये रु0 3.30 लाख, प्रशिक्षण हेतु रु0 1.00 लाख प्रति यूनिट, एन्टोमोलॉजिकल किट एवं कन्टिंजेन्सी हेतु रु0 50,000.00 प्रति यूनिट तथा ऑपरेशनल रिसर्च हेतु रु0 20,000.00 प्रति यूनिट की दर से कुल रू0 45.00 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है। इस प्रकार प्रदेश में क्रियाशील 09 जोनल एण्टोमोलोजिकल यूनिट में प्रत्येक यूनिट को रु0 5.00 लाख की धनराशि उक्त कार्यों हेतु आवंटित की गयी है।

Zonal Entomological Units, FMR Code 16.1.3.2.1 (Amount in Rs)						
SN	Districts	Training Budget (2 Day's Training of around 50 staff-SLT/LT/IC etc. @Apox. Rs.2000/ head,Rs.100000/Unit)	Operational Research	For POL/ Hiring of Vehicles @ Rs. 33000/ Month/Units Max or @ approved by DHS for 10 month)	Entomological Kit and Contingency (Rs.50000 /Unit)	Entomological Budget Total
1	Agra	100000	20000	330000	50000	500000

2	Prayagraj	100000	20000	330000	50000	500000
3	Bareilly	100000	20000	330000	50000	500000
4	Ayodhya	100000	20000	330000	50000	500000
5	Gorakhpur	100000	20000	330000	50000	500000
6	Jhansi	100000	20000	330000	50000	500000
7	Lucknow	100000	20000	330000	50000	500000
8	Varanasi	100000	20000	330000	50000	500000
9	Meerut	100000	20000	330000	50000	500000
Total Budget		**900000**	**180000**	**2970000**	**450000**	**4500000**

S. No.	Existing 9 Zonal Entomological Units in UP	
	Entomological Unit location	**Districts to be covered for entomological studies**
1	Agra	Agra, Firozabad, Mainpuri, Mathura
2	Prayagraj	Prayagraj, Pratapgarh, Kaushambi, Fatehpur
3	Bareilly	Bareilly, Badaun, Pilibhit, Shahjahanpur
4	Ayodhya	Ayodhya, Ambedkar Nagar, Sultanpur, Amethi, Barabanki
5	Gorakhpur	Gorakhpur, Deoria, Kushinagar, Maharajganj
6	Jhansi	Jhansi, Jalaun, Lalitpur
7	Lucknow	Lucknow, Hardoi, Kheri, Raibareilly, Sitapur, Unnao
8	Varanasi	Varanasi, Gazipur, Jaunpur, Chandauli
9	Meerut	Merrut, Hapur, Ghaziabad, Bagpat, Gautam Budh Nagar, Bulandshahar

4.4 Printing of recording and reporting forms/registers for Malaria FMR code-12.3.1

प्रत्येक जनपद को धनराशि रु0 25000.00 की रिकार्डिंग एवं रिर्पोटिंग फार्मस् एवं रजिस्टर इत्यादि की प्रिन्टिंग के लिये स्वीकृत की गयी है। इस प्रकार उक्त मद में कुल रु0 18.75 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है।

4.4 Training / Capacity Building (Malaria) FMR Code- 9.5.1.2.1-

इस मद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कुल रू0 75.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसमें से रु0 73.46 लाख जनपदों को आवंटित किया गया है। मलेरिया/वी0बी0डी0 कन्ट्रोल कार्यक्रम में आशाओं, ए0एन0एम0/स्वास्थ्य कार्यकर्ता के संवेदीकरण एवं दक्षता स्तर में सुधार हेतु प्रशिक्षण के लिये जनपदों को प्रदान की गयी धनराशि का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

1000 से अधिक मलेरिया धनात्मक केसेस (वर्ष 2020 की एपिडिमियालॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार) वाले 3 जनपदों–बरेली (11686), बदायूं (11979) एवं सोनभद्र (1407) में प्रति ब्लाक 8 बैच तथा 200 से 1000 मलेरिया धनात्मक केसेस वाले 05 जनपदों– मिर्जापुर (500) सीतापुर (466) शाहजहांपुर (417) हरदोई (239) एवं प्रयागराज (208) में 5 बैच प्रति ब्लाक, 100 से 200 मलेरिया धनात्मक केसेस वाले 2 जनपद एटा (177), अलीगढ़ (156), में 4 बैच प्रति ब्लाक तथा 15 से 100 मलेरिया केस वाले 30 जनपद को 2 बैच प्रति ब्लाक तथा 15 से कम केस वाले शेष 35 जनपदों में 1 बैच प्रति ब्लाक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु बैच बनाया जायेगा।

प्रत्येक बैच में लगभग 20–25 प्रतिभागी रहेंगे जिनमें 20–22 आशाओं तथा 2 से 3 ए0एन0एम0/स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुये प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रत्येक बैच के लिए धनराशि रू0 4200.00 स्वीकृत की गयी है, जिसमें प्रशिक्षक को रू0 500.00 मानदेय देय होगा तथा प्रत्येक आशा को आने–जाने एवं प्रशिक्षण मानदेय हेतु रू0 100.00 की धनराशि उसके खाते में देय होगी तथा रू0 50.00 की धनराशि प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के जलपान व्यवस्था में व्यय की जायेगी।

Training & capacity building 2021-22 U.P.								
S. No.	**Name of District**	**Upto Dec. 2020**		**No. of Blocks**	**Batches/ Block**	**Total Batches**	**Expenditure/ Batch**	**Total Expenditure**
		BSE	**Positive**					
1	**Bareilly**	306268	11686	15	8	120	4200	504000
2	Agra	68757	25	15	2	30	4200	126000
3	**Aligarh**	74272	156	12	4	48	4200	201600
4	**Allahabad**	41859	208	20	5	100	4200	420000
5	Ambedkar Nagar	14051	4	9	1	9	4200	37800
6	Amethi	31219	4	16	1	16	4200	67200

Training & capacity building 2021-22 U.P.								
S. No.	**Name of District**	**Upto Dec. 2020**		**No. of Blocks**	**Batches/ Block**	**Total Batches**	**Expenditure/ Batch**	**Total Expenditure**
		BSE	**Positive**					
7	Auraiya	15352	61	7	2	14	4200	58800
8	Azamgarh	67246	2	22	1	22	4200	92400
9	Badaun	268624	11979	15	8	120	4200	504000
10	Bagpat	13939	0	6	1	6	4200	25200
11	Bahraich	20642	0	14	1	14	4200	58800
12	Ballia	12656	0	17	1	17	4200	71400
13	Balrampur	21681	2	9	1	9	4200	37800
14	**Banda**	21449	16	8	2	16	4200	67200
15	Barabanki	14523	4	15	1	15	4200	63000
16	**Basti**	27965	0	14	1	14	4200	58800
17	Bijnore	90618	102	11	2	22	4200	92400
18	Bulandshahar	94168	8	16	1	16	4200	67200
19	**Chandauli**	13209	18	9	2	18	4200	75600
20	Chitrakoot	14362	25	5	2	10	4200	42000
21	Deoria	19015	2	16	1	16	4200	67200
22	Etah	32563	177	8	4	32	4200	134400
23	Etawah	18941	15	8	1	8	4200	33600
24	**Faizabad**	14830	2	11	1	11	4200	46200
25	Farrukhabad	10447	54	7	2	14	4200	58800
26	Fatehpur	18984	60	13	2	26	4200	109200
27	Firozabad	25588	19	9	2	18	4200	75600
28	**G.B.Nagar**	50810	27	4	2	8	4200	33600
29	Ghaziabad	22340	13	4	1	4	4200	16800
30	Ghazipur	20113	2	16	1	16	4200	67200
31	**Gonda**	18090	2	16	1	16	4200	67200
32	Gorakhpur	26058	1	19	1	19	4200	79800
33	Hamirpur	32577	41	7	2	14	4200	58800
34	Hapur	9620	53	4	2	8	4200	33600
35	**Hardoi**	52732	249	19	5	95	4200	399000
36	Hathras	12502	11	7	1	7	4200	29400
37	**Amroha**	12049	19	6	2	12	4200	50400
38	Jalaun	10936	13	9	1	9	4200	37800
39	**Jaunpur**	26416	12	21	1	21	4200	88200
40	**Jhansi**	30597	38	8	2	16	4200	67200
41	**Kannauj**	17934	14	8	1	8	4200	33600
42	Kanpur Dehat	25341	47	10	2	20	4200	84000
43	Kanpur Nagar	77618	17	10	2	20	4200	84000
44	Kashganj	12006	50	7	2	14	4200	58800
45	Kaushambi	26644	35	8	2	16	4200	67200
46	Kheri	23650	78	15	2	30	4200	126000
47	Kushi Nagar	21851	12	14	1	14	4200	58800
48	Lalitpur	33601	15	6	1	6	4200	25200
49	**Lucknow**	68006	25	8	2	16	4200	67200
50	Maharajgunj	11069	0	12	1	12	4200	50400
51	Mahoba	28082	4	4	1	4	4200	16800
52	Mainpuri	19664	0	9	1	9	4200	37800
53	**Mathura**	30579	6	10	1	10	4200	42000
54	**Mau**	20654	0	9	1	9	4200	37800
55	Meerut	16256	5	12	1	12	4200	50400
56	**Mirzapur**	65359	500	12	5	60	4200	252000
57	Moradabad	42098	51	8	2	16	4200	67200
58	Muzaffar Nagar	13932	3	9	1	9	4200	37800
59	Pilibhit	20466	37	7	2	14	4200	58800
60	Pratapgarh	86593	22	17	2	34	4200	142800
61	Rae-Bareli	39247	2	15	1	15	4200	63000
62	**Rampur**	17120	56	6	2	12	4200	50400
63	Saharanpur	77182	13	11	1	11	4200	46200
64	Sambhal	19096	30	8	2	16	4200	67200
65	Samli	24778	38	5	2	10	4200	42000

Training & capacity building 2021-22 U.P.								
S. No.	Name of District	Upto Dec. 2020		No. of Blocks	Batches/ Block	Total Batches	Expenditure/ Batch	Total Expenditure
		BSE	Positive					
66	Shahjahanpur	25772	417	15	5	75	4200	315000
67	Shravasti	12606	0	5	1	5	4200	21000
68	Siddharth Nagar	13224	52	14	2	28	4200	117600
69	Sitapur	28501	466	19	5	95	4200	399000
70	Sonbhadra	72164	1407	8	8	64	4200	268800
71	St.Kabir Nagar	15147	4	9	1	9	4200	37800
72	St.R.D.Nagar	11841	73	6	2	12	4200	50400
73	Sultanpur	21624	26	13	2	26	4200	109200
74	Unnao	20732	7	16	1	16	4200	67200
75	Varanasi	17844	46	8	2	16	4200	67200
Total		**2776349**	**28668**	**820**		**1749**		**7345800**
State HQ						**6**		**154200**
Total for state						**1755**		**7500000**

4.5 IEC/BCC for malaria-New FMR Code-11.3.1

इस मद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 40.00 लाख में से जनपदों को रू 30.00 लाख तथा रू0 10.00 लाख की धनराशि राज्य मुख्यालय, स्तर पर आरक्षित की गई है। जनपदो को आवंटित धनराशि का उपयोग मलेरिया व अन्य वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु एकीकृत रूप से जनहित में व्यापक जन जागरूकता लाने के लिये प्रचार–प्रसार (बैनर, पोस्टर, होर्डिंग माइकिंग इत्यादि द्वारा) एवं व्यवहार परिवर्तन हेतु नियमानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा जिससे जनसामान्य को मलेरिया व अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम व उन्मूलन हेतु समुचित उपाय अपनाने के लिए जागरूक किया जा सके।

4.6 Grant for decentralized commodities F.6.2.3.1

इस मद से औषधियाँ, लार्वानाशक, कीटनाशक आदि का भारत सरकार/उ0प्र0 शासन के नियमानुसार क्रय करें। डी–सेन्ट्रेलाइज्ड कमोडिटीज़ की सूची निम्नवत है। किसी भी प्रकार की अनियमितता की दशा में जनपदीय अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगें–

FMR code	List of decentralized commodities	Approved Budget
FMR code-6.2.3.1	✓ Chloroquine phosphate tablets – For Malaria	16.15 Lac
FMR code-6.2.3.1	✓ Primaquine tablets 2.5 mg – For Malaria	8.08 Lac
FMR code-6.2.3.1	✓ Primaquine tablets 7.5 mg – For Malaria	16.15 Lac
FMR code-6.2.3.1	✓ Pyrethrum extract 2% for space spray (for 14 urban malaria units- Agra, Aligarh, Prayagraj, Badaun, Bulandshahar, Ghaziabad, Jhansi, Kanpur Nagar, Lucknow, Mathura, Meerut, Moradabad, Muzaffar Nagar, Varanasi)	14.00 Lac
FMR code-6.2.3.1	✓ RDT Malaria- bi-valent (Antigen based) (For Non Project states)-For Malaria.	198.75 Lac

उपरोक्त मदों के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि में से प्रत्येक जनपद को आवंटित की गयी धनराशि से उक्त तालिका में (✓) मार्क की गयी कमोडिटीज का क्रय वित्तीय नियमों का पालन करते हुए शासन के नियमानुसार करना सुनिश्चित करें।

4.7 Operational cost for spray wages-New FMR Code 3.2.2.1

इस मद के अंतर्गत वर्ष 2021–22 के लिए भारत सरकार द्वारा कुल 22 जनपदों अलीगढ़, औरैया, बदायूँ, बरेली, भदोही, एटा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हमीरपुर, हरदोई, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, कासगंज, मिर्जापुर, प्रयागराज, पीलीभीत, सहारनपुर, सीतापुर एवं सोनभद्र को आवंटित 358 MT DDT 50% wdp द्वारा छिड़काव (IRS) कराने हेतु मजदूरी मद में भारत सरकार द्वारा 90 दिनों में आई0आर0एस0 के राउण्ड पूर्ण कराते हुये कुल 90 दिनों का भुगतान करने हेतु 293.02 लाख की धनराशि (Rate @ per State Government labour norms 2020-Rs.370.53/labour/day+18% GST) "NVBDCP Remarks-Activity recommended. Round of spray should be completed in 90 days not in 150 days. Approval is given for 90 days. Recommended Rs. 293.02 lakh against 488.36 lakh", स्वीकृत की गई है। जनपदों को आवंटित धनराशि का उपयोग, DDT 50% wdp द्वारा इनडोर रेजिडुअल स्प्रे में लगे मजदूरों के मजदूरी मद मे वित्तीय नियमानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

5. डेंगू एवं चिकनगुनियां कार्यक्रम

5.1 Dengue and Chikunguny case management -FMR Code No. 1.1.5.1 इस मद में प्रति जिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय हेतु रू0 8000.00 प्रति वर्ष की दर से धनराशि स्वीकृत की गई है। जिला चिकित्सालय एवं जिला संयुक्त चिकित्सालय में चिन्हित डेंगू/संचारी रोग वार्डों को मच्छर/वेक्टर रोधी बनाया जायेगा, जिस हेतु इस मद के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि का उपयोग खिड़कियों पर जाली लगाने, वार्ड में उपलब्ध सभी बेड हेतु LLIN (मच्छरदानी) लगाने एवं मच्छर को भगाने/मारने वाली मशीन हेतु किया जाना है।

5.2 Other incentive to ASHAs (Asha incentive for Dengue & Chikungunya) – FMR Code U.3.1.1.3 (ग्रामीण आशाओं हेतु) **/** Asha incentive for Dengue & Chikungunya (शहरी आशाओं हेतु) **FMR Code No. :- 3.1.1.3.1 –** आशाओं हेतु पांच उच्च संचरण (High transmission Season) वाले महीनों के लिए रू0 200.00 प्रति माह प्रति आशा की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है।

डेंगू संक्रमण के खिलाफ कोई एंटीवायरल दवा या वैक्सीन उपलब्ध ना होने की दशा में, सोर्स रिडक्शन (स्रोत कटौती) ही डेंगू उन्मूलन का मुख्य आधार है। हालाँकि, मानव संसाधन की कमी और सीमित संसाधनों की उपलब्धता के कारण लार्वा स्रोत में कमी की गतिविधियाँ आवश्यकतानुसार नहीं की जाती हैं। इसलिए, डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आशा कार्यकर्ताओं की भागीदारी आवश्यक है। अतः आशा कार्यकत्रियों से लगभग 5 महीने (जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर) तक चलने वाले उच्च संचरण के मौसम के दौरान घरेलू प्रजनन जाँच और लार्वा स्रोत कटौती के रूप में कार्य कराया जाएगा। आशा द्वारा घर–घर भ्रमण कर घरेलू प्रजनन जाँच एवं लार्वा स्रोत कटौती में मदद करने के साथ समुदाय में वेक्टर बार्न डिजीज नियंत्रण उपायों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने की कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए उन्हें प्रोत्साहन के रूप में रू0 200.00 प्रति माह प्रति आशा की दर से धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

सभी 75 जिलों में 5 माह हेतु माइक्रोप्लान बनाकर आशा कार्यकत्री द्वारा घर–घर भ्रमण कर निम्न गतिविधियाँ सम्पादित की जाएगीं–

1. मच्छरों के प्रजनन की जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु जैसे पानी की टंकी, डेजर्ट पानी कूलर, रेफ्रिजरेटर के नीचे कन्डेन्सेशन प्लेट, एयर कंडीशनर्स, फूलों के गुलदस्ते और चींटी–ट्रैप, टिन्स, बोतलें, बाल्टी या अन्य उपभोज्य सामान जैसे प्लास्टिक कप इत्यादि की जांच करना एवं लार्वा स्रोत कटौती (सोर्स रिडक्शन) की कार्यवाही सम्पादित किया जाना।
2. समुदाय को वेक्टर बार्न डिजीज नियंत्रण उपायों के बारे में जागरूक करना।

उपरोक्त के अतिरिक्त इस मद के अन्तर्गत आशा द्वारा उपचार के स्थान पर डेंगू एवं चिकुनगुनिया के मरीजों को उपचार उपलब्ध करवाने पर, उन मरीजों में जिन मरीजों को एलाइजा विधि से डेंगू व चिकुनगुनिया का केस घोषित किया जायेगा। आशा द्वारा उन पुष्ट धनात्मक केसों की संख्या के अनुसार प्रति पुष्ट धनात्मक केस (एलाइजा एनएस 1 या आई0जी0एम0) पर आशा को रू0 200.00 का भुगतान किया जायेगा।

5.3 Dengue NS1 antigen kit– FMR Code. 6.2.3.1 (A.8) – इस मद के अंतर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग प्रदेश में स्थापित/क्रियाशील एस0एस0एच0 लैब हेतु 1 से 5 दिन तक के डेंगू के संभावित बुखार के मरीजों की जांच एलाइजा विधि द्वारा कराये जाने के लिये आवश्यक **एनएस 1 एलाइजा किट्स के क्रय हेतु** नियमानुसार किया जायेगा।

5.4 Apex Referral Labs recurrent–FMR Code No. 10.3.1.1– एपेक्स रेफरल लैब एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ हेतु रू0 3.00 लाख एवं एपेक्स रेफरल लैब के0जी0एम0यू0, लखनऊ हेतु रू0 3.00 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है, जिसका व्यय उपरोक्त एपेक्स लैब द्वारा किया जायेगा।

5.5 Sentinel surveillance Hospital recurrent – FMR Code No. 10.3.1.2 - इस मद के अंतर्गत प्रदेश में डेंगू एवं चिकनगुनिया की जांच हेतु स्थापित 54 सेन्टीनल सर्विलेन्स हॉस्पिटल लैब के लिए रू0 1.00 लाख प्रति सेन्टीनल सर्विलेन्स हॉस्पिटल की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। इस धनराशि का उपयोग कन्ज्यूमेबिल के क्रय, उपकरणों की मरम्मत एवं कन्टीजेन्सी पर किया जायेगा। यह धनराशि एस0एस0एच0 लैब के उपयोगार्थ है और पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से व्यय की जायेगी। अतः इसे

सी0एम0एस0 को शीघ्र ही स्थानान्तरित कर दिया जाये एवं धनराशि के व्यय होने के उपरान्त सम्बन्धित से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।

District wise name of SSH lab - 2021

S.No.	District	S.No.	Name of SSH Labs
1	Agra	1	S.N Medical College, Agra
		2	District Hoshpital, Agra
2	Aligarh	3	J.N. Medical College, Aligarh
		4	District Hospital, Aligarh
3	Ambedkarnagar	5	MMR Govt. Medical College, Ambedkarnagar
4	Azamgarh	6	District Hospital, Azamgarh
5	Bahraich	7	CMS, Distt. Hospital, Bahraich
6	Ballia	8	District Hospital, Ballia
7	Balrampur	9	District Hospital, Balrampur
8	Banda	10	District Hospital, Banda
9	Bareilly	11	District Hospital Bareilly
10	Basti	12	District Hospital, Basti
11	Deoria	13	District Hospital, Deoria
12	Etawah	14	Rural P.G.I Safai, Etawah
13	Ayodhya	15	District Hospital, Ayodhya
14	GB Nagar	16	Authority Hospital, G.B.Nagar (NOIDA)
15	Ghaziabad	17	District Hospital, Ghaziabad (M.M.G Govt.)
16	Gonda	18	District Hospital Gonda
17	Gorakhpur	19	District Hospital, Gorakhpur
		20	RMRC Gorakhpur
18	Hardoi	21	District Hospital Hardoi
19	Jalaun	22	Govt. Medical College Jalaun
20	Jhansi	23	MLB Govt. Medical College, Jhansi
21	Kannauj	24	Govt. Medical College, Kannauj
22	Kanpur Nagar	25	GSVM Medical College, Kanpur Nagar
		26	U.H.M. Hospital, Kanpur Nagar
23	Kushinagar	27	District Hospital, Kushinagar
24	L.Kheri	28	District Hospital, Lakhimpur Kheri
25	Lucknow	29	Regional Lab, Swasthya Bhawan, Lucknow
		30	PG RML Institute, Gomti nagar Lucknow
26	Maharajganj	31	District Hospital, Maharajganj
27	Mau	32	District Hospital, Mau
28	Meerut	33	L.L.R.M Medical College Meerut
		34	District Hospital Meerut
29	Moradabad	35	District Hospital Moradabad
30	Prayagraj	36	MLN Medical College, Prayagraj
31	Raebareli	37	District Hospital, Raebareli
32	St. Kabeer Nagar	38	District Hospital, St. Kabir Nagar
33	Saharanpur	39	Distt. Hospital Saharanpur
34	Shahjahanpur	40	District Hospital Shahjahanpur
35	Shravasti	41	District Hospital, Shravasti
36	Siddharthnagar	42	District Hospital, Siddharthnagar
37	Sitapur	43	District Hospital, Sitapur
38	Varanasi	44	Instt. of Medical Sciences, BHU Varanasi
		45	District Hospital, Varanasi (Pt. Deen Dayal Hosp)
39	Sonbhadra	46	District Hospital, Sonbhadra
40	Rampur	47	District Hospital, Rampur
41	Badaun	48	District Hospital, Badaun
42	Mainpuri	49	District Hospital, Mainpuri
43	Lalitpur	50	District Hospital, Lalitpur
44	Muzaffarnagar	51	District Hospital, Muzaffarnagar
45	Chitrakoot	52	District Hospital, Chitrakoot

S.No.	District	S.No.	Name of SSH Labs
46	Firozabad	53	District Hospital, Firozabad
47	Hamirpur	54	District Hospital, Hamirpur

5.6 IEC/BCC for Social mobilization (Dengue and Chikungunya) – FMR Code No. 11.15.2 – इस मद के अंतर्गत प्रदेश में डेंगू एवं चिकनगुनिया के बचाव हेतु प्रचार–प्रसार के लिए रू0 20,000.00 प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। इस मद के अंतर्गत आवंटित धनराशि का व्यय डेंगू व चिकनगुनिया के संबंध में जानकारी व जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रचार–प्रसार में किया जायेगा और यह एक्टिविटी अन्य वेक्टर बार्न डिजीज के साथ इन्टीग्रेट की जायेगी।

5.7 Inter-sectoral convergence - FMR Code No. 15.3.1.2

इस मद के अंतर्गत बड़े जनपदों को रु0 7,000.00 प्रति जनपद की दर से तथा छोटे जनपदों को रु0 5,000.00 की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है, जिसका विवरण जनपदवार फांट में उल्लिखित है। आवंटित धनराशि का व्यय डेंगू व चिकनगुनिया से बचाव एवं नियन्त्रण हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष– जिला स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों एवं संगठनों की बैठक कर डेंगू से बचाव एवं नियन्त्रण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने हेतु किया जायेगा।

5.8 Monitoring/supervision and Rapid response (Dengue and Chikungunya) – FMR Code 16.1.2.2.6

इस मद के अंतर्गत जनपदों द्वारा आवंटित धनराशि का उपभोग क्षेत्र भ्रमण हेतु मोबिलिटी सपोर्ट एवं रिपोर्टिंग के सुदृढ़ीकरण इत्यादि हेतु किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में दिशा–निर्देश आपको पृथक से प्रेषित किये जायेंगे। जनपद एवं परिधिगत स्तर पर मल्टी डिसिप्लिनरी रैपिड रिस्पान्स टीम द्वारा सेन्टीनल लैब से प्राप्त डेंगू धनात्मक रोगियों के सत्यापन एवं केस आधारित निरोधात्मक कार्यवाही की जानी है। साथ ही वेक्टर नियन्त्रण कार्य योजना 2021 एवं NVBDCP guidelines के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। इसके साथ ही प्राथमिक उपचार, समय पर सन्दर्भन तथा सूचना संग्रहण एवं सूचना संप्रेषण सुनिश्चित किया जायेगा। जनपद में कार्यरत ए0सी0एम0ओ0–वी0बी0डी0/जिला मलेरिया अधिकारी व अन्य हेतु कार्ययोजना के अनुसार कार्य सम्पादन, क्षेत्र भ्रमण के लिए आवश्यकतानुसार उक्त मद से वाहन हेतु पी0ओ0एल0 की व्यवस्था की जायेगी। यदि राजकीय वाहन उपलब्ध नहीं है तो उपरोक्त कार्य हेतु इस मद में उपलब्ध धनराशि का उपयोग वाहन को कार्य दिवस के हिसाब से नियमानुसार किराये पर लेने हेतु किया जा सकता है।

5.9 Epidemic preparedness – FMR Code No. 16.1.5.3.7-

इस मद के अंतर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग डेंगू एवं चिकनगुनिया रोग की रोकथाम एवं महामारी की दशा में आपदा प्रबंधन की पूर्व तैयारी, रैपिड रिस्पॉन्स टीम एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के संवेदीकरण हेतु NVBDCP के दिशा–निर्देश के अनुसार उपयोग की जायेगी तथा डेंगू एवं चिकनगुनियां कार्ययोजना 2021 के अनुसार कार्य सम्पादित कराते हुये आशा/आई0एफ0डब्ल्यू0 /एस0एफ0डब्ल्यू0/हायर्ड घरेलू ब्रीडर चेकर्स का संवेदीकरण कराया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर डेंगू संभावित रोगियों के सीरम सैंपल जांच हेतु नजदीकी एस0एस0एच0 लैब में भेजने पर होने वाले व्यय का भुगतान राजकीय मापदण्ड/नियमानुसार इस मद से किया जा सकता है।

5.10 Support for implementation of NVBDCP – FMR Code U.1.1.1.2 -

''वेक्टर नियंत्रण और पर्यावरण प्रबंधन'' के तहत घरेलू ब्रीडर चेकर्स **दैनिक आधार** पर अधिकतम 100 दिनों के लिए हायर करने के लिए धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस मद में स्वीकृत धनराशि का उपयोग राज्य में वास्तविक श्रम मानदंडों (Labour wages) के अनुसार किया जाएगा।

एक सफल Aedes aegypti वेक्टर नियंत्रण कार्यक्रम की स्थिरता प्राप्त करने के लिए लार्वा स्रोत कमी गतिविधियों पर ध्यान देना आवश्यक है। शहरी क्षेत्रों में स्रोत कटौती गतिविधियों को करने के लिए घरेलू ब्रीडर चेकर्स (Domestic breeder checkers) को दैनिक आधार पर अधितम 100 दिनों (20 दिन प्रति माह कुल 5 माह हेतु) के लिए हायर किया जाना है जिनके द्वारा माइक्रोप्लान के अनुसार घर घर जाकर Aedes aegypti लार्वा की breeding के प्रमुख स्रोत जैसे डेजर्ट पानी कूलर, रेफ्रिजरेटर के नीचे कन्डेन्शेशन प्लेट, और एयर कंडीशनर्स, फूलों के गुलदस्ते और चींटी–ट्रैप, टिन्स, बोतलें, बाल्टी या अन्य उपभोज्य सामान जैसे प्लास्टिक कप इत्यादि की जांच कर उनसे रुके हुए पानी को हटाए जाने के साथ–साथ स्रोत कटौती (सोर्स रिडक्शन) की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

6. आई0डी0एस0पी0 कार्यक्रम

6.1 संविदा मानव संसाधन का मानदेय–FMR Code 16.4.2.2.2, 8.1.13.4, 16.4.2.2.5, 16.4.3.1.9

जनपद स्तर पर आई0डी0एस0पी0 के अन्तर्गत संचालित जिला सर्विलांस इकाई में कार्यरत संविदा कर्मियों क्रमशः एपिडिमियोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलाजिस्ट, डाटा मैनेजर एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर का वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्वीकृत मानदेय (लॉयल्टी बोनस सम्मिलित करते हुये) के अनुसार वर्ष 2021–22 हेतु 5 प्रतिशत की वेतनवृद्धि की धनराशि एवं डाटा इन्ट्री आपरेटर (जिला स्वास्थ्य समिति/आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से) हेतु ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित करते हुये आवंटित की जा रही है। 05 प्रतिशत मानदेय की वेतनवृद्धि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 01 वर्ष का कार्य सन्तोषजनक पूर्ण कर लिया हो।

नोटः– कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में रिक्त एपिडिमियोलॉजिस्ट एवं डाटा मैनेजर के पदों पर नियुक्ति राज्य स्तर से तथा डाटा इन्ट्री आपरेटर की तैनाती जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदित एजेन्सी द्वारा आउटसोर्सिगं के माध्यम से की जायेगी तथा डाटा इन्ट्री आपरेटर का मानदेय रू0 12,000.00 प्रतिमाह देय होगा।

6.2 Integrated Health Information Platform Training (आई0एच0आई0पी0) FMR Code 9.2.3.1

इस मद में प्रदेश के 54 जनपदों में चिकित्साधिकारियों के आई0एच0आई0पी0 एवं ओ0पी0डी0 रजिस्टर पर डाटा इण्ट्री, डाटा विश्लेषण, आउटब्रेक रिपोर्टिंग प्रिपरेशन, सबमिशन एवं आउटब्रेक रिस्सपान्स एवं केस डेफिनेशन हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण के लिए धनराशि आवंटित की गई है।

प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने के लिए प्रति ब्लॉक 2 चिकित्साधिकारी, प्रति मण्डलीय चिकित्सालय से 4 चिकित्साधिकारी एवं प्रति नगरीय प्राथमिक चिकित्सालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से एक–एक चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु व्यय निम्न तालिका के अनुसार किया जायेगाः–

Medical officer per Batch Cost at District					
Sl no	**Activity**	**Rate**	**No of participants**	**Days**	**Total**
1	Per diem to participants	300	30	1	9000
2	Food of particioants	200	30	1	6000
3	Food of Trainer working Lunch	150	4	1	600
4	Course Material and Contingency	200	30	1	6000
5	trainers Honorarium	600	4	1	2400
6					**24000**
	sub total 1to 5 @ 15%				3600
7	**Total cost**				**27600**

6.3 आई0एच0आई0पी0 प्रशिक्षण– FMR Code 9.2.3.1

इस मद में धनराशि का उपयोग प्रदेश के 75 जनपदों में जिला सर्विलांस अधिकारी, जिला डाटा मैनेजर (आई0डी0एस0पी0) एवं जिला डाटा इण्ट्री आपरेटर (आई0डी0एस0पी0) एवं प्रति ब्लॉक एक डाटा इण्ट्री आपरेटर हेतु आई0एच0आई0पी0 एवं ओ0पी0डी0 रजिस्टर पर डाटा इण्ट्री एवं डाटा विश्लेषण एवं आउटब्रेक इनवेस्टिगेशन के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण हेतु धनराशि आवंटित की गई है। प्रशिक्षण हेतु व्यय निम्न तालिका के अनुसार किया जायेगाः–

DSO, DDM, IDSP-DEO and Block DEO training per Batch Cost.					
Sl no	**Activity**	**Rate**	**No of participants**	**Days**	**Total**
1	Per diem to participants	300	20	1	6000
2	Food of particioants	200	20	1	4000
3	Food of Trainer working Lunch	150	4	1	600
4	Course Material and Contingency	150	20	1	3000
5	trainers Honorarium	600	4	1	2400
					16000
6	**sub total 1to 5 @ 15%**				2400
7	**Total cost**				**18400**

ए0एन0एम0 का एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदेश के 54 जनपदों में जिला स्तर पर प्रशिक्षण कराये जाने हेतु व्यय निम्न तालिका के अनुसार किया जाये :–

Block Level sensitization (Per Batch Cost) FMR Code 9.2.3.1				
Particulars	**Rate**	**No of Participants**	**Days**	**Amount**
Participaints Refreshment and Contingency	55	20	1	1100
Trainers Refreshment and Contingency	25	4	1	100
Total				**1200**

6.4 Mobility - Travel Cost, POL, Mobility cost on need basis:- FMR Code 16.1.3.3.8

इस मद में जनपद स्तर पर डिजीज सर्विलांस गतिविधियों के भ्रमण के लिये, सर्विलांस एवं रिपोर्टिंग को सुदृढ़ीकृत किये जाने हेतु आवश्यक भ्रमण, मोबिलिटी, ट्रैवेल कॉस्ट आदि के लिये धनराशि का आंवटन किया गया है। आवंटित धनराशि से जनपद ज्योतिबाफुले नगर, भदोही एवं संत कबीरनगर को 9 माह हेतु एवं समस्त शेष जनपदों को उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष 8 माह के लिए अधिकतम रू0 30,000.00 प्रतिमाह की दर से डी0पी0एम0यू0 यूनिट की भांति/जनपद स्तर पर टेण्डर की प्रक्रिया द्वारा चयनित एजेंसी से नियामनुसार टैक्सी परमिट वाहन हायर कर सकते है अथवा उपलब्ध शासकीय वाहनों हेतु पी0ओ0एल0 के लिए किया जाय।

मण्डलीय जनपदों पर सर्विलांस हेतु चिन्हित मण्डल स्तरीय अधिकारियों के लिए मण्डलीय जनपदों को रु0 30,000.00 प्रति माह की दर से अतिरिक्त धनराशि का आवंटन 11 माह हेतु किया जा रहा है।

आर0ओ0पी0 वर्ष 2021–22 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जनपद स्तरीय कर्मचारी व अधिकारियों के टी0ए0 एवं डी0ए0 हेतु अधिकतम रू0 30,000.00 वार्षिक तथा मण्डल स्तरीय कर्मचारी/अधिकारी अधिकारियों के टी0ए0 एवं डी0ए0 हेतु अधिकतम रू0 1,20,000.00 वार्षिक हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है। शेष माह के लिये धनराशि का आवंटन व्यय विवरण एफ0एम0आर0 में अंकित कराने पर आवश्यकतानुसार राज्य स्तर से किया जायेगा। प्रयोग किये जा रहे वाहन का विवरण निम्न प्रारुपानुसार राज्य मुख्यालय को अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जाये।

क्र0सं0	**जनपद का नाम**	**वाहन का प्रकार**	**रजिस्ट्रेशन नं0/मालिक का नाम एवं मो0नं0**	**वाहन प्रयोग करने की माह व तिथि**
1	2	3	4	5

6.5 ऑपरेशनल व्यय–FMR Code 16.1.4.1.5

a- (Expanses on - telephone, communication, Broad Band, weekly alert, office expance, meeting & other Misc. expanses):-

इस मद से टेलीफोन/इण्टरनेट/डोंगल, साप्ताहिक एलर्ट/वार्षिक डिजीज सर्विलेंस रिपोर्ट हेतु, कार्यालय व्यय, आफिस स्टेशनरी, जिला आई0डी0एस0पी0 सेल हेतु रु0 5000.00 प्रति जनपद, मण्डल स्तर पर डिजीज सर्विलांस गतिविधियों को सुदृढ करने हेतु रू0 5,000.00 अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त की जा रही है जो इस कार्य हेतु नामित अधिकारी के कार्यालय में आफिस स्टेशनरी/रिपोर्टिंग हेतु उपयोगित होगी।

जनपदों द्वारा उक्त धनराशि को नियमानुसार उपयोगित किये जाने तथा सम्बन्धित एफ0एम0आर0 में धनराशि की बुकिंग करने के उपरान्त यदि अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो, जनपद की मांग के सापेक्ष धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी।

6.6 आई0एच0आई0पी0

इस मद में धनराशि का उपयोग जनपद में ब्लॉक स्तर पर आई0एच0आई0पी0 पोर्टल पर डाटा इन्ट्री एवं रिर्पोटिग कार्य करने के लिए इन्टरनेट की व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है।

जनपद अलीगढ, औरेया, अयोध्या बदांयू,, इटावा, फरूखाबाद, गौतमबुद्व नगर, गजियाबाद, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर लखीमपुर खीरी, लखनऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, प्रयागराज रायबरेली सन्तकबीर नगर, सीतापुर एवं उन्नाव को रू0 1000.00 प्रतिमाह प्रति ब्लॉक के अनुसार 12 माह हेतु

धनराशि आवंटित की गयी है। शेष जनपदों को रू0 1000.00 प्रतिमाह प्रति ब्लॉक के अनुसार 9 माह हेतु धनराशि आबटित की गयी है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि ब्लॉक स्तरीय आई0एच0आई0पी0 आपरेशनल व्यय (इन्टरनेट एवं रिपोर्टिंग) हेतु अवमुक्त धनराशि को जिला स्वास्थ्य समिति के खाते से ब्लॉक स्तर पर ससमय स्थानान्तरण करवाना सुनिश्चित करेगें।

6.7 Expanses on - Minor repair, AMC of IT equipments expanses - FMR Code 16.1.5.2.1

इस मद से ऑफिस उपकरणों की मरम्मत, उपकरणों की ए0एम0सी0, हेतु रू0 10,000.00 प्रतिवर्ष प्रति जनपद धनराशि आंवटित की गयी है। उक्त धनराशि का उपयोग नियमानुसार इस प्रकार कराना सुनिश्चित करें कि ऑफिस के समस्त उपकरण क्रियाशील रहें तथा धनराशि का पूर्ण व्यय वित्तीय वर्ष में किया जा सके।

6.8 IDSP Meeting - FMR Code 16.1.2.1.16

इस मद से जनपद स्तर पर आई0डी0एस0पी0 की वित्तीय तथा भौतिक समीक्षा हेतु त्रैमासिक बैठक आहूत करने के लिये रु0 1500.00 प्रति त्रैमास प्रति जनपद इस प्रकार एक वर्ष हेतु रु0 6000.00 प्रति जनपद एवं मण्डलीय जनपदो हेतु रु0 2500.00 प्रति त्रैमास प्रति मण्डलीय जनपद की दर से इस प्रकार एक वर्ष हेतु रु0 16,000.00 प्रति मण्डलीय जनपद को धनराशि आंवटित की जा रही है। जनपद ईकाई की बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला सर्विलांस अधिकारी, आई0डी0एस0पी, जिला इपिडेमियोलॉजिस्ट, आई0डी0एस0पी0, जिला डाटा मैनेजर, आई0डी0एस0पी एवं जिला डाटा इन्ट्री आपॅरेटर, आई0डी0एस0पी तथा आवश्यकतानुसार अन्य व्यक्ति प्रतिभाग करेंगे तथा बैठक का हस्ताक्षरित कार्यवृत्त राज्य मुख्यालय को समयबद्ध रुप से उपलब्ध करायेंगे ।

मण्डलीय जनपदो में अपर निदेशक/मण्डलीय सर्विलांस अधिकारी की अध्यक्षता में मण्डल के समस्त जनपदो की त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा बैठक की जाएगी, तथा बैठक सम्पूर्ण कराने का दायित्व मण्डल स्तर पर तैनात ई0आई0एस0 आफिसर द्वारा पूर्ण किया जायेगा तथा बैठक का हस्ताक्षरित कार्यवृत्त राज्य मुख्यालय को समयबद्ध रुप से उपलब्ध कराया जाय।

6.9 Reimbursement based payment for laboratory tests FMR Code 10-4-3 :-

इस मद के अन्तर्गत धनराशि प्रति रेफरल मेडिकल कॉलेज हेतु आवंटित की गयी है। संक्रामक रोगों के आउट–ब्रेक होने की स्थिति में उक्त मेडिकल कालेजों से लिंक जनपदों द्वारा आउट–ब्रेक के कम से कम 10 प्रतिशत भेजे गये नमूनों का परीक्षण किये जाने में होने वाले व्यय का रिम्बर्समेंट उक्त धनराशि से किया जायेगा। यह रिम्बर्समेंट जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से सम्बन्धित मेडिकल कॉलेजों द्वारा प्रेषित किये गये बिल के सापेक्ष जनपद मुख्यालय स्तर से किया जाये।

6.10 Expenses on account of consumable, operating expenses, office expenses , miscellaenous etc - FMR CODE-10.4.4. -

इस मद के अन्तर्गत धनराशि प्रति रेफल लैब हेतु आवंटित की गयी है, जिसे सम्बन्धित मेडिकल कॉलेजों को जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से स्थानान्तरित कर दिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार के संचारी रोग होने की स्थिति में चिन्हित मेडिकल कालेज से सम्बद्ध जनपदों द्वारा यदि कोई नमूनें परीक्षण के लिए भेजे जाते है, तो उसके परीक्षण हेतु आवश्यक कन्ज्यूमेबिल्स, आफिस व्यय, उपकरण की माइनर मरम्मत अन्य सम्बन्धित व्यय हेतु उक्त धनराशि का प्रयोग किया जा सके। इस धनराशि के प्रयोग के सम्बन्ध में एन0सी0डी0सी0 दिल्ली के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश निम्नवत हैः–

6.11 Financial component FMR Code 10.4.4

Annual grant of Rs 2.00 lacs to each of the identified State referral lab to ensure performance standards. This amount could be utilized for the following:

- Procurement of kits and reagents
- Remuneration of part time staff / overtime
- Minor expenses on maintenance and repair of equipment
- Date of collection and communication (phone / internet)
- Office expenses
- Money will be released to the Staff Surceillance Units as GIAI
- Expenditure will be monitered by respective SSO in coordination with state lab coordinator.

Note: no procurement of equipment is allowed from these funds

6.12 Printing of P.L.S. Forms - FMR Code 12.3.5

इस मद से प्रति जनपद आई0डी0एस0पी0 पोर्टल पर सभी पंजीकृत रिपोर्टिंग इकाइयों के लिये आवश्यक पी0एल0 एवं एस0 फार्म के मुद्रण हेतु अधिकतम रू0 1.00 प्रति फार्म की दर से धनराशि का आंवटन किया गया है। आवश्यकतानुसार फार्म एस0 तीन कॉपियों में छपवाकर सभी उपकेन्द्रो (सब सेन्टर्स) को स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से तथा आयुष पद्धति के चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों को स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाये। उपकेन्द्र (सब सेन्टर) की रिपोर्ट स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा आयुष पद्धति के चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों की रिपोर्ट स्वास्थ्य पर्यवेक्षक द्वारा एकत्रित करा कर प्रत्येक शनिवार को प्रभारी पी0एच0सी0 को उपलब्ध कराई जाए।

- आवश्यकतानुसार फार्म पी0 दो कापियों में छपवा कर सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पी0एच0सी0/सी0एच0सी0/अति प्रा0 स्वा0 केन्द्र तथा चिकित्सालयों को उपलब्ध कराया जाए, यही फार्म अन्य एलोपैथिक, सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों को स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए।
- आवश्यकतानुसार फार्म एल0 ब्लाक पी0एच0सी0 लैब, सी0एच0सी0 लैब–प्रा0 स्वा0 केन्द्र तथा जिला चिकित्सालयों की लैब, अन्य निजी चिकित्सालयों की लैब को उपलब्ध कराया जाए।

नोटः– उपरोक्त समस्त मदों में व्यय भारत सरकार से समय–समय पर प्राप्त दिशा–निर्देशों तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुसार के अनुरूप किया जायेगा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि मण्डल स्तरीय अधिकारियों हेतु अवमुक्त धनराशि को जिला स्वास्थ्य समिति के खाते से मण्डलीय अपर निदेशक–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को ससमय स्थानान्तरण करवाना सुनिश्चित करें

7. राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम

क्षय रोग के उपचार एवं रोकथाम हेतु राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम वर्ष 1962 में प्रारम्भ किया गया था। राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम की उपलब्धियों की समीक्षा के आवश्यक संशोधन करते हुए वर्ष 1997 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया तथा वर्ष 2006 में पूरे देश को पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम से आच्छादित किया गया। अप्रैल 2020 से राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम से आच्छादित किया गया है।

वर्तमान में क्षय रोग के प्रभावी नियंत्रण एवं उपचार हेतु भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2025 क्षय उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मल्टी ड्रग रेजिस्टेन्ट (एम0डी0आर0) क्षय रोगियों की निःशुल्क जॉच एवं उपचार हेतु मार्च 2013 तक प्रदेश के समस्त जनपदों को पी0एम0डी0टी0 (प्रोगामेटिक मैनेजमेन्ट आफ ड्रग रेजिस्टेन्ट टी0बी0) कार्यक्रम से आच्छादित किया जा चुका है। प्रदेश में वर्तमान में 01 नेशनल रिफरेन्स लेबोरेटरी (एन0आर0एल0), 02 इन्टरमीडिएट रिफरेन्स लेबोरेटरी (आई0आर0एल0), 22 डी0आर0–टी0बी0 केन्द्र (डाट्स प्लस साईट), 06 कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब, 03 फालोअप कल्चर लैब पी0पी0पी0 (एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ, डा0 आर0एम0एल0 लखनऊ एवं एस0एम0आर0 बरेली) एवं 145 सी0बी0एन0ए0ए0टी0 लैब (कार्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट) के माध्यम से मल्टी ड्रग रेजिस्टेन्ट (एम0डी0आर0) क्षय रोगियों को जॉच एवं औषधि की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। उच्च क्षमता वाली डी0एम0सी0 एवं जिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय में 458 ट्रूनॉट मशीनें एवं 40 डिजिटल एक्सरे मशीन स्थापित एवं क्रियाशील की गई।

दिनांक 01.04.2018 से भारत सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना (न्यूट्रीशियन सपोर्ट) के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त क्षय रोगियों को डी0बी0टी0 के माध्यम से रू0 500/– प्रति माह की दर से भुगतान उपचार अवधि तक किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2018 से निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा अनिवार्य टीबी नोटीफिकेशन को बढावा देने के लिए डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) माध्यम से उनके खाते में टी0बी0 मरीज के प्रति नोटीफिकेशन पर रू0 500/– तथा मरीज का उपचार पूर्ण कराने पर रू0 500/– का प्राविधान किया गया है जो दिया जा रहा है। 22 नोडल डी0आर0टी0बी0 सेन्टर में एम0डी0आर0/एक्स0डी0आर0 (ड्रग रेजिस्टेंट) क्षय रोगियों हेतु नई औषधियॉ बीडाक्यूलीन एवं डेलामिनिड आधारित रेजेमिन दी जा रही है। भारत सरकार द्वारा 5 मेडिकल मोबाइल वैन उ0प्र0 राज्य को आंवटित /उपलब्ध करायी गयी है, जो प्रदेश के समस्त जनपदों के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में जाकर क्षय रोगियों की जॉच करायी जा रही है।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नानुसार सुविधाएॅ उपलब्ध है–

कार्यक्रम से आच्छादित जनपद	75
कार्यक्रम से आच्छादित जनसंख्या	22.85 करोड
स्टेट टी0बी0 डिमान्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (एस0टी0डी0सी0)	01 आगरा
स्टेट ड्रग स्टोर (एस0डी0एस0)	04 (आगरा, बरेली, वाराणसी एवं लखनऊ)
इन्टरमीडिएट रिफरेन्स लैबोरेटरी (आई0आर0एल0)	02 (आगरा एवं लखनऊ)
क्षेत्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (आर0टी0पी0एम0यू0)	05 (आगरा, बरेली, लखनऊ, वाराणसी एवं गोरखपुर)
टी0बी0 यूनिट (टी0यू0)	1168
बलगम परीक्षण केन्द्र (डी0एम0सी0)	2061
कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब	07 (जे0एन0यू0 अलीगढ, बी0एच0यू0 वाराणसी, एसजीपीजीआई, आरएमएल आईएमएस लखनऊ, एसआरएमएस बरेली, एलएलआरएम मेरठ, गोरखपुर)
ड्रग रेजिस्टेन्ट टी0बी0 केन्द्र (डी0आर0–टी0बी0 सेन्टर) एमडीआर टीबी वार्ड	22/22
डिस्ट्रिक्ट ड्रग रेजिस्टेन्ट टी0बी0 केन्द्र (डी0 डी0आर0–टी0बी0 सेन्टर) एमडीआर टीबी वार्ड	56/56

कार्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेसटिंग सी0बी0एन0ए0ए0टी0(जीन एक्सपर्ट) लैब	145 (समस्त 75 जनपदों में)
ट्रूनॉट मशीन	458 (उच्च क्षमता वाली डी0एम0सी0 एवं जिला चिकित्सालय / संयुक्त चिकित्सालय)
डिजिटल एक्सरे मशीन	40

कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधियों / प्राथमिकताओं का विवरण

7.1 Diagnosis and Management under Latent TB Infection Management - FMR Code 1.1.5.7

उक्त गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

7.2 TB Patient Nutritional Support under Nikshay Poshan Yojana - FMR Code 1.2.3.2

वर्ष 2018–19 में दिनांक 01.04.2018 से भारत सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना (न्यूट्रीशियन सपोर्ट) के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त क्षय रोगियों (सरकारी एवं निजी क्षेत्र) को डी0बी0टी0 के माध्यम से रू0 500.00 प्रति माह की दर से नियमानुसार निःक्षय पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट का उपयोग करते हुए डी0बी0टी0 द्वारा भुगतान किया जाना है।

7.3 Maintenance of office equipment for STC/RTPMU/ SDS/DTC/ DRTB centre and District Labs etc (under NTEP) - FMR Code 1.3.1.12

राज्य स्तरीय / आर0टी0पी0एम0यू0, लखनऊ, बरेली, आगरा एवं वाराणसी हेतु रू0 0.30 लाख प्रति केन्द्र / एस0डी0एस0 लखनऊ, बरेली, आगरा एवं वाराणसी हेतु रू0 0.20 लाख प्रति केन्द्र / डी0टी0सी0 / डी0आर0टी0बी0 सेन्टर / डी0एम0डी0 एवं जनपद स्तरीय प्रयोगशालाओं में प्रयोग किये जा रहे क्रियाशील उपकरणों के नियमानुसार रख रखाव एवं ए0एम0सी0 हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है।

7.4 Treatment Supporter Honorarium (@Rs 1000/--(3.2.3.1.1), Treatment Supporter Honorarium (@Rs 5000/-(3.2.3.1.2) & Incentive for Informant (@Rs 500/-(3.2.3.1.3)

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 में उक्त मद में आवंटित धनराशि के अनुसार जनपदों द्वारा निःक्षय पोर्टल के माध्यम से डी0बी0टी0 के माध्यम से नियमानुसार व्यय किया जायेगा।

7.5 State/District TB Forums - FMR Code 3.2.3.1.4

राज्य स्तरीय टीबी फोरम की 02 बैठक हेतु रू0 5000/– प्रति बैठक एवं जनपद स्तरीय टीबी फोरम 02 बैठक हेतु रू0 2500/– प्रति बैठक धनराशि आवंटित किया गया है। शासकीय आदेश के अनुसार राज्य / जनपद में बैठक कराना सुनिश्चित करें।

7.6 Incentive for community volunteers/Supervisors/LT etc undertaking ACF - FMR Code 3.2.3.1.4

01 चरण में एक्टिव केस फाइडिंग की गतिविधि सम्पादित करायी जायेगी, जिसके लिए राज्य स्तर से दिशा–निर्देश जनपदों को पृथक से प्रेषित की जायेगी। एक्टिव केस फाइन्डिंग की एक चरण हेतु की गतिविधि के सफल संचालन हेतु इस मद में भारत सरकार द्वारा इनसेन्टिव की दरें निम्नवत है –

1. Honorarium to the team members (Team would comprise of 3 Members) = Rs. 150 Per team member /day (Maximum for 10 days in each round)
2. Incentives to each team members for every TB Case detected in ACF round and placed on treatment = Rs. 600/team i.e. Rs. 200 per person.
3. Honorarium to one lab personal either Lab technician or Lab assistant or Sputum microscopist of DMCs in linked in ACF round for sputum examination = Rs. 150 per day (Maximum for 10 days in each round).
4. Honorarium to Team Supervisors, Rs. 300 / day (10 days in ACF round).
5. There shall be One Team Supervisor on the average on 5 teams.
6. The team supervisors shall supervise his assigned team's visits on his/ her tally sheet, ensure sputum collection and transport and compile each day's ACF Reporting format and submit it to the MOPHI.
7. There shall be One MOTC on the average on 15 teams i.e. 3 supervisors who shall ensure the work of the team supervisors by making random home visits for confirmation of the teams' field visit work. Vehicle being used under NHM for routine Monitoring and Supervision to be used by MOTC/MOIC/BMO for 5 days in each ACF round).

7.7 Community engagement activities - FMR Code 3.2.3.1.4

भारत सरकार द्वारा राज्य /जनपद स्तर एवं टी0बी0 यूनिट स्तर पर सामुदायिक सहभागिता को बढाने हेतु टी0बी0 सर्वाइवर एवं क्षेत्रीय एन0जी0ओ0 संगठनों का संवेदीकरण/पंचायती राज संस्थाओं की बैठक, टी0बी0 सर्वाइवर के साथ विभिन्न गतिविधियों इत्यादि का आयोजन कराया जाना है। भारत सरकार द्वारा उक्त गतिविधियों को क्रियान्वयन कराये जाने हेतु रू0 5000.00 प्रति टी0बी0 यूनिट की दर से धनराशि स्वीकृति की गयी है।

7.8 Civil works Under NTEP - FMR Code 5.3.14

जनपद में स्थापित डी0टी0सी0, टी0यू0, डी0एम0सी0, कल्चर डी0एस0टी0, आई0आर0एल0, डी0आर0टी0बी0 सेन्टर, सी0बी0एन0ए0ए0टी0 लैब के माइनर सिविल वर्क का कार्य आवश्यकतानुसार जनपद में उपलब्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 की गाइडलाइन के अनुसार नियमानुसार सम्पादित कराया जाय।

वित्तीय वर्ष 2021–22 भारत सरकार द्वारा 03 नवीन नोडल डी0आर0टी0बी0 सेन्टर क्रमशः राजकीय मेडिकल कालेज–बांदा, राजकीय मेडिकल कालेज–जालौन को रू0 10.00 लाख प्रति केन्द्र एवं डा0 आर0एम0एल0 संस्था–लखनऊ में नोडल डी0आर0टी0बी0 सेन्टर हेतु रू0 15.00 लाख स्थापना एवं क्रियाशील कराने हेतु प्रदान किया जा रहा है। एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ एवं जे0आई0एम0एस0 गौतम बुद्धनगर में स्थापना हेतु एक–एक कल्चर डी0एस0टी0 एवं एल0पी0ए0 प्रयोगशाला हेतु रू0 64.00 लाख प्रति प्रयोगशाला एवं राजकीय मेडिकल कालेज कानपुर नगर, राजकीय मेडिकल कालेज झांसी एवं आर0आई0एम0एस0 सैफाई इटावा में एक–एक एल0पी0ए0 प्रयोगशाला हेतु रू0 16.00 लाख प्रति केन्द्र की दर से स्वीकृति प्रदान की जा रही है। भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशानुसार उक्त इकाईयों एवं प्रयोगशालाओं की स्थापना करायी जायेगी।

प्रति एस0डी0एस0 एवं आर0टी0पी0एम0यू0 लखनऊ, बरेली, वाराणसी, आगरा एवं गोरखपुर में मेन्टीनेन्स हेतु रू0 50,000.00 प्रति केन्द्र एवं एस0टी0डी0सी0 आगरा हेतु रू0 05.00 लाख की धनराशि स्वीकृति की गयी है। आई0आर0एल0 आगरा एवं लखनऊ हेतु प्रति इकाई रू0 2.50 लाख, कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब अलीगढ, वाराणसी,एवं मेरठ हेतु प्रति इकाई 1.50 लाख एवं गोरखपुर हेतु रू0 1.00 लाख आवंटित की गई है।

7.9 Procurement of Equipment - FMR Code 6.1.6.3

इक्युपमेन्ट हेतु आर0टी0पी0एम0यू0, बरेली हेतु रू0 1.00 लाख, एस0टी0डी0सी0–आगरा हेतु रू0 6. 725 लाख, आई0आर0एल0–लखनऊ रू0 0.66 लाख, कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब–इटावा हेतु रू0 6.25 लाख तथा कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब–मेरठ हेतु रू0 11.25 लाख, कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब–गोरखपुर हेतु रू0 2.60 लाख एवं पीडियाट्रिक सेन्टर आफ एक्सीलेन्स, के0जी0एम0यू0–लखनऊ हेतु रू0 0.66 लाख स्वीकृति प्रदान की गयी है। जनपदवार आवंटित धनराशि एवं उपकरणों का विवरण निम्नवत है–

6.1.6.3 - Procurement of Equipment							
S.No	District	STC	RTPMU	STDC/ IRL/ C&DST	Paediatric CoE KGMU Lucknow	15 New CBNAAT Sites -Online UPS 5KVA- 10KVA with Batteries @ 2 lakh per site	Total in Rs.
1	Agra	0	0	672500	0	200000	872500
2	Aligarh	0	0	0	0	200000	200000
3	Allahabad	0	0	0	0	200000	200000
4	Ambedkarnagar	0	0	0	0	0	0
5	Amethi	0	0	0	0	0	0
6	Amroha(JP Nagar)	0	0	0	0	0	0
7	Auraiya	0	0	0	0	0	0
8	Azamgarh	0	0	0	0	0	0
9	Baghpat	0	0	0	0	0	0
10	Bahraich	0	0	0	0	0	0
11	Ballia	0	0	0	0	0	0
12	Balrampur	0	0	0	0	0	0
13	Banda	0	0	0	0	0	0
14	Barabanki	0	0	0	0	0	0
15	Bareilly	0	100000	0	0	200000	300000
16	Basti	0	0	0	0	0	0
17	Bijnour	0	0	0	0	0	0

6.1.6.3 - Procurement of Equipment							
S.No	**District**	**STC**	**RTPMU**	**STDC/ IRL/ C&DST**	**Paediatric CoE KGMU Lucknow**	**15 New CBNAAT Sites -Online UPS 5KVA- 10KVA with Batteries @ 2 lakh per site**	**Total in Rs.**
18	Budaun	0	0	0	0	0	0
19	Bulandsahr	0	0	0	0	0	0
20	Chandauli	0	0	0	0	0	0
21	Chitrakoot	0	0	0	0	0	0
22	Deoria	0	0	0	0	0	0
23	Etah	0	0	0	0	0	0
24	Etawah	0	0	625000	0	200000	825000
25	Faizabad	0	0	0	0	0	0
26	Farrukhabad	0	0	0	0	0	0
27	Fatehpur	0	0	0	0	0	0
28	Firozabad	0	0	0	0	0	0
29	Gautambudhnagar	0	0	0	0	200000	200000
30	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0
31	Ghazipur	0	0	0	0	0	0
32	Gonda	0	0	0	0	0	0
33	Gorakhpur	0	0	260000	0	200000	460000
34	Hamirpur	0	0	0	0	0	0
35	Hapur	0	0	0	0	0	0
36	Hardoi	0	0	0	0	0	0
37	Hathras	0	0	0	0	0	0
38	Jalaun	0	0	0	0	0	0
39	Jaunpur	0	0	0	0	200000	200000
40	Jhansi	0	0	0	0	200000	200000
41	Kannauj	0	0	0	0	0	0
42	Kanpurdehat	0	0	0	0	0	0
43	Kanpur Nagar	0	0	0	0	200000	200000
44	Kasganj (Kanshiram Nagar)	0	0	0	0	0	0
45	Kaushambhi	0	0	0	0	0	0
46	Kushinagar	0	0	0	0	0	0
47	Lakhimpur Khiri	0	0	0	0	0	0
48	Lalitpur	0	0	0	0	0	0
49	Lucknow	0	0	66000	86000	200000	352000
50	Maharajganj	0	0	0	0	0	0
51	Mahoba	0	0	0	0	0	0
52	Mainpuri	0	0	0	0	0	0
53	Mathura	0	0	0	0	200000	200000
54	Mau	0	0	0	0	0	0
55	Meerut	0	0	1125000	0	200000	1325000
56	Mirzapur	0	0	0	0	0	0
57	Moradabad	0	0	0	0	0	0
58	Muzaffarnagar	0	0	0	0	0	0
59	Pilibhit	0	0	0	0	200000	200000
60	Pratapgarh	0	0	0	0	0	0
61	Raebareli	0	0	0	0	0	0
62	Rampur	0	0	0	0	0	0
63	Saharanpur	0	0	0	0	0	0
64	Sambhal	0	0	0	0	0	0
65	Sant Kabir Nagar	0	0	0	0	0	0
66	Sant Ravidas Nagar	0	0	0	0	0	0
67	Shahjahanpur	0	0	0	0	0	0
68	Shamli	0	0	0	0	0	0
69	Sravasti	0	0	0	0	0	0
70	Siddharth Nagar	0	0	0	0	200000	200000
71	Sitapur	0	0	0	0	0	0
72	Sonbhadra	0	0	0	0	0	0
73	Sultanpur	0	0	0	0	0	0
74	Unnao	0	0	0	0	0	0
75	Varanasi	0	0	0	0	0	0
	Total	**0**	**100000**	**2748500**	**86000**	**3000000**	**5934500**

Details									
State Unit Name	**Approved Item name**	**Quantity**	**Rate per unit**	**Amount inRs.**	**State Unit Name**	**Approved Item name**	**Quanti ty**	**Rate per unit**	**Amount inRs.**
IRL Lko	UPS 1kva(2), Modem	3	2000	6000	**Paediatric**	LED HD TV	1	60000	60000

Details									
State Unit Name	**Approved Item name**	**Quantity**	**Rate per unit**	**Amount inRs.**	**State Unit Name**	**Approved Item name**	**Quanti ty**	**Rate per unit**	**Amount inRs.**
	Laptop	1	60000	60000	**CoE KGMU Lucknow**	Camera with mic and speaker for VC unit	1	19000	19000
STDC / IRL	Computer, modem, scanner, printer, UPS etc	3	70000	210000		Cables	1	7000	7000
	Lab Hot Plate for slide staining	1	100000	100000	**IRL Meerut**	Laminar Airflow	1	200000	200000
	Online US 3 KVA	1	50000	50000		Hot Plate	1	15000	15000
	AC 1.5 ton	4	75000	300000		Laboratory Refrigerator (IRL)	1	200000	200000
	Hot Blower	5	2500	12500		Horizontal Autoclave	1	250000	250000
IRL Gorakhpur	Computer, modem, scanner, printer, UPS etc	1	60000	60000		Deep Freezer (-20 C)	1	200000	200000
	Photo-copier	1	100000	100000	**C&DST UPRIMS Etawah**	Deep Freezer (-86 C)	1	500000	500000
	Laptop	1	60000	60000		BOD Incubator	1	50000	50000
	Projector	1	40000	40000		Microlitre Pipette	4	10000	40000
IRL Meerut	Computer, modem, scanner, printer, UPS etc	1	60000	60000		Ph meter	1	5000	5000
	Photo-copier	1	100000	100000		Electric micro-incinerator for loops	2	15000	30000
	Laptop	1	60000	60000	**RTPMU Bareilly**	**LCD System with Laptop @Rs 01 Lakh**	1	100000	100000
	Projector	1	40000	40000					

7.10 Equipment Maintenance - FMR Code 6.1.6.3

एस0टी0डी0सी0 आगरा एवं आई0आर0एल0—आगरा हेतु रू0 7.50 लाख, आई0आर0एल0—लखनऊ को रू0 7.50 लाख, कल्चर डी0एस0टी0 लैब—अलीगढ एवं वाराणसी हेतु रू0 5.00 लाख प्रति इकाई, कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब— गोरखपुर एवं मेरठ हेतु प्रति इकाई 2.50 लाख को इक्यूपमेंट मेन्टीनेन्स हेतु अनुमोदित की गयी है। जनपद में उपलब्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 की गाइडलाइन के अनुसार नियमानुसार धनराशि व्यय किया जाना है।

7.11 Laboratory Materials - FMR Code 6.1.6.3

उक्त मद में सामान्य क्षय रोगियों एवं एम0डी0आर0 क्षय रोगियों के बलगम परीक्षण तथा फालोअप परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं एवं जनपद स्तरीय प्रयोगशालाओं के उपयोगार्थ लैब मैटीरियल, सीबीनॉट लैब एवं आई0आर0एल0/ कल्चर डी0एस0टी0 में प्रयुक्त होने वाली सामग्री अन्य सामग्री का क्रय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 की गाइडलाइन के अनुसार नियमानुसार किया जायेगा। एक्टिव केस फाइन्डिंग की एक चरण में गतिविधि के सफल संचालन हेतु लैब मैटीरियल का व्यय इसी मद में अनुमोदित सामान्य धनराशि से किया जाना है।

आई0आर0एल0—आगरा एवं लखनऊ हेतु प्रति इकाई रू0 10.00 लाख, कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब—अलीगढ, वाराणसी, गोरखपुर एवं मेरठ हेतु प्रति इकाई रू0 5.00 लाख, कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब—इटावा एवं झांसी हेतु प्रति इकाई रू0 2.00 लाख तथा कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब—कानपुर नगर हेतु रू0 0.25 लाख आवंटित किया गया है। जनपदों को आवंटित धनराशि में उक्त धनराशि सम्मिलित है।

7.12 Procurement of Drugs - FMR Code 6.2.3.3

कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य एवं जनपद स्तरीय ईकाईयों में सेन्ट्रल टी0बी0 डिवीजन के अनुमोदन/आदेश पर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 के निर्देश पर औषधि जनपद में आवश्यकतानुसार शासकीय नीति/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 की गाईडलाइन के अनुसार, नियमानुसार सम्पादित कराया जाये।

7.13 Procurement of Vehicles - FMR Code 6.3.1

कार्यक्रम के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा जनपदों में स्वीकृत नवीन पदों के सापेक्ष एवं रिप्लेसमेंट हेतु दो पहिया वाहनों की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है, अतः विगत वर्षो में जनपदों को स्वीकृत पदों के

सापेक्ष दो पहिया वाहन के आवंटित हेतु धनराशि को कमिट कराकर नियमानुसार जनपद स्तर पर व्यय किया जाये। वित्तीय वर्ष 2020–21 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति नवीन पदों हेतु एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में जनपदों द्वारा दो पहिया वाहन की रिप्लेसमेंट हेतु नये दिशा निर्देश निर्गत किये गये है जो कि मानक मद व्हेकिल आपरेशन पीओएल (16.1.सी.1.एम) एवं व्हेकिल आपरेशन मेन्टीनेंस (16.1.ई.2.डी) से नियमानुसार किया जायेगा। जनपद स्तर पर निष्प्रयोज्य हुई 02 पहिया वाहन को नियमानुसार निष्प्रयोज्य कराना सुनिश्चित किया जाये।

7.14 Procurement of sleeves and drug boxes- FMR Code 6.3.1

कार्यक्रम के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा एम0डी0आर0 / एक्स0डी0आर0 क्षय रोगियों हेतु सम्बन्धित एस0डी0एस0 पर @ Rs75/– monthly Patient Wise Box का नियमानुसार प्राक्योरमेंट किया जाना है। जनपदों को आवंटित धनराशि में उक्त धनराशि सम्मिलित है।

7.15 Tribal Pateint Support and DRTB patients Transportation charges - FMR Code 7.5.1

कार्यक्रम के अर्न्तगत जनपद में पंजीकृत ट्राइबल क्षय रोगियों को आवागमन हेतु उपचार की अवधि में भारत सरकार द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से रू0 750.00 एक बार दिये जाने का प्राविधान किया गया है। एम0डी0आर0 / एक्स0डी0आर0 क्षय रोगियों के जॉच / भर्ती / उपचार हेतु आवागमन आदि पर व्यय महानिदेशालय के पत्र एसटीसीएस / 142 / 2009 / 2936 दिनांक 16 जनवरी 2018 के अनुरूप कराना सुनिश्चित किया जाये।

7.16 Sample Collection and Transportation Charges - FMR Code 7.5.2

महानिदेशालय के पत्र एसटीसीएस / 294 / 2019 / 14 दिनांक 01 अप्रैल 2020 के अनुरूप जनपद /अर्न्तजनपदीय स्पुटम सैम्पल कलैक्शन ट्रासपोटेशन हेतु राज्य स्तर से दिशा निर्देश निर्गत किये गये है तदानुसार भारतीय डाक सेवा से सैम्पल ट्रांसपोटेशन कराना सुनिश्चित किया जाये। जनपदवार आवंटित धनराशि द्वारा नियमानुसार व्यय किया जाये। सैम्पल ट्रांसपोर्टेशन हेतु डाक विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था / कूरियर का उपयोग बिना

7.17 Trainings under NTEP - FMR Code -9.2.3.4

राज्य एवं जनपद स्तरीय मानव संसाधन एवं कार्यक्रम से आच्छादित मेडिकल / पैरामेडिकल स्टाफ, ट्रीटमेंट सपोर्टर, सी0एच0ओ0, आयुष चिकित्सक, आर0बी0एस0के0 / आर0के0एस0के0, इत्यादि का नियमित रूप से प्रशिक्षण एवं पुर्नप्रशिक्षण एन0टी0ई0पी0 की गाडलाइन तथा समय समय पर भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में नियमानुसार सम्पादित करायी जाय। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सम्पादन स्टेट टी0बी0 डिमान्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (एस0टी0डी0सी0) आगरा एवं क्षेत्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाईयों (आर.टी.पी.एम.यू. आगरा, बरेली, वाराणसी, लखनऊ एवं गोरखपुर) के माध्यम से नियमानुसार सम्पादित करायी जाये।

समस्त जनपदों पर प्रशिक्षण गतिविधियॉ सम्पादित किये जाने हेतु भारत सरकार के सेन्ट्रल टी0बी0 डिवीजन से प्राप्त प्रशिक्षण हेतु माडयूल के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करना एवं प्रशिक्षण की सूचना स्टेट टी0बी0 डिमान्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (एस0टी0डी0सी0) आगरा एवं क्षेत्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाईयों (आर.टी.पी.एम.यू. आगरा, बरेली, वाराणसी लखनऊ एवं गोरखपुर) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

एक्टिव केस फाइन्डिंग के एक चरण के लिए गतिविधि के सफल संचालन हेतु एक वर्ष में एक बार प्रशिक्षण हेतु धनराशि अनुमोदित की गयी है, जिसका व्यय जनपदवार आवंटित धनराशि से नियमानुसार किया जाना है।

प्रशिक्षण हेतु स्टेट टी0बी0 डिमान्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (एस0टी0डी0सी0) आगरा को रू0 15.00 लाख एवं क्षेत्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाईयों (आर.टी.पी.एम.यू. आगरा, बरेली, वाराणसी एवं गोरखपुर को रू0 02.00 लाख प्रति इकाई एवं लखनऊ को रू0 04.00 लाख) उनके सम्बंधित जनपदों में आवंटित की गई है। उक्त धनराशि संबंधित जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।

राज्य / जनपद में दिये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु टी0ए0 / डी0ए0, ऑनरेरियम, रिफ्रेशमेंट, प्रशिक्षण सामाग्री इत्यादि का भुगतान नियमानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की उपलब्ध प्रशिक्षण के दिशा निर्देशो के अनुरूप नियमानुसार किया जाये। उक्त मद में जनपदवार आंवटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है।

7.18 CME Medical College - FMR Code 9.2.3.4

इस मद में जनपद स्तर पर मेडिकल कालेज में संचालित गतिविधियों का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। सम्बंधित मेडिकल कालेज में गतिविधियो को नियमानुसार सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7.19 National Disease Free Certification: Tuberculosis - FMR Code 10.5.1

प्रदेश के 25 जनपदों को वर्ष 2025 के टी0बी0 मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु टी0बी0 फ्री सर्टीफिकेशन हेतु 05 जनपद हेतु रू0 5.00 लाख प्रति जनपद स्वर्ण प्रमाणीकरण हेतु, 10 जनपदों को रू0 3.00 लाख प्रति जनपद रजत प्रमाणीकरण हेतु तथा 10 जनपदों को रू0 1.00 लाख प्रति जनपद कांस्य प्रमाणीकरण हेतु धनराशि स्वीकृति की गयी है। राज्य स्तर से जनपदों को पृथक से दिशा निर्देश निर्गत किये जायेगे।

7.20 ACSM (State & District) - FMR Code 11.3.2

कार्यक्रम के अन्तर्गत जनसामान्य को क्षय रोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य एवं जनपद स्तर पर संचालित विभिन्न गतिविधियों जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ है। जनपदों द्वारा अपने जनपद में आवश्यकतानुसार गतिविधियों को संचालित कराया जाना है। एक्टिव केस फाइन्डिंग के एक चरण में होने वाली गतिविधियो के सफल संचालन हेतु अनुमोदित धनराशि का व्यय उक्त मद से नियमानुसार किया जायेगा।

7.21 'TB Harega Desh Jeetega' Campaign - FMR Code 11.3.2

राज्य/जनपद स्तर पर जनसामान्य को क्षय रोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 'टी.बी. हारेगा देश जीतेगा' कैम्पेन के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। जनपदों द्वारा अपने जनपद में आवश्यकतानुसार गतिविधियों को संचालित कराया जाना है।

7.22 Printing (ACSM) - FMR Code 12.3.3

राज्य/जनपद स्तर पर जनसामान्य को क्षय रोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ए0सी0एस0एम0 के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। जनपदों द्वारा अपने जनपद में आवश्यकतानुसार गतिविधियों को संचालित कराया जाना है।

7.23 Printing (including 01 round of ACF) - FMR Code 12.3.3

कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य एवं जनपद स्तरीय ईकाईयों पर Revised Records and Registers एवं विभिन्न प्रपत्रों (ट्रीटमेंट कार्ड, पेशेन्ट आईडेन्टिटीकार्ड, टी0बी0 रजिस्टर, लेबोरेट्री फार्म, रेफरेल फार्म, नोटीफिकेशन फार्म, हेल्थ स्टेबलिसमेंट रजिस्ट्रेशन फार्म, ट्रान्सफर फार्म, ट्रेनिंग माड्यूल, क्वाटरिली रिपोर्ट फारमेट, एक्सन प्लान, ई0क्यू0ए0 फारमेट, पी0एम0डी0टी0 फारमेट), आर0बी0एस0के0/आर0के0एस0के0 टीमों एवं सी0एच0ओ0 हेतु प्रपत्र इत्यादि की प्रिंटिंग कराने हेतु सेन्ट्रल टी0बी0 डिवीजन, भारत सरकार से प्राप्त प्रारूप एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार, नियमानुसार सम्पादित कराया जाये।

एक्टिव केस फाइन्डिंग गतिविधि के एक चरण के सफल संचालन हेतु आवश्यक फॉरमेट की प्रिंटिंग हेतु धनराशि अनुमोदित की गयी है, जिसका व्यय इस मद से नियमानुसार किया जाना है। राज्य स्तरीय प्रिंटिग हेतु एस0टी0डी0सी0 आगरा को उक्त मद में रूपये 15 लाख की धनराशि जनपद आगरा की अनुमोदित धनराशि में सम्मिलित की गई है।

7.24 Vehicle hiring for drug transportation - FMR Code 14.2.11

जनपद स्तर पर कार्यक्रम की विविध गतिविधियॉ–जैसे डेली वेजर्स के लोडिग अनलोडिग, ड्रग बाक्स, First Line Drugs, Second Line Drugs & CBNAAT/Trunat Cartridges का ट्रान्सपोर्टेशन हेतु @Rs 2000.00 प्रति टी0बी0 यूनिट प्रति त्रैमास की दर से नियमानुसार सम्पादित कराया जाना है। उक्त गतिविधियों हेतु स्टेट ड्रग स्टोर–आगरा, बरेली एवं वाराणसी को रू0 01.00 लाख तथा लखनऊ को रूपये 02.00 लाख उनके सम्बंधित जनपद को आवंटित की गई है।

7.25 Drug transportation charges - FMR Code 14.2.12

कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तरीय ईकाई एसडीएस (स्टेट ड्रग स्टोर) पर कार्यक्रम की विविध गतिविधियॉ जैसे डेली वेजर्स के लोडिग अनलोडिग, ड्रग बाक्स, First Line Drugs, Second Line Drugs & CBNAAT/Trunat Cartridges का ट्रान्सपोर्टेशन स्टेट ड्रग स्टोर से आवश्यकतानुसार ड्रिस्ट्रिक ड्रग स्टोर तक उक्त गतिविधि हेतु स्टेट ड्रग स्टोर–आगरा, बरेली एवं वाराणसी को रूपये 02.00 लाख तथा लखनऊ को रूपये 05.00 लाख उनके सम्बंधित जनपद को आवंटित की गई है।

7.26 Any Public Private Mix (PP/NGO Support) - FMR Code 15.3.3.1

कार्यक्रम के अन्तर्गत एस0जी0पी0जी0आई0–लखनऊ, आर0एम0एल0 संस्थान–लखनऊ एवं एस0आर0एम0एस0–बरेली में फालोअप सर्विसेज (According to MOU) हेतु नियमानुसार दिया जाना है। जनपदों के राज्य/डी0एच0एस0 के माध्यम से स्वीकृत एम0ओ0यू0 के उपरान्त कार्यरत एन0जी0ओ0/पी0पी0 स्कीम हेतु धनराशि अनुमोदित की गयी है जिसका व्यय इस मद से नियमानुसार किया जाना है।

प्रदेश में निजी/सरकारी प्रयोगशालाओं में एक लाख एल0पी0ए0 जांच रू0 2000.00 प्रति टेस्ट की दर से धनराशि स्वीकृति की गयी है। उक्त गतिविधि हेतु राज्य स्तर से पृथक से दिशा–निर्देश प्रेषित किये जायेगे।

7.27 Patient Provider Support Agency-PPSA - FMR Code 15.3.3.2

भारत सरकार द्वारा राज्य के 16 जनपदों (आगरा, अलीगढ, बरेली, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुरनगर, लखनऊ, मथुरा, मरेठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सीतापुर एवं वाराणसी) को पेशेन्ट प्रोवाइडर सपोर्ट एजेन्सी (पीपीएसए) हेतु धनराशि स्वीकृति की गयी है।
उक्त गतिविधि के क्रियान्यवन हेतु राज्य स्तर से आवश्यक दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

7.28 Private Provider Incentive - FMR Code 15.3.3.3

वर्ष 2018–19 में निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा अनिवार्य टीबी नोटीफिकेशन को बढावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2018 से डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर डीबीटी माध्यम से उनके खाते में प्रति टी0बी0 मरीज के नोटीफिकेशन पर रू0 500.00 तथा मरीज का उपचार पूर्ण कराने पर रू0 500.00 का प्राविधान किया गया है।

7.29 Multi-Sectoral Collaboration Activities - FMR Code 15.3.3.4

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करने हेतु राज्य स्तर पर कार्याशालाओं का आयोजन कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है:–

15.3.3.4- Multi-sectoral collaboration activities (Any activities for collaborating with other line departments and organizations (eg: AYUSH, Directorates of Labour, Rural Development, Urban Development, Industries, PRI, Railways, Postal Department, etc)		
Sr.No	**Activity**	**Unit Cost of State Level Activities (In Rupees)**
1	AYUSH	50000.00
2	Directorates of Labour and Industries	50000.00
3	Rural Development, Urban Development	50000.00
4	PRI	50000.00
5	Railways	50000.00
6	Postal Department	50000.00
	Total	**300000.00**

7.30 Medical Colleges (Any Meetings) - FMR Code 16.1.2.1.21

कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर संचालित मेडिकल कालेज में सम्पादित की जाने वाली निम्न गतिविधियों हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जिसके सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

16.1.2.1.21- Medical College (Any Meetings)							
Sr.No	**District**	**Number of MC**	**Core Committee meeting cost @10000**	**Organizational cost for STF Meeting @75000**	**OR Committee meeting Cost @40000**	**Organization of State OR Workshop @150000**	**In Rupees**
1	Agra	1	10000	0	0	0	10000
2	Aligarh	1	10000	0	0	0	10000
3	Allahabad	1	10000	0	0	0	10000
4	Ambedkarnagar	1	10000	0	0	0	10000
5	Amethi	0	0	0	0	0	0
6	Amroha(JP Nagar)	1	10000	0	0	0	10000
7	Auraiya	0	0	0	0	0	0
8	Azamgarh	1	10000	0	0	0	10000
9	Baghpat	0	0	0	0	0	0
10	Bahraich	1	10000	0	0	0	10000
11	Ballia	0	0	0	0	0	0
12	Balrampur	0	0	0	0	0	0
13	Banda	1	10000	0	0	0	10000

16.1.2.1.21- Medical College (Any Meetings)							
Sr.No	**District**	**Number of MC**	**Core Committee meeting cost @10000**	**Organizational cost for STF Meeting @75000**	**OR Committee meeting Cost @40000**	**Organization of State OR Workshop @150000**	**In Rupees**
14	Barabanki	2	20000	0	0	0	20000
15	Bareilly	3	30000	0	0	0	30000
16	Basti	1	10000	0	0	0	10000
17	Bijnour	0	0	0	0	0	0
18	Budaun	1	10000	0	0	0	10000
19	Bulandsahr	0	0	0	0	0	0
20	Chandauli	0	0	0	0	0	0
21	Chitrakoot	0	0	0	0	0	0
22	Deoria	0	0	0	0	0	0
23	Etah	0	0	0	0	0	0
24	Etawah	1	10000	0	0	0	10000
25	Faizabad	1	10000	0	0	0	10000
26	Farrukhabad	0	0	0	0	0	0
27	Fatehpur	0	0	0	0	0	0
28	Firozabad	2	20000	0	0	0	20000
29	Gautambudhnagar	2	20000	0	0	0	20000
30	Ghaziabad	1	10000	0	0	0	10000
31	Ghazipur	0	0	0	0	0	0
32	Gonda	0	0	0	0	0	0
33	Gorakhpur	1	10000	0	0	0	10000
34	Hamirpur	0	0	0	0	0	0
35	Hapur	3	30000	0	0	0	30000
36	Hardoi	0	0	0	0	0	0
37	Hathras	0	0	0	0	0	0
38	Jalaun	1	10000	0	0	0	10000
39	Jaunpur	0	0	0	0	0	0
40	Jhansi	1	10000	0	0	0	10000
41	Kannauj	1	10000	0	0	0	10000
42	kanpurdehat	0	0	0	0	0	0
43	Kanpur Nagar	2	20000	0	0	0	20000
44	Kasganj (Kanshiram Nagar)	0	0	0	0	0	0
45	Kaushambhi	0	0	0	0	0	0
46	Kushinagar	0	0	0	0	0	0
47	Lakhimpur Khiri	0	0	0	0	0	0
48	Lalitpur	0	0	0	0	0	0
49	Lucknow	8	80000	0	0	0	80000
50	Maharajganj	0	0	0	0	0	0
51	Mahoba	0	0	0	0	0	0
52	Mainpuri	0	0	0	0	0	0
53	Mathura	1	10000	0	0	0	10000
54	Mau	0	0	0	0	0	0
55	Meerut	2	20000	0	0	0	20000
56	Mirzapur	0	0	0	0	0	0
57	Moradabad	1	10000	0	0	0	10000
58	Muzaffarnagar	1	10000	0	0	0	10000
59	Pilibhit	0	0	0	0	0	0
60	Pratapgarh	0	0	0	0	0	0
61	Raebareli	0	0	0	0	0	0
62	Rampur	0	0	0	0	0	0
63	Saharanpur	1	10000	0	0	0	10000
64	Sambhal	0	0	0	0	0	0
65	Sant Kabir Nagar	0	0	0	0	0	0
66	Sant Ravidas Nagar	0	0	0	0	0	0
67	Shahjahanpur	2	20000	0	0	0	20000
68	Shamli	0	0	0	0	0	0
69	Shravasti	0	0	0	0	0	0
70	Siddharth Nagar	0	0	0	0	0	0
71	Sitapur	1	10000	0	0	0	10000
72	Sonbhadra	0	0	0	0	0	0
73	Sultanpur	0	0	0	0	0	0
74	Unnao	1	10000	0	0	0	10000
75	Varanasi	2	20000	0	0	0	20000
	Total	**51**	**510000**	0	0	0	**510000**

7.31 Supervision and Monitoring - FMR Code 16.1.2.2.13

कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य एवं जनपद स्तरीय ईकाईयों पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की सुपरवीजन एण्ड मानीटरिंग आदि गतिविधियों हेतु भ्रमण का व्यय एन0एच0एम0 की गाइडलाइन के अनुरूप किया जायेगा जिसका व्यय इस मद से नियमानुसार किया जाना है।

एस0टी0डी0सी0 आगरा/आई0आर0एल0 आगरा को रु0 5.00 लाख तथा आई0आर0एल0 लखनऊ को 05 लाख, कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब गोरखपुर मेरठ को प्रति केन्द्र एक लाख तथा आर0टी0पी0एम0यू0 आगरा, बरेली, वाराणसी एवं लखनऊ को रु0 2.00 लाख प्रति इकाई, आर0टी0पी0एम0यू0 गोरखपुर को 01 लाख उनके जनपद के बजट में सम्मिलित किया गया है।

7.32 Vehicle Operation (POL) - FMR Code 16.1.3.1.13

राज्य एवं जनपद स्तरीय ईकाईयों पर उपलब्ध सरकारी चार पहिया वाहन एवं 02 पहिया वाहन के पी0ओ0एल0 का व्यय राज्य स्तर की गाडलाइन के अनुसार, नियमानुसार सम्पादित कराया जाये। पी0ओ0एल0 के भुगतान हेतु कर्मचारियों के द्वारा स्वयं दिए गये "Paid by me" के बीजक नियमानुसार भुगतान हेतु मान्य नही होंगे, इस सम्बन्ध में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा लागू की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

कार्यक्रम के अर्न्तगत जनपदों में स्वीकृति 371 नवीन पदों के सापेक्ष एवं 197 रिप्लेसमेंट हेतु दो पहिया वाहनों के क्रय हेतु स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी है। अतः वित्तीय वर्ष 2020–21 में 371 नवीन एस0टी0एस0 एवं एस0टी0एल0एस0 की नियुक्ति के उपरान्त तथा जनपद द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर 197 दो पहिया रिप्लेसमेंट वाहन हेतु कर्मचारियों को अपना स्वयं का दो पहिया वाहन उपयोग किया जायेगा, जिसकी सूचना एवं उक्त दो पहिया वाहनों की सूचना (गाडी का रजिस्ट्रेशन नं0, इन्श्योरेन्स, वायुप्रदूषण इत्यादि) जिला क्षय रोग अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी तथा इनको पी0ओ0एल0 का भुगतान रू0 40,000.00 की दर से प्रति वर्ष अन्य कर्मचारियों की भॉति देय होगा। उक्त मद में जनपदवार आंवटित धनराशि का विवरण निम्नवत हैः–

16.1.3.1.13 - Vehicle Operation (POL)						
Sr.No.	**District**	**DTO @Rs 240000/year**	**MMV POL and Maintanance**	**PPM/DPTC/STLS /STS@40000**	**STDC/ STC**	**Total (In Rupees)**
1	Agra	0	0	1575000	240000	1815000
2	Aligarh	0	0	1395000	0	1395000
3	Allahabad	0	0	2145000	0	2145000
4	Ambedkarnagar	0	100000	820000	0	920000
5	Amethi	0	100000	705000	0	805000
6	Amroha(JP Nagar)	0	0	730000	0	730000
7	Auraiya	0	0	510000	0	510000
8	Azamgarh	0	100000	1525000	0	1625000
10	Bahraich	0	0	1135000	0	1135000
11	Ballia	0	100000	1100000	0	1200000
12	Balrampur	0	0	745000	0	745000
13	Banda	0	0	685000	0	685000
14	Barabanki	0	0	1190000	0	1190000
15	Bareilly	0	0	1645000	0	1645000
16	Basti	0	0	905000	0	905000
17	Bijnour	0	0	1360000	0	1360000
18	Budaun	0	0	1165000	0	1165000
19	Bulandsahr	0	0	1190000	0	1190000
20	Chandauli	0	0	690000	0	690000
21	Chitrakoot	0	0	425000	0	425000
22	Deoria	0	0	1085000	0	1085000
23	Etah	0	0	630000	0	630000
24	Etawah	0	0	725000	0	725000
25	Faizabad	0	100000	890000	0	990000
26	Farrukhabad	0	0	800000	0	800000
27	Fatehpur	0	0	935000	0	935000
28	Firozabad	0	0	895000	0	895000
29	Gautambudhnagar	240000	0	620000	0	860000
30	Ghaziabad	240000	0	1075000	0	1315000
31	Ghazipur	0	100000	1235000	0	1335000

16.1.3.1.13 - Vehicle Operation (POL)						
Sr.No.	**District**	**DTO @Rs 240000/year**	**MMV POL and Maintanance**	**PPM/DPTC/STLS /STS@40000**	**STDC/ STC**	**Total (In Rupees)**
32	Gonda	0	0	1100000	0	1100000
33	Gorakhpur	0	100000	1620000	0	1720000
34	Hamirpur	0	0	465000	0	465000
35	Hapur	0	0	510000	0	510000
36	Hardoi	0	0	1460000	0	1460000
37	Hathras	0	0	570000	0	570000
38	Jalaun	0	0	630000	0	630000
39	Jaunpur	0	0	1570000	0	1570000
40	Jhansi	0	0	730000	0	730000
41	Kannauj	0	0	645000	0	645000
42	kanpurdehat	0	0	655000	0	655000
43	Kanpur Nagar	240000	0	1610000	0	1850000
44	Kasganj (Kanshiram Nagar)	0	0	525000	0	525000
45	Kaushambhi	0	100000	570000	0	670000
46	Kushinagar	0	100000	1270000	0	1370000
47	Lakhimpur Khiri	0	0	1385000	0	1385000
48	Lalitpur	0	0	525000	0	525000
49	Lucknow	240000	0	1725000	0	1965000
50	Maharajganj	0	100000	895000	0	995000
51	Mahoba	0	0	425000	0	425000
52	Mainpuri	0	0	685000	0	685000
53	Mathura	0	0	890000	0	890000
54	Mau	0	0	755000	0	755000
55	Meerut	240000	0	1215000	0	1455000
56	Mirzapur	0	0	870000	0	870000
57	Moradabad	0	0	1070000	0	1070000
58	Muzaffarnagar	0	0	970000	0	970000
59	Pilibhit	0	0	730000	0	730000
60	Pratapgarh	240000	100000	1130000	0	1470000
61	Raebareli	240000	100000	985000	0	1325000
62	Rampur	0	0	865000	0	865000
63	Saharanpur	0	0	1215000	0	1215000
64	Sambhal	0	0	730000	0	730000
65	Sant Kabir Nagar	0	100000	610000	0	710000
66	Sant Ravidas Nagar	0	0	610000	0	610000
67	Shahjahanpur	0	0	1040000	0	1040000
68	Shamli	0	0	525000	0	525000
69	Shravasti	0	0	445000	0	445000
70	Siddharth Nagar	0	100000	815000	0	915000
71	Sitapur	240000	0	1550000	0	1790000
72	Sonbhadra	0	0	745000	0	745000
73	Sultanpur	0	100000	865000	0	965000
74	Unnao	0	0	1090000	0	1090000
75	Varanasi	0	0	1365000	0	1365000
	Total	**2160000**	**1500000**	**71695000**	**240000**	**75595000**

7.33 Vehicle Hiring - FMR Code 16.1.3.1.14

राज्य एवं जनपद स्तरीय ईकाईयों पर कार्यक्रम के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु वेहिकल हायरिंग का व्यय राज्य/जनपद में राष्ट्रीय स्वस्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की गाडलाइन के अनुसार, सम्पादित कराया जाये। उक्त मद में अनुमोदित धनराशि निम्नवत है–

16.1.3.1.14 - Vehicle Hiring						
Sr.No.	**District**	**DTO (1500*25 days) per month**	**DyDTO,MOTC DTC, DPC etc (1500*8days) per month**	**RTPMU (1500*25 days) per month**	**State HQ / STDC (1500*25 days) per month**	**Total (In Rupees)**
1	Agra	450000	144000	450000	450000	1494000
2	Aligarh	450000	144000	0	0	594000
3	Allahabad	450000	144000	0	0	594000

16.1.3.1.14 - Vehicle Hiring						
Sr.No.	**District**	**DTO (1500*25 days) per month**	**DyDTO,MOTC DTC, DPC etc (1500*8days) per month**	**RTPMU (1500*25 days) per month**	**State HQ / STDC (1500*25 days) per month**	**Total (In Rupees)**
4	Ambedkarnagar	450000	144000	0	0	594000
5	Amethi	450000	144000	0	0	594000
6	Amroha(JP Nagar)	450000	144000	0	0	594000
7	Auraiya	450000	144000	0	0	594000
8	Azamgarh	450000	144000	0	0	594000
9	Baghpat	0	144000	0	0	144000
10	Bahraich	450000	144000	0	0	594000
11	Ballia	450000	144000	0	0	594000
12	Balrampur	450000	144000	0	0	594000
13	Banda	450000	144000	0	0	594000
14	Barabanki	450000	144000	0	0	594000
15	Bareilly	450000	144000	450000	0	1044000
16	Basti	450000	144000	0	0	594000
17	Bijnour	450000	144000	0	0	594000
18	Budaun	450000	144000	0	0	594000
19	Bulandsahr	450000	144000	0	0	594000
20	Chandauli	450000	144000	0	0	594000
21	Chitrakoot	450000	144000	0	0	594000
22	Deoria	450000	144000	0	0	594000
23	Etah	450000	144000	0	0	594000
24	Etawah	450000	144000	0	0	594000
25	Faizabad	450000	144000	0	0	594000
26	Farrukhabad	450000	144000	0	0	594000
27	Fatehpur	450000	144000	0	0	594000
28	Firozabad	450000	144000	0	0	594000
29	Gautambudhnagar	0	144000	0	0	144000
30	Ghaziabad	0	144000	0	0	144000
31	Ghazipur	450000	144000	0	0	594000
32	Gonda	450000	144000	0	0	594000
33	Gorakhpur	450000	144000	450000	0	1044000
34	Hamirpur	450000	144000	0	0	594000
35	Hapur	450000	144000	0	0	594000
36	Hardoi	450000	144000	0	0	594000
37	Hathras	450000	144000	0	0	594000
38	Jalaun	450000	144000	0	0	594000
39	Jaunpur	450000	144000	0	0	594000
40	Jhansi	450000	144000	0	0	594000
41	Kannauj	450000	144000	0	0	594000
42	Kanpurdehat	450000	144000	0	0	594000
43	Kanpur Nagar	0	144000	0	0	144000
45	Kaushambhi	450000	144000	0	0	594000
46	Kushinagar	450000	144000	0	0	594000
47	Lakhimpur Khiri	450000	144000	0	0	594000
48	Lalitpur	450000	144000	0	0	594000
49	Lucknow	0	144000	450000	0	594000
50	Maharajganj	450000	144000	0	0	594000
51	Mahoba	450000	144000	0	0	594000
52	Mainpuri	450000	144000	0	0	594000
53	Mathura	450000	144000	0	0	594000
54	Mau	450000	144000	0	0	594000
55	Meerut	0	144000	0	0	144000
56	Mirzapur	450000	144000	0	0	594000
57	Moradabad	450000	144000	0	0	594000
58	Muzaffarnagar	450000	144000	0	0	594000
59	Pilibhit	450000	144000	0	0	594000
60	Pratapgarh	0	144000	0	0	144000
61	Raebareli	0	144000	0	0	144000

16.1.3.1.14 - Vehicle Hiring						
Sr.No.	**District**	**DTO (1500*25 days) per month**	**DyDTO,MOTC DTC, DPC etc (1500*8days) per month**	**RTPMU (1500*25 days) per month**	**State HQ / STDC (1500*25 days) per month**	**Total (In Rupees)**
62	Rampur	450000	144000	0	0	594000
63	Saharanpur	450000	144000	0	0	594000
64	Sambhal	450000	144000	0	0	594000
65	Sant Kabir Nagar	450000	144000	0	0	594000
66	Sant Ravidas Nagar	450000	144000	0	0	594000
67	Shahjahanpur	450000	144000	0	0	594000
68	Shamli	450000	144000	0	0	594000
69	Shravasti	450000	144000	0	0	594000
70	Siddharth Nagar	450000	144000	0	0	594000
71	Sitapur	0	144000	0	0	144000
72	Sonbhadra	450000	144000	0	0	594000
73	Sultanpur	450000	144000	0	0	594000
74	Unnao	450000	144000	0	0	594000
75	Varanasi	450000	144000	450000	0	1044000
	Total	**29700000**	**10800000**	**2250000**	**450000**	**43200000**

7.34 Medical Colleges (Miscellaneous) - FMR Code 16.1.3.3.12

कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तरीय स्थित सरकारी एवं निजी मेडिकल कालेजों में स्थित कार्यालय को आवश्यक स्टेशनरी, प्रिन्टर कार्टेज, फोटोकापी इत्यादि हेतु प्रति इकाई रू0 12000.00 प्रति वर्ष का स्वीकृति प्रदान हुई है जिसका व्यय जनपद में राष्ट्रीय स्वस्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की गाडलाइन के अनुसार, नियमानुसार सम्पादित कराया जाये।

7.35 Office Operation (Miscellaneous) - FMR Code 16.1.4.1.10

कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य स्तरीय ईकाईयॉ (**DRTB Centre, RTPMU IRL/C&DST Lab, STDC & SDS**) एवं जनपद स्तरीय ईकाईयों पर कार्यक्रम की विविध गतिविधियो जैसे कि कार्यालय का रेन्ट, दूरभाष, फैक्स, इन्टरनेट डाक व्यय इत्यादि हेतु व्यय एन0एच0एम0 उ0प्र0 की गाडलाइन के अनुसार तथा नियमानुसार सम्पादित कराया जाय।

भारत सरकार से प्राप्त 3058 टैबलेट हेतु सी0यू0जी0 सिम कार्ड एंव उसके इंटरनेट सुविधा हेतु रू0 2500 प्रति सी0यू0जी0 सिम की वार्षिक दर से धनराशि अनुमोदित की गयी है जिसका व्यय इस मद से नियमानुसार किया जाना है।

एक्टिव केस फाइन्डिंग की गतिविधि के सफल संचालन हेतु मिसलेनियस व्यय इस मद में अनुमोदित समान्य धनराशि से किया जाना है।

जनपद में स्थित राज्य स्तरीय ईकाई एस0टी0डी0सी0/आईआरएल, आगरा एवं आई0आर0एल0 लखनऊ हेतु हेतु रू0 10.00 लाख, कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब (अलीगढ, वाराणसी मेरठ एवं गोरखपुर) हेतु रू0 05.00 लाख प्रति इकाई, कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब झांसी एवं इटावा हेतु रू0 01.00 लाख प्रति इकाई, आर0टी0पी0एम0यू0 आगरा, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर एवं वाराणसी को रू0 01.00 लाख प्रति इकाई तथा एस0डी0एस0 आगरा, बरेली, लखनऊ एवं वाराणसी को रू0 50,000.00 प्रति इकाई की दर से धनराशि इनके सम्बन्धित जनपदों के बजट में सम्मिलित की गई है।

7.36 Vehicle Operation (Maintenance) - FMR Code 16.1.5.2.4

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अर्न्तगत जनपदों में स्वीकृति 371 नवीन पदों के सापेक्ष एवं 197 रिप्लेसमेंट हेतु दो पहिया वाहनों के क्रय हेतु स्वीकृति प्रदान नही की गयी है। अतः इन कर्मचारियों द्वारा अपना स्वयं का दो पहिया वाहन का उपयोग किया जायेगा, जिसकी सूचना (गाडी का रजिस्ट्रेशन नं0, इन्श्योरेन्स, प्रदूषण इत्यादि) जिला क्षय रोग अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी तथा इनको उक्त मद से निजी दो पहिया वाहन के मेन्टीनेन्स, इन्श्योरेन्स, प्रदूषण इत्यादि हेतु प्रति कर्मचारी प्रतिमाह रू0 1500.00 की दर से नियमानुसार देय होगा। उक्त मद में जनपदवार आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत हैः–

16.1.5.2.4 - Vehicle Operation (Maintainance)						
Sr.No.	**District**	**New**	**Replacement**	**Maintenance @ Rs 1500 month for New for 06 months**	**Maintenance @ Rs 1500 month for Replacement for 12 months**	**Total in Rupees**
1	Agra	11	15	99000	270000	369000
2	Aligarh	7	0	63000	0	63000

16.1.5.2.4 - Vehicle Operation (Maintainance)						
Sr.No.	**District**	**New**	**Replacement**	**Maintenance @ Rs 1500 month for New for 06 months**	**Maintenance @ Rs 1500 month for Replacement for 12 months**	**Total in Rupees**
3	Allahabad	10	15	90000	270000	360000
4	Ambedkarnagar	6	3	54000	54000	108000
5	Amethi	3	0	27000	0	27000
6	Amroha(JP Nagar)	3	4	27000	72000	99000
7	Auraiya	9	0	81000	0	81000
8	Azamgarh	3	0	27000	0	27000
9	Baghpat	11	3	99000	54000	153000
10	Bahraich	6	0	54000	0	54000
11	Ballia	3	0	27000	0	27000
12	Balrampur	2	4	18000	72000	90000
13	Banda	5	0	45000	0	45000
14	Barabanki	9	4	81000	72000	153000
15	Bareilly	3	0	27000	0	27000
16	Basti	7	5	63000	90000	153000
17	Bijnour	4	0	36000	0	36000
18	Budaun	5	0	45000	0	45000
19	Bulandsahr	4	6	36000	108000	144000
20	Chandauli	1	0	9000	0	9000
21	Chitrakoot	4	0	36000	0	36000
22	Deoria	3	0	27000	0	27000
23	Etah	2	0	18000	0	18000
24	Etawah	4	5	36000	90000	126000
25	Faizabad	0	6	0	108000	108000
26	Farrukhabad	6	0	54000	0	54000
27	Fatehpur	4	0	36000	0	36000
28	Firozabad	6	0	54000	0	54000
29	Gautambudhnagar	7	0	63000	0	63000
30	Ghaziabad	7	5	63000	90000	153000
31	Ghazipur	8	0	72000	0	72000
32	Gonda	8	5	72000	90000	162000
33	Gorakhpur	1	3	9000	54000	63000
34	Hamirpur	3	1	27000	18000	45000
35	Hapur	8	1	72000	18000	90000
36	Hardoi	4	0	36000	0	36000
37	Hathras	3	0	27000	0	27000
38	Jalaun	9	1	81000	18000	99000
39	Jaunpur	4	3	36000	54000	90000
40	Jhansi	4	0	36000	0	36000
41	Kannauj	2	0	18000	0	18000
42	kanpurdehat	4	0	36000	0	36000
43	Kanpur Nagar	9	11	81000	198000	279000
44	Kasganj (Kanshiram Nagar)	2	0	18000	0	18000
45	Kaushambhi	4	0	36000	0	36000
46	Kushinagar	8	0	72000	0	72000
47	Lakhimpur Khiri	7	6	63000	108000	171000
48	Lalitpur	2	0	18000	0	18000
49	Lucknow	9	11	81000	198000	279000
50	Maharajganj	6	5	54000	90000	144000
51	Mahoba	1	2	9000	36000	45000
52	Mainpuri	2	4	18000	72000	90000
53	Mathura	4	10	36000	180000	216000
54	Mau	5	5	45000	90000	135000
55	Meerut	6	0	54000	0	54000
56	Mirzapur	3	6	27000	108000	135000
57	Moradabad	5	0	45000	0	45000
58	Muzaffarnagar	4	1	36000	18000	54000
59	Pilibhit	4	7	36000	126000	162000

16.1.5.2.4 - Vehicle Operation (Maintainance)						
Sr.No.	**District**	**New**	**Replacement**	**Maintenance @ Rs 1500 month for New for 06 months**	**Maintenance @ Rs 1500 month for Replacement for 12 months**	**Total in Rupees**
60	Pratapgarh	4	6	36000	108000	144000
61	Raebareli	8	0	72000	0	72000
62	Rampur	3	5	27000	90000	117000
63	Saharanpur	6	0	54000	0	54000
64	Sambhal	4	2	36000	36000	72000
65	Sant Kabir Nagar	4	0	36000	0	36000
66	Sant Ravidas Nagar	4	3	36000	54000	90000
67	Shahjahanpur	7	10	63000	180000	243000
68	Shamli	2	0	18000	0	18000
69	Shravasti	2	0	18000	0	18000
70	Siddharth Nagar	6	1	54000	18000	72000
71	Sitapur	10	5	90000	90000	180000
72	Sonbhadra	1	5	9000	90000	99000
73	Sultanpur	3	0	27000	0	27000
74	Unnao	4	2	36000	36000	72000
75	Varanasi	9	1	81000	18000	99000
	Total	**371**	**197**	**3339000**	**3546000**	**6885000**

एक्टिव केस फाइडिंग कैम्पेन की एक चरण में विविध गतिविधियों हेतु मदवार दिशा निर्देश

S.N	**New FMR Code (Approved ROP 2021-22)**	**Activity Budget Head**	**Activity**
1.	Procurement (6.1.6.3 Laboratory Materials)	Laboratory Materials From routine NTEP budget	Purchase of sputum containers, reagents, slides, sling bags and other lab consumables etc as per NTEP guidelines for target population.
2	Community Interventions (3.2.3.1.4 Honorarium/Counselling Charges for NTEP)	Incentives (Honorarium) From community incentives from ACF Budget	The incentives to • The Field team members • Lab technician earmarked for microscopy of samples collected by field teams during ACF round • Honorarium to Team Supervisors, Rs. 300 / day (10 days in ACF round).
3.	Training & Capacity Building (9.2.3.4 Trainings under NTEP)	Training/Sensitizatio n From routine NTEP budget	Funds for training of ACF personnel *1.* All MOs of the district – Training @ District Level *2.* All NTEP Staff – Training @ District Level *3.* LT of all DMCs – Training @ District Level *4.* Field team members – Training @ TU/ Block Level
4.	Printing (12.3.3)	Printing From routine NTEP budget	Printing material for ACF (reporting Formats, Tally sheets etc)
5.	ACSM 11.3.2 & Printing (ACSM) 12.3.3	IEC/ ACSM Activities From ACF Budget	Hoardings, Banners, Wall Paintings, Posters, Pamphlets, Stickers for house door, Certificates to be given as part of school activity, etc)and other activities as enumerated below. As per the district need from the allocated budzet in the head.

7.37 Human resource - Service Delivery / Human resources for NTEP drug store (14.1.1.2)/ Human Resource- Programme Management

कार्यक्रम के अर्न्तगत इस मद में राज्य एवं जनपद स्तर पर कार्यरत संविदा अधिकारियो/कर्मचारियों के पदों पर मानदेय की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका भुगतान भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 2021–22 के अनुसार, नियमानुसार देय होगा।

कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुमोदित मानदेय (मूल मानदेय + लॉयल्टि बोनस (यदि लागू हो) एंव 5 प्रतिशत वार्षिक वेतनवृद्धि) के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित मानदेय मे संविदा कर्मियों को संतोषजनक परफारमेन्स के अधार पर 5 प्रतिशत वेतन वृद्धि नियमानुसार देय होगा। वित्तीय वर्ष 2021–22 में जनपद को उपलब्ध करायी गयी धनराशि में मासिक मानदेय, 5 प्रतिशत वार्षिक वेतनवृद्धि (यदि लागू हो) तथा ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0/ जी0एस0टी0 (यदि लागू हो) में सम्मिलित है तथा यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार नियमानुसार देय होगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत एस0टी0डी0सी0 आगरा हेतु मानव संसाधन आउटसोर्सिंग निम्न तालिका के क्रमांक 25 एवं 29 से 38 तक के मानदेय की धनराशि जनपद आगरा में सम्मिलित की गयी है।

Service Delivery के मद में मानव संसाधन में स्वीकृत पदो के सापेक्ष रिक्त पदों का 06 माह के मानदेय एंव प्रोग्राम मेन्जमेंट के मद में मानव संसाधन के एफ0एम0आर0 कोड 16.4.2.2.4, 16.4.2.2.5, 16.4.2.2.6 एवं 16.4.2.2.7 में स्वीकृत पदो के सापेक्ष रिक्त पदों का 02 माह के मानदेय की धनराशि सम्बन्धित जनपदों में सम्मिलित की गयी है।

मानदेय वार्षिक वेतन वृद्धि संविदा कर्मियों के 01 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने एवं कार्य मूल्यांकन के आधार पर जनपद स्तर पर सक्षम समिति द्वारा लिये गये निर्णय के उपरान्त प्रदान की जाय तथा वार्षिक वेतनवृद्धि योगदान के माह की पहली तारीख से प्रभावी होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की मानदेय वृद्धि भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 वर्ष 2021–22 में अनुमन्य नहीं की गयी है।

8. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

उद्देश्य

प्रदेश में कुष्ठ रोग के उन्मूलन अर्थात रोग की व्यापकता दर राज्य, जनपद स्तर तथा विकास खण्ड पर 01 रोगी प्रति 10,000 जनसंख्या लाने एवं कुष्ठ रोग जनित विकलांगता (ग्रेड–2) का स्तर प्रति 10,00,000 जनसंख्या में 01 रोगी से भी कम का स्तर प्राप्त किया जाने एवं कोई भी नया कुष्ठ रोग से प्रभावित बच्चा विकलांग न होने पाये के राष्ट्रीय संकल्प के अन्तर्गत संचालित है। वर्ष 2020-21 के अन्त में प्रदेश की कुष्ठ रोग की औसत व्यापकता दर 0.30 रोगी प्रति 10,000 जनसंख्या है और **75** जनपदों में कुष्ठ रोग के निवारण का स्तर मार्च, 2021 के अन्त में प्राप्त कर लिया गया है।

प्रदेश मे कुष्ठ रोग की वर्तमान स्थिति

प्रदेश में वर्ष 1985-94 तक मल्टी ड्रग थेरेपी रेजीमेन परियोजना का विस्तार चरणबद्ध ढंग से किया गया और दिनांक 1-4-1995 से सम्पूर्ण प्रदेश में कुष्ठ रोग का उपचार मल्टी ड्रग थेरेपी रेजीमेन द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया, जिसके सुपरिणाम निम्नवत हैं :–

क्रमांक	विवरण	मार्च, 83 के अंत में	मार्च, 2021 के अंत में
1	अभिलेखित कुष्ठ रोगी	1,87,414	7,248
2	कुष्ठ रोग की व्यापकता दर	52.7/10,000	0.30/10,000
3	नये खोजे रोगियों में विकलांगता दर	9.3 %	1.10
4	शिशु दर	12.3 %	2.16
5.	विकलांगता दर प्रति 10,00,000 जनसंख्या पर	-	0.41

कुष्ठ रोग की व्यापकता एवं विकलांगता दर वार जनपदों का विवरण

यद्यपि गत वर्षों मे कुष्ठ रोग के रोगियों की संख्या मे पर्याप्त कमी आई है, फिर भी अभी **01** जनपद में व्यापकता दर अभी भी 1/10,000 जनसंख्या से कम किया जाना है एवं राज्य स्तर पर कुष्ठ रोग जनित विकलांगता (ग्रेड–2) का स्तर प्रति 10,00,000 जनसंख्या में 01 रोगी से भी कम का स्तर प्राप्त किया चुका है तथा जनपद स्तर पर प्रयास किया जा रहा है।

विकलांगता (प्रति 10,00,000 जनसंख्या पर)	
वित्तीय वर्ष 2019–20 (मार्च, 2020)	0.67/10,00,000 Population
वित्तीय वर्ष 2020–21 (मार्च, 2021)	0.41/10,00,000 Population

वर्ष 2021–22 की महत्वपूर्ण गतिविधियॉ

नियमित कार्य

- जिला कुष्ठ अधिकारी एवं कुष्ठ नाभिक प्रति माह कम से कम 10 दिन क्षेत्रीय भ्रमण करेगें।
- भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारियों के कार्य का मूल्यॉकन कर, पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन प्रदान कर उनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। नये खोजे गये रोगियों में 10% का सत्यापन (Validation) कुष्ठ रोगियों के घर जाकर किया जायेगा।
- प्रत्येक नये रोगी के घर स्वास्थ्य कर्मी/आशा जायेगें तथा परिवार वालों तथा आस पास के 10 घरों मे रहने वाले सभी सदस्यो मे कुष्ठ के लक्षण हेतु परीक्षण करेगें (हेल्दी कॉन्टेक्ट) तदोपरान्त उसका अंकन पेशन्ट कार्ड में करेगें।
- सभी कुष्ठ प्रभावित ग्रेड–1 एवं 2 विकलांगता के मरीजों को चिन्हित कर डिसेबिलिटी रजिस्टर में अंकित करेंगे। समय–समय पर उनको सेल्फ केयर हेतु प्रेरित करेंगे एवं आवश्यक सामग्री – सेल्फ केयर किट (मरहम पट्टी, आदि) एवं एम0सी0आर0 चप्पल वर्ष में उपलब्ध करायेंगे। रिकान्सट्रक्टिव सर्जरी हेतु रोगियों को चिन्हित कर उन्हें रिकान्स्ट्रक्टिव सर्जरी हेतु प्रेरित करेंगे।
- जिला कुष्ठ अधिकारी एम.डी.टी. एवं रिएक्शन/ग्रेड–। अथवा डिसैब्लिटी के उपचार/नियंत्रण हेतु प्रेडिनीसोलोन एवं क्लोफैजामीन आदि दवाईयों की उपलब्धता सभी अस्पतालों में सुनिश्चित करेंगे।

- कुष्ठ कालोनियों में रहने वाले व्यक्तियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यकतानुसार एम0सी0आर0 चप्पल, एड एण्ड एप्लायन्स, सेल्फ केयर किट इत्यादि प्रदान करेंगे।

कुष्ठ रोगियों की खोज एवं प्रबन्धन

इस कार्य में आशा का सहयोग लिया जाना है प्रत्येक कुष्ठ रोगी (रोग मुक्त/उपचाराधीन) के परिवार जनों एवं आस–पास के दस (10) घरों में एवं उनके निकट संपर्क में रहने वाले प्रत्येक सदस्य (वयस्क/अवयस्क व्यक्तियों) का सघन परीक्षण (कुष्ठ रोगी खोजने के लिए) करेगे ताकि इस वित्तीय वर्ष 2021–22 में कोई भी हेल्दी हाउस होल्ड कान्टेक्ट परीक्षण हेतु शेष न रहे एवं शीघ्र संदिग्ध कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति की खोज एवं उपचार कर विकलांगता से बचाया जा सके इसके अतिरिक्त Post Exposure Propylaxis के अन्तर्गत सभी हेल्दी कान्टेक्टस को (Exclusion & Inclusion Criteria के आधार पर) R-CIN की Single Dose दी जायेगी तथा इसके लिए समस्त स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग लिया जाय। Post Exposure Propylaxis की गाइड लाइन संलग्न है।

8.1 Case detection & Management: Specific plan for High Endemic Districts- FMR Code 1.1.5.4

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप समस्त जनपदों में सघन कुष्ठ रोगी खोज एवं नियमित निगरानी गतिविधि शुरू की गयी है, जिसके अन्तर्गत कुष्ठ रोगियों को शीघ्र प्रारम्भिक अवस्था में ही खोजकर उनका निःशुल्क समुचित उपचार कराना, जिससे कि कुष्ठ रोग से होने वाली विकलांगता को रोका जा सके व समुदाय में कुष्ठ रोग के प्रसार को भी रोका जा सके। साथ ही कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता फैलायी जा सके एवं इससे जुडे हुए कलंक को समाप्त किया जा सके।

1. कुष्ठ रोग की जांच में शामिल M/F, FLW को रू. 1000.00 प्रति FLW प्रति जांच के चरणों की संख्या के आधार पर और प्रत्येक जांच के चरणों की समस्त रिर्पोटिंग के बाद ही दिया जायेगा। कम व्यापकता दर वाले क्षेत्रों में जांच के एक चरण के बाद और अधिक व्यापकता दर वाले क्षेत्रों में जांच के दो चरणों के उपरान्त ही प्रोत्साहन राशि उस वित्तीय वर्ष में दी जायेगी। यह भुगतान आशा, सुपरवाइजर/ए0एन0एम0 द्वारा राज्य की प्रक्रियानुसार कार्य के सत्यापन के पश्चात किया जायेगा। ऐसे गांव जहां पर पिछले तीन सालों में एक भी कुष्ठ रोगी न निकला हो वहां के M/F FLW को जांच के लिए कोई भी प्रोत्साहन राशि नहीं दी जायेगी।
2. हर जांच के चरणों के अन्त में आशा सुपरवाइजर/फैसीलीटेटर 10 प्रतिशत प्रति आशा की दर से प्रोत्साहन राशि के हकदार होगें। यह प्रोत्साहन राशि आशा सुपरवाइजर/फैसीलीटेटर को तभी दी जायेगी जब उसके द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उसके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत गांव/ग्रामों के प्रत्येक घर की कुष्ठ रोग के लिए जांच आशा द्वारा कर ली गयी है और संदिग्धों को आशा द्वारा संदर्भित किया जा चुका है और सम्बंधित चिकित्सा अधिकारी–पी0एच0सी0/सी0एच0सी0/डी0एच0 द्वारा रोग की पुष्टि की गयी हो और इसके सम्बंध में प्रमाण–पत्र आशा सुपरवाइजर/ फैसिलिटेटर द्वारा भरकर सम्बंधित चिकित्सा अधिकारी पी0एच0सी0 को दिया जायेगा। इसके पश्चात ही आशा सुपरवाइजर/ फैसीलीटेटर को 10 प्रतिशत प्रति आशा की दर से धनराशि का भुगतान किया जायेगा। उदाहारणार्थ यदि एक जांच के चरण दौरान किसी एक आशा सुपरवाइजर/फैसीलीटेटर के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत यदि 20 आशाऐं कार्य कर रही हैं तब वहां की आशा सुपरवाइजर/ फैसीलीटेटर को रू. 2000/– की प्रोत्साहन राशि पूर्ण जांच के उपरान्त देय होगी। यदि 10 गांवों में केवल 10 आशाओं द्वारा किसी आशा सुपरवाइजर/फैसीलीटेटर के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है तो उसे रू0 1000/– की प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी।
3. उक्त गतिविधि प्रत्येक वर्ष 06 माह के अन्तराल पर की जायेगी।

8.2 Support to institute for RCS- FMR Code 1.1.5.6

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्व विद्यालय, लखनऊ में रिकान्स्ट्रक्टिव सर्जरी करने के निमित्त औषधि, मरहम पट्टी एवं एड एण्ड एपलायन्स आदि के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को वहन करने हेतु रू0 5,000.00 प्रति रोगी (कुल 10 रोगी हेतु धनराशि रू. 50,000.00) की दर से संस्था को जिला कुष्ठ अधिकारी, लखनऊ धनराशि उपलब्ध करायेगें एवं कार्य का नियमित मूल्यांकन एवं अनुश्रवण, समीक्षा करेंगें तथा भौतिक प्रगति एवं इस मद में प्रत्येक माह होने वाले व्यय का विवरण राज्य कुष्ठ अधिकारी, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को प्रत्येक माह भेजा जायेगा।

8.3 Welfare allowance for RCS patients- FMR Code 1.2.3.1

जनपद आगरा, लखनऊ, अयोध्या एवं प्रयागराज जहॉ रिकान्स्ट्रक्टिव सर्जरी केन्द्र स्थित है, वहॉ आर0सी0एस0 कराने वाले कुष्ठ रोगियों के लिए Loss of Wages मद में उपरोक्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

रिकान्स्ट्रक्टिव सर्जरी कराने वाले प्रत्येक रोगी को चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो (irrespective of their financial status) प्रति रोगी रू. 8,000.00 तीन किश्तों में जिस जनपद में आर0सी0एस0 संस्थान स्थित है, वहॉ के जिला कुष्ठ अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना है। प्रथम किस्त डिस्चार्ज के समय रू0 4000.00, उसके पश्चात फॉलोअप हेतु एक माह उपरान्त रोगी के उपस्थित होने पर द्वितीय किश्त रू0 2000.00, तृतीय किश्त रोगी के तीन माह पश्चात रोगी के उपस्थित होने पर रू0 2000.00 प्रदान किया जायेगा।

आशाओं की सहभागिता:– क्षेत्र में जन सम्पर्क एवं महिला मण्डल आदि की बैठकों में जनता को कुष्ठ रोग के लक्षण एवं उपचार आदि की जानकारी आशाओं द्वारा दिया जाना है। संदिग्ध कुष्ठ रोगी मिलने पर आशा उन्हें निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर जॉच एवं उपचार हेतु ले जायेगीं। क्षेत्र में उपचार ले रहे कुष्ठ रोगियों से सम्पर्क स्थापित करके उन्हें नियमित औषधि सेवन हेतु प्रेरित भी करेगीं। आशा कुष्ठ रोगियों के निकट सम्पर्क में रहने वाले व्यक्तियों को कुष्ठ के प्रारम्भिक लक्षण की जानकारी देगी।

8.4 Incentive to ASHA

Detection- FMR Code 3.1.1.3.2 - नये कुष्ठ रोगी जिनमें विकलांगता के लक्षण नहीं हो, को आशा, ऑगनवाडी वर्कर्स अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति (Volunteer) द्वारा जॉच हेतु सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/चिकित्सालय में लाने पर एवं कुष्ठ रोग की पुष्टि होने पर रू0 250.00 मानदेय दिया जायेगा, और यदि ऐसे रोगी में विकलांगता परिलक्षित है, तो मानदेय धनराशि रू0 200.00 दी जायेगी। इस योजना का प्रचार–प्रसार आई0ई0सी0 मद के अन्तर्गत नियमानुसार किया जाय। आशा इन रोगियों को नियमित औषधि सेवन के लिए प्रेरित एवं सहयोग करेगीं ।

PB (Treatment Completion)- FMR Code 3.1.1.3.2 आशा द्वारा कुष्ठ रोगियों को निर्धारित तिथि पर उपचार हेतु सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/चिकित्सालय में नियमित रूप से जॉच एवं उपचार कराने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी द्वारा कुष्ठ रोगी को निर्धारित अवधि में रोग मुक्त (आर0एफ0टी0) घोषित किये जाने पर **केवल आशा को ही** प्रति पॉसी बैसीलरी कुष्ठ रोगी के लिए रू0 400.00 मानदेय दिया जायेगा। **कुष्ठ रोगी के केस कार्ड एवं ट्रीटमेन्ट रजिस्टर पर प्रेरक के नाम का अंकन अवश्य किया जाय।**

MB (Treatment Completion)- FMR Code 3.1.1.3.23.1.1.3.2 आशा कुष्ठ रोगियों को निर्धारित तिथि पर उपचार हेतु सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/चिकित्सालय में नियमित रूप से जॉच एवं उपचार कराने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी द्वारा कुष्ठ रोगी को निर्धारित अवधि में रोग मुक्त (आर0एफ0टी0) घोषित किये जाने पर **केवल आशा को ही** प्रति मल्टी बेसीलरी के लिए रू0 600.00 मानदेय दिया जायेगा। **कुष्ठ रोगी के केस कार्ड एवं ट्रीटमेन्ट रजिस्टर पर प्रेरक के नाम का अंकन अवश्य किया जाय।**

Any other ASHA incetives (ASHA Sensitization) FMR Code 3.1.1.3.3 – समस्त आशाओं के लिए अर्ध दिवसीय संवेदनीकरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में दिया जाना है। इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रति प्रतिभागी रू.100.00 का व्यय अनुमन्य है।

8.5 Equipments- FMR Code 6.1.4.3 मद में वित्तीय वर्ष 2021–22 में धनराशि रू0 5,000.00 प्रति जनपद का प्राविधान किया गया है।

8.6 MCR Protective Footwear FMR Code 6.1.4.3: कुष्ठ प्रभावित पैर में सुन्नता वाले व्यक्तियों को अल्सर से बचाने हेतु एम0सी0आर0 फुट वियर के क्रय हेतु रू0 400.00 प्रति पेयर धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। उनमे से कुछ संस्थाऐं जो एम0सी0आर0 फुटवियर तैयार करती हैं, उनसे वित्तीय नियमो का अनुपालन करते हुए जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त क्रय किया जा सकता है–

1) The Leprosy Mission Naini, Allahabad, (Phone No. 0532 2697267)
2) ALERT- INDIA, Association for Leprosy Education, Rehabilitation and Treatment- India, B-9, Mira Mansion, Sion (W), Mumbai- 400 022 email ID: alert@bom5.vsnl.net.in, alertmcr03@rediffmail.com (Phone No. 022 24033081-2, 022 24072558)

3) Sant Ravidas Charm Shilp Vikash avam Anushandhan Kendra Gawalior, Kambal Kendra Parisar, Gol Paharian Lashkar Gawalior, M.P. Fax 0751-2455454
4) Bhim leather Company, address- 102/97 Gajjupurwa jajmau, Kanpur-08010 Phone No.-09415153923, 09454949637 , email- bhimleathercompany@gmail.com
5) Arise Global Health Care (Hitanshu: 9810307159, 9811647920) Email: ariseglobalhealthcare@gmail.com
6) Aristotal Medical Incorporation, Shop No.2, Kashi Parekh Flats: Near Panchshil Bus Stop-18, Shantinagar, Vishvakosh Marg, Usmanpura, Ahmedabad-380013, Email: aristotalmedicalinc@gmail.com, M-9327068607, 9925872375
7) PROFOMA (A Unit of GLRA India) Buliding No. D-375, 4th Floor, Near Vivekanand School, Anand Vihar., New Delhi-110092, Tel 011-43060990, (Ravi Krishnan- 9773587500, 8118877195, Email: ravi.profoma@gmail.com)
8) BALAJI CORPORATION , 102/97, Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur- 208010 (UP) Mobile No. 9170007814, 7309228777, Email ID: balajicorporationmcrfootwear@gmail.com

8.7 Aids Appliances, Self Care Kit Items, Patient Welfare Items Etc.- FMR Code 6.1.4.3

वित्तीय वर्ष 2021–22 में धनराशि रू0 17000.00 प्रति जनपद का प्राविधान किया गया है। Grade-1 & Grade-2 disability के कुष्ठ रोगियों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न Aids, appliances, Self Care Kit items, patient welfare items इत्यादि वस्तुओं का क्रय किया जाना है। Aids appliances आदि भी 1. The Leprosy Mission] Naini, Allahabad 2- ALERT- INDIA, Association for Leprosy Education, Rehabilitation and Treatment- India, B-9, Mira Mansion, Sion (W), Mumbai- 400 022 द्वारा बनाये जाते हैं। हाथ की विकृतियों वाले रोगियों के लिए Grip Aids मुफ्त NOVARTIS द्वारा डिमान्ड भेजने पर आपूर्ति की जा सकती है। उनका पता है Novartis, Comprehensive Leprosy Care Association, Remi Building, Ground Floor 01 Veera Desai Road Andheri West Bombey 400058 email ID: clcp@vsnl.com

8.8 Supportive Drugs lab Reagent- FMR Code 6.2.3.2

वित्तीय वर्ष 2021–22 में धनराशि रू0 13000.00 प्रति जनपद का प्राविधान किया गया है। Lepra Reaction, Grade-1 & 2 Disability, Eye Complication इत्यादि जटिलताओं वालें रोगियों के लिए निम्न औषधियों का क्रय किया जाना है। Prednisolone, Clofazimine, Asprine, Acriflavin Powder, Cotton, Roller bandage, Scissors, Adhesive plaster, Zinc Tapes , Vaseline, Splints of various types Antibiotic ointment, Atropine eye ointment, Chloramphenicol eye applicaps, Antibiotic Eye drops, Prednisolone eye drops, pumice stone, Dressing Materials etc.

8.9 Printing Works - FMR Code 12.12.1

एन0एल0ई0पी0 के एस0आई0एस0 एवं डी0पी0एम0आर0 के आवश्यक प्रपत्रों एव अभिलेखों के प्रकाशन हेतु धनराशि रू0 25,000.00 आवंटित की गयी है।

1. Patients Case Card	2. Identity Card-For Patients
3. Sensory Assessment Card	4. Monthly Progress Report Page-1 And 2 (Annexured)
5. Disability Assessment Card	6. Mdt Stock Indent Forms
7. Prednisolone Card	8. Mdt Stock Register
9. Disability Register	10. Patient Treatment Register
11. Lepra Reaction & Neuritis Register	12. Anm/Asha Referral Slip Booklet
13. Referral Slips	14. Asha Payment Slip
15. Referral Register	16. Asha Case Detection Register
17. Register For Other Cases	18. Any Other As Required.

आई0ई0सी0 (IEC) में आवंटित धनराशि का उपयोग निम्नवत किया जाना है– **FMR Code 11.16.1**

Mass Media	Outdoor Media	Rural Media	Advocacy Meeting	Total approved
Rs. 39000.00	Rs. 23000.00	Rs. 31000.00	Rs. 5000.00	Rs. 98000.00

- मास मीडिया (TV, Radio, Press, Education Material) के विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार जन सामान्य एवं स्वास्थ्य कर्मियों में कुष्ठ के प्रति जागरूकता लाने हेतु चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पठन पाठ्न सामग्री आदि में व्यय किया जाना है। पठन पाठन सामग्री एलर्ट इंडिया द्वारा निर्मित की जाती है, पोस्टर इत्यादि के लिए टी0एल0एम0 मीडिया सेन्टर गाजियाबाद से सम्पर्क करें।
- आउट डोर मीडिया– होर्डिंग, इण्टरेक्टिव स्टाल, माइकिंग, वाल पेंटिंग इत्यादि माध्यमों द्वारा प्रचार प्रसार इत्यादि करें।
- रूरल मीडिया–ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न माध्यम द्वारा प्रचार–प्रसार उदाहरण फाल्क शो, ग्रुप मीटिंग, डुगडुगी पिटवाना, स्वास्थ्य मेला, प्रदर्शनी, स्कूल क्विज आदि।
- एडवोकेसी मीटिंग–जन प्रतिनिधियों एवं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का कुष्ठ जागरूकता में सहयोग सुनिश्चित करने हेतु बैठकों के आयोजन हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

Any other (MDT druge warehouse) - FMR Code 14.2.14 एम0डी0टी0 के रख रखाव हेतु जनपद बाराबंकी में संचालित एम0डी0टी0 ड्रग हाउस हेतु 12 माह हेतु किराये की कुल धनराशि रू. 6,00,000.00 एवं मेटेनेंस हेतु रू. 2,00,000.00 कुल धनराशि रू. 8,00,000.00 का प्राविधान है।

8.10 Programme Management –FMR Code 16.1 :

- **Travel expenses - Contractual Staff at District level – FMR Code16.1.3.3.10** कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों हेतु कुल रू0 25,000.00 प्रति वर्ष की आवटित धनराशि से यात्रा भत्ता मद में उपयोग उनके द्वारा की गयी वास्तविक यात्राओं के सम्बन्ध में राजकीय नियमों के अन्तर्गत भुगतान किया जायेगा।
- **Mobility Support: District Cell- FMR Code 16.1.3.3.11 -** जनपद स्तर पर एक वाहन के संचालन हेतु वाहन अनुरक्षण एवं डीजल क्रय मद में रू0 150,000.00 की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्येक जनपद को आवंटित की गयी है।
- **Office operation & Maintenance - District Cell - FMR Code 16.1.4.2.4** कार्यालय का रेन्ट, दूरभाष, फैक्स, इन्टरनेट डाक व्यय आदि के मद में व्यय हेतु रू0 35,000.00 की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रत्येक जनपद को आवंटित की गयी है।
- **16.1.4.2.5 District Cell- Consumables** रू0 30,000.00 की धनराशि लेखन सामग्री एवं अन्य कंज्यूमेबिल के क्रय हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रत्येक जनपद को आवंटित की गयी है।

संविदा पर मानव बल आपूर्ति (Human Resource) राज्य एवं जनपद स्तर पर कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु संविदा कर्मियों की सेवायें भारत सरकार के टर्म आफ रेफरेन्स के आधार पर संचालित रहेंगी।

8.11 District Leprosy Consultant - FMR Code 16.4.2.2.2

उच्च प्राथमिकता वाले चयनित 45 जनपदों 1– इलाहाबाद, 2–अम्बेडकर नगर, 3–अमरोहा, 4–औरैया, 5– आजमगढ़, 6–बदायूॅ, 7–बहराइच,8–बलिया, 9–बलरामपुर, 10–बाराबंकी, 11–बरेली, 12–बस्ती, 13–बिजनौर, 14–चंदौली, 15–देवरिया, 16–फैजाबाद, 17–फतेहपुर, 18–गाजीपुर, 19–गोरखपुर, 20–हमीरपुर, 21–हरदोई, 22–जालौन (उरई), 23–जौनपुर, 24–कन्नौज, 25–कानपुर देहात, 26–कानपुर नगर, 27–कौशाम्बी, 28–लखीमपुर खीरी, 29–कुशीनगर, 30–लखनऊ, 31–महराजगंज, 32–महोबा, 33–मऊ, 34–मिर्जापुर, 35– मुरादाबाद, 36–पीलीभीत, 37–रायबरेली, 38–रामपुर, 39–संतरविदास नगर, 40–शाहजहॉपुर, 41–श्रावस्ती, 42–सिद्धार्थ नगर 43–सीतापुर, 44–सोनभद्र, 45–उन्नाव मे एक District Leprosy Consultant, की संविदा के आधार पर नियुक्ति (जिन जनपदों में अभी तक नहीं की गई है) की जानी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के दिशा निर्देशानुसार एक वर्ष सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 05 प्रतिशत का इन्क्रीमेन्ट प्रतिवर्ष देय होगा साथ ही पूर्व से ही नियुक्ति संविदाधीन **District Leprosy Consultant** को प्रत्येक वर्ष की भॉति इस वित्तीय वर्ष 2021–22 में भी एक वर्ष सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 05 प्रतिशत का इन्क्रीमेन्ट देय होगा।

8.12 Physiotherapist - FMR Code 8.1.1.10 - उच्च प्राथमिकता वाले निम्न 45 चयनित जनपदों मे एक Physiotherapist का संविदा के आधार पर नियुक्ति (जिन जनपदों में अभी तक नहीं किया गया है) किया जाना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के दिशा निर्देशानुसार एक वर्ष सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 05

प्रतिशत का इन्क्रीमेन्ट प्रतिवर्ष देय होगा साथ ही पूर्व से ही नियुक्ति संविदाधीन Physiotherapist को प्रत्येक वर्ष की भॉति इस वित्तीय वर्ष 2021–22 में भी एक वर्ष सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 05 प्रतिशत का इन्क्रीमेन्ट देय होगा

Paramedical Workers - FMR Code 8.1.1.12 प्रदेश के 418 ब्लॉकों पर एक पैरामेडिकल वर्कर का भी चयन एवं नियुक्ति (जिन जनपदों में अभी तक नहीं किया गया है) किया जाना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, के दिशा निर्देशानुसार एक वर्ष सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 05 प्रतिशत का इन्क्रीमेन्ट प्रतिवर्ष देय होगा साथ ही पूर्व से ही नियुक्ति संविदाधीन PMW को प्रत्येक वर्ष की भॉति इस वित्तीय वर्ष 2021–22 में भी एक वर्ष सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 05 प्रतिशत का इन्क्रीमेन्ट देय होगा

Sparsh Leprosy Elimination Campaign

1. Post Exposure Prophylaxis गाइड लाइन (यह पी0ई0पी0 गतिविधि सभी जनपदों में की जायेगी)

पृष्ठभूमि

हैनसेन बेसीलस (मायकोबैकटीरियम लेप्रे) को उच्च संक्रामकता और कम रोग जनकता और विशैला सूक्ष्म जीव माना जाता है। यह संक्रमित रोगियों के Nasal oropharyngeal स्त्राव और त्वचा में दरार के माध्यम से संक्रमण फैलाता है। इसलिए इसके संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा इन रोगियों के साथ रहने वालों को होता है। यह अनुमान है कि अधिकांश व्यक्तियों में मायकोबैकटीरियम लेप्रे के लिए एक प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता होती व जिनमें प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। वही लोग इस बिमारी के गम्भीर रूप को विकसित करने की सम्भावना रखते हैं। जैसे कि मल्टी बेसिलरी (एम0बी0) से प्रभावित व्यक्ति। अति संवेदनषील व्यक्ति जो एम0बी0 रोगियों के सम्पर्क में रहने पर संक्रमित हो जाते हैं।

Post Exposure Chemoprophylaxis (PEC)

पी0ई0पी0 एक निवारक चिकित्सा उपचार है जोकि रोगी के संपर्क में आने के तुरन्त बाद शुरू किया जाता है। यह रोग कारक के द्वारा होने वाले रोग के संक्रमण के रोकथाम के उद्देश्य से किया जाता है । कुष्ठ रोग के संक्रमण से बचने के लिए मुख्यतः उन लोगों जोकि रोगी के साथ सीधे सम्पर्क में रहते हैं उन्हें निवारक रणनीति के अन्तर्गत दवाई दी जाती है।

वर्ष 2015 में दादरा और नागर हवेली में Rifampicin का परीक्षण कुष्ठ रोगियों के सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों में Chemoprophylaxis के रूप में किया गया था जोकि अत्यन्त प्रभावकारी रहा।

कुष्ठ रोग से संक्रमण मुख्यतः नये व अनुपचारित रोगियों के सम्पर्क में आने से होता है। नये कुष्ठ रोगी सामान्यता जनसंख्या की तुलना में नये कुष्ठ रोगियों के घरेलु सम्पर्कों में 10 गुना अधिक है और विभिन्न श्रेणियों के पड़ोसियों और सामाजिक संपर्कों में कुष्ठ रोग की सम्भावना तीन और पांच के बीच है इसलिए भविष्य में कुष्ठ रोग नियंत्रण रणनीति पर मुख्य ध्यान केन्द्रीत होनी चाहिए।

Post Exposure Chemoprophylaxis किसी भी निवारक चिकित्सा उपचार को नये रोगी से सम्पर्क के तुरन्त बाद शुरू किया जाता है, ताकि रोगी और रोग के संक्रमण को रोका जा सके। कुष्ठ रोग में प्रतिरक्षात्मक रणनीति में बीमारी से संक्रमित होने वाले लोगों में एम0लेप्रे द्वारा संक्रमण को रोकने के लिए Rifampicin दवा दी जाती है।

वर्ष 2015 में दादरा और नागर हवेली में किए गए कुष्ठ रोगियों के कान्टेक्स के लिए Rifampicin का इस्तेमाल में Chemoprophylaxis के रूप में प्रयोग किया था, जो अत्यन्त प्रभावकारी रहा। एक मेटा विश्लेषण में कुल 66311 प्रतिभागियों के साथ आरसीटी के सारांश में यह निष्कर्ष निकाला गया कि बीमारियों का निदान करने वाले रोगियों के सम्पर्कों में कुष्ठ रोग की घटनाओं को कम करने में Chemoprophylaxis प्रभावी है। Chemoprophylaxis ने कुष्ठ रोग के खिलाफ 60 प्रतिशत सुरक्षा प्रदान की।

प्रदेश के समस्त जनपदों में जितने भी नये कुष्ठ रोगी खोजे जा रहे हैं, उनके सभी हेल्दी कान्टेक्टस (03 घर सामने, 03–03 घर दायें–बायें एवं रोगी का स्वंय का घर कुल 10 घरों में) को पोस्ट एक्पोजर प्रोफाइलेक्सिस के अन्तर्गत नीचे दिये गये Inclusion & Exclusion Criteria के आधार पर Rifampicin की एकल खुराक अपने सामने दी जानी है। दी जाने वाले डोज निम्नलिखित है :–

- 35 किलो से अधिक वजन हेतु 600 एम0जी0
- 20 से 35 किलो से अधिक वजन हेतु 450 एम0जी0
- 20 किलो से कम वजन हेतु 10 से 15 एम0जी0 प्रति किलोग्राम

पी.ई.पी. के लिए पात्रता मानदंड

जिन्हें Rifampicin **दी जानी है** (Inclusion Criteria)

1. एक व्यक्ति जो पिछले 1 वर्ष में कुष्ठ रोग के नए खोजे गये कुष्ठ रोगी के साथ तीन माह से अधिक और 20 घण्टे प्रति सप्ताह के लिए सामाजिक गतिविधियां रखता/रह रहा है।
2. 02 वर्ष से अधिक आयु के कान्टेक्ट को ही Rifampicin दी जानी हैं।

जिन्हें Rifampicin **नहीं दी जानी है** (Exclusion Criteria)

1. गर्भवती महिलाओं (पीईपी डिलीवरी के बाद दी जा सकती है)
2. पिछले दो वर्षों में किसी भी कारण से Rifampicin थेरेपी प्राप्त करने वाले लोग (उदाहरण के लिए तपेदिक(टी0बी0) या कुष्ठ कुष्ठ उपचार या किसी दूसरे इन्डेक्स केस के संपर्क के रूप में Rifampicin ली हो।
3. यकृत विकारों के इतिहास वाले लोग (जिन्हें पीलिया, दांए तरफा पेट में दर्द और सूजन, पैरों और टखनों में सूजन, पीली रंग की मल) गुर्दे संबंधी विकार (जिनकें मूत्र उत्पादन में गिरावट, पैरों से सूजन और एंकल, जिनको उच्च बीपी हो)।
4. कुष्ठ रोगों के संभावित लक्षण या लक्षण वाले लोग।
5. क्षय रोग से ग्रसित व्यक्तियों जोकि उपचार ले रहे हों और जिन लोगों में टी0बी0 के सम्भावित लक्षण हों (जिन रोगियों में निम्न लक्षण हैं उनकी टी0बी0 के लिए जांच की जानी चाहिए– दो हफ्ते से अधिक समय तक खांसी, रात में पसीना, अस्पष्टीकृत बुखार, बजन का घटना।
6. तीव्र **बुखार(बीमारी) के साथ व्यक्ति।**

पोस्ट एक्स्पोजर प्रोफिलेक्सिस Rifampicin के साथ (डायरेक्ट ऑब्र्जेड Rifampicin सुपरवाइज्ड (DORS)

एलसीडीसी के दौरान पाए गए मामले की पुष्टि के बाद, **पी0एच0सी0 एम0ओ0 उक्त सबसेंटर से सम्बंधित एमपीडब्ल्यू को आवष्यक कार्यवाही करने के लिए सूचित करेगा।**

⇩

पी0एम0डब्लू0 आशा के साथ पुष्टि किये गये रोगी के घर का भ्रमण करेगा।

⇩

रोगी के घरेलू और करीबी सम्पर्कों को पहचान लिया जाएगा और कुष्ठ रोग के लिए जांच की जाएगी, किसी भी संदिग्ध को पुष्टि के लिए एम0ओ0 के पास भेजा जाएगा।

⇩

कुष्ठ रोग के संदिग्ध लोगों के अलावा सभी सम्पर्कों को किसी भी Exclusion criteria के आधार पर चुना जाएगा।

⇩

Inclusion criteria को पूरा करने वाले संपर्कों को रिफाम्पिसिन Chemoprophylaxis की एकल खुराक दी जाएगी।

⇩

अगर संदिग्ध मामलों की पुष्टि हो जाती है तो उन्हें कुष्ठ रोगी के रूप में माना जाएगा और उन्हें एमडीटी दिया जाएगा और उनके भी सम्पर्कों को पीईपी के लिए चिन्हित किया जायेगा।

⇩

यदि घर पर कोई सम्पर्क उपलब्ध नहीं है तो Exclusion criteria का मूल्यांकन पी0एम0डब्लू0 द्वारा पारिवारिक सदस्यों की सहायता से किया जायेगा और उसकी Prophylatic खुराक आशा को सौप दी जायेगी । सभी मामलों में पीईपी की खुराक अपने सामने दी जायेगी।

सम्पर्क स्क्रीनिंग यदि Index case एक बच्चा है।

यदि Index case एक बच्चा (<2 yrs और <14yrs) है, तो Eligibility Criteria for PEP (पी0ई0पी0 के लिए पात्रता मानदण्ड) में किया दिये गये सभी बिन्दुओं (Inclusion Criteria & Exclusion Criteria) पर अमल किया जायेगा। लेकिन इसके पहले रोगी बच्चे के साथ स्कूल में पढने वाले सहपाठियों जो उसके मोहल्ले में रहने वाले हैं उनके घर का भ्रमण किया जायेगा और कुष्ठ रोग के लिए उनकी जांच की जायेगी और पी0ई0पी0 के लिए उनकी पात्रता की जांच की जायेगी।

यदि घर पर सम्पर्क उपलब्ध नहीं है, तो व्यक्ति की पात्रता की जांच पी0एम0डब्लू0 द्वारा परिवार के सदस्यों से की जायेगी उसके बाद उस व्यक्ति से सम्बंधित पात्रता प्रारूप व Rifampicin की एकल खुराक आशा को दे दी जायेगी और आशा यह सुनिश्चित करेगी कि वह एकल खुराक उस व्यक्ति को दे दी जाय और उसका पात्रता प्रारूप भर दिया जाय और भरा हुआ प्रारूप पी0एम0डब्लू0 को जमा कर दिया जायेगा।

यदि किसी संदिग्ध को कुष्ठ रोग होने का संदेह है तो उस सम्पर्क को उसके निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के पास भेजा जाएगा। यदि सम्पर्क को कुष्ठ रोग की पुष्टि होती है तो दिशा–निर्देशों के अनुसार मरीज का एम0डी0टी0 के साथ इलाज किया जाएगा। यदि कुष्ठ रोग नहीं है तो उसे सम्पर्क पी0ई0पी0 दिया जायेगा।

सुरक्षा/प्रतिकूल घटना प्रबन्धन (Adverse event management)

Rifampicin की एकल खुराके बाद प्रतिकूल घटनाएं शायद ही कभी होती हैं। सम्भवतः प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाएं पेट का खराब होना, सीने में जलन, उल्टी, सिरदर्द, उनींदापन, या चक्कर आना है तो मानक उपचार प्रोटोकॉल के अनुसार प्रबंधित की जानी है। पी0एम0डब्लू0 अपने भ्रमण के दौरान लोगों को यह अवश्य बतायेगें कि इस दवा के कारण उनके मूत्र, पसीने, लार या आंसू का रंग लाल हो सकता है और इससे कोई हानि नहीं होती है।

एक प्रतिकूल घटना के मामले में प्रक्रिया

Rifampicin देने के उपरान्त यदि यदि ऊपर बताये गये लक्षणों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया दिखायी देती है तो वह व्यक्ति पी0एच0सी0 के एम0ओ0 को रिपोर्ट करेगा। जोकि उसका प्रबन्धन करेगा या निकटतम अस्पताल में संदर्भित करेगा।

निगरानी और पर्यवेक्षण

कुष्ठ रोग के लिए Contact की स्क्रीनिंग चिकित्सा अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में होगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि कान्टेक्ट के स्क्रीनिंग के दौरान Exclusoion and Incusion Criteria को उपयोग उचित ढंग से किया जा रहा है। चिकित्सा अधिकारी Contact Form को स्वीकार और हस्ताक्षर करेगा और प्रतिकूल घटना प्रबन्धन के लिए जिम्मेदार होगा।

Rifampicin की खरीद

1. Rifampicin की खरीद जनपद स्तर पर राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित/प्राविधानित धनराशि से नियमानुसार की जायेगी।
2. Rifampicin की आवश्यक मात्रा की गणना एल0सी0डी0सी0 के दौरान खोजे गये रोगियों के अनुसार की जायेगी। (20 कान्टैक्ट प्रति केस)
3. स्टाक की गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना सबसे कम बोलीदाता के आधार पर आपूर्तिकर्ता का चयन करें।
4. आपूर्तिकर्ता को एक लिखित अनुरोध करें।
5. मात्रा की जांच करें, प्राप्त हुई दवा की समाप्ति की जांच करें।
6. Rifampicin का रिकार्ड बनाए रखें।
7. दवा को जिले में वितरित करें।

रिपोर्टिंग

फील्ड स्तर पर पी0एम0डब्लू0 द्वारा डेटा संग्रह किया जायेगा और भरे हुए प्रारूप प्रत्येक दिन फील्ड या सबसेन्टर से पी0एच0सी0 पर जमा किये जायेगें। पी0एच0सी0 के मेडिकल ऑफिसर द्वारा भरे गये प्रारूप की जांच की जायेगी और जिले से राज्य को सभी डेटा संकलित कर भेजे जायेगें। राज्य के स्तर पर डीईओ द्वारा एक्सेल प्रारूप में डेटा संकलित किया जायेगा। इसके अलावा, एस0एल0ओ0, सलाहकार

एन0एल0ई0पी0 फिर से 10 प्रतिशत Random (क्रम रहित) जांच से डेटा की सटीकता और पूर्णता की जांच करेगें। इसके अलावा डेटा सीएलडी को निम्न बिन्दुओं के आधार पर प्रेषित करेगें :

1) कुल संख्या सूचकांक के मामलों की।
2) कुल संख्या सम्पर्कों की जांच।
3) कुल संख्या के सम्पर्कों में कुष्ठ रोग के रूप में निदान किया गया।
4) कुल संख्या पी0ई0पी0 के लिए योग्य सम्पर्कों की।
5) कुल संख्या पी0ई0पी0 के डी0ओ0आर0एस0 के रूप में प्रषासित।

जिन जनपदों में कुष्ठ रोगी खोजी अभियान का संचालन किया गया है, उन जनपदों को छोड़कर प्रदेश के अन्य शेष जनपदों में इस गतिविधि का संचालन किया जाना है।

A- Focused Leprosy Campaign for Hot Spot Area

जहां पर कुष्ठ रोग से हुई विकलांगता का एक भी केस निकलता है, तो उस ग्रामीण क्षेत्र के उस ग्राम में सभी घरों के सभी सदस्यों का परीक्षण एवं शहरी क्षेत्र में आस–पास के 300 घरों में सभी हाउस होल्ड का परीक्षण किया जाय तथा प्रत्येक माह निर्धारित प्रारूप पर सूचना महानिदेशालय को प्रेषित की जाय। जहाँ पर एक भी विकलांग कुष्ठ रोगी निकलता है वह क्षेत्र Hot Spot Area कहलाता है। प्रत्येक विकलांग कुष्ठ रोगी का साक्षात्कार लेकर प्रपत्र जल्द से जल्द अधिकतम 15 दिन तक भरा जाना है।

B- Special Plan for Hard to Reach Area

इसके अन्तर्गत ऐसे क्षेत्र जहां पर पहुंचा जाना अत्यधिक कठिन है उन स्थानों पर जागरूकता लाने के लिए माइकिंग एवं लीफलेट (बुकलेट, हैंडबिल, हैंड आउट, फोल्डर इत्यादि) के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाय तथा प्रत्येक माह निर्धारित प्रारूप पर सूचना महानिदेशालय को प्रेषित की जाय।

कार्यक्रम के अन्तर्गत हार्ड टू रीच एरिया (एच0टी0आर0ए0) एक ऐसा क्षेत्र हैं जहां कुष्ठ रोग के लिए एक अच्छा निगरानी तन्त्र स्थापित करना मुश्किल होता है। वहां की भौगोलिक प्रशासनिक राजनीतिक व अन्य कारणों से ऐसे स्थानों पर स्वास्थ्य कर्मी का पहुंचना व कार्य करना कठिन होता है और इसके अलावा उस समुदाय के सदस्य भी स्वास्थ्य केन्द्रों की सुविधा नहीं उठा पाते हैं।

योजना कियान्वयन एवं मूल्यांकन

एच0टी0आर0ए0 हेतु योजना कियान्वयन एवं मूल्यांकन युनिट के लिए ग्राम या शहरी यूनिट का निर्धारण किया जायेगा, जो कार्यक्रम के अन्तर्गत विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत को पहचानेगी व चिन्हित करेगी और उन्हीं जरूरतों के आधार पर योजना बनायी जायेगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए ऐसी सभी युनिटों जिनकी एक जैसी विशेष जरूरतें होगी उनका एक समूह बनाया जायेगा। योजना का कियान्वयन निम्नलिखित चरणों में किया जायेगा :–

प्रत्येक एच0टी0आर0ए0 यूनिट के लिए नोडल व्यक्ति की पहचान की जायेगी।

⇩

नोडल व्यक्ति के परामर्श से समुदाय के सदस्यों का नामांकन और एच0टी0आर0ए0 टीम का निर्धारण किया जायेगा।

⇩

सभी एच0टी0आर0ए0 टीम का एक समूह में अनौपचारिक योजना संवेदीकरण कम ट्रेनिंग वर्कशाप का सम्पादन किया जायेगा, जिसमें निम्नवत् बिन्दुओं को प्रमुखता देनी हैं :–

1. संदिग्ध कुष्ठ रोगी की परिभाशा के अनुसार संदिग्ध कुष्ठ रोगी की पहचान, उपचार, आई0ई0सी0 और अन्य एन0एल0ई0पी0 के अन्तर्गत सेवायें।
2. कुष्ठ रोग से सम्बंधित जानकारियां, एम0डी0टी0 दवाईयों तथा अन्य सामाग्रियों का वितरण।

⇩

- संदिग्ध कुष्ठ रोगी की परिभाषा के आधार पर (कार्यक्रम के अनुसार) संदिग्ध कुष्ठ रोगी की पहचान।
- संदिग्ध कुष्ठ रोगी की पुष्टि वहां के स्थानीय चिकित्सक द्वारा की जायेगी।

- सभी पुष्टि किये हुए कुष्ठ रोगियों का पूर्ण उपचार तुरन्त किया जायेगा।
- रिएक्शन अथवा किसी भी प्रकार की अन्य जटिल स्थिति से निपटने के लिए संदर्भन तंत्र की स्थापना।

⇩

सम्वर्ती निगरानी

1. किसी अन्य उद्देश्य से जो भी सर्वे एच0टी0आर0ए0 टीम में उनके द्वारा डेटा का एकत्रीकरण।
2. हेल्थ केयर डिलेवरी सिस्टम द्वारा (तृतीय लेवल सहित) डेटा का एकत्रीकरण।
3. कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निगरानी भ्रमण।

कार्यक्रम के अन्तर्गत हार्ड टू रीच एरिया (एच0टी0आर0ए0) एक ऐसा क्षेत्र हैं जहां कुष्ठ रोग के लिए एक अच्छा निगरानी तन्त्र स्थापित करना मुश्किल होता है। वहां की भौगोलिक प्रशासनिक राजनीतिक व अन्य कारणों से ऐसे स्थानों पर स्वास्थ्य कर्मी का पहुंचना व कार्य करना कठिन होता है और इसके अलावा उस समुदाय के सदस्य भी स्वास्थ्य केन्द्रों की सुविधा नहीं उठा पाते हैं।

योजना कियान्वयन एवं मूल्यांकन

एच0टी0आर0ए0 हेतु योजना कियान्वयन एवं मूल्यांकन युनिट के लिए ग्राम या शहरी युनिट का निर्धारण किया जायेगा। जो कार्यक्रम के अन्तर्गत विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत को पहचानेगी व चिन्हित करेगी और उन्हीं जरूरतों के आधार पर योजना बनायी जायेगी। योजना के कियान्वयन के लिए ऐसी सभी युनिटों जिनकी एक जैसी विशेष जरूरतें होगी उनका एक समूह बनाया जायेगा। योजना का कियान्वयन निम्नलिखित चरणों में किया जायेगा :–

प्रत्येक एच0टी0आर0ए0 युनिट के लिए नोडल व्यक्ति की पहचान की जायेगी।

⇩

नोडल व्यक्ति के परामर्श से समुदाय के सदस्यों का नामांकन और एच0टी0आर0ए0 टीम का निर्धारण किया जायेगा।

⇩

सभी एच0टी0आर0ए0 टीम का एक समुह में अनौपचारिक योजना संवेदनीकरण कम ट्रेनिंग वर्कशॉप का सम्पादन किया जायेगा जिसमें निम्नवत् बिन्दुओं को प्रमुखता देनी हैं :–

3. संदिग्ध कुष्ठ रोगी की परिभाषा के अनुसार संदिग्ध कुष्ठ रोगी की पहचान, उपचार, आई0ई0सी0 और अन्य एन0एल0ई0पी0 के अन्तर्गत सेवायें।
4. कुष्ठ रोग से सम्बंधित जानकारियां, एम0डी0टी0 दवाईयों तथा अन्य सामाग्रियों का वितरण।

⇩

- संदिग्ध कुष्ठ रोगी की परिभाषा के आधार पर (कार्यक्रम के अनुसार) संदिग्ध कुष्ठ रोगी की पहचान।
- संदिग्ध कुष्ठ रोगी की पुष्टि वहां के स्थानीय चिकित्सक द्वारा की जायेगी।
- सभी पुष्टि किये हुए कुष्ठ रोगियों का पूर्ण उपचार तुरन्त किया जायेगा।
- रिएक्शन अथवा किसी भी प्रकार की अन्य जटिल स्थिति से निपटने के लिए संदर्भन तंत्र की स्थापना।

⇩

सम्वर्ती निगरानी

4. किसी अन्य उद्देश्य से जो भी सर्वे एच0टी0आर0ए0 टीम में उनके द्वारा डेटा का एकत्रीकरण।
5. हेल्थ केयर डिलेवरी सिस्टम द्वारा (तृतीय लेवल सहित) डेटा का एकत्रीकरण।
6. कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निगरानी भ्रमण।

9. राष्ट्रीय वायरल हिपेटाइटिस नियन्त्रण कार्यक्रम

देश में वायरल हेपेटाइटिस का प्रसार तीव्र गति से हो रहा है, जो कि एक प्रमुख सार्वजनिक समस्या है। वायरल संक्रमण के कारण यकृत की सूजन वायरल हेपेटाइटिस का प्रमुख लक्षण है। यह एक्यूट (रीसेन्ट इन्फेक्शन, रीलेटिवली रैपिड ऑनसेट) अथवा क्रॉनिक रूप में प्रकट हो सकता है। वायरल हेपेटाइटिस के सामान्य पाँच कारक असंबंधित हेपेटोट्रोजिपिक वायरस हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एवं हेपेटाइटिस ई हैं। एच0ए0वी0 और एच0ई0वी0 एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस एवं एक्यूट लीवर विफलता के प्रमुख कारक हैं।

भारत सरकार द्वारा वायरल हेपेटाइटिस की रोकथाम एवं नियन्त्रण के लिये राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियन्त्रण कार्यक्रम (एन0वी0एच0सी0पी0) चलाया गया है, जिसके अन्तर्गत सभी लोगों को विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले लोगों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान किया जाना है।

कार्यक्रम की मुख्य गतिविधियों में निम्न सम्मिलित हैं–

1. प्रोग्राम मैनेजमेन्ट प्रिवेन्शन
2. डायग्नोस्टिक / स्क्रीनिंग
3. मॉनिटरिंग एवं इवैलुएशन, सर्विलांस एवं रिसर्च
4. प्रशिक्षण एवं कैपेसिटी बिल्डिंग

प्रदेश में हेपेटाइटिस–ए, बी, सी, ई से ग्रसित रोगियों के परीक्षण, निदान एवं उपचार हेतु निम्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं–

- ट्रीटमेन्ट सेन्टर के रूप में स्थापित जिला अस्पतालों में हेपेटाइटिस रोगियों की स्क्रीनिंग एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर एवं ट्रीटमेन्ट सेन्टर पर हेपेटाइटिस रोगियों को पोर्टल पर पंजीकृत कराना तथा समयबद्ध उपचार सुनिश्चित कराना।
- हेपेटाइटिस रोगियों के बाधारहित उपचार हेतु सभी ट्रीटमेन्ट सेन्टर को मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर से लिंकेज स्थापित करना।
- ब्लाक, जिला एवं राज्य स्तर पर एन0वी0एच0सी0पी0 में कार्यरत मानव संसाधन को प्रशिक्षित करना।
- हेपेटाइटिस रोग के लक्षण एवं उपचार हेतु सूचना का प्रचार–प्रसार करना।

9.1 स्टेट रिफ्रेन्स लैब : मीटिंग कॉस्ट एवं ऑफिस व्यय / कन्टीजेन्सी – FMR Code 1.3.1.16

मेडिकल कॉलेज जनपद–आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बहराईच, बाँदा, इटावा, गोरखपुर झाँसी, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर एवं वाराणसी में क्रियाशील स्टेट रिफ्रेन्स लैब को रू0 60,000.00 प्रति लैब की दर से धनराशि का आवंटन किया गया है, जिसमें से प्रति स्टेट रिफ्रेन्स लैब रू0 20,000.00 की धनराशि त्रैमासिक बैठक (रू0 5,000.00 प्रति त्रैमास) आहूत करने के लिये एवं शेष धनराशि रू0 40,000.00 प्रति स्टेट रिफ्रेन्स लैब कार्यालय व्यय यथा–प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इन्टरनेट एवं अन्य संचालन व्ययों हेतु आवंटन किया गया है।

उपरोक्त बैठक में माइक्रोबॉयोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग एवं गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष, इन विभागों के अन्य फैकल्टी एवं रेजिडेन्ट डॉक्टर्स तथा अन्य किसी भी सम्बन्धित विभाग के फैकल्टी एवं रेजिडेन्ट डॉक्टर्स प्रतिभाग करेंगें। साथ ही सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज में एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत समस्त मानव संसाधन द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। संस्थान के द्वारा अन्य विशेषज्ञों, प्रतिभागियों को भी आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जा सकता है। बैठक में हेपेटाइटिस के लक्षण, निदान एवं उपचार विषयक जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी तथा इसके सम्बन्ध में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सुविधाओं के विषय में विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया जायेगा। बैठक का हस्ताक्षरित कार्यवृत्त मेडिकल कालेज द्वारा राज्य मुख्यालय को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाये।

9.2 मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर एवं बी0एस0एल0 लैब – FMR Code 1.3.1.17.

उपरोक्त मद से मीटिंग कॉस्ट/कार्यालय व्यय/कन्टिन्जेन्सी (फोटोकॉपी, इन्टरनेट, कम्यूनिकेशन)/रेसिस्टेंस टेस्टिंग इन सेलेक्टेड केसेस/प्रिन्टिंग एम0 एण्ड ई0 टूल्स के व्यय के दिशा–निर्देश जनपदों को पृथक से प्रेषित किये जायेंगें।

9.3 हेपेटाइटिस 'ए' एण्ड 'ई' का प्रबन्धन – FMR Code 1.3.1.17.2

मेडिकल कॉलेज जनपद–अलीगढ़, अयोध्या, बहराईच, बाँदा, इटावा, एवं सहारनपुर क्रियाशील मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर को प्रति मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर रू0 1.00 लाख की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।

आवंटित धनराशि का प्रयोग हेपेटाइटिस 'ए' एवं 'ई' के रोगियों के परीक्षण, निदान एवं उपचार हेतु किया जायेगा। हेपेटाइटिस 'ए' एवं 'ई' की जाँच हेतु किट्स एवं उपचार हेतु आवश्यक औषधियों का प्रोक्योरमेन्ट एवं अन्य सम्बन्धित व्यय इस मद में उपलब्ध धनराशि से किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर के प्रभारी अधिकारी वित्तीय दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुये आवश्यकतानुसार निर्णय ले सकते हैं।

9.4 ट्रीटमेन्ट सेन्टरः मीटिंग कॉस्ट/कार्यालय व्यय/कन्टिजेन्सी – FMR Code 1.3.1.18.1

उपरोक्त मद में प्रदेश के 50 जनपदों के जिला चिकित्सालयों में स्थित ट्रीटमेन्ट सेन्टर को प्रति ट्रीटमेन्ट सेन्टर रू0 50,000.00 की दर से धनराशि का आवंटन किया गया है, जिसमें से रू0 20,000.00 की धनराशि त्रैमासिक बैठक (रू0 5,000 प्रति त्रैमास) आहूत करने के लिये एवं शेष धनराशि रू0 30,000.00 प्रति ट्रीटमेन्ट सेन्टर कार्यालय व्यय यथा–स्टेशनरी, फोटोकॉपी, इन्टरनेट, कम्युनिकेशन आदि तथा अन्य कन्टिजेन्सी व्ययों हेतु किया गया है।

उपरोक्त बैठकों में एन0वी0एच0सी0पी0 के जनपदीय नोडल अधिकारी, ट्रीटमेन्ट सेन्टर में कार्यरत सभी चिकित्सकों, ब्लड बैंक, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में कार्यरत चिकित्सकों तथा एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत नामित समस्त मानव संसाधन द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। एच0आर0जी0 में क्रियाशील एन0जी0ओ0 की भी प्रतिभागिता इस बैठक में सुनिश्चित किया जाये। बैठक में हेपेटाइटिस के लक्षण, निदान एवं उपचार विषयक जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी तथा इसके सम्बन्ध में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सुविधाओं के विषय में विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया जायेगा। साथ ही बैठक में एन0जी0ओ0 का सहयोग लेते हुए एच0आर0जी0 में रोग के निदान तथा उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की विस्तृत रूपरेखा भी तैयार की जाये। बैठक का हस्ताक्षरित कार्यवृत्त ट्रीटमेन्ट सेन्टर द्वारा राज्य मुख्यालय को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाये।

9.5 आउटरीच फॉर डिमॉन्ड जेनरेशन, मोबाइल मेडिकल यूनिट/ एन0जी0ओ0/सी0बी0ओ0 आदि द्वारा वायरल हेपेटाइटिस का परीक्षण एवं उपचार –FMR Code 2.3.1.11

राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जन–सामान्य को हिपेटाइटिस की निःशुल्क जाँच, निदान एवं उपचार तथा गुणवत्ता परक स्वास्थ्य सुविधा का लाभ देने के उद्देश्य से आउटरीच कैम्प का आयोजन किया जायेगा। प्रत्येक जनपद में आउटरीच कैम्प का आयोजन जनपद के कारागार, शहरी मलिन बस्तियों एवं उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा चिन्हित उच्च जोखिम समूह वाले स्थानों में किया जायेगा।

उपरोक्त मद में प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रति जनपद रू0 20,000.00 की धनराशि का आवंटन किया गया है। इस प्रकार कुल धनराशि रु0 15.00 लाख का आवंटन किया गया है। प्रत्येक जनपद द्वारा वर्ष 2021–22 में न्यूनतम 04 कैम्प आयोजित किये जायेंगें। जिन जनपदों में कारागार नही हैं वहां पर उक्त सभी कैम्प शहरी मलिन बस्तियों तथा उच्च जोखिम समूह वाले स्थानों में किया जायेगा। इस हेतु एच0आर0जी0 में कार्यरत एन0जी0ओ0 का भी सहयोग लिया जाये।

जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कैम्प के आयोजन हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग में कार्यरत चिकित्सक/मेडिकल ऑफिसर, पैथालॉजिस्ट/लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, ए0एन0एम0 एवं आशा को नामित किया जायेगा जो उपरोक्त कैम्प के सफल आयोजन हेतु अपना सहयोग प्रदान करेंगें। जनपद के ब्लड बैंक के मानव संसाधन, एन0जी0ओ0/सी0बी0ओ0 का भी सक्रिय सहयोग लिया जा सकता है। जिन स्थानों पर समुदाय में केस लोड की अधिकता होगी वहाँ पर बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग (Mass Level Screening) की जायेगी।

1. प्रत्येक आउटरीच कैम्प के आयोजन हेतु रू0 5,000.00 प्रति आउटरीच कैम्प की दर से धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है–

कमांक	गतिविधि	धनराशि प्रति कैम्प (रू0)
1	परिवहन व्यवस्था	1,000.00
2	प्रचार–प्रसार (लाउड–स्पीकर, बैनर इत्यादि) एवं बैठने की व्यवस्था	2,000.00
3	रिफ्रेशमेन्ट	1,000.00
4	अन्य संचालन व्यय (स्टेशनरी, ट्रीटमेन्ट कार्ड इत्यादि)	1,000.00
	कुल धनराशि	**5,000.00**

स्क्रीनिंग किट्स मुख्य चिकित्साधिकारी भण्डार गृह एवं धनात्मक रोगियों हेतु हिपेटाइटिस की औषधियाँ मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर, ट्रीटमेन्ट सेन्टर/जिला चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगी।

2. प्रत्येक आउटरीच कैम्प के आयोजनोपरान्त कैम्प की चिकित्सक टीम के सहयोग से संलग्न प्रारूपों पर सूचना एवं हिपेटाइटिस धनात्मक रोगियों की लाइनलिस्ट संकलित कर सम्बन्धित ट्रीटमेन्ट सेन्टर जिला चिकित्सालय एवं मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर/स्टेट रिफ्रेन्स लैब (मेडिकल कालेज) द्वारा राज्य मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

9.6 इन्सेन्टिव फॉर पीयर एजूकेटर–एन0वी0एच0सी0पी0– FMR Code 3.2.2.3

इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश जनपदों को पृथक से प्रेषित किये जायेंगें।

संविदा पर कार्यरत मानव संसाधन का मानदेय– FMR Code 8.1.15.13

जनपद स्तर पर एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत संचालित मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर में कार्यरत संविदा कर्मियों क्रमशः मेडिकल ऑफिसर रु0 60,000.00, फार्मासिस्ट रु0 15000.00, एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर रु0 12000.00 तथा स्टेट लैब/एम0टी0सी0 में कार्यरत संविदा कर्मियों लैब टेक्नीशियन रु0 15,000.00 एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के लिये रु0 12,000.00 प्रतिमाह की दर से वर्ष 2021–22 में 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि सहित तथा ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं जी0एस0टी0 (वित्तीय नियमानुसार) की धनराशि सम्मिलित करते हुए कुल 12 माह हेतु धनराशि का आवंटन किया गया है। रिक्त पदों पर स्वीकृत दर के अनुसार 6 माह के लिए धनराशि आवंटित की जा रही है।

संविदा पर कार्यरत टेक्निकल ऑफिसर का मानदेय– FMR Code 16.4.1.4.4

जनपद स्तर पर एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत के0जी0एम0यू0 मेडिकल कॉलेज जनपद–लखनऊ के माइक्रोबॉयोलॉजी विभाग में संचालित स्टेट रिफ्रेन्स लैब में संविदा पर कार्यरत 01 टेक्निकल ऑफिसर हेतु रु0 25,000.00 प्रतिमाह की दर से तथा वर्ष 2021–22 में 5 प्रतिशत की वेतनवृद्धि सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0 3,31,000.00 का आवंटन किया गया है।

इन्सेन्टिव अंडर एन0वी0एच0सी0पी0 फॉर एम0ओ0, फार्मासिस्ट एण्ड एल0टी0– FMR Code 8.4.11-

इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश जनपदों को पृथक से प्रेषित किये जायेंगें।

9.7 ट्रेनिंग FMR Code 9.2.3.5-

(अ) 3 डे ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल ऑफिसर एवं 5 डे ट्रेनिंग ऑफ लैब टेक्नीशियन–

इस मद में व्यय हेतु दिशा–निर्देश जनपदों को पृथक से प्रेषित किये जायेंगें।

(स) 01 डे ट्रेनिंग ऑफ पीयर एजूकेटर–

उपरोक्त मद में मेडिकल कॉलेज जनपद– गोरखपुर, झाँसी एवं वाराणसी में क्रियाशील मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर को प्रति सेन्टर रू0 10,000.00 एवं मेडिकल कॉलेज जनपद–आगरा को रू0 11,000.00 की धनराशि का आवंटन किया गया है। एन0वी0एच0सी0पी0 के अंतर्गत मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर, ट्रीटमेन्ट सेन्टर, जनपदीय/ब्लॉक स्तर पर कार्यरत् पीयर एजूकेटर की ट्रेनिंग आयोजित करने हेतु की गई है।

(स) 01 डे ट्रेनिंग ऑफ फार्मासिस्ट–

उपरोक्त मद में मेडिकल कॉलेज जनपद–आगरा, गोरखपुर, झाँसी में क्रियाशील मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर को प्रति सेन्टर रू0 87,000.00 एवं मेडिकल कॉलेज जनपद–वाराणसी को रू0 86,000.00 की धनराशि का आवंटन एन0वी0एच0सी0पी0 के अंतर्गत मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर,, जनपदीय/ब्लॉक स्तर पर कार्यरत् फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग आयोजित करने हेतु की गई है।

(द) 01 डे ट्रेनिंग ऑफ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर–

समस्त जनपदों के जिला चिकित्सालयों में कार्यक्रम से सम्बन्धित डाटा इन्ट्री का कार्य किये जाने हेतु नामित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर्स के प्रशिक्षण हेतु धनराशि का आवंटन किया गया है।

(ई) अन्य व्यय–ट्रेनिंग/सी0एम0ई0/वर्कशॉप–

मेडिकल कॉलेज जनपद–आगरा, गोरखपुर, झाँसी एवं वाराणसी में क्रियाशील मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर को ट्रेनिंग/सी0एम0ई0/वर्कशॉप के आयोजन हेतु प्रति सेन्टर रू0 1.00 लाख की धनराशि आवंटित की जा रही है।

उपरोक्त कार्यशाला का आयोजन गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी/मेडिसिन विभाग द्वारा किया जायेगा, जिसमें राज्य के समस्त 75 जनपदों से मेडिकल ऑफिसर, इन्टर्न, जूनियर रेजिडेन्ट, सीनियर रेजिडेन्ट, आई0एम0ए0 के सदस्य एवं अन्य चिकित्सा छात्र को ट्रेनिंग/सी0एम0ई0/वर्कशॉप के लिये प्रतिभागिता हेतु बुलाया जायेगा।

9.8 एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत आई0ई0सी0/बी0सी0सी0– FMR Code 11.3.6-

इस मद में धनराशि का आवंटन जनपदों एवं मेडिकल कालेज हेतु किया गया है। धनराशि का व्यय एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत निम्न गतिविधियों में किया जाएगाः–

1–फ्लैक्सबैनर,6x3 फीट,मल्टी कलर, अनुमानित दर रू0 200 प्रति बैनर ।

2– पोस्टर (4 कलर),30x 20 इंच, अनुमानित दर रू0 5.25 प्रति पोस्टर।

3–पम्पलेट(2 कलर)A4/2, अनुमानित दर रू0 0.50 प्रति पम्पलेट।

4– होर्डिग 20 x 10फीट अनुमानित दर रू0 4,500.00 प्रति होर्डिग प्रति माह।

9.9 फार्मेट/रजिस्टर की प्रिन्टिंग– FMR Code 12.3.4

माडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर, मेडिकल कालेज–लखनऊ, मेरठ, आगरा, झांसी, गोरखपुर, वाराणसी, अलीगढ़, अयोध्या, बहराइच, बाँदा, इटावा एवं सहारनपुर तथा समस्त जनपदों के ट्रीटमेन्ट सेन्टर/जिला चिकित्सालय में से प्रत्येक को रू0 5,500.00 की धनराशि का आवंटन किया गया है। धनराशि का व्यय एन0वी0एच0सी0पी0 के रिपोर्टिंग फार्मेट एवं रजिस्टर की प्रिन्टिंग हेतु किया जायेगा।

- Patients Testing & Treatment Cards- Refer Annexure “II” (साईजA4 – 2 Colour, GSM 120, Three Fold)
- Hepatitis C Treatment register-Refer Annexure “III”
- DAA Stock-Register - Refer Annexure “IV”
- Drug Dispension Register - Refer Annexure “V”
- Monthly Reporting Format – Refer Annexure “VI”

उपरोक्त सभी प्रपत्रों/रजिस्टर्स का मुद्रण जनपद स्तर पर अन्य कार्यक्रमों हेतु निर्धारित मुद्रण दरों के अनुरूप किया जा सकता है, जिसके प्रारूप आपको राज्य स्तर से पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

9.10 एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत सैम्पल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट– FMR Code 14.2.13

एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत सैम्पल एवं आवश्यकतानुसार औषधियों के ट्रांसपोर्टेशन हेतु धनराशि का व्यय किया जायेगा। सैम्पल का ट्रांसपोर्टेशन ट्रीटमेन्ट सेन्टर/जिला चिकित्सालयों/ब्लाक स्तरीय चिकित्सालयों में धनात्मक पाये गये रोगियों की वायरल लोड परीक्षण हेतु निकटवर्ती वायरल लोड परीक्षण प्रयोगशाला को किये जाने हेतु किया जायेगा। नोडल अधिकारी सैम्पल एवं औषधियों के ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम (विशेष वाहक/कूरियर/नामित व्यक्ति) अपने स्तर पर निर्धारित करेंगे। जिला चिकित्सालयों द्वारा औषधियों एवं सैम्पल के ट्रांसपोर्टेशन का व्यय जिला स्वास्थ्य समिति के ट्रांसपोर्टेशन नियमों/दरों के अनुसार किया जायेगा।

वायरल लोड परीक्षण हेतु सैम्पल के निकटवर्ती वायरल लोड परीक्षण प्रयोगशाला पर ससमय ट्रांसपोर्टेशन हेतु किसी चिन्हित व्यक्ति को भी भेजा जा सकता है, जिसके यात्रा व्यय का भुगतान इस मद से किया जायेगा। यदि ट्रांसपोर्टेशन हेतु वाहन का प्रयोग किया जाता है तो उसके पी0ओ0एल0 व्यय का भुगतान भी इस मद से किया जा सकता है।

9.11 एस0वी0एच0एम0यू0: नॉन रिकरिंग इक्विपमेंट्स (कम्प्यूटर, प्रिन्टर, फोटो कॉपियर, स्कैनर आदि)– FMR Code 16.1.5.2.6

इस मद में मेडिकल कॉलेज जनपद–अलीगढ़, अयोध्या, बहराईच, बाँदा, इटावा, एवं सहारनपुर में क्रियाशील माडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर को रू0 80 हजार प्रति माडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर सेन्टर का आवंटन किया

गया है। उपरोक्त धनराशि का व्यय एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत कम्प्यूटर, प्रिन्टर आदि के क्रय हेतु किया जायेगा। क्रय के स्पेशिफिकेशन निम्नवत हैं–

- **Desktop Computer अधिकतम कीमत रू0 60,000.00**

  Intel Core i3/i5/i7, 3.6GHZ or above, 4 GBor above RAM, 500GB or above HDD, DVDR/W, Keyboard, Optical Mouse. 10/100/1000 on board Integrated Gigabit Port, 19.5" or abovescreen, windows 10 OS.

- **UPS तथा Printer के लिये अधिकतम धनराशि रू0 20,000.00**
  - 600VA offline UPS or above.
  - Laser printer: 28ppm or above, Type of print- Mono, Resolution-4800*600 dpi or above, Processor Speed- 600MHz or above, Memory - 128 MB or above. WIFI enabled

नोट – वर्तमान में बड़ी संख्या में हिपेटाइटिस बी एवं सी की औषधियां राज्य एवं जनपद स्तर पर उपलब्ध हैं जिनके तत्काल प्रयोग न होने स्थिति में कालातीत हो सकती हैं, अतः एन0वी0एच0सी0पी0 कार्यक्रम की निरन्तरता को बनाये रखना तथा नये घटकों को तत्काल क्रियाशील किया जाना अन्यन्त आवश्यक है, तदानुसार त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

10. राष्ट्रीय रैबीज नियंत्रण कार्यक्रम के दिशा–निर्देश

10.1 ऑपरेशनल व्यय – FMR Code 16.1.5.3.16

रैबीज कार्यक्रम के अन्तर्गत Office & administration expense मद में कार्यक्रम के सुचारू सफल संचालन हेतु कार्यालय प्रयोग में होने वाले छोटे व्यय यथा; इंटरनेट रिचार्ज/स्टेशनरी/डॉगल व अन्य अनुसांगिक व्यय हेतु रू0 12000.00 प्रति वर्ष की दर से बजट अवमुक्त किया जा रहा है।

उपरोक्त धनराशि का उपयोग आई0डी0एस0पी0 सेल द्वारा रैबीज कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑफिस एवं प्रसाशनिक व्यय हेतु किया जा सकेगा।

10.2 प्रचार–प्रसार की गतिविधियॉं – FMR Code 11.3.4

इस मद में आवंटित धनराशि का उपयोग, जन समुदाय को रैबीज रोग के प्रति जागरूक किये जाने संबंधित प्रचार–प्रसार हेतु किया जायेगा। इस हेतु प्रचार–प्रसार के विभिन्न साधनों को उपयोगित किया जाये, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में दिया गया है। तालिका में कॉलम संख्या 01 में वर्णित साधन को सम्मुख अंकित संख्या में जनपद मुख्यालय, जिला चिकित्सालय, ब्लॉक इकाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र तक उपलब्ध कराया जाना है।

साधन का नाम	साइज	दर	स्थलवार साधनों की संख्या					
			जनपद मुख्यालय	जिला चिकित्सालय	ब्लॉक इकाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	उप स्वास्थ्य केन्द्र	नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बैनर	6’x3’	200/-	30	5	15	-	-	-
पोस्टर	30”x20”	10/-	500	50	50	10	10	10
स्टीकर	A4	0.50/-	1000	100	500	100	50	20
पम्फलेट्स	A4/2	0.50/-	10000	-	2000	-	-	-
होर्डिंग		4500/-	6	-	1	-	-	-

जिला मुख्यालय को आबंटित 6 होर्डिग निम्न स्थानों पर अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चयनित स्थानों पर लगवाई जा सकती है।

1. रेलवे स्टेशन
2. बस स्टैन्ड
3. जिला कलेक्ट्रैट कार्यालय
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय
5. जिला चिकित्सालय
6. जनपद द्वारा प्रचार प्रसार के दृष्टिगत चिन्हित अन्य कोई भीड़ भाड़ वाला स्थान।

इस हेतु अधिकतम रु0 4500.00 प्रति होर्डिग की दर से बजट का प्रावधान किया गया, जिसे जनपद पर जनसूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से अथवा निर्धारित की गई मानक दरों अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित की गई मानक दरो, में जो न्यूनतम हो, के अनुसार होर्डिग लगवाने पर व्यय किया जायेगा।

10.3 मॉनिटरिंग एवं सर्विलॉन्स – FMR Code 16.1.2.2.16:–

इस मद में आवंटित धनराशि का उपयोग कार्यक्रम की प्रगति हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक व जिलाधिकारी की अध्यक्षता में त्रैमासिक समीक्षा बैठक हेतु किया जायेगा।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आहूत की जाने वाली त्रैमासिक समीक्षा बैठक में जनपद स्तर पर गठित जोनोटिक समिति के सदस्यो के साथ कार्यक्रम के प्रति क्रियाशील इकाइयों के प्रभारियों, चिकित्सक द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। इस हेतु धनराशि रू0 5,000.00 प्रति त्रैमासिक बैठक की दर से आंवटित की

गयी है, जिसका प्रयोग बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों के सूक्ष्म जलपान, बैठक में प्रयोग होने वाले प्रारूप की प्रिटिंग एवं फोटो कॉपी में किया जायेगा।

मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में आहूत की जाने वाली मासिक समीक्षा बैठक में रैबीज कार्यक्रम के प्रति क्रियाशील इकाइयों के प्रभारियों, चिकित्सक, फार्मसिस्ट व कार्यक्रम में कार्य कर रही स्टाफ नर्स द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। इस हेतु रू0 2500.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि आंवटित की गयी है, जिसका प्रयोग बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों के सूक्ष्म जलपान, बैठक में प्रयोग होने वाले प्रारूप की प्रिटिंग एवं फोटो कॉपी में किया जायेगा। इस बैठक को उपस्थित प्रतिभागियों के कार्यक्रम के प्रति क्षमता वृद्धिकरण किये जाने हेतु भी उपयोगित किया जा सकेगा।

उपरोक्त बैठकों के कार्यवृत्त ई–मेल **rabiesup@gmail.com** पर बैठक समाप्त होने के उपरान्त आगामी 03 कार्य दिवसों में राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाये।

10.4 मुद्रण – FMR Code 12.3.6

इस मद में आवंटित धनराशि का प्रयोग रैबीज कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिलेखन हेतु उपयोगित की जाने वाली सामग्री के मुद्रण हेतु किया जायेगा।

रैबीज रोग के प्रति कियाशील इकाईयों पर जानवरों/कुत्तो द्वारा काटे गये ग्रसितो के सम्बन्ध में जानकारी व उपचार विवरण के अभिलेखन हेतु रैबीज की पूर्व प्रेषित कार्य योजना के साथ उपलब्ध कराये गए प्रारूपानुसार लेखन सामग्री मुद्रित करायी जायेगी। मुदित करायी जाने वाली सामग्री व दर का विवरण निम्नवत् हैः–

<table>
<tr><th>क0स0</th><th>लेखन सामग्री</th><th>दर</th><th>साइज</th><th colspan="3">केन्द्रो पर उपलब्धता</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">ऐनिमल/डागबाइट एक्सपोजर रजिस्टर</td><td rowspan="2">रू0 200/– प्रति रजिस्टर</td><td rowspan="2">200 पृष्ठ</td><td>सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र</td><td>ब्लॉक स्तर इकाई</td><td>जनपद स्तरीय चिकित्सालय</td></tr>
<tr><td colspan="2">02 रजिस्टर</td><td>06 रजिस्टर</td></tr>
<tr><td>2</td><td>पोस्ट ट्रीटमेण्ट कार्ड</td><td>रू0 2/– प्रति कार्ड</td><td>A-4 Size</td><td colspan="3">डेप में उपलब्ध बजट के अनुरूप</td></tr>
</table>

10.5 प्रशिक्षण– FMR Code 9.2.3.6

इस मद में आवंटित धनराशि का उपयोग जनपद में रैबीज रोग के प्रतिक्रियाशील व उपचार और टीकाकरण प्रदान कर रही इकाइयों के चिकित्साधिकारी, फार्मासिस्ट व स्टाफ नर्स की क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जाने में किया जायेगा। इस एक दिवसीय प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को NRCP कार्यक्रम के अर्न्तगत निर्गत किये गये गाइडलाइन्स के अनुसार उपचार व टीकाकरण प्रदान करने पर विशेष रूप से ध्यानाकर्षण किया जायेगा व तदनुरूप ही प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु प्रति बैच 30 प्रतिभगियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा व राज्य स्तर से पूर्व में प्रशिक्षित किये गये 04 प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण के लिए प्रति बैच रू0 24,150.00 की धनराशि आवटित की जा रही है, जिसका विवरण निम्नांकित तालिका में हैः–

Training at District					
Sl No	**Particulars**	**Rate**	**No of Participants**	**Days**	**Total Amount**
1	Per Diem to participants	250	30	1	7500
2	Food for Participants	250	30	1	7500
3	Food for Trainers	150	4	1	600
4	Honorarium to Trainers	600	4	1	2400
5	Module for printing	100	30	1	3000
					21000
	Institutional Overheads	15%			3150
	Total				24150

इस प्रशिक्षण में जनपद में रैबीज रोग के प्रति क्रियाशील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र/जनपद स्तरीय इकाईयों (मेडिकल कालेज को सम्मिलित करते हुए) से प्रत्येक इकाई से मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स व फार्मासिस्ट द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

चिकित्सक एवं पैरामेडिकल कर्मियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त अपनी इकाई के अन्य चिकित्सकीय/पैरा चिकित्साकर्मियों का क्षमता संवृद्वीकरण किया जायेगा। जनपदों द्वारा अपने प्रशिक्षण कार्ययोजना से राज्य मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा ताकि राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण का अनुश्रवण किया जा सके।

Program For Prevention & Control of Leprospirosis

10.6 प्रचार–प्रसार की गतिविधियॉ – FMR Code 11.3.5

इस मद में आवंटित धनराशि का उपयोग, जन समुदाय को लैप्टोस्पाइरोसिस के प्रति जागरूक किये जाने संबंधित प्रचार–प्रसार हेतु किया जायेगा। इस हेतु प्रचार–प्रसार के विभिन्न साधनो को उपयोगित किया जाये, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:–

साधन का नाम	साइज	दर	स्थलवार साधनों की संख्या					
			जनपद मुख्यालय	जिला चिकित्सालय	ब्लॉक इकाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	उप स्वास्थ्य केन्द्र	नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बैनर	6’x3’	200/-	20	05	05	-	-	
पोस्टर	30”x20”	10/-	250	50	25	05	05	05
होर्डिंग		4500/-		-	-	-	-	-
फ्लायर			प्रति आशा 2 फ्लायर					

जिला मुख्यालय को आवंटित होर्डिंग्स निम्न स्थानों पर अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चयनित स्थानों पर लगवाई जा सकती है:–

1. बस स्टैन्ड
2. जिला कलेक्ट्रैट कार्यालय
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय
4. जिला चिकित्सालय
5. जनपद द्वारा प्रचार प्रसार के दृष्टिगत चिन्हित अन्य कोई भीड़ भाड़ वाला स्थान।

होर्डिंग्स हेतु अधिकतम रु0 4500.00 प्रति होर्डिग की दर से अधिकतम रू0 13,500.00 की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसे जनपद पर जन सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से अथवा निर्धारित की गई मानक दरों अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित की गई मानक दरो, में जो न्यूनतम हो, के अनुसार होर्डिंग लगवाने पर व्यय किया जायेगा।

10.7 समीक्षा बैठक रिब्यू बैठक एवंट्रेबल –FMR Code 16.1.2.1.27

मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में आहूत की जाने वाली त्रैमासिक समीक्षा बैठक में लैप्टोस्पाइरोसिस कार्यक्रम के प्रति क्रियाशील इकाइयों के प्रभारियों, चिकित्सक व फार्मासिस्ट द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। इस हेतु धनराशि रू0 1500.00 त्रैमासिक की दर से धनराशि आंवटित की गयी है, जिसका प्रयोग बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों के सूक्ष्म जलपान, बैठक में प्रयोग होने वाले प्रारूप की प्रिंटिंग एवं फोटो कॉपी में किया जा सकेगा। इस बैठक को उपस्थित प्रतिभागियों के कार्यक्रम के प्रति क्षमता वृद्धिकरण किये जाने हेतु भी उपयोगित किया जा सकेगा।

उपरोक्त बैठकों के कार्यवृत्त अधोहस्ताक्षरी के ई0मेल **rabiesup@gmail.com** पर बैठक समाप्त होने के उपरान्त आगामी 03 कार्य दिवसों के अन्तर्गत राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

10.8 मोबिलिटी सपोर्ट – FMR Code 16.1.3.1.20

जनपद में लैप्टोस्पाइरोसिस सम्बन्धित गतिविधियों को सुदृढ़ करने हेतु प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण अथवा जनपद में लैप्टोस्पाइरोसिस के पुष्ट रोगी की सूचना प्राप्त होने पर केस इन्वेस्टीगेशन व अन्य सर्विलांस गतिविधियों के पर्यवेक्षण हेतु जनपद की इम्पैन्लड एजेन्सी से दैनिक दर पर गाड़ी को किराये पर लेने हेतु आकस्मिकता की स्थिति में उपयोगित किया जा सकेगा।

एन0सी0डी0

1. राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP) प्रदेश के चिन्हित 24 एंडेमिक जनपदों (आगरा, अलीगढ, आजमगढ, बुलन्दशहर, बहराइच, बरेली, बस्ती, बिजनौर, देवरिया, अयोध्या, गाजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, जौनपुर, लखीमपुर–खीरी, मथुरा, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, सुल्तानपुर, वाराणसी, शाहजहॉपुर, रामपुर, सहारनपुर एवं पीलीभीत) में संचालित किया जा रहा है।

कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं अन्य व्यक्तियों को आयोडीन युक्त नमक का उपयोग, उसकी कमी से होने वाले दुष्परिणाम एवं आयोडीन की कमी दूर करने के उपाय के बारे में जागरूक करना है। इसी संदर्भ में प्रदेश के 24 एंडेमिक जनपदों में आशाओं द्वारा नमक के नमूनों में आयोडीन की जाँच करना निर्धारित किया गया है।

आयोडीन एक आवश्यक पोषक तत्व है, जो हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। आयोडीन की कमी से घेंघा ही नही वरन बहरापन, गूँगापन, मानसिक विकृतियाँ तथा अपंगता जैसी व्याधियाँ भी होती है, जिनका निदान सम्भव नही है। उपरोक्त विकृतियों के बचाव हेतु नमक का सार्वभौमिक आयोडीनीकरण (USI-Universal Salt Iodisation) सर्वाधिक व्यवहारिक, प्रभावी एवं सस्ता उपाय है। सार्वभौमिक आयोडीनीकरण 1986 से कुछ क्षेत्रों में शुरू किया गया। भारत सरकार द्वारा 15 मई, 2006 से आयोडीन रहित नमक की बिक्री एवं भण्डारण पर रोक लगा दी गयी है।

उपभोक्ता स्तर पर प्रयोग किये जाने वाले नमक में आयोडीन की मात्रा कम से कम 15 पी0पी0एम0 होना आवश्यक है, अतः प्रयोग किये जाने वाले नमक में आयोडीन की मात्रा की जॉच किया जाना अनिवार्य है। वर्ष 2021–22 में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैः–

1.1 आशा को अपने कार्य क्षेत्र में नमक की जॉच हेतु दिशा निर्देश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को समुदाय तक पहुॅचाने एवं उपलब्ध सेवाओं के सम्बन्ध में समुदाय को जागरूक करने में आशा की अहम भूमिका है।

- प्रत्येक आशा को प्रतिमाह एक साल्ट टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके द्वारा 50 घरों के नमक के नमूनों की जॉच की जायेगी, जिससे आयोडीनयुक्त नमक के उपयोग हेतु जागरूकता एवं आयोडीनयुक्त नमक की गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जा सके। उक्त जाँचे सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर, आँगनबाडी केन्द्र, स्कूल तथा घरों में उपयोग किये जाने वाले नमक में की जायेगी।
- प्रत्येक आशा को माह में कम से कम 50 घरों के नमक के नमूनों में आयोडीन की जाँच करना अनिवार्य है तथा उसके उपरान्त ही रू. 25.00 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जायेगा।
- उपकेन्द्रो/प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो की सम्बन्धित आशा संगिनी/ए0एन0एम0 के द्वारा प्रतिमाह आशा द्वारा किये गये नमक की जाँच के नमूनों का सत्यापन करने के पश्चात ही आशाओं को भुगतान किया जायेगा।
- आशाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप पर नमक के नमूनों की जॉच की मासिक रिपोर्ट उपकेन्द्र की आशा संगिनी/ए0एन0एम0 के माध्यम से प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिले के नोडल अधिकारी (आई0डी0डी0) को प्रेषित की जायेगी, जो संकलित रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित करेगें।
- जनपद के नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम द्वारा मासिक रिपोर्ट राज्य कार्यक्रम अधिकारी (अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0, अलीगंज, लखनऊ) को ई–मेलadshi1972@gmail.com पर प्राप्त कराते हुए हार्ड कॉपी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक प्राप्त कराना सुनिश्चित करेगें।

1.2 आशाओं द्वारा नमक में आयोडीन की मात्रा की जाँच की विधि हेतु दिशा निर्देश

नमक में आयोडीन की मात्रा की जाँच ''साल्ट टेस्टिंग किट'' से होती है। इस किट का उपयोग बहुत आसानी से किया जा सकता है, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् है :–

- सर्वप्रथम एक से दो चम्मच नमक लेना है, जिसमें बडी सफेद रंग की शीशी से 1–2 बूँद टेस्ट घोल को मिलाना है।

- इसके उपरान्त नमक में उपलब्ध आयोडीन की मात्रा के अनुसार, नमक का रंग हल्का नीला से गहरा स्याही में परिवर्तित हो जायेगा।
- किट बाक्स पर उपलब्ध चार्ट के अनुसार नमक के रंग की तुलना करते हुए उसमें उपलब्ध आयोडीन की मात्रा राज्य स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज, लखनऊ द्वारा प्राप्त कराये गये रिपोर्टिंग प्रारूप पर लिखें।
- न्यूनतम स्वीकार योग्य आयोडीन की मात्रा उत्पादक स्तर पर 30 पी0पी0एम0 एवं उपभोक्ता स्तर पर 15 पी0पी0एम0 होनी चाहिए।
- नमक अगर क्षारीय है या उसमें कोई क्षारीय केमिकल का मिश्रण है तो नमक में टेस्ट घोल को मिलाने के उपरान्त भी नमक के रंग में कोई भी परिवर्तन नही होगा, जबकि उस नमक में आयोडीन मिला हो सकता है। इस स्थिति में निम्न प्रक्रिया का पालन किया जायेगा :–
- 1–2 चम्मच नमक लें, उसमें 1 बूँद अम्लीय द्रव (पुनः जाँच) घोल छोटी शीशी से मिलायें।
- 1–2 बूँद टेस्ट घोल (सफेद बडी शीशी) मिलायें।
- किट बाक्स पर उपलब्ध चार्ट से नमक के रंग में आये बदलाव की तुलना करें।

1.3 किट की आपूर्ति–FMR Code- 6.2.1.7

आशाओं को प्रतिमाह जनपदीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत नियुक्त नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नमक के नमूनों में आयोडीन की मात्रा की जाँच हेतु एक साल्ट टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई जायेगी। प्रत्येक साल्ट टेस्टिंग किट से लगभग 100 नमक के नमूनों की जाँच हो सकती हैं। अतः प्रत्येक आशा को प्रतिमाह एक साल्ट टेस्टिंग किट दी जायेगी, जिससे कि कार्य बाधित न हो और ससमय नमक के नमूनों की जाँच करने के पश्चात निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित की जा सके।

वर्ष 2021–22 में प्रबन्ध निदेशक–उ0प्र0, मेडिकल सप्लाई कार्पोरेषन सूडाभवन, 7/23 सेक्टर–7 गोमती नगर एक्सटेन्शन, लखनऊ द्वारा साल्ट टेस्टिंग किट क्रय एवं वितरण किया जाना प्रस्तावित है।

1.4 आशा प्रतिपूर्ति राशि–FMR Code- 3.1.1.2

आशा द्वारा किये जा रहे कार्यो के आधार पर उक्त अनुमोदित गतिविधि में प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा। प्रतिपूर्ति राशियों के ससमय भुगतान किये जाने से आशाओं के उत्साह, मनोबल एवं कार्य क्षमता में बढोत्तरी होगी, जिससे वह अपने कार्यो को और सक्रिय रूप से कर पाने में सक्षम हो पायेगी तथा अपनी गुणवत्तापरक सेवायें प्रदान करेंगी।

आशाओं को उनके द्वारा किये जाने वाले नियमित गतिविधि (नमक नमूनों का परीक्षण) के लिए प्रतिपूर्ति राशि के रूप में रू. 25.00 प्रतिमाह (50 घरों के नमक के नमूनों में आयोडीन की जाँच) दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

आशा द्वारा विगत माह की 21 तारीख से वर्तमान माह की 20 तारीख तक की गयी गतिविधि (नमक के नमूनों में आयोडीन की जाँच) का विवरण आशा पेमेण्ट वाउचर में अंकित (अन्य कालम)/अथवा इस हेतु चिन्हित कालम में किया जायेगा।

1.5 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

- क्लस्टर बैठक में आशाओं को साल्ट टेस्टिंग किट से नमक के नमूनों की जाँच हेतु समस्त जानकारी दी जायेगी एवं जिन आशाओं द्वारा अच्छा कार्य किया जायेगा उनको प्रोत्साहित किया जायेगा।
- भ्रमण के दौरान ब्लाक, जनपद एवं राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा ए0एन0एम0 से आशाओं की नमक के नमूने की रिपोर्ट प्राप्त करके उनके द्वारा किये गये कार्य का समय–समय पर सत्यापन किया जायेगा।

1.6 प्रचार–प्रसार–FMR Code-11.1.7

प्रदेश के समस्त 75 जनपदो को रू0 13,000.00 की दर से धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि का उपयोग ग्लोबल आई0डी0डी0 दिवस–21st October, 2021 पर अधिक से अधिक विभागों के अधिकारियों एव मीडिया प्रभारियों, एन0जी0ओ0 इत्यादि की भागीदारी सुनिश्चित करते हुये प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन करने हेतु किया जाय तथा जनपद के मुख्य समाचार पत्रों के माध्यम से जन जागरूकता बढाई जाय। इसके अतिरिक्त अन्य प्रचार–प्रसार सम्बन्धी कार्य भी इसी धनराशि से कराया जा सकते हैं।

1.7 प्रति माह जॉच हेतु नमक के नमॅूने एकत्र कर कार्यालय अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0 को भेजने हेतु दिशा–निर्देश

- सील बन्द प्लास्टिक के लिफाफे में नमक (पाउडर/बडगरा) के नमूनों को ग्रामीण एवं शहरी घरों एवं फुटकर विक्रेताओं से प्रतिमाह 50 नमूनों को एकत्रित कर संस्थान में जॉच हेतु प्रेषित किये जायें तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि जनपद के अधिकाश भागो से नमूने सम्मिलित कर लिये जायें।
- प्रत्येक नमक नमूने की मात्रा 100 ग्राम होनी चाहिए।
- एकत्र किये गये नमूनों में से 25 ग्रामीण क्षेत्र से, 15 शहरी क्षेत्र के घरों से, 07 ग्रामीण फुटकर विक्रेता से एवं 03 शहरी फुटकर विक्रेता से होने चाहिए।
- नमक नमूनों के लिफाफे को सीलन एवं धूप से दूर रखना आवश्यक है अन्यथा नमक में आयोडीन की मात्रा कम हो जायेगी।
- विवरण प्रपत्र से मिलान करते हुए ही नमक के नमूनों के लिफाफे पर नमक का ब्रान्ड एवं क्रम संख्या डालें।
- एकत्र किये गये नमक के नमूनों का विवरण, दिये गये प्रपत्र पर बिन्दुवार विस्तृत रूप से अंकित किया जाये।
- **जनपद का नाम ....** **माह ....**

क्रम संख्या	नमॅूना एकत्र करने वाले कर्मचारी का नाम व पदनाम	नमॅूना एकत्र करने का दिनॉक	नमक के ब्रान्ड का नाम	ग्रामीण/शहरी		राशन वितरण केन्द्र का नाम व पता	नमक का प्रकार (पाउडर अथवा बडगरा)
				परिवार के मुखिया का नाम (यदि नमॅूना घर से लिया गया हो)	फुटकर विक्रेता का नाम व पता		
01							

- नमक का नमूना एकत्र करने के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पत्र वाहक अथवा कोरियर से संस्थान में प्राप्त कराना सुनिश्चित करे।

2. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

गम्भीर मानसिक विकारों में सिजोफ्रेनिया, बाई पोलर विकार, आर्गेनिक साइकोसिस और गहन अवसाद से 1000 की जनसंख्या में 20 व्यक्ति पीड़ित हैं। इस जनसंख्या के लिए निरन्तर इलाज और नियमित ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसके लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया जिसके तीन उद्देश्य हैं–

1. भविष्य में न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सभी वर्गों खासकर जनसंख्या के सबसे असुरक्षित वर्गों को उपलब्ध और उस तक पहूँच हो।
2. मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान और सामान्य स्वास्थ्य देखभाल में कुशलता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना।
3. मानसिक स्वास्थ्य सेवा विकास में सामुदायिक भागीदारी और समुदाय में स्वसहायता को बढ़ावा देना।

उक्त कार्यक्रम के अर्न्तगत विभिन्न गतिविधियों हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैः–

2.1 Training of PHC Medical Officers, Nurses, Paramedical Workers & Other Health Staff working under NMHP- FMR- 9.5.16.1-

मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 की धारा–29 एवं धारा–31 के अनुपालन एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु इस मद में समस्त जनपदों को (जनपद वाराणसी को छोड़कर) रू0 50,000.00 तथा जनपद वाराणसी को रू0 38.00 लाख की धनराशि आवंटित की जा रही है। इस मद में आवंटित धनराशि से समस्त जनपदों द्वारा रू0 50,000.00 का उपभोग करते हुये उपचारिकाओं, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा, एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का मानसिक स्वास्थ्य विधा में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

जनपद वाराणसी द्वारा शेष धनराशि रू0 37,50,000.00 मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी को उपलब्ध कराई जाय, जिससे महानिदेशालय से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराया जायेगा। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में प्रचलित प्राविधानों/नियमों/उपनियमों के अनुसार ही आयोजित कराये जायें।

2.2 Training of various stakeholders- FMR -9.5.16.2

मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 की धारा–29 एवं धारा–31 के अनुपालन एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु इस मद में जनपद–बरेली को रू0 150.00 लाख तथा आगरा को रू0 150.00 लाख की धनराशि आवंटित की जा रही है। आवंटित धनराशि से मुख्य चिकित्सा अधिकारी–बरेली द्वारा मानसिक चिकित्सालय–बरेली को एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी–आगरा द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय–आगरा को पी0एच0एम0एस0 चिकित्साधिकारियों, उपचारिकाओं, पैरामेडिकल स्टाफ इत्यादि का मानसिक स्वास्थ्य विधा में एक माह का प्रशिक्षण कराया जाय।

2.3 Targeted interventions at community level Activities & interventions targeted at schools, colleges, workplaces, out of school adolescents, urban slums and suicide prevention- FMR-2.3.2.3

(अ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने जनपद के 08 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चिन्हीकरण करते हुए प्रत्येक चयनित सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर प्रतिवर्ष 01 वृहद शिविर का आयोजन करवाना सुनिश्चित करें, जिस हेतु प्रति शिविर रू0 50,000.00 की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिससे शिविर के आयोजन पूर्व चिकित्सक के आगमन की सूचना का प्रचार–प्रसार एवं शिविर के दिन मरीजों के लिये समुचित बैठने एवं जल इत्यादि की व्यवस्था की जायेगी। अतः मुख्य चिकित्सा अधिकारी रू0 50,000.00 चिन्हित सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 के प्रभारी को स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें, जिससे कार्यक्रम हित में धनराशि का सदुपयोग किया जा सके। शिविर में मानसिक मन्दित बच्चों को मानसिक विकलांगता प्रमाण–पत्र भी निर्गत किये जाने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के सम्बन्ध में प्रयास एवं उपचार किया जायेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयोजित किये जाने वाले शिविरों का आयोजन निम्नलिखित दिवसों पर किया जा सकता हैः–

1. वर्ड इपिलेप्सी दिवस।

2. 21 मार्च, विश्व डाउन सिड्रोम दिवस।
3. 30, मार्च–वर्ड बाइपोलर डे।
4. 02, अप्रैल–वर्ड ऑटिज़्म अवेयरनेस डे।
5. 07, अप्रैल–विश्व स्वास्थ्य दिवस।
6. 26, जून–इन्टरनेशनल डे अगेस्ट ड्रग अब्यूज एण्ड इलिसिट ट्रैफिकिंग।
7. 10, सितम्बर–सुसाइड प्रीवेंशन डे।
8. 21, सितम्बर–अल्ज़ाइमर डे।
9. 02, अक्टूबर–नेशनल एण्टी ड्रग एडीक्शन डे।
10. 17, नवम्बर–नेशनल इपिलेप्सी डे।
11. 03, दिसम्बर–इन्टरनेशनल डे आफ परसरन विद डिएबिलिटी।
12. अथवा जनहित में अन्य दिवसों पर भी चयनित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विशाल शिविर का आयोजन किया जा सकता है।

(ब) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 01 विशाल जागरूकता शिविर का आयोजन 10 अक्टूबर (विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस) के अवसर पर किया जायेगा, जिसमें जन–प्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की भागीदारी हेतु प्रयास किया जाये। इस शिविर के लिये रू0 1.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिस हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत हैं :–

1. शिविर से पूर्व वृहद प्रचार–प्रसार की प्रक्रिया एक माह पूर्व से ही प्रारम्भ कर दी जाये।
2. शिविर मे आने वाले मरीजों एवं आमजनों के बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, मंदबुद्वि बच्चों के लिये फल इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
3. मानसिक मन्दित बच्चों को मानसिक विकलॉगता प्रमाण–पत्र मुख्य अतिथि के माध्यम से वितरित कराने का प्रयास करें।

(स) शेष रू0 1.00 लाख से जनपद स्तर पर कार्ययोजना बनाते हुये निम्नवत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना हैः–

1. अरबन स्लम क्षेत्रों में जागरूकता एवं उपचार शिविर के आयोजन।
2. वर्क प्लेसेज में जागरूकता एवं उपचार शिविर के आयोजन ।
3. कालेज एवं स्कूलों में जागरूकता, स्क्रीनिंग एवं उपचार शिविर का आयोजन।
4. प्रत्येक जनपद में ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण करना है जहॉ झाड़–फूॅक होती हो यथा–मज़ार इत्यादि। जहां के प्रभारी से लिखित अनुमति के उपरान्त वहां भी चिकित्सकीय शिविर लगाया जाए। ऐसे स्थानों पर लगने वाले बैनर पर **"दुआ से दवा तक"** लिखवाया जायेगा।

नोट– कोविड–19 के दृष्टिगत उक्त कार्यक्रमों के आयोजन में उ0प्र0 शासन/महानिदेशालय/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों का पूर्ण ध्यान रखा जाये।

विशेष – प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 लागू है, जिसके अनुपालन में प्रत्येक जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को पूर्व में चयनित 08 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक स्वास्थ्य केन्द्र का चयन करना है, जिसमें प्रत्येक बृहस्पतिवार को ''मन–चेतना दिवस'' कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।

उक्त अधिनियम की धारा–29 के अनुपालन में मानसिक स्वास्थ्य के उन्नयन एवं आत्महत्या नियंत्रण हेतु एवं अधिनियम की धारा–115 (2) के अनुपालन में गंभीर दबाव ग्रस्त व्यक्ति को और जिसने आत्महत्या का प्रयास किया है। आत्महत्या के प्रयासों की पुनरावृत्ति के जोखिम को कम करने के लिए उनके उपचार एवं काउंसलिंग हेतु प्रत्येक बृहस्पतिवार को **मन–चेतना दिवस** के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए महानिदेशालय द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सालयों एवं अन्य मेडिकल कालेजों के सहयोग से आयोजित मनोरोग विधा में एक माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके चिकित्साधिकारियों की सेवाएं ली जानी है।

इस दिवस को अपने जनपद में चरणबद्ध रूप से निम्नानुसार लागू करेंः–

1–सर्वप्रथम मनोरोग विधा में एक माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके चिकित्साधिकारियों की सूची बना लें एवं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु पूर्व में चिन्हित 08 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से किसी एक सामुदायिक केन्द्र को मन–चेतना दिवस कार्यक्रम आरम्भ करने हेतु चिन्हित करें।

2–वित्तीय वर्ष 2021–22 में पाइलेट फेज में प्रत्येक जनपद के किसी एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मन–चेतना दिवस का आयोजन प्रत्येक सप्ताह बृहस्पतिवार को किया जायेगा।

3–यह सामुदायिक केन्द्र मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित 08 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक होगा तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्युनिटी लेविल साइकोलॉजिस्ट की नियुक्ति (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार) भी इस चिन्हित सी0एच0सी0 पर की जायेगी।

4–चिन्हित सी0एच0सी0 पर साइकियाट्रिस्ट अथवा मनोरोग विधा में एक माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके चिकित्सक के सहयोग से उक्त दिवस पर पर रोगियों का चिन्हिकरण, उपचार, काउंसलिंग एवं संदर्भन (रेफर) इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी।

5–मन–चेतना दिवस का आरम्भ होने के 06 माह उपरान्त इसके अन्तर्गत चिन्हित 08 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक और सी0एच0सी0 को आच्छादित करते हुये कार्यक्रम आरम्भ किया जायेगा, जहॉ कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्युनिटी लेविल साइकोलॉजिस्ट की नियुक्ति (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार) भी इस चिन्हित सी0एच0सी0 पर की जायेगी/अथवा पूर्व से कार्यरत् हो।

6–वर्ष 2021–22 में प्रत्येक जनपद के 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मन–चेतना दिवस कार्यक्रम चरणबद्ध रूप में आरम्भ किया जायेगा, जो कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में 04 सामुदायिक केन्द्रों पर उपरोक्तानुसार चलाया जायेगा। शनैः शनैः चरणबद्ध रूप में सम्पूर्ण जनपद के सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मन–चेतना दिवस का आयोजन आरम्भ किया जाना है। इस कार्यक्रम में मनोरोग विधा में एक माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके चिकित्सक एवं विभिन्न कार्यक्रमों में कार्यरत् काउंसलर्स/साइकोलॉजिस्ट का सहयोग लिया जा सकता है। जिला मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ से अपेक्षा की जाती है कि वह मन–चेतना दिवस के लाभार्थियों की रिपोर्ट तैयार कर राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ, उ0प्र0 को ईमेल द्वारा साफ्ट एवं हार्ड कापी में उपलब्ध करायें।

जनपद मानसिक स्वास्थ्य टीम द्वारा मन–चेतना दिवस, दुआ से दवा तक कार्यक्रम, विद्यालय कार्यक्रम (गुड टच, बैड टच, मनदूत–मनपरी,), आत्महत्या नियंत्रण प्रकोष्ठ (सुसाइड प्रिवेंशन सेल), मन–कक्ष (सुसाइड प्रिवेंशन, मोबाइल डी–एडिक्शन, नशा–उन्मूलन, इत्यादि) आदि कार्यक्रमों का संचालन सुचारू रूप से किये जाने की अपेक्षा है। साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई योजना के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय में महिलाओं/किशोरियों/बालिकाओं की प्री एवं पोस्ट मेडिकल काउंसलिंग में आवश्यकतानुसार सहयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

2.4 Operational expenses of the district centre : rent, telephone expenses, website etc - FMR-16.1.4.2.6

आपरेशनल एक्सपेन्सेज, टेलीफोन इत्यादि के लिये वर्ष 2021–22 हेतु रू0 10,000.00 की धनराशि का प्राविधान किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 के अनुपालन एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट पीटिशन सिविल वाद सं0–924/2019 श्री गौरव बंसल बनाम भारत सरकार में मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक जनपद में मानसिक स्वास्थ्य हेतु हेल्प–लाईन सेवाएं आरम्भ किया जाना है। अतः मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 के अनुपालन एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में प्रचलित नियमों के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के निवारण हेतु उक्त मद में आवंटित धनराशि से **मन–कक्ष** में एक हेल्प लाइन नम्बर आरम्भ करवाया जाना सुनिश्चित करें साथ ही हेल्प लाइन नंबर का व्यापक प्रचार करें।

2.5 Miscellaneous/Travel/Contingency – FMR-16.1.3.3.13

इस मद में आवंटित धनराशि का निम्नानुसार उपयोग किया जा सकता है–

(अ) जिला मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ में आवश्यक सामग्री का क्रय एवं अन्य अत्यन्त आवश्यक कार्यो का निष्पादन किया जा सकता है। समस्त क्रय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में प्रचलित प्राविधानों के अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ब) ट्रैवल मद में कार्यक्रम के अन्तर्गत फील्ड विजिट के उपयोगार्थ वाहन हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है। आउट–रीच कार्यक्रम एवं सामुदायिक–केन्द्र शिविर हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में प्राविधानित नियम/उपनियमों के अनुसार वाहन की उपलब्धता मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराई जायेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आउट–रीच कार्यक्रम एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर शिविर के आयोजन हेतु वाहन उपलब्ध कराना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करेंगें।

पी0आई0एल0–4112 / 2018 इन द मैटर आफ रिगार्डिग एब्यूज आफ गर्ल इन ए वूमेन शेल्टर होम इन देवरियॉ बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–आर–1950 / 60–1–18, दिनांक– 20 / 09 / 2019, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र सं0–ए.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एन.सी.डी. / 2018–19 / 6908–2, दिनांक –26 / 09 / 2018 एवं महानिदेशालय के पत्र सं0– 9फ / मा0स्वा0 / 2018–19 / 2189, दिनांक– 27 / 09 / 2018, के अनुपालन में जनपद में उपस्थित किशोर–किशोरी एवं बाल–महिला गृहों में मानसिक परीक्षण / काउंसलिंग एवं उपचार उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

2.6 Translation of IEC material and distribution, Awareness generation activities in the community, school, workplaces with community involvement - FMR-11.19.1

इस मद में आवंटित धनराशि का उपयोग आई0ई0सी0 विकसित करना एवं मानसिक स्वास्थ्य विषयक प्रचार–प्रसार यथा–समाचार पत्रों में विज्ञापन, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, पम्पलेट्स, बिल–बोर्ड, लोकवाहनों पर बोर्ड, पैम्फ्लेट, स्टीकर्स इत्यादि हेतु किया जायेगा। मुद्रण में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी एवं संबंधित पटल सहायक उत्तरदायी होगें। अवमुक्त धनराशि का उपभोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में प्रचलित प्राविधानों के अनुसार ही प्रचार–प्रसार के मुद्रण हेतु किया जायेगा। मुद्रण से सम्बन्धित दिशा–निर्देश पूर्व में ही प्रेषित किये जा चुके है।

अन्य दिशा–निर्देश

1. जिला डी0एम0एच0पी0 कार्यक्रम में प्रशासनिक / वित्तीय नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से एवं क्लीनिकल कार्यो पर नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का होगा।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराये गये बजट का उपभोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में प्रचलित प्राविधानों / नियमों / उपनियमों के अनुसार करेगें तथा क्रय सम्बन्धित कार्य वर्तमान में उपलब्ध क्रय–प्रक्रिया के अनुसार जिला–स्वास्थ्य–समिति के माध्यम से नियमानुसार करेगें।
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एन0एम0एच0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत ओ0पी0डी0 एवं काउंसलिंग की सुविधा जिला चिकित्सालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जनपद चिकित्सालय के मेडिसिन विभाग (अथवा अन्य समुचित स्थान) में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 शैय्याओं (10 शैय्या पुरूषों हेतु एवं 10 शैय्या महिलाओं हेतु) का चिन्हीकरण भी करेगें। शैय्याओं के चिन्ह्किरण से तात्पर्य यह है कि शैय्याओं के इंचार्ज एम.डी. / फिजिशियन ही रहेंगें परन्तु उनके मरीज / रोगी जो कि हिस्टीरिया, अवसाद एवं अन्य मनोविकार से पीड़ित होगें, उन्हे वह उन चिन्ह्ति शैय्याओं पर ही भर्ती करेंगें जिससें उन रोगियों को मनोचिकित्सक / मनोवैज्ञानिक को बुलाकर दिखाया जा सकें।
4. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त प्रकार के क्रय, मुद्रण एवं प्रशिक्षण आदि कार्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश में प्रचलित प्राविधानों, नियमों, उपनियमों के अनुसार ही करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, समस्त उ0प्र0 का संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व होगा कि वह मेंटल हैल्थकेयर एक्ट, 2017 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
6. जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत इपिडिमियोलॉजिस्ट द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रेषित की जाने वाली मासिक / त्रैमासिक रिपोर्ट इपिडिमियोलॉजिकल स्टडी करते हुए उक्त रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित करें।
7. जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार द्वारा एन0एम0एच0पी0 कार्यक्रम का समस्त वित्तीय कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित पत्राचार हेतु एक ईमेल आई0डी0 बनवाना सुनिश्चित करें यथा–dmhp(name of District)@....... और राज्य स्तर पर अपना ईमेल आई.डी. उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ की ईमेल आई0डी0–statenmhp.up@gmail.comहै।

3. नेशनल ओरल हेल्थ कार्यक्रम

National Oral Health Programme वर्ष 2021—22 में पूर्व के 36 जनपदों में ही संचालित किया जाना है। कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य हैः—

1. मुख स्वास्थ्य के निर्धारकों में सुधार।
2. स्वास्थ्य आहार, मुँह की स्वच्छता में सुधार।
3. ग्रमीण एवं शहरी आबादी में मुख स्वास्थ्य की पहुँच में असमानता को कम करना।
4. मुँह के रोगों की संख्या कम करने के लिए जिला चिकित्यालय प्रमुख स्वास्थ्स सेवाएं को प्रारम्भ करना।
5. सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं एवं अन्य क्षेत्रों के साथ मुख स्वास्थ्य के सम्बन्ध में प्रचार एवं उपचार सेवाएं प्रदान करना।
6. सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैः—

1. कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार स्तर से निर्गत Operational Guidelines of NOHP के अनुसार ही किया जायेगा, जो कि आपको पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।
2. जनपदों में कार्यक्रम का संचालन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में स्थापित जिला ओरल हेल्थ सेल/जिला एन0सी0डी0 सेल के द्वारा की जायेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी, एन0सी0डी0 द्वारा उक्त कार्यक्रम का संचालन किया जायेगा। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि वह उक्त कार्यक्रम का सफलता पूर्वक क्रियान्वयन जनपद में करायें।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला—स्वास्थ्य—समिति को उपलब्ध कराये गये बजट का उपभोग Operational Guidelines of NOHP में दिये गये निर्देशों के अनुसार करेगें तथा क्रय सम्बन्धित कार्य वर्तमान में उपलब्ध क्रय—प्रक्रिया के अनुसार जिला—स्वास्थ्य—समिति के माध्यम से नियमानुसार करेगें।
4. वर्ष 2021—22 में समस्त 36 जनपदों हेतु आवर्तक मद में एफ0एम0आर0 कोड—11.24.4.2 IEC पर रु0 5.00 लाख की धनराशि जिला अस्पताल हेतु प्रचार—प्रसार सामग्री के मुद्रण के लिए आंवटित की जा रही है। मुद्रण से सम्बन्धित दिशा—निर्देश पूर्व में ही प्रेषित किये जा चुके है।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा इस तथ्य का विशेष ध्यान दिया जाये कि मदवार आवंटित धनराशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।
6. National Oral Health Programme के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021—22 में जिला स्वास्थ्य समिति को जारी की गयी धनराशि का उपभोग कार्यक्रम के हित में 31 मार्च, 2022 के पूर्व कर लिया जाये।
7. जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार द्वारा National Oral Health Programme का समस्त वित्तीय कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. वर्तमान समय में कोविड—19 वैश्विक माहमारी के दृष्टिगत् भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर कोविड—19 माहमारी हेतु जारी दिशा—निर्देशों के अनुरूप ही कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधियाँ सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें।

4. National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases & Stroke (NPCDCS)

प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases & Stroke कार्यक्रम वर्तमार वर्ष में पूर्व की भांति संचालित किया जाना है। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं:–

1. जीवन शैली एवं व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा सामान्य गैर संचारी रोगों पर नियंत्रण एवं रोकथाम।
2. सामान्य गैर संचारी रोगों का विभिन्न स्तरों पर उपचार रोकथाम एवं निदान हेतु आवश्यक प्रबन्धन।
3. सामान्य गैर संचारी रोगों का प्रारम्भिक निदान एवं प्रबन्धन प्रदान कराना।
4. गैर संचारी रोगों की बढ़ती हुई संख्या को नियंत्रित करने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे मानव संसाधन जैसे चिकित्सकों, परचिकित्सकों एवं उपचारिकाओं को प्रशिक्षण देना।
5. प्राथमिक उपचार एवं पुनर्वास हेतु क्षमता का विकास।

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैः–

1–कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार स्तर से निर्गत Operational Guidelines (Revised 2013-2017) के अनुसार ही किया जायेगा। अपने अधीन अपर मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्साधिकारी को नोडल अधिकारी, एन0सी0डी0 नामित करेगें। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि वह उक्त कार्यक्रम का सफलता पूर्वक क्रियान्वयन जनपद में करायें।

3–जिला एन0सी0डी0 क्लीनिक में प्रशासनिक/वित्तीय नियंत्रण मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से एवं क्लीनिकल कार्यो पर नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का होगा। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी Operational Guidelines (Revised 2013-2017)में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेगें।

4–मुख्य चिकित्साधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला–स्वास्थ्य–समिति को उपलब्ध कराये गये बजट का उपभोग Operational Guidelines (Revised 2013-2017) में दिये गये निर्देशों के अनुसार करेगें तथा क्रय सम्बन्धित कार्य वर्तमान में उपलब्ध क्रय–प्रक्रिया जिला–स्वास्थ्य–समिति के माध्यम से नियमानुसार करेगें।

5–वर्तमान समय में कोविड–19 वैश्विक माहमारी के दृष्टिगत् भारतसरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर कोविड–19 माहमारी हेतु जारी दिशा–निदेशों के अनुरूप ही कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधियाँ सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें।

6–कार्यक्रम से आच्छादित 75 जनपदों में चिन्हित किये गये जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप केन्द्रों की संख्या की सूची संलग्न है।

7– कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में जिला–स्वास्थ्य–समिति को जारी की गयी धनराशि का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:–

जिला एन0सी0डी0 सेल

- **Monitoring Evaluation & Supervision –FMR Code 16.1.2.2.12** इस मद में रू0 2.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आंवटित की गई है।
- **TA/DA/POL – FMR Code 16.1.3.3.16** इस मद में रू0 2.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आंवटित की गई है।
- **Contingency – FMR Code 16.1.4.2.9** इस मद में रू0 1.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आंवटित की गई है।
- **IEC – FMR Code 11.22.2** इस मद में रू0 3.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। प्रचार–प्रसार सामग्री हेतु दिशा–निर्देश राज्य स्तर से पूर्व में ही प्रेषित किये जा चुकें है।
- **Training at District Level– FMR Code 9.5.19.2** इस मद में रू0 2.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। जनपदों द्वारा प्रशिक्षण प्लान राज्य एन0सी0डी0 सेल को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिला एन0सी0डी0 क्लीनिक

- Laboratories Drugs & Consumables - FMR Code–6.2.4.5 हेतु रू0 2.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।
- Miscellaneous cost for communication, monitoring, T.A, DA, POL, Contingency etc – FMR Code 1.3.1.8 हेतु रू0 1.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आंवटित की गई है।

जिला सी0सी0यू0 कैन्सर केयर यूनिट

- Laboratories Drugs & Consumables for CCU – FMR Code 6.2.4.5 पर जनपद–आगरा, गोरखपुर, कानपुर नगर, ललितपुर, लखनऊ, इलाहाबाद एवं मिर्जापुर को सी0सी0यू0/कैन्सर केयर यूनिट हेतु रू0 5.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आंवटित की गई है।

सी0एच0सी0 एन0सी0डी0 क्लीनिक

- Drugs & Consumables for CHC NCD Clinic – FMR Code 6.2.4.5 में रू0 0.30 लाख प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से धनराशि आंवटित की गयी है।
- Miscellaneous cost for communication, monitoring, T.A, DA, POL, Contingency etc. for CHC NCD Clinic – FMR Code 1.3.1.9 में रू0 1.00 लाख प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से धनराशि आंवटित की गयी है।
- Patient Referral card at PHC level – FMR Code 12.15.1 पर रू0 0.025 लाख/500 पेशेन्ट रेफरल कार्ड प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से धनराशि आंवटित की गयी है।
- Patient Referral card at SC level – FMR Code 12.15.2 में रू0 0.025 लाख/500 पेशेन्ट रेफरल कार्ड प्रति उपकेन्द्र की दर से धनराशि आंवटित की गयी है।
- ASHA Incentive under India Hypertenion Control Initiative Programme –FMR Code 3.1.1.4 में जनपद प्रयागराज, झांसी, ललितपुर एवं वाराणसी को कुल 102.63 लाख की धनराशि आंवटित की गयी है।

8–मुख्य चिकित्साधिकारी को इस तथ्य का विशेष ध्यान देना है कि जनपदवार एवं मदवार आवंटित धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय ।

9– NPCDCS कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में जिला–स्वास्थ्य–समिति को जारी की गयी धनराशि का उपभोग कार्यक्रम के हित में 31 मार्च, 2022 के पूर्व कर लिया जाये।

अन्य बिन्दु

10– जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत इपिडिमियोलॉजिस्ट द्वारा एन0सी0डी0 कार्यक्रमों यथा– एन0पी0सी0डी0सी0एस0, एन0पी0एच0सी0ई0, एन0टी0सी0पी0, एन0ओ0एच0पी0, एन0एम0एच0पी0, एन0पी0पी0सी0 एवं पी0बी0एस0 आदि की प्रेषित की जाने वाली मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट का इपिडिमियोलॉजिकल स्टडी करते हुए उसकी मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित करेंगें साथ ही साथ एन0पी0सी0डी0सी0एस0 कार्यक्रम के अर्न्तगत दिये गये स्क्रीनिंग लक्ष्य को हासिल करते हुए भौतिक प्रगति सुनिश्चित करेंगें।

11– जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा इपिडिमियोलॉजिस्ट/जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार को सहयोग प्रदान करने के साथ–साथ जनपद में कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, जनपद स्तरीय भ्रमण एवं समस्त रिर्पोटिंग इत्यादि का कार्य करना सुनिश्चित करेगें।

12– जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार द्वारा एन0पी0सी0डी0सी0एस0, एन0पी0एच0सी0ई0, एन0टी0सी0पी0, एन0ओ0एच0पी0, एन0एम0एच0पी0, एन0पी0पी0सी0 एवं पी0बी0एस0पी0 आदि कार्यक्रमों का समस्त वित्तीय कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

13– जिला एन0सी0डी0 सेल/क्लीनिक में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक से समन्वय स्थापित करते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त रिर्पोट समसय राज्य एन0सी0डी0 सेल को प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें।

5. National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE)

प्रदेश के समस्त जनपदों में National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE) कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2021–22 में पूर्व की भांति संचालित किया जाना है। कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य के माध्यम से वृद्धों के स्वास्थ्य के उत्थान, बचाव उपचार एवं पुर्नवास सेवाएं उपलब्ध कराना, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से वृद्धावस्था में होने वाली स्वास्थ्य सम्बन्धी दिक्कतों का निदान करना, वृद्धों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सीय, पराचिकित्सीय सेवा एवं परिवार में देखभाल करने हेतु व्यक्तियों की क्षमता का विकास करना एवं वृद्ध मरीजों को जिला चिकित्सालय एवं क्षेत्रीय चिकित्साकेन्द्रों के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

1– National Programme for Health Care of the Elderly कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार के स्तर से निर्गत Operational Guidelines of NPHCE के अनुसार ही किया जायेगा।

2– जनपदों में कार्यक्रम का संचालन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में स्थापित जिला एन0सी0डी0सेल द्वारा किया जायेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने अधीन अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी–एन0सी0डी0 नामित करेगें। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि वह उक्त कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन जनपद में सुनिश्चित करें।

3– जिला 10 बेडेड जीरियाटिक यूनिट एवं ओ0पी0डी0 क्लीनिक में प्रशासनिक/वित्तीय नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से एवं क्लीनिकल कार्यो पर नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का होगा। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी Operational Guidelines of NPHCE में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेगें।

4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला–स्वास्थ्य–समिति को उपलब्ध कराये गये बजट का उपभोग Operational Guidelines of NPHCE में दिये गये निर्देशों के अनुसार करेगें तथा क्रय सम्बन्धित कार्य वर्तमान में उपलब्ध क्रय–प्रक्रिया के अनुसार जिला–स्वास्थ्य–समिति के माध्यम से नियमानुसार करेगें।

5– वर्तमान समय में कोविड–19 वैश्विक माहमारी के दृष्टिगत् भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर कोविड–19 माहमारी हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधियाँ सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें।

6– National Programme for Health Care of the Elderly कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में जिला–स्वास्थ्य–समिति को निम्नानुसार धनराशि आवंटित की जा रही हैः–

जिला अस्पताल हेतु

- एफ0 एम0 आर0 कोड 6.1.5.3 Machinery & Equipments For DH मद पर रू0 1.50 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।
- एिफ0 एम0 आर0 कोड 9.5.17.1 Training of Doctors and staff from CHCs and PHC under NPHCE मद पर रू0 0.40 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।
- एफ0 एम0 आर0 कोड 11.20.2 Celebration of Days – i.e. International day for older persons पर रू0 1.00 लाख प्रति जनपद की दर से तथा उक्त मद पर ही Printing of fitness and Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) Booklet & other IEC material हेतु रू0 1.00 लाख/जनपद की दर से भी धनराशि आंवटित की गई है। प्रचार–प्रसार सामग्री हेतु दिशा–निर्देश राज्य स्तर से पूर्व में ही प्रेषित किये जा चुकें है।

8– मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस तथ्य का विशेष ध्यान देना है कि मदवार आवंटित धनराशि से अधिक का व्यय न किया जाय।

9– कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का उपभोग कार्यक्रम के हित में 31 मार्च, 2022 के पूर्व कर लिया जाये।

अन्य निर्देश

- जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत इपिडिमियोलॉजिस्ट द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रेषित की जाने वाली मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट का इपिडिमियोलॉजिकल स्टडी करते हुए उक्त रिपोर्ट को राज्य स्तर पर प्रेषित करेंगें।
- जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा इपिडिमियोलॉजिस्ट/जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार को सहयोग प्रदान करने के साथ–साथ जनपद में कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, जनपद स्तरीय भ्रमण एवं समस्त रिर्पोटिंग इत्यादि का कार्य करना सुनिश्चित करेगें।
- जिला एन0सी0डी0सेल में कार्यरत जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार द्वारा एन0पी0एच0सी0ई0 कार्यक्रम का समस्त वित्तीय कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- जिला एन0सी0डी0 सेल/क्लीनिक में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक से समन्वय स्थापित करते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त रिपोर्ट (मासिक/त्रैमासिक) समसय राज्य एन0सी0डी0 सेल को प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें।

6. नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर कार्यक्रम

नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर कार्यक्रम पूर्व में संचालित 15 जनपद–रायबरेली, झांसी, ललितपुर, लखीमपुर–खीरी, अयोध्या, सुल्तानपुर, इटावा, फिरोजाबाद, जालौन, बहराइच, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़ एवं मथुरा में चलाया जाना है, जिसका निम्नलिखित उद्देश्य है–

1. प्रदेश में जनपद चिकित्सालय स्तर पर सामान्य जनता को मूलभूत पैलिएटिव केयर सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए लोक स्वास्थ्य स्थापना सेवाओं में पैलिएटिव केयर की सुविधाएंउपलब्ध कराना।
2. पैलिएटिव सेवाओं हेतु जिला चिकित्सालय स्तर पर स्वास्थ्य स्थापना, उपकरण एवं मानव संसाधन की क्षमतावर्धन करना।
3. पैलिएटिव केयर सेवाओं हेतु जनभीगीदारी एवं जनगरूकता को बढ़ावा देना।
4. पैलिएटिव केयर सेवाओं का अन्य कार्यक्रमों से समन्वय स्थापित करना।

उक्त कार्यक्रम के अर्न्तगत विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैः–

1- कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार के स्तर से निर्गत Operational Guidelines of NPPC के अनुसार ही किया जायेगा।

2- जनपदों में कार्यक्रम का संचालन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में स्थापित जिला एन0सी0डी0सेल के द्वारा किया जायेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने अधीन अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी, एन0सी0डी0 नामित करेगें। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि वह उक्त कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन जनपद में करायें।

3- उक्त कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रशासनिक/वित्तीय नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से एवं क्लीनिकल कार्यो पर नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का होगा। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी Operational Guidelines of NPPC में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेगें।

4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला–स्वास्थ्य–समिति को उपलब्ध कराये गये बजट का उपभोग Operational Guidelines of NPPC में दिये गये निर्देशों के अनुसार करेगें तथा क्रय सम्बन्धित कार्य वर्तमान में उपलब्ध क्रय–प्रक्रिया के अनुसार जिला–स्वास्थ्य–समिति के माध्यम से नियमानुसार करेगें।

5- वर्तमान समय में कोविड–19 वैश्विक माहमारी के दृष्टिगत् भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर कोविड–19 माहमारी हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधियाँ सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें

6- प्रचार–प्रसार हेतु **FMR Code 11.12.1** पर रू0 1.00 लाख की धनराशि प्रति जनपद की दर से आंवटित की गयी है। मुद्रण से सम्बन्धित दिशा–निर्देश पूर्व में ही प्रेषित किये जा चुके है।

अन्य निर्देश

1. भारत सरकार स्तर से प्रदत्त ऑपरेशनल गाइडलाइन में दिये गये त्रैमासिक प्रारूप पर ससमय राज्य पैलिएटिव केयर सेल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0 की ई–मेल–state.nodal.nppc@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें।
2. जिला नोडल अधिकारी कार्यक्रम के अर्न्तगत मदवार एवं गतिविधिवार आवंटित धनराशि का नियमानुसार प्रत्येक दशा में मार्च, 2022 तक शत–प्रतिशत व्यय कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. जिला एन0सी0डी0सेल में कार्यरत जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार द्वारा एन0पी0पी0सी0 कार्यक्रम का वित्तीय कार्य सम्पादित किया जायेगा।
4. (प्रत्येक जनपद में नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर (एन0पी0पी0सी0) हेतु एक ईमेल बनाने का कष्ट करें यथा–nppc (Name of District)@gmail) उदाहरण के लिए– nppcfaizabad@gmail.com.

7. राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम जन सामान्य से जुड़ी एक समस्या है जो फ्लोराइड तत्व की सामान्य (1पी0पी0एम0) से अधिक मात्रा में शरीर में लगातार प्रवेश करने से होती है। फ्लोराइड तत्व पीने के पानी, खाद्य पदार्थों कारखानों से निकले दूषित पदार्थों इत्यादि के लम्बे समय तक सेवन के कारण शरीर में प्रवेश कर दाँतो, हड्डियों एवं अन्य अंगो को प्रभावित कर विकृति उत्पन्न करता है, जो आगे चल कर अपरिवर्तनीय स्थाई अपंगता के रूप में विकसित होता है।

राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में वर्ष 2016–17 में सम्मिलित किया गया है। जनपद **प्रतापगढ, उन्नाव, मथुरा, फिरोजाबाद, रायबरेली** में यह कार्यक्रम वर्ष 2009–2010 से चलाया जा रहा है। वर्ष 2017–2018 में इस कार्यक्रम का पाँच अतिरिक्त जनपदों **आगरा, सोनभद्र, झाँसी, वाराणसी, गाजीपुर** में भी विस्तार किया गया है। इस कार्यक्रम के वर्ष 2021–22 में संचालन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये जा रहे हैं।

1. जनपद में फ्लोरोसिस उपचार केन्द्र की स्थापना

i. मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद स्तर पर पुरूष/संयुक्त चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा नोडल अधिकारी के साथ बैठक कर चिकित्सालय में फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम हेतु एक कक्ष चिन्हित करेंगे। जिसके बाहर फ्लोरोसिस उपचार केन्द्र नाम का एक बोर्ड लगाया जायेगा तथा फ्लोरोसिस से सम्बन्धित समस्त जानकारियों को पोस्टर एवं बैनर के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा। चिकित्सालय में तैनात एक फिजीशियन/ बालरोग चिकित्सक को राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम चिकित्सा प्रभारी नामित किया जायेगा।

ii. नवीन जनपदों में प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए चिकित्सालय में स्थान चिन्हित कर लें एवं प्रयोगशाला स्थापित कर के राज्य स्तर पर सूचित करें।

iii. प्रभारी चिकित्सक इस कार्यक्रम का अलग से एक ओ0पी0डी0 रजिस्टर रखेंगे तथा सभी सम्भावित फ्लोरोसिस प्रभावितों को पुष्टि हेतु मूत्र जाँच के लिए लैब में भेजेंगे।

iv. प्रयोगशाला में संविदा पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन द्वारा फ्लोरोसिस प्रभावितों के मूत्र नमूनों तथा क्षेत्र से प्राप्त जल नमूनों की जाँच आयनमीटर से की जायेगी।

v. रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात प्रभावितों को आवश्यक उपचार तथा स्वास्थ्य शिक्षा दी जायेगी।

vi. सभी प्रभावितों की मासिक रिपोर्ट "फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम" के परामर्शदाता तथा लैब टेक्नीशियन के सहयोग से चिकित्सालय से प्राप्त कर नोडल चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्रतिमाह निर्धारित रिपोर्टिंग प्रपत्र पर राज्य स्तर पर अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित करेंगे।

2. प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की स्कीनिंग

i. मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोडल अधिकारी के माध्यम से समस्त अधीक्षक/एम0ओ0आई0सी0 के साथ एक बैठक आहूत कर उन्हें अपने क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों की सूची (ए0एन0एम0 के क्षेत्रवार) बैठक में लाने के निर्देश देगें तथा इस कार्यक्रम के सभी बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगें।

ii. प्रत्येक ब्लाक पर कार्यरत स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/एच0वी0 को कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूली बच्चों की स्क्रीनिंग व आई0ई0सी0 का प्रभारी बनाया जायेगा। यह जिला परामर्शदाता के साथ मिलकर अपने ब्लाक के 10 प्राथमिक पाठशाला प्रतिमाह के दर से रोस्टर बनायेंगें। प्रत्येक तीन माह के इस रोस्टर को सभी ब्लाकों से प्राप्त कर जिला नोडल अधिकारी को प्राप्त कराना जिला परामर्शदाता का उत्तरदायित्व होगा।

iii. तीन माह का यह रोस्टर सम्बन्धित ए0एन0एम0 तथा एच0वी0 को भी उपलब्ध कराया जायेगा जिससे वह आशा आदि को पूर्व से सूचित कर स्कूल में पर्याप्त व्यवस्था करवा सके। एक माह में यथा सम्भव 10 अलग–अलग ए0एन0एम0 के क्षेत्रों के स्कूल आच्छादित किये जायें।

iv. प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 100 बच्चों की फ्लोरोसिस के लक्षणों हेतु जाँच की जायेगी, जिसके रिकार्ड के लिये रजिस्टर बनाया जायेगा। प्रभावित बच्चों को जिला पुरूष/संयुक्त चिकित्सालय पर उपचार हेतु संदर्भित किया जायेगा।

v. जिस स्कूल में टीम स्क्रीनिंग करेगी उसी क्षेत्र के न्यूनतम 4 हैण्डपम्प से पानी के नमूने भी एकत्र कर निर्धारित प्रारूप पर जनपद पर स्थापित लैब में भिजवाये जायेगें।

vi. ब्लाक के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, ए0एन0एम0 तथा एच0वी0 से निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट प्राप्त कर माह की 25 तारीख तक परामर्शदाता को प्राप्त करायेगें जिससे परामर्शदाता सभी ब्लाकों से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित कर माह की 30 तारीख तक नोडल अधिकारी के माध्यम से राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ0प्र0 लखनऊ को ई–मेल (adshi1972@gmail.com) पर प्रेषित करेगें। इसी प्रकार NPPCF उपचार केन्द्र की उपलब्धि की रिपोर्ट भी परामर्शदाता एकत्रित करेगे एवं प्रतिमाह संकलित कर निर्धारित प्रारूप पर भरकर त्रैमासिक रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित करेगे।

3. जल निगम से समन्वय

जिला नोडल अधिकारी तथा जिला परामर्शदाता जलनिगम के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर ब्लाकवार/ग्राम सभावार क्षेत्र के सभी हैण्ड पम्पों के विषय में सूचना एकत्र करेगें एवं फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल व्यवस्था हेतु की जाने वाली कार्यवाही की अद्यतन जानकारी लेगें तथा प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह राज्य स्वास्थ्य संस्थान को प्रेषित करेगें।

4. वित्तीय स्वीकृतियाँ

i. **मानव संसाधन–FMRcode16.4.2.3.2** पर जनपदीय परामर्शदाता का मानदेय जनपद में कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु आवंटित किया जा रहा है। दो पुराने जनपदो फिरोजाबाद एवं प्रतापगढ हेतु रू0 62,760.00 प्रतिमाह की दर से एवं जनपद मथुरा के परामर्शदाता हेतु रू0 57,303.00 प्रतिमाह की दर से एवं झाँसी, वाराणसी, गाजीपुर, उन्नाव हेतु रू0 44,100.00 प्रतिमाह की दर से एवं शेष जनपद–आगरा, सोनभद्र, रायबरेली के परामर्शदाता हेतु रू0 40,000.00 प्रतिमाह की दर से एन0एच0एम0 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है।

ii. **एल0टी0 संविदा कर्मी का मानदेय–FMR code-8.1.1.5.S03** पर जनपद–प्रतापगढ एवं मथुरा के Lab Technician हेतु रू0 15,341.00 प्रतिमाह की दर से, जनपद झाँसी, रायबरेली के Lab Technician हेतु रू0 13,947.00 प्रतिमाह की दर से, जनपद सोनभद्र के Lab Technician हेतु रू0 12,128.00 प्रतिमाह की दर से एवं जनपद आगरा, गाजीपुर उन्नाव, वाराणसी एव फिरोजाबाद के Lab Technician हेतु रू0 11,000.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि एन0एच0एम0 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है।

iii. **लैब डायग्नोस्टिक एवं रिएजेंट–FMR code- 1.3.2.3** प्रति जनपद रू0 0.50 लाख की दर से रू0 5.00 लाख की धनराशि एन0एच0एम0 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है।

iv. **मेडिकल री–हैबिलिटेशन एवं उपचार FMR code- 1.1.6.4** प्रति जनपद रू0 1.00 लाख की दर से रू0 10.00 लाख की धनराशि एन0एच0एम0 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है, जिसे दंत चिकित्सा, विकृत हड्डियों के सुधारात्मक उपचार हेतु औषधि प्रदान करने तथा पुनर्वास इत्यादि पर व्यय किया जा सकेगा।

v. **समन्वय बैठक (Coordination Meeting at District Level) FMR code-16.1.2.1.12** के अन्तर्गत प्रति जनपद रू0 40,000.00 की दर से रू0 4.00 लाख की धनराशि एन0एच0एम0 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है।

vi. **प्रचार प्रसार (Health Education& Publicity)–FMR code 11.4.11** भारत सरकार द्वारा प्रचार–प्रसार हेतु प्रति जनपद रू0 2.00 लाख की दर से धनराशि आवंटित की गई है।

5. प्रशिक्षण

जनपदों में परामर्शदाता एवं एल0टी0 की नियुक्ति होते ही राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ0प्र0, लखनऊ को सूचित करें जिससे भारत सरकार द्वारा NIN Hyderabad में उनका प्रशिक्षण कराया जा सके। फ्लोरोसिस प्रभावितों का इलाज कठिन है, अतः रोकथाम ही सर्वोपरि है। उसके लिये क्षेत्र में प्रचार–प्रसार गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी। स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार विज्ञापन दिये जायें एंव ग्राम सभाओं में वॉल पेंटिंग के माध्यम से अपील करें कि वे अपने गाँव में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था के लिये गम्भीर प्रयास करें।

6. वित्तीय व्यवस्था

i. सभी संविदा कर्मियों का मानदेय इनके कार्यावधि के आधार पर ही दिया जायेगा।
ii. किसी भी कर्मी को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
iii. उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

पूर्व से कार्यरत संविदा परामर्शदाता एवं एल0टी0 को वित्तीय वर्ष 2021–22 में 5 प्रतिशत वेतन वृद्धि को सम्मिलित करते हुये कुल मानदेय धनराशि जनपदों को उपलब्ध करायी गयी है एवं लॉयल्टी बोनस के सम्बन्ध में मानव संसाधन अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार पात्र कर्मियों को लॉयल्टी बोनस का भुगतान नियमानुसार किया जाय।

प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक, नोडल राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के द्वारा वित्तीय नियमों को शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय/भुगतान किया जायेगा। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

8. राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम

सामान्य जनता को तम्बाकू सेवन से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007–2008 (11वीं पंचवर्षीय योजना) में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम 21 राज्यो के 42 जनपदों में प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में चलाया जा रहा है।

तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंर्तगत मुख्य्तः निम्न पांच गतिविधियों पर अधिक बल दिया गया है–

- तम्बाकू नियंत्रण कानून का अनुश्रवण, प्रवर्तन एवं रिपोर्टिंग की गतिविधियॉ।
- सूचना, शिक्षा एवं संचार की गतिविधियॉ।
- विद्यालय गतिविधियां।
- प्रशिक्षण/जागरूकता की गतिविधियॉ।
- तम्बाकू नशा उन्मूलन की गतिविधियॉ

कार्यक्रम के अर्न्तगत अच्छादित प्रदेश के समस्त जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में एक जिला तम्बाकू नियन्त्रण प्रकोष्ठ की स्थापना किया जाना है। कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला नोडल अधिकारी– एन0सी0डी0 को जिला नोडल अधिकारी, एन0टी0सी0पी0 नामित किया जायेगा। जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ जनपद में राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम हेतु योजना बनाने, क्रियान्वित करने, मॉनिटरिंग करने और भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी होगा। जहॉ जनपद सलाहकार, साइकोलॉजिस्ट, समाजिक कार्यकर्ता एवं आउटर्सोसिंग के माध्यम से डाटा इन्ट्री आपरेटर कार्यरत होगें। प्रत्येक जनपद के जनपद चिकित्सालय में एक तम्बाकू उन्मूलन केन्द्र की स्थापना की जायेगीं, जहॉ कार्यक्रम के अन्तर्गत् साईकोलॉजिस्ट/काउंसलर कार्यरत् होगें।

जनपदों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां – जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ

Training Programme-FMR Code 9.5.18.1

1. जनपद स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं तम्बाकू नियंत्रण हेतु उनकी क्षमता का विकास करना DTCC की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है।
2. तम्बाकू नियंत्रण हेतु संबंधित जनपद के समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण का आयोजन (यथा– जनपद प्रशासन, चिकित्सक, नर्स, आशा, पुलिस, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, विद्यालय के शिक्षक, स्वयं सेवी संगठनों, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, नगर महापालिका आदि) करना।
3. जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में तम्बाकू प्रयोग से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, तम्बाकू के प्रकारों, तम्बाकू प्रयोंग से आर्थिक–सामाजिक कारण, तम्बाकू छोड़ने के लाभ, आदि को रखना चाहिए।
4. प्रशिक्षण हेतु रू0 1.00 लाख प्रति जनपद की धनराशि आंवटित की गई है, जिसका विवरण निम्नवत् है–
   - सी0ओ0टी0पी0ए0 अधिनियम, 2003 को भली–भॉति लागू करने हेतु सम्बंधित विभागों यथा–रेल विभाग, खेल, नगर–निगम/परिषद, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि के विभिन्न कार्मिकों का Orientation of Stakeholder Organizations के अन्तर्गत उन्मुखीकरण किया जाना है। जिस हेतु रू0 40,000.00 की धनराशि आंवटित की गई है।
   - तम्बाकू नियंत्रण एवंसी0ओ0टी0पी0ए0 अधिनियम, 2003 के सम्बध में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ ए0एन0एम0 आदि का Training of Health Professionals के अन्तर्गत उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है जिस हेतु रू0 30,000.00 की धनराशि आंवटित की गई है।
   - जनपद प्रशासन के अधिकारियों यथा, पुलिस विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नगर पालिका/निगम, कर विभाग, शिक्षा विभाग आदि का Orientation of Law Enforcers के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाना है, जिस हेतु रू0 30,000.00 की धनराशि आंवटित की गई है।

Training of PRI's representatives/Police Personnel/ Transport Personnel/Teacher/ NGO personnel/other stakeholders-FMR Code 3.3.3.2

उक्त मद के अन्तर्गत प्रतिभागियों के रूप में विभिन्न विभागों/संस्थाओं के प्रतिनिधियों यथा जनपद प्रशासन, एन0एस0एस0, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0ओ0, आई0एम0ए0, आई0डी0ए0, शिक्षक संगठन, स्वयंसेवी संगठन, ग्राम पंचायत, पंचायती राज, लोक परिवहन, पुलिस विभाग आदि को प्रशिक्षित किया जाना है, जिस हेतु रू0 30000.00 की दर से धनराशि का आंवटन किया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य स्तर से प्रशिक्षण मद में आंवटित धनराशि में से उपरोक्त निर्धारित प्रशिक्षण कराने के उपरान्त यदि धनराशि शेष रह जाती है तो आप कार्यक्रम हित एवं जनहित में निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है।

SBCC/IEC Campaign-FMR Code 11.21.1

जन सम्पर्क एवं जन जागृति हेतु जनपदवार एवं मदवार रू0 7.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आंवटित की गई है। प्रचार–प्रसार सामग्री हेतु दिशा–निर्देश राज्य स्तर से पूर्व में ही प्रेषित किये जा चुकें हैं।

जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को सामान्य जनता की जागरूकता हेतु जन जागरूकता के मिश्रित माध्यमों का उपयोग करना चाहियें। तम्बाकू सेवन से होनें वालें दुष्प्रभावों पर सन्देश हेतु स्वास्थ्य मेला, होर्डिंग, हैण्ड बिल, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, पारम्परिक/लोक मीडिया, रेडियो आदि का प्रयोग करना चाहियें।

जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ राष्ट्रीय स्तर की मीडिया के साथ समन्वय स्थापित कर सकतें है।

जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ पोस्टर एवं स्टैण्डी का प्रयोग करके मोबाइल प्रदर्शनी किट विकसित कर सकती है। जिसमें कुछ आडियो विजुअल माध्यमों का प्रयोग करके इसे और आकर्षक बनाया जा सकता है। इस मोबाइल प्रदर्शनी किट को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। साईनेज पर चित्रों के माध्यम से सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के विभिन्न प्राविधानों को दर्शाया जा सकता है।

स्वयं सेवी संगठनों, आशा, स्वयं सहायता समूहों, एवं यूथ क्लब आदि को तम्बाकू नियंत्रण हेतु आयोजित की जाने वाली गतिविधियों में प्रतिभाग करनें के लियें प्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे तम्बाकू नियंत्रण की जागरूकता अधिक से अधिक लोगों मे हो।

जिला सलाहकार के सहयोग से समाज में तम्बाकू सेवन से होने वाली हानियों के विषय में जागरूकता हेतु सॉइकोलॉजिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता को हर सप्ताह दो बार क्षेत्रीय भ्रमण करना अनिवार्य होगा।

Printing of Challan Books- FMR Code 12.14.1

उक्त मद के अन्तर्गत कोटपा अधिनियम, 2003 के प्रवर्तन हेतु 350 प्रतियॉ प्रति जनपद जुर्माने की रसीद एवं चालान बुक की छपाई हेतु प्रति चालान एवं जुर्माना बुक रू0 60.00 का बजट उपलब्ध है। वर्णित रसीद बुक एवं चालान बुक विभिन्न विभागों को उपलब्ध कराते हुयें अधिनियम का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना आपेक्षित है।

School Programme- FMR Code 2.3.3.4.1

विद्यालय कार्यक्रम हेतु प्रति जनपद रू0 7.00 लाख की धनराशि आंवटित की गई है।

तम्बाकू नियंत्रण हेतु जनपद में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के जागरूकता हेतु कार्यक्रम कराया जाना है।

विद्यालय कार्यक्रम के अन्तर्गत निबन्ध प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, आदि का आयोजन किया जाना चाहियें। वृत्त चित्र/ फिल्मों, कठपुतली के खेल आदि से विद्यार्थियों को जागरूक किया जाना चाहियें।

विद्यालय कार्यक्रम हेतु निम्नानुसार धनराशि का आंवटन किया गया है–

1. 10 पब्लिक विद्यालय हेतु रू0 6,667.00 प्रति विद्यालय।
2. 20 प्राइवेट विद्यालय हेतु रू0 10,000.00 प्रति विद्यालय।
3. 10 पब्लिक विद्यालय में विद्यालय की अन्य गतिविधियों के साथ तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम हेतु रू0 13,300.00 प्रति कार्यक्रम।
4. 10 प्राइवेट विद्यालय में विद्यालय की अन्य गतिविधियों के साथ तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम रू0 10,000.00 प्रति कार्यक्रम।
5. 20 संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन कालेज एवं विश्वविद्यालय हेतु रू0–10,000.00 प्रति कार्यक्रम।

भारत सरकार द्वारा प्रदत्त टोबैको फ्री एजुकेशनल्स इन्स्टीट्यूशन्स (TOFFEE) गाइडलाइन के अनुसार राज्य स्तर से चयनित स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जिला तम्बाकू नियत्रण प्रकोष्ठ द्वारा 70 विद्यालय कार्यक्रमों का निष्पादन किया जाना है, जिस हेतु राज्य स्तर से पृथक से दिशा–निर्देश प्रेषित किये जायेगें।

Enforcement Squad Meeting– FMR Code 16.1.3.3.14

कोटपा अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत प्रवर्तन हेतु गठित इन्फोर्समेन्ट स्क्वायड (सचल/प्रवर्तन दल) की 2 बैठक प्रतिवर्ष कराया जाना है, जिस हेतु रू0 5,000.00 (पॉच हजार मात्र)/बैठक की धनराशि उपलब्ध है।

Misc./Office Expences for District Tobacco Cell– FMR Code 16.1.4.2.8

रू0 5.00 लाख (पांच लाख मात्र) प्रति जनपद की दर से धनराशि आंवटित की गई है, जिसका उपभोग कार्यालय के उपयोग हेतु सामग्री, स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री का क्रय अथवा सेवाओं हेतु किया जा सकता है।

Mobility Support For DTCC– FMR Code 16.1.3.1.18.2

मोबिलिटी सपोर्ट हेतु रू0 35000.00/माह की दर से 12 माह हेतु कुल 4.20 लाख/जनपद की धनराशि आवंटित की गई है, जिसका उपभोग राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के मूल्याकंन एव अनुश्रवण हेतु वाहन किराये पर लेने के लिए किया जा सकता है। वाहन का प्रयोग प्रवर्तन, छापेमारी एंव कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य गतिविधियों में भी किया जा सकता है।

Monthly meeting with the hospital staff and Weekly FGD with the tobacco users– FMR Code 16.1.2.1.22

उक्त मद के अन्तर्गत तम्बाकू का प्रयोग करने वालों के साथ साप्ताहिक एफ0जी0डी0 एवं प्रत्येक माह चिकित्सक, नर्स एवं चिकित्सालयों के कर्मचारियों के साथ तम्बाकू नियंत्रण हेतु बैठक किया जाना है, जिस हेतु रू0 4000.00/माह की दर से 12 माह हेतु कुल रू0 48000.00 की धनराशि आंवटित की गई है।

अन्य व्यय (Contingency/Miscellaneous)

- **Mobility Supportfor TCC- FMR Code 16.1.3.1.18.2** के अन्तर्गत तम्बाकू उन्मूलन की गतिविधियॉ यथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार हेतु भ्रमण, एफ0जी0डी0 के आयोजन हेतु भम्रण तथा उन्मूलन संबंधी अन्य गतिविधियों में आवागमन हेतु रू0 5000.00/माह की दर से 12 माह हेतु रू0 60000.00 की धनराशि आंवटित की गई है।
- **Office Expenses for TCC- FMR Code 16.1.4.1.11** के अन्तर्गत कार्यालय व्यय मद हेतु जनपदवार रू0 1.00 लाख/जनपद की धनराशि आंवटित की गई है। तम्बाकू नियंत्रण हेतु उक्त मद द्वारा विविध व्यय जैसे– संचार, कार्यालयोपयोगी सामग्री आदि पर व्यय किया जा सकता है।

अन्य निर्देश

1– जनपदीय सलाहकार जनपद के सभी विभागों के समन्वय स्थापित करते हुए कार्ययोजना बनाकर नोडल अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम/विद्यालय कार्यक्रम में स्वंयसेवी संस्था के सहयोग एवं अन्य गतिविधियों को सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगें।

2– जनपदीय सलाहकार समस्त विभागों में सी0ओ0पी0टी0ए0–2003 के समस्त प्राविधानों/धाराओं एवं जे0जे0सी0 एक्ट–2015 की धारा–77 का जनपद में अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगें, साथ ही सप्ताह में एक दिन होने वाली एफ0जी0डी0 कार्यक्रम मे प्रतिभाग करेगें।

3– सोशल वर्कर विद्यालय कार्यक्रम का क्रियान्वयन/अनुश्रवण जनपद सलाहकार के सहयोग एवं दिशा–निर्देशानुसार करना/करवाना सुनिश्चित करेंगें।

4– सोशल वर्कर द्वारा साइकोलॉजिस्ट की सहायता से ग्रमीण स्तर पर सप्ताह में एक दिन होने वाले एफ0जी0डी0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन जनपद सलाहकार के सहयोग एवं दिशा–निर्देशानुसार करेंगे।

5– जिला नोडल अधिकारी द्वारा कार्यक्रम के अर्न्तगत मदवार एवं गतिविधिवार आवंटित धनराशि का व्यय नियमानुसार प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2022 तक शत–प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें।

6– जिला एन0सी0डी0सेल में कार्यरत जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार द्वारा कार्यक्रम का वित्तीय कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके क्रम में जिला नोडल अधिकारी के दिशा–निर्देश में जिला सलाहकार द्वारा कार्यक्रम की कार्ययोजना बनाकर जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7– जनपदीय सलाहकार आपरेशनल गाइडलाइन्स एवं समय–समय पर राज्य स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देशों पर आवश्यक कार्यवाही एवं जिन जनपदों में वर्तमान समय तक DLCC/इन्फोर्समेन्ट स्कवायड, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर समन्वय समिति का गठन नहीं किया गया है, का गठन करवाना सुनिश्चित करेंगें।

8– जनपदीय सलाहकार यलो लाइन कैम्पेन के माध्यम से समस्त सरकारी कार्यालय एवं शैक्षिण संस्थानों में यलो लाइन सम्पादन करवाना सुनिश्चित करेगें।

9– जनपद सलाहकार अपने आंवटित जनपद के साथ–साथ अन्य जनपद का कार्य जोकि पूर्व में आंवटित किये गये है, उसी के अनुसार आंवटित जनपद में DLCC/इन्फोर्समेन्ट स्कवायड का गठन, प्रशिक्षण एवं ससमय रिपोर्टिंग करना सुनिश्चित करेंगें।

10– वर्तमान समय में कोविड–19 वैश्विक माहमारी के दृष्टिगत् भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर कोविड–19 माहमारी हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधियाँ सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें।

9. राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम–उत्तर प्रदेश निरन्तर चलने वाला कार्यक्रम है, वर्ष 2015–2019 में भारत सरकार द्वारा कराये गये नवीनतम सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश की अंधता की व्यापकता दर 1 प्रतिशत से कम (0.36%) हो गई है। अतः कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2024 तक वर्तमान अंधता दर को घटाकर 0.25% तक लाना है। विगत दो वर्षो में कोविड–19 महामारी के कारण कार्यक्रम की गतिविधियों में अपेक्षानुसार प्रगति नही प्राप्त हो पा रही है, परन्तु फिर भी हम सभी को अपने अथक प्रयासों से आगामी वर्षो में कार्यक्रम की गतिविधियों हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना सहयोग प्रदान करना है। वर्ष 2021–22 में भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम में होने वाली निम्न गतिविधियों में होने वाले व्यय की दरों को निम्नानुसार अनुमोदित किया है जिनके अनुसार ही कार्यक्रम के सुचारू कियान्वयन के लिए दिशानिर्देश निम्नवत् हैः–

क्र0स0	एफ0एम0आर0 कोड	मद का नाम	भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित दर प्रति इकाई (रूपयें में)
1-	15.4.2	Cataract Operations in NGO & PVT. sector.	Rs.2000/per oprt
2-	6.2.4.1	Cataract Operations in Govt Sector	Rs.1000/per oprt
3-	15.4.3.1	Diabitic Retinopathy (1181 cases)	2000/per oprt
4-	15.4.3.2	Childhood Blindness (1173 cases)	2000/per oprt
5-	15.4.3.3	Glaucoma (1167 cases)	2000/per oprt
6-	15.4.3.4	Keratoplasty (352 cases)	7500/per oprt
7-	15.4.3.5	Vitreoretinal Surgeary (352 cases)	10000/per oprt
8-	2.3.3.2	Free Spectacles School Childrens	350/per Spec
9-	2.3.3.3	Free Spectacles to Old Persons in govt. hospitals	350/per Spec
10-	2.3.2.4	Cornea Collection by Eye Banks	2000/Pair of Cornea
11-	6.1.5.1	Vision Centre on PHC/CHC	100000/ Centre.

- FMR Code No–15.4.2 में एन0जी0ओ0/प्राईवेट क्षेत्र के चिकित्सालयों द्वारा मोतियाबिन्द ऑपरेशन हेतु रू0 2000/ऑपरेशन की दर से धनराशि का भुगतान किया जाना है।
- FMR Code- 6.2.4.1 में राजकीय क्षेत्र के चिकित्सालयों द्वारा मोतियाबिन्द ऑपरेशन हेतु रू0 1000/ऑपरेशन की अधिकतम दर से आपरेशनों में प्रयोग होने वाली सामग्री का क्रय किया जाना है।
- FMR Code-15.4.3.1 में Diabitic Retinopathy वाले नेत्र रोगो के ऑपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा हेतु चुने हुए एन0जी0ओं0/प्राईवेट चिकित्सालयों को रू0 2000.00 प्रति केस की दर से भुगतान किया जाना है।
- FMR Code- 15.4.3.2 में Childhood Blindness होने वाले नेत्र रोगो के ऑपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा चुने हुए एन0जी0ओं0/प्राईवेट चिकित्सालयों को रू0 2000.00 प्रति केस की दर से भुगतान किया जानाहै।
- FMR Code-15.4.3.3 में Glaucoma के ऑपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा चुने हुए एन0जी0ओ0/प्राईवेट चिकित्सालयों को रू0 2000.00 प्रति केस की दर से भुगतान किया जाना है।
- FMR Code-15.4.3.4 में Keratoplasty के ऑपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा चुने हुए एन0जी0ओं0/प्राईवेट चिकित्सालय कों रू0 7500.00 प्रति केस की दर से भुगतान किया जाना है।
- FMR Code- 15.4.3.5 में Vitreoretinal Surgery के ऑपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा चुने हुए एन0जी0ओं0/प्राईवेट चिकित्सालयों रू0 10,000.00 प्रति केस की दर से भुगतान किया जाना है।

- FMR Code- 2.3.3.2में स्कूलों मे छात्रों के नेत्र परीक्षण व निःशुल्क चश्मों का वितरण रू0 350.00 प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में आवंटित की जा रही है जिसके अन्तर्गत एन0पी0सी0बी0 एण्ड वी0आई0 एवं आर0बी0एस0के0 के समस्त आयुवर्ग के बच्चों को चश्मा वितरित करने हेतु धनराशि उपलब्ध है।
- FMR Code- 2.3.3.3में राजकीय चिकित्सालयों में बुजुर्ग (रिफ्रैक्टिव एरर के कारण दृष्टिबाधित) लोगों को नेत्र परीक्षण के उपरान्त निःशुल्क चश्मा वितरण रू0 350/चश्में प्रति लाभार्थी की दर से आवंटित की जा रही हैं।
- FMR Code- 2.3.2.4 में नेत्र बैंको द्वारा कॉर्निया दान में प्राप्त कर प्रत्यारोपण रू0 2000.00 प्रति जोड़ी की दर से किया जाना है।
- FMR Code- 6.1.5.1में प्रदेश के 75 जनपदों में विज़न सेन्टरों पर उपकरणों को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रति केन्द्र रू0 1,00,000.00 की व्यवस्था की गयी है, नियमानुसार उपकरणों का क्रय किया जाना है।
- FMR Code- 8.1.3.5 में जनपदों में कार्यरत नेत्र शल्यकों को 12 माह पूर्ण होने के उपरान्त प्रथम 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि एवं पूर्व वित्तीय वर्ष में मानदेय वृद्धि प्राप्त नेत्र शल्यको को माह अप्रैल 2021 से 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि प्रदान की गयी है एवं सम्बन्धित नेत्र शल्यको के निरन्तर 03 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर 10 प्रतिशत लॉयलिटी बोनस और 05 वर्ष के निरन्तर कार्यकाल पूर्ण होने पर शेष 05 प्रतिशत लॉयलिटी बोनस की स्वीकृति सहित धनराशि अवमुक्त की गयी है। प्रदेश के शेष 21 जनपदों जहां पद रिक्त है, के नेत्र शल्यकों को रू0 66,000.00 प्रतिमाह की दर से मानदेय धनराशि अवमुक्त की गयी हैं। सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा नियमानुसार मानदेय एवं लॉयलिटी बोनस देय होगा।
- FMR Code- 8.1.13.16 में जनपदों में कार्यरत Ophth Assistant को 12 माह पूर्ण होने के उपरान्त प्रथम 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि एवं पूर्व वित्तीय वर्ष में मानदेय वृद्धि प्राप्त Ophth Assistant को माह अप्रैल 2021 से 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि प्रदान की गयी है एवं सम्बन्धित Ophth Assistant के निरन्तर 03 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर 10 प्रतिशत लॉयलिटी बोनस और 05 वर्ष के निरन्तर कार्यकाल पूर्ण होने पर शेष 05 प्रतिशत लॉयलिटी बोनस की स्वीकृति सहित धनराशि अवमुक्त की गयी है। प्रदेश के शेष 17 जनपदों जहां पद रिक्त है, के Ophth Assistant को रू0 12,000.00 प्रतिमाह की दर से मानदेय धनराशि अवमुक्त की गयी है। सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा नियमानुसार मानदेय एवं लॉयलिटी बोनस देय होगा।
- FMR Code- 8.1.13.1 में जनपदों में कार्यरत ग्रीफ काउंसलर को 12 माह पूर्ण होने के उपरान्त प्रथम 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि एवं पूर्व वित्तीय वर्ष में मानदेय वृद्धि प्राप्त ग्रीफ काउंसलर को माह अप्रैल 2021 से 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि प्रदान की गयी है एवं सम्बन्धित ग्रीफ काउंसलर के निरन्तर 03 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर 10 प्रतिशत लॉयलिटी बोनस और 05 वर्ष के निरन्तर कार्यकाल पूर्ण होने पर शेष 05 प्रतिशत लॉयलिटी बोनस की स्वीकृति सहित धनराशि अवमुक्त की गयी है। प्रदेश के शेष 1 जनपद में रिक्त पद के ग्रीफ काउंसलर को रू0 15000.00 प्रतिमाह की दर से मानदेय धनराशि अवमुक्त की गयी है। सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा नियमानुसार मानदेय एवं लॉयलिटी बोनस देय होगा।
- FMR Code - 16.4.3.1.9 में 54 जनपदों में कार्यरत संविदा डाटा इंट्री आपरेटर को 12 माह पूर्ण होने के उपरान्त प्रथम 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि एवं पूर्व वित्तीय वर्ष में मानदेय वृद्धि प्राप्त डाटा इंट्री आपरेटर को माह अप्रैल 2021 से 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि प्रदान की गयी है एवं सम्बन्धित डाटा इंट्री आपरेटर के निरन्तर 03 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर 10 प्रतिशत लॉयलिटी बोनस और 05 वर्ष के निरन्तर कार्यकाल पूर्ण होने पर शेष 05 प्रतिशत लॉयलिटी बोनस की स्वीकृति सहित धनराशि अवमुक्त की गयी है। प्रदेश के शेष 21 जनपदों के आउटसोर्स एजेंसी डाटा इंट्री आपरेटर को रू0 10791.00 प्रतिमाह की दर से मानदेय धनराशि अवमुक्त की गयी है। सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा नियमानुसार मानदेय एवं लॉयलिटी बोनस देय होगा। इसके अतिरिक्त नियमानुसार जी0एस0टी0, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं अन्य कर देय होगा।
- FMR Code 16.1.5.3.16 में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कार्यालय व्यय (स्टेशनरी, कन्ज्यूमेटिल्स, टेलीफोन एवं इन्टरनेट रेन्ट, कन्ज्यूमेबिल्स, कन्टिन्जेन्सी, मीटिग, बैठक व अन्य कार्यालय व्यय आदि) हेतु रू0 100000.00 तक की धनराशि वर्ष 2021–22 में प्रति जनपद व्यय किया जाना है।

मोतियाबिन्द ऑपरेशन राजकीय क्षेत्र – FMR Code 6.2.4.1 एवं स्वैच्छिक संस्था– FMR Code 15.4.2

- निर्धारित लक्ष्य से अधिक एन0जी0ओ0 द्वारा किये जाने वाले आपरेशन की पूर्व अनुमति राज्य स्तर से लेकर ही भुगतान प्रक्रिया के लिए अग्रसारित किया जाये।
- जनपद स्तर पर श्रेष्ठ एवं उच्च तकनीकि से लैस सर्जिकल स्वयंसेवी संस्थाओं को चिन्हित कर दो वर्ष हेतु हस्ताक्षरित किये गये एम0ओ0यू0 के आधार पर ही जनपद को प्राप्त एन0जी0ओ0 मद में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक ही आपरेशनों हेतु प्रोत्साहित किया जाये।
- स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किये गये आपरेशनों के भुगतान तभी किये जा सकेगें जबकि वे किये गये आपरेशन एवं उपलब्ध कराई गई सभी निःशुल्क सुविधाओं का पूर्ण विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध करायेंगे। स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किये गये केसों के भुगतान के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वे आपरेशन के अधिकतम 45 दिनों के भीतर एम0आई0एस0 डाटा फीडिंग कर भुगतान की सभी औपचारिकताएं पूर्णकर अपना दावा/बिल भुगतान हेतु 120 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराये, इसके उपरान्त कोई भी दावा भुगतान योग्य नही माना जायेगा तथा देर से प्राप्त बिल भुगतान हेतु अनुमन्य नही होंगें। भुगतान से पूर्व 5 प्रतिशत केसों का जनपद स्तर से भौतिक सत्यापन कराये जाने के निर्देश भारत सरकार द्वारा प्रदान किये गये हैं।
- स्वैच्छिक संस्थाओं को दिनांक 01.04.2012 के उपरान्त किये गये आपरेशन के भुगतान तभी किये जायेगें जबकि वे भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये एम0आई0एस0 सिस्टम में उक्त आपरेशनों का डाटा कम्प्यूटर द्वारा भारत सरकार की वेबसाईट पर लोड करेगें। जिसका प्रशिक्षण भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जा चुका है। किसी भी दशा में एम0आईएस0 सिस्टम पर आपरेशनों का डाटा फीड किये बिना एन0जी0ओं0 का भुगतान नही किया जायेगा यदि ऐसे किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
- ग्राम्य स्तर पर आप्टोमेट्रिस्ट द्वारा आशा, पंचायत सदस्य, ए0एन0एम0, अथवा पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सहायता से अन्धता से ग्रस्त लोगों का विवरण अंधता रजिस्टर में अंकित कराये तथा आरम्भिक परीक्षण कर स्क्रीनिंग कैम्प, बेस कैम्प अथवा चिकित्सालय मे जांच व उपचार हेतु रेफर करें। नेत्रशल्यक द्वारा ऑपरेशन हेतु उपयुक्त केसों का चयन कर शल्यक्रिया की जाये तथा आपरेशन के उपरान्त मिलने वाली सभी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाये तथा अंधता रजिस्टर में अंकित किया जाये। समय–समय पर अंधता रजिस्टर में आपरेशन के उपरान्त मरीजों का मूल्यांकन कर अपडेट किया जाये।
- मोतियाबिन्द ग्रसित अन्धता के मरीजों के सभी आपरेशन सरकारी/एन0जी0ओं0 के बेस चिकित्सालय के मानकानुसार विसंक्रमित ओ0टी0 में आई0ओ0एल0 विधि द्वारा किये जाये तथा ऑपरेशन के लिए अनुमन्य निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था सुनिंश्चित की जाये।
- जिला चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेजों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्थापित आई0ओ0एल0 केन्द्रों, स्वैच्छिक संस्थाओं के चिकित्सालयों पर मोतियाबिन्द ऑपरेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- लक्ष्य के सापेक्ष अनुमानतः 20 प्रतिशत ऑपरेशन सरकारी इकाईयों द्वारा, 20 प्रतिशत कार्यक्रम द्वारा वित्तपोषित स्वयंसेवी संस्थाओ द्वारा तथा शेष 60 प्रतिशत स्ववित्त पोषित संस्थाओं तथा निजी इकाईयों के शल्यकों द्वारा सम्पादित किया जायेगा। जनपद द्वारा उपरोक्त अनुपात मंद परिवर्तन नहीं कर सकते है, यदि जनपद द्वारा मंद परिवर्तन पाया जाने कि स्थिति में उसे वित्तीय अनियमियता की श्रेणी में माना जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जनपद की होगी।

मोतियाबिन्द के अतिरिक्त होने वाले नेत्र रोगों के आपरेशन एवं इलाज की सुविधा– FMR Code 15.4.3.1 से 15.4.3.5 तक

- वर्ष 2009–10 से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मोतियाबिन्द आपरेशनों के अतिरिक्त नेत्रों में होने वाले अन्य रोगों जैसे (डायबेटिक रेटिनोपैथी में लेज़र ट्रीटमेन्ट, ग्लूकोमा आपरेशन, कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन, विट्रियोरेटिनल सर्जरी तथा ट्रीटमेन्ट आफ चाईल्डहूड ब्लान्डनेस) के इलाज हेतु लक्ष्य प्राप्त हो रहे है। वर्ष 2021–22 हेतु रोगानुसार प्राप्त लक्ष्यों को

प्रदेश के मंडलीय/अधिक आबादी वाले/ऐसे जनपद जहां पर अन्य नेत्ररोगों का इलाज सम्भव हो उन्हें स्वीकृत धनरशि नियमतः अवमुक्त किया जा रहा है।

- उपरोक्त रोगों के इलाज हेतु अलग से एक रजिस्टर बनाये जायें जिसका प्रारूप भारत सरकार की नई गाइड लाईन में उपलब्ध है।

  उपरोक्त रोगो के इलाज में चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित अभिलेख एम0आई0एस0 सॉफ्टवेयर पर फीड हो जाने के उपरान्त प्रदान की जानी है। इस सम्बन्ध में किये गये आपरेशनों का बीमारीवार विवरण तथा उन पर व्यय धनराशि का विवरण भी प्रतिमाह एन0जी0ओ0वार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- मोतियाबिन्द हेतु स्क्रीनिंग कैम्प में सरकारी चिकित्सक एवं एन0जी0ओ0 चिकित्सको द्वारा अन्य नेत्ररोगो के मरीजों को चिन्हित किया जाना है तथा उनका इलाज हेतु निर्धारित दिन प्रति सप्ताह सुनिश्चित कर इलाज/आपरेशन हेतु चयनित एन0जी0ओ0/प्राईवेट चिकित्साकों से एम0ओ0यू0 कराकर डाटा फीडिंग किये जाने के उपरान्त नियमानुसार भुगतान कराया जाये।
- उक्त के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा स्वीकृत दिशा–निदेर्शो को npcbvi.gov.in पर अपलोड किया जाता है, तो उनका शत–प्रतिशत अनुपालन जनपद द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

स्कूलों मे नेत्र परीक्षण व चश्मों का वितरण FMR Code 2.3.3.2

- प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के(ब्लाक एवं अतिरिक्त) के अन्तर्गत स्कूलों मे 1–19 वर्ष तक के स्कूल जाने वाले बच्चों की नजर की स्क्रीनिंग की जायेगी। जिन बच्चों की नजर कमजोर पायी जायेगी उन्हे जांच हेतु ब्लाक स्तरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नेत्र परीक्षण हेतु रेफर किया जायेगा तथा जांचोपरान्त मुफ्त चश्मे की आपूर्ति की जायेगी।
- ब्लाक स्तर पर नियुक्त आप्टोमेट्रिस्टों द्वारा नजर की जांच कर चश्मे का नम्बर निर्धारित किया जायेगा ।
- भारत सरकार द्वारा बच्चों के निःशुल्क चश्मे वितरण हेतु प्रति केस रू0 350.00 की अधिकतम धनराशि प्राविधानित की गई है।
- सभी स्कूलों की दो–दो अध्यापक/अध्यापिकाओं को नेत्र परीक्षण करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाये। जिन बच्चों को कम रोशनी है उन्हे नजदीक के सरकारी विज़न सेन्टर (जहां पर नेत्रपरीक्षण का कार्य आप्टोमेट्रिस्ट द्वारा किया जाता है) में अध्यापक के माध्यम से या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्कूलों में जाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा भेजे गये बच्चे के निःशुल्क चश्मा वितरण कार्ड पर राजकीय नेत्र परीक्षण अधिकारी द्वारा किये गये नेत्र परीक्षणोपरान्त दिये गये सही नम्बर का चश्मा जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा टेन्डर के माध्यम से चयनित दुकान के द्वारा कार्ड लेकर निःशुल्क प्रदान किया जाये तथा कार्ड के एक भाग को पूर्व निर्धारित दर पर भुगतान हेतु जिला कार्यक्रम प्रबन्धक अंधता के पास उपलब्ध कराया जाये। जिला कार्यक्रम प्रबन्धक दुकान द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी कार्ड बिल के साथ प्राप्त करने पर नियमानुसार भुगतान एक सप्ताह के भीतर करना सुनिश्चित करेगे।
- बच्चों एवं बुजुर्गो को प्रदान किये जाने वाले चश्मों की अधिकतम स्वीकृति रू0 350 की सीमा के भीतर क्रय हेतु नियमतः टेन्डर कराया जाय, जिससे कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति लक्ष्यो के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 में बच्चों एवं बुजुर्गो के चश्मो का लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि जनपद स्तर से शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया जाये।
- स्कूली बच्चों को उपर्युक्त नम्बर के चश्मों को आवश्यकतानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला स्वास्थ्य समिति में निर्णय लेकर दृष्टिदोष से ग्रसित सभी स्कूली बच्चों को निःशुल्क चश्मा प्रदान किया जा सकता है। दृष्टिमितिज्ञों को इस बात का निर्देश पहले से ही दे दें। इस कार्य के परिवेक्षण हेतु जिले को जनपद में उपलब्ध नेत्र शल्यको के माध्यम से इस प्रकार विभक्त कर दिया जाये और उन्हे निर्देशित किया जाये कि वे स्कूल स्क्रीनिंग के इस कार्यक्रम को गुणवत्ता पूर्वक निरीक्षण करें।
- जनपद का हर आप्टोमेट्रिस्ट अपने स्तर पर स्कूली बच्चों के नेत्रपरीक्षण तथा दिये गये चश्मो का एक रजिस्टर अलग से बनाये तथा अपडेट करते रहें जिसे निरीक्षण के समय प्रस्तुत किया जायें।

राजकीय चिकित्सालयों में बुजुर्ग (निकट दृष्टि दोष) लोगों को नेत्र परीक्षण के उपरान्त निःशुल्क चश्मा वितरण– FMR Code 2.3.3.3

वर्ष 2013–14 से नई गतिविधि के रूप में भारत सरकार द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में नेत्र ज्योति की जांच कराने आने वाले निकट दृष्टिदोष से ग्रसित 45 वर्ष आयु से अधिक के मरीजों को नेत्र परीक्षण के उपरान्त सही नम्बर का निःशुल्क चश्मा वितरण किये जाने हेतु भी वर्ष 2021–22 में 1 लाख चश्में रू 350.00 प्रति चश्मे की दर से बांटने का लक्ष्य प्रदान किया हैं। अतः लक्ष्य एवं धनराशि का वितरण जनपदों को किया जा रहा है। उक्त हेतु राजकीय चिकित्सालयों में मरीजों की नज़र की जांच कर नेत्रपरीक्षण अधिकारी तथा नेत्र शल्यक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के अनुमोदन के उपरान्त जरूरत मंद बुजुर्ग मरीजों को निःशुल्क चश्में प्रदान किये जायें। इस गतिविधि की रिर्पोट भी स्कूली बच्चों हेतु निर्धारित रिर्पोटिंग प्रारूप पर महानिदेशालय को उपलब्ध कराई जाये।

नेत्रदान/नेत्रबैंको हेतु रिकरिंग ग्रान्ट FMR Code 2.3.2.4

जिन जनपदो मे नेत्र बैंक पंजीकृत है, उनके लिए ही लक्ष्य निर्धारित किये गये है। आई कलेक्शन हेतु नेत्र बैंक को रू0 2000.00 प्रति जोड़ी जिसमें से नेत्र बैक द्वारा रू0 1000.00 प्रति जोड़ी नेत्रदान केन्द्र को देय होगा। उक्त का भुगतान भी एम0ओ0यू0 तथा एम0आई0एस0 डाटा फीडिंग के उपरान्त ही देय होगा।

प्रचार–प्रसार FMR Code 11.4.1

जिला कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार हेतु एक वर्ष में तीन महत्वपूर्ण दिवस मनाये जाने हैंः–

1. नेत्रदान पखवाडा (दिनांक 25 अगस्त से 8 सितम्बर तक)
2. विश्व दृष्टि दिवस(अक्टूबर माह के दूसरे बृहस्पतिवार को)
3. विश्व ग्लूकोमा डे (12 मार्च प्रति वर्ष)

- उक्त दिवसों को मनाये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाय, इस कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा धनराशि जनपद स्तर के लिए अनुमोदित नही की गई है। धनराशि प्राप्त होने पर उपलब्ध कराई जायेगी, जिसको भारत सरकार द्वारा दिशा–निदेर्शो को npcbvi.gov.in से अपलोड किया जा सकता है, जिसका शत–प्रतिशत अनुपालन जनपद द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रदेश के जनपदों में प्रति जनपद एक विज़न सेन्टर्स की स्थापना

- वित्तीय वर्ष 2021–22 प्रदेश में विजन सेंटर की गुणवत्ता एवं प्रभावी संचालन के लिये सम्बन्धित व्यवस्था के लिए राज्य स्तर से पृथक रूप से जनपदो को चिन्हित कर विजन सेंटर हेतु धनराशि आवंटित की जायेगी।
- प्रदेश के अधिकांश प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों मे स्थापना के समय ही आवश्यक उपकरण प्रदान किये गये थे व इनके प्रतिस्थापन की कोई व्यवस्था नही थी। इनमे से कई केन्द्रों पर उपकरण बहुत पुराने हो गये है जिनके प्रतिस्थापन की कार्यवाही इस मद से की जानी है।
- नेत्र उपचार को प्राथमिकता देते हुए विज़न सेन्टर हेतु धनराशि प्राप्त होते ही जिन प्रा0स्वा0केन्द्रों पर आप्टोमेट्रिस्ट उपलब्ध हो तुरन्त उपकरण क्रय कर विजन सेन्टरों की स्थापना की जाये तथा नेत्र परीक्षण अधिकारी के अलग से बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।
- प्रदेश में इस वर्ष 75 नवीन विजन सेन्टरों की स्थापना हेतु अनुमति प्राप्त हुई हैं। जनपदों मे चयनित प्रा0/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा स्वैच्छिक संस्था के विजन सेन्टर का चिन्हिकरण कर आवश्यकतानुसार स्थापित करने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकृत किया जाता हैं।
- उपकरणों को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रति केन्द्र रू0 1,00,000.00 की व्यवस्था की गयी है, जिसमें से भारत सरकार की गाईड लाईन्स के अनुसार निम्न तालिका में प्रदर्शित किट क्रय की जानी है।

Equipment/Furnishing					
1	**Tonometers(Schiotz)**	4	**Trail Lens Sets with Trail Frames**	7	**Furnishing & Fixtures**
2	**Direct Ophthalmoscope**	5	**Snellen & Near Vison Charts**	8	**Slit Lamp**
3	**Illuminated Vision Testing Drum**	6	**Battery Operated Torch(2)**	9	**EPilation Forceps Xylocaine Eye Drops 4%**
Maximum Assistance = Rs. 100000					

- उपरोक्त सामग्री का क्रय एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाये।

मोतियाबिन्द आपरेशन हेतु आवंटित धनराशि का प्रयोग

राजकीय क्षेत्र में कल्ज्यूमेबिल्स, माईनर उपकरण/औज़ार का क्रय (भारत सरकार की अनुमोदित सूची के अनुसार), पी0ओ0एल0, गाड़ियों का रख–रखाव कल पुर्जे, किराये के वाहनो, ग्राम अंधता रजिस्ट्री, नेत्रबैकों तथा आई डोनेशन सेन्टरों द्वारा एकत्र की जाने वाले नेत्रों हेतु आवर्ती सहायता, प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय इस कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित गाइड लाइन जो www.npcbvi.gov.in and mohfw.nic.in के अनुसार देय होगें। सभी जनपदों से यह अपेक्षा की जाती है कि नेट पर उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध भारत सरकार की नई गाईड लाईन की प्रति डाउनलोड कर कार्यालय में रखें तथा कार्यक्रम की अनुमोदित मदों एवं दरों के अनुसार ही संचालन सुनिश्चित करायें।

- राजकीय क्षेत्र में होने वाले आपरेशनों में प्रयोग होने वाली सामग्रियों का क्रय उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी नवीनतम क्रय नियमों तथा भारत सरकार की उक्त वेबसाईट पर जारी गाईड लाईन में उल्लिखित क्रय प्रक्रिया के अनुसार कर चिकित्सालयों को समय से उपलब्ध करा दिये जायें, ताकि आपरेशनों के समय चिकित्सालयों में प्रयोग होने वाली सामग्री (कन्ज्यूमेबिल्स, लेन्स, दवायें, माईनर उपकरण/औज़ार का क्रय एवं अन्य कन्ज्यूमेबिल्स) की कमी के कारण चिकित्सालयों में नेत्रशल्यकों/मरीजों को परेशानी न हो।
- नेत्रबैंको को केवल राजकीय मेडिकल कालेजों एवं सरकारी चिकित्सालयों में ही स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाये तथा उनका नाम एवं पता भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाये।

जनपद में पूर्व से कार्यरत संविदा चिकित्सक, पैरा मैडिकल एवं डी0ई0ओ0 को वर्ष 2021–22 में 5 प्रतिशत वेतन वृद्धि को सम्मिलित करते हुये कुल मानदेय धनराशि जनपदों को उपलब्ध करायी गयी है एवं ई0पी0एफ0 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के सापेक्ष राज्य स्तर पर उपलब्ध धनराशि की लॉयलिटी बोनस के सम्बन्ध में मानव संसाधन इकाई, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप सम्बन्धित संविदाकर्मी को मानदेय सुनिश्चित की जायेगी।

प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, अंधता एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के द्वारा वित्तीय नियमों को शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय/भुगतान किया जायेगा।उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

10. COPD (Chronic obstructive pulmonary disease)

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में एफ0एम0आर मद सं0 6.2.2.5 पर NHM Free Drugs Servies के अन्तर्गत COPD औषधि हेतु प्रति जनपद रू0 25.00 लाख की दर से कुल रू0 1875.00 की धनराशि का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। औषधियों के क्रय हेतु धनराशि का आवंटन UPMSCL को किया जा चुका है, क्रय उपरान्त औषधियों का वितरण जनपदों को कर दिया जायेगा। सम्बन्धित औषधियों का उपयोग जनपद स्तर पर अस्थमा एवं सांस से ग्रसित रोगियों के निःशुल्क उपचार हेतु किया जाता है।

11. राष्ट्रीय बधिरता बचाव व रोकथाम कार्यक्रम (एन0पी0पी0सी0डी0)

वर्ष 2021–22 में भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृतियों के क्रम में सम्बन्धित 56 जनपदों–बाराबंकी, लखनऊ, गोरखपुर, बॉदा, वाराणसी, आगरा, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, प्रयागराज (इलाहाबाद), आजमगढ़, बहराइच, बरेली, बस्ती, अयोध्या (फैजाबाद), झॉसी, कानपुर नगर , मेरठ, मिर्जापुर, शाहजहॉपुर, मथुरा, फतेहपुर, हाथरस, बलिया, सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती, देवरिया, ललितपुर, इटावा, रायबरेली, गाजियाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, जौनपुर, भदोही, सोनभद, बदायूॅ, बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, चन्दौली, फर्रूखाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजीपुर, गोंण्डा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, कन्नौज, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, प्रतापगढ़, सीतापुर एवं उन्नाव में राष्ट्रीय बधिरता बचाव व रोकथाम कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियों एवं आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत हैः–

1. एफ0एम0आर0कोड–8.1.13.5, 8.1.13.18 तथा 8.1.13.19 सम्बन्धित उपरोक्त सभी जनपदों में चयनित 01 जिला चिकित्सालय स्तर पर निम्नलिखित 3 संविदा कर्मी अनुमोदित हैः–

- **आडियोलाजिस्ट–01 पद–एफ0एम0आर0 कोड 8.1.13.5** में प्रति जनपद रू0 30,000.00 प्रतिमाह मानदेय।
- **आडियोमीट्रिक असिस्टेंट–01 पद–एफ0एम0आर0कोड–8.1.13.18** में प्रति जनपद रू0 15,000.00 प्रतिमाह मानदेय पर।
- **इन्स्ट्रक्टर फार द हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन–01 पद–एफ0एम0आर0कोड–8.1.13.19** में प्रति जनपद रू0 15,000.00 प्रतिमाह मानदेय पर।

जनपदों में उपरोक्त तीनों संविदा कर्मियों की भर्ती रिक्तियों के अनुसार राज्य स्तर से राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा की जायेगी। पूर्व से कार्यरत उपरोक्त संविदा कर्मियों का प्राप्त मानदेय 01 वर्ष पूर्ण होने पर 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ कर दिया जाय। पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमानुसार Loyality bonus दिया जाय।

2. ENT–एम0एम0आर0कोड–8.1.3.4 जनपद रामपुर में कार्यकम संचालन हेतु चयनित जिला चिकित्सालय में संविदा पर एक ई0एन0टी0 सर्जन रू0 80,000.00 प्रतिमाह के मानदेय पर अनुमोदित है। उक्त पद की भर्ती राज्य स्तर से राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा की जायेगी। यह पद जिला चिकित्सालय पर नियमित ई0एन0टी0 सर्जन के नियुक्ति होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगा।

3. Procurement of bio-medical and other Equipment: NPPCD-FMR Code 6.1.5.7 कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित 01 जिला चिकित्सालय एवं जनपद के सभी प्रा0 स्वा0 केन्द्रों व सामु0 स्वा0 केन्द्रों मे कार्यक्रम की आपरेशनल गाईडलाईन के अनुरूप सम्बन्धित वॉछित उपकरणों का क्रय नियमानुसार किया जाना हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 हेतु सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 किट का क्रय किया जा चुका है तो उनका क्रय पुनः न किया जाये। सीएचसी किट हेतु आडियोमीटर का क्रय नही किया जाना है।

4. IEC/BCC activities under NPPCD-FMR Code 11.4.9.I.1

सम्बन्धित 56 जनपदों के लिए प्रति जनपद रू0 1.00 लाख की धनराशि अनुमोदित है, जो जनपद स्तर पर आई0ई0सी0 गतिविधि में भारत सरकार की आपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार व्यय की जायेगी।

5. प्रशिक्षण–एफ0एम0आर0कोड 9.2.4.6.F.4

कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी जनपदों में भारत सरकार की आपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार जनपद एवं ब्लाक स्तर के बाल रोग एवं महिला रोग विशेषज्ञ का एक दिवसीय, स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारी का दो दिवसीय, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं सुपरवाइजरों का एक दिवसीय, ग्रास रूट लेवल स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा, आंगनवाणी कार्यकर्ता, ट्रेन्ड बर्थ अटेन्डेन्ट इत्यादि का एक दिवसीय और प्राइमरी स्कूल टीचर तथा बधिरता से ग्रसित बच्चों के अभिभावकों का एक दिवसीय सेन्सीटाइजेशन ट्रेनिंग अनुमोदित है।

आपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार अभी तक छूटे हुए प्रशिक्षण को पूर्ण कर लिया जाय। बाल रोग एवं महिला रोग विशेषज्ञ एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों का प्रशिक्षण जनपद के ई0एन0टी0 सर्जन द्वारा जनपद स्तर पर एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, सुपरवाइजरों, ग्रास रूट लेवल स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा, आंगनवाणी कार्यकर्ता, ट्रेन्ड बर्थ अटेन्डेन्ट, प्राइमरी स्कूल टीचर तथा बधिरता से ग्रसित बच्चों के अभिभावकों का सेन्सीटाइजेशन प्रशिक्षण स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी द्वारा ब्लाक स्तर पर किया जायेगा।

कार्यक्रम की आपरेशनल गाइडलाईन, ट्रेनिंग माड्यूल, साउण्ड प्रूफ रूम एवं उपकरणो के मानक इत्यादि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की वेवसाइट www.mohfw.nic.in पर Major Programmes > Non- Communicable diseases, injury and Trauma > National Programme For Prevention and Control of Deafness (NPPCD) के लिंक पर भी उपलब्ध है।

12. रक्तकोषों के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न गतिविधियों का कियान्वयन

राजकीय रक्तकोषों के सफल संचालन, स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रोत्साहन एवं स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के आयोजन, हीमोग्लोबिनोपैथी के अन्तर्गत हीमोफीलिया एवं थैलीसीमिया रोग की निःशुल्क जाँच एवं उपचार, राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती समस्त मरीजों के लिए निःशुल्क रक्त एवं रक्त उत्पाद की उपलब्धता, बी0सी0टी0वी0 के द्वारा दूरस्थ एवं वंचित क्षेत्रों में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित रक्त एवं रक्त–उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलायें, जिन्हें रक्त एवं रक्त–उत्पाद की आवश्यकता होती है, को ब्लॉक/सुदूर क्षेत्रों में चिन्हित प्रथम संदर्भन इकाई पर रक्त भंडारण केन्द्रों के माध्यम से सुरक्षित रक्त एवं रक्त–उत्पाद उपलब्ध कराया जा रहा है।

उक्त के क्रम में समस्त राजकीय चिकित्सालयों/रक्तकोषों को सहयोग प्रदान किया जा रहा है, ताकि जनमानस को सस्ती, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधायें ससमय उपलब्ध कराई जा सके। कार्यक्रम के संचालन/क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत है–

1. **एफ0एम0आर0 मद 1.1.1.4**

थैलेसीमिया की निःशुल्क स्क्रीनिंग प्रदान करने हेतु चिकित्सा संस्थान जनपद–आगरा, कानपुर नगर, लखनऊ (04), मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर एवं प्रयागराज में एन0एच0एम0 द्वारा प्रदत्त HPLC उपकरणों के संचालन के लिए आवश्यक reagents & chemicals की उपलब्धता हेतु रेकरिंग मद में प्रति उपकरण रू0 1.00 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया है तथा एस0एस0पी0एच0 एन्ड पी0जी0टी0आई0, जी0बी0नगर को नवीन **HPLC** उपकरण के क्रय हेतु रू0 50.00 लाख आवंटित किया गया है।

2. **एफ0एम0आर0 मद 1.1.7.3.S03**

भारत सरकार द्वारा प्रदेश में थैलेसीमिया रोग से पीड़ित रोगियों को मुफ्त जाँच, उपचार एवं प्रबन्धन की सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के 13 जनपदों क्रमशः आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, बुलन्दशहर, जी0बी0नगर, सहारनपुर एवं आजमगढ़ में संचालित 'थैलेसीमिया डे केयर' के माध्यम से मुफ्त जाँच, उपचार एवं प्रबन्धन की सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत रू0 750.00 लाख चिकित्सा संस्थान/चिकित्सालय/मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से प्राप्त रोगी विवरण के अनुसार Iron chelation, Leukofilteration, investigations, मानकानुरूप मानव संसाधन की उपलब्धता के साथ–साथ दैनिक लैब तथा Logistics की आवश्यकताओं के सापेक्ष व्यय हेतु Contigency धनराशि का आवंटन किया गया है।

3. **एफ0एम0आर0 मद 1.1.7.3.S06**

भारत सरकार द्वारा आई0एम0एस0 बी0एच0यू0, वाराणसी में स्थापित Center of Excellence Hemoglobinopathies & Haemophilia के सुदृढीकरण हेतु मानव संसाधन की उपलब्धता एवं कन्ज्यूमेबल हेतु कुल रू0 10.40 लाख की धनराशि आवंटित की गई है।

4. **एफ0एम0आर0 मद 1.1.7.3.S07**

भारत सरकार द्वारा प्रदेश में हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों हेतु फैक्टर्स की निःशुल्क सुविधा के लिए रू0 3350.00 लाख जिला स्वास्थ्य समिति, लखनऊ के माध्यम से हिमोफिलिया नोडल संस्थान एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0 लखनऊ को फैक्टर्स क्रय कर एच0टी0सी0 केन्द्रों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निम्न टीप के साथ धनराशि आवंटित की गई है–

"Requirement and seeing last year utilization a total of for factor VIII Rs. 2000 lakhs is approved which include 50% recombinant, 20% plasma derived and 30% mimic

Approved Rs 500 lakhs for facor IX and Rs 200 lakhs for factor IX EHL as per State's demand. Rs. 500 lakhs for factor VII and Rs. 400 lakhs for other factor like apcc and others factor."

नोट–अनुमोदित धनराशि रू0 3600.00 लाख मे से रू0 250.00 लाख संस्थान हेतु पूर्व मे ही अवमुक्त की जा चुकी है।

5. **एफ0एम0आर0 मद 1.1.7.3.S09**

भारत सरकार द्वारा हिमैटोलॉजी विभाग एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ के द्वारा एन0एच0एम0 पोषित दो परियोजनाओं Strategies towards Early Diagnosis एवं Improving Treatment Adherence in Thalassemia हेतु क्रमशः रू0 7.90 लाख एवं रू0 7.65 लाख का आवंटन किया गया है।

6. **राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा केन्द्रों/चिकित्सा संस्थानों में भर्ती मरीजों को रक्त एवं रक्त अवयव की निःशुल्क उपलब्धता–एफ0एम0आर0 मद संख्या 1.1.7.7.S01**

प्रदेश के 71 जनपदों के राजकीय चिकित्सालय/चिकित्सा संस्थान में संचालित 98 रक्तकोषों को राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा केन्द्रों/चिकित्सा संस्थानों में भर्ती मरीजों को रक्त/रक्त अवयव की निःशुल्क उपलब्धता हेतु प्रोसेसिंग चार्जेज के सापेक्ष रू0 300.00 प्रति यूनिट की दर से प्रतिपूर्ति धनराशि (Free Blood Compensation amount) आवंटित की जा रही है, जो कि रक्तकोष द्वारा निर्गत होने वाली रक्त यूनिटों के सापेक्ष आवंटित है।

निजी/चैरिटेबल चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को निर्गत होने वाली रक्त यूनिटों पर राजकीय दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रोसेसिंग चार्जेज लागू होंगे। उक्त आवंटित धनराशि Processing/User charges के उपयोग हेतु पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार रक्तकोष सुदृढ़ीकरण हेतु यथा उपकरण के रख–रखाव, आवश्यकतानुसार किट/ब्लड बैग/रिएजेन्ट/कन्ज्यूमेबल/हिमोग्लोबीन एस्टीमेशन किट व पैड आदि की उपलब्धता, रक्तकोष के संचालन हेतु आवश्यक दैनिक आवश्यकता की उपलब्धता हेतु रेकरिंग के रूप (रक्तकोष एवं बी0सी0टी0वी0 में कार्यरत संविदा कर्मियों राज्य स्तर द्वारा आयोजित बैठक/प्रशिक्षण/समीक्षा/कार्यशाला आदि में प्रतिभागिता करने की दशा में प्राप्त निर्देशानुसार प्रतिभागियों के टी0ए0 एवं डी0ए0 की प्रतिपूर्ति) में तथा Hospital transfusion Committee द्वारा अनुमोदित रक्तकोष की आवश्यकता की उपलब्धता हेतु किया जाना है।

7. **एडवान्स प्री ट्रॉंन्सफ्यूजन टेस्टिंग–एफ0एम0आर0 मद संख्या 1.1.7.7.S02**

चिन्हित 16 केन्दों–के0जी0एम0यू0, लखनऊ, आर0एम0एल0 चिकित्सालय, लखनऊ, डॉ एस0पी0एम0 चिकित्सालय, लखनऊ, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ, एम0एल0एन0 चिकित्सालय संस्थान, प्रयागराज, एस0एस0पी0एच0 एन्ड पी0जी0टी0आई0, जी0बी0 नगर, एम0एल0बी0 चिकित्सालय संस्थान, झांसी, ए0एम0यू0 अलीगढ, जी0एस0वी0एम0, कानपुर, यू0एच0एम0 चिकित्सालय कानपुर, एस0एन0 चिकित्सालय संस्थान आगरा, पी0एल0 शर्मा चिकित्सालय मेरठ, एल0एल0आर0एम0 चिकित्सालय संस्थान, मेरठ, रिम्स आर सैफई, इटावा, जिला चिकित्सालय, इटावा एवं आई0एम0एस0, बी0एच0यू0, वाराणसी में स्थापित रक्तकोषों हेतु एडवान्स प्री ट्रॉंन्सफ्यूजन टेस्टिंग के लिए धनराशि का आवंटन किया गया है।

पूर्व की भांति जी0एस0वी0एम0–कानपुर, यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर तथा एस0एन0 चिकित्सा संस्थान, आगरा की रक्त यूनिटों का परीक्षण ए0एम0यू0 अलीगढ के माध्यम से किया जाना है। उक्त के अतिरिक्त एस0एस0पी0एच0 एन्ड पी0जी0टी0आई0, जी0बी0 नगर, एम0एल0बी0 चिकित्सालय संस्थान–झांसी, पी0एल0शर्मा चिकित्सालय मेरठ, एल0एल0आर0एम0 चिकित्सालय संस्थान, मेरठ, रिम्स आर सैफई, इटावा, जिला चिकित्सालय, इटावा के अन्तर्गत संचालित रक्तकोषों के रक्त यूनिटों का परीक्षण भी ए0एम0यू0 अलीगढ़ के माध्यम से किया जाना है।

उक्त के अतिरिक्त डॉ एस0पी0एम0 चिकित्सालय, लखनऊ रक्तकोष के रक्त यूनिटों का परीक्षण के0जी0एम0यू0, लखनऊ के माध्यम से किया जाना है तथा एम0एल0एन0 चिकित्सालय संस्थान, प्रयागराज की रक्त यूनिटों का परीक्षण आई0एम0एस0, बी0एच0यू0, वाराणसी के माध्यम से किया जाना है। शेष रक्तकोषों एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ, आर0एम0एल0 चिकित्सालय–लखनऊ एवं बलरामपुर चिकित्सालय–लखनऊ की रक्त यूनिटों का एडवान्स प्री ट्रॉंन्सफ्यूजन टेस्टिंग परिक्षण उनके द्वारा अपने प्रस्ताव के क्रम में नियमानुसार रक्तकोषों के स्तर पर ही किया जाना है।

उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में एन0एच0एम0, उ0प्र0 को प्रेषित एडवान्स प्री ट्रॉंन्सफ्यूजन टेस्टिंग परीक्षण प्रस्ताव के अतिरिक्त किसी अन्य परीक्षण/परीक्षणों हेतु नही किया जाना है। यदि चिकित्सा संस्थान/इकाई द्वारा ऐसा किया जाता है तो उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता के अन्तर्गत आच्छादित होगा।

8. **बी0सी0टी0वी0 पी0ओ0एल0 एवं रेकरिंग–एफ0एम0आर0 मद संख्या 2.1.3.1**

वर्ष 2021–22 हेतु मण्डलीय जनपद के राजकीय रक्तकेन्द्र पर स्थापित/संचालित बी0सी0टी0वी0 पी0ओ0एल0 एवं रेकरिंग (Maintenance, Servicing etc.) के लिए रू0 3,48,333.00 एकमुश्त धनराशि का आवंटन किया गया है। ब्लड कलेक्शन एवं ट्रांस्पोंटेशन वैन के संचालन (स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के आयोजन हेतु), वार्षिक बीमा एवं आवश्यकता की दशा में वैन की मरम्मत हेतु व्यय सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर उक्त आवंटित धनराशि से ही किया जाना है।

9. **ब्लड स्टोरेज यूनिट के रेकरिंग–एफ0एम0आर0 मद संख्या 5.3.3**

रक्त भण्डारण इकाई में आवश्यकतानुसार केमिकल्स, री–एजेन्ट, ग्लासवेयर्स, स्टेश्नरी आदि एवं रक्त भण्डारण ईकाई में कार्यरत संविदा कर्मियों हेतु राज्य स्तर द्वारा आयोजित बैठक/प्रशिक्षण/समीक्षा/कार्यशाला आदि में प्रतिभागिता करने की दशा में प्राप्त निर्देशानुसार प्रतिभागियों के टी0ए0 एवं डी0ए0 की प्रतिपूर्ति रेकरिंग मद में प्रदत्त धनराशि से किया जाना है।

10. **ए0एम0सी0/सी0एम0सी0–एफ0एम0आर0 मद 6.1.6.7**

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 14 राजकीय चिकित्सा संस्थानों में संचालित रक्तकोषों में स्थापित ऐसे उपकरण जिनकी वारंटी अवधि समाप्त हो चुकी है, के रख–रखाव हेतु ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 के लिए कोम्पोनेन्ट युक्त रक्त केन्द्रों को रू0 4.50 लाख की दर से तथा नान कोम्पोनेन्ट युक्त रक्त केन्द्रों को रू0 2.50 लाख की दर कुल रू0 57.00 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया है।

11. **किट्स एवं ब्लड बैग्स–एफ0एम0आर0 मद 6.2.2.2**

भारत सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार टेस्टिंग किट्स, ब्लड बैग्स एवं टेस्टिंग पैड की उपलब्धता हेतु रू0 209.00 लाख की धनराशि 71 जनपदों में राजकीय चिकित्सालय/चिकित्सा संस्थान के अन्तर्गत संचालित रक्तकोषों को आवंटित की गई है।

12. **एफ0एम0आर0 मद संख्या 11.10.1S04**

स्वैच्छिक रक्तदान/रक्त व्याधियों से सम्बन्धित विशेष दिवसो यथा विश्व रक्तदाता दिवस–14 जून, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस–1 अक्टूबर आदि के आयोजन हेतु प्रति रक्तकेन्द्र रू0 15,000.00 मात्र का आवंटन किया गया है।

13. **एफ0एम0आर0 मद संख्या 12.8.1**

प्रदेश में क्रियाशिल 96 राजकीय रक्तकोषों को रक्तदान प्रोत्साहन, रक्तकोष से सम्बन्धित आई0ई0सी0 निर्माण (Thalassemia Cards printing, Do’s & Don’t’s, Quality Indicators, SOP, Blood Bank Manuals, Sinages etc.) हेतु प्रति रक्तकोष रू0 25,000.00 की दर से कुल रू0 24.00 लाख का आवंटन किया गया है।

वित्तीय लेखा पुस्तकों का रख–रखाव, आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुशासन स्थापित करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश

ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट

भारत सरकार द्वारा जारी ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट को राज्य स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय द्वारा अंगीकृत किया जा चुका है। ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के प्राविधान उसी प्रकार से लागू हैं, जैसा कि उसमें वर्णित है, जब तक किसी प्राविधान के लिए अन्यत्र दिशा निर्देश जारी न किये जायें।

मैनुअल/कम्प्यूटराईज लेखा पुस्तकों का रख–रखाव

ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट में निर्धारित वित्तीय लेखा अभिलेखों का रख–रखाव जिला स्वास्थ्य समिति, सी0एच0सी0/पी0एच0सी0, सब सेन्टर, वी0एच0एस0एन0सी0 एवं अन्य चिकित्सा इकाई स्तर पर किया जाय।

जिला स्वास्थ्य समितियों, सी0एच0सी0/पी0एच0सी0, जिला अस्पताल एवं अन्य चिकित्सा इकाईयों में हस्तलिखित कैश/बैंक बुक एवं PFMS Log /Cheque Issue Register तैयार किया जाना अनिवार्य है। साथ ही अन्य मूल वित्तीय प्रपत्र एवं रजिस्टर जैसे–बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त की पत्रावली/ रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, बिल/बाउचर, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, स्थायी सम्पत्ति रजिस्टर एवं स्टॉक रजिस्टर इत्यादि का समुचित रूप से रख–रखाव किया जाना अपेक्षित है तथा निम्नानुसार निर्धारित समयान्तराल पर वित्तीय अभिलेख तैयार कर सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षर करवाते हुए अभिरक्षित किया जाना सुनिश्चित किया जाएः–

क्रम	विवरण	समयान्तराल	प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी व्यक्ति
1.	चेक निर्गत रजिस्टर/पी0एफ0एम0एस0 लॉग रजिस्टर	प्रतिदिन	पी0एफ0एम0एस0 मेकर/ चेकर आई0डी0 यूजर
2.	मैनुअल रोकड़ बही एवं बैक बही (जिला स्वास्थ्य समिति के समस्त कार्यक्रम)	प्रतिदिन	लेखा लिपिक
3.	मैनुअल रोकड़ बही एवं बैंक बही (सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/जिला अस्पताल)	प्रतिदिन	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक/ जिला अस्पताल का लेखाकार
4.	मैनुअल रोकड बही एवं बैक बही (डी0पी0एम0यू0)	प्रतिदिन	जिला डॉटा कम लेखा सहायक
5.	बैंक समाधान विवरण	मासिक	जिला डॉटा कम लेखा सहायक/ब्लॉक लेखा प्रबन्धक/जिला अस्पताल का लेखाकार
6.	पत्रावली/सपोर्टिंग बिल वाउचर्स् एवं अन्य सम्बन्धित प्रपत्र को तैयार करना (जिला स्वास्थ्य समिति/जिला अस्पताल)	प्रतिदिन	लेखा लिपिक
7.	पत्रावली/सपोर्टिंग बिल वाउचर्स् एवं अन्य सम्बन्धित प्रपत्र को तैयार करना (डी0पी0एमयू0)	प्रतिदिन	जिला डॉटा कम लेखा सहायक
8.	पत्रावली/सपोर्टिंग बिल वाउचर्स् एवं अन्य सम्बन्धित प्रपत्र को तैयार करना (सी0एच0सी0/पी0एच0सी0)	प्रतिदिन	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक
9.	रोकड़ बही/बैंक बही/पत्रावली/सपोर्टिंग बिल वाउचर्स एवं अन्य सम्बन्धित प्रपत्र को तैयार करना (जिला स्वास्थ्य समिति)	प्रतिदिन	लेखा लिपिक

10.	रोकड़ बही/बैंक बही/खाता बही (टेली प्रिन्ट आउट)/पत्रावली/सपोर्टिंग बिल वाउचर्स् एवं अन्य सम्बन्धित प्रपत्र को तैयार करना (डी0पी0एमयू0)	प्रतिदिन	जिला डेटा कम लेखा प्रबन्धक
11.	रोकड़ बही/बैंक बही/खाता बही (टेली प्रिन्ट आउट)/पत्रावली/सपोर्टिंग बिल वाउचर्स एवं अन्य सम्बन्धित प्रपत्र को तैयार करना (सी0एच0सी0/पी0एच0सी0)	प्रतिदिन	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के वित्त एवं लेखांकन सम्बन्धी समस्त कार्य जिला लेखा प्रबन्धक के निर्देशन में डेटा कम लेखा सहायक (एन0यू0एच0एम0) द्वारा निष्पादित किये जायेंगे। जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के वित्त एवं लेखांकन सम्बन्धी समस्त कार्य जिला लेखा प्रबन्धक के निर्देशन में जिला डेटा कम लेखा सहायक द्वारा निष्पादित किया जायेगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अन्तर्गत आच्छादित कार्यक्रमों के वित्त एवं लेखांकन सम्बन्धी समस्त कार्य जिला लेखा प्रबन्धक के निर्देशन में फाईनेन्स कम लॉजिस्टिक कन्सलटेन्ट द्वारा निष्पादित किये जायेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज के आच्छादित कार्यक्रमों का वित्त एवं लेखांकन सम्बन्धी समस्त कार्य जिला लेखा प्रबन्धक के निर्देशन में लेखाकार (एन0टी0ई0पी0) द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/लेखा/2014–15/210/7108–2 दिनांक 05.10.2015 एवं 174–75 दिनांक 12.04.2017 के माध्यम से जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों में वित्तीय एवं लेखांकन कार्य हेतु संविदा पर कार्यरत लेखाधिकारी/लेखाकार द्वारा जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा आबंटित वित्तीय/लेखांकन कार्य निष्पादित किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2020–21 तक जिला स्वास्थ्य समितियों, जिला अस्पताल एवं सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 द्वारा Tally ERP-09 का डेटा बैकअप स्वयं सम्बन्धित इकाई के द्वारा तथा जनपद की समस्त इकाईयों का टेली डॉटा डी0पी0एम0यू0 द्वारा अभिरक्षित किया जायेगा। राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति के टैली डॉटा का बैकअप अभिरक्षित किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

लेखाकार (जनपदीय चिकित्सालय)

जिला अस्पताल में वित्तीय अभिलेखों के रख–रखाव के लिए जिला अस्पताल में लेखाकारो की तैनाती की गयी है। जनपदों के जिला अस्पताल मे तैनात लेखाकारों का मानदेय, एफ0एम0आर0 कोड 16.4. 2.1.7 में डी0एच0ए0पी0 के माध्यम से आवंटित धनराशि से आहरित की जायेगी। वार्षिक वृद्धि एवं लॉयेल्टी का भुगतान राज्य स्तर से निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार किया जायेगा। नियुक्ति की तिथि/कार्यावधि/मूल्यांकन के आधार पर वास्तविक मानदेय का निर्धारण करते हुए मानदेय का भुगतान किया जायेगा। डी0एच0ए0पी0 में आवंटित मानदेय बजट मात्र है।

पत्रांक संख्या–एन0एचम0एम0/एस0पी0एम0यू0/लेखा/बैम/2014–15/213/3923–75 दिनांक 17.07.2013 के अन्तर्गत जिला हॉस्पिटल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिये नियुक्त लेखाकार के कार्य एवं दायित्व को निधारित किया गया है।

लेखाकार (जनपदीय चिकित्सालय) के कार्य एवं दायित्व

1. जिला चिकित्सालय से संबंधित समस्त लेखांकन मैनुअल एवं कम्प्युटराइज्ड कार्य।
2. पी0एफ0एम0एस0 में मेकर आई0डी0 का प्रयोग करके समस्त भुगतान तैयार करना।
3. पी0एफ0एम0एस0 लॉग/चेक ईशु रजिस्टर तैयार करना।
4. मैनुअल कैशबुक तैयार की जायेगी।
5. मासिक बैंक समाधान विवरण तैयार करना।
6. एफ0एम0आर0, कमिटेड रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अन्य वित्तीय रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराएं।
7. एफ0ए0एम0एस0 सॉफ्टवेयर पर कार्य किया जायेगा।

फाईनेन्शियल एण्ड एकाउन्टिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम (एफ0ए0एम0एस0)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय प्रबन्धन एवं लेखा पुस्तकों के रख–रखाव हेतु Finance and Account Management System (FAMS) सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से Accounting, Auditing, ROP/DHAP/BHAP, Expenditure & Release इत्यादि व्यवहारित किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु प्रत्येक स्तर पर ऑन लाईन समस्त रिपोर्ट उपलब्ध रहेगी। राज्य स्तर से सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा ऑन लाईन डी0एच0ए0पी0 (डैप) तैयार किया जायेगा, जिसके उपरान्त जनपद स्तर पर बी0एच0ए0पी0 (बैप) तैयार किया जायेगा। वित्तीय लेन–देन की एकाउन्टिंग इन्ट्री सॉफ्टवेयर पर की जायेगी तथा एफ0ए0एम0एस0 सॉफ्टवेयर तैयार एक्सल शीट को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड करके भुगतान किया जायेगा। पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से तैयार प्रिन्ट पेमेन्ट एडवाईज् की संख्या एवं दिनांक एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल पर अंकित किया जायेगा। टी0डी0एस0 / जी0एस0टी0 / ई0पी0एफ0 इत्यादि जिनका भुगतान चेक / नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जाता है। भुगतान पश्चात्, भुगतान विवरण एवं दिनांक एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल पर अंकित की जायेगी। बैंक समाधान विवरण एफ0ए0एम0एस0 सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार किया जायेगा।

राज्य स्तर से एफ0ए0एम0एस0 सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिला कार्ययोजना का बजट आवंटन(फॉट) तैयार किया गया है तथा समय–समय पर आवश्यकता अनुसार जनपद को बजट आवंटन(फॉट) किया जायेगा। राज्य स्तर से जनपद को आवंटित बजट को एफ0ए0एम0एस0 सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त करते हुए एफ0एम0आर0 कोडवार् एवं ब्लॉक / यूनिटवार् बजट आवंटन(फॉट) तैयार किया जायेगा। बी0एच0ए0पी0 तैयार कराने का उत्तरदायित्व जिला कार्यक्रम प्रबन्धक का होगा। एफ0ए0एम0एस0 सॉफ्टवेयर पर आवंटित बजट को कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार वित्तीय नियमों का पालन करते हुए व्यय किया जायेगा।

राज्य स्तर से एफ0ए0एम0एस0 सॉफ्टवेयर का टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण मण्डलीय कार्यक्रम / लेखा प्रबन्धक एवं जिला कार्यक्रम / लेखा प्रबन्धक को प्रदान किया गया है, जिनके द्वारा जनपद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य स्तर से जूम मीटिंग के माध्यम से ब्लॉक स्तर तक अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा समय–समय पर अग्रतर प्रदान किया जायेगा।

केन्द्रीयकृत वेतन / मानदेय तथा ई0पी0एफ0

पत्र संख्या एन0एच0एम0 / एस0पी0एम0यू0 / लेखा / रख–रखाव / 2014–15 / 206 / 175–4 दिनांक 12.04.2017, 1787–4 दिनांक 01.06.2017 एवं 4230–4 दिनाक 31.07.2017 के माध्यम से केन्द्रीयकृत वेतन / मानदेय तथा ई0पी0एफ0 के भुगतान की व्यवस्था की गयी है।

- प्रत्येक माह का देय मानदेय / वेतन का भुगतान अगामी माह की 07 / 10 तारीख तथा ई0पी0एफ0 का भुगतान 15 तारीख तक किया जाना होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के मार्च माह का देय वेतन / मानदेय एवं ई0पी0एफ0 का भुगतान 31 मार्च तक कर दिया जाएगा।
- कर्मचारी एवं नियोक्ता के अंशदान की धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदित कार्यक्रम के बैंक खातों से जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के बैंक खाता में हस्तान्तरित की जायेगी। तत्पश्चात ई0पी0एफ0ओ0 को कारपोरेट इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से इस बैंक खाता के संयुक्त हस्ताक्षरी द्वारा अपना–अपना आई0डी0 एवं पासवर्ड का प्रयोग करके भुगतान किया जायेगा।
- जनपद के अर्न्तगत मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन आने वाली स्वास्थ्य ईकाइयों (सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 / उपकेन्द्र इत्यादि) पर कार्यरत समस्त अधिकारी / कर्मचारी के मानदेय / वेतन का भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति से किया जायेगा।
- मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालयों, जिला अस्पतालों, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों एवं मेडिकल कालेजों एवं अन्य संस्थान जो कि मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन नही आते हैं, उन इकाइयों में कार्यरत एन0एच0एम0 संविदा कर्मियों, जिनका वेतन रु0 15000.00 प्रति माह तक है या / एवं ई0पी0एफ0 की देयता है, उनका मानदेय भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति से ई0पी0एफ0 की कटौती नियमानुसार करते हुए किया जायेगा एवं शेष कर्मियों जिन पर ई0पी0एफ0 लागू नही है, के मानदेय / वेतन का भुगतान उनकी तैनाती इकाईयों / संस्थाओं से किया जायेगा।
- जनपद के अन्दर कार्यरत कर्मियों, जिनके मानदेय / वेतन का नियमानुसार भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति से किया जाएगा, का वेतन रजिस्टर जिला स्वास्थ्य समिति स्तर पर तैयार किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (Public Financial Management System)

वित्तीय व्यवहार, लेनदेन एवं भुगतान में पारदर्शिता लाने आनलाईन ससमय वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने हेतु भारत सराकर द्वारा जारी पब्लिक फाईनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी0एफ0एम0एस0) वेब पोर्टल के माध्यम से राज्य, जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय इकाईयों (उपकेन्द्र एवं वी0एच0एन0सी0 को छोडकर) द्वारा समस्त धनराशियों का भुगतान/अवमुक्त/स्थानान्तरण (राज्य एवं केन्द्र सरकार के ट्रेजरी को भुगतान किये जाने वाली धनराशि जैसे–आयकर, व्यापार कर, अन्य कटौतिया/वैधानिक देयताओं एवं लोक निर्माण विभाग, आर0ई0एस0 एवं अन्य सरकारी विभाग को छोडकर) पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/5067 दिनांक 4.02.2015 एवं 8.04.2015 के अनुरूप किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा इस पोर्टल को लागू करने का उद्देश्य मध्यस्थ को भुगतान न करके सीधे सम्बन्धित लाभार्थी, अधिकारी/कर्मचारी एवं आपूर्तिकर्ता एवं सेवा प्रदाता के खाते में भुगतान पी0एफ0एम0एस0 वेव पोर्टल के माध्यम से ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के द्वारा किया जाना है। इस सम्बन्ध में पत्र संख्या–एस.पी.एमयू./एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/1380–ए दिनांक 11.06.2015 एव पत्र संख्या–एस.पी.एमयू./एन0आर0एच0एम0/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/2017–18/1787–6 दिनांक 28.05.2018 के द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

उपकेन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति एवं महिला आरोग्य समिति का पंजीकरण पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल पर किया जाना अनिवार्य है। जब तक उपकेन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति एवं महिला आरोग्य समिति का पंजीकरण पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल पर नहीं किया जाता है, तब तक इनको धनराशि का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा। उपकेन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति एवं महिला आरोग्य समिति द्वारा अपने व्यय का भुगतान चेक या नियमानुसार अन्य माध्यम से किया जा सकता है।

आन्तरिक नियंत्रण व्यवस्था (इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टम)

आन्तरिक नियंत्रण हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत मण्डलीय/जनपद स्तर पर वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है। जिनके कार्य एवं दायित्व निम्न हैः–

एन0एच0एम0 के अन्तर्गत वित्तीय लेन देनों में आन्तरिक नियंत्रण एवं पारदर्शिता लाने के लिये शासनादेश संख्या–637/सेक –5–पांच– 2016–320/2011 टी0सी0 दिनांक 17.05.2016 के अन्तर्गत जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालयों में तैनात वित्त एवं लेखा अधिकारियों के माध्यम से निम्नवत कार्य दायित्व निर्धारित किये गये हैं:–

(क) मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में समस्त वित्त एवं लेखा अधिकारियों से एन0एच0एम0/राज्य बजट से सम्बन्धित समस्त लेखा सम्बन्धी कार्य लिये जायें, क्योकि वित्त लेखा अधिकारियेां को उक्त कार्यों की विशिष्टता प्राप्त है और वे विभाग में वित्तीय अनुशासन को सुदृढ करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते है। समस्त जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यो में सहायता करने, लेखा–अभिलेखों को पूर्ण कराने, प्रत्येक माह एफ0एम0आर0 भेजने, वित्तीय मामलों में परामर्श देने के लिये जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में जिला लेखा प्रबन्धक की नियुक्ति की गयी है। जिला लेखा प्रबन्धक जनपदों में एन0एच0एम0 से सम्बन्धित धनराशि के व्यय एवं उनका लेखा–जोखा रखने के लिए उत्तरदायी होगें। वर्तमान में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में वित्तीय परामर्श से सम्बन्धित पत्रावलियां जिला लेखा प्रबन्धक के पास नहीं आती है, जिसके कारण वित्तीय नियंत्रण शिथिल रहता है।

(ख) एन0एच0एम0 से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियाँ सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारियों के लिपिकों द्वारा तैयार कराकर सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी व डी0ए0एम0 के माध्यम से वित्त एवं लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करें, जो मुख्य चिकित्साधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे। यह प्रक्रिया प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु की जाये।

(ग) राज्य बजट की समस्त पत्रावलियां जिसमें वित्तीय उपाशय निहित हो, सम्बन्धित अधिकारी द्वारा वित्त एवं लेखा अधिकारियों के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रस्तुत की जाए, जिससे वित्तीय उपाशयों में वित्त एवं लेखा अधिकारियों का मंतव्य अवश्य लिया जाए तथा क्रय एवं टेण्डर सम्बन्धित समस्त कार्य वित्त एवं लेखा अधिकारियों की सहभागिता से कराये जाये। यह प्रक्रिया प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु की जाये।

(घ) वित्त एवं लेखा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालय के लेखों के रख–रखाव, आगामी वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारी, व्यय विवरण तैयार करना एवं समय से महानिदेशालय को भेजना, बचत–व्ययाधिक्य का विवरण तैयार करना इत्यादि समस्त कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे।

(च) उपरोक्त समस्त उत्तरदायित्व वित्तीय हस्तपुस्तिका–5, अध्याय–18 एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित वित्त एवं लेखा अधिकारियों के उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालय में वही होंगे, जो विभागाध्यक्ष स्तर पर वित्त नियंत्रक के होते हैं।

बैकिंग व्यवस्था एवं बैक खातों का संचालन

वित्तीय वर्ष 2014–15 में भारत सरकार द्वारा निर्देशित नवीन बैंकिंग व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या–1252/पाँच–9–2014–9(32)/07 दिनांक 09.10.2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार बैक खातों का संचालन किया जाय। इस सम्बन्ध में जारी पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/लेखा/2014–15/3867–75 दिनांक 02.12.2014 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर नवीन बैंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत धनराशि स्थानान्तरित/अवमुक्त की जाये। नेशनल अरबन हेल्थ मिशन के बैक खातों का संचालन पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/लेखा/2015–16/6589 दिनांक 07.09.2015 के अनुसार किया जाये।

रोगी कल्याण समिति का वैधानिक अंकेक्षण

प्रदेश की समस्त रोगी कल्याण समिति का पंजीकरण समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है। चूंकि रोगी कल्याण समिति अलग से पंजीकृत संस्था है, अतः अलग से वैधानिक आडिट कराया जाना आवश्यक है। राज्य ऑडिट कमेटी द्वारा आर0के0एस0 ऑडिट हेतु देय अधिकतम् ऑडिट फीस का निर्धारण किया गया है, जो कि निम्नवत् हैः–

वित्तीय वर्ष (जिसका ऑडिट किया जाना है)	राज्य ऑडिट कमेटी की बैठक की तिथि	रोगी कल्याण समिति का स्तर	फीस (प्रतिवर्ष/प्रति आर0के0एस0)
31.03.2016 तक	28.05.2015	ब्लॉक स्तरीय	रु0 500.00
		जनपद स्तरीय	रु0 1500.00
2016–17	14.01.2016	ब्लॉक स्तरीय	रु0 1000.00
		जनपद स्तरीय	रु0 2000.00
2017–18 2018–19 2019–20	25.01.2017	ब्लॉक स्तरीय	रु0 2000.00
		जनपद स्तरीय	रु0 3000.00

राज्य ऑडिट कमेटी की बैठक में जनपद/ब्लाक रोगी कल्याण समिति की वैधानिक अंकेक्षण वार्षिक अधिकतम सीमा तक निर्धारित की गई है।

कान्करेन्ट आडिट

भारत सरकार द्वारा जारी ''ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेंट'' में कॉन्करेन्ट आडिट सिस्टम की व्यवस्था की गयी है, जिसके अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति के खातों की मासिक जाँच जिला स्वास्थ्य समिति से नियुक्त कान्करेन्ट आडीटर द्वारा की जाती है तथा कान्करेन्ट आडिट की रिपोर्ट मासिक रूप से जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करायी जाती है, जिसकी एक प्रति जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करायी जाती है।

जिला आडिट कमेटी के सदस्यों का विवरणः–

Person	Designation in Committee
District Magistrate	Chairman
Chief Medical Officer	Member-Secretary
Senior Finance & Account Officer / Finance & Account Officer	Member
District Accounts Manager	Member
Representative from NDCP (at least one)	Member

जिला आडिट कमेटी के प्रमुख कार्य

- Selection and appointment of District concurrent auditors (in concurrence with the State Audit Committee)
- Monitoring timely audits at the district level and timely submission of audit reports
- Discussing the key audit findings with district concurrent auditor and District Accounts Manager and suggest appropriate actions
- Monitoring whether adequate follow up action is being taken by the District Accounts Manager on the audit observations
- Monitor whether ATR has been prepared by the DAM/ CMO and given to the auditor and whether the same has been vetted and sent by the auditor within the requisite time limit
- Carrying out an assessment of the audits in case the auditors are being considered to be reappointed with intimation to State Audit Committee (SAC).
- Renewal of the auditors' contracts with intimation to SAC.

कान्करेन्ट ऑडिट रिपोर्ट

जनपदों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के कान्करेन्ट आडीटर के टी0ओ0आर0 में दर्शाये गये समस्त कार्य कराए जायें। कान्करेन्ट ऑडिटर द्वारा अगले माह की 10 तारीख तक रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराई जाय। जनपद द्वारा अगले माह की 15 तारीख तक मासिक कान्करेन्ट आडिट रिपोर्ट राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध करायी जाय।

जिला ऑडिट कमेटी की बैठक

जिला ऑडिट कमेटी की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 6 बैठके आयोजित की जानी हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी ऑपरेशनल गाईडलाईन फॉर फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट को वित्तीय वर्ष 2012–13 से प्रदेश में लागू किया गया है, जिसके अनुपालन में राज्य स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय द्वारा अपनी बैठक दिनांक 06.06.2012 में अनुमोदनानुसार पत्रांक–एन0आर0एच0एम0 / एस0पी0एम0यू0 / कॉन ऑडिट / 2012.13 / 174 / 583–11 दिनांक 25.06.2012 के द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला ऑडिट कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें मुख्य चिकित्साधिकारी सहित वित्त एवं लेखाधिकारी तथा जिला प्रबन्धक (लेखा) सम्मिलित है। जिला ऑडिट कमेटी की बैठक कम से कम साल में 06 बार की जानी है, जिसमें कान्करेन्ट ऑडिट में की गयी संस्तुतियों और खामियों पर त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

जिला ऑडिट कमेटी की बैठक के मुख्य एजेण्डा बिन्दु

जिला ऑडिट कमेटी का सदस्य सचिव होने के नाते मुख्य चिकित्साधिकारी का यह दायित्व है कि नियमित अन्तराल पर जिला ऑडिट कमेटी की बैठक आहूत करायें। जिला ऑडिट कमेटी की बैठक में एजेन्डा में निम्न बिन्दुओं को आवश्यक रूप से शामिल किया जाए–

1. जिला कांकरेन्ट आडिटर के चयन एवं परफॉरमेन्स।
2. आडिट कार्य की समीक्षा।
3. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को आडिट रिपोर्ट को प्रेषित किये जाने की समीक्षा।
4. जनपद की समस्त इकाईयों के लेखा पुस्तकों के रख–रखाव की समीक्षा।
5. आडिट आपत्तियों पर कृत कार्यवाही की समीक्षा।
6. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को ए0टी0आर0 प्रेषित किये जाने की समीक्षा।
7. बड़े कार्य / सेवाएं के टेंडर की समीक्षा भी की जाये।
8. दस लाख से अधिक के टेंडरों की प्रक्रिया एवं वैघता का कांकरेन्ट आडिट से परीक्षण कराकर ही क्रय आदेश जारी करने की समीक्षा की जाये।

''कॉन्करेन्ट ऑडिट में यह अवश्य देख लिया जाये कि जी0एफ0आर0 प्रक्रिया / सी0वी0सी0 गाईडलाईन का पालन हो रहा है या नहीं और Fair Comptition allow किया गया है। इस प्रक्रिया से सम्भावित अनियमितता / कदाचार पर रोक लग सकेगी, कान्करेन्ट ऑडिट में किसी अनियमितता प्रकाश आने पर जिलाधिकारी / मिशन निदेशक–एन0एच0एम0 / महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें को सूचित किया जाये, जिससे अग्रिम प्रभावी कार्यवाही हो सके।''

9. अन्य बिन्दु आवश्यकतानुसार।

ऑडिट फीस का भुगतान

जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा कान्करेन्ट आडीटर की आडिट फीस हेतु एफ0एम0आर0 कोड संख्या 16.1.5.3.3 पर प्राविधानित धनराशि का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त "Operational Guideline of Financial Management" में दिये गये प्राविधानों एवं टी0ओ0आर0 के अनुरूप आडिट निष्पादन के उपरान्त किया जाना है। कॉन्करेन्ट ऑडीटर को फीस का भुगतान त्रैमासिक आधार पर रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त किया जाय। इसके साथ ही यदि किसी कारणवश जनपदीय स्वास्थ्य समिति/राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई द्वारा जनपदीय कान्करेन्ट आडीटर के कार्य को अस्वीकार कर दिया जाता है तो इस स्थिति में जनपद के कान्करेन्ट आडीटर की फीस का भुगतान देय नहीं होगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा विभाग की अन्य योजनाओं में वित्तीय अनुशासन लागू किया जाना

आम जनता को लाभ पहँचाने के उद्देश्य से योजनाओं के संचालन में शासन/एन0एच0एम0 का बहुत बड़ा बजट जनपद को निर्गत किया जाता है, जिसका उपयोग मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति की देख रेख में किया जाता है। योजना के क्रियान्वयन तथा बजट के व्यय में वित्तीय अनुशासन बना रहे तथा किसी तरह का भ्रष्टाचार/गबन इत्यादि न हो, इसके लिये प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/कॉ0ऑडिट/ 2019–20/412/6111–2 दिनांक 16 अक्टूबर 2019 के माध्यम से योजना क्रियान्वयन/क्रय प्रक्रिया के सम्बन्ध में निम्न दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं:–

1. जिला ऑडिट कमेटी द्वारा बड़े कार्य/सेवाएं के टेण्डर की समीक्षा की जाय।
2. दस लाख से अधिक के टेंडरों की प्रक्रिया एवं वैघता का कांकरेन्ट आडिट से परीक्षण कराकर ही क्रय आदेश जारी करने की समीक्षा की जाये।
   ''कॉन्करेन्ट ऑडिट में यह अवश्य देख लिया जाये कि जी0एफ0आर0 प्रकिया/सी0वी0सी0 गाईडलाईन का पालन हो रहा है या नहीं और Fair Comptition allow किया गया है। इस प्रकिया से सम्भावित अनियमितता/कदाचार पर रोक लग सकेगी, कान्करेन्ट ऑडिट में किसी अनियमितता प्रकाश आने पर जिलाधिकारी/मिशन निदेशक–एन0एच0एम0/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें को सूचित किया जाये, जिससे अग्रिम प्रभावी कार्यवाही हो सके।''
3. जिला ऑडिट कमेटी की नियमित बैठक कराते हुए जनपदीय कॉन्करेन्ट आडिटर द्वारा उठायी गयी आपत्तियों पर निराकरण एवं सुधारात्मक कार्यवाही कर ए0टी0आर0 राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन को ससमय उपलब्ध कराई जाय।
4. जिला ऑडिट समिति की बैठक के कार्यवृत्त एन0एच0एम0 की वेबसाइट पर 01 सप्ताह के भीतर अपलोड करना।
5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की धनराशि का भुगतान विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों/वेन्डर्स के खाते में न करके अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनियमित रूप से अपने व्यक्तिगत खाते में हस्तांतरित की जा रही है जो कि गबन/गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।
6. नियमित अन्तराल पर क्रय न करते हुए बिना मांग निर्धारण के मार्च माह के अंतिम सप्ताह में वृहद् मात्रा मे क्रय किया जाना।
7. राज्य के वित्तीय नियमों के अनुसार सेवाएं/कार्य को ई–टेन्डरिंग/टेंडर/कोटेशन प्रक्रिया एवं जेम पोर्टल के माध्यम से कराये जाने का प्रावधान है, परन्तु जनपदों में ई–टेंडर/टेंडर/कोटेशन प्रक्रिया एवं जेम पोर्टल से बचने के लिए बिलों को टुकड़ो में विभाजित करते हुए क्रय किया जा रहा है, **जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।**
8. टेंडर के माध्यम से चयनित फर्मो से अर्नेस्ट मनी डिपोजिट, सिक्योरिटी धनराशि, परफॉर्मेन्स गारंटी को एफ.डी/एन०एस०सी०/डी०डी० के रूप में प्राप्त नहीं किया जा रहा है। टेंडर फीस को जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में जमा नहीं किया जा रहा है।
9. ऑडिट रिपोर्ट से संज्ञान में आया है कि टेंडर प्रक्रिया में फर्मो के पास तकनीकी योग्यता न होने के बावजूद चयनित कर लिया जा रहा है।

10. जनपदों द्वारा फर्मों (बिडर) के मध्य कॉम्पटीशन को कम करने के लिए टेंडर का विज्ञापन राष्ट्रीय समाचार पत्रों में नहीं निकाला जा रहा है तथा टेंडर नियमों का अनुपालन न करते हुए बहुत कम अवधि में टेंडर को खोल दिया जाता है।
11. जनपदों में बिना बिल/वाउचर/सपोर्टिंग पेपर के अनियमित रूप से धनराशि भुगतान की जा रही है, **जो कि गबन/गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।**
12. वित्तीय वर्ष में नया टेंडर नहीं करके पांच से छः वर्ष पुराने टेंडर को नवीनीकरण कर दिया जा रहा है।
13. **जनपदों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत किराये पर ली गयी कारों के स्थान पर मोटर साइकिल/स्कूटर/ट्रैक्टर के नंबर पर भुगतान कर दिया है, जो कि गबन/गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।**
14. आर. बी. एस. के. एवं सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम के अंतर्गत बिना टैक्सी परमिट के वाहन, बहुत पुराने वाहन जो कंडम स्थिति में है तथा जिनका फिटनेस प्रमाण पत्र भी नहीं है, उनके नम्बरों पर भुगतान कर दिया जा रहा है।
15. ऑडिट के दौरान परिलक्षित हुआ है कि जनपदों द्वारा कमिटेड लायबिलिटी के अन्तर्गत धनराशि रक्षित कराये बिना गत वर्षों का भुगतान किया जा रहा है।
16. पेट्रोल पंप से जनरेटर के लिए डीजल प्राप्त किया जाता है, **परन्तु डीजल प्राप्त करने तथा उसकी लॉग बुक में इंट्री की प्रक्रिया उचित नहीं है। सी०ए० फर्म द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि डीजल प्राप्त करने के पश्चात उसकी मात्रा की जाँच के लिए एक प्रणाली बनाई जाए। जनरेटर की लॉग बुक में डीजल की खरीद एवं खपत का कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया जा रहा है।**
17. जे0एस0वाई0 तथा नसबंदी लाभार्थियों के खाते में एक ही वित्तीय वर्ष में तीन से चार माह के अन्तराल पर, एक से अधिक बार रू0 1,400.00/रु0 1,000.00 की धनराशि का अनियमित भुगतान किया जा रहा है, **जो कि गबन/गंभीर वित्तीय अनियमितता है।**
18. जे0एस0वाई0 तथा नसबंदी लाभार्थियों के खाते में भुगतान न करके आशा के खाते में जे0एस0वाई0 की धनराशि हस्तांतरित की जा रही है।
19. स्टाफ द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाने के बावजूद अनियमित रूप से उसके खाते में वेतन का भुगतान किया गया है।
20. बैंक समाधान विवरण में लम्बित चेक/पी0एफ0एम0एस0 एड्वाइस जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी है, उनका समाधान नहीं किया जा रहा है, जबकि बैंकिंग गाईडलाईन के अनुसार तीन माह से अधिक पुरानी चेकों तथा दस दिन पुरानी पी0एफ0एम0एस0 एड्वाइस का समाधान हो जाना चाहिए, जिससे सही बैंक बैलेन्स ज्ञात किया जा सके।
21. विभिन्न इकाईयों पर अनस्पेन्ट बैलेन्स के अन्तर्गत अत्यधिक धनराशि अवशेष है, जिसके व्यय की समीक्षा नहीं की जा रही है।
22. विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को दी गयी अग्रिम धनराशि की समीक्षा नहीं की जा रही है संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर या रिफंड प्राप्त कर अग्रिम का समायोजन किया जाना चाहिए।
23. एक ही फर्म से अलग–अलग प्रकृति के कार्यो को बिना उनके रजिस्ट्रेशन को चेक किये कराया जा रहा है। फर्म द्वारा मध्यस्थ की तरह कार्य किया जा रहा है। जिससे सेवाएं/कार्य को मार्केट दर से अधिक दर पर कराया जा रहा है।
24. फर्म के बीजक एवं वाउचर को प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किये बिना ही भुगतान कर दिया जा रहा है। "paid & cancel" की स्टाम्प नहीं लगायी जा रही है।
25. कांकरेन्ट आडिटर के समक्ष ऑडिट के दौरान वित्तीय रिकॉर्ड को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जा रहा है।
26. फर्म के खाते में भुगतान न करके प्रोपराइटर के खाते में भुगतान कर दिया गया है।
27. जी०एस०टी०एन० बिल प्राप्त न होने के बावजूद जी०एस०टी० का भुगतान किया गया है।
28. कोटेशन में कोट की गयी दर बाजार मूल्य से अधिक है।
29. अनरजिस्टर्ड फर्म को अनियमित भुगतान किया गया है।
30. जनपद द्वारा आयुष औषधि का क्रय एनएचएम के अंतर्गत सूचीबद्ध की गयी फर्म से न करके अनधिकृत फर्म से किया गया है। उक्त फर्म से गुणवत्ता टेस्ट रिपोर्ट को प्राप्त नहीं किया गया था।
31. राज्य ऑडिट कमेटी द्वारा निर्धारित की गयी आर0के0एस0 ऑडिट फीस से अधिक दर पर भुगतान किया जा रहा है, अधिक दर से भुगतान की गयी है, जो कि गबन/गंभीर वित्तीय अनियमितता है।

32. आर०के०एस० सोसायटी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया है। आर0के0एस0 सोसायटी का पैन नम्बर प्राप्त नहीं किया गया है और प्रारंभ से अब तक का आयकर रिटर्न भी सोसायटी द्वारा फाइल नहीं किया गया है।
33. आयकर/जीएसटी नियमों के अनुसार टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की जा रही है, टी0डी0एस0 काटने के पश्चात समय से जमा नहीं किया जा रहा है। त्रैमासिक/मासिक टी0डी0एस0 रिटर्न को जमा नहीं किया जा रहा है।
34. पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/लेखा/2017–18/10229–3 दिनांक 03.02.2018 के माध्यम से मेडिकल कॉलज स्तर पर एक बैंक बचत खाता रखने का प्राविधान किया गया है, जिसके क्रम में बैंक खाता का प्रचलन सुनिश्चित करें।
35. पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/लेखा/2017–18/9461–75 दिनांक 08.12.2017 के माधयम से भुगतान/धनराशि अवमुक्त किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी। तदनुसार ब्लॉक एवं इकाइयों को फण्ड ट्रान्सफर तथा सेवाएं/कार्य के भुगतान की पत्रावली को वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी के माध्यम से अग्रसारित किया जाना सुनिश्चित करें।
36. पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/1782–6 दिनांक 28.5.2018 के माध्यम से पी0एफ0एम0एस0 संचालन में चेकर/मेकर एवं उनके कार्य व दायित्वों का निर्धारण किया गया है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

एन0एच0एम0 के अन्तर्गत कार्यक्रमों की वैधानिक सम्प्रेक्षा

एन0एच0एम0 के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति तथा जिला स्वास्थ्य समिति के वैधानिक आडिट के उपरान्त भारत सरकार को आडिट रिपोर्ट, ऑडिटेड बैलेन्स शीट एवं आडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाय। वैधानिक अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित कार्यवाहियॉ अपेक्षित हैः–

1. आडिट टीम के पहुॅचने के पूर्व ही जनपद/ब्लॉक एवं अन्य कार्यालयों में रखे अभिलेखों को अद्यतन करा लें तथा आडिट टीम के पहुॅचने पर टीम के समक्ष तत्काल प्रस्तुत करायें।
2. जनपद के लेखों के रख–रखाव हेतु जनपद के जिला लेखा प्रबन्धक (DAM) को पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाते हुये समस्त अभिलेख प्राप्त करवा दें।
3. आडिट टीम के 'रफनोट' (मेमो) में अंकित आपत्तियों को स्थल पर ही दूर करायें, उन्हें कदापि अनुत्तरित न छोड़ें।

लेखा पुस्तकों के अन्तिमीकरण के दिशा–निर्देश

1. कैश एवं बैंक बुक को ससमय पूर्ण किया जाना।
2. सभी कार्यक्रमों के खाता बही ससमय तैयार किया जाना।
3. सभी कार्यक्रमों के जर्नल, खाता बही बनाया जाना चाहिए एवं सभी प्रारंभिक अवशेष के साथ ही साथ समायोजन प्रविष्टियों और अग्रिम प्रविष्टियों का लेखा–परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार समायोजन कर पूर्ण किया जाना।
4. वाउचर क्रमानुसार संख्या में होना चाहिए।
5. बैंक समाधान विवरण ससमय तैयार कर बैंक बुक की आकृति सामंजस्य करना। साथ ही साथ सभी असंगत बैंक प्रविष्टियों को पहचान कर ससमय समाधान करें।
6. त्रैमासिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरण एवं मासिक ट्रायल बैलेंस Concurrent ऑडिटर के द्वारा प्रमाणित कराना।
7. वैधानिक आडिट के प्रारंभ से पहले प्रत्येक स्तर पर प्राप्ति, भुगतान एवं आय और व्यय खाते बैलेंस शीट में अंगीकृत कर ले।
8. फंड प्राप्त एवं अन्तरण का विवरण ससमय तैयार कर मिलान कर ले।
9. वैधानिक अंकेक्षण के प्रारंभ से पूर्व राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई से प्रेषित अनुदेश के अनुसार कृत कार्यवाही तैयार कर वैधानिक (स्टेच्यूटरी) अंकेक्षण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. एन0एच0एम0 के अन्तर्गत सभी कार्यक्रमों के सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
11. अग्रिम धनराशि का विश्लेषण कर उसका समाधान ससमय कराना सुनिश्चित करें।
12. एन.एच.एम. के अन्तर्गत सभी कार्यक्रमों की पी0एफ0एम0एस0 लॉग रजिस्टर/चेक बुक रजिस्टर बैंक खाता के हस्ताक्षरी से सत्यापित कराना।

13. एन0एच0एम0 के अन्तर्गत अचल संपत्ति का भौतिक सत्यापन करना।
14. महत्वपूर्ण अनुबंध/सहमति, ज्ञापन रजिस्टर में पंजीकृत कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना ।
15. स्टॉक रजिस्टर वैधानिक (स्टेच्यूटरी) अंकेक्षण के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
16. टी०डी०एस० की कटौती की धनराशि एवं रिटर्न को ससमय जमा किया जाना चाहिए।
17. एफ.एम.आर./स्टेटमेंट ऑफ़ फंड पोजीशन का मिलान कर Concurrent ऑडिटर से प्रमाणित कर लें।
18. समस्त जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय इकाइयों के खाता बहियों का रख–रखाव टैली ई०आर०पी०–9 पर कराना सुनिश्चित करें।
19. वी0एच0एस0एन0सी0 एवं उपकेन्द्रों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ ब्लॉक स्तरीय सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर अभिरक्षित रखें।
20. रोगी कल्याण समिति से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र को जिला स्वास्थ्य समिति एवं ब्लॉक स्तरीय सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर अभिरक्षित रखे।
21. रोगी कल्याण समिति की वैधानिक आडिट रिपोर्ट की एक प्रति जिला स्वास्थ्य समिति को अभिरक्षित रखें।
22. कांकरेंट आडिट रिपोर्ट की एक प्रति जिला स्वास्थ्य समिति को अभिरक्षित रखें।

अन्य वित्तीय दिशा–निर्देश

- धनराशि व्यय/अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0 एन0आर0एच0एम0/2013–14/3367–75 दिनांक 3.11.2014 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यकम/मद में जितनी धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अनुमति के बिना स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) कदापि न किया जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न हो।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण करायें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें, जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
- समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त धनराशियों के सापेक्ष व्यय की गई धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ.एम.आर में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूटरी आडिटर, महालेखाकार के आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट मैनुअल (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

आपसे अनुरोध है कि कृपया दिये गये दिशा–निर्देशों की प्रति समस्त जनपदीय ए0सी0एम0ओ0 / कार्यक्रम अधिकारियों जनपदीय चिकित्सालयों के एस0आई0सी0 / सी0एम0एस0 व सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को उपलब्ध करा दें तथा दिये गये निर्देशों का पालन कराना जाना सुनिश्चित करें, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रहे एवं योजनाओं को ससमय निर्धारित मानकानुसार प्रत्येक स्तर पर संचालित किया जा सके। आवंटित धनराशि का व्यय एन0एच0एम0 की आपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अनुसार किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं / गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय हो। किसी भी दशा में उपलब्ध कराई गई धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में न किया जाय। यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या : एस0पी0एम0यू0 / नियोजन / 17 / 2021–22 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर सचिव एवं मिशन निदेशक (एन0एच0एम0), भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्यसचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, सिफ्सा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
5. अधिशासी निदेशक, यू0पी0–टी0एस0यू0, लखनऊ
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
7. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
8. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इंदिरा नगर, लखनऊ
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त महाप्रबंधक / उपमहाप्रबंधक / अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
12. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त मण्डलीय / जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश।

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक